

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

राजनीतिक निबन्ध

[*Essays in Political Science*]

लेखक

ईश्वर चन्द्र घोभा, बी. ए. (ऑनर्स) एम. ए.

राजनीति विज्ञान विभाग,

राजस्थान कॉलेज, जयपुर ।

भूतपूर्व प्राध्यापक

वसन्त राजपूत कॉलेज, भागरा ।

नवीन संस्करण १९६७

प्रेम बुक डिपो

हॉस्पिटल रोड, भागरा-३

प्रकाशक :
प्रेम युक्त डिपो,
भागरा-३ ।

मुद्रक :
पद्म प्रिन्टर,
नूरीगेट, भागरा-२ ।

मूल्य :
१०) रुपये ।

प्रस्तुत संस्करण की भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक के पिछले संस्करणों का शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों सभी के द्वारा उचित स्वागत हुआ । इस संस्करण में दृष्टेष्ट परिवर्तन कर दिया गया है । कुछ नये निबन्ध बढ़ा दिये गये हैं । नये निबन्ध ऐसे विषयों पर हैं जो राजनीतिविज्ञान के आधुनिकतम युग के सर्वाधिक ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण विषय हैं । 'अवमूल्यन', 'भारत के अन्य एशियाई देशों से सम्बन्ध' ऐसे विषय हैं जिनको उपेक्षित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार पुस्तक को अपने आप में पूर्ण करने पूरा-पूरा प्रयास किया गया है ।

पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से भेजे गये सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे ।

भाषा है पुस्तक पाठकों के लिए और भी अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी ।

—प्रकाशक

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
१. जैटो और धरस्तू के राजनैतिक विचार	१
२. मरिचियावली के राजनीतिक विचार	१४
३. 'दृष्ट्या, न कि शक्ति, राज्य का आधार है'	२४
४. महासंवाद की रूपरेखा	३२
५. गांधीवाद की रूपरेखा	४३
६. महासंघ और गांधी	५३
७. तात्की के राजनीतिक विचार	६२
८. राजनीतिक बहुवाद	७०
९. परराजवत्तावादी दर्शन	८०
१०. नियोजित प्रजातन्त्र	९०
११. प्रजातन्त्र की कृष्ट समस्याएँ	१०३
१२. प्रजातन्त्र एवं श्रमिक सघ	११४
१३. संघदीय प्रजातन्त्र	१२२
१४. राजनीतिक दलों का प्रजातन्त्र में महत्त्व एवं स्थान	१३४
१५. समानता	१४६
१६. स्वतन्त्रता और साम्यवाद	१५३
१७. उपयोगितावाद	१६३
१८. जनमत और प्रचार	१७०
१९. बस्याणकारी राज्य की समस्याएँ	१८१
२०. सघवाद की समस्याएँ	१९३
२१. उदारवाद की विचारधारा	२०२
२२. भारतीय संघीय संविधान (एक आलोचनात्मक अध्ययन)	२१०
२३. न्यायालयों के पुनरावलोकन का अधिकार	२२०
२४. कर्मनिरपेक्ष राज्य.	२२९
२५. राष्ट्रमण्डल	२३८

अध्याय		पृष्ठ
२६.	जाति, रंग एवं राजनीति	२४४
२७.	राष्ट्रसभ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के घन्तगत सामूहिक सुरक्षा	२४३
२८.	प्रन्तराष्ट्रीय संरक्षणार्थक नामन व्यवस्थाएँ	२६१
२९.	दिगन्त्रीकरण	२६९
३०.	विश्व शान्ति की समस्याएँ	२७९
३१.	त्रिष्व संघ की समस्याएँ	२९२
३२.	तेल कूटनीति	२९९
३३.	धार्मिक साम्राज्यवाद	३०८
३४.	संयुक्त राज्य अर्थरीक्षर की वैदेशिक नीति	३१८
३५.	ब्रिटेन की वैदेशिक नीति	३३०
३६.	श्रीलंकित संघ की वैदेशिक नीति	३३९
३७.	भारतीय वैदेशिक नीति	३४९
३८.	शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व	३६०
३९.	प्राधुनिक राज्य में नौकरशाही का स्थान	३६९
४०.	प्राधुनिक सर्वोच्चकारी राज्य	३७८
४१.	भवमूल्यन और धार्मिक-राजनैतिक परिणाम	३८४
४२.	सर्वोदय	३९२
४३.	भारत तथा एशियाई देश	४००
४४.	धर्म और राजनीति	४१०
४५.	भारत के राजनीतिक दल	४१९
४६.	हिन्दू-भाक सम्बन्ध समस्या	४३४

प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचार

प्रादिकासीन यूनानी दार्शनिकों में अरस्तू और प्लेटो को निःसंकोच राजनीति शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विचारकों में स्थान दिया जा सकता है। उनकी, राज्य की प्रकृति और सिद्धान्त के सम्बन्ध में, इतनी अधिक मौखिक देन है कि लगभग दो सहस्र वर्षों से भी अधिक समय तक इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखा गया और जो कुछ लिखा भी गया वह उनके दर्शन की टिप्पणियाँ मात्र हैं। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ पर उनके राजनीतिक विचारों का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं कर सकते हैं, किन्तु उनके मुख्य-मुख्य विचारों का मारांश ही दे रहे हैं।

दोनों को ही, अधिकांश रूप से, मूल विचारों और प्रेरणा की प्राप्ति मुकरात से हुई थी। प्लेटो की प्रमुख कृतियाँ 'गणतन्त्र (The Republic)', 'राज्य विचारद (The Statesman)', और 'कानून (The Laws)', हैं। 'गणतन्त्र' का मूल विचार मुकरात का सिद्धान्त 'सद्गुण ही ज्ञान है' है। इसके अनुसार 'श्रेष्ठत्व' का ज्ञान सार्विक धन्वेषणों द्वारा हो सकता है और इसकी शिक्षा भी दी जा सकती है। अतः 'गणतन्त्र' की प्रमुख देन यह है कि दार्शनिक अर्थात् वह पुरुष जो कि ज्ञान है, शासक भी होना चाहिए। उसका ज्ञान ही उगे ज्ञान का अधिकारी बनाना है। प्लेटो का विचार है कि समाज, ध्युत्पन्न आवश्यकताओं पर तथा अनुवर्ती वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान पर आधारित है। प्लेटो के सिद्धान्त के दो प्रमुख नियम ये हैं—(क) ज्ञान एक कला है जिसके लिए विशिष्ट एवं यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है और (ख) समाज की स्थापना साम्प्रतिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के निमित्त हुई थी और यह केवल सभी सम्भव है जब कि प्रत्येक सदस्य को यह स्थान प्रदान किया जाय जिसके लिये वह सर्वोत्पुक्त है।

प्लेटो की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ और अन्तर्दृष्टि का दिग्दर्शन इसी मध्य द्वारा हो जाता है, कि उसने यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय कार्य प्रणाली के आरम्भ निरीक्षण द्वारा, यह अनुभव किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रजातन्त्र अयोग्यता की उपजना है और प्रत्येक राज्य की अधिकांश वृत्तियाँ राजनीतिक अयोग्यता राज्यविचारदों की अयोग्यता के कारण हैं। अतः उनके राजनीतिक सिद्धान्त का

प्रमुख निर्वेण है कि राज्य-विभाजकों को शासन कला में शिक्षित किया जाय । उसे राज्य वैज्ञानिक अवश्यमेंव होना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों की प्रवृत्ति एवं सीमाओं का यथार्थ ज्ञान रखना चाहिए । आदर्श राज्य की स्थापना तभी होगी जबकि उसका शासन राज्य वैज्ञानिकों द्वारा होगा । उनका कथन है कि जब तक राजा दार्शनिक न हो अथवा दार्शनिक राजा न हो, आदर्श राज्य की स्थापना नहीं होगी । प्रो० बार्कर के शब्दों में :—

“विशिष्टीकरण का मार्ग प्लेटो के लिए एकीकरण का मार्ग भी था । यदि सरकार के कार्यों के लिए एक पृथक वर्ग की नियुक्ति हो तो सरकार को नियन्त्रण में लाने के लिए, शायद ही संघर्ष के लिए कोई स्थान रहे । यदि प्रत्येक वर्ग अपनी ही सीमाओं में बद्ध रहे और अपने ही कार्यों में एकाग्र चित्त हो, तो वर्गों में संघर्ष नहीं होगा । विशिष्टता के अभाव के ही कारण नागरिकों में मतभेद सम्भव हुआ है । विशिष्टता के साथ-साथ यह चीजें धर जायेंगी और प्रत्येक वर्ग प्रसन्नतापूर्वक अपने लिए नियुक्त हुए कार्यों को करेगा । स्वायंभरता अन्तर्ध्यान हो जायगी और राज्य में एकता का साम्राज्य होगा ।”

(प्लेटो और उसके पूर्वाधिकारी पृ० १५२)

प्लेटो, आदर्श राज्य की समस्त जनसंख्या को तीन वर्गों में विभक्त करता है । उनमें सर्वप्रथम सरक्षक हैं, जिनको पुनः सैनिकों और शासकों में विभक्त किया गया है । दूसरे मजदूर हैं जो कि जनसंख्या का अधिकतम भाग है । उनका मुख्य कार्य उत्पादन, अथवा वह काम जो उन्हें बताया जाय, करना है । इनमें से प्रत्येक वर्ग के अपने विशिष्ट गुण थे जिनके द्वारा उन्हें अन्य वर्गों से अलग किया जाता था । इस प्रकार दार्शनिकों में बुद्धिमत्ता होना, सैनिक सरक्षक में साहस एवं उत्साह होना और मजदूरों में अमिच्छा होना ही उनके विभेद के प्रमुख लक्षण हैं ।

‘प्रत्येक को उसका औचित्य प्रदान करना’ ही प्लेटो के सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की परिभाषा है । इस विचार के प्रकाश में शिक्षा प्रत्येक के सामर्थ्यानुसार होगी और प्रादान में समाज की यह आशा रहेगी कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य और जीवन में अपने पद के अनुरूप ही ईमानदारी से सामाजिक हितों का अनुदान करेगा । प्रो० बार्कर के शब्दों में :—

अतः सामाजिक न्याय की, उस समाज का सिद्धान्त कह सकते हैं, जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा निर्मित हुआ हो और जो एक दूसरे के प्रति अपनी आवश्यकताओं की प्रवृत्ति में संयुक्त हुए हों— इस प्रकार एक समाज में संयुक्ति और अपने पृथक कर्तव्यों में एकाग्रचित्त होकर एक ‘सम्पूर्ण’ वा

निर्माण विषय हो—ओ कि पूर्ण है। क्योंकि यह सम्पूर्ण मानव-मानसिक वा प्रतिकूल थीर प्रतिविम्ब है।”

(प्लेटो और उसके पूर्वाधिकारी पृ० १७६)

अतः सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज वा कुशल निर्माण तभी हो सकता है जब कि प्रत्येक को यह स्थान निर्धारित हो जिसके लिए वह सबसे अधिक योग्य है और स्थिति अपने निर्धारित स्थान पर बसने की पूर्ण करे।

प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य में अधिकतम एकता सुनिश्चित करना और उन सब कार्यों को समूल मूट करना था, ओ कि समाज में संघर्ष उत्पन्न करने है और उनको विरोधी दलों और वर्गों में विभक्त करने हैं। प्लेटो सब प्रकार की सभ्यता अथवा मित्री सम्पत्ति का निषेध करता है। यह स्थायी यौन सम्बन्ध, जिनको साम्यवादीय पारिवारिक संस्था कहा जाता है, का भी निषेध करता है। यह दोनों निषेध केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। सम्पत्ति एवं परिवार की साम्यवादी व्यवस्थाएँ एक दूसरे की पूरक हैं। मित्री सम्पत्ति के अघिहार की अनुपस्थिति में जासकों के भ्रष्ट होने का कोई कारण नहीं रहेगा। मित्री सम्पत्ति की व्यवस्था उस समय तक आवश्यक है जब तक कि परिवार की संस्था रहेगी। संरक्षक वर्ग की सम्पत्ति की मालगुमी को समूल मूट करने के लिए यह आवश्यक है कि उनको अपने परिवार, पत्नियों एवं बच्चों का निषेध हो। पत्नियों एवं बच्चों का साम्यवाद मूल में मुख्य के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। पारिवारिक साम्यवाद में नियन्त्रित संतानोत्पत्ति और संरक्षक वर्ग के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों एवं महिलाओं का निश्चित समय पर सहयोग होने से श्रेष्ठ सम्पन्न उत्पन्न होगी। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य न तो सार्वभौमिक विषयताओं का अन्त करना था और न समाज समाज में साम्यवादी व्यवस्था ही उत्पन्न करना था, अर्थात् राज्य में एकता स्थापित करना और संरक्षक वर्ग को अपने उत्तरदायित्वों से अलग करके उनके समाज में संघर्ष का अन्त करना था। प्लेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि अन्त का राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर अत्यन्त पर अनुचित प्रभाव पड़ता है और इस क्षेत्र को मिटाने का प्लेटोको केवल एक ही मार्ग दिखाई दिया। यह मार्ग अन्तका उन्मूलन था। जहाँ तक संरक्षक वर्ग का सम्बन्ध है, यदि सम्पत्ति और परिवार राज्य की एकता के मार्ग में बाधक है तो सम्पत्ति और परिवार का अन्त करना ही होगा।

सादरं राज्य के निर्माण में प्लेटो शिक्षा के सिद्धान्त को अधिक महत्त्व देता है। यहाँ तक कि हमने उसकी पुस्तक 'दिलेग्य' पढ़ने के उपरान्त उसे शिक्षा पर अत्यन्त महत्त्व देने की संज्ञा दी। यदि सद्गुण ही ज्ञान है और इसकी शिक्षा ही ज्ञान वाक्य है तो इसकी शिक्षा देने वाली शिक्षण-प्रणाली का सादरं राज्य में सर्वोत्तम महत्त्व देना स्वाभाविक है। प्लेटो 'राज्य द्वारा नियन्त्रित अनिवार्य शिक्षा' के पक्ष में है।

उसकी निहाय प्रणाली को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) प्रारम्भिक शिक्षा, जो कि केवल बीस वर्ष तक के नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए थी और (२) उच्चतर शिक्षा, जो कि केवल शासक वर्ग के लिए चुने हुए युवकों एवं युवतियों के लिए थी। पाठ्यक्रम भी दो भागों में विभक्त था। ज्येष्ठो शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और मानसिक विकास के लिए संगीत को आवश्यक समझता है। राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा के माध्यम ज्येष्ठो राज्य द्वारा कठोर परीक्षण की सिफारिश करता है ताकि नवीन पीढ़ी पर कोई अनैतिक प्रभाव न पड़े।

'गणतन्त्र' में वर्णित आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा न होकर व्यक्तियों द्वारा होगी। यदि दार्शनिकों को शासक होना है, और यदि दार्शनिक वे व्यक्ति हैं जो कि मुनासब की कला में पूर्णतया निपुण हैं, और यदि उनको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त है; तो उनके कार्य करने की स्वतन्त्रता को नियमों द्वारा नियन्त्रित करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिस्थितियों के अनुसार जो भी कार्य उचित समझेंगे, करेंगे; और उनका प्रत्येक कार्य आदर्श राज्यानुकूल होगा परन्तु ज्येष्ठो अपनी जीवन काल में ही आदर्श राज्य स्थापित करने के स्वप्न को कार्यान्वित न कर सपा था। सिद्धान्त में दो बार आदर्श राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में भगफन होकर ज्येष्ठो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, चूँकि आदर्श दार्शनिक का मित्तता बलित है; इसलिए ध्यक्ति के शासन की प्रवेदा नियमों का शासन अधिक व्यावहारिक होगा। अपने अपनी पुस्तक 'कानून' में नियमों के शासन को पुनः स्वीकार किया है। वहाँ यह निम्न है :—

“मिसली प्रथवा अन्य नगर, वही भी, मानव स्वामी के अधीन न होकर नियमों के अधीन होने चाहिए, ऐसा मेरा गिज्ञान है। अधीनता, स्वामी और प्रजा दोनों के स्वयं के लिए, अपनी मंतान की मंतान के लिए और उनके बगजों के लिए महितकर है।”

उज्जने 'राज्य विचार' में पुनः अपना यह मन प्रकट किया है कि यदि शासक दार्शनिक हों तो निरकुल शासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन है :—

“शासन के प्रकारों में सबसे अधिक गद्दी और बाम्बविक सरकार यह है जिसमें कि शासक को अच्छे विज्ञान का ज्ञान हो। न केवल ऐसा प्रतीत होता है कि वे नियमों से या बिना नियमों से, चाहे उनकी प्रजा इच्छा पूर्वक प्रथवा अनिच्छापूर्वक उन्हें चाहे, शासन करते हैं।”

यह पूर्णतया गिद करता है कि ज्येष्ठो राज्य में नियमों के शासन को मानव की अपूरता के कारण ही बाम्ब हीकर स्वीकार करता है। दाम्बविकता में परिचित होकर, एवं परिस्थितियों से बाध्य होकर ज्येष्ठो को 'नियमों द्वारा शासन' को सर्वश्रेष्ठ

शासन के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। प्लेटो के बाद के दर्शन का राज्य इसलिए नियमों के सुनहरे घागो से बँधा होगा :—

‘नियमों के श्रेष्ठतम मार्ग प्रदर्शक घागो को हमें अवश्य ही सदैव सहयोग देना होगा। यद्यपि तर्क-वितर्क श्रेष्ठ है किन्तु यह दृढ़ न होकर कोमल है। इन मार्गप्रदर्शक घागो की सहायता से हमारे अन्दर जो स्वर्ण प्रकार है वह दूसरे प्रकारों को सुनिश्चित रूप से हरा देगा।’

अरस्तू व्यावहारिक राजनीति की समस्याओं से अधिक सम्बन्धित था। ‘राजनीति’ के प्रथम भाग में वह आदर्शवादी है और एक आदर्श राज्य स्थापित करने की कल्पना करता है। यह सुकरात और प्लेटो के प्रभाव के कारण है। दूसरे भाग में वह राजनीतिक समस्याओं की कार्य-प्रणाली और उनकी व्यावहारिक समस्याओं से अधिक सम्बन्ध रखता है। अरस्तू के दर्शन में हम राज्यों का मौलिक वर्गीकरण पाते हैं। इस वर्गीकरण के दो मुख्य आधार थे—शासकों की संख्या और शासन का उद्देश्य राज्यों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम राजतंत्र या एक व्यक्ति का राज्य है जो कि सबसे हित में शासन करेगा (प्लेटो का प्रभाव) और सबसे निकृष्ट प्रजातंत्र है जो कि अरस्तू के लिये प्रायः भोडतंत्र है (प्लेटो से सहमति)।

अरस्तू के अनुसार वैधानिक शासन के तीन महत्वपूर्ण तत्त्व हैं :—

प्रथम, यह वह शासन है जिसका उद्देश्य जनहित है,

द्वितीय, इसमें शासन नियमों द्वारा होगा न कि साधारण व्यक्तियों द्वारा होगा।

तृतीय, इसमें सरकार शासितों की इच्छा पर आधारित होगी।

अरस्तू नियमों द्वारा शासन को नैतिक और सम्यक जीवन के लिए आवश्यक मानता है। ‘राजनीति’ में उसने कहा है “मानव पूर्ण होने पर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु न्याय व नियमों से पृथक होकर सबसे निकृष्ट है।” अरस्तू रूढ़ि पर आधारित नियमों को अधिक महत्व देता है। वह यह स्वीकार करता है कि यह तर्क करना सम्भव है कि नियमों के निर्माण में जनता की सामूहिक बुद्धि सबसे बुद्धिमान नियम बनाने वालों से श्रेष्ठतर हो सकती है, किन्तु सबसे बुद्धिमान कानून बनाने वाले भी रूढ़िवादी कानूनों से अच्छे कानून नहीं बना सकते। अतः परम्परा, अरस्तू के दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परम्परा में निहित ज्ञान अरस्तू के लिए सुशासन हेतु मार्गप्रदर्शन करने का सिद्धान्त है।

अरस्तू के मतानुसार सर्वाधिक व्यावहारिक राज्य पोलिटी (Polity) है जो कि एक व्यक्ति और बहुव्यक्ति शासन के समझौते का मार्ग है। इसको हम एक सीमित प्रजातंत्र, जिसमें कि सरकार का संचालन नियमों द्वारा होता है, भी कह सकते हैं। इसमें जनतंत्र और अल्प-जनतंत्र दोनों के तत्त्व सम्मिश्रित हैं। इसकी जनता का अधिकांश भाग एक ऐसे मध्यम वर्ग का होगा जो कि न तो अधिक धनी हो

घोर न अधिक निर्धन हो। नागरिक, यदि वह मापारण सम्पत्ति योग्यता को पूर्ण करते हैं, तो अपने नगर के शासन में भाग लेने के अधिकारी होंगे। संविधान घन घोर शिला के प्रभाव को वेदल सस्या के प्रभाव में सन्तुलित करेगा। धरस्तू जनता को सामूहिक बुद्धि में विश्वास रखता है तथा उसका यह मत है कि जनता के एक बड़े भाग को भ्रष्ट करना अत्यन्त ही कठिन है। इसलिए वह मुख्यस्थित शासन की सुरक्षा, सस्या में ही पाता है। राज्य में, प्रशासकीय पद अनुभव घोर सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को ही देने चाहिए। ऐसे राज्य में स्थायी एवं मुख्यस्थित शासन होगा। पोलिटी (Polity) विशेषतः एक मध्यमवर्गीय राज्य है और यह मध्यम मार्ग के स्वस्थित नियम पर आधारित है।

कोई भी विचारक अपने युग के प्रभाव से ऊपर नहीं उठ सकता और धरस्तू भी इस सिद्धान्त का अपवाद नहीं है। अपनी प्रति बुद्धिशीलता और दूरदर्शिता की अपेक्षा वह दास-प्रथा की भा रक्षा करता है। धरस्तू के मतानुसार दास-प्रथा प्राकृतिक एवं आवश्यक है। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मस्तिष्क प्रति विकसित होता है और दूसरे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। जो मानसिक रूप से प्रबल है वे आज्ञा एवं निर्देश दे सकते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी कार्य बँभे किया जाता है किन्तु कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकते। इसके विपरीत, वे, जो कि शारीरिक रूप से बलवान हैं और शारीरिक श्रम के योग्य हैं, कार्य तो कर सकते हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि उसे बँभे करना चाहिए। इसलिए धरस्तू इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को उनके अपने हित में सहयोग करना आवश्यक मानता है, जिससे एक कार्य का निर्देश करे और दूसरा उनको कार्यान्वित करे। परन्तु धरस्तू इससे भी एक पग आगे बढ़कर एक मापारण व्यक्ति के पक्षपाती दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जब कि वह नियम बनाता है कि यूनानी कमी भी दास नहीं बनाये जा सकते।

धरस्तू प्लेटो के इस सिद्धान्त में कि 'राज्य के लिए एकता अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस एकता प्रति के लिए सम्पत्ति व परिवार का सम्प्राप्ति होना चाहिए' असहमत है। उसके मतानुसार सामाजिक जीवन का मुख्य आधार विभिन्नता है न कि एकता। इसलिए वह प्लेटो की एकतायुक्त व्यष्टता को व्यर्थ मानता है। सम्पत्ति का साम्यवाद-समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें न तो कोई सामाजिक सम्पत्ति की देखभाल ही उचित रूप में करेगा और न समाज में किसी को कार्य करने व लिए प्रेरणा ही रहेगी। उसके मतानुसार प्रत्येक की सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति नहीं है अतः कोई भी उसको देख-रेख नहीं करेगा। महिलाओं का समाजीकरण, जिसके फलस्वरूप समाज में कई नवीन समस्याएँ उत्पन्न होंगी, वह अमूल्य समझता है। यदि सन्तान को अपने माता-पिता का ज्ञान नहीं होगा तो वह सरलतापूर्वक अपराध

की गुरुता जाने बिना ही पितृघात वैसा जघन्य अपराध कर सकेंगे। इन कारणों से वह प्लेटो के साम्यवाद को अस्वीकार करता है और निजी सम्पत्ति के सामान्य उपयोग के सिद्धांत को अपनाता है। घरस्तू की दृष्टि में सम्पत्ति परिवार का आवश्यक अंग है। इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता और एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व ही असम्भव है।

परिवार के दो भाग होते हैं। प्रथम भाग में पति, पत्नी और सन्तान होते हैं। पुरुष और महिलाएँ मानव जाति की वृद्धि और रक्षा के लिए परिवार में संगठित होते हैं। द्वितीय भाग में वह अस्त्र हैं जो कि परिवार के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। यह अस्त्र जब अथवा चेतन, उत्पादनशील अथवा उपभोग्य हो सकते हैं और यह परिवार की सम्पत्ति का निर्माण करते हैं। घरस्तू के अनुसार प्रत्येक परिवार में तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं।

प्रथम : पति-पत्नी सम्बन्ध,

द्वितीय . माता-पिता-संतान सम्बन्ध, और

तृतीय . स्वामी-दास सम्बन्ध।

घरस्तू, दाम को एक प्रकार का अस्त्र व सम्पत्ति का भाग समझता है। उसके मतानुसार कतिपय व्यक्ति स्वभावतः दास व कतिपय व्यक्ति स्वभावतः स्वामी होते हैं। इन दोनों का इनके अस्तित्व और हितों के लिए पारस्परिक सयोग आवश्यक है। वह परिवार को एक प्राकृतिक समुदाय मानता है, जिसका उद्देश्य नित्य प्रति की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। उसके लिए यह सम्बन्ध केवल आर्थिक अथवा यौन सम्बन्ध नहीं है अपितु प्राकृतिक है। इसका आधार दोनों भागीदारों के मध्यम्य जीवन पर्यन्त मैत्री है। वह परिवार को पितृसत्तात्मक मानता है और परिवार में वयोवृद्ध को शासन का अधिकार देना है।

घरस्तू न तो सम्पत्ति के पूर्ण उन्मूलन, जिससे कि पारिवारिक जीवन पर सकट आयेगा, के पक्ष में ही है और न धन के कुछ व्यक्तियों में अनियमित एकत्रीकरण के पक्ष में ही। वह निजी सम्पत्ति को सीमित सम्पत्ति के रूप में चाहता है और उसको श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक मानता है। सम्पत्ति का समष्टीकरण वस्तुओं एवं लाभों के वितरण में कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा क्योंकि समाज में अनुदान और आवश्यकताएँ सदैव विषम रहेंगी। कुछ समय पश्चात् यह जनता में अग्याय की भावना को जन्म देगा और इस कारण सघर्ष और गृह-युद्ध होंगे। घरस्तू के अनुसार अनियमित सम्पत्ति सामूहिक सम्पत्ति से भी बड़ी दोग है और धन की अत्यधिक विषमताएँ समाज में अशान्ति और गृहकलह का कारण बनेंगी। सबके पास नागरिकों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए न्यूनतम आवश्यक साधन होने ही चाहिए। इस सम्बन्ध में वह एक ऐसे मध्यम वर्ग का पक्षपाती है जो न तो अधिक धनी हो और न अधिक निर्धन।

घरस्तू ने व्यावहारिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से राज्यों में प्रान्ति के कारणों का विस्तृत रूप में विवेचन किया है। वह राज्य में प्राग्भित और अग्रान्ति की प्रत्याय का परिणाम मानता है। प्रान्ति के गिढान्तों के सम्बन्ध में यह पूर्णतया वास्तविकता के आधार पर लिखता है। वह कारणों के साथ साथ उनके दूर करने के उपाय भी बतलाता है। उसके लिए राज्य के विधान में परिवर्तन का प्रथम है आर्थिक, सामा-
निक व राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और ऐसा परिवर्तन पूर्ण प्रान्ति होंगे। उसके लिए प्रान्ति का हिमात्मक होना आवश्यक नहीं है और वह चुनाव व दूररे वैधानिक साधनों द्वारा भी हो सकती है। अपने प्रान्ति का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :—

(क) पूर्ण प्रथवा अपूर्ण।

(ख) शान्तिपूर्ण प्रथवा हिमात्मक।

(ग) व्यक्तिगत, जब कि उमका उद्देश्य किसी व्यक्ति प्रथवा गृह की सत्ता में स्थान करना हो, प्रथवा प्रदेसिक, जबकि उमका उद्देश्य समस्त आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना हो।

(घ) जननश्रीय प्रथवा अल्पजननश्रीय। प्रान्ति के फलस्वरूप जिस वर्ग की शक्ति प्राप्त होगी उसके अनुसार इन दोनों में से एक हो सकता है।

(ङ) विमोचक जबकि दुस्माहर्मी राजनीतिक राजनीतिक सत्ता की अपने भाषणों के प्रभाव से घटने हाथ में कर लेने में सफल हो जाते हैं।

घरस्तू के अनुसार प्रान्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(प्र) यह प्रत्याय की भावना के कारण हो सकती है। यदि राज्य के वैधानिक ष्टों के वितरण में पक्षपात होता है, समाज में अत्यधिक आर्थिक विषमता है प्रथवा राज्य की ओर से आदर व सम्मान के वितरण में पक्षपात होता है तो यह जनता में प्रत्याय की भावना उत्पन्न करते हैं। इनसे हम प्रान्ति के सतोवैज्ञानिक कारण कह सकते हैं।

(प्र) प्रान्तियों का प्राकृतिक कारण भी है। जब समाज में अत्यधिक आर्थिक विषमता होगी और समाज दो विशिष्ट आर्थिक हितों में विभाजित हो जायगा तो समाज में आर्थिक मोर्चण अवश्य होगा और उसके फलस्वरूप निर्धनों में अमन्ताप फैलेगा और निर्धन वर्ग सत्ता में आधिक होने के कारण प्रान्ति का मार्ग अपनाएगा।

(ङ) राज्य के प्रशासकीय ष्टों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग में भी प्रान्ति की सम्भावना रहती है। पक्षपात, अष्टाचार, धूम, कुनवा परम्पी और शोषण आदि सत्ता के दुरुपयोग होने के वित्तीय उदाहरण हैं, जिनके द्वारा प्रान्ति की सम्भावना रहती है।

(ई) मध्यम वर्ग की, जो कि समाज को सन्तुलित करने के लिए आवश्यक है, प्रनुपस्थिति में भी क्रान्ति हो सकती है। वर्ग संघर्ष से बचने के लिए समाज में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का विकास आवश्यक है।

(उ) उग्र विचारधारा भी क्रान्ति की पोषक है।

क्रान्ति के कारणों को दूर करने के लिए भरस्तू यह सिफारिश करती है कि सरकारों के प्रशासकीय पद व राज्य सम्मान के वितरण व्यापपूर्ण होने चाहिए। विधान में सब प्रकार के हितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रशासकीय कर्मचारी योग्य होने चाहिए। विधान का आधार मध्यम भाग का स्वर्णिम नियम होना चाहिए और निर्धनों को भाजीविरा देकर सन्तुष्ट रखना चाहिए। नागरिकों को अपने विधान के सदगुणों से परिचित करना चाहिए। यदि शासक इन सिद्धान्तों को अपनाएँगे तो क्रान्ति के कारण दूर हो जाएँगे।

प्लेटो और भरस्तू दोनों अपने मूलभूत विचारों में भिन्नता रखते हैं। उनकी राजनीति शास्त्र के अध्ययन करने की प्रणालियाँ भी सर्वथा भिन्न हैं। प्लेटो अधिकतर सुकुरात की प्रश्नोत्तर प्रणाली को अपनाता है और वह निगमनात्मक प्रणाली से निष्कर्ष पर पहुँचता है। वह पहले मूल सिद्धान्तों का निर्माण करता है, तदुपरान्त उनको व्यवहार में लाने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर भरस्तू अधिकतर प्रागमनात्मक प्रणाली को अपनाता है। उसने अपने बहुत से सिद्धान्तों का निर्माण अपने युग की राजनीतिक सस्थाओं का अध्ययन करने के पश्चात् किया था। उसने अपने कालके १२८ नगर राज्यों की राजनीतिक सस्था और उनकी कार्यप्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप उसने राजनीति शास्त्र के अनेक सिद्धान्तों का निर्माण किया। उसके स्कूल, साईंसियन में अधिकांश विचार उसके और उसके शिष्यों के द्वारा विस्तृत अनुसंधान के फलस्वरूप बने थे। संवादन के अनुसार:—

“यह अनुसंधान जिनमें कि विधानों का अध्ययन केवल एक भाग था, मुख्यतः दार्शनिक न होकर ऐतिहासिक थे। वास्तव में वे प्रयोग थे और अनुभव पर आधारित अनुसंधान थे। भरस्तू ने यदाकदा उनके आधार पर ‘स्कूल’ के स्थापित होने के पूर्वलिखित अपनी कृतियों में परिवर्तन किया।”

(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृ० ८८)

भरस्तू की कृतियाँ मात्र वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण हैं और उनमें साहित्य का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो की कृतियाँ महात् साहित्यिक कृतियाँ भी थीं। उनकी भाषा में कवित्व है और वे मुख्यतया दार्शनिक हैं। भरस्तू की कृतियाँ अधिक सुव्यवस्थित एवं विश्लेषणात्मक हैं और इसलिए प्लेटो की अपेक्षा उनको समझना अधिक सरल है। यही कारण है कि ‘गणतन्त्र’ की जगह ‘पोलिटिक्स’ प्राधुनिक

राजनीति की पाठ्य पुस्तक बनी हुई है। घरस्तू का हम सच्चे षणों में एक महान् राजनीति विचारक कह सकते हैं।

प्लेटो और घरस्तू दोनों के राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विचार हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं के अन्वय-विभाजन और वायंदाता के कारण हुई। कोई भी व्यक्ति अपने अपनी समस्त आवश्यकताओं को उत्तम रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व का आधार सामाजिक अस्तित्व ही है जो कि, इस प्रकार प्राथमिक आवश्यकता है। व्यक्ति प्राथमिक आवश्यकताओं द्वारा सहयोग के लिए बाध्य होते हैं और राजनीतिक व सामाजिक जीवन का यही आधार है। अब एक नायक बनने की योग्यता भिन्न-भिन्न होती है और किसी भी समाज में इन विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध एव संगठन के लिए किसी राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इन कार्यों का सम्बन्ध हुए बिना श्रेष्ठ जीवन सम्भव है। घरस्तू के लिए राज्य एक प्राकृतिक सत्ता है। वह राज्य को परिवार के समान ही प्राकृतिक मानता है। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक पौर पुरुष एव महिलाएँ और दूसरी पौर स्वामी एव दास परिवारों में संगठित होते हैं। ये परिवार सम्मिलित होकर ग्राम का, और ग्राम सम्मिलित होकर नगर-राज्य का निर्माण करते हैं। इसलिए वह राज्य को परिवार का ही एक बृहद स्वरूप मानता है। घरस्तू के शब्दों में :-

“राज्य अपनी प्रकृति के कारण ही परिवार और व्यक्ति से भी पूर्व था क्योंकि यह पूर्ण अपने एक भाग से पूर्व का अवश्यम्भावी रूप है।” वह व्यक्ति, जो कि समाज में रहने योग्य नहीं है अथवा जिसका समाज की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि वह स्वतः पूर्ण है, या तो पशु है या ईश्वर। वह राज्य का कोई भाग नहीं हो सकता। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य में सामाजिक प्रकृति का रोपण किया है।”

इसलिए घरस्तू के अनुसार व्यक्ति स्वभावतः सामाजिक एव राजनीतिक प्राणी है।

ये राज्यों के वर्गीकरण में भी भिन्नता रखते हैं। प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य में—जो कि केवल संवैधानिक रूप से ही सम्भव है और जिसका व्यावहारिक अस्तित्व सम्भव नहीं है—ज्ञान ही सर्वोच्च होगा; और शासक इस सर्वोच्च ज्ञान को जानने वाले दार्शनिक होंगे। तदुपरान्त वे राज्य आते हैं जिनमें शासन दार्शनिकों द्वारा न होकर, नियमों द्वारा होता है। प्लेटो के अनुसार यह दूसरी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ राज्य है और इसलिए अपूर्ण है। अन्त में वे राज्य हैं जिनमें न तो दार्शनिक राज्य करते हैं और न नियम ही, किन्तु जिनमें प्रज्ञान का शासन है। घरस्तू अपने राज्य के वर्गीकरण में अधिक वैज्ञानिक एव व्यावहारिक है। उनके अनुसार वर्गीकरण के दो मुख्य आधार हैं—(१) राज्य में कितने व्यक्तियों के हाथ में शक्ति है और (२) इस शक्ति का उपयोग

बिनाके हितों में होता है। राज्य व एकता बनाए रखने की समस्या पर उनमें सर्वथा असामंजस्य रहता है। प्लेटो यह समझता है कि यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यतानुसार पद मिलें और शासक वर्ग में से वे गये कारण जो कि उन्हें भ्रष्ट करते हैं या शोचनीय करने के लिए प्रेरित करते हैं दूर कर दिये जायें तो एकता स्थापित हो सकेगी। प्लेटो में शासक-वर्ग सम्पत्ति और परिवार की साम्यवादी व्यवस्था अपनाएँगे और समूह की तरह में रहते हुए राज्य की सेवा करेंगे। भरतू समाज और राज्य में विभाजन को दूर करने के लिए प्लेटो द्वारा बनाए हुए इन सुधारों को अपनाते में पक्ष में नहीं है। उसका विश्वास है कि व राज्य में एकता के स्थान पर एकरूपता स्थापित करेंगे। प्रगति और विकास के लिए विभिन्नता एक व्यक्ति की सततप्रता आवश्यक है। प्लेटोनिक राज्य आधुनिक शब्दों में 'सर्वाधिकारी राज्य' कहा जा सकता है। प्रो० जॉर्ज ने गो इगको फासिस्ट राज्य तक कहा है। भरतू के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य वैधानिक-सीमा प्रमाण-व है। उसने अपनी पुस्तक 'पोलिटिक्स' में कहा है :—

“राज्य की प्रकृति यहूवादी है। राज्य में परिवार और परिवार में व्यक्ति, क्योंकि परिवार राज्य में छोटी व्यक्ति परिवार से अधिक (महत्त्वपूर्ण) है। इसलिए हमें इस अव्यक्तिक एकाता को प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो राज्य का विनाश हो जायगा। राज्य में बल वृद्धि से व्यक्तियों का ही नहीं किन्तु विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से बना हुआ है। समान व्यक्ति मिलकर राज्य नहीं बना सकते।”

यद्यपि उनका दर्शन की उत्पत्ति नगर-राज्य में हुई थी और नगर-राज्यों में युग का उन पर यथेष्ट प्रभाव है, फिर भी, उनके विचार गये कालों के लिए और गये प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। चीन राजनीतिक दर्शन का प्रभाव, विभाजन: भरतू का प्रभाव, पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा पर यथेष्ट रूप से पड़ा है। एक सहस्र वर्ष तक समस्त मध्ययुग में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के सम्बन्ध में भरतू के प्रभाव की अन्तिम रूप से माना जाता रहा। उसका प्रभाव इतना अधिक था कि केवल उनके नाम सेने मात्र से किसी भी शैक्षिक विवाद का निर्णय हो जाता था। शूल्कारिक दर्शन पद्धति में भरतू की बुद्धिवादी विचारधारा और संत अमरताइन के धार्मिक उपदेशों का सम्मिश्रण किया था और यह मध्ययुग का रवीकृत दर्शन रहा है। एक प्रकार में इनके अव्यक्तिक हानि पहुँचाई। इनके मौखिकता के नवीन विचारों की और गृहण करने की योग्यता का एक सहस्र वर्षों तक मला भौटा। भरतू के इस दार्शनिक सर्वाधिकार का अन्त केवल मेविचारनी के युग में ही हुआ, जिस पर धान के पुनर्जन्म का यथेष्ट प्रभाव पड़ा था, और फिर तब से नये विचारों का अव्ययन किया जाने लगा।

किन्तु सम्भवतः बहुत लोगों को यह धारण्य होगा कि उनके समकालीन यूनान और इन दार्शनिकों की मृत्यु के परवात् उनके दर्शन और विचारों का नगर-राज्यों की राजनीति एवं सभ्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रो० सीवाइन के शब्दों में —

“प्लेटो और अरस्तू का राजनीतिक दर्शन विलक्षण रूप में किसी भी प्रकार के व्यावहारिक व मैदानिक प्रत्यक्ष प्रभाव से वंचित रहा। अरस्तू के मरने के दो शताब्दियों पश्चात् के प्रभाव से यदि उमका मूल्यांकन करें तो हमें उसे एक महान् प्रसफलता ही कहना होगा। उमका कारण यह है कि इन दोनों दार्शनिकों ने मग्नगुंन नगर-राज्यों की राजनीतिक सभ्यताओं के प्रादशाँ एवं सिद्धान्तों का ऐसा उन्मेष किया, जो कि उनके परवात् कोई भी दार्शनिक न कर सका और न उनके करने की कोई सम्भावना थी। वास्तव में इन और कोई प्रगति न हुई। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ प्लेटो और अरस्तू ने लिखा था वह केवल नगर राज्यों के सम्बन्ध में ही मूल्यांकन रमता है। प्लेटो के दर्शन के आधार—जिनको कि मानवीय सम्बन्धों के बौद्धिक अध्ययन का लक्ष्य बनाया जा सकता है और उनका युक्ति द्वारा निर्देशन किया जा सकता है—किसी भी सामाजिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त हो सकते हैं। अरस्तू के राजनीतिक दर्शन के सामान्य नैतिक सिद्धान्त—और यह विश्वास कि राज्य स्वतन्त्र एवं नैतिक दृष्टि में समान नागरिकों के बीच एक में सम्बन्ध होना चाहिए जो अपने आपको नियमानुसार बनाता है और जिनका आधार शक्ति न होकर वाद-विवाद है—कभी भी यूरोपीय राजनीतिक दर्शन से समान्त नहीं हो सकते। इस दर्शन के ये महान् गुण हम तथ्य को सिद्ध करते हैं कि भूत से वर्तमान तक के विचारकों को बार बार प्लेटो और अरस्तू के दर्शन का आधार लेना पड़ा है। यद्यपि उन्होंने जो कुछ भी लिखा उमका अधिकांश भाग स्पार्ड रूप में महत्वपूर्ण है, पर यह तथ्य है कि प्लेटो और अरस्तू केवल उनको नगर राज्य में ही सम्बन्धित समझते थे। उन्होंने कभी भी इनका या अन्य राजनीतिक आदर्शों का किसी अन्य प्रकार की नागरिक व्यवस्था में पार्यान्वित होना सम्भव नहीं समझा था। उनका अनुमान इन तथ्यों में पूर्णतया सिद्ध होने है कि राजनीतिक दर्शन के यूनानी नगर-राज्यों की प्रपेशा और किसी समाज में उदय होने की सम्भावना नहीं कर सकते हैं।

(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृ० ११६)

प्लेटो और अरस्तू दोनों इस तथ्य को पूर्णतया जानते थे कि किसी भी यूनानी नगर राज्य ने इन आदर्शों को न तो प्राप्त किया है और न कर सकता है। यद्यपि उन्होंने नगर-राज्यों की राजनीतिक सभ्यताओं की निर्भयतापूर्वक आलोचना की है और प्रायः बहुत सी संस्थाओं को आस्वीकार भी किया है, तो भी उनका यह विश्वास

या कि नगर-राज्य राजनीतिक समूह का सर्वश्रेष्ठ रूप है, और श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना केवल इसी राजनीतिक समूह के माध्यम से होगा। दोनों प्रजातन्त्र के विरोधी थे और यद्यपि उन्होंने एक ऐसे श्रेष्ठ राजनीतिक समूह के विषय में लिखा है जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकें फिर भी वे एक विशेष वर्ग के दार्शनिक थे। उन्होंने नागरिकता या राज्य में हिस्सा लेने के अधिकार को जनता के अल्प भाग के लिए, जिसके पास यथेष्ट सम्पत्ति, यथेष्ट अवकाश और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने की यथेष्ट चेतना होगी, का विशेष अधिकारी बनाया।

दोनों का यह विश्वास था कि श्रेष्ठ जीवन का अर्थ राज्य के वर्य एवं जीवन में सक्रिय भाग लेना है। उन्होंने राज्य में नागरिकों के इस भाग को एक नैतिक माप-दण्ड का, न कि अधिकार और कर्तव्यों की एक राजनीतिक व्यवस्था का, रूप दिया है। नागरिकता उनके लिए केवल अधिकारी और कर्तव्यों की राजनीतिक व्यवस्था थी वे नागरिक को राज्य से पृथक् प्राणी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार नागरिक राज्य का अभिन्न अंग है और नागरिकता सामान्य जीवन में भाग लेने का एक अधिकार मात्र थी। अतः नागरिकता सभी मानवीय वस्तुओं में श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। श्रेष्ठ जीवन नगर राज्यों में ही, सामाजिक और राजनीतिक जीवन व्यतीत करते हुए सम्भव है न कि राज्य से पृथक् बाहर किसी अन्य स्थान पर। राजनीतिक अथवा सामाजिक पक्षों एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता उन दोनों के लिए सबसे बड़ा पाप और श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। राजनीति विज्ञान को उनकी यह देन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और उनके सिद्धान्त को यदि हम प्रयोग में लाएँ तो हमारे इन आधुनिक प्रजातन्त्रों में विलक्षण सुधार होगा।

धीरे राजनीतिक दर्शन का विशेषतः अर्थ का एक मुख्य अनुदान यह भी है कि उन्होंने सही मनोवैज्ञानिक आधारों पर राज्य के सम्बन्ध की कल्पना की है। वे यह मानते हैं कि मनुष्य में सामाजिक प्रवृत्ति अत्यन्त ही प्रबल है और इस सामाजिक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी माना है। इसलिए राज्य एक आवश्यक और सामाजिक संस्था न होकर आवश्यक एवं स्वाभाविक संस्था हो जाती है। अतः उनका राजनीतिक दर्शन सही मनोवैज्ञानिक आधारों के कारण समुचित एवं स्थायी है।

मैकियावली के राजनीतिक विचार

साधारणतः मैकियावली की प्रत्यन्त ही बड़ी प्रालोचना हुई है और प्रायः उसको गलत समझा गया है। व्यावहारिक राजनीति की समस्त बुराइयों एवं दोषों से हम उनके दर्शन को सम्बन्धित करते हैं। उनका नाम बपटी, प्रथम, और शक्ति के उपासक राजनीतिकों के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होना है।

मैकियावली प्राधुनिक राजनीति शास्त्र में ज्ञान के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके विचार राजनीति शास्त्र में मध्यकालीन एवं प्राधुनिक युग के मध्य की सीमा निर्धारित करते हैं। किन्तु समस्त प्राधुनिक राजनीति मैकियावली के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। न तो वे चर्च में मुधारवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न वह मध्यकालीन युग के सबसे बड़े विचारक मन्त टामम एक्वीनास के ही, जिनका दर्शन अब वैश्वनिक चर्च को मान्य है, के सिद्धान्तों का खण्डन करने हैं। प्रत्येक विचारक अपने जीवन काल के युग का प्रतिनिधित्व करता है और मैकियावली इसके अपवाद नहीं है। वह देवी भविकारों के सिद्धान्त एवं एक प्रादश नैतिक व्यवस्था के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। वह सांसारिक वस्तुएँ जैसे कि स्याति, वैशिष्ट्य, सम्मान और ऐश्वर्य आदि को महत्व देते हैं और भावश्यक समझते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति स्वयं भी उत्तम है क्योंकि यह व्यक्तियों में प्रभुत्व की प्रकृति को मनुष्ट करती है। शक्ति, राजनीतिक सत्ताओं में केन्द्रित है और इसीलिए उनके समस्त परामर्श 'प्रिन्स' के प्रति हैं।

ज्ञान के पुनर्जन्म ने प्राधुनिक व्यक्ति एवं प्राधुनिक विचारों का जन्म दिया है। यह व्यक्ति के गौरव को नवीन भय में पोषण, व्यक्तिवाद की प्रोत्साहन और उन सब सम्बन्धों और दावों को, जो कि जन्म या पद के आधार पर थे, खण्डन करते हैं और बुद्धिवादी विचारधारा को, प्रेरणा देते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया है और उसके परिणामस्वरूप इस विश्वास को भी प्रसारित किया है कि अधिकांश विक्रम राष्ट्रीय राज्यों के द्वारा ही हो सकता है। प्रायः समासारिक और प्राध्यात्मिक आदर्शों की अव्यवहार करते हैं और नैतिकवाद का अपनाते हैं।

दिलियम टी० जोन्स का इस सम्बन्ध में कथन है :-

“दूसरी ओर, ज्ञान के पुनर्जन्म के युग के लिये व्यक्ति, ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है और व्यक्तियों के दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्ध उसकी आत्मा और ईश्वर के सम्बन्धों से अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वरीय सम्पूर्णता के आदिभौतिक आदर्शों की अपेक्षा व्यक्ति ऐसे आदर्श अपनाता है जो कि प्राकृतिक एवं मानवीय हैं। सासारिक विषय ही महत्वपूर्ण है, आदिभौतिक नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की समृद्धि, बुद्धि और सौन्दर्य के प्रत्येक रूप योग्यता का विकास, परिपूर्ण एवं विभिन्न कार्य का उपभोग और दक्ष जीवन ही महत्वपूर्ण हैं। यह ससार ईश्वर की व्यक्ति हेतु योजना का चिह्न या स्थाई दर्पण न होकर प्राकृतिक शक्तियों की एक गतिशील क्रीडा हो जाता है।”

(राजनीति दर्शन के महान विचारक, भाग २ पृ० २७)

यह आधुनिक व्यक्ति अपने क्षेत्र और योग्यतानुसार अधिक से अधिक रूप में उसी प्रकार कार्य कर रहा है जैसा कि मैकियावली ने अपने ‘प्रिन्स’ को परामर्श दिया था। शक्तिशाली राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विशेषतया अन्य सब राष्ट्रों के सम्बन्ध भी, साधारणतया, मैकियावली के सिद्धान्तों पर ही आधारित हैं। मैकियावली के अनुसार ‘प्रिन्स’ का सर्वप्रथम कर्तव्य अपनी और अपने राज्य की शक्ति का ‘पर घोषण’ द्वारा सञ्चालन है। वह आवश्यकतानुसार बुरा अथवा अच्छा होगा और परिस्थितियों के अनुसार अच्छे या बुरे साधनों का उपयोग करेगा क्योंकि जीवन में महत्वपूर्ण वस्तु सफलता है। वह इसलिए सफलता को पाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा और उसे न तो इस सम्बन्ध में अधिक सचेत होना चाहिए और न उसके लिए, जिनको साधारण व्यक्ति अवगुण समझते हैं, का परित्याग आवश्यक ही है। वे उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हैं तो उन्हें उसे अपनाना ही होगा। इस सम्बन्ध में मैकियावली कहता है—

“आपको यह समझना चाहिए कि ‘प्रिन्स’, और विशेष तौर से एक नवीन राजा, उन समस्त गुणों को, जिनका कि व्यक्ति आदर करते हैं, पालन नहीं कर सकता क्योंकि राज्य को बनाए रखने के लिए उसे निष्कपटता, मित्रता, मानवता और धर्म के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ता है।”

वे समस्त साधन, जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और उसको शक्तिशाली बनाते हैं, सर्वसम्माननीय एवं न्यायोचित हैं। यदि हमें बुरे साधनों एवं राज्य के अस्तित्व दोनों में से एक का चुनाव करना है। तो मैकियावली हमें राज्य के अस्तित्व के लिए बुरे साधनों के चुनाव का परामर्श देता है। वह कहता है—

“मेरा यह विचार है कि जब कभी राज्य के अस्तित्व का भय होता है तो राजा एवं मन्त्रिण दोनो ही उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विश्वास भंग करेंगे और अशुभता दर्शाएँगे।”

को मज्जात थे । किन्तु दोनों भौतिकवादी, आचारहीन एव धर्म विरोधी हैं । राजनीति में कार्य-कारण का सम्बन्ध मानवीय इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार ही समझा जा सकता है और जो शासक इनका नियंत्रण कर सकता है वह सफल शासक हो सकता है । 'प्रिन्स' में जिन राजनीतिक सत्यो एवं तथ्यों का वर्णन किया गया है उन्हीं को हम मैकियावलीवाद कहते हैं और यही आधुनिक राजनीतिक दर्शन को एक महान देन है । मैकियावली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता के उच्च शिखर से उतार कर शक्ति-राजनीति की आवश्यकताओं से परिचित करा दिया । यह उसकी महानता है कि उसने निडरता से 'प्रिन्स' को शक्ति-राजनीति के सिद्धान्तों को अपना देने का परामर्श दिया ।

कूटनीति के अधिकांश सिद्धान्तों का आधार मैकियावली के 'प्रिन्स' की शिक्षाओं में निहित है । राजनीति में हत्या, हत्या नहीं है, किन्तु किसी बाधा को मार्ग से हटाना है और असत्यवादिता कूटनीतिज्ञों का एक आवश्यक शस्त्र है । गुप्त सन्धियाँ, विश्वासघात, प्रतिज्ञा भंग प्रथवा छलकपट आदि, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए पूर्णतया अनैतिक हो सकते हैं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए आवश्यक गुण हैं । हम यहाँ तक कह सकते हैं कि वर्तमान विश्व में शक्ति-राजनीति के सिद्धान्तों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो दोष भाग्ये हैं और जो राष्ट्रों को युद्ध की ओर अप्रसर करते हैं वे मैकियावली के उद्देश्यों के परिणाम-स्वरूप ही हैं । मैकियावली ने ही अपने 'प्रिन्स' को किसी भी मूल्य पर राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया था । मैकियावली आक्रमण को राजा के लिए एक आवश्यक गुण मानता है और उसने ही भौतिक हितों के रक्षण हिंसा का प्रयोग करने का उपदेश दिया था । दूसरे शब्दों में वह स्पष्ट रूप से युद्ध को राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति का एक आवश्यक शस्त्र मानता है । वह स्पष्ट रूप से ऐसे उपदेश देता है जिनकी ओर हमारे काल के महानतम व्यक्ति भी केवल सकेन ही कर सकते हैं । कम से कम वह सत्यवादी और स्पष्टवक्ता अवश्य था और उसने इटली की एकता तथा इटली के राष्ट्रीय हितों के रक्षण जो कुछ भी आवश्यक समझा उनको प्रकट करने में किसी प्रकार का सकोच नहीं किया । यही सिद्धान्त अधिकांश राजनीतिज्ञ भी अपनाते हैं किन्तु कोई भी स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा करने का साहम नहीं कर सकता । वे इस सम्बन्ध में फ्रेडरिक महान के परामर्श का अनुसरण करते हैं जिसके अनुसार मैकियावली की जमना के समक्ष आलोचना किन्तु व्यक्तिगत रूप में प्रशंसा करनी चाहिए । हॉब्स की भाँति मैकियावली के लिए भी यह सत्य है कि उसका मानव स्वभाव के सम्बन्ध में अत्यन्त ही निराशावादी दृष्टिकोण है । उसके मतानुसार अधिकांश व्यक्ति बुद्धिहीन व अविवेकी हैं । उनका मत है :

“जनता प्रायः, मिथ्या हितों द्वारा छली जाकर, अपने विनाश की इच्छा स्वयं

करती है। विमर्शयुक्त समाधो में उपरिष्ठ मनुष्यो ने निरीक्षण किया होगा कि प्रायः उनके मत कितने भ्रान्तिमूलक होते हैं और वास्तव में यदि उनके उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा निर्देशित न किया जाय तो वे सर्वहीन एवं विवेकहीन होंगे।” (भाष्य (Discourses) २ जुमिहा पृ० २२४)

मैकियावली का यह निश्चित मत है कि अधिकांश व्यक्तियों के कार्यों का आधार तर्क न होकर भावनाएँ होती हैं। उनके अनुसार प्रेम एवं भय ही व्यक्तियों के कार्यों के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य है :—

“..... मनुष्य अपने समस्त कार्यों में दो मुख्य प्रेरणाओं द्वारा प्रोत्साहित होते हैं— प्रेम एवं भय। इसलिए जो भवने आपकी प्रिय बनाता है उनका भी उतना ही प्रभाव होगा जितना कि अपने आपकी भयानक बनाने वाले का। यद्यपि, साधारणतः, जो अपने आपकी भयानक बनाता है उनका शीघ्रता से अनुसरण एवं धात्ता पालन होगा अपेक्षाकृत उनके जो कि अपने आपकी प्रिय बनाता है।” भाष्य (Discourses) ३ पृ० ३७६)

इनके साथ ही साथ वह ऐश्वर्य, प्रेम, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षाओं को भी शक्ति-शाली प्रेरक मानता है।

मैकियावली आवश्यक रूप से राजतंत्र का पक्षपाती नहीं है। व्यक्तिगत कारणों को छोड़कर वह गणतंत्र के पक्ष में है। किन्तु उसके अनुसार गणतंत्र की स्थापना के लिए कुछ गुणों का अस्तित्व आवश्यक है और इन गुणों की अनुपस्थिति में उसके अनुसार राजतंत्र अधिक सुरक्षित राजनीतिक व्यवस्था है। उसके अनुसार—

“किसी भी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का बेवत यही मार्ग है— कि राजतंत्रीय शासन की स्थापना की जाय। क्योंकि जहाँ प्रजाजन सर्वानः इतने अष्ट है कि कानून नियन्त्रण के लिए स्वयं शक्तिहीन है, यह आवश्यक हो जाता है कि किसी उत्कृष्ट शक्ति की स्थापना की जाय जो कि राजकीय हस्त (Royalhand) द्वारा प्रयत्न सम्पूर्ण एवं निरंकुश शक्तियों द्वारा शक्ति-शालियों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा एवं अप्रष्टता को संपन्न में रक्त सके।”

(भाष्य, (Discourses) पृ० २१०-११)

एक वैज्ञानिक की सी विरक्ति से मैकियावली एक और गणतंत्र के राजनीतिक सिद्धान्तों की और दूसरी ओर निरंकुश शासन की व्याख्या करता है। हमें मैकियावली की 'प्रिंस' में शक्ति-राजनीति के सिद्धान्तों के अतिवृत्त के लिए निन्दा नहीं करनी चाहिए। हम, साधारणतया उसे अत्याचारी शासक एवं शक्ति-राजनीतिज्ञ दार्शनिक मानते हैं किन्तु उसका दूसरा रूप भी था। वह गणतंत्र एवं जनता की स्वतन्त्रताओं का अत्यधिक पक्षपाती था :—

“प्रशसनीय व्यक्तियों में सर्वप्रथम स्थान के योग्य धार्मिक नेताक व संस्थापक रहे हैं, उनके उपरान्त गणतंत्र प्रथम राजतंत्र के स्थापकों का स्थान है। शेष

भ्रष्टाचारों की प्रशंसा का वह भाग प्राप्त होना है जिसका सम्बन्ध उनके कार्यों एवं व्यवसायों से है। इसके विपरीत वे आवश्यक और सार्वजनिक धृष्टियों के पात्र हैं जिन्होंने धर्मों का विनाश किया एवं गणतन्त्र और राजतन्त्र को पलटा है, भयवा जो कि गुण, विद्या, और उस प्रत्येक कला के; जो कि मानवता के लिए हितप्रद और आदरणीय है; के शत्रु है। ऐसे लोग भ्रष्टाचार, हिंसक, अज्ञानी, भालसी, भयम और पतित हैं। कोई भी इतने मूर्ख भयवा विद्वान, दुष्ट भयवा भले नहीं हैं कि इन दोनों गुणों के मध्यान्तर चुनाव में प्रशंसनीय की प्रशंसा और दोषयुक्त की उपेक्षा न करें। परन्तु फिर भी कृत्रिम साधुता तथा कृत्रिम यश द्वारा धूलित, स्वेच्छापूर्वक भयवा अज्ञानवश उनकी और भ्रष्टाचारित होते हैं जो कि प्रशंसा की अपेक्षा उपेक्षा के योग्य हैं। गणतन्त्र या राज्य की स्थापना से शाश्वत गौरव प्राप्त कर सकें, इतने आदर, सुरक्षा, सतोष और मानसिक शान्ति को वे तो देते हैं। और कितना भयम, कलङ्क, दोष, और शान्ति वे प्राप्त करते हैं.....।” (भाष्य पृष्ठ १२२-२३)

मैकियावेली के भाष्य का यह अंश अत्याचारी शासकों की आलोचना से परिपूर्ण है।

मैकियावेली ने बेबेल जनता की स्वतन्त्रताओं को जनता के लिए सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ नीति अपनाने की आवश्यकता का परामर्श दिया है। मैकियावेली की शासन कला का सबसे महान् विचारक कहा जा सकता है। वह नवीन विजित गणतन्त्रों में या नवीन स्थापित राजतन्त्रों में निर्दयी-शक्ति के प्रयोग का परामर्श देता है। किन्तु इस निर्दयी-शक्ति का प्रयोग राज्य की सुरक्षा एवं दृढ़ स्थापना के लिए ही है।

“..... विजेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सब क्रूरताओं का प्रयोग एक साथ करे ताकि उसे नित्य प्रति उनका आश्रम न लेना पड़े और इस प्रकार नूतन परिवर्तन न करे और जनता को पुनः विश्वास दिलाने और उनको लाभ पहुँचा कर अपनी ओर करने में सफल हो सके। जो कोई भी कायरता भयवा अनुचित विमर्श के कारण दूसरे प्रकार से कार्य करता है उसको सर्वथा सत्कार एवं तत्पर रहना होता है। वह अपनी प्रजा पर कभी निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि प्रजा निरन्तर नवीनतम शक्तियों के कारण उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकती।” (ग्रन्थ पृष्ठ ३५)

शासक की द्विविधा मैकियावेली के अनुसार अत्यन्त ही घातक हो सकती है।

उसे शीघ्रता एवं निश्चयारमक ढंग से कार्य करना है।

“सब बुद्धिमान शासक” वर्तमान का ही नहीं अपितु भविष्य के संघर्षों का भी ध्यान रखते हैं और अग्रपूर्वक उनसे अपनी रक्षा करते हैं, क्योंकि पूर्वाभास हो जाने से वे सरलतापूर्वक सुधारे जा सकते हैं। परन्तु, यदि कोई

उनके आगमन तक टहरता है तो भीषण परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहती और रोग असाध्य हो जाता है ।..... अतः राज्य-शायी में भी ऐसा ही होता है क्योंकि भविष्य में जन्म लेने वाली सुराहियों, जो कि वर्तमान में निर्माण अवस्था में ही हैं, का ज्ञान (जो कि वर्तमान सामर्थ्य में ही है) हो जाने के कारण उनका सरसतापूर्वक उपचार हो सकता है ।”

(त्रिंशत् पृष्ठ १०-११)

नामान बला हेतु मैक्रियावली एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना के पोषण का परामर्श देता है और भाड़े के सैनिकों के प्रयोग की अपेक्षा करता है .—

“आगत सुरक्षा सेनाएँ स्वयं राजा की, भाड़े की, सहायतापूर्ण अवस्था निम्नित होती हैं । भाड़े की अवस्था सहायतापूर्ण सेनाएँ व्यर्थ एवं भयकर होती हैं और यदि राज्य की सुरक्षा भाड़े की सेनाओं द्वारा होती है तो वह राज्य कभी भी सुरक्षित एवं स्थिर नहीं हो सकता । इसका कारण इन सेनाओं की वृद्ध, महत्वा-कांक्षा, अनुनाशनहीनता, वृत्तप्लव या मित्रों के सम्मुख शूरता और शत्रुओं में भीषणता प्रदर्शित करती है । इनको ईश्वरीय प्रबोध का किञ्चिन् मात्र भी भय नहीं होता और मनुष्यों के प्रति धर्मनिष्ठता का प्रतिपालन नहीं करते । आश्रमण स्थिति रहने तक ही सर्वनाश में विलस्य हो सकता है क्योंकि शान्तिशासक में इन भाड़े की सेनाओं द्वारा और वृद्धकाल में शत्रु द्वारा विनाश होता है । इसका कारण यह है कि सुच्छ वेगन के अनिश्चित देण प्रेम अवस्था अथवा कीर्ति ऐसी प्रेरणा नहीं होती जो उनको आपने प्रति जोवनदान के निमित्त प्रोत्साहित कर सके ।”

(त्रिंशत् पृष्ठ ४४-४५)

मैक्रियावली के इस अध्ययन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी शताब्दी और सम्पत्ता के प्रमुख सञ्चाल, उदाहरणतया, निम्नानाम, फ्राइम्बर, कपट एवं किमी भी साधन के द्वारा सफलता प्राप्त करना वास्तव में मैक्रियावली की देन है । वैयक्तिक जीवन में भी केवल सफल व्यक्तियों का ही आदर होता है और हम उनको सफलताओं के साधनों का कभी अन्वेषण नहीं करते । हम अपने व्यक्ति के सम्बन्ध में उन बहुत सी बातों को धमका कर देते हैं जिनकी कि व्यक्ति के सफल होने पर हम तीव्र आलोचना एवं निन्दा करते हैं । दलीय-राजनीति एवं विभिन्न दलों की राज्य-शक्ति प्राप्त करने हेतु प्रति भीषण प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के समान ही है । दोनों में ही उन्नी प्रकार के साधनों एवं प्रणालियों का प्रयोग होता है और साधारणतः सफलता उन्हीं साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है जो कि नैतिक शरीर पर कभी सारे सिद्ध नहीं होते । घुँघराती, भ्रष्टाचार, पसकी, जायसानी इत्यादि साध्य का प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार में आने सक्षम है और इन सब की शिक्षा उन्हें

'प्रिन्स' से मिली है। मैकियावली के उपदेश इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं और हमारे दूसरे व्यक्तियों, दलों और राष्ट्रों के प्रति वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों में इतने प्रतिबिम्बित होते हैं कि हम उनको सरलता से निश्चयपूर्वक एक महान् आधुनिक विचारक कह सकते हैं। उनका ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का अध्ययन और उनके सम्बन्ध में भविष्यवाणी अभूतपूर्व है और उनके लिए, जो कि किसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सलाह अत्यन्त ही उचित है। यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि उनका मानवीय जीवन कार्यों का अनुभव और मानव मनोविज्ञान का अध्ययन दोनों ही अत्यन्त विस्तृत एवं गहन था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है मैकियावली की अत्यधिक निन्दा हुई है और उन्हें गलत समझा गया है। अधिकांश विचारकों की दृष्टि में वे उलझन में डालने वाली समस्या और आधुनिक इतिहास की एक पहेली हैं। इस सम्बन्ध में प्रो० सैंबाइन का कथन है.—

“उसको पूर्णतया सनकी, उत्कट देशभक्त, प्रचंड राष्ट्रवादी, राजनीतिक जैसुइट, हठ विश्वासी, प्रजातन्त्रवादी और निरकुण राजाओं से किन्नी भी प्रकार से अनुग्रह प्राप्त करने वाला बतलाया गया है। इन दृष्टिकोणों में से प्रत्येक में, जो आपस में प्रतिकूल हैं, सम्भवतः सत्य का कुछ न कुछ अंश अवश्य है। किन्तु यह कदापि सत्य नहीं है कि इनमें से कोई अकेला मैकियावली या उसके विचारों का पूर्ण चित्रण करता है। उसके विचार एक सच्चे प्रयोग से अनुभव करने वाले के समान थे, जिनकी उत्पत्ति विस्तृत राजनीतिक पर्यवेक्षण एवं उससे भी अधिक राजनीतिक इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप हुई थी। उनके विचारों में कोई विशेष दार्शनिक व्यवस्था नहीं थी जिनके साथ कि वह अपने निरीक्षणों को सम्बन्धित करने का प्रयत्न करते।”

(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृष्ठ ३०१)

इस पर भी उनकी पुस्तकों का सबसे प्रमुख लक्षण उनकी रचि का एक ही विषय पर केंद्रीयकरण व एकाग्रचित्त होने शक्ति है। वह व्यावहारिक राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखते हैं। उनकी पुस्तकें शासन-कला एवं कूटनीति के सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं। उनकी सिद्धान्तिक समस्याओं में प्रायः कोई र्थि नहीं थी, न वह सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में ही रचि रखते थे और न उन्हें हम वास्तविक अर्थों में सिद्धान्तवादी ही कह सकते हैं। वह इतने अधिक व्यावहारिक थे कि दार्शनिक हों ही नहीं सकते थे। किन्तु विशुद्ध राजनीति के क्षेत्र में उनका व्यावहारिक ज्ञान एवं दूरदर्शी पर्यवेक्षण अद्भुत है।

“ऐसे समय में जब कि यूरोप की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही थी तथा राज्य व समाज में नवीन समस्याओं का प्रति द्रुतगति से प्रादुर्भाव हो रहा था, उसने घटनाओं के अर्थ की तार्किक व्याख्या, अवश्य-

म्नावी प्रश्नों पर भविष्यवाणी, और ऐसे नियमों के निर्माण करने की चेष्टा की जो कि तब से राजनीतिक कार्यों का निर्देशन कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय जीवन की नवीन निर्मित दशाओं में विकसित हो रहे हैं।”

(एल० ए० यर्से-कैम्ब्रिज आधुनिक इतिहास, भाग १ पृष्ठ २००)

आधुनिक यूरोप का राजनीतिक इतिहास और विशेष रूप से राज्य व्यवस्था के लक्षण, जो कि मैक्रियावेली के समय में थे या जाने वाले थे, उनका उसने पूर्ण-तया सही विश्लेषण अपनी कृतियों में किया है। यही कारण है कि उनकी व्यावहारिक राजनीति की समस्याओं में सकोण रथि एवं अदार्शनिक कृतियों की अपेक्षा भी उनको सब आलोचक आधुनिक काल का एक महान् विचारक मानते हैं।

तथापि प्रो० संबाइन के समान ही कतिपय लेखक या आलोचक उसकी कृतियों को सारगर्भित नहीं मानते। इसका कारण यह है कि केवल उसने सामान्य-जसा पर ही विशिष्ट अध्ययन किया है और वह भी एक विशिष्ट प्रणाली एवं दृष्टिकोण से। शक्ति-राजनीति आधुनिक राजनीति का, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में, एक वास्तविक तथ्य है। अतः सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों में शक्ति एक महत्वपूर्ण भग होने के कारण उपेक्षित नहीं हो सकती। परन्तु केवल यह ही एक भग नहीं है और न ही यह मानवीय सम्बन्धों एवं राजनीतिशास्त्र का अन्तिम सिद्धांत है। अतः प्रो० संबाइन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।

‘वह दर्शन, जो कि राजनीति की सफलताओं एवं असफलताओं को शक्ति की कार्यक्षमता एवं अधोभ्यता पर निर्भर करता है, अवश्यमेव अल्पज होगा। मैक्रियावेली समाज में नैतिक, धार्मिक और आर्थिक तत्वों को ऐसी शक्तियों समझता था, जिनको कि एक कृशाल राजनीतिज्ञ राज्य के हितार्थ व्यवहार में ला सकता है और जिन्हें कि वह उसके लिए उत्पन्न भी कर सकता है, और यह केवल मान्यताओं की स्वस्थ व्यवस्था के लिए ही नहीं अपितु प्रचलित व्यवस्था में सामयिक प्रभाव रखने-के लिए आवश्यक भी है। यह निश्चित है कि मैक्रियावेली ने केवल कतिपय मिथ्या विश्वासों से युक्त इटली निवासियों के अतिरिक्त यूरोप के १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रचलित योरोपीय विचारधारा को अनुचित प्रकार से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उसकी दोनों पुस्तकें माट्टेन सूगर के विटनवर्ग के चर्च के द्वार पर अपनी धीमिल लगाने की २० वर्ष की प्रवधि में ही सिली गईं। प्रोटेस्टेंट धर्म-मुधार का ही यह प्रभाव हुआ कि उसके पश्चात् मध्यजार्सीन युग के अधिष्ठान भाग की अपेक्षा आधुनिक राजनीति और राजनीतिक विचारों का धर्म एवं धार्मिक विचारों से सम्बन्ध हुआ। मैक्रियावेली की धार्मिक तत्वों के प्रति उदासीनता अन्त में आधुनिक विचारों का एक मामान्य लक्षण हो गई। किन्तु ऐसा, उसके लिखने के दो शताब्दी पश्चात् हुआ, सत्य नहीं था। इस धर्म से उसके दर्शन में दो शोध सकोणता का आभाव होता है और केवल उसके युग

का ही प्रतीक है। यदि उसने इटली के प्रतिरिक्त और किसी देश में या इटली में ही धर्म सुधार के पश्चात् या रोमन वैयोलिक चर्च में सुधार को रोकने के लिए जो सुधार हुआ था, के पश्चात् लिखा होना तो यह मानना असम्भव है कि उसने धर्म के साथ भी वही व्यवहार किया होता जो कि किया है।" (राजनीतिक सिद्धान्तों का इतिहास पृष्ठ ३००)

यह मैकियावली का कदाचिन् कठोर, अन्यायपूर्ण मूल्यांकन है। उसका दर्शन मले ही १६ वीं शताब्दी के इटालियन राज्यों की सर्वोच्च शक्ति-राजनीति से प्रभावित हुआ हो किन्तु वह केवल उसके युग का ही प्रतीक कदापि नहीं है जैसा कि प्रो० सैबाइन का कथन है।

हम यह पूर्णतया मिथ्य कर सकते हैं कि प्राधुनिक राज्य व्यवस्था मैकियावली युग की इटली की राज्य व्यवस्था का ही वृत्त रूप है। उसका प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर गहन प्रभाव एवं प्राधुनिक विचार धारा के मूल तत्वों का उसका ज्ञान स्वयं सिद्ध है और इनके किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से प्राधुनिक राजनीति वैज्ञानिक वैज्ञानिक था। इतिहास को एक तरफ रखने हुए हम यह कह सकते हैं कि मैकियावली ने चर्च में सुधार के द्वारा साधारण व्यक्ति को धर्म के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन घाने के पूर्व ही धर्म को सासारिक बना दिया एवं राज्य के अधीनस्थ कर दिया और इस धर्म में वह चर्च के सुधार का अनुगामी नेता है। ज्ञान के पुनर्जन्म की प्रवृत्ति में धर्म को सासारिक बनाने की प्रवृत्ति में वा मैकियावली का विचारों में पूर्णतया प्रतिनिधित्व हुआ है। यह सत्य है कि त्रिचिर्चिनिटी की शक्तिशाली रुढ़ियों को नष्ट करने की इन प्रवृत्तियों में शक्ति नहीं। इन सासारिक प्रवृत्तियों का परिणाम स्वरूप मानवीय मूर्तिपूजा (Paganism) का जन्म हुआ और मैकियावली इस मानवीय मूर्तिपूजा का प्रशङ्क था। यह भी सत्य है कि इस मूर्तिपूजा का इटली और इटली के बाहर विरोध हुआ किन्तु इस सासारिकता का प्रभाव चर्च में धर्म सुधार और इन धर्म सुधार से रक्षा करने के लिए सुधारों पर भी प्रभाव पड़ा था। यदि चर्च में धर्म सुधार न हुआ होता तो यूरोप की धार्मिक एकता नष्ट न हुई होती, राष्ट्रीय चर्चों का निर्माण न हुआ होता तथा यथार्थ में राष्ट्र-राज्यों की स्थापना न हुई होती। मैकियावली के विचारों का प्रभाव सम्पूर्ण प्राधुनिक इतिहास में पाया जाता है और वह यथार्थ में राष्ट्र-राज्यों का दार्शनिक है।

‘इच्छा, न कि शक्ति, राज्य का आधार है’

प्रत्येक प्रजातन्त्रीय राज्य में इच्छा, न कि शक्ति राज्य का आधार है। यदि जनता को जनता के हेतु और जनता के ही द्वारा सरकार स्थापित करनी है तो यह स्वभावतः आवश्यक है कि उसे राज्य का आधार इच्छा हो, न कि शक्ति। आदर्शवादियों, विशेष रूप में टी० एच० ग्रीन, का यह विश्वास है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, न कि शक्ति।

ग्रीन के लिए राज्य सामान्य उद्देश्य की सामान्य चेतना का प्रतिफल है। इसकी विशेषता नैतिक प्रकृति है। शक्ति का उपयोग, नागरिकों को मान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उन नैतिक दृष्टि में उचित ठहराया जाय। किसी भी समाज का राजनीतिक सफल तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उसके सदस्यों में चेतना राजनीतिक इच्छा का तन्त्र विद्यमान न हो। नागरिकों को यह धारणा होना चाहिए कि राज्य की आदर्शात्मक सत्ता का प्रयोग उनके सामान्य हित के लिए ही होना चाहिए और राज्य द्वारा निश्चय ही जनता के सामान्य हित की कल्पना से मान्य रणनीति रूप में है। राज्य की सत्ता और नियमों के पालन का आधार और प्रोत्साहन इनके द्वारा सामान्य हितों की रक्षा में ही है। साधारणतया नागरिक कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि वे सामान्य हितों की रक्षा करने हैं बल्कि इसलिए कि व्यवस्था के फलस्वरूप उन्हें निश्चित रूप में दण्ड मिलेगा और साथ ही मर्यादा के विनाश के कानून पालन करने की आदत का भी विकास उनमें हो गया है। परन्तु किसी भी आदर्श राजनीतिक समाज में राजा पालन का आधार दण्ड का भय तथा स्वभावतः राजा पालन की अपेक्षा यह चेतना होनी चाहिए कि राज्य के नियम सामान्य हितों में वृद्धि और रक्षा करते हैं। केवल उन्हीं राज्यों में, जिनकी नीति का आधार सामान्य हितों की वृद्धि है, राजा पालन सक्रिय-इच्छा पर आधारित है किन्तु उन राज्यों की नैतिक व्यवस्थाओं में जहाँ राज्य की नीति किसी राजा, प्रतिपाद्यक या वर्ग में समाज के भाग की रक्षा करती है, राजा पालन का आधार दण्ड का भय या स्वभावतः राजा पालन होगा जो कि निष्क्रिय इच्छा के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है।

टी० एच० ग्रीन, अस्टिन के प्रभुता के सिद्धांत को, जिसके अनुसार जनता राज्य की आशाओं का पालन दंड के भय, अथवा स्वभाव के कारण करती है, अस्वीकार करता है। यदि किसी समाज में नागरिकों का आचरण केवल भय के द्वारा ही निर्देशित होता है तो हम उसे वास्तविक राजनीतिक समाज नहीं कह सकते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अल्प काल के लिए शक्ति के अत्यधिक प्रयोग द्वारा तैमूर या चंगेज खां के समान कोई विजेता या निरंकुश शासक जनता को भयभीत करके तत्क्षण एव पूरे आशा पालन कराने में सफल हो जाय, परन्तु वह किसी भी वास्तविक राजनीतिक समाज में स्थाई रूप से निर्देश नहीं कर सकता।

टी० एच० ग्रीन इस प्रकार अस्टिन के शक्ति को प्रधानता देने के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। अत्यंत राजनीतिक समाज में शक्ति का तत्त्व वास्तव में उपस्थित है और रहेगा किन्तु शक्ति का आधिक्य स्वच्छा तत्त्व को, जो कि किसी भी राजनीतिक समुदाय का वास्तविक आधार है, विनष्ट कर देगा।

शक्ति, राज्य का आवश्यक गुण है, यह अधिकारों की व्यवस्था और राज्य के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है; किन्तु इसका न तो यह अर्थ है और न हो सकता है कि राज्य का आधार शक्ति ही है। शक्ति आधिकार व्यवस्था को बनाये रख सकती है किन्तु अधिकारों का जन्म नहीं दे सकती है। इनका दृढ़ आधार टी० एच० ग्रीन के अनुसार 'सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना,' या ह्यो क अनुसार 'सामान्य इच्छा' है। राज्य को बनाये रखने के लिए शक्ति आवश्यक है, क्योंकि नागरिकों में यद्यपि सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना होती भी है, तो भी वे उन बानूनों के भय से, जो कि सामान्य हितों की रक्षा एव वृद्धि करते हैं रोकने के लिए नहीं हैं। साधारणतः, अधिकांश नागरिक निष्क्रिय होते हैं। वे राज्य पर और राज्य की शक्ति प्राप्तियों पर अपने अधिकारों और स्वाधीनता को बनाये रखने के लिए निर्भर रहते हैं। समाज-विरोधी व्यक्तियों से अपने रक्षा स्वयं अपने प्रयत्नों से करनी अपेक्षा वे राज्य से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उदाहरणतः यदि कोई चोर आपके पड़ोसी के मकान में घुसने की चेष्टा कर रहा है और आप उसे देख भी सके हैं तो भी आप उस चोर को समाज-विरोधी कार्यों से रोकने के लिए दौड़ नहीं पड़ेगे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप स्वयं समाज-विरोधी हैं या आपको चोर के कार्यों से सहानुभूति है। आप यह भी नहीं चाहेंगे कि चोर बचकर भाग जावे। यदि राज्य से चोर को बाराबात अथवा दंड मिलता है तो न तो आप उसका विरोध करेंगे और न किसी प्रकार की बाधा डालेंगे, अपितु आप राज्य के इस कार्य की सराहना ही करेंगे। इसका अर्थ केवल यह है कि आप निष्क्रिय प्रकार के नागरिक हैं। यद्यपि आप में सामान्य हितों की चेतना अवश्य है, किन्तु

फिर भी, घाय राज्य के कानूनों को रक्षा के लिए—दूमरे शब्दों में ही सामान्य हितों की रक्षा के लिए—अपने घाय को सक्कट में डालने के लिए तत्पर नहीं है। सर्वप्रथम, घाय उस प्रकार के सक्रिय नागरिक नहीं है जो कि राज्य में शक्ति के उत्पन्न वा बन्ध करने के लिए आवश्यक है।

यह उदाहरण राज्य के शक्ति माधनों की आवश्यकता को पूर्णतया मिथ करता है।

अब इसके दूसरे पक्ष को लीजिए। यदि नागरिकों का बड़ा समूह राज्य के किसी कानून अथवा आज्ञा का चेतन रूप में विरोध करता है तो राज्य की सम्पूर्ण शक्ति के प्रयोग पर भी राज्य के लिए आज्ञा पालन करना व्यावहारिक रूप से असम्भव हो जाता है। कोई भी राज्य अपने समस्त या अधिकांश नागरिकों को गोली नहीं मार सकता और न कोरे भी राज्य अपने अधिकांश नागरिकों को जेल के सीकड़ों में ही बन्द कर सकता है। यदि राज्य का विरोध चेतन-दृष्ट्या अथवा इस विषय पर, कि ऐसा करना नैतिक दृष्टि से उचित है, आधारित है तो शक्ति अन्त में अकेले राज्य को नहीं बनाये रख सकती। भारत में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ कि वह शक्ति और अधिकांश व्यक्तियों की निष्क्रिय दृष्टि पर आधारित था। जिस कारण ब्रिटिश सत्ता से निष्क्रिय सहयोग के स्थान पर सक्रिय विरोध शुरू हुआ तभी में शक्ति अकेली उस अत्याचार को भी, जिनमें कि वास्तव में इस शक्ति से अत्यधिक किया था, आज्ञा पालन के लिए बाध्य न कर सकी। सम्भवतः एक प्रतिशत से भी अधिक जनता ने सक्रिय विरोध न किया था, और इस विरोध की प्रतिष्ठात्मक प्रवृत्तियों, फिर भी कभी-कभी राज्य के लिए उनको नियंत्रित करना कठिन हो जाता था। यह अकेली शक्ति की पराजय का उदाहरण है और यह मिथ करता है कि शक्ति अकेली राज्य को स्थायी रूप से नहीं बनाये रख सकती।

स्वभावतः आज्ञापालन भी तभी तक होता है जब तक कि प्रभु, जनता के सामान्य हितार्थ एवं रुढ़िगत विचारों पर आक्रमण नहीं करता है। जनता के रीति-रिवाजों एवं रुढ़ियों पर कोई भी आक्रमण, चाहे वह कितना ही अल्पसंख्यक एवं अस्वच्छ रूप से क्यों न हो, कभी कभी प्रभु के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे और उसके विनाश में सहायक होंगे। इतिहास जनता के द्वारा निरंकुश प्रभुसत्ता के हटाने जाने के उदाहरणों से भरा हुआ है। पीटर महाशू निरंकुश शासक होने पर भी रुढ़ियों को प्राणुनिक नहीं बना सका और न सम्राट जोसेफ ही हंगरी के मग्यार जाति वालों को जर्मन भाषा सीखने के लिए बाध्य कर सका। राज्य के द्वारा शक्ति के उपयोग की निश्चित आंतरिक सीमाएँ हैं और कोई भी शासन उन सीमाओं का प्रतिक्षण नहीं कर सकता। कोई भी शासक या राज्य जनता के सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना पर आक्रमण न करे अन्यथा कभी न कभी उसका अस्तित्व ही सक्कट में पड़ जायगा। किसी भी समाज में अन्तिम रूप से शक्ति, प्राणुनिक नैतिक धरित है। इस सम्बन्ध में प्रो० कार्ल का कथन है कि :—

“सामान्य चेतना, जो कि पवित्रता का निर्माण करती है, ही केवल समुदाय के मन्त्रियों और प्रतिनिधियों को शक्ति दे सकती है। विश्वास या चेतना अधिकारों को उत्पन्न करती है। वह ही कानून या नियमों की व्यवस्था, जिनके द्वारा यह अधिकार बनाये गये हैं, और उस प्रभु को जिनका विशेष कार्य कि इन कानूनों को प्रकाशित एवं लागू करना है, उत्पन्न करता है, और पूर्ण शक्ति एवं सामन्जस्यता के द्वारा उन समस्त जीवित सस्याओं का, जो कि उन अधिकारों व कानूनों की मूर्तस्वरूप है, का पोषण करता है।”

सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना को नागरिकों में कैसे विकसित किया जाय, एक ऐसी समस्या है जिसके हल के लिए प्रजातन्त्रीय विचारकों को ध्यान देना चाहिए। निधनता, अज्ञानता और इनके फलस्वरूप जो मानवीय चरित्र पतन के कारण हैं, प्राथमिक उत्पादन की पूँजीवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और यह सामान्य चेतना के विकास में निश्चित रूप से बाधक हैं। इच्छा या राजनीतिक चेतना के विकास के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को अपने देश के शासन में कुछ न कुछ भाग भ्रमण मिले उनको समुदाय व नागरिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय होना चाहिए। उनको मत और पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उनको नियन्त्रणों एवं अपरिपक्व प्रभावों से स्वतन्त्र होना चाहिए। सक्षेप में, उनकी इच्छा मनोवैज्ञानिक शोषण की प्रणालियों के द्वारा निर्मित न होकर विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। प्रजातन्त्र की सफलता और नागरिकों के अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं हेतु पूर्ण उपयोग करने के लिए राजनीतिक चेतना का विकास अत्यन्त आवश्यक है।

यदि नागरिकों को यह विश्वास है कि राज्य का कोई भी कार्य सामान्य हित के लिए हानिकारक है अथवा उसकी प्राप्ति के लिए बन्धन है तो राज्य का विरोध करना उसका कर्तव्य है। यदि हम इच्छा को राज्य का आधार मानते हैं तो नागरिकों के राज्य का विरोध करने का अधिकार हमें स्वीकार करना होगा। ग्रीन, व्यक्ति को यह अधिकार अत्यन्त सावधानीपूर्वक देता है। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि यह विरोध करने या न करने के अधिकार की सावधानीपूर्वक जांच करे। यदि विरोध करने से समाज की अधिक हानि होती है तो विरोध करना सामान्य हित में नहीं होगा और यदि विरोध न करने और आज्ञापालन करने से अधिक हानि होती है तो व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का विरोध करना ही होगा।

यदि हम इस प्रकार सावधानीपूर्वक दिये गये विरोध करने के अधिकार का विश्लेषण करें तो इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि विरोध करने वाले व्यक्ति को दो बुरादियों में से छोटी बुराई को अपनाना पड़ेगा। किन्तु यह अनुचित दृष्टिकोण है; क्योंकि बुराई के साथ कोई भी समझौता, चाहे यह किसी भी कारण से क्यों न हो, अनैतिक है। व्यक्ति को न तो अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करने में झिझकना ही चाहिए और न बुराई के साथ इसलिए समझौता करना चाहिए कि

समाज के लिए प्रयत्न ऐसा न करने पर समाज प्रयत्न स्वयं के लिए कठिनाइयों उत्पन्न हो जाएगा। अन्त्याय एव बुलाई का विरोध करना पूर्णतया एक नैतिक धर्तव्य है। यदि राज्य का आधार इच्छा है तो उसके बाधों को नागरिकों ही इच्छा के अनुकूल ही होना पड़गा। इनमें तनिक भी विचलित होने पर राज्य की गति के विरुद्ध नागरिकों द्वारा विरोध हागा और यह विरोध करने का अधिकार किसी एक वास्तविक राजनीतिक समुदाय का स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है। केवल यह अधिकार ही व्यक्ति की, राजनीतिक समुदाय द्वारा अन्त्याय अथवा शक्ति के दुरुपयोगों से रक्षा कर सकता है।

ऐसा सम्भव है कि राज्य की इच्छा और अस्तित्वों की समर्थ इच्छा में कभी संघर्ष हो जाय। ऐसी परिस्थितियों में दोनों विरोधी इच्छाओं में चुनाव किस प्रकार किया जाय? राज्य इस बात का दावा कर सकता है कि वह सामान्य इच्छा या वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा है और व्यक्ति को इस तर्क द्वारा निरंतर कर सकता है कि उसकी इच्छा, जूँकि वह राज्य का विरोध करती है, वास्तविक इच्छा नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो यह अनुदारता या निरंकुशता का शोषण करती और उनका सामान्य इच्छा के उदात्त में उचित ढङ्गाने का प्रयत्न करती।

सामान्य इच्छा के सिद्धांत का दुरुपयोग समझ है और दृष्टा भी है। प्रायः प्रत्येक युग में सभी राज्य यह दावा करने आये हैं कि वह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कार्य सामान्य हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए है। राज्य का यह दावा प्रयत्न या सुन विद्रोह की अनुपस्थिति में अस्वीकार करना बलित है। अधिनायकत्व और निरंकुश शासन भी वास्तविक इच्छा के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने हैं, और हर प्रकार के विरोध को वे समाज विरोधी और राज्य व जनता के हित के विरुद्ध बनाने हैं। जब तक जनता की निष्क्रिय समर्थ इच्छा इन शासकों को स्वीकार करती है तब तक इनके इस दावे का महत्त्व करना बलित है। अपने अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की रक्षा करना और यह देना, कि राज्य के कार्य सामान्य हितों पर ही आधारित है, जनता का ही कार्य है। यदि जनता अपने प्रति यह कर्तव्य करने में अमफल होती है तो वह राजनीतिक समुदाय निश्चित रूप से अन्त्याय व निरंकुश शासन द्वारा शासित होगा। किन्तु यह पूर्णतया निष्ठ किया हुआ तथ्य है कि ऐसे शासक भी तभी तक शासन कर सकते हैं जब तक जनता उनका अक्रिय रूप से विरोध नहीं करती है। यह निष्क्रिय रूप से आज्ञापालन भय, उदासीनता या मनोबैज्ञानिक शोषण के कारण हो सकता है।

अब हम इस समस्या के दूसरे पक्ष को देखेंगे। हम सामान्य चेतना, के अस्तित्व के बारे में संशय निरक्षय कर सकते हैं, अथवा स्पष्ट जगहों में किसी भी विरोध प्रयत्न के ऊपर सामान्य चेतना बला है, इनका पता हम कैसे लगावेंगे? केवल समस्या के द्वारा ही यह पता नहीं लगाया जा सकता। यह आवश्यक नहीं है कि सबकी इच्छा या बहुमत की इच्छा ही सही ही। बहुमत की आवाज फरती है और कर

सकता है। ऐसा अत्याचार सबसे अनुचित प्रकार का होता है। इस सम्बन्ध में वाल्टर लिपमैन का कथन है :—

“... साधारणतया प्रजातन्त्रीय सरकारों की प्रवृत्ति अधिक से अधिक मत-दाताओं को प्रसन्न रखने की होती है। यही कारण है कि सरकारें, राज्य में जनमत और प्रतिनिधि सभाओं के निर्णायक हो जाने पर वास्तविकता का सामना करने में उस समय, जब कि मतदाताओं के भुकावों का विरोध करने वाला कोई भी राज्य विचारद नहीं होता और ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो कि केवल उनको उत्तेजित करके उनका शोषण करते हैं, भ्रममय होती है।”

(जन दर्शन (The Public Philosophy) पृष्ठ ४०)

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि शासन और शासित दोनों इस बात का दावा कर सकते हैं कि उन्हें सामान्य हित का ज्ञान है और दोनों से इसका दुरुपयोग होने की सम्भावना बराबर है। राज्य की सश्रिय इच्छा पर हम जैसे आवागति करें, यह राजनीतिशास्त्र की एक ऐसी समस्या है जिसका हल भविष्य के विचारक सम्भवतः करेंगे। तब तक यह कहना अधिक उचित होगा कि सब प्रकार के राज्य, जिनमें प्रजातन्त्र भी सम्मिलित है, निष्क्रिय एवं निश्चेष्ट इच्छा पर आधारित हैं। प्रजातन्त्र की हम भैसे ही यह प्रशंसा करें कि वह शासितों की इच्छा पर आधारित है किन्तु वास्तव में यह इच्छा अधिकांश नागरिकों के लिए भी उतनी ही निष्क्रिय, निश्चेष्ट, अशिक्षित और मनोवैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा निमित्त होती है जैसे कि अधिनायक तन्त्रों में। दार्शनिक दृष्टि से इन दोनों प्रणालियों के मध्य कोई भी वास्तविक सश्रिय अथवा विशेष चुनाव नहीं है। इन दोनों में से कोई भी वास्तविक एवं सश्रिय अथवा शिक्षित इच्छा पर आधारित नहीं है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शक्ति भले ही राज्य के निर्माण में अथवा उसे बनाये रखने में सहायक रही हो किन्तु प्रत्येक राज्य का आधार इच्छा ही हो सकती है।

हमारे समक्ष अब यह समस्या है कि हम इस सामान्य चेतना या सामान्य इच्छा को व्यक्तिगत इच्छा से कैसे सम्बन्धित करें। क्या है और क्या होना चाहिए, इसमें सदैव यथेष्ट अन्तर रहा है। इसी प्रकार व्यक्तिगत इच्छा जो कि उस इच्छा से, जो कि होनी चाहिए, भिन्न होती है। हम यह आशा नहीं करते हैं और ऐसी आशा करना एक काल्पनिक आदर्श होगा कि समाज का प्रत्येक सदस्य इस सामान्य इच्छा को जानता है अथवा सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना के निर्माण में उसकी इच्छा भी निहित है। साधारणतः, उसको सामाजिक या राजनीतिक जीवन की आवश्यकता की चेतना भी नहीं होती। हममें से अधिकांश इन समस्या के प्रति उदासीन हैं और कुछ तो सम्भवतः इतनी समाज-विरोधी प्रवृत्तियों के हैं कि उनकी चेतन इच्छा, जो कि सामान्य इच्छा होनी चाहिए, के एकदम विपरीत है। इस वास्तविक समस्या को हल करने के लिये हीगल ने व्यक्तियों की दो इच्छाओं का निर्माण

विषय है— यथार्थ इच्छा, जो कि हम माधारगत, समाज के प्रत्येक सदस्य में पाते हैं। यह इच्छा सामान्य हित, सामाजिक और राजनीतिक सङ्गठनों के प्रति उदासीन होती है। और दूसरे प्रकार की वास्तविक इच्छा या वह इच्छा जो होनी चाहिए और जिस इच्छा के होने पर हम आदर्श नागरिक होते और जो हमें सामाजिक एवं राजनीतिक सङ्गठनों से उस सीमा तक सहयोग कराती है जो कि सामान्य हित के प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। किन्तु इच्छाओं के इस वर्गीकरण के साथ हीपल ने यह भी स्वीकार किया है कि समाज के अधिकांश व्यक्तियों में केवल यथार्थ इच्छा ही होती है और इसी कारण से आदर्श राष्ट्रीय राज्य को असाध्य मत्ता प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह अभिशित और उदासीन सदस्यों में वास्तविक इच्छा के अनुसार कार्य करा सके। दूसरे शब्दों में, यह कह सकते हैं कि राज्य ही सामान्य हित की सामान्य चेतना को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए राज्य ही सर्वोच्च होना चाहिए और उसके निर्णयों को सबको स्वीकार करना होगा। व्यक्ति को उसके न चाहने पर भी अन्धे जीवन की ओर से जाना ही होगा।

ग्रीन के सम्मुख भी यह बटिनाई पाती है और वह इस समस्या को सावधानी पूर्वक हल करता है। प्रो० बाकर के अनुसार :—

“वह नैतिक वस्तु, जिनको कि हम सब स्वीकार करते हैं, उन्हीं सोचों से अङ्कुरित होते हैं जिनमें कि राजनीतिक अधीनता उत्पन्न होती है और जहाँ तक हमारी एक के प्रति स्फुटिमान चेतना होती है वहाँ तक हम दूसरे को भी स्वीकार करते हैं। प्रत्येक अवस्था में हम सब स्वभावतः और स्वच्छन्दता से वेतन देने वाले और वेतन पाने वाले; खरीदने वाले और बेचने वाले के साधारण सम्बन्धों अधिकारों के स्वामी की हैसियत से दूसरों को स्वीकार करते हैं और अपने प्रति दूसरों से स्वीकृति का दावा कराते हैं। चाहे हम कानून के द्वारा कितने ही स्थापित सामान्य हित के आवश्यक प्रारम्भिक विचार के भाव से अलग हों किन्तु इनमें स्वीकृति गमिष्ठ है। मङ्गल सत्य है कि यह हमें ‘स्वामिभक्त प्रजाजन’ से अधिक नहीं बनाती और यह भी मलय है कि एक समभदार देश भक्त की छोटी तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को राज्य के बापों में भाग निगना, और सदस्यता अथवा कम से कम प्राणीय या राष्ट्रीय सदस्यों के मताधिकार की हैसियत होना आवश्यक है। किन्तु ग्रीन प्रजातन्त्र या राजनीतिक मुपारों की समस्याओं का अपने भाषणों में समावेश नहीं कराता। जैसा कि हम देख चुके हैं कि वह वर्तमान राज्यों के वास्तविक जीवन के आधारों को समझाने या विकल्पण करने में ही अन्तुष्ट है। वह यह बताने में ही अन्तुष्ट है कि प्रजातन्त्र का साकेभूत विद्वान्त ‘शक्ति, न कि इच्छा, ही राज्य का आधार है’ सदैव है और मदा रहेगा। वह एक ऐसे मरय को जो कि किसी विशेष व्यवस्था के माध्य साकेभौमिक सह स्यापक है

घोर न वह ऐसे समय के एक विशेष व्यवहार पर अधिक प्रभाव देकर उसको सङ्कट में गही डालना चाहता। उसके वास्तविक जीवन से घोर उसके सिद्धांतों के तर्कों से हमें यह पता चलता है कि वह शासन की प्रतिनिधि प्रणाली घोर विस्तृत मताधिकार में विश्वास रखता था किन्तु राज्य के सगठन से अधिक उसकी रुचि इसमें थी कि राज्य अपनी शक्तियों से क्या करता है या कर सकता है। भूमि घोर सुरापाल की सामाजिक समस्याएँ उसके ध्यान को सबसे अधिक आकर्षित करती हैं।”

(इङ्ग्लैंड का राजनीतिक दर्शन १८४८-१९१४, पृष्ठ २९, ३०)

प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में भी व्यक्ति अपने आपको सामान्य इच्छा से स्वतः ही समीकरण नहीं करता है। अधिनाश समय में वह व्यस्तता या उदसीनता के कारण सामाजिक समस्या राजनीतिक समस्याओं में न तो रुचि लेता है घोर न यह पता लगाने का प्रयत्न करता है कि सामान्य इच्छा क्या है। वह अपनी इच्छा को देता नहीं किन्तु फेंकता है। सामान्य इच्छा से भी कठिन समस्या यह पता लगाने की है कि सामान्य हित क्या है घोर उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यहित के सम्बन्ध में सार्वभौमिक समझि हो ही नहीं सकती। हम में से अधिनाश व्यक्तियों को सामान्य हित के विषय में अस्पष्ट ज्ञान ही होता है। व्यापक प्रचार की गई प्रणालियाँ जिनका एकमात्र उद्देश्य मनोवैज्ञानिक शोषण है, हम से सामान्यहित के सम्बन्ध में हमारे शासकों के मत को मनना लेती हैं। प्रचार के साधनों में इतना अधिक विकास हुआ है कि कोई भी अधिनायक या राजनीतिक दल सरलतापूर्वक जनता से अपने रवियों को सामान्य हितों के रूप में स्वीकार कराने में सफल हो सकता है।

किन्तु फिर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि किसी भी राजनीतिक समुदाय में रथायिष्य एवं अस्तित्व के दृष्टिकोण से राज्य के लिए इच्छा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह दूसरी बात है कि ऐसी इच्छा विश्वास या ज्ञान पर आधारित हो या मनोवैज्ञानिक शोषण के तरीकों द्वारा उत्पन्न की गई हो। सामान्य उद्देश्यों की सामान्य धेतना भले ही सम्भव न हो किन्तु एक सीमा तक सामान्य उद्देश्यों के मूल-भूत आधारों में सामान्य विश्वास होता है तथा सहमति का सामान्य क्षेत्र भी किसी क्षण तक पामा जाया है। विभेद एवं विभेदनाएँ अधिस्तर विस्तार में पाई जाती हैं।

माक्सवादी की रूपरेखा

हेगल के दर्शन की मुख्य दो शाखाएँ हुईं। एक तो राष्ट्रीय आदर्शवाद, जिसका कि बीमवी आताइशी का एक स्वल्प फासिज्म है और दूसरा इन्द्रात्मक भौतिकवाद जिसका कि परिणाम हम मार्क्सवाद पाते हैं। मार्क्स और उसके विचार वाद-विवाद और मथपं के विषय रहे हैं और अब भी हैं। माक्सवादी दर्शन विश्व के इतिहास में युग परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। यह दर्शन एक नये वर्ग का दर्शन है— एक ऐसे वर्ग का जो कि द्रव्य आताइशियों में मर्दव हुआ था रहा था, जिसका राज्य ने हमेशा उत्पीड़न किया और इसको मथप्रपम भावमें ने राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार किया। यह वर्ग उन व्यक्तियों का है जिनके पास अपना बहने के लिए कुछ नहीं है। पूँजीवाद के उदय होने पर एक ऐसे नये वर्ग का जन्म हुआ जिसके पास अपना-प्रपना कहने के लिए अपने शारीरिक श्रम के अनिश्चित और कुछ नहीं था। माक्सवादी मथ में अधिक विकसित और मथसे विशुद्ध प्रकार का ऐतिहासिक वाद है। माक्स दक्षिण पश्चीय हेगल वादी फासिष्टों से सर्वथा भिन्न सामाजिक मद्दस्यों के प्रति माननीयता का दृष्टिकोण रखता है। माक्स, दर्शन को उन्नति के और विकास हेतु प्रयोग में लाता है। उसका यह विश्वास है कि ऐतिहासिक भविष्यवाणी सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए सबसे वैधानिक मार्ग है। माक्सवादी विशुद्ध ऐतिहासिक सिद्धान्त है और उसका उद्देश्य आधिक एव शक्ति राजनीति के विकास को, विशेषतः सामाजिक व राजनीतिक स्थानियों को, भविष्यवाणी करना है। उसके आधिक अनुसंधानों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। उसका कारण यह है कि उसके आधिक अनुसंधानों का उद्देश्य ऐतिहासिक भविष्यवाणी करना था। माक्सवादी सिद्धान्त नहीं है, यह केवल ऐतिहासिक विश्लेषण की एक प्रणाली है। माक्स की इतिहास की आधिक व्याख्या उसके वाद के सिद्धान्तों का आधार है। उसका कहना है :—

“व्यक्ति का अस्तित्व उसकी चेतना निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्भर करता है।”

सामाजिक अस्तित्व या परिस्थितियाँ जिनसे भी समाज में प्रचलित उत्पन्न प्रणाली के अनुसार निर्भर होती हैं। माक्स इतिहास की पटनाओं में आधिक कारण

को सबसे अधिक महत्व देता है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग में दो वर्ग रहे हैं। एक शोषण करने वाला और दूसरा शोषित वर्ग मात्र तक जितनी भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रान्तियाँ हुई हैं उन सब में भी इस आधारभूत तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है। साम्यवादी क्रान्ति के पश्चात् दो वर्ग-विभाजित समाज का इतिहास में सर्व प्रथम अन्त होगा और तब समाज जिनके पास सम्पत्ति है और जिनके पास नहीं है तथा शोषण करने वालों और शोषितों में विभाजित नहीं होगा। ऐसी क्रान्ति करने के लिये केवल सर्वहारा वर्ग ही योग्य है, 'क्योंकि इस वर्ग की क्रान्ति से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है।' इतिहास में सर्वप्रथम बहुमत के हाथ में राज्य की शक्ति आयी और क्रान्ति के पश्चात् वर्ग-सर्पण का अन्त हो जायगा और तब क्रान्ति के बाद वाले युग में केवल एक ही वर्ग होगा।

मध्यमवर्गीय फ्रांस की राज्य क्रान्ति द्वारा एक नये पूँजीपति वर्ग को राज्य की शक्ति प्राप्त हुई। इस वर्ग के साथ-साथ एक नये वर्ग का जन्म और हुआ जो कि केवल धेतन भोगी वर्ग था जिसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। न तो इस क्रान्ति ने और न इसके पहले होने वाली किसी भी क्रान्ति ने जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता दी क्योंकि इन क्रान्तियों द्वारा केवल राज्य के स्वामी और शोषण करने वाले वर्ग के सदस्यों में परिवर्तन हुआ। वास्तविक स्वतन्त्रता केवल एक वर्ग विहीन समाज, जिसमें से सब आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक विभिन्नता अन्त हो चुकी हो, में ही संभव है। ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना के हेतु और वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में सम्पूर्ण परिवर्तन करने हेतु एक हिमालयक क्रान्ति की आवश्यकता होगी। यह सर्वहारा वर्ग का ऐतिहासिक प्रारम्भ होगा जो कि ऐसी क्रान्ति द्वारा वर्ग हीन समाज की स्थापना करेगा।

शासकों के अनुसार आवश्यक सामाजिक श्रम ही अथवा पूँजी उत्पन्न करता है दूसरे कोई भी तरव महत्व पूर्ण नहीं है। उनके अनुसार :

“प्रत्येक वस्तु का मूल्य, जिसमें श्रम की मात्रा लपेटे हुई है और आवश्यक श्रम का समय प्रकट हुआ है किसी भी विशेष सामाजिक दशा में जो कि उत्पादन में आवश्यक है; निश्चित होता है।” या

जैसा कि कार्ल कोट्सकी कहता है कि :—

“वह कोई भी वस्तु इसलिए मूल्य रखती है क्योंकि उसमें संप्राकृतिक या सामान्य मानवीय श्रम का समावेश होता है।”

मार्क्स, श्रम के प्रतिरिक्त उत्पादन के अन्य तरीकों के प्रति उदासीन है। पूँजी, कच्चा माल या दूसरे विभिन्न सहायक तरीकों को वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं मानता है। अन्तिम रूप से यह दूसरे सब तरफ मानवीय श्रम ही है।

उसके अनुसार मानवीय श्रम शक्ति ही समस्त प्राकृतिक देनों की उनके मूल्य में परिणत करती है। प्राकृतिक साधन, बिना मानवीय श्रम के व तो स्वयं पूँजी हो जाते हैं और न उनका कोई मूल्य है। केवल तभी हम उनका मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जब कि श्रम ने उनको समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का रूप दे दिया हो। माकस पूँजी की केवल सचित श्रम मानता है। पूँजीपति के लाभ के प्रतिरिक्त मूल्य है जिसकी कि वह हरण कर लेता है। संवादन ने प्रतिरिक्त मूल्य को इस प्रकार समझाया है :—

“..... अपने मजदूरों के संगीकरण व संगठन के द्वारा पूँजीपति यह निश्चित करता है कि श्रम शक्ति के खर्च से जो वस्तु उत्पन्न हुई उसकी मात्रा, श्रम शक्ति वा जो मूल्य दिया गया है, उससे अधिक हो। श्रम शक्ति, जो कि खर्च होगी है उस मूल्य से, जो कि उसके बदले में काम प्रामे वाला श्रम है, वहीं अधिक उत्पन्न करती है। इस प्रतिरिक्त मूल्य में से ही सब लाभ, व्याज और किराया निकलता है, क्योंकि श्रम या अन्य किसी के विनिमय, से ही उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती।”

(राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास पृष्ठ ६५७)

माकस ने पूँजीवाद का सबसे उत्तम विक्षेपण किया है। उसका कथन है कि पूँजी में ही उसके विनाश के बीज सर्वहारा वर्ग के हृदय में मग्नित हैं। उसका यह भी विद्वान्त था कि औद्योगिक क्रान्ति के विकास के माध्य-साधन निर्धन और भी निर्धन होते जाएंगे और पूँजीपति अधिक धनवान होते जाएंगे और इस कारण से समाज में दुःख और शोषण की अभिवृद्धि होती जायगी। माकस ने जब यह भविष्यवाणी की थी तो उसे यह पता न था कि राज्य के पूँजीपति और निर्धनों के बीच में हस्तक्षेप करने से तथा मनुक्त सङ्घ व्यापार के विकास से उसकी यह भविष्यवाणी सही नहीं उतरेगी। प्रो० संवादन के शब्दों में :—

“माकस ने ऐसे विषयों, जैसे कि समय समय पर बार बार होने वाली उषस पुष्य, सम्पन्नता बाल में भी दीर्घ स्थायी औद्योगिक बेकारी, वृद्धत कला-योग्यता का नई भण्डों द्वारा विनाश, निपुण श्रम का अनिपुण द्वारा स्थापन, अउद्योगी व्यापारों की बड़ी मेहनत और सबसे निम्न वर्ग के बेकार सर्वहारा वर्ग की वृद्धि, का वास्तविक वर्णन किया। अपने ऐतिहासिक अध्ययनों के समान ही माकस का प्रमुख एवं विवेक सहाय औद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव, उसके परिवार जैसे प्रारम्भिक सामाजिक समुदाय को निर्बल बनाने की प्रवृत्ति और अन्ततः उसके द्वारा उत्पन्न मानवीय समस्याओं, जैसे विषयों पर जोर देना था। इन सबका निष्कर्ष यह था

कि पूँजीवाद विशेषतया पराश्रयी है और समाज के मानवीय तत्वों का क्षय करता है।”

(राजनीतिक सिद्धान्तों का इतिहास पृष्ठ ६५५)

✓ मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार निजी सम्पत्ति के, जो कि व्यक्ति ने अपने श्रम से उपार्जित न की हो या जो उस पर आधारित न हो, अधिकार नहीं दिये जा सकते। कम से कम उसको दूसरों के भाग्य व जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। किसी को हम शक्ति साधनों के नियंत्रण का अधिकार नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा अधिकार हमेशा सम्पत्तिशाली वर्ग के द्वारा सामाजिक शोषण हेतु उपयोग में आया। एक नई सामाजिक व्यवस्था जिसमें कि मजदूरों या सर्वहारा वर्ग के बहुमत को अपने भाग्य का नियंत्रण व निर्देश का अधिकार हो, मार्क्सवाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मार्क्सवादी के लिए उस अल्पमत था, जिसके पास अपनी आर्थिक शक्ति के कारण राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण भी है, नष्ट करना आवश्यक है। शासकों में परिवर्तन करने के पूर्व शासितों की दशा में परिवर्तन करना संभव नहीं है। मार्क्स राज्य की शक्ति का एक अस्त्र मानता है। यह अस्त्र सर्वहारा वर्ग को अपने हितों की रक्षा व वृद्धि के लिए अपने हाथ में रखना ही होगा।

✓ राज्य को अपने हाथ में करना सरल कार्य नहीं है। जिनके पास यह शक्ति का अस्त्र है वे इसे घासानी से नहीं छोड़ेगे। इसलिए मार्क्स अहिंसात्मक क्रान्ति के पक्ष में नहीं है। वह हिंसा का प्रशंसक नहीं है किन्तु वह उसे आवश्यक समझता है और उसकी तुलना एक दाई से करता है जो कि नवीन समाज को प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होगी। इस नवीन समाज का जन्म एक ऐतिहासिक आवश्यकता है और शक्ति केवल एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। पूँजीवादी युग का शोषण, हिंसात्मक क्रान्ति की हिंसा की अपेक्षा बड़ी अधिक हिंसात्मक है। अपने जीवन के अन्तिम काल में उसने यह भी कहा था कि हिंसा उन देशों के लिए आवश्यक नहीं है जहाँ पर कि सर्वहारा वर्ग को मताधिकार का अधिकार मिल चुका है, जैसे कि हालैण्ड, डेन्मार्क आदि। यह भविष्यवाणी १९५६ में भारत के केरल राज्य में भी पूर्ण हुई है।

हिंसात्मक क्रान्ति और राज्य की शक्ति को अपने हाथ में कर लेने के पश्चात् सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र की स्थापना होगी। समाज में अब केवल एक ही वर्ग होगा और उस वर्ग के हित समान होंगे और इन हितों का प्रतिनिधित्व केवल सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक दल ही कर सकेगा। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तन्त्र राज्य की शक्ति का उपयोग दो प्रकार के उद्देश्यों से करेगा। (१) मध्यम वर्ग के द्वारा फिर से क्रान्ति को रोकने के लिए तथा (२) राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र के दो मुख्य कार्य होंगे— मार्क्सवादी क्रान्ति का एवश्रीकरण और सर्वहारा वर्ग के हितों की वृद्धि।

~~उच्चतर साम्यवाद की~~ उच्चतर साम्यवाद की, जिसमें 'प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार, धीरे-धीरे प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार' का सिद्धान्त अपनाया जायगा, स्थापना होंगी, तब राज्य का दाय हो जायगा और सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र का भी अन्त हो जायगा। यह परिवर्तन कैसे होगा, समझना सरल नहीं है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तन्त्र में राजनीतिक और प्रायिक दोनों शक्तियों का राज्य में अभूतपूर्व केन्द्रीकरण होगा। यह हमारी समझ के बाहर है कि यह आत्मघ्निक केन्द्रीकरण वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए कैसे मार्ग निर्देशन करेगा जो कि मार्क्सवाद का अन्तिम लक्ष्य है। यदि आपकी पूर्व की धारणा ही और जाना ही और आप पश्चिम की ओर रवाना हो जावें तो आप भले ही सैद्धान्तिक रूप से तर्क द्वारा सिद्ध करने में सफल हो जावें कि पृथ्वी गोल है इसलिए आप कभी न कभी पूर्व की ओर पहुँचेंगे ही किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह तर्क हास्यास्पद होगा। यदि हमारा अन्तिम लक्ष्य एक विवेकीयकृत वर्ग विहीन समाज की स्थापना है तो क्यों न हम प्रारम्भ से ही विवेकीयकरण के मार्ग को अपनावें। जिन लोगों के हाथ में शक्ति होती है, चाहे वे भले ही सर्वहारा वर्ग के सदस्य हों, उनके लिए शक्ति का परित्याग करना स्वभावतः असम्भव होता है। मार्क्सवाद में राज्य की आदेशात्मक शक्ति के अन्त होने पर उम्मा स्याम लेने वाले सामाजिक व शक्ति रहित आदेशों के विनाश व निर्माण और इन नवीन आदेशों के लिए नवीन आदेश सत्याप्तों के निर्माण पर भी कोई विचार नहीं किया गया है। मार्क्सवादियों ने यह सब कार्य नविष्य के लिए छोड़ दिये हैं और इस सब में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया है।

मार्क्स में यह मार्क्सवाद के सार्वभूत सिद्धान्त है। किन्तु इनके भाव-साध बहुत से और भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और जिन पर हमारा विचार करना आवश्यक है।

साम्यवादियों का कथन है कि इस नवीन समाज में 'प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार धीरे-धीरे प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार' व्यवहार किया जायगा। किन्तु योग्यता और आवश्यकताओं की कमीटी क्या होगी? किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण करना वास्तव में असम्भव नहीं तो कठिन प्रश्न है। साधारणतया व्यक्ति की मूल मूल आवश्यकताओं—भोजन, आश्रय, वस्त्र, न्यूनतम आवश्यक और जीवन की जीने योग्य बनाने वाले सुखों—की परिपूर्ति में कोई भी एक मत हो सकता है। किन्तु प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार एक टाइप प्रकृत बुद्धिजीवी या बनाकार की आवश्यकताओं की निर्धारण कर सकते हैं। मृजल प्रकृतियों को सन्तुष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें एक निश्चित मात्रा में सुख के साधन दें जो कि एक अमजोबी के लिए आवश्यक नहीं है। सर्वोप में आवश्यकताओं में अंतर के साथ साथ योग्यताओं में अंतर सर्वत्र अस्तित्व में होगा। साम्यवादी समाज की

स्थापना के प्रथम काल में इन आवश्यकताओं का निर्णायक सर्वहारा वर्ग का अधिक-नायक तन्त्र होगा, और इसका भी क्या विश्वास है कि शक्ति का घब तक जैसा दुरुप-योग होता रहा है, भविष्य में वैसा दुरुपयोग नहीं होगा ।

यह उचित है कि कुछ व्यक्तियों को बहुलता प्रदान करने से पूर्व समस्त व्यक्तियों की मूल भूत आवश्यकताओं की सतुष्टि हो । इस सीमा तक केवल साम्यवाद ही तर्क-युक्त है । परन्तु उम न्यूनतम के प्रागे हमें सामाजिक हितों के प्रति अनुदानों की विषमता, वेतन की विषमता आदि स्वीकार करनी ही होगी । वास्तविक जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक मापदण्ड होते हैं और ये विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न होते हैं । प्रधान मंत्री और सदान में कार्य करने वाले श्रमिक की आवश्यकताएँ सर्वथा भिन्न होगी । यह भिन्नता इसलिए नहीं है कि शक्ति को दिखावे या ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है किन्तु इसलिए कि प्रधान मंत्री को जो कार्य करने पड़ते हैं वह श्रमिक से भिन्न प्रकार के हैं और उनके लिए सामाजिक स्तरों की विभिन्नता आवश्यक है । यह वास्तव में एक कठिन समस्या है किन्तु कम से कम समता का यह सिद्धांत हमारे ध्यान को इस मूल भूत और महत्वपूर्ण सत्य की ओर आकर्षित करता है कि आर्थिक समता की स्थापना आवश्यकताओं के आधार पर हो सकती है । यह योग्य-ताओं से अधिक सुरक्षित आधार प्रदान करते हैं । किन्तु इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने में हमें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । योग्यताओं के समान आव-श्यकताओं में भी भिन्नता होती है । अपने श्रम से अर्जित अपनी निजी सम्पत्ति के अधिकारों की किसी सीमा तक स्वीकृति होनी ही चाहिये । इस अधिकार की सीमा केवल अधिकारों की दूसरों के जीवन और स्वतन्त्रता पर शक्ति प्रदान करने तक ही सीमित होनी चाहिए है । उत्तराधिकार वास्तव में हितकारी है यदि वह दुर्बल और अपज्ज भयवा प्रताप को आर्थिक संरक्षण प्रदान करता है । उत्तराधिकारी को सम्पत्ति केवल आलसपूर्ण एवं बिलासी जीवन व्यतीत करने के लिए न हो । बिना परिश्रम द्वारा प्राप्त जीविका पर आश्रित रहना अत्यन्त पराश्रयता है ।

हम उत्पादन के उन साधनों का, जो कि समाज में लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, समाजीकरण कर सकते हैं । किन्तु दूसरे क्षेत्रों में व्यक्ति को एक निश्चित सीमा में अपने व्यवसायों को चलाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । भूमि का स्वामित्व उन व्यक्तियों के पास में होना चाहिए जो कि उसको जोतते हैं । शक्ति के द्वारा उनका समष्टीकरण नहीं होना चाहिए । स्वामित्व और स्वायत्तीकरण का आकर्षण उतना ही पुरातन है जितना कि मानव इतिहास । यह मानव प्रकृति का एक अभिन्न अंग है । अस्तु का यह सिद्धांत अपेक्षित रूप से सही है कि प्रत्येक की सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति नहीं है और किसी की भी सम्पत्ति प्रत्येक की सम्पत्ति है । यह हमारा प्रतिदिन का सामान्य अनुभव है कि जनता के सदस्य सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रायः दुरुपयोग ही करते हैं । एक किसान

धरती भूमि पर सामूहिक कृषि क्षेत्र में अधिक अच्छा कार्य रहेगा। हमें श्रम जीवियों की सहायता में वृद्धि नहीं करना चाहिए। किसी भी समाज में निम्न मध्यमवर्ग की अधिक सहायता ही स्थायित्व और व्यवस्था का सबसे बड़ा खंभ है। उनका समाज में शान्तिपूर्ण स्वाभाविक प्रवृत्तियों की रक्षा में व्यक्तिगत हित है। केवल भय यही है कि वे अनुदारता के गण हो सकते हैं और हर प्रकार की उन्नति का विरोध कर सकते हैं।

साम्यवाद वर्ग-समर्पण और पूर्ण के सिद्धांतों का प्रचार करता है। हम किसी भी बहुमत को, चाहे वह बहुमत इतना ही अधिक क्यों न हो, अल्पमत के विनाश के अधिकार का नहीं दे सकते हैं। किसी भी समाज की अपने सदस्यों के जीवन व स्वतन्त्रता के अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हम पूँजीवादी व्यवस्था को निन्दा इसलिए करते हैं कि वह एक अल्पमत को अपने हित में एक अधिक बहुमत की स्वतन्त्रता के अदृश्य का अधिकार देती है। यही सिद्धांत किसी बहुमत के लिए भी गलत है। जो कि पढ़ने वाले उदाहरण में धार्मिक है, वह दुर्गम में भी प्रवेश होगा। हम उनकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, और उनकी योग्यताओं के अनुसार समाज में उनका स्थान पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। किन्तु हम किसी कारण से किसी भी बहुमत को दण्ड अल्पमत के विनाश का अधिकार नहीं दे सकते। बहुमत का अत्याचार भी एक अत्याचार ही है। केवल सच्चा किसी अनुचित कार्य को उचित नहीं बना सकती।

विचार और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण तथा जीवन का उपयोग व्यक्तित्व के विकास के लिए घातक होता है। एक दलील राज्य किसी भी प्रकार की धारणाओं और विरोध को सन्न नहीं कर सकता। वह चाहता है कि प्रत्येक उनकी नीति एक आदर्शों को मान्यता दे और जो विरोध की धारा उठाते हैं उनका निर्दयतापूर्वक दमन किया जाता है। ऐसे राज्य में मृजल प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है और व्यक्ति केवल मन्त्रवत् हो जाते हैं। दुःख की बात है कि वास्तविकी महिष्यता किसी भी साम्यवादी समाज में अदृश्य नहीं है। विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व्यक्ति के विकास और सामाजिक स्थिति के लिये उतनी ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है जितना कि आधारभूत भौतिक गुण जो कि साम्यवाद देने का वादा करता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि पैर की ही मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं किन्तु वे भूल जाते हैं कि केवल मस्तिष्क ही उन्नति और अन्धे जीवन में योग देता है और मस्तिष्क को पैर की मांसों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

मात्रों और उभय सिद्धांतों की अत्यन्त तीव्र एवं उचित धारणाओं प्रो० बाल्ट पोपर ने अपनी पुस्तक 'स्वतन्त्र समाज और उभय शत्रु' में की है। पोपर का भी यह विचार है कि मात्रों के अल्पकालिक आदर्शों राज्य में विराम करने वाले समाजवादीयों के समान ही हैं। मात्रों ऐतिहासिक अभिव्यक्तियों में विनाश शक्ति का और उभय

गांधीजी के लिए व्यक्ति मे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आत्मा है । और हर व्यक्ति का ध्येय आत्मानुभूति होना चाहिए । गांधी जी का ईश्वर मे प्रकट विश्वास था । धर्म को दूसरे सांसारिक कार्यों से अलग करने मे वह विश्वास नहीं करते थे । राजनीति को यद्यपि वह एक अच्छी वस्तु नहीं समझते थे और उन्होंने इसकी तुलना एक सर्प से की है; तथापि उनका विश्वास था कि यदि आप सामाजिक जीवन चाहते हैं—और कोई भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता—इसलिए व्यक्ति को राजनीति मे भाग लेना ही पड़ेगा । किन्तु उसे यह चाहिए कि वह भाग लेना हुए भी उसकी बुराई को अधिक से अधिक कम करने का प्रयत्न करें । उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य राजनीति मे धर्म का सम्मिश्रण करना है वह धर्म और धर्म स सम्बन्धित सब विषयों की हँसी उड़ाने की आधुनिक प्रवृत्ति मे विश्वास नहीं रखते थे । उन्होंने अपनी आत्मकथा मे लिखा है— 'जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं, वह यह नहीं जानते कि धर्म का क्या अर्थ है ।' (भाग २, पृ० ५६१) उनके अनुसार ईश्वर मे विश्वास अहिंसा के मानने वालों के लिए आवश्यक है । ईश्वरीय विश्वास के बिना व्यक्ति हिंसा की ओर अग्रसर होगा । साधारणतया नास्तिक अपनी आत्म रक्षा के लिए हिंसा और शारीरिक शक्ति पर अधिक विश्वास करते हैं । ईश्वर के विषय मे उनकी परिभाषा इस प्रकार की है जिसकी स्वीकार करने मे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । उनके अनुसार 'सत्य' ही 'ईश्वर' है और सत्य ही ईश्वरीय-नियम है ।

आत्मानुभूति के लिए सत्य का ज्ञान आवश्यक है । गांधीजी के लिए ईश्वर और व्यक्ति परस्पर विरोधी वस्तुएँ नहीं हैं । आत्मा व्यक्ति का ईश्वर और सृष्टि के अन्य जीवों के साथ एवम प्रदान करती है । व्यक्ति का नैतिक पुनरुत्थान तभी संभव होगा, जबकि वह आत्मानुभूति करने मे सफल होगा, और आत्मानुभूति तभी होगी जबकि वह सत्य से परिचित हो जाएगा । सत्य, जो कि साध्य है, अहिंसात्मक है, अतः इस सत्य को प्राप्त करने के साधन भी अहिंसात्मक होने चाहिए । गांधी-दर्शन का एक मुख्य सिद्धान्त साध्य-साधन सामंजस्य है ।

गांधीजी का सर्वोदय सिद्धान्त और बौद्धिक का उपयोगितावादी सिद्धान्त पूर्णतः भिन्न है । उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य को वह कार्य करने चाहिए जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित हो । गांधीजी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते हैं । उनके अनुसार उपयोगितावाद एक हृदयहीन सिद्धान्त है, जो कि ५१ प्रतिशत के लाभ के लिए ४६ प्रतिशत की बलि दे सकता है । किन्तु सर्वोदय और उपयोगितावाद मे उस सीमा तक साम्य है, जहाँ तक कि अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित करने का प्रश्न है; किन्तु इस सीमा के पश्चात् उन दोनों में कोई साम्य नहीं है । किसी भी गांधीवादी के लिए एकमात्र ध्येय सब

की मलाई ही हो सकती है। और उन ध्येय को प्राप्त करने के लिए वह अपना बलिदान तक दे सकता है, किन्तु कोई भी उपयोगितावादी इस नीमा तक जाने के लिए तैयार नहीं होगा।

इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाये जाएं वे ध्येय के अनुकूल ही होने चाहिए। एक श्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साधनों की आवश्यकता है। गांधीजी इस प्रापृत्तिक राजनीति-विद्वान्त में विश्वास नहीं रखते थे कि श्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के साधन उचित हैं। न वे साम्यवादी, फामिस्ट और गंभीर हैं। विचारवागमियों के मानने वालों से महत्तर है कि हिंसा और बपट आदि अनैतिक साधन भी उचित हैं, यदि वे हमें अपने साध्य को प्राप्त करने में सहायक हों। गांधीजी के लिए साध्य और साधन में कोई अन्तर नहीं है। उनके अनुसार नैतिक और उत्तम ध्येय का हम सभी प्राप्त कर सकेंगे जबकि हमारे साधन भी नैतिक और उत्तम होंगे। साधनों की विगुदता उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और यह रहना भी अनिश्चयतापूर्ण नहीं होगा कि उनके लिए साधन ही सर्वस्व है। उन्होंने लिखा है कि यदि हम साधनों का ध्यान रखें तो साध्य स्वयं ठीक होगा। दूसरे साधनों के प्रयोग से यह सम्भव है कि हमें कमी-कमी शीघ्र सफलता मिल जाय, किन्तु यह सफलता क्षणिक होगी। हिंसा, बपट और इसी प्रकार अन्य नैतिकविपरिचयन साधन कुछ समय के लिए भले ही मृत्यु और व्याप पर विजय पा जाएं, किन्तु इन साधनों द्वारा प्राप्त सफलता अस्थायी होगी और ऐसी सफलता का अन्त संदेह दुःसदाई ही होगा। स्थायी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम साधनों को अधिक से अधिक महत्त्व दें और विगुद साधन ही अपनाएँ।

गांधीजी के लिए अहिंसा का अर्थ दूसरों को खान बूझकर क्रिया प्रकार से हानि न पहुँचाना, दूसरों की सेवा इस उद्देश्य से करना कि सब लोगों का अधिकतम हित हो और प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं कष्ट सहकर भी अन्याय का विरोध करना है। अन्याय का विरोध हिंसा या अन्याय के द्वारा नहीं होना चाहिए बल्कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा होना चाहिए। अहिंसा आत्मानुभूति के लिए आवश्यक है। आत्मानुभूति और आत्मशुद्धि के लिए गांधीजी नैतिक-अनुशासन को आवश्यक समझते हैं। बिना नैतिक-अनुशासन के न तो आत्मानुभूति ही सम्भव है और न आत्मशुद्धि ही। चूंकि आत्मशुद्धि और आत्मानुभूति व्यक्ति के नैतिक पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है, इसलिए नैतिक अनुशासन ही व्यक्ति के पुनरुत्थान के लिए एक आवश्यक साधन है। ऐसे कियों भी समाज में, जिनके अधिकतर व्यक्ति नैतिक अनुशासन के द्वारा अपना पुनरुत्थान करने में सफल हों, उस समाज में स्वयं ही पुनरुत्थान हो जाएगा। गांधीजी नैतिक अनुशासन को सामाजिक पुनरुत्थान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण और एक वर्ग-विहीन और राज्य-विहीन प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए आवश्यक साधन समझते हैं।

नैतिक अनुशासन के मुख्य सिद्धान्त गांधीजी की मौलिक देन नहीं हैं। हमारे धर्म शास्त्र हज़ारों वर्षों से व्यक्ति के नैतिक विश्वास के लिए इन साधनों को आवश्यक बतलाते आये हैं। किन्तु गांधीजी और धर्मशास्त्रों के उपदेशों में इतना अन्तर है कि गांधीजी इन सिद्धांतों का प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक जीवन को व्यतीत करते हुए भी संभव समझते थे। वे इनका प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए करना चाहते थे। इस नैतिक अनुशासन के मुख्य सिद्धान्त ये हैं —

(क) प्रत्येक परिस्थिति में सत्य का पालन करना।

(ख) प्रत्येक परिस्थिति में, जहाँ तक संभव हो, अहिंसा का पालन करना।

(ग) अस्तेय—इसका अर्थ है कि उसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा न करना, जो कि व्यक्ति की अपनी नहीं है और किसी भी प्रकार से दूसरों का शोषण न करना।

(घ) अपरिग्रह—इसका अर्थ सब सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं है और न समाज को छोड़ कर संन्यास ग्रहण करने का ही है, बल्कि उन सब अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करने का है, जो कि व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं और सांसारिक वस्तुओं को पाने और एकत्रित करने की प्रवृत्ति का भी त्याग करना है। यदि किसी व्यक्ति के पास में आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ हैं तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को इन वस्तुओं से वंचित करता है। हमें इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर दें।

(ङ) ब्रह्मचर्य—इसका अर्थ है अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। और अन्त में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना, विशेषकर उन कर्तव्यों को, जो कि समय और स्थान के अनुसार सर्वप्रथम हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो कि नैतिक अनुशासन का पालन करेगा, वह अहिंसा की ओर अग्रसर होने में सफल होगा; और ऐसा व्यक्ति समाज में सुख और सामंजस्य के लिए प्रयत्न करेगा। वह एक गांधीवादी सैनिक होगा, जिसका उद्देश्य एक नैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान को प्राप्त करना, और एक ऐसे समाज की स्थापना करना, जिसमें 'अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक भला' होने के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत किया गया हो। ऐसे समाज में संघर्ष नहीं होंगे और इसलिए किसी भी प्रकार के तनाव न तो व्यक्तियों के बीच में और न व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के बीच में ही होंगे। ऐसे समाज में किसी भी कानूनी, राजनैतिक और सामाजिक सत्ता की आवश्यकता नहीं रहेगी, और जीवन आदर्श एवं शान्तिपूर्ण होगा। वर्ग-

विहीन और राज्यविहीन प्रजातन्त्र दली समाज से स्थापित हो सकता है, जिसमें कि अधिकांश व्यक्ति इस नैतिक अनुशासन को मानने लगे और जिसमें प्रान्तरिक नैतिक निर्देशों का विकास हो चुका हो। बिना इन प्रान्तरिक निर्देशों के यह सम्भव नहीं है कि कोई भी समाज वाह्य शक्ति निर्देशों का धन्त पर लगे। इसलिए हमारे मतानुसार गांधी जी का राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज का आदर्श भावर्म के आदर्श की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक और सम्भव है।

गांधी दर्शन के सामाजिक आदर्श दो प्रकार के हैं। निष्ठात्मक दृष्टि से गांधी दर्शन का उद्देश्य हिंसा, हर प्रकार के शोषण, अन्याय और मजदूरी का धन्त करना है। इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाएं वे अहिंसात्मक होने चाहिये। सक्रिय रूप से गांधी दर्शन का उद्देश्य एक वर्गविहीन और राज्यविहीन प्रजातन्त्र की स्थापना है जिसका आधार ऐन्द्रिक सहयोग और अधिक से अधिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। गांधीजी शक्ति को एक हानिकारक बस्तु समझते हैं। वह इस सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत हैं कि शक्ति झूट करती है और धर्मीय शक्ति धर्मी-मित रूप से झूट करती है। इस कारण से वह शक्ति का धीरे धीरे विकेंद्रीकरण उस सीमा तक करना चाहते हैं कि शक्ति की हानिकारक प्रवृत्ति न्यूनतम हो जाय। वह यह समझते हैं कि शक्ति का पूर्णरूप से उन्मूलन असम्भव है, किन्तु इसका अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण, जो कि इसकी निर्दोष बना दे, सम्भव है।

गांधी जी ने हमारे समय एक सर्वोत्तमोत्तरी और पूर्ण राष्ट्र निर्माण का रचनात्मक कार्य प्रारम्भ किया है। उनके अनुसार इस कार्यक्रम का पालन करने से उनके सामाजिक आदर्शों को स्थापित करने में व्यक्ति सफल होगा। उन्होंने अछूतोद्धार पर और चर्चे के उपयोग पर बहुत अधिक जोर दिया है। अछूतोद्धार उनकी सामाजिक समता के सिद्धान्त का प्रतीक है और हर प्रकार के सामाजिक शोषण को रोकने का भी प्रतीक है। चर्चा उनकी आर्थिक समानता का और एक नयी आर्थिक व्यवस्था, जिसमें कि अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, का प्रतीक है। गांधीजी अधिक से अधिक सामाजिक एवं राजनीतिक समता में विश्वास रखते हैं। उनके रचनात्मक कार्यक्रम के मुख्य विषय यह हैं—साम्प्रदायिक एकता; अछूतोद्धार; खादी और दूसरे प्राथम उद्योगों जैसे कि चमकी पीमना, घान कृटना, गाबुन, बागल, तथा माचिस बनाना, चमटे की बुनाई, तेल निष्कालना, इत्यादि का विकास; पूर्ण शराब बन्दी, ग्राम स्वास्थ्य सफाई, प्रौढ शिक्षा; महिलाओं का उत्थान, स्वास्थ्य और सफाई के सिद्धान्तों की शिक्षा, प्राथमिक भाषा और साहित्य का विकास, तथा साथ ही गांधी हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में विकास, अधिक से अधिक आर्थिक समता, विमान, मजदूर और आदिवासियों का उत्थान; शिक्षाविदों के लिए रचनात्मक कार्य-

प्रथम जैसे राजनीतिक दल और राजनीतिक हठवालों से दूर रहना, गूत बातना, तादी का उपयोग, हरिजनो की भलाई, समाज-सेवा और चरित्र निर्माण । बाद में उन्होंने सेती और पालतू जानवरों की नसल में सुधार करने का विषय भी अपने रचनात्मक कार्य क्रम रखा लिया ।

सर्वोदय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का दर्शन है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को वह कार्य और स्थान दिया जायगा, जिसके लिए वह उपयुक्त है एवं जिसमें व्यक्ति अपने समाज की सेवा के लिए कार्य करेगा, न कि अपने निजी लाभ के लिए । अपरिग्रह और शारीरिक श्रम के द्वारा ही भोजन प्राप्त करने का सिद्धांत उस समाज में हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा का अन्त कर देगा । ऐसे समाज में उत्पादन का केन्द्रीयकरण और बड़ी-बड़ी मशीनों के प्रयोग का अन्त हो जायेगा । उत्पादन का केन्द्रीयकरण आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण है । और इस केन्द्रीयकरण से आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है । गांधी जी आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवादी है । परन्तु उनका व्यक्तिवाद, पाश्चात्य व्यक्तिवाद जो कि भौतिक सुखवाद के दर्शन पर आधारित है, से सर्वथा भिन्न है । साधारणतः यह माना जाता है कि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के विरोधी थे और वे किसी भी प्रकार के औद्योगिक विकास या अन्वेषण को नहीं चाहते थे । किन्तु यह सत्य नहीं है । वह औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान को समाज के आर्थिक विकास और उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे, जहां तक कि सहयोगी समुदायों की आर्थिक निर्भरता के लिए वे सहायक थे । किन्तु वे उनको केन्द्रीकृत उत्पादनों के साधनों के रूप में बुरा समझते थे । उनके अनुसार आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का विकास केवल कृषि और घरेलू उद्योग के आधार पर ही हो सकता है । वे उन यन्त्रों के विरुद्ध नहीं थे जो कि व्यक्ति के भार को हल्का करते हैं और आवश्यक मानवीय श्रम को विस्थापित नहीं करते हैं, जो कि परलता से कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित किये जा सकते हैं । महा पर मह स्मरण रहे कि गांधी जी मशीनों को श्रम के बचाने का साधन नहीं मानते थे । हमारी इस औद्योगिक पूंजीवादी सभ्यता की सबसे बड़ी देन यह है कि हमने व्यक्तियों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया है । और इस कारण बेकारी और भुलमरी भी है और इसी कारण हम इस युग में जहाँ एक ओर अत्यधिक सम्पन्नता पाते हैं वहाँ दूसरी ओर हम अत्यधिक निर्धनता एवं असंतोष भी पाते हैं । नैतिक दृष्टिकोण से—और गांधी जी का दृष्टिकोण विशेषतः नैतिक ही है—मशीनें व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं । मशीन मानवता की सेवा में केवल एक यन्त्र मात्र होनी चाहिए । किसी भी परिस्थिति में मशीन को हम अपना स्वामी नहीं बना सकते और न उसे मानवता को लुप्त करने का ही एक साधन बना सकते हैं । गांधी जी ने लिखा है कि वे मशीनों का विरोध कैसे कर सकते हैं, जबकि यह मानवीय शरीर धारण किए हुए हैं, जोकि

हम एक पूर्ण मान्य है। उनका विराम है कि प्रतीक रूप में उत्पादन की व्यवस्था में केन्द्रीकरण करने और व्यक्ति की व्यक्ति शक्ति में मजबूत करने मान्यता का विनाश कर दिया है। वह यह चाहते हैं कि व्यक्ति व्यवस्था फिर उसी सम्प्रदायीन रूप में प्राप्त हो जाए, जिस कि व्यक्तिवादी उत्पादन और व्यक्तिवादी का सिद्धांत था। ऐसी उत्पादन व्यवस्था में व्यक्ति से अधिक व्यक्ति विवेकीकरण संभव होगा। और यह उत्पादन व्यवस्था हर प्रकार के व्यक्ति कोषण का प्रत्येक रूप में और पूर्ण व्यक्ति सामग्री स्थापित करने में सफल होगी। औद्योगिक शक्ति के कारण समुदाय पूर्ण व्यक्ति कोषण और व्यक्ति शक्ति का कार्य से कार्य व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रीकरण हुआ है। मानस रूप कोषण को दूर करने के लिए यह चाहता है कि व्यक्ति शक्ति समाज के हाथ में हो और यह व्यक्ति समाज को सर्वोपरि वर्ग के अधिनायक रूप द्वारा ही मिलेगी। किन्तु गांधी जी व्यक्ति शक्ति का इतना अधिक विवेकीकरण चाहते हैं कि उसके कोषण करने की शक्ति समाप्त हो जाये। सर्वोपरि का उद्देश्य है—व्यक्ति से अधिक सामाजिक गुण-और यह माधुनिक पूर्वीवादी व्यवस्था में सम्भव नहीं है। डा० गोपीनाथ मदन के अनुसार—सर्वोपरि सर्वोपरि का वैयक्तिकरण द्वारा मानवीकरण करता है।

राजनीति राज्य स्वभावतः शक्ति के वितरण से सम्बन्धित है। राज्य के पास हिता और धार्मिकता का बाह्य प्रत्येक ही है, हिता राज्य की प्रकृति की धार्मिकता और कोषणायन बनाती है। यह स्वयं रूप से कार्य करने शक्ति को सीमित करती है और शक्ति प्रत्येक शक्ति और व्यक्ति के व्यक्ति के विकास में बाधक है। वर्ग व्यवस्था राज्य के साथ संबंध नहीं है और राज्य सत्ता में अपने समस्त इतिहास में कभी भी निर्वर्ण का कार्य नहीं किया है। यह सर्वेक व्यक्तियों के हाथ में एक कोषणायनक रूप प्राप्त नहीं है, जिनके पास व्यक्ति शक्ति थी। एक साम्यवादी राज्य में भी नहीं कि व्यक्ति विवेकीकरण बहुत कुछ मजबूत हो चुकी है, क्योंकि यह अतिरिक्त मजबूत नहीं होता। साम्यवादी समाज में भी दो वर्ग होते हैं—सामक और शक्ति।

गांधी जी राजनीति को शक्ति से सर्वथा भिन्न करना चाहते हैं। वे शक्ति साम्यवादी से मुक्त करते हैं और एक नये प्रकार की स्थापना करते हैं; जिसको हम डॉ० मदन के मध्य में—'व्यवस्थापक राजनीति' (Goodness Politics) कह सकते हैं। इस व्यवस्था राजनीति की मुख्य समस्या एक ऐसी नयी सामाजिक व्यवस्था का विकास; जिसमें कि हिता और धार्मिकता के द्वारे राज्य के बाह्य प्रत्येक, जो कि साम्यवादी सामाजिक एकता और सामाजिक स्थापित के विषये मान्यता सम्पन्न करते हैं की मान्यता का न रहे और उनसे स्थान पर सर्वोपरि शक्तिायन और ऐसे ही साम्यवादी एवं बाह्य सामाजिक निर्देशों का निर्माण हो, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक एकता में साम्य स्थापित करने में सफल हो। हम एक बात को उपर बता

चुके हैं कि वह तभी संभव होगा, जबकि किसी भी समाज का बहुमत नैतिक अनुशासन को अपना लेगा। बहुत से आलोचक इसको अव्यावहारिक, कोरा आदर्श, और ऐसे समाज की स्थापना असंभव समझते हैं किन्तु यह आदर्श ऐसा अवश्य है जिसके लिए व्यक्ति को भरसक प्रयत्न करना चाहिए। गांधी जी आदर्श को एक पूर्ण वस्तु मानते हैं और पूँ कि आदर्श एक पूर्ण वस्तु है; इसलिए अपूर्ण व्यक्ति उसको नहीं पा सकते। ऐसा कोई भी आदर्श, जिसको कि हम पा सकें, अपूर्ण होगा और गांधी जी के लिए आदर्श नहीं होगा।

व्यक्ति और समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन का अहिंसात्मक साधनों से पुनरुत्थान, शक्ति राजनीति का अन्त करने के लिए आवश्यक है। डॉ० धवन के अनुसार—'कल्याणकारी राजनीति आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों को एक नया रूप देती हैं। राज्य को अब तक हम अपने प्राप में एक साध्य मानते गए हैं किन्तु अब हम उसे अधिक से अधिक व्यक्तियों की अधिक से अधिक भलाई का एक साधन मानेंगे। राज्य का आदर्श जन-सेवा होना चाहिए और हम राज्य को संपूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्य के स्थान पर एक सेवा राज्य मानेंगे। शक्ति और सम्प्रभुता का एकमात्र उद्देश्य समाज का नैतिक पुनरुत्थान करना होगा। स्वतन्त्रता का अर्थ अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की स्वतन्त्रता है। समता का अर्थ समस्त व्यक्तियों को आध्यात्मिक एकता से है। इच्छा, विश्वास पर आधारित होनी चाहिए, न कि मनो-वैज्ञानिक शोषण के उपायों द्वारा या शक्ति के भय से ली गई हो। कानून, सार्व-भौमिक सिद्धान्तों का विशेष परिस्थितियों में प्रयोग हो न कि किसी प्रभु की इच्छा। राष्ट्रीयता का आधार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और रचनात्मक होनी चाहिए न कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं सैनिकवाद। राजनीति ज्ञान पर आधारित होनी चाहिये।'

गांधी जी आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों का इस प्रकार एक नया अर्थ देते हैं। उनकी सबसे बड़ी देन राज्य की प्रकृति के विषय में है। वह राज्य को एक आदेशात्मक संस्था नहीं मानते न उसको संपूर्ण प्रभुता सम्पन्न संस्था ही मानते हैं। किन्तु उनके अनुसार राज्य जनता का एक सेवक मात्र है।

लॉयडज फील्डिंग गांधीजी के आदर्श और चरित्र के सम्बन्ध में कहता है, "गांधी जी गतिशील हैं न कि स्थायी। वह भारत के डूबे हुए और अपरिवर्तनशील सार्वभौमिक व्यक्तियों के अर्थरक्षक विचारों का अद्भुत कृष्ण शीमा रक्त प्रतिनिधित्व एवं मार्गदर्शन करते हैं और उनकी आत्माओं के लिए भौतिकवाद एवं आध्यात्मवाद के बीच दीड शुरु हो गई। गांधी जी शक्ति, ऐश्वर्य, आक्रमण, और शोचनीकरण से दृढ़ शत्रु हैं। वह प्रेम के सिद्धान्त के सबसे बड़े जीवित व्याख्याकार हैं।"

प्रतिवाग्न प्राप्तोक्त गांधी जी के भादशों और दर्शन की अव्यावहारिक मानते हैं। वह गांधी दर्शन को बाल्पनिक और आध्यात्मिक मानते हैं, जोकि साधारण व्यक्तियों द्वारा कार्यरूप में नहीं लाया जा सकता। किन्तु हमारे पास पर्याप्त समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक प्रमाण है, जिनसे यह सिद्ध हो सकता है कि इतिहासत्मक व्यक्ति पूर्ण रूपसे सांघीरिक और मानसिक दृष्टि से एक साधारण व्यक्ति ही होता है। मानव स्वभाव में अपने आपको परिवर्तन करने की पर्याप्त शक्ति है और कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को इतिहासत्मक बना सकने में सफल हो सकता है। इतना हम अवश्य बहेगे कि इस अस्तु-युग में गांधी जी का बताया हुआ मार्ग ही सबसे उचित मार्ग है।

गांधी जी ने अपने वर्गविहीन और राज्यविहीन प्रजातन्त्रीय भादशों के सम्बन्ध में कुछ मौलिक विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार ऐसा भादश अव्यावहारिक है, क्योंकि यह पूर्ण भादश है, इसलिए इमका अव्यावहारिक होना तार्किक ही है। उनके अनुसार यह एक ऐसा ध्येय है जो कि प्रयत्न करने योग्य है। कोई भी व्यक्ति या समाज जितना इस ध्येय के समीप पहुंचेगा उतना ही वह पूर्णता के समीप भी होगा। उन्होंने लिखा है, 'ऐसा राज्य में (जिसमें प्रजाजकता होगी) प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शासक है, वह अपना शासन इस प्रकार करता है कि वह अपने पड़ोसी के मार्ग में बाधक नहीं होगा, इसलिए भादश राज्य में कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि कोई भी राज्य नहीं होगा।' कुछ वर्षों पश्चात् उन्होंने अपने भादशों प्रजातन्त्र की धारों और व्याख्या की है। "इतिहास पर आधारित समाज ग्रामों में बसे हुए समुदायों का बना हुआ होगा और उनमें सम्मानपूर्वक और शान्ति पूर्वक अस्तित्व के लिए ऐच्छिक सहयोग एक आवश्यक दशा होगी।" धारों उन्होंने अपने इस भादशों प्रजातन्त्र के सरघात्मक ढांचे की व्याख्या करते हुए कहा, "हर ग्राम एक गणतन्त्र होगा या एक पूर्ण अतिशयानी संघायत होगी। इसलिए प्रत्येक ग्राम धारम निर्भर होगा और अपने धारों की स्वयं गम्हालने के योग्य होगा। यहाँ तक कि सारे विश्व के विशद अपनी रक्षा करने के लिए भी समर्थ होगा। उसको बाल्य धारमण से अपनी रक्षा करते हुए नष्ट हो जाने के लिए तैयार किया जायगा और मिथा दी जायगी। अन्तिम रूप से व्यक्ति ही इकाई होगा, किन्तु इमका यह धर्य नहीं है कि पड़ोसियों से या विश्व के दूररे प्राणों से निर्भरता या महायता की अवश्यवगा नहीं पड़ेगी। ऐसा समाज अवश्यवक रूप से सुसारवृत्तिक होगा और उसमें प्रत्येक पुरुष और महिला को अपना ध्येय मानूँ रहेगा एवं वह भी रहेगा कि उन्हें किसी भी भी ऐसी कोई वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो कि दूररे को भी वरावर धम करने पर प्राप्त न हो सके।

"इस ढांचे में, जो कि अगल्य ग्रामों का बना हुआ होगा, जीवन का स्वरूप एवं विरागिद के प्रकार वही न होगा, जिसमें कि शिपर तले के उपर

आधारित होती है। किन्तु इसमें हर व्यक्ति ग्राम के लिए, ग्राम-ग्रामो के एक समूह के लिए बलि देने को तैयार होगा, जब तक कि सब व्यक्ति एक ही जीवन के सूत्र में न बँध जायें। सबसे बाहरी परिधि शक्ति का प्रयोग आन्तरिक परिधियों को नष्ट करने में नहीं करेगी, किन्तु अपने भीतर सबको शक्ति देने में और उनसे शक्ति प्राप्त करने में करेगी।”

ऐसे ग्रामों में, जो कि गांधी जी की राज्याविहीन प्रजातन्त्र की इकाई होगा, पूर्ण प्रजातन्त्र होगा और इसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। गांधी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है :—

“व्यक्ति अपनी सरकार का स्वयं निर्माता है। अहिंसा का नियम उसका और उसको सरकार का शासन करेगा। वह और उसका ग्राम विश्व की सारी शक्ति से लोहा ले सकेगा। क्योंकि हर ग्राम निवासी इस कानून से शासित होगा और उसे अपनी और अपने ग्राम की सम्मान रक्षा के लिए जीवन तक दे देना है।” यह प्रजातन्त्र पूर्णरूप से विकेन्द्रित होगा। गांधीजी के अनुसार, “केन्द्रीयकरण की व्यवस्था समाज के अहिंसात्मक ढाँचे से मेल नहीं खा सकती।” और आगे, “मेरे विचार से यदि भारत को अहिंसात्मक मार्ग से विकास करना है तो उसे बहुत से क्षेत्रों में विकेन्द्रीयकरण अपनाना होगा। केन्द्रीयकरण का अस्तित्व और रक्षा शक्ति के बिना नहीं हो सकती।”

राज्य विहीन प्रजातन्त्र ग्रामों का एक ऐच्छिक सघ होगा। ये ग्राम अपने अस्तित्व और उन्नति के लिए आपस में सहयोग करेंगे। गांधी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है :—

“इस चित्र में प्रत्येक घर्म का पूर्ण और समान स्थान होगा। हम सब एक महावृक्ष के पत्ते हैं जिसका तना अपनी जड़ों से नहीं टिनाया जा सकता, जो कि पृथ्वी में बहुत नीचे तक जमी हुई है। शक्तिशाली से शक्तिशाली गांधी भी इनको नहीं हिला सकती।”

“इसमें उन यन्त्रों का कोई स्थान नहीं जो कि मानवीय श्रम को विस्थापित करते हैं और जो शक्ति का कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रीयकरण करेंगे। किसी भी सुसंस्कृत मानव परिवार में श्रम का अपूर्व स्थान है, हर यन्त्र जो कि प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करता है, उसका तो स्थान है, किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने कभी इस सम्बन्ध में नहीं सोचा कि वह ऐसा कौन सा यन्त्र हो सकता है। मैंने (सिगर) सीने की मशीन के विषय में सोचा है, किन्तु वह भी अनावश्यक है। इस चित्र को पूर्ण करने में मुझे उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।”

गांधीजी ने अपने अहिंसात्मक राज्य के सत्यात्मक ढांचे की स्पष्ट रूपरेखा नहीं दी है। उन्होंने कभी इस सम्बन्ध में विशेष चिन्ता नहीं की कि अहिंसात्मक राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का क्या स्वरूप होगा। यह कभी किसी थोड़क सीमाओं के कारण नहीं रही, परन्तु उनका यह विश्वास था कि किसी भी सत्याग्रही को कल्पना के छोटे दोड़ाने में अपना समय और शक्ति व्यय नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे अपने हाथ से कार्य करने में और समय, स्थानानुसार अपने आवश्यक कृत्यों के करने में बाधा पड़ेगी और अपने ध्येय की ओर अग्रसर होने में यह एक बहुत बड़ी बाधा होगी। गांधी जी ने कहा, "सत्याग्रह विज्ञान की प्रकृति उसके विद्यार्थी को अपने कदम रखने से पूर्व प्राये देखने से वंचित करती है।" इसलिए हम नयी व्यवस्था की ओर सत्याग्रही एक-एक कदम बढ़ाते हुए अग्रसर होगा। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा दृष्टिकोण एक सच्चे वैज्ञानिक का ही हो सकता है। इसलिए यह कहना किसी भ्रम तक ठीक होगा कि गांधीवाद, वाद न होकर, केवल विचारधारा मात्र है और यदि ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप हममें समय समय पर परिवर्तन होने रहे तो हमें यह धीरोगिक क्रान्ति के दुष्परिणामों तथा सामाजिक नैतिक पुनरुत्थान के मयार्थ प्राधारों को देने में समर्थ हो सकती है। यदि हम हममें से, विभिन्न भारतीय पृष्ठभूमि एवं अनुभवों के कारण जो एकपक्षीयता या गर्द है, उसे दूर कर मूलभूत प्राधारों पर समकालीन परिस्थितियों के अनुसार पुनः विचार करें तो अपेक्षाकृत मानवीय समस्याओं को सही प्रकार से सुलभाने में समर्थ होंगे।

माक्स और गांधी

~~ऊपर~~ माक्स और महात्मा गांधी १९वीं तथा २०वीं शताब्दी के दो महान् सामाजिक शिल्पकार हैं। दोनों ने एक नई व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न किया है। उनके क्रान्तिकारी सिद्धान्तों ने करोड़ों व्यक्तियों को विभिन्न देशों में प्रभावित तथा प्रोत्साहित किया है। यह सत्य है कि उनके वर्गविहीन और राज्यविहीन आदर्शों को पाने के मार्ग प्रथक-प्रथक हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि उनके दार्शनिक नैतिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी सर्वथा भिन्न हैं। किन्तु, यद्यपि वह पृथक मार्गों पर अग्रसर होते हैं फिर भी वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का उनका ध्येय समान है। बहुत से व्यक्ति इससे सम्भवतः सहमत न हो, उदाहरणतः विनोबा भावे कहते हैं:—

“दो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से इतने समान थे कि राजनीतिक प्रपञ्च में एक के स्थान पर दूसरा कार्य चला सकता था। किन्तु दोनों में थोड़ी सी भिन्नता भी थी। एक साँस लेता था किन्तु दूसरा नहीं। इसके फलस्वरूप एक के लिए भोजन तैयार हो रहा था और दूसरे के लिए कफन। इन दोनों विचारधाराओं के बीच में समानता अहिंसा की छोटी सी भिन्नता की छोड़ कर भी ऐसे ही ऊपर वाले दूसरे व्यक्तियों की समानता है।”

(प्रस्तावना, 'गांधी और माक्स' मश्रुवाला पृष्ठ १७)

किन्तु हमारे विचार से ऐसी आलोचना किसी सीमा तक सही नहीं है। ऐसी तुलना सर्वत्र ऊपर की तुलना होगी। इन दोनों विचारधाराओं की तुलना करने से पूर्व हमें उनके आधार, उनके साधन और साध्य का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ इन दोनों दार्शनिकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

इन दोनों दार्शनिकों ने दुर्बल, पददलित और शोषित वर्गों की समस्या के ऊपर अधिक ध्यान दिया है। इनके चरित्र की महानता इस बात में पूर्णरूपेण सिद्ध होती है कि इन्होंने अपना घर, समाज में अपना स्थान और अन्य भौतिक महत्वाकांक्षाओं को अपने सिद्धान्त के लिए तिलाञ्जलि दी और इन्होंने अपने ध्येय को पाने

के लिए अपने सारे जीवन का बलिदान दे दिया। दोनों अन्तरे मध्यमवर्गीय परिवारों में पैदा हुए थे। दोनों को अपने बाल्यकाल और युवावस्था में निर्धनता या अभाव के कारण कष्ट नहीं उठाना पड़ा था। दोनों ने अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं और एक सुखी जीवन को त्याग कर प्रत्येक प्रकार के शोषण का विरोध करने तथा उसे समाप्त करने में गाँव जीवन बलिदान किया। उन्होंने हर प्रकार के शोषण का चाहे वह धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार क्यों न हो; सदैव विरोध किया।

जबसे मानव इतिहास का उन्मूलन हुआ है तब से हम राज्य को सदैव एक राजनीतिक संगठन के रूप में पाते हैं। राज्य अपने सारे जीवन के लिए सदैव एक शक्ति की इकाई रहा है और सदैव इस शक्ति का धान्तरिक और वैदेशिक क्षेत्रों में प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए हुआ है जिनके हाथ में यह राज्य का संचालन रहा है चाहे वह राजा हो या कुलीन वर्ग, अल्प जनतन्त्र हो अथवा धार्मिक अन्धत्व की एक धार्मिक वर्ग, प्रत्येक ने इस राज्य शक्ति का प्रयोग अपने हित में किया है। बाले-नाकमों के लिए राज्य एक वर्ग राज्य है और इसलिए राज्य की शक्ति और उस शक्ति का प्रयोग वर्ग की शक्ति है और वर्ग हित में है। मानव राज्य को एक शक्ति का यन्त्र मानना है वह चाहता है कि इस शक्ति के यन्त्र का सर्वद्वारा वर्ग किसी भी साधन द्वारा अपने हाथ में करे। यह साधन चाहे वैधानिक हो या अविधानिक, प्रहिंसात्मक हो या हिंसात्मक सर्वद्वारा वर्ग इस शक्ति के यन्त्र का प्रयोग नहीं वर्गविहीन और राज्य विहीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए करेगा। इस नयी सामाजिक व्यवस्था में सर्वसौमिक समाज और सर्वसौमिक अनादृत्य होगा। और इसमें प्रत्येक का स्वतन्त्र रूप में विकास, सबके स्वतन्त्र विकास के लिए एक आवश्यक बस्तु होगा। इस नयी धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण समता स्थापित करने के लिए मानवों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी शोषण के अनुसार समाज को बाँट करके देगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज में बाँटा।

शक्ति सृष्ट करती है और समीपित शक्ति समीपित रूप से सृष्ट करती है, क्योंकि शक्ति का मुक्त सदैव निरनुकूलता की ओर रहा है! सर्वद्वारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र एक अमूर्तपूर्व शक्ति का केन्द्रीयकरण होगा। समाज की समस्त सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्ति सर्वद्वारा वर्ग के वृद्ध अल्प नेताओं के हाथ में होगी। राज्य समस्त शक्ति की एक मात्र इकाई होगी। राज्य ही एक मात्र नियुक्त करने वाला तथा उत्पादन के साधनों का एकमात्र स्वामी होगा। इस अधिनायकतन्त्र में राजनीतिक और धार्मिक शक्ति का पूर्ण सम्मिश्रण होगा। और इसी सम्मिश्रण के द्वारा राज्य के हाथ में एक अमूर्तपूर्व शक्ति का केन्द्रीयकरण हो जायगा। ऐसा राज्य अत्यधिक शक्तिशाली होगा। और इस प्रकार यह अधिनायकतन्त्र समाप्त होकर एक वर्गविहीन व

राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। यह समझना अत्यन्त ही बठिन है। किन्तु ऐसे राज्य को समाप्त करने की समस्या वा दून सरलता से निकलने वाला नहीं है।

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र एकदलीय राज्य होगा। चूँकि वर्ग-सघर्ष का अन्त होने के पश्चात् केवल एक ही वर्ग रह जायगा, और उस वर्ग का केवल एक ही हित होगा इसलिए उस हित का प्रतिनिधित्व केवल एक ही दल कर सकता है। इसलिए मार्क्स और दूसरे साम्यवादी विचारक सर्वहारावर्ग के अधिनायकतन्त्र के एकदलीय राज्य होने को ठीक समझते हैं। किन्तु एक-दलीय राज्य आलाचना और भिन्नता को सहन नहीं कर सकता। ऐसा राज्य चाहता है कि समस्त जनता उसके वह अनु-सार चले और उसकी नीति विचार और दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हो। ऐसे राज्य में जीवन सैनिक श्रम की तरह होगा, इसमें विचारों पर कड़ा नियंत्रण होगा। और यह कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अत्यन्त बाधक होंगे। विचारों और व्यवहार की एकरूपता ऐसे राज्य का मुख्य लक्षण होता है। ऐसे राज्य में व्यक्ति यन्त्रवत् हो जायेंगे और उनकी सृजन शक्ति का अन्त हो जायेगा। इतिहास का अनुभव हमें यह बताता है कि उन्नति के लिए और विशेषकर विचारों की उन्नति के लिए भिन्नता, न कि, एकरूपता आवश्यक है। यदि हम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमें भिन्नता और सनकीपन को सहन करना ही होगा। क्योंकि यह सत्य को पाने में सहायक है। हमें कम से कम भिन्नता के लिए सहमत होना होगा।

उत्पत्तिक व आर्थिक शक्ति के इस जबरदस्त केन्द्रीयकरण के साथ व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सामंजस्य बनाने का प्रयत्न एक ऐसी समस्या है जिसका हल सरलतापूर्वक नहीं मिल सकता। जब तक राज्य शक्ति की इकाई रहेगा तब तक राज्य सामाजिक संगठन का शक्ति स्त्री यन्त्र रहेगा, तब तक इस यन्त्र को प्रयोग करने वाले अपने आपसे एक वर्ग में संगठित रहेंगे और तब तक वर्ग सघर्ष के अन्त की आशा करना व्यर्थ है। जब तक राज्य रहेगा तब तक वर्ग-सघर्ष आवश्यक रहेगा। वर्ग-सघर्ष का अन्त करने के लिए राज्य का अन्त करना आवश्यक है। वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हम शक्ति का उन्मूलन कर दें। किन्तु उन्मूलन करना सम्भव नहीं है इसलिए हमें शक्ति का उस सीमा तक विवेन्द्रीयकरण कर देना चाहिए जहाँ पर उसका आकर्षण समाप्त हो जाए। शक्ति का अन्तना स्वयं आकर्षण है। क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसी को दण्ड देने या पारितोषिक देने की क्षमता होगी। उसे दूसरों पर आधिपत्य जमाने का अवसर मिलता है, और यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शक्ति का केन्द्रीयकरण करने से यह उसी अनुपात में अधिक आकर्षण और अधिक हानिकारक हो जाती है। विवेन्द्रीयकरण करने से उसका आकर्षण कम होता जाता है और इसके शोषण और दुरुपयोग की क्षमता भी उन्नी अनुपात में कम हो जाती है।

युग यह वह सन्त है कि राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना, जो कि इन दोनों विचारों का ध्येय है, शक्ति के केन्द्रीयकरण के द्वारा ही की जा सकती। जहाँ कि माक्स सर्वहारावर्ग के अधिनायकत्व के रूप में शक्ति का प्रत्यक्ष केन्द्रीयकरण का प्रभाव हमारे समक्ष रहना है और यह धारणा बिलम्ब है कि निश्चितः राज्य का अन्त हो जाएगा और वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज की स्थापना हो सकेगी, वहा दूसरी धारणा जो भीधे केन्द्रीयकरण का प्रभाव हमारे सामने रखते हैं। वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज के आदर्शों की स्थापना के लिए गांधी जी का मार्ग अधिनायकत्व और तांत्रिक प्रतीत होता है। शक्ति का केन्द्रीयकरण मूलतः शान्तवर्गों को जन्म देगा और समाज का काम ही कम, शान्त और शांति वर्गों में विभाजन कर देगा। यह असम्भव सा प्रतीत होता है कि यह नया शांति वर्ग स्वच्छता से अपने स्वयं और शक्ति का त्याग कर देगा प्रथम वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के लिये प्रयत्न करेगा। ऐसा होना मानवीय प्रकृति के विरुद्ध होगा सोवियत गण की स्थापना में अब तक का इतिहास इस तथ्य को सिद्ध करता है कि सर्वहारावर्ग के अधिनायकत्व का एक मुख्य लक्षण शक्ति के लिए और प्रतिद्वन्द्वता और लक्ष्य रहा है। लेकिन की मृत्यु के परवाना टॉट्सको और स्टालिन के बीच में शक्ति के लिए जो लक्ष्य हुआ था और स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों के बीच में शक्ति के लिए जो लक्ष्य चल रहा है वह इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि सर्वहारावर्ग के नेताओं में भी शक्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है। इसके साथ ही जैसे जैसे शक्ति का केन्द्रीयकरण होगा जायेगा वैसा-वैसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र पर पीछे हटता जायेगा और राज्य के समुह उगता व्यक्तित्व लक्ष्य यह जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में एक राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना कम से कम तांत्रिक प्रतीत नहीं होती।

✓ औद्योगिक शक्ति के कारण आर्थिक और सामाजिक अनुत्पन्न को टोल करने का प्रयत्न माक्स और गांधी दोनों करते हैं। औद्योगिक शक्ति के पूर्व मध्यकाल में समाज का सामाजिक और आर्थिक स्वरूप का आधार व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत स्वायत्तीकरण था। उत्पादन की इस प्रणाली में व्यक्ति की मूल्य शक्ति का प्रत्यक्ष विकास सम्भव था। औद्योगिक शक्ति ने समाज के इस आर्थिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में व्यक्ति व्यक्ति भौषण नहीं था। यद्यपि उस आर्थिक व्यवस्था की अपनी युगात्मा है और कृषि के क्षेत्र में सामन्तों द्वारा प्रत्यक्ष शोषण भी था, किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में यह शोषण नहीं के बराबर था।

✓ औद्योगिक शक्ति ने एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण हुआ और साथ ही साथ धन का भी। इस व्यवस्था में सर्वहारावर्गों को, पूँजीवाद को और उसकी युगात्मा को जन्म दिया। उत्पादन के साधन व्यक्तिगत भौषण होते गये और यह समाज के एक बहुत

ही अल्प भाग के हाथ में आ गये। मशिनो ने आवश्यक मानवीय श्रम को विस्थापित कर दिया और मानवता को भूल बीमारी और गरीबी के कारण कष्ट सहने पड़े ताकि औद्योगिक क्रान्ति का यह गौरवपूर्ण यान्त्रिक विरास सम्भव हो सके। औद्योगिक क्रान्ति के इस काल में हमारे सामने एक विचित्र दशा है। जहाँ एक ओर हम अत्यधिक धन और वंश्व पाते हैं वहाँ दूसरी ओर हम अत्यधिक निर्धनता और कष्ट भी पाते हैं।

इस दशा को सुधारने के लिए और इसमें कोई सन्देह भी नहीं कि इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता थी, मार्क्स ने सामाजिक उत्पादन और सामाजिक उपभोग का सिद्धान्त हमारे समक्ष रखा अथवा कि औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन को व्यक्तिगत से सामाजिक बना दिया, किन्तु उपभोग व्यक्तिगत ही रहा। मध्यकालीन युग में यदि व्यक्तिगत उपभोग था तो व्यक्तिगत उत्पादन भी, किन्तु औद्योगिक क्रान्ति के युग में सामाजिक उत्पादन व होते हुए भी उपभोग व्यक्तिगत ही रहा। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था में सन्तुलन लाने के लिए हमारे समक्ष जो सुधार रखा है वह एक सीमा तक सही है। यदि उत्पादन सामाजिक है तो उपभोग भी सामाजिक ही होना चाहिए। किन्तु सामाजिक उपभोग तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज या उसके प्रतिनिधि राज्य के हाथ में न हो। इसलिए मार्क्स सवंहारा वर्गों को राज्य को अपने हाथ में रखने का राय देता है ताकि वह उत्पादन और उपभोग दोनों को सामाजिक बना सके।

दूसरी ओर गांधीजी, जहाँ तक सम्भव है, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग चाहते हैं। और जहाँ पर यह सम्भव नहीं है वहाँ वह योग्यता के समाजीकरण का सिद्धान्त हमारे समक्ष रखते हैं। यह भाषा की जाती है कि योग्यता का समाजीकरण हो जाने से, जिनमें धन के उत्पादन की योग्यता है, व अपने को समाज की धरोहर रखने वाले समझेंगे और उनके पास जो आवश्यकता से अधिक धन होगा उसे वे समाज की धरोहर समझेंगे। यदि वे लोग ऐसा करने से मना करें तो गांधीजी राष्ट्रीयकरण करने की भी सलाह देते हैं। किन्तु वे राष्ट्रीयकरण का अन्तिम बंदम पर काम में लाना होगा। कुछ झालोचक योग्यता के समाजीकरण के सिद्धान्त को अन्वयहारिक और हास्यास्पद समझते हैं। उनका यह कहना है कि पूँजीपति कभी भी अपनी पूँजी और साधनों को समाज की धरोहर नहीं समझेंगे। किन्तु हम उन झालोचकों को केवल यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में भी उत्पादन की इकाइयों के व्यवस्थापकों को उत्पादकों के साधनों को समाज की धरोहर के रूप में ही मानना होगा अर्थात् राज्य की शक्ति के न रहने पर कुछ समय बाद यह सम्भव है कि समाज में जो उत्पादन की इकाइयाँ उनके अधीन रखी हैं वे स्वयं उसी स्वामी बन जायेंगे और छोटे से श्रमिकों की सहायता लेकर फिर से एक नए रूप से शोषण और वर्ग सघर्ष आरम्भ करें। यद्यपि दोनों विचारक पूँजी

घोर मोपण ने विरुद्ध है, दोनों आधुनिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, दोनों ही एक नई व्यवस्था का निर्माण करते हैं, तथापि उन दोनों का दृष्टिकोण इस मवष में सर्वथा भिन्न है। इन दोनों विचारकों के बीच एक दूसरा महत्वपूर्ण अन्तर साध्य और साधन के विषय में है। गांधी जी के लिए साध्य और साधन के बीच में सामंजस्य होना आवश्यक है। एक श्रेष्ठ साध्य को पाने के लिए श्रेष्ठ साधनों का प्रयोग गांधीजी अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि गांधीजी के लिए साधन, साध्य में भी अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार यदि आप सही मार्ग का अपनावेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुँचेंगे उसी प्रकार सही साधनों का अपनावेंगे से साध्य अवश्य प्राप्त होगा। भक्तिपरवर्तित साधनों से यद्यपि सफलता प्राप्त भी है। यदि तो यह सफलता न तो स्थाई होगी और न पन्या-एवारी। इसका अन्त सदैव कष्टदायी होगा। इसलिए गांधीजी एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज को स्थापना के लिए केवल अहिंसा को ही उचित साधन मानते हैं। किन्तु मावस के लिए ऐसे साध्य और साधन में सामंजस्य की आवश्यकता नहीं है। उनसे अनुहार साध्य ही महत्वपूर्ण है और उनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। मावस इस समस्या पर अधिक विचार नहीं करते हैं। उनका लिए वह प्रत्येक साधन उचित है जो कि सर्वद्वारा वर्गों को राज्य की शक्ति प्राप्त करने में सहायता करेगा।

साधारणतः यह माना जाता है कि मावस हिंसा के प्रयोग पर बहुत अधिक महत्व देता है। मावस सामंजस्य परिवर्तन की गतिशीलता को तीव्र करने के लिए हिंसा का प्रयोग आवश्यक समझता है। ऐतिहासिक विभाग के नियमानुसार एक नये समाज का जन्म अवश्यम्भावी है और यदि हम नए युग को जन्म देने के लिए सर्वद्वारा वर्गों की शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो उसे हमने गंभीर नहीं करना चाहिए। वर्गों द्वारा वर्गों के द्वारा की गई हिंसा राज्य की स्थाई शोषण रूपा हिंसा को समाप्त करने में सफल होगी। हिंसा इस नए युग के जन्म में बड़ी कार्य करेगी जो कि दाई एक नए शिशु के जन्म के समान करती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह हिंसा नए समाज के जन्म में एक दाई का काम करेगी और इसके द्वारा प्रभव पीडा कम होगी।

साधारणतः यह भी कहा जाता है कि हम साम्यवाद से हिंसा को निकाल दें तो उनसे और गांधीवाद में कोई विशेष अन्तर नहीं रहेगा। किन्तु यह बस एक एक लोकोक्ति मात्र है। इन दोनों में अन्तर इसमें बड़ी गुना अधिक है और इन दोनों के बीच में बड़ी मूलभूत भिन्नताएँ हैं। गांधी जी आराम में विश्वास करते हैं। आतंजना के आध्यात्मिक एक्य में विश्वास करते हैं। वह ईश्वर एवं सत्य में विश्वास करते हैं उनका नैतिक धर्म में पूर्ण विश्वास है। वह नैतिक अनुशासन को शक्ति और समाज

के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक समझते हैं। और यह पुनरुत्थान वर्गबिहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। उनके लिए अहिंसा का मार्ग ही सबसे उचित मार्ग है। क्योंकि उनका यह विश्वास है कि हिंसा के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। वह हिंसा को एक ध्वसात्मक वस्तु समझते हैं और उनके साधन एवं साध्य सामन्तस्य सिद्धान्त के अनुसार एक ध्वसात्मक वस्तु के द्वारा कभी भी एक रचनात्मक साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा, हिंसा को जन्म देती है और इसका परिणाम सदैव सघप और तनाव होता है। यह जीवन के अन्तरिक और बाह्य सामन्तस्य को नष्ट कर देगी। यह एक शोषण का यन्त्र है। इसलिए हिंसा कभी भी, गांधीजी के अनुसार, हमें अपने साध्य तक नहीं पहुँचा सकेगी। साधनों का यह अन्तर इन दोनों विचारों में एक मध्यपूर्ण अन्तर है।

गांधी जी राजनीति और धर्म का सम्मिश्रण करना चाहते हैं और राजनीति को आध्यात्मिक आधार देना चाहते हैं। मार्क्स पूर्णतया भौतिक दृष्टिकोण को अपनाता है और धर्म में उसका कोई विश्वास नहीं है। वह धर्म को जनता के लिए भ्रमीय से उपमा देता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मार्क्स केवल धर्म के सासारिक बाह्य आडम्बर का विरोध करता है। वह धर्म को पुजारियों की शोषण की मनोवृत्ति के कारण बुरा समझता है। न तो उसने धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप की ओर ध्यान नहीं दिया है और न उसको आलोचना की है। उसने रूढ़िवादी नैतिकता की बड़ी आलोचना की है और उसे मध्यम वर्गीय आडम्बर बताया है।

गांधीजी कुछ मूलभूत जीवन की ऐसी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं जो कि अपरिवर्तनीय हैं किन्तु मार्क्स के लिए ऐसी कोई मान्यताएँ नहीं। समाज के किसी भी ऐतिहासिक युग में सस्थाएँ, विचार और मान्यताएँ उस युग की उत्पादन प्रणाली के अनुसार होंगी। उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उत्पादन प्रणाली मानवीय चेतना और विचारों को निश्चित करती है और समाज के सस्थापक दाँचे को मोड़ती है जिनमें परिवर्तनीय मान्यताओं का प्रश्न नहीं उठता।

यह दोनों दार्शनिक औद्योगिक क्रान्ति के द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं के सन्ध में अपने विचार हमारे समक्ष रखते हैं। यह दोनों एक ऐसे सार्वभौमिक समाज की कल्पना करते हैं जिसमें न हिंसा होगी और न शोषण जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी होंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्वय और विषमता नहीं और जिसमें सार्वभौमिक स्वतन्त्रता होगी। किन्तु इस समाज के निर्माण के लिए जो साधन ये दार्शनिक अपनाते हैं वे सर्वथा भिन्न हैं। और यह भिन्नता उनकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि की भिन्नता के कारण है। जबकि गांधीजी पर पूर्वा आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि का प्रभाव है। मार्क्स पर पश्चात्य बौद्धिक और भौतिकवादी पृष्ठ भूमि का प्रभाव है।

गांधीजी के विचार व्यक्ति और समाज के भौतिक पुनरुत्थान एवं पद दलित देश की स्वतन्त्रता की समस्या और एक सामाजिक पुनर्निर्माण में अधिक सम्बन्ध रखते हैं। मार्क्स के विचार ऐतिहासिक विश्लेषण, प्राथिक घटना और उनके कार्य-कारण सम्बन्ध से अधिक सम्पन्नित है। और इसलिए मार्क्स व्यक्ति को अधिक महत्त्व नहीं देता। वह व्यक्ति को ऐतिहासिक घटना क्रम का और उत्पादन प्रणालियों का एक निबन्ध शिखार समझते हैं। मार्क्स समूह को अधिक महत्त्व देते हैं जबकि गांधीजी व्यक्ति को। रोमारोली ने गांधीजी के वृद्ध नेता के फ्रान्सीसी संस्करण के प्राक्कथन में इन दोनों मार्गों के तुलनात्मक गुणों के विषय में लिखते हुए कहा है:

“मिथु के मैदानों में मैं आत्मा के दुर्ग को उठने हुए देखा जोकि दुर्बल और न बुझने वाल महात्मा के द्वारा खड़ा किया गया था एवं मैंने उसको यूरोप में पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया।” आगे, उन्होंने लिखा है कि वे सोवियत साम्यवाद और गांधीजी के भारतीय असहयोग आन्दोलन की द्वांरित के दो मार्गों के रूप में देखना चाहते हैं, और वे आशा करते हैं कि वे दोनों भाग भागे चल कर मिल जाएंगे। अपनी इस आशा की सफलता पर लिखते हुए रोमारोली ने कहा कि मेरी राय में साम्यवाद और गांधीवादी सिद्धान्त दो बहुत बड़े प्रयोग हैं और इन प्रयोगों का उद्देश्य मानवता का विकास है। यह प्रयोग विश्व को विनष्ट होने से बचा सकते हैं और दोनों मिलकर विश्व की समस्त समस्याओं को हल कर सकते हैं। आपस में विरोध करते हुए नष्ट हो जाने से तो उनकी राय में इन दोनों को एक होना चाहिए। किन्तु उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि इनका एक होना सम्भव नहीं है।”

“गांधीजी ने स्वयं इन दोनों मार्गों की १९२७ में सरुलतवाला, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साम्यवादी सदस्य थे, यीतमाल में भेट करते हुए यह इन्टिया में भी लिखा है “हम दोनों में कम से कम एक बहुत बड़ी समानता है; दोनों इस का दावा करते हैं कि देश और मानवता का हित उनका एतमात्र ध्येय है। यद्यपि इस समय यह प्रतीत होता है कि हम दोनों विरोधी दिशाओं में जा रहे हैं किन्तु मैं आशा करता हूँ कि एक दिन हम मध्यम मिलेंगे।”

गुजरात विद्यापीठ के विचारियों में विवाद करने हुए गांधीजी ने साम्यवाद के बारे में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं :—

“मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शाल्तेविज्म को पूरी तरह समझने में सफल नहीं हो सका हूँ। मैं केवल जानता हूँ कि इसका उद्देश्य निजी सम्पत्ति की संस्था का उन्मूलन है। यह अपरिग्रह के आदर्शों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य रूप में लाता है। यदि जनता इस आदर्शों को अपने आप स्वीकार करे या

गान्तिपूर्ण ढंग से समझाने के द्वारा स्वीकार किये तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। किन्तु जो कुछ मैं बोल्शेविज्म के सम्बन्ध में जानता हूँ उसके अनुसार यह शक्ति के प्रयोग का निषेध नहीं करता किन्तु निजी सम्पत्ति के उन्मूलन और राज्य की उस पर सामूहिक स्वामित्व को बनाये रखने के लिए काम में लाने का शक्ति के प्रयोग का आदेश देता है। और यदि ऐसा है तो मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं होगा कि बोल्शेविक सरकार अपने इस वर्तमान रूप में अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। किन्तु यह चाहे जो कुछ हो इस तथ्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि वर्तमान बोल्शेविक आदर्श के पीछे अग्रणीत पुरुष और महिलाओं का बलिदान है जिन्होंने अपना सब कुछ इसके लिए त्याग दिया है और ऐसा आदर्श, जो कि लेनिन जैसी महान आत्माओं के बलिदान से पवित्र हो चुका है; व्यर्थ में नहीं जा सकता है। उनके त्याग का यह महान उदाहरण सदैव के लिए चमकता रहेगा। और समय व्यतीत होने के साथ आदर्श को विद्युत् रूप प्रदान करेगा।”

हमने ऊपर कुछ महान विचारकों के उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के मार्ग हमें एक ही आदर्श की ओर ले जाते हैं। कम से कम उन दोनों में यह समानता अवश्य है। यदि निर्धनों का शोषण और अत्यधिक आर्थिक विषमताएँ किसी समाज में बहुत दिनों तक रहेगी तो एक हिंसात्मक क्रान्ति उस समाज में अवश्य होगी। उन्होंने लिखा है, यदि स्वेच्छा से धनवान अपने धन और शक्ति का त्याग नहीं करेंगे, तो एक दिन हिंसात्मक क्रान्ति अवश्य आएगी। और इस हिंसात्मक क्रान्ति को सम्भावना को दूर करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धान्तों का प्रचार किया है। हम यह देखते हैं कि बहुत से देशों में गांधी जी की भविष्यवाणी सही हो चुकी है। हमारे सामने केवल दो मार्ग हैं, उनमें से हम चाहे जिसको अपनावें किन्तु एक स्थायी सफलता के लिए और वर्गविहीन व राज्यविहीन प्रजासत्तव्य की स्थापना के लिए गांधीवाद का मार्ग अधिक उचित प्रतीत होता है।

लास्की के राजनीतिक विचार

लास्की की मृत्यु को केवल अल्प समय ही व्यतीत होने के कारण न तो हम उनके विचारों की घालोचनात्मक व्याख्या ही कर सकते हैं और न वास्तविक रूप से उनका राजनीतिक विचारकों में स्थान ही निर्धारित कर सकते हैं। अधिक से अधिक हम इस समय केवल उनके प्रमुख विचारों का विवेचन एवं उनकी राजनीतिक शास्त्र को देने की ही सक्षमता में व्याख्या कर सकते हैं।

प्रो० लास्की की प्रतिभा सर्वोत्तमों की थी। यद्यपि मूल में वह एक राजनीतिक वैज्ञानिक बने, किन्तु विश्व विद्यालय में अध्यापन शुरू करने से पहले लगभग एक वर्ष तक उन्होंने लन्दन में कार्ल पीयरसन की बायोमेट्रिक विज्ञानशाला में जीवशास्त्र पर अध्यापन किया था। जीवशास्त्र में और विशेषकर मानव जाति उत्पत्ति विषयक शास्त्र (Eugenics) के प्रति उनका धारणा उतने होने वाले पत्नी के प्रभाव के कारण था। आकर्मबोर्ड विश्वविद्यालय में भी उन्होंने एक वर्ष तक प्राणिशास्त्र का अध्यापन किया और तब वह अपने नयी मार्ग पर आए।

उनकी काश्तरी गिटान्तों का विलक्षण ज्ञान था और यही कारण है कि उनके दर्शन का आधार बटोर मत्त और तथ्यों का टोम टाँका है। उनकी विलक्षण प्रतिभा इसमें पूर्णरूपेण सिद्ध होती है कि उनकी प्रथम पुस्तक, 'सम प्रभुता की समस्या' केवल २४ वर्ष की आयु में, 'आधुनिक राज्य में सत्ता' (Authority in the Modern State) २६ वर्ष की आयु में, 'सम प्रभुता के आधार' २८ वर्ष की आयु में और उनकी सबसे महान कृति 'राजनीति की व्याकरण' ३० वर्ष की आयु में ही प्रकाशित हो गई थी। इस पुस्तक के बारे में गिटनी बँच का विचार है कि, "मिजविक के पश्चात् यह राजनीति का सर्वप्रथम सम्पूर्ण एवं समझवादी दृष्टिकोण में भी सर्व प्रथम अध्यापन है।" यह सत्य है कि उनकी समस्त प्रतिभा इन पहली कृतियों में ही झलकती है। ३० वर्ष की ही आयु में वह अपनी विलक्षण प्रतिभा के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच चुके थे। गाजिपन, ने इस सम्प्रभ में टिप्पणी करते हुए किया है, "उनकी सुधारवादी की प्रतिभा से जो बड़ी बड़ी आशाएँ उत्पन्न हुई हैं उनको उन्होंने

आगे चलकर लेखक के रूप में कभी पूर्ण नहीं किया। उनकी प्रौढ़ावस्था की जितनी भी कृतियाँ हैं उनमें से केवल एक को छोड़कर—संयुक्त राष्ट्र की विधान और सरकार के सम्बन्ध में—किसी में भी उनकी पहली चार महान कृतियों की प्रतिभा नहीं झलकती। लन्दन स्कूल में उन्होंने अपने सर्वप्रथम भाषण में यह कहा कि वह राजनीति का अध्ययन इतिहास के आधार पर चाहते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तब तक स्थाई नहीं हो सकती जब तक कि वह भूतकाल के ऊपर आधारित न हो। उन्होंने आगे यह कहा कि राजनीति शास्त्र व्यक्ति का मगलित राज्यो से सम्बन्ध का अध्ययन कराता है। राजनीति शास्त्र को वह इतिहास का वर्णन मानते थे। और इतिहास के अनुभव के आधार पर वह राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तों का निर्माण करने के पक्ष में थे।

अपने सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने कभी राजनीतिक पद की न अभिलाषा की और न स्वीकार ही किया। क्योंकि उनका यह विश्वास था कि राजनीतिक पद उनको अन्तरात्मा, जिसको वह सत्य समझते हैं, के पालन में हस्तक्षेप करेंगे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि केवल वह कोरे सिद्धान्तिक दार्शनिक थे। उनका विश्वास था कि एक राजनीतिक दार्शनिक के लिए विशेष रूपसे यह असम्भव है कि वह अपने चारों ओर होने वाली विश्व की घटनाओं से उदासीन रहे। राजनीतिक घटनाएँ और राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के अध्ययन से ऐसे दार्शनिक को अनुभव प्राप्त होगा और उसके विचारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने स्वयं एक स्थान पर कहा है कि श्रमिक आन्दोलन ने उनके अपने अनुभवों में, सिद्धान्तों के निर्माण करने में और उन सिद्धान्तों को एक नवीन रूप देने में पर्याप्त सहायता की है। लास्की पर समकालीन घटनाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, विशेषतया आधुनिक समाज के सामाजिक और आर्थिक शोषण का, और उन्होंने अपना समस्त जीवन अन्वय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने में लगाया है। अपनी आँग्ल पृष्ठभूमि के कारण उनका व्यक्ति की स्वतन्त्रता में पूर्ण विश्वास था और व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बड़ा आदर था। उनके अनुसार यदि व्यक्ति को उसकी अन्तरात्मा, उसकी योग्यता और उसकी बुद्धि को हम नैतिक दृष्टि से स्वीकार नहीं करते हैं तो न्याय की कोई संभावना नहीं। वह यह समझते थे कि अन्तिम रूप में व्यक्ति का मार्ग दर्शन उसकी अपनी अन्तरात्मा और विचार करेंगे, चाहे वह अन्तरात्मा अनुचित और मूर्खतापूर्ण ही क्यों न हो। कम से कम वह व्यक्ति की अपनी सम्पत्ति है और स्वतन्त्रता अन्तरात्मा के कहने के अनुसार कार्य करने में है। व्यक्ति का सर्वप्रथम कर्तव्य अपनी अन्तरात्मा के प्रति है।

वह उस सामाजिक संगठन को सबसे अच्छा समझते थे जो कि व्यक्ति को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। उन्होंने अच्छे

जीवन की परिभाषा करते हुए कहा कि "स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता है कि, "अपनी स्वतन्त्र इच्छा से वह कार्य करना जो कि हम करने योग्य समझते हैं।" दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि वह उस सामाजिक समूह की इच्छा समझते थे जो कि व्यक्ति के कार्यों पर हम से कम नियन्त्रण रखता है। स्वतन्त्रता के विषय में प्रो० तास्की के विचारों में आगे चलकर परिवर्तन हुआ है और यह कुछ उन मुख्य सिद्धान्तों में से है जिनमें नास्की ने आगे चलकर प्रौढ़त्व में अत्यंत परिवर्तन किया है। अपनी पुस्तक 'राजनीति का व्याकरण' में उन्होंने स्वतन्त्रता की परिभाषा करते हुए कहा कि "स्वतन्त्रता, एक सक्रिय अस्तु है और इसका अर्थ नियन्त्रण की अनुपस्थिति ही नहीं है।" इसी सम्बन्ध में आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की कुछ कार्यों को नियंत्रण करने की शक्ति के कारण, 'यह तो स्वतन्त्रता का अन्त ही होगा है और य व्यक्ति की शक्ति करने की प्रवृत्तियों को नैतिक भी होगा है। अर्द्ध जीवन के लिए आवश्यक नियमों को पालन करने में व्यक्ति परतन्न नहीं होता है। ऐसे मामलों को, जो कि सामान्य हितों के विरुद्ध हैं, की प्रतिबंधित कार्य क्षेत्र में हटाने में स्वतन्त्रता पर कोई प्राप्ति नहीं होगा।" किन्तु अपनी उसी पुस्तक 'राजनीति का व्याकरण' १६३७ के दूसरे संस्करण में, जो कि 'प्राधुनिक राज्य में स्वतन्त्रता' नामक पुस्तक के पश्चात् प्रकाशित हुई थी, उन्होंने इस मूलभूत विचार के सम्बन्ध में अपने विचारों में पूर्णतया परिवर्तन कर दिया और उस समय उन्होंने लिखा, "स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में पुराना दृष्टिकोण कि स्वतन्त्रता नियंत्रण की अनुपस्थिति है ही केवल नागरिक के व्यक्तित्व की रक्षा कर सकता है।" उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि कुछ सीमाएँ जहाँ कि हत्या का निन्द्य आदि अति उचित सीमाएँ हैं किन्तु फिर भी उनको सीमाओं के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए। प्रो० नास्की समानता और स्वतन्त्रता की एक दूसरे के लिए आवश्यक और पूरक मानते थे। उन्होंने लिखा है कि स्वतन्त्रता तभी सफल होगी जबकि उसका आधार समानता का स्वर होगा। समानता के बिना स्वतन्त्रता केवल एक ध्वनि मात्र है और समानता उन आधारों को प्रस्तुत करती है जो कि स्वतन्त्रता को सक्रिय अर्थ देने हैं। अर्द्ध जीवन के लिए और आवश्यक परिभाषाओं के लिए सब व्यक्ति समान रूप से अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारों को जो कि अर्द्ध जीवन के लिए आवश्यक माना है नास्की प्राथमिक अधिकार मानता है। जब उनकी इस सम्बन्ध में प्रत्येक शब्द के प्रयोग के लिए आलोचना की गई तो उन्होंने अपनी रक्षा में यह तक कहा कि नैतिक कर्तव्यों के लिए हमारे अर्द्ध अर्थ कोई उचित आधार नहीं है सकता। उन्होंने लिखा "यह स्पष्ट है कि यदि एक बार भी हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि किसी भी विवेक परिस्थिति में एक नियम होता ही चाहिए तो हम प्राथमिक कानून के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा अपना दृष्टिकोण यह है कि प्राथमिक कानून के माध्यम से इन सब कठिनाइयों की अपेक्षा भी उसे राजनीतिक कर्तव्यों के लिए है।" "यदि कोई परिस्थिति में आवश्यक

प्रो० लास्की ने अपनी अर्द्धे जीवन की परिभाषा में लिखा है "निगी भी समाज की अन्तिम परीक्षा उसके द्वारा प्रस्तुत उन रचनात्मक सेवाओं के साधनों से होती है जिन्हे प्रयोग में लाने के लिए कोई उत्सुक है।"

लास्की का यह निश्चित मत था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होगी तब तक राजनैतिक स्वतन्त्रता और समानता केवल कागज पर रहेंगी और एक आडम्बर मात्र ही होगी। आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि जिस समाज में बहुत अधिक आर्थिक विषमताएं होंगी, वहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा उचित ढंग से नहीं व्यक्त कर सकेगा। उन्होंने अपने एक लेख "मैं मावसवादी क्यों बना" में लिखा है, "मैं अमेरिका से यह विश्वास लेकर लौटा कि स्वतन्त्रता का समानता के बिना कोई अर्थ नहीं है और मैं यह भी समझने लगा हूँ कि जब तक उत्पादन के साधन समाज के स्वामित्व में नहीं आयेंगे तब तक समानता का भी कोई अर्थ नहीं होगा।" संभवतः यह वाक्य उन्होंने अपने हार्वर्ड काल के कटु अनुभवों के आधार पर लिखे हो जबकि पुलिस की एक हड़ताल में हस्तक्षेप करने पर उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े थे।

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने समाजवादी एवं बहुवादी विचारधारा अपनायी। उनके विचार से समाज और व्यक्ति दोनों के राजनैतिक और आर्थिक अधिकारों को केवल बहुवादी उचित प्रकार से संबन्धित कर सकता है। इसलिये उन्होंने कानूनी सम-प्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना की और उसे अस्वीकार कर दिया। अपनी सम-प्रभुता पर पहली तीनो कृतियों में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कानूनी सम-प्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना की है। और अपनी अन्य कृतियों में भी सम्बन्धित स्थानों पर उन्होंने यह आलोचना जारी रखी।

यह सत्य है कि उनके राजनैतिक दर्शन में कुछ ऐसी समस्याएँ रह गई हैं जिनका कि वह ठीक ठीक हल नहीं दे सके। उन्होंने पहले समाज की बहुवादी विचारधारा को अपनाया और राज्य के महत्व व शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण लगाये। मिनुसाद में उन्होंने राज्य को फिर से अपने महत्वपूर्ण स्थान पर आरोपित कर दिया। उन्होंने अपना पुस्तक 'आधुनिक राज्य में स्वतन्त्रता' में लिखा है 'क्योंकि व्यक्ति अपनी विरोधी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न माँगें अपनाने हैं, इसलिए राज्य की आदेशात्मक शक्ति जिनके अनुसार व्यक्ति उचित ढंग से आगे बढ़ सकता है और सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्माण कर सकता है, आवश्यक है।' उनका यह कथन राज्य को पुनः अपनी शक्ति लौटा देना है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को हममें यह भ्रम हो सकता है कि लास्की राज्य को सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्रदान करता है। उन्होंने राज्य को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं जबकि

उन्होंने यह लिखा कि, "स्वतन्त्रता की सीमाएं सामाजिक शक्ति के संघटन से निर्धारित होगी।"

प्रो० लास्की विशेषकर एक मुद्धारक के और अन्य मुद्धारकों की भांति ही यह चाहते थे कि राज्य उनके मुद्धारों को कार्यरूप में परिणत करे। केवल एक शक्तिशाली राज्य ही ऐसा कर सकता है और इसलिए उन्हें शक्तिशाली राज्य के विचार को स्वीकार करना पड़ा। समाजवाद राज्य की शक्ति को कम नहीं करता, अपितु सामूहिक कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है और प्रत्येक समाज में इसका प्रयत्न राज्य का कार्य क्षेत्र ही होगा। समाजवाद को स्थापित करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि राज्य की आदिनात्मक शक्ति काम में न लाई जाय। यद्यपि लास्की के अनुसार प्राधुनिक राज्य में शक्ति का तत्त्व महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यह राज्य की आजादी का पालन कराने के लिए आवश्यक है। यद्यपि किसी सीमा तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक नियोजन में सामंजस्य हो सकता है किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी नियोजित समाज में नियोजन की गहनता के लिए राज्य एक आवश्यक भस्त्र है। चाहे यह राज्य सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न न भी हो किन्तु फिर भी कम से कम हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि बहुवादी राज्य के लिए नियोजित समाज की स्थापना संभव नहीं है।

लास्की ने राज्य की आजादी-पालन के आदर्शवादी सिद्धान्त की आलोचना की है। उनके अनुसार यह सिद्धान्त सही प्रकार की स्वतन्त्रता का विरोधी है। लास्की के अनुसार—“स्वतन्त्रता का सही सिद्धान्त आदर्शवाद के प्रत्येक आधार के निषेध पर आधारित है। राजनैतिक दर्शन के सम्पूर्ण इतिहास में इससे अधिक चतुरता नहीं पाई जाती। इस चतुरता से आदर्शवादी विचारकों ने स्वतन्त्रता और प्रभुत्व शक्ति के पुरातन विरोध की समस्या से बचकर निकल जाने का प्रयत्न किया है।” लास्की ने आदर्शवादी सिद्धान्त की आलोचना हाबहाउस में भी वहीं अधिक की है और इस सिद्धान्त के दोषों को स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने रखने की चेष्टा की है। लास्की के अनुसार राज्य की आजादी-पालन का यह सिद्धान्त न तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को रक्षा कर सकता है और न ऐसी परिस्थितियों का ही निर्माण कर सकता है जो कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं।

लास्की १९ वीं शताब्दी के प्राग्ज राजनैतिक दर्शन के बहुत कुछ सीमा तक श्रेणी हैं और स्ट्रुचो के अनुसार लास्की के मन्त्रिक के सबसे नीचे के स्तर का आधार १९वीं शताब्दी के प्रगतिवादी विचार थे। उन्होंने उदारतावाद की एक नई परिभाषा दी जो कि औद्योगिक युग और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उचित थी। “राजनीति की व्याकरण” में उन्होंने लिखा है कि उनके राजनैतिक विचार वैश्व के विचारों की प्राधुनिक बाल की विशेष आदर्शताओं के अनुसार एक नवीन संरचना है। मात्र

के दर्शन के मुख्य सिद्धान्तों से वह सहमत थे। उनका म. य. क. मार्क्स की व्याख्या द्वारा ही केवल कानून के सार को समझा जा सकता है। उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तक में मार्क्स के सिद्धान्तों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। इस पुस्तक 'साम्यवादी घोषणा पत्र, एक समाजवादी सीमा चिह्न' (Communist Manifesto, a Socialist Landmark) में लिखा है कि इस नए विश्वास के मानने वालों का उत्पीड़न इसका उत्तर नहीं है किन्तु हमें यह सिद्ध करना होगा कि इसमें विश्वास न करने वाले भी इससे एक अधिक शानदार भविष्य की कल्पना सामने रख सकते हैं। उनकी वाद की कृतियों की मुख्य समस्या मार्क्सवादो सिद्धान्त और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में सामंजस्य पैदा करना थी और इस समस्या ने उनके विचारों में अनेकों स्थान पर विरोधी और असंगत विचारों को जन्म दिया। जॉन वैंस (Jen Weiss) ने लास्की की मृत्यु पर एक शोक निबन्ध में लिखा, "उनके मस्तिष्क के मार्क्सवाद और उनके हृदय के उदारतावाद का सघर्ष स्पष्ट रूप से १९३४ में उनकी पहली मास्को यात्रा में हुआ। बोल्शेविकों के द्वारा सामाजिक परिवर्तनों की जोरदार शब्दों में रक्षा करने के पश्चात् उन्होंने मास्को अकादमी के सामने प्रजातन्त्रीय और ससदीय स्वतन्त्रता के पक्ष में उतनी ही जोरदार दलीलें दीं।" रोसी (Rossi) के अनुसार हमारे समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि, "मार्क्सवाद का पुनर्ध्यान इस दृष्टि से हो कि उसमें से कुछ सिद्धान्तों को बचाया जा सके और उनका प्रजातन्त्रीय विश्वासों के साथ सम्मिश्रण किया जा सके।" २० वीं शताब्दी में यदि कोई व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, तो वह प्रो० लास्की ही थे।

लास्की कभी भी असीमित राष्ट्रीयता को ठीक नहीं समझते थे। उन्होंने लिखा है कि यदि राष्ट्रीयता की सम्भता की आवश्यकताओं के अनुरूप होना है तो उन बातों को जिनका एक से अधिक राष्ट्रों से सम्बन्ध है और जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य हितों से सम्बन्ध रखती हैं, हम किसी भी बड़े राष्ट्र को अकेले उन पर नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दे सकते। उनके विचार में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में सामंजस्य हो सकता है। देशभक्ति का धर्म यह नहीं है कि हम विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो या दूसरे राष्ट्रों को हम अपने आधीन करने की चेष्टा करें। किन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्राच्यनिक परिस्थितियों में समाजवाद की स्थापना राष्ट्रीय राज्य के ढाँचे की परिधि से ही हो सकती है चाहे इसमें कितनी ही कमजोरियाँ अथवा कमियाँ बचो न हों।

राजनैतिक विचारों और सिद्धान्तों का अध्ययन करने के साथ-साथ उन्होंने राज-नैतिक सस्याओं का भी अध्ययन किया है। वह सिद्धान्तों को भी सस्याओं के समान ही महत्वपूर्ण समझते थे, क्योंकि सिद्धान्तों को सस्याओं के बिना कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी पुस्तक 'राजनीति की व्याकरण' में प्राच्यनिक

राज्य के संस्थापना होवे पर एक प्राचीनतात्मक और गवेषणात्मक अध्ययन किया है और हम यह कह सकते हैं कि प्राधुनिक राजनैतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए उनकी यह पुस्तक उत्तम-भाष्य पुस्तकों में से एक है। विद्वानों और राजनैतिक संस्थाओं के सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा, उनकी दो पुस्तकों, जो कि उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति और अमेरिकन प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में लिखी थी, में गिद होती है। बहनों की सम्बन्ध यह आश्चर्य हो कि समाजवादी बहुवादी लास्की की पूर्णवादी अमेरिका के सम्बन्ध में इतनी अधिक जिज्ञासा क्यों हुई। लास्की ने इतना उत्तर स्वीय अपनी पुस्तक 'प्राधुनिक राज्य में शक्ति' (Authority in the Modern State) में लिखा कि यह मानते हुए भी कि अमेरिका की राजनीति अत्यन्त घट्ट है वहाँ की जनता अत्यधिक आमावादी है। वहाँ पर योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरी या राजनैतिक जीवन में न होकर दूसरे क्षेत्रों में हैं। साथ ही वहाँ पर ऐसी राजनैतिक समस्याएँ हैं जो कि प्राधुनिक काल के लिए हानिकारक गिद हो सकती हैं, किन्तु इन सब कमियों के प्रतिरिक्त भी हमें अमेरिका के विषय में कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। जैसे कि अमेरिका का जन्म क्रांति के द्वारा हुआ था और उस क्रांति ने अदम्य की समानता के सिद्धान्त को एक प्राकृतिक अधिकार का रूप दिया था और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकनों का प्रजातन्त्रीय सरकार में प्रगाढ़ विश्वास है। प्रो० लास्की का अमेरिका की समस्याओं और राजनैतिक समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत अधिक ज्ञान था। उनकी एक पुस्तक का अर्थोक्तन करते हुए एक मञ्जन ने लिखा है कि लास्की के अमेरिकी राजनैतिक जीवन और उसके सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन की तुलना में टोर्सेवेन और शाइन का अध्ययन व ज्ञान सीमित प्रतीत होता है।

अमेरिकी जीवन के सम्बन्ध में प्रो० लास्की को पर्याप्त ज्ञान था और उन्होंने अमेरिका में जो जोड़ा सा समय व्यतीत किया था उसी में वे अमेरिकी जीवन के मूलभूत तथ्यों पर अच्छा अध्ययन और जानकारी प्राप्त करने में अत्यन्त सफल हुए हैं। लास्की उन कुछ राजनैतिक विचारकों में से हैं जो कि अपने समय की राजनैतिक समस्याओं में सतिय रूप में सम्बन्धित होते हैं। अपने समय जीवन काल में वे अनेक सक्रिय राजनीति में सम्बन्धित रहे। उनका प्रिडियन शक्ति दल और गारे विश्व के समाजवादियों में अत्यन्त ही निवृत्त सम्बन्ध थे, उनके सिद्धान्त और विचार इन विभिन्न सम्बन्धों के द्वारा पूर्ण रूप में प्रभावित हुए हैं, और यह कभी भी विचारों की अग्रगणित के नय में अपने विचारों में आवश्यक परिवर्तन करने में पीछे नहीं हटे। काल और परिस्थिति के अनुसार जैसे-जैसे उनके विचारों एवं अनुभवों में परिवर्तन होता गया वे-वेगैरे उन्होंने अपने सिद्धान्तों में भी परिवर्तन किया। उदारवाद से वे बहुवाद की ओर बढ़े और बहुवाद में समाजवाद की ओर। यद्यपि वे अपने युग की सबसे बड़ी समस्या को हल करने में असमर्थ रहे किन्तु फिर भी इस दिशा में उनके प्रयत्न सराहनीय हैं और अपने अपने वाले विचारकों के लिए मार्ग दर्शन का कार्य करेंगे।

प्रो० लास्की का प्रभाव अपने जीवन काल में ही बहुत अधिक था। उन्हें एक सच्चे अर्थ में दार्शनिक एवं विचारक कहा जा सकता है। अनेक व्यक्ति इस बात को भूल जाते हैं और वे केवल उनको एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से देखते हैं। प्रो० मैकडलवेन का यह कहना है कि प्रो० लास्की का अपने विद्यार्थियों पर और किसी भी शिक्षक से बड़ी अधिक प्रभाव था। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि उन पर स्वयं भी प्रो० लास्की का बहुत अधिक प्रभाव था और वे स्वयं इस प्रभाव के लिये उनके अनुगृहीत थे। लास्की इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे कि दार्शनिकों एवं विचारकों को व्यावहारिक जीवन से अलग रहना चाहिए। विन्तु उनका यह विश्वास था कि दार्शनिक एवं विचारकों को अपने व्यावहारिक जीवन की घटनाओं से प्रेरणा और अनुभव प्राप्त करना चाहिए। श्री किङ्गमने मार्टिन इग सम्बन्ध में लिखते हैं—

“अपनी पुस्तक ‘विश्वास, बुद्धि और सम्यता’ में हेरोल्ड ने उन बौद्धिक नेताओं की आलोचना की है जो कि उनकी दृष्टि में पूँजीवादी समाज के शय के कारणों को समझते हैं तो भी अपनी पीढ़ी का उम्र वास्तविकता का सामना करने में सहायता देने के स्थान में व्यक्तिगत पनायतवाद के मार्ग को प्रोत्साहन देते हैं। पश्चिमी युग में बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वह सामान्य जनता की आवश्यकताओं से अपना सम्बन्ध रखें, उनको नेतृत्व दें, व्यापार करें और उनको अधिक से अधिक व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न करें। उन्होंने ऐसे बुद्धिजीवियों के बापों के सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप, जैफर्सन का प्रारम्भिक गणतन्त्रवादियों से सम्बन्ध, मार्क्स और एनजल्स का समाजवादी आन्दोलन से सम्बन्ध जिसके फलस्वरूप प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ का जन्म हुआ था, निर्वासित लेनिन का रूस के बोलशेविकों से सम्बन्ध और एक छोटे रूप में कदाचित् कम सफल रूप में ब्रैट्स का ब्रिटिश श्रमिक आन्दोलन से १९३१ के पहले वाले युग में है।” (हेरोल्ड, जे लास्की पृष्ठ २४६-४७)

२० वीं शताब्दी के बुद्धिजीवियों की अपने कर्तव्य पालन में असफलता की आलोचना करते हुए अपनी पुस्तक ‘विश्वास, बुद्धि और सम्यता’ में लिखा है—

“यह इटालियन बुद्धिजीवियों की असफलता के कारण मुसोलिनी शक्ति में अनेक में सफल हुआ। अर्मेन बुद्धिजीवियों की असफलता के कारण हिटलर अपना बुरूप साम्राज्य स्थापित कर सका। यह १९१९ के पश्चात् के फ्रेंच बुद्धिजीवियों की असफलता ही थी जिनने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जिसके कारण फ्रांस की १९४० में हार हुई। हमें अपने आपको इस विश्वास से धोखा नहीं देना चाहिए कि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका में परिस्थितियाँ भिन्न हैं।”

प्रो० लास्की ने जीवन भर अपनी पीढ़ी को उनकी समस्याओं से अवगत कराने में और उन समस्याओं से सघर्ष करने की प्रेरणा देने का प्रयत्न किया था और इस प्रयत्न में यह स्वाभाविक ही है कि उनको बहुत अधिक लिखना पड़ा। इस कारण से कही कही पर विचारों की पुनरावृत्ति होगई है या उनमें असंगति भा गई है।

राजनीतिक बहुवाद

बहुवाद विशेषतः प्रभुसत्ता का सिद्धान्त है। राज्य के प्राचीन सम-प्रभुता सिद्धान्त के अनुसार प्रभुता अविभाज्य है। इस सिद्धान्त के मानने वालों में प्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा आस्टिन के द्वारा की गई है। आस्टिन के अनुसार "यदि किसी समाज का अधिराज भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का साधारणतः पालन करता हो तथा वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य प्रधान की आज्ञा मानने का आदी न हो, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति प्रभु है, तथा वह समाज उस प्रधान के महिन एव स्वतन्त्र राज्य है।" प्रभुता के इस सिद्धान्त के अनुसार प्रभु एक निश्चित व्यक्ति है और समाज के सदस्यों पर उसकी शक्ति असीमित है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और उसकी आज्ञा ही कानून है। प्रभुता जो इस प्रभु का गुण है अविभाज्य, अदेय, सर्व व्यापक और स्थाई है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभुता केवल राजनीतिक समुदाय का ही गुण है और इस गुण के कारण राजनैतिक समुदाय सब समुदायों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुता के इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के पास में दूसरे समुदायों को नियंत्रित करने की भी शक्ति है।

राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ राज्य की शक्ति में भी वृद्धि होती है। समाजवाद और लोक-व्याप्तकारी राज्यों के इस युग में राज्य के कार्य-क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप राज्य की शक्ति में भी वृद्धि हुई है। १९वीं शताब्दी में व्यक्ति राज्य की इस शक्ति के समक्ष अपने आप को बहुत ही दुर्बल और असहाय पाता है। अपने हितों की रक्षा के लिए उसे आवश्यक हो गया है कि वह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिल कर हित रक्षार्थ समुदायों का निर्माण करे। बीसवीं शताब्दी में राज्य और व्यक्ति के स्थान पर राज्य और समुदायों का संपर्क प्राधुनिक राज्यों का मुख्य लक्षण है। अनेक व्यक्ति राजनैतिक शक्ति पर नगण्य है और प्राधुनिक राज्य की असीमित शक्ति के समक्ष अत्यन्त ही असहाय है। यदि वह राज्य के अनुचित

हराशोषों को रोकना चाहता है और अपने उचित हितों की रक्षा करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि सामान्य हितों वाले दूसरे व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करे और ऐसे व्यक्तियों का राज्य के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए समुदायों का निर्माण आवश्यक है। समाज के बहुधा दो सिद्धान्त के बीचों-बीच वास्तविकी में प्रगति और महत्त्व का मुख्य कारण पड़ी है।

प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न हित होंगे हैं और उनके अस्तित्व के भी अनेक रूप होंगे हैं। जब यह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और अन्य क्षणों में बाधें करता है या भाग लेता है या वह विभिन्न रूपों में बाधें करता है। वह एक ही समय में विभिन्न समुदायों का सदस्य हो सकता है और यह इनके विभिन्न विषयों द्वारा की रक्षा के लिए आवश्यक भी है। इनमें से प्रत्येक समुदाय उगल हितों में हितों विशेष हित की पूर्णतया रक्षा करता है जबकि राज्य उनके सामान्य राजनीतिक हितों की रक्षा करता है जैसे—आर्थिक और मुख्यतया बनाए रखना, समाज विरोधी व्यक्तियों में उभरी सम्पत्ति और जीवन की रक्षा करना। जबकि उनके दूसरे समुदाय विशिष्ट हितों को पूरा करते हैं। व्यक्ति के हितों में उगल यह दूसरे विशेष हित भी यदि अधिक नहीं तो उगल ही महत्त्वपूर्ण है जितने कि राज्य द्वारा रक्षित राजनीतिक हित।

मानवीय समुदायों में मुख्य राजनीतिक समुदाय राज्य, परिवार, धर्म, धार्मिक मठ, और सांस्कृतिक समुदाय जैसे कि गण्य इत्यादि हैं। इनमें से प्रत्येक समुदाय एक विशिष्ट हितों को पूरा करता है और इनमें से हितों भी समुदाय का कार्य दूसरे समुदाय नहीं कर सकता है। परिवार का कार्य मानव जाति की परम्परा का बनाये रखना है। यह सबसे प्रारम्भिक समुदाय है और इसके नष्ट होने से मानव जाति लतने में पड़ जायगी। परिवार सब समुदायों में सबसे प्रारम्भिक समुदाय है। इसकी सदस्यता व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर नहीं करती है। यह उत्तरी ही अनिवार्य है जितनी कि राज्य की सदस्यता। व्यक्ति जैसे राज्य में जन्म लेता है जैसे ही परिवार में भी जन्म लेता है। वरन् इसमें यह भी कह सकते हैं कि जन्म लेता ही यह परिवार का सदस्य होता है। इस प्रकार व्यक्ति किसी विशेष धर्म में ही जन्म लेता है और उगली यह धार्मिक सदस्यता भी अनिवार्य है। जिस प्रकार यह परिवार में जन्म लेकर किसी परिवार या राज्य का सदस्य हो जाता है उसी प्रकार यह किसी धार्मिक सम्प्रदाय का भी सदस्य हो जाता है। यदि परिवार की सदस्यता दशक प्रथा और धार्मिक सम्प्रदाय की सदस्यता धर्म परिवर्तन के द्वारा बदली जा सकती है तो राज्य की सदस्यता में भी प्राकृतिककरण के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। साधारणतः यह सोचना कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य है और दूसरे समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक है, भूल है। परिवार की सदस्यता की तरह, जो कि मगर सामाजिक समुदायों में सबसे अधिक आवश्यक एवं प्राकृतिक है, धार्मिक सम्प्रदाय

श्रीर जाति की सदस्यता प्रादि भी उतनी ही अनिवार्य है जिनकी कि राज्य की श्रीर विषय परिस्थिति में राज्य में भी अधिक । धार प्रयत्न करके अपनी नागरिकता में परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु प्रायः जिनका भी प्रयत्न करे अपनी गण्यता, रंग और जाति में परिवर्तन करने में सफल नहीं हो सकेंगे ।

गण्यता पर धार्मिक समुदायों की सदस्यता भी ऐच्छिक नहीं है । प्रायः अपने गण्यता गमूह को चुनने नहीं है वरन् उममें जन्म लेते हैं । एक व्यक्तिवादी सम्भ्रम यह दावा कर कि वह एक स्वतन्त्र व्यक्ति है और स्वतन्त्र इच्छा का स्वामी है किन्तु ऐसा नहीं है । उनकी स्वतन्त्रता की भी प्रत्येक सीमाएँ हैं । यहाँ तक कि उनकी गण्यता, उनके परिवार, समाज और जन्म लेने के स्थान से निर्दिष्ट होती है । उनका भोजन एवं उनकी गण्यता दायित्वों का निर्माण जीवन के प्रारम्भ में ही हो जाता है और नरस्वभाव उनका पूर्णतया परिवर्तन कर देना प्रत्यक्ष ही कठिन होता है । धीमे-धीमे जनान्तरों में यदि व्यक्ति अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो उसे उन दूसरे समान धार्मिक हित वाले व्यक्तियों के साथ में संलग्न होना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे समूहों के बिना उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती । गण्यता अधिकारों की माग की शक्ति और गण्यता हस्तक्षेप का विरोध करने वाला व्यक्ति में धार्मिक शक्ति रहने है और उनकी सफलता की भी घाटा अधिक होती है । अधिक मध्यमान्दोलन का पूर्ण आधार यही गण्यता गमूह और धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप का गण्यता विरोध है । अधिकांश प्राधुनिक व्यक्तियों के लिए श्रमिक सघ की सदस्यता ऐच्छिक नहीं किन्तु अनिवार्य है । श्रमिक सघ आन्दोलन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि एक ही प्रकार के धार्मिक हितों की रक्षा के लिए विभिन्न श्रम सघ बनने लगे हैं और यह श्रमिक सघ कभी-कभी आपस में संघर्ष भी करते रहते हैं । जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक श्रमिक सघ धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं हो सकेंगे और यह अपने अस्तित्व के कारण को गमूह नहीं बना सकता । प्रगतिशील देशों में श्रमिक सघ आन्दोलन इन देशों तक प्रगति कर चुका है कि साधारणतः समान धार्मिक हितों वाले व्यक्ति एक ही श्रमिक सघ के सदस्य होते हैं । अधिकांश औद्योगिक देशों में आपसी किंगी भी उद्योग में तब तक कार्य नहीं मिल सकता जब तक कि आपके पास श्रमिक सघ की सदस्यता का प्रमाण नहीं होगा और बिना ऐसी सदस्यता के आपसे प्राप्त हितों की हानियों का मुद्रादायता लेना सम्भव होगा । ऐसी परिस्थिति में यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि श्रमिक सघों की सदस्यता धार्मिक हितों के रक्षार्थ उतनी ही आवश्यक और अनिवार्य है जितनी कि राजनीतिक हितों के रक्षार्थ राज्य की । कुछ परिस्थितियों में तो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि श्रमिक सघ की सदस्यता राज्य में भी अनिवार्य महत्त्वपूर्ण होती है और ऐसी परिस्थितियों में मार्क्सवाद का यह विद्वान् 'धार्मिक हित ही सबसे प्रथम होने है' गत्य प्रतीत होता है ।

अब हम यह कह सकते हैं कि जिन समुदायों को साधारणतः ऐच्छिक कहा जाता है वे उतने ही प्रतिशय होने हैं जितना राज्य । प्रो० मैकघाइवर के शब्दों में बहुवादियों की मुख्य भांग यह है कि राज्य सर्व प्रधान समुदाय न होकर एक समुदाय मात्र ही हो । बहुवादियों का यह कहना है कि समस्त समुदाय व्यक्ति के लिए समान रूप से आवश्यक है क्योंकि वे सब व्यक्तियों के विभिन्न हितों की समान रूप से रक्षा करते हैं । ऐसी अवस्था में राज्य ही को क्यों समुदायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिये ? राज्य क्यों समुदायों के नियंत्रण करने वाला समुदाय हो ? केवल इसी को संप्रभुता और विवश करने की शक्ति क्यों मिलनी चाहिए ? व्यक्ति के दृष्टिकोण से राज्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि दूसरे समुदाय । इसलिए बहुवादी राज्य को विवश करने को शक्ति एवं संप्रभुता का विरोध करते हैं । उनका यह दृष्टिकोण इसलिए है कि राज्य को अपने महत्व के अनुसार ही शक्ति मिलनी चाहिए और चूंकि राज्य अन्य समुदायों के समान ही महत्वपूर्ण है इसलिए राज्य की शक्ति एवं अन्य समुदायों की शक्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं होना चाहिए । व्यक्ति के लिए अपने समस्त विशेष हितों की रक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को भक्ति करने समस्त हितों के प्रति समान रूप से है । जब उसके हितों में सघर्ष होता है तब व्यक्ति उस हित की रक्षा करना है जिनको उस समय उन परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता है । यदि श्रमिक सघ उसके धार्मिक हितों की रक्षा के लिए हड़ताल करने को आज्ञा देता है और राज्य उस हड़ताल को अवैध घोषित करके व्यक्ति को हड़ताल करने से वजित करता है तो ऐसी अवस्था में साधारणतः व्यक्ति अपने श्रमिक सघ का ही साथ देगा और राज्य का विरोध करेगा । उस समय हड़ताल करने वाले मजदूर के लिए उसके धार्मिक हित राजनीतिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे समय में राज्य सम-संप्रभुता और विवश करने की शक्ति के होने पर भी व्यक्ति से वह अपने आदेशों का पालन कराने में सफल नहीं होगा । व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में राज्य के आदेशों का उल्लंघन इसलिए नहीं करता है कि वह समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहता है या उस में समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं और न इस लिए कि वह अपने धार्मिक हितों को राजनीतिक हितों से अधिक महत्व देता है । यह तो केवल इसलिए कि उस समय उसके धार्मिक हित राज्य को नियंत्रण और आदेशात्मक शक्ति के सघर्ष में आते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए उसे अपने समुदाय का साथ और राज्य विरोधी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है । इसी प्रकार जब चर्च किसी धार्मिक हित की रक्षा के लिए राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने का आदेश देता है तो भी व्यक्ति साधारणतः राज्य का विरोध करता है और चर्च का साथ देता है । इन तथ्यों को सिद्ध करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति के जब विशेष हित और राज्य के आदेशों में सघर्ष होता है, व्यक्ति राज्य के आदेशों को साधारणतः टुकरा देता है

और इससे बहुवादियों का यह दावा कि दूसरे समुदाय भी व्यक्ति के लिए राज्य के समान महत्व रखते हैं, सिद्ध होता है।

अनेक प्राधुनिक राजनीतिक विचारकों ने बहुवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। डा० रिगिम ने राज्य की दूसरे समुदायों में हस्तक्षेप करने की शक्ति की आलोचना की है। प्रो० कोकर के शब्दों में वह यह चाहते हैं, "और उसने ऐसी नीति का समर्थन किया है कि जिससे ऐसे गमस्त समुदायों को सार्वजनिक सस्था मानकर उन्हें अपने-अपने हितों के नियंत्रण के लिये विवेक तथा अधिक स्वतन्त्रता के साथ कार्य करने की सुविधा मिल जाय।" (प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० १२६ यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित) प्रो० बाकर भी राज्य का दूसरे समुदायों से सम्बन्ध को फिर से निश्चिन्त करना चाहते हैं। इन सम्बन्धों में वह कहते हैं "हम राज्य को व्यक्तियों के सामान्य जीवन के लिए निर्मित सस्था के रूप में कम देखते हैं वरन् हम उसे ऐसे व्यक्तियों की सस्था के रूप में ही अधिक देखते हैं जो पहले से एक अधिक व्यापक और सामान्य लक्ष्य के लिए अनेक समुदायों में संयुक्त हैं।" (हर्बर्ट स्पेन्सर से आज तक का (१९१५) इंग्लैंड में राजनीतिक दर्शन) कोकर के 'प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन' पृष्ठ १०० से उद्धृत) डा० लिडगे स्पष्ट शब्दों में विभिन्न समुदायों की व्यक्ति के प्रति भागी की स्वीकार करते हैं और वे इन समुदायों की व्यक्ति के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए उचित भी समझते हैं। लास्की राज्य की समुदायों में प्रमुखता को नैतिक दृष्टि में स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि राज्य के आदेशों का पालन ही अनुपपन्न में व्यक्ति के लिए उचित है त्रिग अनुपात में वह नैतिक है और वह उसी राज्य के प्रति भक्ति प्रदर्शित करेगा जो कि नैतिक दृष्टि से उचित है। उनके अनुसार व्यक्ति का सबसे प्रथम कर्तव्य अपनी अन्तरात्मा के प्रति है। वे आगे चलकर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि राज्य मानवीय समुदायों के अनेक रूपों में से केवल एक है। अपनी पुस्तक 'राजनीति की व्याकरण' में प्रो० लास्की निश्चित रूप से इन निष्कर्षों पर पहुँच गये थे कि समाज में व्यक्ति का स्वल्प संघीय होना चाहिए। बहुवादी सिद्धान्त ने प्राधुनिक काल में राज्य के गिल्ड समाजवाद के सिद्धान्त में निश्चित रूप प्राप्त किया है। गिल्ड समाजवादियों का यह विश्वास है कि आर्थिक हितों का प्रतिनिधि व रक्षा एक भौतिक एवं प्रादेशिक आधारों पर चुनी हुई संघद नहीं कर सकेगी क्योंकि ऐसी संघद भौतिक निर्वाचन शीघ्रों के आधार पर चुनी हुई होगी और वह केवल देश के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व कर सकेगी। इसलिए उनके विचार में आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक अलग आर्थिक या गिल्ड संघद आवश्यक है। इनके पुनः का आधार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए या विभिन्न गिल्ड परिषदों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन प्रकार विभिन्न गिल्ड इकाइयों की एक संघीय संघद होगी। गिल्ड समाजवादी इन बातों में विश्वास रखते हैं कि विभिन्न आर्थिक हितों को स्वायत्तता देनी चाहिए इसलिये उनकी

मुख्य माँग उद्योगों में प्रजातन्त्र है। प्रत्येक उद्योग का अपना गिल्ड होना चाहिए और ऐसी गिल्ड में मजदूर और मालिक दोनों की प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। गिल्ड परिषद में इन प्रतिनिधियों के साथ-साथ उन सम्बन्धित गिल्डों के भी प्रतिनिधि होंगे जिनका वि. किंगी विशेष उद्योग में विशेष हित होंगे। उदाहरण स्वरूप कपड़े के उद्योग में सूत उद्योग बाना के विशेष हित हैं और इसका दूसरा पहलू भी सही है। उद्योगों के और व्यवसायों के आधार पर यह गिल्ड का प्रकार के होने चाहिए। यह गिल्ड अपने प्रतिनिधि उद्योग उद्योग धर्मों के गिल्ड सब में भेजेगे और वहाँ से प्रतिनिधि राष्ट्रीय गिल्ड समिति में भेजे जावेंगे। राज्य की प्रभुता गिल्ड समाजवादियों के अनुगार राजनीतिक व सांस्कृतिक समिति, जो कि भौतिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर वर्तमान प्रकार से चुनी जाएगी, और एक आर्थिक गिल्ड समिति, जो कि उद्योग और धर्मों के आधार पर निर्मित निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर चुनी जाएगी, में विभाजित होगी। प्रभुता का राज्य और दूसरे समुदायों में यह विभाजन पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें परिवार, चर्च और दूसरे सांस्कृतिक समुदाय शामिल नहीं है। यह प्रभुता का आतिर विभाजन भी नीचे लिखी हुई कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं है —

(अ) आधुनिक काल में राजनीतिक और आर्थिक समस्याएँ एक दूसरे से अभिन्न रूप में मिली हुई हैं और उनको अलग करना असंभव सा है। लोक कल्याणकारी राज्य के गिद्दान्त का विकास होने से और अधिकतर राज्यों में इन गिद्दान्त के कार्य रूप में परिणत होने से राज्य के आर्थिक कार्यों में एक बहुत अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक हितों को अलग करना असंभव सा है। वैदेशिक नीति बहुधा आर्थिक हितों पर आधारित होती है और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आर्थिक हितों की रक्षा राज्य के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि राज्य के कार्यों में आर्थिक और राजनीतिक कार्यों का विभेद करना असंभव है।

(ब) आर्थिक समिति, जब भी वह बनेगी, उसका आधार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होगा। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने उद्योग व व्यवसाय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित होगा। इसलिए ऐसी समिति विशेषज्ञों की समिति होगी। उदाहरणतः मान लीजिए कि इसके सामने एक ऐसा बानून का प्रस्ताव आया है जो कि डाक्टरों के सम्बन्ध में है। ऐसे प्रस्ताव पर केवल डाक्टरों का प्रतिनिधि ही कुछ बोलने या आलोचना करने के लिए योग्य समझा जावेगा। अन्य प्रतिनिधि केवल चुपचाप बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पावेंगे।

ऐसे प्रस्ताव पर अन्य प्रतिनिधियों को क्या स्थिति होगी, क्या वह चुपचाप बैठे रहेंगे या वह ऐसे वाद-विवाद में भाग लेंगे जिनमें कि भाग लेने के लिए वे उपयुक्त विधेय योग्यता नहीं रखते। यदि डाक्टरों के एक से अधिक प्रतिनिधि हुए और वे एक दूसरे से घमटमन हुए तो उसी पारस्परिक घमटमन की दशा में मगद किस प्रकार निर्णय करेगी, यह स्पष्ट नहीं है। यह गत्य है कि एक ही विषय के विशेषज्ञ वकिलाना में महमन होने है और माघारस्तन एक दूसरे में घमटमन रहते है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ऐसी मगद के लिए कोई भी निर्णय कर लेना वकिल हो जायगा।

गैडान्तिक दृष्टिकोण में बटुवादियों का मिडान्त बहुत कुछ घस तक गत्य और तबं गगत है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि में यह घमटमन या प्रतीत होता है कि हम बमी भी राज्य की प्रभुता को राज्य और दूसरे समुदायों के मध्य में विभक्त कर सकेंगे। मात्र तक मिड गमात्रवादी और बटुवादियों को इन कार्य में सफलता नहीं मिली है और न वह कोई ऐसी समस्या का निर्माण कर पाए है जो कि इन कार्य को करने में सफल हो सके। बौद्ध ने बटुवाद के धार्मिक भुजाओं को व्याख्या करते हुए कहा है

“यह बटुवादी मिडान्त धार्मिक रूप में वर्तमान मान के उन व्यावहारिक धान्दोनों की दुक्ति युक्त व्याख्या है, जो कि घनेत्र प्रकार सामाजिक नियंत्रण में विवेन्द्रावरण का प्रयोग करना चाहते है। उदाहरणार्थ, ऐसी योजनाएं है जिनमें सरकारी नौकरों की सत्सामों की गत्तामों तथा उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि करके व्यावहारिक समुदायों की सरकारी सेवा में अधिक स्थान दिये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। स्थानीय प्रागन की सत्सामों को उनकी प्रशासनीय स्वतन्त्रता तथा उनके कामों में वृद्धि करने उन्हें गजीव बनाने को भी योजनाएं है। यह भी गुभाव प्रस्तुत किया जाता है कि सत्सत्ति के न्यायपूर्वक नियंत्रण तथा धातमानिध्वक्ति के लिए अधिक गुदीयों की व्यवस्था करने की दृष्टि में उद्योगों के नियंत्रण का पुनर्गठन करने में राज्य की उद्योगों के प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध या नियमन की जगह राज्य की धर्धानता में समुक्त नियंत्रण को व्यक्तिगत वृद्धितियों को प्रोत्साहित करना चाहिए - यह मिडान्त यह है कि राज्य के स्वामित्व में जो उद्योग है, उनका प्रबन्ध राजनीतिक मनोवृत्ति के राज्य मद्रियों द्वारा नहीं होना चाहिए, जिनका पुनाव उग उद्योग के निरुण एव न्याय पूर्ण संचालन में दिनवन्पी रखने वाले समुदाय करे। ऐसी व्यवस्था केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सरकारी बंधनकारी घपने विशिष्ट हितों की रखा कर गकें वरन् इसलिए भी

कि वह जनता को नोकरसाही के दोषों से इस सिद्धान्त के आधार पर बचा सके।”

(प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. ५०८-९ याववेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

जर्मनी, फ्रान्स और चैकोस्लोवेकिया की आर्थिक परिपदे भी प्राधुनिक बहुवाद की ओर भुकाव का प्रतिनिधित्व करती है।

‘जर्मनी, फ्रान्स तथा चैकोस्लोवेकिया की परिपदे ने मन्त्रिमण्डलों द्वारा प्रस्तावित करो, सामाजिक बीमा, मकान निर्माण, धर्म जीवियों की व्यवस्था उत्पादन और व्यापार के नियमन, रक्षण तथा प्रोत्साहन की योजनाओं के सम्बन्ध में परामर्श दिया है। किन्तु यह परामर्श मुख्य कर विशेषज्ञ का परामर्श था, उसका राजनीतिक रूप नहीं था।’

(प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन कोकर पृ० ५११ याववेन्दु—तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

सारथी जैसे बहुवादियों को बहुवाद की व्यावहारिक कठिनाई के कारण बाद में अपने सिद्धान्तों को बदलना पड़ा। उन्हें राज्य की अधिक शक्तियों को स्वीकार करना पड़ा और राज्य की आदेशात्मक शक्ति को भी आवश्यक मानना पड़ा। इतिहास के इस युग में राज्य की शक्तियाँ सबसे अधिक हैं। लोक कल्याण और नियोजित प्रजातन्त्र के नाम पर प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में भी राज्य व्यक्ति के कार्यक्षेत्र पर अत्यधिक नियन्त्रण स्थापित करने में भी सफल हो गया है। राज्य आज राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के सम्मिश्रण हो जाने से अत्यधिक शक्तिशाली है। व्यक्ति भी यह आशा करते हैं कि राज्य उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा।

बाल्टर ई. सेन्डोजियस इस सम्बन्ध में लिखते हैं—

“इस शताब्दी में बहुवाद एक राजनीतिक दर्शन के सिद्धान्त के रूप में आज उतना सक्रिय नहीं है जितना कि वह दो वर्ष पहले था। यह आज उतना सक्रिय नहीं है जितना कि वह दो वर्ष पहले था। यह सामाजिक संस्थाओं में राज्य के महत्व को कम करने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य की सप्रभुता के सिद्धान्त को हड़ता से अस्वीकार करता है। इसका प्रभाव राज्य के बढ़ते हुए अधिकारों के कारण स्पष्ट रूप से घट गया है। हेराल्ड लास्वी जो कि अपनी आदि कृतियों में इस दृष्टिकोण के पक्ष के एक मुख्य प्रतिनिधि थे, अपनी बाद की कृतियों में एक राज्य के प्रभाव की वृद्धि की दशा में, यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्था के शक्ति शासित रूप की ओर भी उनका निश्चित और स्पष्ट भुकाव दिखाई देता है। सोवियत राज्य का राष्ट्रीय रूप होते हुए भी उसका विकसित होता हुआ स्वरूप का एक अत्यधिक शक्ति संपूर्णता का स्वभाव है। यद्यपि यह बहुवादियों की

उग सिंगीप और नीतिक देन, जो कि उनके सामाजिक दृष्टिकोण में प्रतीत होनी है, के प्रभाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। तब भी संभवतः बहुवादी विचारधारा के कमजोर पड जाने से इगवा बुद्ध न बुद्ध संबन्ध प्रबन्ध है। किन्तु फिर भी बहुत बुद्ध भीमा तक प्राधुनिक राज्य ने अपने उत्पन्नाधिकारों को समझाकर इगमें कोई बुद्ध सेवा नहीं की है।”

(२० वीं शताब्दी का राजनीतिक दर्शन पृ० १६४—६५)

बहुवाद का इतिहास बानूनी सिद्धान्त के रूप में कई शताब्दियों पुराना है। इग सिद्धान्त का हम मन्थुगियम, और मैटनेन्ड की कृतियों में पाते हैं। उनका विश्वास था कि नियमों का अपना एक बानूनी वास्तविक व्यक्तित्व होता है जो कि राज्य पर निर्भर नहीं है। मैटनेन्ड का यह विश्वास था कि नियम, यहाँ तक कि छोटे छोटे निगमों, का भी वास्तविक व्यक्तित्व होता है। इस सम्बन्ध में मैटनेन्डियम का कथन है—

“इस सिद्धान्त का डब बानूनी विचारद शब्दों और नियमों की कृतियों पर भी निश्चित प्रभाव पडा था। किन्तु इगनेन्ड में फिगिन द्वारा चर्च के गैर बानूनी अधिवातों की रक्षा इस देश (मधुकराष्ट्र) में कुमारी फौल्ट के द्वारा सामूहिक व्यक्तित्व की और हरान्ड लास्की की अनुत्तरदायी राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा में बड़ी ध्यानोचना ने हमारे ध्यान को इस सम्बन्ध में आकर्षित किया है।”

(२० वीं शताब्दी का राजनीतिक दर्शन पृ० १६५)

बहुवाद की मधमे यही श्रुति राज्य के कार्य क्षेत्र की निश्चित करने और माध-माध राज्य और हमारे समुदायों के मध्य में एक सीमा रेखा खींचने में प्रयत्न करता है। बहुवादी स्पष्ट रूप से यह नहीं बनाना कि वे राज्य की कौन से कार्य देना चाहते हैं या वे कौन से कार्यों का निषेध करना चाहते हैं जो कि अद्वैतवादी देते हैं। यह सिद्धान्त भी पूर्णतया नहीं है कि यदि व्यक्ति को हम राज्य नियंत्रण से स्वतन्त्र कर दें तो वह अपनी सृजनात्मक शक्तियों को और अपनी प्रवृत्तियों का विराम उचित प्रकार में कर सकेगी। जहाँ एक ओर बहुवादी राज्य की हस्तक्षेप और नियंत्रण करने की शक्ति की ध्यानोचना करते हैं वहाँ दूसरी ओर वे सामाजिक और हमी समुदायों के शक्ति शासन के रूपों का विरोध नहीं करते। इस सम्बन्ध में जिमरन का कथन है—

“जो व्यक्ति राज्य की निरंकुशता की बात करते हैं वे सब मध्य की उदासा करते हैं कि मनीष के पट्टीनी के अध्याचार के समान अध्याचार हमारा नहीं है। समुदाय जितना ही छोटा होगा उतना ही अधिक कडा भाषण जीवन तथा कार्यों पर प्रतिबन्ध रहेगा।”

(राजनीतिक दर्शन—बीकर—प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० ५१७
 चारवेन्ड तथा मेरता द्वारा अनुवादित से उद्धृत)

कोकर ने इन शब्दों में बहुवाद की असफलता का सारांश दिया है—

“प्रत्येक ‘छोटा या ऐच्छिक’ समुदाय वास्तव में राज्य की सर्वोच्चता को अभ्यस्त रूप से स्वीकार करता है, जब कि उसे इस सत्ता को उन दूसरे समुदायों से अपनी रक्षा के लिए आवश्यकता होती है जो उस क्षेत्र में, जिसे वह अपना ही समझता है, उसके कार्य की स्वतन्त्रता में बाधा डालते हैं।”

“राजनीतिक अद्वैतवादी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य ऐसा समुदाय है जो व्यक्तियों तथा समुदायों की स्वार्थपरता के ऊपर मनुष्यों की सामाजिक प्रवृत्तियों की श्रेष्ठता को बाधित रखना है। वह सन्देह करता है कि छोटे समुदाय - मजदूर गण, धार्मिक समुदाय, व्यापारिक सघ, स्वाभाविक रचनात्मक कार्य के केन्द्र बनने के प्रयत्न में जब अधिक सफल होंगे, उसी समय अच्छा काम करेंगे, जबकि वे सब राज्य की कानूनी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेंगे। यदि बहुवादी इसे स्वीकार करते हैं, या यदि वे यह स्वीकार करते हैं, जैसा कि वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं, हमारा केवल एक ही ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्यता साधारणतया अनिवार्य है और इस सस्या को सामान्य हितों की परिभाषा करने की सत्ता उचित रूप से प्राप्त है और इन हितों की रक्षा करने में वह कानून के अनुसार बल प्रयोग कर सकती है, तब इससे इस बात में कोई अधिक सैद्धान्तिक या व्यावहारिक भेद नहीं होगा कि इस सम्बन्ध में कोई एक मत है या नहीं कि राज्य के इन स्वोच्चता पूर्ण एवं विलक्षण गुणों को हम प्रभु शब्द द्वारा भलीभाँति व्यक्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह प्रतीत होती है कि हम व्यक्ति या समुदाय की स्वतन्त्रता को चाहे जितना महत्व दें सभावना इस बात की है कि हमें अब कई प्रकार के तथा अधिक केन्द्रीभूत राजनीतिक नियन्त्रण का मुकाबला करना पड़ेगा और विकेन्द्रीयकरण की दशा में हमारे व्यावहारिक प्रयत्नों के जो परिणाम निकलेंगे उनसे राज्य सत्ता का महत्व अथवा क्षेत्र जल्दी ही क्षय नहीं होगा।”

(आधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० ५४७—४८ प. दवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

अराजकतावादी दर्शन

अराजकतावाद एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में व्यक्ति के प्रत्येक प्रकार के रूप का विरोध करता है और व्यक्ति को चाहे वह किसी भी प्रकार से कार्य में लार्ड जायें हो, अनावश्यक, अशान्तिपूर्ण एवं हानिकारक समझता है। अराजकतावादी राज्य को नहीं चाहते वह राज्य के अस्तित्व का विरोध करते हैं। राज्य एक अनावश्यक बुराई है और इसका अन्त जितना शीघ्र हो जाए उतना ही उसके हित में अच्छा है। राज्य के उन्मूलन के साथ साथ वह व्यक्तिगत सम्पत्ति को सत्ता और प्रत्येक प्रकार की धार्मिक सत्ता का भी अन्त करना चाहते हैं।

हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार—

“अराजकतावाद के लिए समस्त तर्कों का आधार एक सामान्य अनुमान— अनुमान यह है कि इसी प्रकार का समाज एक गायब वस्तु है—और बेवत मायब वस्तु के अनुरूप ही नहीं है बल्कि वास्तव में एक जीवित दाँचा है जिसकी अपनी विषय भाषाएँ हैं, पावन प्रदुनियाँ और विषय दुनियाँ, बुद्धि और मस्तिष्क है। जैसे एक व्यक्ति इन सब कुणों के नहीं सन्तुलन को बनाए रखने से अपने आपको स्वयं बनाए रख सकता है उसी प्रकार से एक समाज स्वतन्त्रतापूर्वक और स्वाभाविक रूप से अपराध और बीमारियों के बिना रह सकता है। अपराध सामाजिक बीमारियों, जैसे दरिद्रता, विषमता और प्रतिबन्धों के लक्षण हैं। सामाजिक शरीर को इन बीमारियों से छुटकारा दिलाने पर आप समाज को अपराध से भी छुटकारा देना सकेगें। जब तक आपका इसमें विश्वास नहीं है, एक भादसों और कल्पना के रूप में नहीं, किन्तु एक प्राणी शारीरिक राज्य के रूप में, मान अराजकतावादी नहीं हो सकते। किन्तु यदि आप का इसमें विश्वास है तो आपको तार्किक दृष्टि से अराजकतावाद पर माना ही होगा। दूसरा मार्ग आपने लिए अविश्वासी और व्यक्ति में विश्वास रखने वाला एक

ऐसा व्यक्ति जिसका प्राकृतिक अवस्था में नहीं के बराबर विश्वास है और जो कि विश्व में अपनी इच्छाओं के अनुरूप किसी अप्राकृतिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न करेगा।" (भराजकतावाद का दर्शन पृ. ३०-३१)

भराजकतावादियों का साधारण मत यह है कि हमारी समस्त बुराइयाँ, जिनको कि वे सामाजिक बीमारियों का नाम देते हैं, उन सबका कारण आदेशात्मक और विवश करने वाली शक्ति है तथा वे सब प्रतिबन्ध हैं जो कि राज्य लगाता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है और सामाजिक अव्यवस्था को उदास करते हैं। मनुष्य उनके अनुसार स्वभावतः अच्छा है और उसमें सामाजिक एवं सहयोगी प्रवृत्तियों की प्रमुखता है। यह राज्य की शक्ति के द्वारा उत्पन्न की हुई अप्राकृतिक परिस्थितियों का ही परिणाम है कि उसमें स्वार्थी और प्रतिद्वन्द्वता पूर्ण प्रवृत्तियों का आधिक्य पाया जाता है। इन सब बुराइयों के लिए केवल एक 'धोपवि' है, राज्य को समाप्त कर दीजिए और सब कुछ ठीक हो जायगा। प्रो० सभवतः पहला विचारक था जिसने कि अपने आपको भराजकतावादी कहा। वह प्राकृतिक न्याय में विश्वास करता था और उसके अनुसार सब अपने अपने श्रेय के द्वारा उपजती हुई वस्तुओं का पूर्ण उपभोग करने के अधिकारी हैं। अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक 'सम्पत्ति क्या है' में सम्पत्ति की परिभाषा करते हुए उसने बताया है कि समस्त सम्पत्ति चोरी है और यह भी धोषणा की कि, "मैं पूर्ण अर्थ में भराजकतावादी हूँ" (आधुनिक राजनीतिक चिन्तन—कोकर—पृ. २२५ यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित में उद्धृत, उनका विश्वास है कि राज्य निजी सम्पत्ति की सस्था और उसके फलस्वरूप आर्थिक विषमताओं को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वह राजनीतिक शक्ति का विरोधी था। क्योंकि शक्ति का अर्थ है मनमानी करना और यह बुद्धि, न्याय और गमभङ्गारी के विपरीत है।

१९ वीं शताब्दी के अधिकांश भराजकतावादी मनुष्य की आन्तरिक अच्छाई में विश्वास रखते हैं और उनका यह भी विश्वास था कि व्यक्ति एक स्वतन्त्र और नैतिक हो सकता है यदि राज्य की सत्ता का अन्त हो जावे। उनमें में अधिकांश अस्तित्व राजनीतिक कार्यों से सहयोग करने में विश्वास करते थे, और उन्होंने व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों से उदासीन रहने का उपदेश भी दिया है। थॉमस जो कि एक प्रख्यात अमेरिकन भराजकतावादी था, अन्तरात्मा को कानून में श्रेष्ठ मानता था। वह चाहता था कि सब व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र और बौद्धिक इच्छाओं के अनुसार कार्य करें। जोशिया वारेन ने अमेरिका में सबसे पहले भराजकतावादी पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था 'शान्ति पूर्ण क्रान्तिकारी'। इस भराजकतावादी विचारक के मुख्य विचार प्रो० कोकर के अनुसार इस प्रकार हैं—

"अपने सामाजिक सिद्धान्त को आत्मरक्षण के सावधानीपूर्ण स्वाभाविक नियम पर आधारित करते हुए उगने बहने कि राज्य की ओर से रक्षा की आवश्यकता

मनुष्य को अपने स्वभाव के कारण नहीं बल्कि उन दूसरों के कारण होती है जो उनके पूर्वजों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा दमनकारी शासन की स्थापना करके उत्पन्न की। समाज के कार्यों को सामान्य व्यवस्था के लिए वह विशेषज्ञों की एक समिति को ही पर्याप्त समझना या जिनके निर्णयों का महत्व केवल उतना ही हो सकेना या जितना कि समझाने बुझाने में उन्हें दिया जा सकता था। उसने समस्त श्रमिकों को राजनीतिक कार्यों में कोई रुचि न लेने और अपने कार्यों को स्वेच्छापूर्वक महयोगों प्रयत्नों तक ही सीमित रखने की सलाह दी। उसके विचार में यदि ऐसा किया गया, तो समाज में निर्धनता एवं ताम का घोर घोर घन्त हो जायगा और अन्त में शासन की आवश्यकता भी समाप्त हो जायगी।”

(प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० २०७-८, पादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

अराजकतावादी दर्शन के दो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विचारक, जिन्होंने कि प्राधुनिक काल में अराजकतावादी सिद्धान्तों का पूर्ण और व्यवस्थित विवरण दिया है, माइकेल बैकूनिन और जिनस पौटर प्रोवाइडिन हैं। दोनों एक ही सामन्त वर्ग के थे। दोनों ने ही मार्ग के सिद्धान्तों की आलोचना की है क्योंकि वे सिद्धान्त राज्य की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। इन विचारकों का उद्देश्य सामूहिक और व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन करना था। प्रो० कौसर के शब्दों में बैकूनिन के धर्म और सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्य विचार यह हैं—

“राज्यमता, व्यक्तिगत सम्पत्ति और धर्म मानव विभाग की निम्न अवस्था की स्वामाविक समस्याएँ हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में नैतिक इच्छाओं तथा भय से है। व्यक्तिगत सम्पत्ति भौतिक वस्तुओं में मनुष्य की अभिरुचि उत्पन्न करती है, राज्य भौतिक बल द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा करता है। धर्म, राज्य तथा सम्पत्ति दोनों का पीपण्डु करता है और वह मानव के भौतिक सुख की कामना को जागृत करता है तथा मृत्यु के बाद नैतिक कष्टों का भय भी दिखाना है। इन सम्पत्तियों को, जो कि मानव की प्राथमिक प्रवृत्ति की विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं, मानव विभाग के स्वामाविक नियमों के अन्तर्गत अवश्य ही मुक्त होना है।”

(प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० २४१ पादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

बैकूनिन ने स्पष्ट रूप से प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक संस्था का उचित को उचित नहीं समझा है। प्रजातन्त्रीय राजनीतिक संस्थाएँ भी उनकी मध्य में उचित नहीं

थी। उसका यह विश्वास था कि राज्य का मूल-स्वभाव तिगो भी प्रकार के नहीं बदला जा सकता है। प्रायिक रूप से शक्ति सम्पन्न वर्ग सदैव राज्य का उपभाग अपने लाभों के लिए करेगा और वे राज्य को प्रायिक रूप से दुर्बल वर्गों का शोषण करने के लिए एक अस्त्र बनाए रखेंगे। राज्य अनैतिक भी है क्योंकि इससे शासक और शासित दोनों का नैतिक पतन होता है। दूसरे के आदेश के कारण किया हुआ कोई भी कार्य या राज्य सत्ता के उत्पादन के डर से किया गया कार्य भी अनैतिक और अतार्किक है और इसलिए बंक्रुनिन के अनुसार राज्य समस्त जनता के नैतिक पतन का कारण है। यह एक और प्रत्याचारी शासकों को जन्म देता है तो दूसरी ओर दागों को। निजी सम्पत्ति और धार्मिक सस्थाएँ जो कि राज्य की शक्ति की गणायता से अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, नैतिक रूप से भी हैं।

बंक्रुनिन का विश्वास था कि अराजकतावाद की स्थापना प्रायिक रूप से विकास के द्वारा एवं प्रायिक रूप से श्रान्ति के द्वारा होगी। अराजकतावादी श्रान्ति का उद्देश्य समस्त शक्ति द्वारा शासित सस्थाओं का ध्वंस करना होगा। यह श्रान्ति आवश्यक रूप से हिंसात्मक होगी। श्रान्ति के पश्चात् श्रान्तिकारी परिपदों की स्थापना होगी जिनका मुख्य कार्य होगा, राजनैतिक सस्थाओं का पूर्ण ध्वंस और साथ ही साथ ऐसी नई सस्थाओं की उत्पत्ति के विरुद्ध पूर्ण सजगता रखना। किन्तु बंक्रुनिन कुछ अराजकतावादियों की तरह इस बात में विश्वास नहीं करता है कि राज्य के उन्मूलन से ही सब कुछ अपने आप ठीक हो जावेगा। यह सामाजिक सस्थाओं की आवश्यकता को समझता है और यह भी आवश्यक समझता है कि श्रान्ति के बाद वाले युग में सामाजिक एतत्व को बनाये रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की नई सस्थाओं की स्थापना आवश्यक होगी। उसके अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए सामाजिक जीवन आवश्यक और स्वाभाविक है, इसलिए वह यह नहीं मानता कि अराजकतावादी समाज में समस्त सगठन का अन्त हो जायगा। किन्तु उसने ऐसी सस्थाओं को और उसके सम्बन्ध में विचारों को भविष्य के लिए छोड़ दिया है। उसने अनुसार प्रारम्भिक कार्य ध्वंस का है और इस पर ही उसने अपने विचारों को केन्द्रित किया है। पुनर्निर्माण के कार्य को उन्होंने भविष्य के लिए छोड़ दिया है। राज्य के स्थान पर एक स्वतन्त्र समाज होगा जिसमें सब समान होंगे और जिसमें तिगो भी प्रकार की विषमता नहीं होगी। इसका आधार ऐच्छिक समुदाय होगा। गाँव भूमि और यन्त्र समान रूप से सारे समाज के हाथ में होंगे और समाज उद्योग उत्पादन करने के लिए व्यक्तियों या स्वेच्छा से निमित्त समुदायों को देगा। यह ही उत्पन्न में भाग होगा, यदि उन्होंने अपने योगदानानुसार समाज का कुछ भी अनुदान दिया है। राजनैतिक सीमाएँ समाप्त हो जावेंगी। बंक्रुनिन ने कहा है, "उस समय व्यक्तियों के स्वतन्त्र सम्मूह होंगे, सम्मूहों के स्वतन्त्र प्रान्त होंगे प्रान्तों के राष्ट्र और राष्ट्रों का

स्वतन्त्र सभ यूरोप का संयुक्त राज्य और अन्त में प्रखिल विश्व का एक संघ होगा ।” (प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० २१८ यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

बैकूनिन नागिकारो भराजवतावाद में विद्वास ररता है किन्तु प्रोपॉटकिन विद्वासवादी भराजवतावाद के पक्ष में है । प्रोपॉटकिन का मत है कि विद्वास के प्राकृतिक कानून समाज और उसकी सस्यामो के सम्बन्ध में भी लागू किए जा सकते हैं । उनका यह भी विद्वास था कि राज्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है । प्राकृतिक और ऐतिहासिक राज्य इस अर्थ में अप्राकृतिक है यदि वह हमारे सहयोगी कार्य करने की प्राकृतिक प्रवृत्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है । राज्य और उसके सस्यात्मक ढांच के उत्पन्न होने के पूर्व अगणित शताब्दियों तक व्यक्ति स्वतन्त्र समाजों में रहता था और रीति-रिवाज ही उसके कानून थे । जब समाज का ऐसे आधिक वर्गों में विभाजन हुआ जिनके हितों में विरोध था और जिसके कारण सभर्ष शुरु हुआ तब राज्य एक राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का जन्म हुआ । कानून अप्राकृतिक और अल्पज्ञ गुण वाले होते हैं और उनमें नाम केवल सम्पत्तिवादी वर्ग की होता है । प्रोपॉटकिन ने दृढता के साथ इस बात की कहा है कि इतिहास ने पूर्ण रूप से यह सिद्ध किया है कि राज्य न तो उच्च नैतिक आदर्शों को पाने में ही सफल हो सकता है और साथ ही जितने भी अन्याय व दोष, जिनके कारण मानवता को कष्ट पहुंचता है, उन सबके लिए उत्तरदायी भी है । राज्य शोषण को नहीं रोक सकता और न शापारण व्यक्ति के लिए लाभदायक भेबाएँ ही कर सकता है । यहाँ तक कि यह व्यक्ति के मूल अधिकारों की भी रक्षा नहीं कर सकता है । व्यक्ति के ममस्त मूल अधिकार जैसे कि “समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, सभा की स्वतन्त्रता, गृह की अडलंघनीयता की रक्षा तथा और नागरिक स्वतन्त्रताओं का आदर उभी समय तक होता है जब तक जनता उनका प्रयोग उन वर्गों के विरुद्ध नहीं करती है जिनके पास विशेष अधिकार हैं ।” राज्य सामान्य नागरिक की समाज विरोधी व्यक्तियों से रक्षा भी नहीं कर सकता है । और यह गत्य है कि बारागार और राज्य द्वारा दिये दण्ड दुर्गुणों को फैलाने के लिए, न कि उनको नियंत्रित करने या रोकने के लिए, उत्तरदायी हैं । बैकूनिन की भांति प्रोपॉटकिन भी प्रजातन्त्रीय सरकार की व्यवस्था की पिछली राजनैतिक व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार श्रेष्ठ नहीं मानता है—

“प्रतिनिधि शासन ने अपना ध्येय तो पूरा कर लिया उसने दरबारी शासन पर घातक प्रहार किया है और अपने वादविवादों और विचार विनिमय द्वारा जनता में सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति रचि पैदा की है किन्तु प्रतिनिधि शासन को भावी समाजवादी समाज के निम्ने उपयुक्त शासन समझना संभवकर मूल होगी । जीवन के प्रत्येक आधिक पहलू का अपना राजनैतिक पहलू भी

होता है। डॉ. राजनीतिक संगठन के माध्यम से अनुसूक्त परिवर्तन किये बिना माधुनिक आर्थिक जीवन के माध्यम—व्यक्तिगत सम्पत्ति—को रक्षित करना असम्भव है।”

(सराजकतावादी साम्यवाद—नोपोटकिन पृ० २८ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन—कोरर पृ० २२२, यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

नोपोटकिन निजी सम्पत्ति की सस्था के विरुद्ध है। निजी सम्पत्ति को दुर्गुण मानेक है। यह एक छोट जनता के लिए दुस्रो छोर बेतारी को उत्पन्न करती है और दूसरी छोर कुछ धनवान व्यक्तियों के लिए धातस्य, नैतिक पतन और सामाजिक क्षेत्र में युद्ध के द्वारा विध्वंस उत्पन्न करती है। उसके अनुसार राजनीतिक शक्त का मुख्य कार्य सम्पत्ति की रक्षा करना है। राज्य और निजी सम्पत्ति के उन्मूलन से एक सराजकतावादी समाज का नवीन युग प्रारम्भ होगा। इन सराजकतावादी समाज का संगठन उसी प्रकार का है जैसा कि माइकेल बैकूनिन का था। समाज उन व्यक्तियों के स्वेच्छापूर्वक निमित्त समूहों में संगठित होगा जिनका हि एक ही उद्देश्य है। यह समुदाय दूसरे समुदायों के साथ में गभ बनाएंगे। इन सभों का आधार उनके विशेष और विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक हित होंगे। इनकी सदस्यता ऐच्छित होगी और जो व्यक्ति इसके नियमों का पालन नहीं करेगा उनको समुदाय निष्कासित कर देगा। भगड़ों का निगटारा मध्यस्थों के द्वारा होगा। समाज विरोधी कार्यों का नियन्त्रण नैतिक प्रभाव के द्वारा या कुछ मामलों में, जिनमें कि नैतिक प्रभाव ऐसा करने में असफल होगा, निष्कासन के भय से होगा और नैतिक प्रभाव एवं निष्कासन का भय यह इस नवीन समाज से एक्य को आण रखने के लिए नवीन साधन होंगे।

नोपोटकिन सम्पत्ति के सामूहिक स्वामित्व में विश्वास करता था और इस लिए वह यह समझता था कि उत्पादन और उपभोग के उद्देश्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में काम करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इसलिए व्यक्ति स्वयं निगी न किसी स्वेच्छा से निर्मित समुदाय का सदस्य हो जायगा। ऐसे समुदायों का आधार ऐच्छित समझौते होंगे। इन समझौतों के रूप के सम्बन्ध में नोपोटकिन ने लिखा है कि—

“हम आपको इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि आप हमारे मकानों, भंडारों राजपथों, मातापिता एवं परिवहन के साधनों, विद्यालयों तथा भद्रतागणों का इस शर्त पर प्रयोग कर सकेंगे कि आप २४ घण्टों की मात्रा से ४५ - ५० घण्टों की मात्रा तक प्रतिदिन ४—५ घण्टे ऐसे काम का सम्पादन करने में समर्थ हों जो जीवनोपयोगी समझा जाए। आप स्वयं यह निर्णय कर लें कि आप कौन से समुदाय में प्रविष्ट होना चाहते हैं भयवा आप कोई नया समुदाय संगठित करना चाहते हैं, किन्तु उसे किसी आवश्यक सेवा कार्य को स्वीकार

करना होगा। वेप ममय मे प्राण मनोरजन, विज्ञान या कला के उद्देश्य मे अपनी रचि के धनुमार चाहे जिकके माय प्राणा सम्पकं रखें - हम प्राप से बबल यह चाहते हैं कि प्राप एक वर्ष मे १२०० से १५०० घण्टे किनी भी ऐसे समुदाय मे काम करे जो साक्षात्, वस्त्र या प्राप्रय स्थान उत्पन्न करने प्रथम सांघंत्रिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि के कार्य मे संलग्न है। इनके बदले मे हम प्रापके लिए उन सभी वस्तुओं की गारन्टी देते हैं जो हमारे संघ उत्पन्न करते हैं।"

(प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन - बोकर पृ० २२४ वादयेनु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

यह हमारे सामने उग प्रराजकतावादी समाज, जो कि विध्वंस के बाद जन्म लेगा, की स्वरूपा रचना है। प्रापॉटकिन का यह विद्वान्त था कि सारी जनता की प्रावश्यकताओं के माय मामित्री उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की केवल ३ या ४ घण्टे काय प्रतिदिन करना पर्याप्त होगा। प्राधुनिक व्यवस्था मे प्रधिकारा उत्पादन किनी भी काय मे नहीं प्राणा और व्यक्तिवादी उत्पादन व्यवस्था के कारण उत्पादन ममय भी व्यर्थ नष्ट होता है। उमरा यह भी विद्वान्त था कि हमारे सामाजिक विभाग की दिना दम भविष्य के समाज की और भी है। जाने जने, महयोगी मस्थाएँ राज्य से घने सांघंत्रिक कार्य की मेनी चनी जा रही हैं। उनकी राय मे यद्यपि यह सामाजिक विभाग का घन प्रराजकतावादी समाज मे ही होगा किन्तु फिर भी यह सभी मभव होगा जबकि ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्राति होगी। ऐसी प्राति के बिना प्रराजकतावादी समाज की स्थापना संभव नहीं होगी।

यह प्राति प्रारम्भ मे हिमात्मक और ध्वंसात्मक होगी। शासकों को हमे शक्ति के द्वारा निष्कासित करना होगा। राज्य की ममस्त शक्ति मामित्री और राजनीतिक मस्थाओं का ध्वंस भी प्राति के बिना नहीं हो मयेगा। प्राति के हमरे चरण मे नित्री ममर्ति का उन्मूलन होगा और नित्री ममर्ति जनता मे बाँट दी जायगी। विज्ञान भूमि की और मजदूर वन-कारवानों की अपने प्रधिकार मे कर मेगे। पत्यदान समाज के पुनर्निर्माण का युग आएगा। यह पुनर्निर्माण विमुक्त महयोगी ऐच्छित आधारों पर ही होगा। किनी की भी ऐसे महयोग के लिए चिन्ता करने की प्रावश्यकता नहीं। राज्य की शक्ति की अनुपस्थिति मे भी नागरिकों की उनकी प्राकृतिक प्रादरप्यताएँ महयोग के लिए बाध्य करेगी।

कीशटसिन का यह वचना है कि प्रराजकतावाद जैसा कि साधारणतः समझा जाता है मन्ववस्था का नाम दूगम नाम नहीं है। प्रराजकतावाद का उद्देश्य केवल संगठित शक्ति एवं मस्थाओं का विशेष करना है। हमें राज्य की शक्ति के ममनों को पूरा करने के

लिए आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि इन समझौते का आधार प्रायः श्रमशक्ति एवं शक्ति होती है और इसलिए भी कि ये समझौते केवल एक ही पक्ष के लिए होते हैं। भ्रष्टाचारवादी समाज में ऐसे कोई भी समझौते नहीं होंगे। उस समाज में समझौते का आधार व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छा होगी। ये दोनों पक्षों के हितार्थ होंगे और इस कारण दोनों पक्षों द्वारा राज्य की शक्ति की अनुपस्थिति में भी पूर्णरूपेण पूरे किए जाएंगे। त्रोपाटकिन का यह भी विश्वास था कि व्यक्ति स्वभावतः श्रम से घृणा नहीं करता किन्तु वह अत्यधिक श्रम या ऐसे श्रम से जिसका कि पूरा पारितोषिक नहीं मिलता या जो कि अस्वास्थ्यप्रद या गन्दा है, से घृणा करता है। भ्रष्टाचारवादी समाज में श्रम के साथ में ऐसी कोई भी दशाएँ नहीं होंगी इसलिए श्रम उस समाज में अरिचक्र नहीं होगा।

त्रोपाटकिन व्यक्ति की समाज विरोधी प्रवृत्तियों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और न वह समाज के लाभ-प्रद रीति-रिवाजों को नष्ट ही करना चाहता है। भ्रष्टाचारवादी भी समाज विरोधी कार्य करते हैं उनका कारण ऐसी दूषित सामाजिक रीतियाँ हैं जो कि व्यक्ति को समाज विरोधी कार्यों के लिए बाध्य कर देती हैं। त्रोपाटकिन रुढ़िवादी धर्म को भी नहीं चाहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म का कोई आधार नहीं है। यह या तो "जगत की सृष्टि की घीमांगा करने वाला एक प्रादिम गिद्दान्त है" या "प्रकृति को समझाने का एक भद्दा प्रयाग है" या एक ऐसी रुढ़िवादी नैतिक व्यवस्था है जो कि जनता के अंधविश्वासों पर आधारित है। यह ऐसे श्रम और रुढ़िवादी नैतिक प्रणाली के विरुद्ध था। उनके अनुसार स्वयं विकसित जनता की सामाजिक नैतिकता ही उचित प्रकार की नैतिकता हो। यह सामाजिक नैतिकता ऐसे नैतिक नियमों तथा आदतों का समूह है जो कि धार्मिक विश्वासों द्वारा स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ है।

भ्रष्टाचारवादी और समाजवादियों का एक ही उद्देश्य है। ये दोनों वर्गविहीन और राज्य विहीन समाज चाहते हैं। किन्तु इस उद्देश्य को पाने के उनके मार्ग प्रत्यक्ष हैं। समाजवादी और विरोधवादी बान्धिकाारी समाजवादी इस उद्देश्य को पाने के लिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आवश्यक समझते हैं। किन्तु भ्रष्टाचारवादी ऐसी शक्ति द्वारा शासन करने वाली गणतन्त्रों को अपने उद्देश्य को पाने के लिए न तो आवश्यक ही समझते हैं और न पसन्द ही करते हैं। जहाँ साम्यवाद का अन्त होता है वहाँ भ्रष्टाचारवाद प्रारम्भ होता है। उनको हम एक ही वृक्ष के दो धर्म भाग कह सकते हैं। इन दोनों के सम्बन्ध में लेनिन ने लिखा है, "हमारा भ्रष्टाचारवादियों से अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य के विनाश के प्रश्न पर मतभेद नहीं है।" किन्तु "मार्क्सवाद भ्रष्टाचारवाद से इस बात में भिन्न है कि वह सामान्यतः बान्धिकाारी काल में

तथा विशेषता पू जीवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर होने के सदमग्न वाक में राज्य तथा राज्य की शक्ति की प्रावश्यकता को मानता है ।”

(प्रायुक्तिक राजनीतिक चिन्तन—बोकर पृ० २३४ पादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

कुछ ऐसे अराजकतावादी भी हैं जो प्रत्येक प्रसार की शक्ति तथा शक्ति के उपयोग के विरुद्ध हैं, जो कि शक्ति पूर्ण मायनों में अराजकतावादी समाज की स्थापना चाहते हैं । ऐसे अराजकतावादियों में सबसे प्रशस्त टॉल्स्टाय है । उनके सिद्धान्त को हम क्रिश्चियन अराजकतावाद कह सकते हैं । उन्होंने क्रिश्चियन गुणों एवं नैतिकता को पालन करने का उद्देश्य दिया था । उनके अराजकतावादी समाज का आधार यही गुण है । वह राज्य एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की गस्था को भी क्रिश्चियन सस्याएँ समझते हैं । राज्य शक्ति पर प्रायश्चित्त है और अपने आदेशों का पालन कराने के लिए शक्ति का प्रयोग करना है इसलिए राज्य, क्रिश्चियन धर्म के नैतिक आदेश 'कि बुराई का शक्ति के द्वारा विचार नहीं करना चाहिए' का पालन नहीं करना है । व्यक्तिगत सम्पत्ति की गस्था मानवीय आनन्द और दान के क्रिश्चियन नैतिक आदेशों के विरुद्ध है । वह अराजकतावादी समाज को उन सिद्धान्तों एवं व्यक्तिगत व्यावहार के द्वारा स्थापित करना चाहते थे तथा व्यक्ति की मुक्त नैतिक प्रवृत्तियों को आपन करना आवश्यक समझते थे । उनके अनुसार एक मनुष्य क्रिश्चियन की तरह और बुराईयों का निर्णय विरोध करने हुए यदि समाज के अधिकांश व्यक्ति रहेंगे तो अराजकतावादी समाज की स्थापना में कोई विरोध कठिनाई नहीं होगी ।

सम्भवतः अराजकतावादी समाज की स्थापना शक्तिपूर्ण प्रयत्नों में नहीं हो सकेगी । ह्यंटें रीड के अनुसार :

“एक विद्रोह की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि जब कार्य करने का अवसर आयेगा तब प्रारंभ श्रेष्ठ प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति भी, यदि वह शिगर पर है, तो सामान्य ज्ञान के लिए अपने व्यक्तिगत ज्ञानों का बलिदान नहीं करेंगे ।”
(अराजकतावाद का दर्शन पृ० ३४)

रीड का यह कथन हमारे विचार में मानवीय स्वभाव के ऊपर एक अत्यन्त ही निराशावादी और गैर अराजकतावादी व्याख्या है ।

३२ वीं शताब्दी के मोक्ष में अंधान्धक अराजकतावादी कार्यक्रमों को, सभी दृष्ट्यवादी विचारकों में, न सिर्फ बुद्धिनिष्ठ या प्रोग्रेटिविज में प्रेरणा मिली थी । दृष्ट्यवाद का अर्थ है समस्त प्रचलित विचारों, विश्वासों और धर्मों एवं सामाजिक, राज-नैतिक, और धार्मिक मान्यताओं एवं संस्थाओं का निषेध । संक्षेप में यह प्रत्येक प्रचलित मान्यता का प्रसंगीकार करना है । इसलिए यह अराजकतावाद में बड़ी धार्मिक व्यापक एवं कान्तिवादी है । आरम्भ में दृष्ट्यवाद का प्रयोग साहित्यिक आलोचनाओं

के क्षेत्र में ही था। दून्यवादी की सजा उन आलोचकों के लिए उपयोग में लायी जाती थी जो कि समस्त रुढ़िवादी मान्यताओं का विरोध करते थे और जो कि साहित्य का सृजन प्रवृत्तिवाद पर आधारित मानते थे एवं उनके अनुसार ऐसा सृजन स्वयं विकसित होना चाहिए। प्रो० कोकर के अनुसार—

“धर्म तथा सदाचार के क्षेत्र में दून्यवादी दृष्टिरेण सत्तावाद, कट्टरवादी था, सर्वातिशायिता तथा नियम-निष्ठता की निंदा में तथा धर्म में नास्तिकता, और नीति में सुखवाद, परीक्षणवाद तथा मान्यवाद की शिक्षा में प्रकटवाद रूप के समान राज्य, तथा धर्म (चर्च) में निश्चलता, प्रमाद तथा अमानुषिकता का जो राज्य था, उसके विरुद्ध दून्यवादियों की ये प्रवृत्तियाँ एक प्रकार से स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।” (प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन—यादवेन्दु

तथा मेहता द्वारा अनुवादित पृ० २३१)

दून्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण विचारक एक रूसी सरणी नेतरी (१८४८-१८८२) था। उनकी कृतियों में प्रचलित रुढ़ियों, मान्यताओं एवं मस्थाओं का पूर्ण शक्ति प्रयोग द्वारा नाम पर अधिक जोर है। वैकूनिन के साथ मिलकर उगने एक ‘कान्तिकारी प्रश्नोत्तरी’ का संकलन किया। इस कृति में एक पूर्ण कान्तिकारी के कर्तव्यों की सूची है। प्रो० कोकर के अनुसार—

“इस पुस्तिका में उगने बतलाया कि इन कार्यों के सम्पादन के लिए कान्तिकारों को कठिन श्रान्ति के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना होगा और समस्त भाव प्रधान बन्धनों तथा नीतिक एवं परम्परागत बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। अराजकतावादी ध्येय की प्राप्ति के लिए—विष, तलवार, अग्नि फौसी की रस्गी आदि—हर प्रकार के साधनों का समर्थन किया गया है। कान्ति के शत्रुओं को नष्ट करने तथा—मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए प्रचार के हेतु हत्याओं का भी समर्थन किया गया है। उगका सिद्धान्त था कि जब तक शब्द कार्यरूप में परिणत न हो तब तक उनका कोई मूल्य नहीं। अराजकतावाद का यह भाव्य नहीं है कि वे भविष्य के समाज के संगठन की योजना तैयार करें। यदि हम आज की अस्वाभाविक मस्थाओं को मिटा दें, तो भविष्य के अनुभवों से संगठन के समुचित रूपों का विकास हो जायगा।” (प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन—यादवेन्दु तथा मेहता

द्वारा अनुवादित पृ० २३२)

दून्यवाद अराजकतावाद का सबसे उग्र रूप है तथा यह हमारी सम्यता की समस्त मान्यताओं का निषेध करता है। यह इन दून्यवादियों और आतंकवादियों के कार्यक्रम का ही प्रभाव है कि साधारणतः जनता की दृष्टि में अराजकतावाद सम्पूर्ण विध्वंस और अव्यवस्था का ही दूसरा नाम बना हुआ है।

नियोजित प्रजातन्त्र

एक प्रश्न जा कि हम में से अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क में सम्भवतः होगा, विशेषतः भाग्य में, यह है कि नियोजन की आवश्यकता क्यों है? हमें इस बात का भी मन्द्बुद्ध हो गचना है कि नियोजन शब्द जिसमें कि हमें गत्ता का अन्तर्भाव होता है और एक ऐसी व्यवस्था का अन्तर्भाव होता है जिसमें हमारे कार्य, उद्देश्य एवं प्रत्येक वस्तु राज्य के द्वारा निर्दिष्ट होती है, का भी क्या प्रजातन्त्र के साथ अस्तित्व हो सकता है। प्रजातन्त्र का अर्थ समता, स्वतन्त्रता तथा गत्ता पर प्रतिबन्ध एवं उत्तरदायित्व होना है।

भारत में हमें नियोजित प्रजातन्त्र की इमनिष् भी आवश्यकता है कि हम औद्योगिक प्रान्ति के २०० वर्षों के काल को कुछ वर्षों में ही पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। औद्योगिक राष्ट्रों ने जितना विकास इन पिछली दो सताब्दियों में किया है, वह हम अब करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र के औद्योगीकरण के लिए यह आवश्यक है कि हम तीव्र से तीव्र गति में राष्ट्र की मानवीय एवं भौतिक शक्तियों को अधिक से अधिक कार्य में लाने का प्रयत्न करें। यह कार्य नियोजन द्वारा ही हो गचना है और बिना नियोजन के औद्योगिक राष्ट्रों के बराबर पहुँचना अत्यन्त ही कठिन होगा। हम उन भयंकर कष्टों एवं क्लेशों में भी बचना चाहते हैं जो कि पुराने औद्योगिक राष्ट्रों को हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त एवं स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था के कारण उठाने पड़े थे। हम अपनी भौतिक उन्नति एक नियोजित प्रकार से करना चाहते हैं और यदि हम भौतिक उन्नति के लिए त्याग भी करना पड़े तो यह त्याग सब नागरिकों द्वारा हो न कि किसी एक वर्ग-विशेष द्वारा। इमनिष् भी हमें राज्य के द्वारा नियन्त्रित नियोजन की आवश्यकता है। मानवीय स्तर को ऊँचा करने के लिए एवं भौतिक

क्याणार्थ यह आवश्यक है कि विज्ञान को मानवता की सेवा में लाया जाय और यंत्रों के विकास के द्वारा मनुको कार्य, आवश्यकताओं की पूर्ति और कम से कम के साधन तो दे ही दें जो कि मानवीय स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हैं। यह कार्य पूँजीवाद भी कर सकता है किन्तु सम्भ्रम पूँजीवादी मार्ग को ग्रहण करने से इस दिशा में प्रगति मन्द गति में होगी और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। समाजवाद इस कार्य को अधिक शीघ्रता से कर सकता है और इस मार्ग से कम से कम कष्ट उठाना पड़ेगा। राज्य इस स्थिति में है कि वह राष्ट्र के समस्त नागरिकों का राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के संतुलित विकास और हमारी समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियोजन करे। ऐसा दृष्टिकोण कि तो भी पूँजीपति का कदापि नही हो सकता क्योंकि उसका दृष्टिकोण निजी लाभ का होगा न कि राष्ट्रीय विकास का। नियोजित व्यवस्था के प्रारम्भ होने पर राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी, क्योंकि राज्य को राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्षों का निर्देशन करना होगा, और इसलिए नियोजन का अर्थ है कि राज्य की शक्ति में वृद्धि। शक्ति की उस वृद्धि का स्वभावतः अर्थ होगा कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करे और राज्य की व्यक्ति के ऊपर गता अधिक हो जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति के स्वतन्त्र निर्णय लेने की शक्ति का प्रायः अन्त ही हो जायगा। सम्भवतः सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस स्वतन्त्रता का अन्त हो जाएगा जैसा कि साम्यवादी राज्यों में हुआ है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी है कि राज्य की शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही जल्दी योजनाओं को हम कार्य रूप में परिणत कर सकेंगे और दूसरी ओर शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही राज्य में अधिनायकत्व होने की सम्भावना है। अधिनायकत्व एक निरकुश सरकार को जन्म देगा और इस तरह हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि नियोजित आर्थिक व्यवस्था के लिए निरकुशता की आवश्यकता है और किसी सीमा तक यह सत्य भी है। किसी भी प्रजातन्त्रीय सरकार की व्यक्ति के मामला में हस्तक्षेप करने की, अपनी सीमाएँ होनी हैं प्रजातन्त्र राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त है। प्रजातन्त्रीय राज्य भी नियोजित, आर्थिक व्यवस्था की स्थापना एवं विकास उनी सीमा तक करने में सफल होगा जिस सीमा तक वह व्यक्ति के मामला में हस्तक्षेप कर सकता है।

साम्यवादी अधिनायकत्व में नियोजन स्वभावतः प्रजातन्त्रीय नियोजन में भिन्न होता है। नियोजन का अर्थ है कि हम राज्य को मानवीय और भौतिक साधनों के पूर्ण निर्देशन के लिए आवश्यक शक्तियाँ एवं सत्ता दें। यह पूर्ण निर्देशन की शक्ति प्रजातन्त्रीय राज्यों के पास नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिटिश शक्ति दल का प्रजातन्त्रीय समाजवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज की समाजवादी व्यवस्था का सिद्धान्त राष्ट्र के भौतिक साधनों का निर्देशन करने में भले ही सफल हो जाये परन्तु

मानवीय मानकों के क्षेत्र में इनके निर्देशन की महत्वपूर्ण सीमाएँ होंगी। किन्तु प्रजातन्त्र के ममज्ञ कोई और मार्ग भी नहीं है। प्रजातन्त्र यदि समाजवादी अधिनायकतन्त्र में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो उसे अपने समस्त राष्ट्रीय साधनों का नियोजन करना ही होगा और नियोजन इसलिए आवश्यकमावी है। हमारे ममज्ञ यह निश्चय करने की ममन्वा है कि हमें कैसा नियोजन चाहिए और हम नियोजन के माप प्रजानन्त्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को कैसे रख सकते हैं। प्रो० कार्ल मैनहीम ने इस ममन्व में कहा है—

“हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का धन और नियोजन की आवश्यकता बर्नमान स्थिति एवं प्रागुनिक वृद्धि तथा की प्रवृत्ति का अधिनायक न है। संभवतः हम सब पुराने एंगेल्स में मौखिक एवं व्यवसाय प्राप्त भद्र व्यक्तियों की तरह रहना पसन्द करते और या १८ वीं एवं १९ वीं शताब्दी के साहसी मार्गदर्शकों की तरह जीवन पसन्द करते परन्तु हम किस युग में रहेंगे एवं किस ममस्याओं को हमें सुलभता पड़ेगा, इसकी चुनने का अधिनायक हमें नहीं दिया गया है। सब प्रकार के नियंत्रण—प्रायिक, राजनीतिक मनोवैज्ञानिक और यात्रिक—इनके अधिक केन्द्रीकृत हो गए हैं (और विश्वे में युद्ध ने इन प्रवृत्ति को अत्यधिक तीव्र गति दी है) कि प्रश्न यह है कि इन नियंत्रण के मापनों का उपयोग कौन और किस उद्देश्य में करेगा क्योंकि उनका प्रयोग प्रवश्य ही होगा। प्रश्न हमें ‘नियोजन’ या ‘हस्तक्षेप’ न करने के सिद्धान्त, में से एक चुनना नहीं है किन्तु ‘नियोजन किस लिए?’ और ‘नियोजन किस प्रकार का?’ के बीच में चुनना है।”

(स्वतन्त्रता, शक्ति एवं प्रजातन्त्रीय नियोजन पृ० ८)

प्रो० कार्ल मैनहीम, जो कि इस ममस्या के सबसे बड़े विचारक माने जा सकते हैं, के अनुसार यदि प्रजातन्त्र और नियोजन के ममन्वों को ममभना है तो हमें प्रजातन्त्र की मान्यताओं में संशोधन करना होगा। मिल और स्पेन्सर के व्यक्तित्वादी एवं राज्य में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त पर आधारित प्रजातन्त्र, नियोजन को नहीं सहन कर सकता और ऐसे प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त नियोजन का विरोध करते हैं। किन्तु यदि प्रजातन्त्र को हम एक ममज्ञात्मकारी व्यवस्था या एक ऐसी सरकार के रूप में देखें जो कि श्रेष्ठ जीवन के साधनों को देने वाली और व्यक्तियों के समस्त हितों का मरक्षण करने वाली है तो प्रजातन्त्र और नियोजन का सह-अस्तित्व हो सकता है। प्रजातन्त्र की प्रश्न हमें एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा और एक नए रूप में उसकी मान्यताओं को टाटना होगा। मत्ता और स्वतन्त्रता में मर्दव अत्यन्त ही मनुनित मनुनन रहा है और नियोजन इस मनुनन को नष्ट कर सकता है। नियोजन इस मनुनन की मत्ता के पक्ष में और स्वतन्त्रता के विरुद्ध मनुननित कर देगा।

युद्धोत्तर युग का विश्व समाज छिन्न भिन्न हो रहा है और इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम नई मान्यताएँ एवं नये मार्ग प्रपनायें। १९ वीं शताब्दी का प्रजातन्त्र इस स्थिति में काम नहीं दे सकता और इसलिए प्रजातन्त्र को एक नया रूप देने की हमें नितान्त आवश्यकता है। अभी तक इस सामाजिक पतन को रोकने के दो प्रयत्न हुए (अ) अधिनायकतंत्रीय नियोजन— इनके दो प्रकार हैं— फासिस्टवादी एवं साम्यवादी। (ब) प्रजातंत्रीय नियोजन जो कि शनैः शनैः विकास के द्वारा हुआ है।

साम्यवाद एवं फासिस्टवाद दोनों ही इस प्राथिक अव्यवस्था की समस्या को हल करने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों इस समस्या में परिवर्तन करने के लिए उग्र साधनों का प्रयोग आवश्यक समझते हैं। वे दोनों इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता उसका पेट है न कि उसका मरिचक और यह पेट की आवश्यकता राज्य द्वारा सम्पूर्ण जनता को नौकरी दे देने से ही हल होगी। वे दोनों इस बात से परिचित हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति प्राथिक सुरक्षा को कितना महत्व देता है। वे दोनों निराशा व्यक्तियों के समक्ष सुगम एवं शीघ्र उत्पत्ति का मार्ग रखते हैं और ऐसा मार्ग जो कि "आदेश, दबाव, शक्ति, निर्देश और समुदायो को विनष्ट करने के तरीकों में पलायन है। यह पद्धतियाँ साधारणतः उन समाजों की हैं जिनमें कि सैनिकवादी रुढ़ियाँ हैं और जिनका सगठन बड़े सैन्यवाद पर आधारित है" (स्वतंत्रता, शक्ति और प्रजातंत्रीय नियोजन— कार्ल मैनहीम पृ० २३) इसलिए यह दोनों, नियोजन को व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष को नियंत्रण करने वाली व्यवस्था के रूप में देखते हैं। वे नियोजन को एक अत्यधिक केन्द्रीकृत व्यवस्था, जो कि शक्तिशाली केन्द्र से निर्देशित होगी, भी नहीं समझते हैं। अधिनायकतंत्र में नियोजन का अर्थ होगा कि शिक्षक के कुछ नेताओं के हाथ में अत्यधिक शक्ति का केन्द्रीकरण। इसका यह भी अर्थ होगा कि सम्पूर्ण व्यक्ति राज्य के अधीन हो जायगा। उसका फलश्रुति से अर्थ भी अस्तित्व या व्यक्तित्व नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन का कोई पक्ष राज्य के क्षेत्र से बाहर न होगा और सर्वोप में राज्यरूपी मशीन का केवल एक पुर्जा मात्र होगा। व्यक्ति के जीवन का नियोजन, दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में, केवल प्राथिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखता यह दूसरे क्षेत्रों में यहाँ तक कि विचारों का भी नियोजन एवं नियंत्रण करता है। ऐसे समाजों में, जीवन का अत्यधिक सैन्यीकरण होता है। यहाँ तक कि उनकी संस्कृति भी एक निर्देशित संस्कृति होती है।

माक्सवाद हमारे समक्ष एक वर्ग विहीन व राज्य विहीन स्वतंत्र समाज की शानदार कल्पना रखता है किन्तु इस भावप्य के समाज तक हमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र द्वारा नियोजित, केन्द्रीकृत, निर्देशित और यथवत् जीवन की कठिनाइयों में से होकर पहुँचना पड़ेगा। क्या यह एक ऐसी बँक पर, जो कि अभी स्थापित भी नहीं हुई है, टुटती नहीं है? फिर यदि सर्वहारा वर्ग के कुछ नेताओं के हाथ में शक्ति

केन्द्रीकृत हो जायगी तो इसकी क्या भाशा है कि नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेने के पश्चात् नियोजित समाज की बटिनाइयों एवं नियंत्रणों से व्यक्ति को छुटकारा मिल जायगा और व्यक्ति ने नियोजित समाज के स्थापित करने में जो बलिदान किए हैं उनके फलों का वह स्वतंत्र बायुमंडल में उपभोग कर सकेगा ? नियोजन न तो किसी भी समाज का एक स्थाई लक्षण है और न होना चाहिए । नियोजन का एक विशेष उद्देश्य है और जिस लक्षण यह उद्देश्य प्राप्त हो जाये उसी लक्षण इसके नियंत्रणों को हटा देना चाहिए और इसीलिए मार्क्स ने एक राज्य विहीन समाज की कल्पना की है । किन्तु क्या हम और क्या कोई भी इन बातों की भाशा कर सकता है कि साम्यवादी या फासिस्ट नियोजन ने एक भिन्न प्रकार का नियोजन अपनाया होगा ? या तो कोई कट्टरवादी या कोई पागल ही ऐसी कल्पना करेगा ।

हमारे युग की मुख्य समस्या नियोजन के द्वारा सामाजिक व्यवहार का पुनर्निर्माण एवं पुनर्रचना करना है । किन्तु ऐसा करने के लिए हमें साम्यवादी या फासिस्ट नियोजन में एक भिन्न प्रकार का नियोजन अपनाना होगा । प्रो० मैन्हीम के शब्दों में—

“यह नियोजन स्वतंत्रता के लिए होगा, और प्रजातंत्रीय नियंत्रण के अधीन होगा । यह नियोजन इतना प्रतिद्वन्धी नहीं होगा कि पूंजीपतियों या श्रमिक समुदायों के सामूहिक एकाधिकारों के पक्ष में ही, किन्तु समृद्धि के लिए नियोजन, अर्थात् पूर्ण रोजगार और भौतिक साधनों का पूर्ण भौक्षण व सामाजिक न्याय के लिए नियोजन न कि पूर्ण समता के लिए, और हममें सबको समता के आधार पर पारितोषिक और स्वान भिन्नता न कि विशेष अधिकारों के आधारों पर होगी । नियोजन एक वर्ग विहीन समाज के लिए नहीं, किन्तु उस समाज के लिए जो कि चरम ऐश्वर्य और चरम निर्धनता का उन्मूलन करता है । ऐसे मासृतिक स्तरों, जो कि नीचे न गिरें, के लिए नियोजन, उत्पत्ति के लिए नियोजित परिवर्तन जो कि पुरानी रुढ़ियों में से महत्वपूर्ण वस्तुओं का घन न बरे; नियोजन जो कि सामाजिक निश्चय के समन्वय के द्वारा समूहगत तरीकों के लिए हुए समाज की आवश्यकताओं में बचाए—सामूहिक बगौटी द्वारा निश्चित किए हुए सस्थात्मक नैतिक पठन के समन्वय में ही हस्तक्षेप करे, केन्द्रीयकरण और शक्ति के वितरण के बीच समन्वय स्थापित करे, समाज का शत्रु: शत्रु: परिष्करण करना है ताकि व्यक्तिव के विकास को प्रोत्साहित करे; सर्वोप में नियोजन न कि मैन्युयकरण ।”

प्रजातन्त्रीय नियोजन के उद्देश्यों की यह श्रुत्यन्त ही स्पष्ट रूप रेखा है। प्रजातन्त्रीय नियोजन को नियोजन सत्तावादी और हस्तक्षेप न करने की नीति की अव्यवस्था के मध्य वा मार्ग अपनाना होगा। यह हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा मार्ग भी है। साधारणतः यह विश्वास है तथा यह मान लिया जाता है कि अधिनायकतन्त्र और अव्यवस्था के मध्य में कोई मार्ग नहीं है किन्तु ऐसी बात नहीं है। इन दोनों के बीच में प्रजातन्त्रीय नियोजन का मार्ग है। प्रजातन्त्रीय नियोजन का मुख्य कार्य सत्ता और स्वतन्त्रता में एक नये तलुलन का निर्माण करना होगा।

नियोजित प्रजातन्त्र को स्थापित करने के लिए हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा ताकि जनता को हस्तक्षेप न करने की नीति से नियोजित प्रजातन्त्र की ओर यह परिवर्तन स्वीकार हो जाय। साधारण व्यक्ति को हमें इस नए प्रजातन्त्रीय रूप की आवश्यकता और गुणों की शिक्षा देनी होगी। प्रो० मैनहीम के अनुसार—

“वह समय अब नहीं रहा जबकि राजनैतिक इच्छा स्वतः ही जनमत के द्वारा एकीभूत हो जाय। सुदूर स्थित समस्याओं पर आज ही प्रजातन्त्रीय समझौते को प्राप्त करने के लिए यह ठीक है कि शुद्ध रूप से एकता के निर्माण की विस्तृत पद्धति की आवश्यकता है—और यह सदैव प्रजातन्त्र को सर्वाधिकारवाद से भिन्न करेगी—यह आवश्यक है कि विरोधी रचनात्मक शक्तियाँ किसी भी परिस्थिति में दबाई न जाएँ। रचनात्मक घालाचना अधिक महत्वपूर्ण हो जायगी किन्तु जिन मार्गों के द्वारा इनका निर्माण एवं प्रकाशन होता है और वह समय जबकि वह प्रकाशित होगी, में परिवर्तन होगा।”

(स्वतन्त्रता, शक्ति एवं नियोजित प्रजातन्त्र पृ० ३५)

इस कथन से यह स्पष्ट है कि नियोजित प्रजातन्त्र की सफलता के लिए भी हमें एक प्रकार का विचार निर्देशन अपनाना होगा। यह विचार निर्देशन अधिनायकतन्त्रों के विचार नियंत्रण समान नहीं होगा। किन्तु फिर भी विचार स्वातन्त्र्य में किसी सीमा तक हस्तक्षेप तो होगा ही।

इस नये प्रजातन्त्र में विरोधी पक्ष को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों में परिवर्तन करना होगा। यह विरोधी पक्ष केवल विरोध के लिए ही विरोध नहीं करेगा और न राज्य की शक्ति को पाने की प्रतिस्पर्धा के फल स्वरूप ही करेगा। विभिन्न दलों को इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त अपनाना होगा। प्रो० मैनहीम के अनुसार इन योजनाओं को कुछ उद्देश्य पूरे करने होंगे और तभी यह योजनाएँ विभिन्न राजनैतिक दलों की सहमति प्राप्त करने में सफल होगी। उसके अनुसार—

(प्र) "योजनाओं में एक रूपता आवश्यक है—प्रब हमें ऐसी सामूहिक समस्याओं जैसे कि नौजरी का स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, धवमर की समानता, आदि का एक अत्यधिक मगटिठ सामाजिक ढांचे में सम्बन्धित मयकों को जिनके एवमित होने का डर है, मुलभाना पडेगा ।"

(ब) " यह योजना बहुमत को मान्य होनी चाहिए—ऐसा बहुमत केवल हमें प्रतियोगितावादियों का, जो कि किसी भी भीमन पर परिवर्तन नहीं चाहते हैं और उपवादी, जो कि यह समझते हैं कि युग-परिवर्तन होने पर ही है, दोनों से प्रलग मध्य में ही मिल सकता है । यह प्राकृतिक है कि इन समूहों में भी विभिन्न राय होगी जिनके बीच में सूक्ष्म मिश्रताएं होंगी । इन्हीं के आधार पर मूलभूत समस्याओं पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है—किसी भी वाम्निद्विध कार्यक्रम पर समझौता करने की उनमें योग्यता होनी चाहिए या कम से कम बहुमत द्वारा निर्णय करने की ।"

(स्वतन्त्रता, शक्ति और प्रजातन्त्रोप नियोजन पृ० २६)

ऐसे प्रजातन्त्र के मतदाताओं में भी कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए । उनकी राजनैतिक निर्णय बुद्धि का विकास करना पडेगा और महत्वपूर्ण समस्याओं को उन्हें पूर्णरूप में समझाना पडेगा । उन प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों को जो कि नियोजित आर्थिक व्यवस्था को अपनायेंगे एक बड़ा प्रचार विभाग रखना होगा जो कि योजना, उसके उद्देश्य और राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं की माधारण मतदाना को समझा-एगा । यद्यपि हम किसी माधारण मतदाना में योजना या अपने परिणामों का निर्णय करने की विशेष योग्यता को प्राप्ता नहीं करते हैं, किन्तु कम से कम उमका इतना मानसिक विकास आवश्यक है जो कि आधारभूत मिडान्तों एवं समस्याओं को समझने के लिए आवश्यक हो । राजनैतिक विचारकों के मिडान्तों को इनका मरल करके लिखना चाहिए कि वह माधारण मतदाताओं के द्वारा भी समझे जा सकें ।

घान के पदचान हम विश्वास करने लगे हैं कि मन्त्रिय और मन्त्रो स्वतन्त्रता का अर्थ है, न केवल किसी कार्य की, जिमको कि हम करना चाहते हैं, करने की स्वतन्त्रता, किन्तु हमारी स्वतन्त्रताओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक माधनों की स्वतन्त्रता भी है । किन्तु यह माधन केवल राज्य के द्वारा ही दिए जा सकते हैं । जो राज्य ऐसे माधनों को देता है उसे हम लोक-व्यत्याणकारी एवं मन्त्रिय राज्य कहते हैं । वाम्निद्विध और मन्त्रिय स्वतन्त्रता केवल ऐसे ही राज्य में सम्भव है । किन्तु ऐसा लोक-व्यत्याणकारी और मन्त्रिय राज्य आर्थिक रूप में पिछड़े हुए समाज में सम्भव नहीं है । जो राष्ट्र अर्थिकमिन्न या आर्थिक रूप में पिछड़े हुए हैं यदि वे अपने नागरिकों को मन्त्रिय स्वतन्त्रता के उन्नीयार्थ आवश्यक माधन देना चाहते हैं, तो

उन्हे नियोजन को भ्रपनाना होगा। इसलिये नियोजन सच्ची और सक्रिय स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक है। हम डा० कार्ल मैन्हीम से पूरुंत सहमत हो सकते हैं कि नियोजन और स्वतन्त्रता न तो विरोधी वस्तुएँ हैं और न एक दूसरे के लिये भनावश्यक। यदि नियोजन और स्वतन्त्रता विरोधी वस्तुएँ नहीं हैं तो नियोजन और प्रजातन्त्र में भी विरोध नहीं हो सकता।

नियोजित प्रजातन्त्र की भ्रपनी कुछ कठिनताएँ और समस्याएँ हैं। यह प्रजातन्त्र का एक दोष है कि प्रजातन्त्रीय सरकारों को भागामी भ्राम-भुनावों, लोभ-कल्याण या धे सुधार जो कि साधारण जनता को भ्रपने भ्रज्ञान के कारण भ्ररुचिकर हैं—भ्रधिक चिन्ता रहती है। ऐसी सरकार जनता का इस सम्बन्धों में कानूनों के द्वारा नेतृत्व नहीं कर सकती। यह सरकार विरुी वगून को, चाहे वह कितना ही भ्रच्छा व सुधारक क्यों न हो, जो कि जनता की सामाजिक एव धामिक भ्रन्धविश्वासों और ह्रुदियों का भ्रन्त करता है, नहीं बना सकती। क्योंकि उसे इस बात का डर है कि ऐसा कार्य करने से जनता में उसके प्रति विरोध उत्पन्न होगा और भागामी भ्राम-भुनावों में वह हार जावेगी। किसी भी प्रजातन्त्र में एक भ्रत्यधिक निष्ठुर सरकार ही जनता की भ्रलाई के लिए कार्य कर सकती है। विशेष रूप से जब बहुमत, जिसकी कि यह सरकार जनता की भ्रलाई समझती है, उसके विरुद्ध हो। सामान्य चेतना और सामान्य उद्देश्य केवल धावर्ष वस्तु है। साधारणतः प्रजातन्त्र में भी ऐसी चेतना का भ्रस्तित्व नहीं पाया जाता। यह एक स्वयं गिद्ध तथ्य है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि शीघ्रता से हो रही है और इस वृद्धि में अनुसूच ही हमारे राष्ट्रीय धामिक साधनों में वृद्धि नहीं हो रही। साधनों के विकास में और जनसंख्या की वृद्धि में जो प्रतिस्पर्धा है, उसका निर्णय निश्चित रूप में जनसंख्या के पक्ष में ही होगा। ऐसी दशा में हमारी योजनाओं की सफलताओं के लिए यह धावश्यक है कि हम जनसंख्या के सम्बन्ध में स्पष्ट एव निडर नीति का पालन करें। किन्तु यह भारत की प्रजातन्त्रीय सरकार नहीं कर सकती है और न करने का उसमें साहस ही है, क्योंकि परिवार नियोजन की नीति जनता के धामिक भ्रन्धविश्वासों के विरुद्ध है।

ऐसी धापायें प्रायः प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं में नियोजन के मार्ग में धानों हैं और इनको दूर करने का एक मात्र उपाय है कि हम सरकार को समुचित शक्तियाँ प्रदान करें। प्रायः शक्ति की कमी प्रत्यक्ष धैधानिक सीमाओं के रूप में नहीं होती किन्तु सरकार की भ्रपनी शक्तियों को कार्य रूप में परिणत न करने की इच्छा के कारण होती है। यह इच्छा चुनाव में हारने एव राज्य शक्ति के हाथ से निगम जाने के डर से होती है। दूररे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रजातन्त्रीय सरकारें संपन्नता पूर्वक ऐसी समस्याओं की पूति नहीं कर सकती हैं, जैसे कि मानव शक्ति साधनों

का निर्देशन, बढ़ती हुई जनगणना का नियंत्रण, विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों को कार्य का वितरण आदि । इसलिए नियोजन प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में साधारणतः उरसाह-हीन एवं मन्दगति से होगा ।

२० वीं शताब्दी में प्रजातन्त्र को फासिस्टवादी, नात्सी, एवं साम्यवादी अहिना-षतश्री की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है । ये अहिनाषतश्री, प्रजातन्त्र को 'अयोग्यता को पूजा' की व्यवस्था कह कर हँसी उड़ाते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को नागरिकों के लिए अधिक भौतिक लाभ पहुँचाने में प्रभावकारी बननाते हैं । इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रजातन्त्रों की अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाना होगा और हर राष्ट्र के लिये किसी न किसी रूप में लोक-कल्याणकारी नीतियों को अपनाना होगा । जिन राष्ट्रों का औद्योगिक विकास हो चुका है वे किमी सीमा तक नियोजन के बिना भी लोक-कल्याण करने में सफल हो सकते हैं । उनके पास इसके लिए पर्याप्त आर्थिक साधन हैं । लोक-कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है और यह धन अन्तिम रूप में राज्य को केवल दो प्रकार से ही मिल सकता है—

(अ) कर वृद्धि के द्वारा ।

(आ) उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण द्वारा ।

प्रथम प्रकार की निश्चिन्ता सीमाएँ हैं किन्तु दूसरे प्रकार में शनैः शनैः किसी भी सीमा तक हम वृद्धि कर सकते हैं । ममस्त आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रजातन्त्रों को उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व अपनाना होगा यदि वे एक लोक-कल्याण-कारी राज्य को स्थापित करना चाहते हैं । यदि ननवा औद्योगीकरण अपूर्ण है तो हमें नये उद्योगों को प्राप्त करना होगा । प्रजातन्त्रीय राज्य भी अपने औद्योगीकरण की प्रगति का नियोजन कर सकता है । उत्पादन के साधनों का सामाजिककरण, आर्थिक-सामंजसिक क्षेत्र का औद्योगिक विकास और निजी आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिबन्ध, वह ऐसी नीतियाँ हैं जिनको कि अहिनाषतश्री साधारण व्यक्तियों का बहुमत प्राप्त है । प्रजातन्त्रीय समाजवाद केवल एक अर्ध-निमित्त गृह और एक समन्वय है । यदि आप समाज में पूर्ण समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उत्पादन और वितरण दोनों का नियोजन करना आवश्यक है ।

नियोजित वितरण आवश्यक रूप में स्वतन्त्रता को सीमित नहीं करता है । हर राज्य को युद्ध काल में, जबकि जीवन की आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी किसी सीमा तक नियोजित वितरण अपनाना पड़ा था । अपने आपको महान प्रजातन्त्र मानने वाले राष्ट्रों जैसे कि अमेरिका एवं इन्डोनेशिया को भी इस को अपनाना पड़ा था । शान्ति के भी नियोजित वितरण को बनाए रखना एक पिछड़े हुए राष्ट्र के

लिए आवश्यक है। जब हमारा उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए होगा तब हम उसे समाजवाद कह सकेंगे और ऐसे समाजवाद को स्थापित करने के प्रारम्भ में, उपभोग की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगी। नियोजित वितरण, नियोजित उत्पादन का परिणाम है और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाजों के लिए एक आवश्यकता है।

साधारणतः व्यक्तियों में जन-सेवा की भावना नहीं होती और न वे राष्ट्र की योजनाओं को समझते हैं या इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे सरकारी योजनाओं में स्वेच्छापूर्वक सहयोग देने का प्रयत्न करें। सब प्रजातन्त्र, मतदाताओं की इस उदासीनता से पीड़ित है। नागरिकों को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने या योजना की सफलता के लिए आवश्यक त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करना कठिन कार्य है। यह मानव प्रकृति की प्रवृत्ति है कि व्यक्ति प्रायः अपने स्वार्थ से प्रभावित होता है न कि राष्ट्रीय व सामाजिक कल्याण की भावना से। निजी उद्योगों में तो पूँजीपति स्वयं इस बात को देखता है कि उत्पादन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं और मजदूर आलस्य तो नहीं कर रहे हैं किन्तु राष्ट्रीय उद्योगों में प्रायः कोई इतनी रुचि नहीं लेता है और इसका यह फल होता है कि योजना के लक्ष्य पूर्ण नहीं होते और न उद्योग आवश्यक वस्तु ही कर पाते हैं। इससे राष्ट्रीय, मानवीय एवं भौतिक साधनों का अपव्यय होता है। नियोजित प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये हमें कुछ ऐसे नये प्रश्नों का विकास करना होगा जो कि मजदूरों को राष्ट्र के लाभ के लिए कार्य करने की प्रेरणा दें।

उदारवादी आर्थिक प्रणाली आध्यात्मिक मान्यताओं के बिना रह सकती थी किन्तु नियोजित समाज में मैनहीम के अनुसार 'आध्यात्मिक सम्पूर्णता की अन्यन्त आवश्यकता है'। नियोजित प्रजातन्त्र को अधिनायकत्वों के, नाह्य आक्रमणों और प्रतिक्रियावादियों के आन्तरिक आक्रमणों से रक्षा करने के लिए एकीकरण को आवश्यकता है। साम्यवाद और फासिस्टवाद इस सम्पूर्णता प्रदान करने वाले तथ्य की आवश्यकता के सत्य को पूर्णतया समझते हैं और ऐसी छद्म धार्मिक सम्पूर्णता का विकास करते हैं जो कि आवश्यक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आधारों को नियोजन के लिए निर्माण करती है। यह नियोजन को उनकी जनता द्वारा स्वीकृत करता है और उनमें इसके प्रति विश्वास उत्पन्न करता है कि उनकी स्वतन्त्रता के अधिकार का नियन्त्रण करना और उनके जीवन को राज्य द्वारा नियोजित करने देना आवश्यक है।

इसलिए हम परिणाम पर पहुँचते हैं कि नियोजित समाज प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के मुख्य सिद्धान्तों को रखते हुए कुछ ऐसे उपाय भी अपनाएँगे जोकि जनता की आध्यात्मिक सम्पूर्णता के लिए आवश्यक है। फर्नो मैनहीम तीन महत्वपूर्ण उपाय इस सम्बन्ध में बतलाते हैं। उनके अनुसार—

(घ) "प्रजातन्त्रीय नियोजित समाज को एक नए प्रकार की दलीय व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें शालोचना करने के अपिचार का उतना ही दृढ़ विश्वास हो चुका होगा जितना कि पूर्ण के प्रति उत्तरदायी होने के बर्तव्य का " " किसी नियोजित समाज में हितों की प्राकृतिक परस्पर विद्या जो कि शन-शन एक पूर्ण कार्य प्रणाली तक पहुँचानी है, नहीं होगी बिन्दु एक बौद्धिक रूप से बनाई हुई और सब दलों द्वारा स्वीकृत योजना होगी। यह स्पष्ट है कि ऐसी नवीन गैतिकता तभी स्थापित हो सकती है जब मानवीय पुनरुत्थान के गहनमत स्रोत समाज के पुर्नजन्म में सहायक हो।

(घा) " ...नियोजित समाज में जैसे ही अधिक वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध हो जायगा वैसे ही किसी भी निर्णय के दूरवर्ती परिणामों से उनका सम्बन्ध होना जायगा। निकटवर्ती हितों एवं मुदूरवर्ती दायित्वों के सघर्ष एक प्रतिदिन के विचार की वस्तु हो जायगी। केवल वही पीढ़ी जिसकी शिक्षा धर्म के द्वारा हुई है। कम से कम धर्म के स्तर पर हुई है वही तत्काल लाभ और जीवन की चिरस्थायी समस्याओं में विभेद करने में और नियोजित प्रजातन्त्र के निरन्तर त्याग की माँग जो कि प्रत्येक समूह एवं व्यक्ति से, सब के हित में है, के लिये होगी।"

(ङ) "नियोजित समाज को एकीकरण के प्रयोजन की आवश्यकता होती है। विरोधियों की सहमति या तो उनका विनाश या बन्दी करने से प्राप्त हो सकती है या समाज के सदस्यों की आध्यात्मिक सम्पूर्णता में।"

(हमारे युग का निदान पृ. १०२-०३)

नियोजित प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में आध्यात्मिक सम्पूर्णता के लिए राजनीतिक दलों की, विशेष रूप में विरोधी दलों की, एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा उन्हें अपने आपकी नियन्त्रित करना होगा वे शालोचना की केवल आलोचना के लिए नहीं करेंगे। उन्हें सामाजिकता हितों का, न कि सकृचित दलीय स्वार्थों का ध्यान रखना होगा। राजनीतिक दलों में इस प्रकार के व्यवहार की आशा उम समय तक नहीं जा सकती जब तक कि उन पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण करने वाला प्रभाव न हो और यह प्रभाव या तो बाह्य होगा या आन्तरिक। अधिनायकतन्त्रों में यह प्रभाव बाह्य होगा क्योंकि यहाँ राज्य की आदेशात्मक शक्ति का इस कार्य के लिये उपयोग होगा और प्रजातन्त्री में आन्तरिक जहाँ पर कि उनका केवल नैतिक प्रवृत्ति होगी। इस नई गैतिकता का प्रकार जीवन में एक नए धार्मिक दृष्टिकोण के द्वारा ही हो सकता है। अब तक हम मृत्यु के परवाना देने वाले जीवन के सङ्घ में अधिक चिन्ता करते थे और स्वर्ग में

प्राप्त होने वाले सुखों की आशा में तत्कालीन सुखों के आनन्द प्राप्त करने से अपने को वंचित रखते थे, उसी प्रकार हमें तत्कालीन लाभों का चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक, के नियन्त्रण की आवश्यकता है। हम ऐसे समाज की स्थापना, जहाँ पर कि आधिक्य हो, के लिए आशा और कार्य करेंगे। यह नयी नैतिकता व्यक्ति को स्वयं नियन्त्रण और सामाजिक हितों को व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर रखने की शिक्षा देगी। प्रो० मैनहीम के अनुसार—

यह आध्यात्मिक सम्पूर्णता एकता के लिए आवश्यक है। प्रजातन्त्रीय समाज अपनी योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने की ओर जनता का सहयोग प्राप्त करने की समस्या को कैसे हल करेगा इसके लिए मैनहीम ने अपने 'आध्यात्मिक सम्पूर्णता' की योजना प्रस्तुत की है जो कि एकीकरण करने और हम सब लक्ष्य से सहमत होने और उनको पूरा करने में सहमत करेगी। मैनहीम इस सम्बन्ध में कहते हैं कि 'कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमको सहमत होना ही होगा, इसलिए नहीं कि वे आधिक्य प्रकृति के हैं या वे आधिक्य क्षेत्र में कदम उठाने से प्रभावित होंगे किन्तु इसलिए कि पिछले बीस वर्षों की अध्य-वस्था से यह सिद्ध किया है कि आधिक्य हस्तक्षेप न करने नीति ने सामा-जिक ढाँचे में दोष पैदा कर देगी, उदाहरणतः—अत्यधिक बेकारी। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन की अपनी अव्यवस्थाएँ हैं। ऐसे समाजों में रहना अवश्य ही अधिक सुखपूर्वक होगा जहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से नियोजन के दृष्टि-कोण को रखने वाले अर्थशास्त्रियों की उदारता और अर्थशास्त्र के प्रतिरिक्त अन्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की नीति वास्तव में उनके दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में अज्ञान के कारण है। और यह समझने की उपयोग्यता है कि स्वयं सुधार भी उनमें असफल हुआ है।"

(हमारे युग का निदान पृ० १०४)

हस्तक्षेप न करने की उदारवादी प्रणाली से नियोजित व्यवस्था में परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि थोड़े समय में समाज की मान्यताओं एवं दृष्टि-कोणों में गहन परिवर्तन न हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं है। जीवन के लक्ष्यों की पुनर्परिभाषा न करने और उनको एक नया महत्त्व न देने से हम जनता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते और उनकी भावनाओं को एक ऊँचे शिखर तक इस नयी व्यवस्था के पक्ष में नहीं पहुँचा सकते। यह एक नए धार्मिक अनुभव के द्वारा ही सम्भव है और आधुनिक समाज में अपने सदस्यों की आध्यात्मिक सम्पूर्णता के लिए ऐसे धर्म की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर पुनर्निर्माण तभी सम्भव है जबकि हम इस नयी व्यवस्था के लक्ष्यों को एक नया विश्वास एवं एक नया

धर्म देने में सफल होंगे। यह पुरातन रूढ़िवादी धर्म की सस्यामों द्वारा सम्भव नहीं है। धर्म को एक नया धर्म और एक नया जीवन देना होगा ताकि य जनता द्वारा स्वीकृत हो जाय और एक पुनरुत्थान को प्राप्त हुए नेतृत्व का आधार हो सके।

यह नयी मान्यता केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता के आदेशों के द्वारा नहीं मनवाई जा सकती। ऐसा केवल मर्यादित राज्यों में ही सम्भव है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में यह मान्यताएँ जनता की स्वेच्छिक इच्छा द्वारा ही मनवाई जाएंगी। भूतकाल में ऐसी सार्वजनिक इच्छा, कम से कम निष्प्रिय इच्छा, का आधार रीति-रिवाज थे, किन्तु आधुनिक युग में इनका आधार और इनके विकास के लिए आवश्यक इच्छा राज्य के द्वारा समझाने से, अर्थात् विभिन्न व्यक्तियों के विकास से, एक बुद्धिजीवियों में वाद-विवाद के द्वारा निर्माण की जा सकती है और यह इच्छा नियोजित प्रजातन्त्र की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

प्रजातन्त्र की कुछ समस्याएँ

ब्राइस की प्रजातन्त्र की परिभाषा इस प्रकार है—

“वह सरकार जिसमें कि योग्य नागरिकों के बहुमत की इच्छा द्वारा ही शासन होता है तथा यह मानते हुए कि योग्य नागरिक पूर्ण जनता के अधिकांश भाग है, जो लगभग कम से कम तीन चौथाई है, जिससे कि नागरिकों की शारीरिक शक्ति उनकी मतदान की शक्ति के अनुसार हा जाय।”

(आधुनिक प्रजातन्त्र भाग १ पृ० २२)

प्रजातन्त्र के पक्ष में तीन अर्थ तर्क हैं। पुरातन युग में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त जैसे कि सबके लिए अधिकारों की समता, मध्ययुग में—कि सरकार अधिक व्यक्तियों के सुख के लिए और १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदर्शवादी सिद्धान्त कि केवल इसी प्रकार की शासन प्रणाली में, व्यक्ति के व्यक्तित्व वा पूर्ण विकास हो सकता है। प्रजातन्त्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें कि स्वतन्त्रता और समता के अधिकार पूर्णरूपेण प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें अधिकार व्यक्ति शासन की प्रकृति के बारे में निश्चय करते हैं। यह परिभाषा हमें प्रतिनिधित्व की समस्या की ओर ले जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक युग में प्रजातन्त्रीय शासन का अर्थ सदैव अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि शासन होता है। प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त के विकास के साथ ही शासन में भाग लेने वाले, राजनीतिक दृष्टि से योग्य मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकार प्रजातन्त्रों वा सार्वलौकिक वयस्क मतदाताओं का आवश्यक लक्षण है। यह मतदाता यौगिक समूहों में मत देते हैं। मत देने की यह प्रणाली सबसे सरल एवं सुविधापूर्वक प्रतीत हुई और इसलिये इसको अपनाया गया।

किन्तु अब हम प्रतिनिधि प्रजातन्त्र के इन दोनों आधारों से सहमत नहीं हैं। न तो हम यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के शासन में भाग लेने के योग्य है और न हम भौतिक प्रतिनिधित्व को ही सर्वोत्तम पद्धति समझते हैं। मतदाताओं के भौतिक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक विचारों व्यावसायिक निर्वाचन

दोषों को अपनाने की राय देने हैं। ऐसे विचारकों का यह विश्वास है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याएँ वास्तव में प्राथमिक समस्याएँ हैं और उनका प्रतिनिधित्व भौतिक समूहों में न हाकर प्राथमिक समूहों में ही हो सकता है। किन्तु ये विचारक इस बात को न्यून जाते हैं कि प्राथमिक हितों के साथ ही साथ अनेक सामान्य हित भी हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते और इन सामान्य हितों का साधारण भौतिक दोष है न कि व्यावसायिक दोष। कुछ विचारक आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में हैं। उनका तर्क यह है कि मानुषात्मिक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन की भौतिक इकाइयों को रचने हुए भी निर्वाचन के बहुत से दावा का दूर कर सकती है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के पक्षपाती मतदाताओं का गार राष्ट्र में वितरित कर देते हैं, तो आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्षपाती मतदाताओं को विभिन्न उम्मीदवारों में वितरित करते हैं। किन्तु उन लोगों के समक्ष, जो कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में हैं, कुछ समस्याएँ हैं। इसमें मत देने एवं मसूदा की प्रणाली साधारण मतदाताओं को समझ से बाहर है। इसका परिणाम राजनीतिक दलों को द्विग-भिन्न करना और दलों की जगह छोटे-से राजनीतिक समूहों को उत्पन्न करना होता है जो कि समष्टीय प्रजातंत्र की सफलता के लिये घातक है। न तो राजनीतिक बहुवादी ही और न वे जो कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहते हैं, अब तक कोई दोष रहित निर्वाचन प्रणाली हमारे समक्ष रखने में सफल हुए हैं। यह हम मानते हैं कि अपेक्षित बहुमत प्रणाली में व्यवसायिका कर्मी भी जनता की दृष्टि का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती किन्तु इसके दोषों को दूर करने के साथ उनके गुणों को नष्ट न करने वाली कोई भी निर्वाचन प्रणाली अब तक हमारे समक्ष नहीं आई। निर्वाचन की सर्वोत्तम प्रणाली के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं विश्वास प्रजातंत्र की एक आधारभूत समस्या है जिसका हल सम्भवतः भविष्य में ही।

१९वीं व २०वीं शताब्दी में प्रचलित विचारक साधारणतः यह स्वीकार करते हैं कि हमारे युग का मुख्य मुद्दा प्रजातंत्र और प्रजातन्त्रीय ऋणियों के पक्ष में है। प्रो० मैकाइवर राजनीतिक समस्याओं के विश्लेषण का अध्ययन करते हुए यह कहते हैं—

“प्रतिस्त्रियाओं के होते हुए भी राज्य का मुख्य मुद्दा प्रजातंत्र की ओर है।”

(साधुनिक राज्य पृ० ३४०)

परन्तु हमें प्रो० मैकाइवर का यह निरुपेक्ष स्वीकार नहीं कर लेना चाहिये। औद्योगिक शक्ति ने कुछ ऐसी प्राथमिक समस्याओं को जन्म दिया जो कि १९वीं शताब्दी के व्यक्तिवादी, उदारवादी हस्तक्षेप को न करने के प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के द्वारा सफलता पूर्वक हल न हो सकेंगे। प्रजातंत्र की एक नयी प्राथमिक व्यवस्था को स्थापित करने एवं यूजीवादी प्राथमिक व्यवस्था के घोषण को रोकने की आवश्यकता के कारण

जनता को यह सोनने को बाध्य कर दिया कि प्रजातन्त्र सर्वोत्तम प्रकार की शासन व्यवस्था है, कही भ्रम मात्र तो नहीं है। २०वीं शताब्दी ने कुछ ऐसे राजनीतिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया जो कि स्पष्ट रूप से सत्तावादी एवं प्रजातन्त्र विरोधी हैं। उनका प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों में या प्रजातन्त्र के सुखी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की योग्यताओं में कोई विश्वास नहीं है। फासिस्ट और साम्यवादी अधिनायकतन्त्र अपनी जनता को भौतिक साधनों को देने में अधिक सफल हुए हैं और उन्होंने वैभव, विजय एवं सैनिक शक्ति की भाभा में साधारण व्यक्ति को पूर्णतया प्रभावित कर दिया है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रजातन्त्र को इन सत्तावादी दर्शनों से भय की पूर्ण घासका है और इसलिए प्रजातन्त्र के लिये यह आवश्यक है कि वह शीघ्र ही अपनी रक्षा के लिये कोई ठोस रचनात्मक कार्य प्रणाली को अपनाये। ये कार्य प्रणाली आर्थिक क्षेत्र में आवश्यक साधन देने के योग्य होनी चाहिये। यह ऐसा तभी कर सकती है जबकि यह स्वयं कुछ सत्ता के ही लक्षणों को अपनाय, अपने रुढ़िवादी सिद्धान्तों को अपनाये और हस्तक्षेप न करने की नीति का सर्वथा त्याग करदे। यह नया प्रजातन्त्र विशेष से आर्थिक क्षेत्र में नियोजित एवं नियन्त्रित होगा। इस प्रजातन्त्र को यह नवीन रूप देना प्रजातन्त्र की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है।

प्रजातन्त्र में सत्ता का तोड़ने के स्थान पर गणना करने के सिद्धांत द्वारा भी योग्यता का पना नहीं लग सकता है। हम अब तक इच्छा की अभिव्यक्ति के लिये मतदान से अधिक उपयुक्त प्रणाली नहीं सोच पाये हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मतदान में जिस इच्छा की अभिव्यक्ति होती है उसमें मत देने वाले समस्त व्यक्तियों का अनुभव एवं ज्ञान के योग के आधार पर हो। अधिकतर यह समाज के बहुमत द्वारा होता है और यह बहुमत भी मनोवैज्ञानिक शोषण की प्रणालियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इस बहुमत में अधिकांश मतदाना घनानी होते हैं। यह बहुमत भी राष्ट्र के मतदाताओं का बहुमत नहीं होता। प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों में व्यवस्थापिकायें जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। राज्यसत्ता बहुमत वाले दल के हाथ में होती है और इस दल को भी राष्ट्रीय मतदाताओं का मूल्यमत ही प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। उनके मार्ग में और भी कई बाधाएँ हैं। ये दल के अनुशासन से बंधे हुये हैं और उन्हें अपने दलीय स्वार्थों का ध्यान रखना आवश्यक है।

हम एक साधारण व्यवस्थापक से यह आशा नहीं कर सकते कि कानून के निर्माण एवं शासन जैसी कला के लिये उसमें आवश्यक ज्ञान व अनुभव होगा। राजनीतिशास्त्र त्रिनष्ट एवं शासन स्थापना कला के ज्ञान को प्राप्त करने के लिये अत्यधिक परिश्रम, अध्ययन एवं जीवन का भर अनुभव और इस दिशा में प्रकृतिक

प्रवृत्ति भावश्यक है। यह अत्यन्त ही विचित्र है कि जब हम अपने साधारण शारीरिक बीमारियों की चिकित्सा प्रयोग्य व्यक्तियों से कराने में सकोच करते हैं तो हम अपने सामाजिक एवं शारीरिक महत्वपूर्ण बीमारियों की चिकित्सा उन व्यक्तियों के द्वारा कराते हैं जिनको हम सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं और हमारी इस उपेक्षा का भयंकर परिणाम होता है। हम ऐसे किमी भी साधारण व्यवस्थापक में, जिनके लिए राजनीतिशास्त्र उतना ही अरुचिपूर्ण है जितना कि एक कृषक के लिये एगमटाइन का सापेक्षवाद का निदान। हम करोड़ों का भाग्य उन व्यक्तियों के हाथ में दे देते हैं जिनको कि उनकी व्यक्तित्व दशा में हम अपने साधारण कार्यों को करने के लिए भी योग्य नहीं समझेंगे। ऐसे व्यवस्थापकों को दल के कुछ नेताओं की ही में ही पिलानी पहनी है और उनके कथनानुसार चलना पटना है। जिनको हम जनता का शासन समझते हैं वह वास्तव में एक वर्ग का शासन है और वह वर्ग भी अल्प वर्ग है। यदि हम यह भी मान लें कि प्रजातन्त्र बहुमत का ही शासन है—यद्यपि यह उचित नहीं है—तो भी प्रजातन्त्र बेबल मर्यादा का शासन है।

साधारण मतदाताओं की प्रज्ञानता और उदासीनता की समस्या का हम अत्यन्त ही बटिन हैं। कोई भी गंभीर सामाजिक विचारक आज हमसे विश्वास नहीं करता है कि सब व्यक्तियों में समान बौद्धिक योग्यता होगी। 'एक व्यक्ति—एक और प्रत्येक की गणना एक हो और किमी की भी एक से अधिक न हो' अर्थात् नारे ही सक्ते हैं किन्तु वास्तविक रूप में ठीक नहीं है। व्यक्ति एक समान न तो है और न हो सकते हैं। राजनीतिक प्रजातन्त्र जिस समानता की दुहाई देता है वह शारीरिक समानता है। साधारण मतदाताओं में अपने कार्य को करने योग्यता नहीं है उसके पास न तो अनुभव ही है और न आवश्यक बौद्धिक विकास ही, जिनके बिना वह उचित निर्णय करने में सफल नहीं हो सकता। वह राजनीतिक समस्याओं के प्रति अत्यन्त ही आलसी एवं उदासीन होता है। वह मतदान के कार्य के लिये आवश्यक ज्ञान व शिक्षा प्राप्त करने का कष्ट नहीं उठाना चाहता।

एक अर्थात् मतदाताओं के लिये कम से कम यह आवश्यक है कि—

(अ) उसे राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का ज्ञान हो।

(ब) इन समस्याओं को हल करने के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के मुद्दों की उचित जानकारी हो।

(ई) उनमें यह निर्णय करने की बुद्धि हो कि वह इन विभिन्न मुद्दों में से सबसे उत्तम एवं उपयुक्त मुद्दा चुन सके।

एक अर्थात् मतदान के लिये यह सब जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। कोई भी प्रजातन्त्र उस समय तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि अधिकांश

मतदाता अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करने । निर्वाचकों को उदासीनता राजनीतिक प्रजातन्त्र का एक मुख्य दोष है और इसके अन्य दोष इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं । मतदाताओं एवं व्यवस्थापकों की सही प्रकार की शिक्षा ही प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के इन दोषों को किसी सीमा तक दूर कर सकती है । शासकों को शासन कार्य आना चाहिए और शासितों को अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना आना चाहिए । जब तक कि जनता की नागरिकता की शिक्षा और जब तक व्यवस्थापकों को शासन एवं व्यवस्थापन कला की शिक्षा नहीं नहीं दी जायेगी तब तक प्रजातन्त्र केवल घाड़म्बर मात्र होगा और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति बहुत से मूर्खों पर शासन करने में सफल होंगे । यह शिक्षा सब प्रकारों से पक्षगत रहित होनी चाहिए । जनता को वादो एवं नारों के द्वारा प्रकार की जगह पर नष्टों और उनके हिनो की शिक्षा देनी आवश्यक है । उन तथ्यों के आधार पर व्यक्ति स्वयं मोचने के लिये सफल होगा । परन्तु व्यक्ति के लिये यह तभी संभव होगा जब उसका बौद्धिक विकास इस सीमा तक पहुँच गया हो कि वह स्वयं निर्णय कर सके । राजनीति ही नहीं बल्कि साहित्य कला एवं दर्शन को समझने के लिये भी निर्णय बुद्धि की आवश्यकता पड़नी है । प्रजातन्त्र के इस युग में, जो कि सामान्य व्यक्ति का युग है, सांस्कृतिक स्तर का यथेष्ट मात्रा में पतन हुआ है । जनता ललित कलाओं में रुचि नहीं रखती है और न उसका इतना बौद्धिक विकास ही हुआ होता है कि वह साहित्य कला एवं दर्शन की मान्यताओं को समझ सके । यही कारण है कि वर्तमान शताब्दी में इन सब में पतन हुआ है । हिंसा अपराध एवं लिङ्ग भेद सम्बन्धी बातों में ही जनता की अत्यधिक रुचि है और जो कला या साहित्य जनता को रुचि के अनुसार होता है उनमें यह सब वस्तुएँ भरी रहती हैं । यह प्रजातन्त्रीय युग और जनता के सांस्कृतिक पतन के कारण है । यह भी प्रजातन्त्र की एक मूलभूत समस्या है जिसका शीघ्रातिशीघ्र हल आवश्यक है । यह तभी संभव होगा जब कि प्रजातन्त्र सब को नीचे गिराने वाली व्यवस्था न रह कर सबको ऊपर उठाने वाली व्यवस्था हो जायगी ।

प्रजातन्त्र को प्रायः अयोग्यता की पूजा बहा जाता है । प्रथम तो इसलिये कि इसमें मतदाता अत्यन्त ही अज्ञानी एवं उदासीन होते हैं और इसलिए ऐसे ही व्यवस्थापकों का भी चुनाव होता है । और द्वितीय इसलिये कि संभवतः यह सबसे पीरे कार्य करने वाली सरकार है । प्रजातन्त्र विशेषतः वाद-विवाद की सरकार है और प्रत्येक निर्णय के लिये जो कि व्यवस्थापिका या मंत्रिमंडल लेते हैं वह उस निर्णय के सब पक्षों के सम्बन्ध में पूर्णतया वाद विवाद के पश्चात् ही लेते हैं । विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की सबसे मूलभूत एवं महत्वपूर्ण स्वतन्त्रताएँ हैं । यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अन्तिम निर्णय लेने के पहले सब प्रकार के दृष्टिकोण एवं मतों को पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त हो जानी चाहिये । किन्तु प्रायः

यह विवाद लक्ष्य हीन और विवाद के लिए ही होने है न कि मन की मित्रता के कारण । प्रथम भ्रष्टानी, मूर्खतापूर्ण, वाग्य एव देरी करने वाली प्रणालियों को विरोधी दल प्रजातन्त्र में घपनाता है । बाद विवाद करने समय नेताओं का दृष्टिकोण प्रचार का होता है । व भ्रष्टानी मतदाताओं का बहलाकर घपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहते हैं । अधिपति इन विवादों में बाईं लक्ष्य नहीं होता । यह केवल भ्रष्टी एव नारी के साथ दिनवाट होता है । इसलिए व्यर्थ के बाद विवादों के कारण प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में निर्णय लेने में देरी लगती है । प्रजातन्त्र की प्रथा से कार्य नहीं कर सकता और एक पुराने लोकांतिक है कि बहुत से रसोद्भय भोजन को खराब कर देते हैं यही राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी कहा जा सकता है । जबकि अधिनायक और निरबुध शासक चन्द्र मिश्रों में निर्णय ले लेते हैं वहाँ प्रजातन्त्र को बर्त दिन सम जाते हैं ।

प्रजातन्त्र को एक भ्रष्ट प्रकार की सरकार भी कहते हैं । प्रजातन्त्रीय सरकार का सबसे भ्रष्ट और सबसे अयोग्य प्रकार की सरकार कहा जाता है किन्तु यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि भ्रष्टता किसी विशेष सरकार का लक्षण नहीं है और न वह किसी भी राजनीतिक प्रणाली के तोलने का माप षड है । भ्रष्टता जनता के नैतिक पतन का फल है । केवल भ्रष्ट जनता ही भ्रष्ट सरकार को महत् करेगी । घूस देने वाला भी उनका ही भ्रष्ट है जिनका कि लेने वाला । वह घूस दूबरो को मनाई व दान स्वरूप नहीं देता है किन्तु घपने म्बाषी को पूर्ण करने के लिए देता है ।

प्रजातन्त्र को सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए राजनीतिक दलों की धाव-धमकना होता है । इन राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है कि वह मतदाताओं को बिभिन्न उम्मीदवारों में से चुनने का अवसर दे और मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षा दे । किन्तु वास्तव में वर्तमान युग में यह राजनीतिक दल राज्य की शक्ति को पाने के अक्षम मात्र हो गए हैं । प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह कुछ भी बड़े एव ऐसे समान विचारों वाले व्यक्तियों का समूह है जो कि राजनीतिक शक्ति को शान्ति पूर्ण एवं वैधानिक प्रणाली में प्राप्त करना चाहते हैं । जब वे इन शक्ति को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो वे यह बार्ने सोचते हैं । प्रथम कि उनकी शक्ति की धमकी घस्पार्ड है और द्वितीय चुनाव को जीतने में जितनी उनकी सेवाएँ एव परिश्रम हुआ या उनके फल पाने का अवसर प्राप्त हाय में पाने ही धावाप्रया । वे मर्दव राज्य की शक्ति को और इस शक्ति के लाभों का मुझ की जीत के समान समझते हैं । दल में भी शक्ति केवल कुछ शिखर के नेताओं के हाथ में होती है बाकी सब हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं । दल के आधारण सदस्यों को दल का अनुमानन मानना होता है अन्यथा उन्हें दल में निष्कापित हो जाने का भय उत्पन्न होजाता है । निर्वाचन क्षेत्रों का पानार और

मतदाताओं की संख्या एवं चुनाव के खर्च में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि साधारण व्यवस्थापक भी दल के संगठन एवं प्रर्थ सहायता की चुनाव जीतने के लिये आवश्यकता होती है। दल से निष्पापित होने का अर्थ राजनीतिक जीवन का अन्त होना है। केवल कुछ ही व्यक्ति अपने सिद्धान्तों के लिये सर्वस्व को सफट में डालने के लिए तत्पर होंगे। धन्धे खोर राजनीतिज्ञ, दलों में अधिक हैं और दलीय राजनीति की सरावियों एवं दुगुणों के लिये यथेष्ट रूप से उत्तरदायी है। जब तक साधारण नागरिक राष्ट्रीय एवं दलीय समस्याओं में उदासीन रहेगा तब तक धन्धे खोर राजनीतिज्ञ उस पर अपने लाभ के लिये शासन करेंगे।

जिस प्रकार कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था हम पाते हैं वह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से कम खराब है क्योंकि इसमें नेतृत्व सबसे कम निर्दयी एवं शोषण करने वाला होता है और इसमें हम सरकार को गृहयुद्ध या क्रान्ति के बिना शान्ति पूर्ण तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। रोबर्ट माईकेल्स के शब्दों में—

“व्यक्तियों का बहुमत अनादि अभिभावकता की ऐसी दुखान्त पूर्व निर्धारित आवश्यकता है कि वे हमेशा एक अल्पमत द्वारा शासित होंगे और उन्हें हमेशा अल्प जनतन्त्र के लिए अवलम्बन बनाना होगा।”

(राजनीतिक बल; आधुनिक प्रजातन्त्र के अल्प जनतन्त्रवादी प्रवृत्तियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पृ० ४०७)

यह शब्द प्रत्येक प्रजातन्त्रीय सरकार के सम्बन्ध में सत्य है।

आधुनिक प्रजातन्त्रों की सबसे कड़ी आलोचना सोसवाल्ड स्पेंडलर ने दी है और यह विश्वास दिया है कि इन प्रजातन्त्रों का भविष्य अन्धकारमय है। वह कहता है—

“जनता के अधिकार और जनता का प्रभाव दो विभिन्न वस्तुएँ हैं... यथा-निक अधिकारों को कार्य में लाना जा सकता है जब कि उसके पास धन हो... मताधिकारी भी, लगभग वैसे ही कार्य करें जैसे कि आदर्शवादी उसका कार्य करना मानते हैं, के लिये यह आवश्यक है कि संगठित नेतृत्व का प्रधान चुनने वाले पर (अपने हित में) जहाँ तक कि उसके पास धन है की अनुपस्थिति को मानकर चलना है। वर्तमान पत्रों की तुलना किसी सेना से की जा सकती है जिसमें सावधानी पूर्वक संगठित हिस्से और टुकड़ियाँ होती हैं इसमें पत्रकार भाषीसर होते हैं और पढ़ने वाले सैनिक। यहाँ भी एक बड़ी सेना की तरह सैनिक बिना सोचे ही आज्ञा पालन करता है और युद्ध के उद्देश्य एवं योजनाएँ उसकी जानकारी बिना ही बदल जाती हैं। पत्रों के पढ़ने वाली को न तो यह पता होता है और न यह पता लगने दिया जाता है कि उसे दिन कायों के लिये काम में लाया जा रहा है। प्रत्येक को यह स्पष्टता है कि यह सारे जो

बहु सक्ता है किन्तु समाचार पत्रों का भी यह स्वतन्त्रता है कि व्यक्ति जो कर्ता है उसके ऊपर ध्यान दें या न दें। यह किसी भी सत्य को बेबल जनता तक पहुँचाने से मना करके मृत्यु की गजा दे सकते हैं। यह एक मयकर चृणी द्वारा परीक्षण है। यह परीक्षण और भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने वाली घसरय जनता को इसके अस्तित्व का ही पता नहीं होता " जैसे १९वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राजपद एक बोरा एव समीर घाटम्बर मात्र रह गया था वैसे ही २० वीं शताब्दी में व्यवस्थापिका मन्त्रायें हो जायेंगी। जैसे तब राजदण्ड और ताज का वैसे ही अब जनता के अधिकारों का जितना महत्व कम होता जाता है उतने ही अधिक शिष्टाचार जनता के सामने इनका प्रदर्शन किया जाता है।"

(पश्चिम का पतन भाग २ पृष्ठ ४५१, ४५६, ४६२-६३, ४६४)

यह धार्मिक प्रज्ञानश्रीय जीवन और सरकारों की बीमारियों का एक अत्यन्त ही योग्य विश्लेषण है। यह सम्भव है कि कुछ व्यक्ति सोम्वान्त स्पेन्सर के इन बयनों से सहमत न हो और उनको थोड़ा बहकर उतरी आलोचना करें किन्तु उनमें से प्रत्येक सत्य है। राजनीतिक प्रज्ञानत्र, त्रिमूर्ति कि हम अब पर अत्यधिक महत्वपूर्ण एव प्रणमा करते आए हैं, केवल एक राजनीतिक घाटम्बर मात्र है। धमन्तुलित प्रज्ञानत्र एक दनीय राज्य में अचिब भिन्न नहीं होता है। ऐसे कुछ प्रज्ञानत्र है जिनमें कि विरोधी दलों का संपेष्ट रूप से संगठन न होना के कारण मनुष्य नहीं होता। ऐसे प्रज्ञानत्रों में त्रिम राजनीतिक दल के हाथ में शक्ति होती है यदि तमें यह विश्वास हो जाय कि आगामी आम-चुनाव में उमें विस्थापित नहीं किया जा सकता और दूसरा कोई भी राजनीतिक दल यदि उमके प्रति-दल में जनता की सतानुभूति स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता है तो वह अनुत्तरदायी हो जायगा। एक दनीय व्यवस्था में चुनने के नैतिक अधिकार का भी प्रायः अन्त हो जाता है। कुछदिने भी प्रज्ञानत्र हैं जिसके राजनीतिक दल छोटे समूहों में बटे हुए हैं और यह सामूहिक शक्ति एवं पद की प्राप्ति करने के लिये प्रस्ता अलग अस्तित्व बनाये गये हैं। उनमें विचारों का कोई विशेष मतभेद नहीं होगा। यही कारण है जिनने कि फ्रान्स के प्रज्ञानत्र को प्रस्थाई बना दिया है। इस प्रस्थापित्व के कारण फ्रान्स में ऐसा सम्भव है कि प्रज्ञानत्र का ही अन्त हो जाय और फासिस्ट अधिनायकत्व या किसी मौनिक गृह का का शक्ति हो जाय।

प्रज्ञानश्रीय शासन प्रणाली में सामान्य जनता की इच्छानुसार होता है किन्तु इस इच्छा का प्रकाशन एक निश्चित अवधि के परधान चुनाव के समय ही निर्णायक रूप में हो सकता है। अधिकतर मतदाता प्रज्ञान एवं शासन के कारण न तो यह शिष्टा करते हैं कि वे अपना मत किस लिये और किस को दें। वे मतप्रदान करने की

एक वेगार मात्र समझते हैं। बहुत से मतदाता विभिन्न कारणों से अपने मत को सही रूप से काम में नहीं लाते जैसे कि समुदाय, रक्त सम्बन्ध, मिश्रता, आर्थिक दबाव या लोभ के कारण। ऐसे भी बहुत से हैं जो कि वहाकावे में आकर किसी विशेष राजनीतिक दल एवं विचारधारा के लिये मत देते हैं। किन्तु ऐसा मतदान सही प्रकार का नहीं है। यह भय लोभो या मनोवैज्ञानिक शोषण की प्रणालियों के द्वारा निर्मित इच्छा है। वास्तविक इच्छा का आधार विश्वास होना चाहिए और ऐसी इच्छा के लिये राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के कर्तव्य की पूर्ण नागरिक भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना हम निर्वाचन मंडल के एक प्रतिशत सदस्यों में भी नहीं पाते। जिस प्रजातन्त्र को हम जानते हैं और जिसकी कि पिछली दो सताब्दियों से प्रशंसा है, अत्यन्त दोष पूर्ण है और यह बले ही सबसे अच्छी प्रकार की शासन प्रणाली हो किन्तु यह कदापि आदर्श प्रकार की शासन प्रणाली नहीं हो सकती। इसका कारण स्पष्ट है यह अपूर्ण प्रजातन्त्र है। हम राजनीतिक प्रजातन्त्र को आंशिक रूप में ही सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना अभी होने को है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं होता तब तक सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती। किन्तु यह निश्चित है कि सामाजिक और राजनीतिक प्रजातन्त्र आर्थिक प्रजातन्त्र के बिना पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकता और सदैव दोषपूर्ण रहेगा।

सामाजिक प्रजातन्त्र केवल जीवन का एक मार्ग है। जब तक समाज में आर्थिक विषमताएँ रहेगी भ्रातृत्व की स्थापना असम्भव है। साधारणतः आर्थिक वर्ग ही सामाजिक वर्गों का निर्माण करते हैं। आर्थिक प्रजातन्त्र इसलिए सामाजिक प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं होती तब कानून के समक्ष समता, मतदान की समता आदि केवल एक स्वप्न मात्र हैं और रहेंगे।

आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना हमारे युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। हम इसका हल या तो किसी प्रकार के प्रजातन्त्रीय समाजवाद के प्रयोग से या नियोजित प्रजातन्त्र की स्थापना के प्रयत्न द्वारा कर सकते हैं। हम इतिहास के उस क्षण में हैं जबकि हमें भविष्य के लिये सही मार्ग का निर्धारण करना है। पुरानी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है और सब ओर हम नैतिक अव्यवस्था पाते हैं। एक नए प्रकार की मान्यताओं का विकास हमारे युग की मुख्य समस्या है। हमें प्रजातन्त्र को इन समस्याओं को सुलभाने का अर्थव्यवस्था प्रयत्न करना चाहिए न कि प्रजातन्त्र को हम ठुकरा दें या उसके प्रति उदासीन हो जायें। प्रो० कार्ल मैन्हीम के अनुसार—

“वर्तमान अवस्था और अनुभवों को अस्तिम और अवश्यम्भावी स्वीकार कर लेना महूरदर्शी भाग्यवादिता होगी। हमारी पीढ़ी को यदि संयोगवश होने वाले विचारों को हड़ मानने और छाने वाली पीढ़ी को ऐसे प्रकार के समाजों को बनाए रखने के लिये सपथ करना जो कि अपने आप में अमतीपन्नक है, इन्धना का अभाव होगा। न तो इस जाती प्रजातन्त्र, जो केवल बन्धनों और प्रति निधनता एवं धनिकों के प्रति ऐश्वर्य का पक्ष लेता है या ऐसे जाती नियोजित समाज के लिये जिसमें अमस्त मानवीय स्वतन्त्रताओं का अन्त हो जाता है, के लिये मरने के योग्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु इसलिये हमारी इन्धना और बोद्धि प्रयत्नों पर निर्भर करता है। न तो हमारी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के वर्तमान पक्ष को अवश्यम्भावी ही स्वीकार करना चाहिए और न हमें सर्वाधिकारी राज्यों के पुनर्संघटन के किसी भी प्रयोग को ही केवल सही मार्ग मानकर अपना लेना चाहिए।”

(स्वतन्त्रता, शक्ति एवं नियोजित प्रजातन्त्र पृष्ठ ३०)

प्रजातन्त्र को एक नया रूप प्रदान करने का समय था गया है। प्रजातन्त्रीय विचारों एवं स्वरूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रो० ई० एच० कार ने लिखा है—

“मेरे लिये यह संकेतना प्रसम्भव है कि हम विशेषाधिकारी वर्ग के व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र की ओर लौट सकने हैं और उसी प्रकार हम कमजोर राज्य जो कि केवल पुनिम कार्य करते हैं, के एकमात्र राजनीतिक प्रजातन्त्र की ओर लौट सकने हैं। हम सामूहिक प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रीय ममानता, धार्मिक व्यवस्था का नियंत्रण एवं सार्वजनिक नियंत्रण और इमोनिए शक्तिवादी राज्य जो कि सुधारक एवं रचनात्मक कार्य करता है.....। सामूहिक प्रजातन्त्र के लिए भी गिनिन समाज, निरक्षर एवं उत्तरदायी नेता उत्तरे ही आवश्यक हैं जिनके कि व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र के लिये। क्योंकि इसी प्रकार नेता और जनता के बीच की खाई जिनमें कि सामूहिक प्रजातन्त्र के लिये सबसे अधिक भय है वो बराबर सकता है। यह कार्य कठिन है किन्तु निराशाजनक नहीं.....।”

(नया समाज पृ० ७८—७९)

आज प्रजातन्त्र को सबसे बड़ा चुनौती सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं, विशेष रूप से साम्यवादी अधिनायक तन्त्र में है, जो कि विश्व को यह निन्द कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे प्रजातन्त्र में अधिक योग्य हैं और छोटे समय में वे प्रजातन्त्र में कहीं अधिक भौतिक साधन दे सकते हैं। प्रजातन्त्र को इस चुनौती का सामना करने के लिये अपने आपको पुनर्संघटित करना होगा। यह पुनर्संघटित रूप क्या होगा या पुनर्संघटन कैसे होगा, इस सम्बन्ध में बहुत कुछ शंका है। ई० ए० कार ने लिखा है—

“यहमे चाहे प्रज्ञानत्र जो कि इन मुख्य भूतियों के प्रति अपने अज्ञान के कारण अधिनायक तन्त्रों के उदय को नहीं रोक सके, की मयतियों से अपने वादाविश्व हम पर है और यह हम देग (दृष्ट-वेद) वा, प्रज्ञानत्र की शक्ति स्वतन्त्रता और एव नये समान को जो कि हम नए आदर्श 'स्वतन्त्रता के लिये नियोजन' के लिये वायं एव स्वयं, गुणार करने वा ऐतिहासिक उल्लासित्व होना आवश्यक है ।”

(हमारे युग का निदान पृ० ११)

सम्बन्धन: प्रज्ञानत्र स्वतन्त्रता को नया रूप देने की आवश्यकता के लिए सभी सहमत होंगे । यदि हम अधिनायकतन्त्रों की पुनीति का मकतना पुनक सामना करना चाहते हैं, तो हमें स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के साथ 'नियोजित प्रगति' और 'स्वतन्त्रता के नियोजन' के नए मार्गों का प्रज्ञानत्र के प्रति जीवन के लिए अटनाना होगा । साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जागन की यह आदर्श प्रणाली सभी गुणवत्ता गण्य होगी जबकि अधिकांश नागरिकों में प्रज्ञानत्रोद चेतना, बौद्धिक आगृति, नीतिक पुनरुत्थान एव सर्वस्य निष्ठा स्थापित होगी ।

प्रजातन्त्र एवं श्रमिक संघ

हमारी सताब्दी युग पन्ध्रतम की है और विशेषतः युद्धोत्तर काल में जीवन के सब क्षेत्र में परिवर्तन की तीव्र गति के कारण पुरानी मान्यताएँ नष्ट प्रायः हो चुकी हैं तथा नवीन मान्यताओं के निर्माण की समस्या का हल हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो रहा है। शासन की वह प्रणाली, जो साम्राज्य प्रजातन्त्र कहलाती है मर्यादक रोग से पीड़ित है। इसका आधार न तो हस्तक्षेप करने का सिद्धांत ही है और न उदारवाद का ही। बीसवीं शताब्दी में प्रजातन्त्रीय मस्यौदों पर समाजवाद के सिद्धांत का गहन प्रभाव पड़ा है और यह भी गत्य है कि समाजवाद और प्रजातन्त्र विरोधी नहीं बरन् एक दूसरे के पूरक है। पूर्ण प्रजातन्त्र यथायं रूप में धार्मिक प्रजातन्त्र ही है और समाजवाद धार्मिक प्रजातन्त्र का ही दूसरा नाम है। इसलिए हम संसर्ग के दम कथन में कि 'समाजवाद प्रजातन्त्र में घगला बंदम है' पूर्णतया सहमत हो सकते हैं। किन्तु हम बंदम को जब तक हम नहीं उखाड़े प्रजातन्त्र अपूर्ण है और रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम बंदम को उठाने में यथेष्ट समय लेंगे। धार्मिक हम प्रजातन्त्र को अपूर्ण रूप में शासन व्यवस्था के रूप में ही प्राप्त करते हैं। जब तक धार्मिक प्रजातन्त्र का स्थापना नहीं होगी और जब तक पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था प्रजातन्त्र के साथ विद्यमान रहेगी तब तक श्रमिकों और पूँजीपतियों के सम्बन्धों में परस्पर विरोध रहेगा। इनके पारम्परिक सम्बन्धों के विरोध का मुख्य कारण है, इनके धार्मिक हितों की विभिन्नता एवं विरोध है।

वर्तमान परिस्थितियों में पूँजी की सगठित शक्ति, जिसको राज्य की शक्ति की सहायता भी प्राप्त है, के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों का अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना बर्तन ही नहीं बरन् असम्भव है। श्रमिकों के लिये समुदायों में संगठित होकर अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। श्रमिकों के बहुमत में होने हुए भी धार्मिक दृष्टि में वे अल्पमत ही दुर्वल हैं और एकता के द्वारा ही वे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सामूहिक मदिरा और धार्मिक धन्यायों का विरोध करने के लिये सामूहिक विरोध श्रमिकों के लिये आवश्यक धरण है। इन धारणों

के प्रयोग के कारण ही बीसवीं शताब्दी में हस्तक्षेप न करने की नीति को राज्य की त्यागना पड़ा है। श्रमिक सघ आन्दोलन के उद्देश्य, श्रमिकों का आर्थिक शक्ति के लिये संगठन और उनके आर्थिक अधिकारों की सामूहिक सविदा और सामूहिक विरोध द्वारा रक्षा करना है।

जब तक समाज में उत्पादन की पूँजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक श्रमिक-सघ-आन्दोलन की आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के संगठन के बिना श्रमिक पूर्ण रूप से निःसहाय हैं जिनेवा में १९६६ में मार्क्स ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ में श्रमिक सघों पर एक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा है—“श्रमिक सघों को अपने आदि कार्यों के साथ साथ यह भी सीखना चाहिए कि वे श्रमिक वर्ग संगठन, उनकी पूर्ण मुक्ति, जिसमें कि उसका अधिक हित है, के लिये चेतनायुक्त सगम बिन्दु होने का प्रयत्न करेंगे। उनको इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाली प्रत्येक सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलन से सहयोग करना ही चाहिए। अपने प्रापको सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि एवं नेता समझते हुए और उसी प्रकार कार्य करते हुये श्रमिक सघों को समस्त मजदूर वर्ग में से, जो भी उनके संगठन से बाहर है, संगठित करने में सफल होना अत्यन्त आवश्यक है।”

मार्क्स के अनुसार श्रमिक सघ के उद्देश्य श्रमिक वर्गों को उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये संगठित करना और श्रमिक वर्गों को पूँजीवादी अत्याचार से मुक्त करना है। श्रमिक वर्गों की स्वभावतः समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में विश्वास रखना होगा। मार्क्सवादी एवं श्रम-सघ-वादी उनसे वर्तमान समाज परिवर्तन में क्रांतिकारी भाग देते हैं। श्रेणी-समाजवादी भी उन पर और सामूहिक सविदा के दृष्ट पर, समाजवादी समाज की रचना के लिये निर्भर हैं। युद्धोत्तरकाल के त्रिष्व के समस्त समाजों में आर्थिक अशान्ति है। इस अशान्ति का कारण, प्रो० लास्की के अनुसार “उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों में” अत्यधिक विषमता है। यह विषमता आर्थिक क्षेत्र में प्रजातन्त्र न होने के कारण है। राजनीतिक प्रजातन्त्र के मुख्य लक्षण निजी सम्पत्ति एवं पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था है और ऐसी परिस्थितियों में श्रमिक सघों की अत्यन्त आवश्यकता है। इनकी उपयोगिता और कार्य के बारे में प्रो० लास्की ने लिखा है—

“इसके बहुत से ऐतिहासिक उद्देश्य अब तक प्रारम्भिक अवस्था में हैं और अब भी इसकी स्वीकृति के लिये, जीवन के उचित स्तरों को प्राप्त करने और शोषण एवं वित्तदानों से रोकने के लिये मर्प करना आवश्यक है।”

(नवीन समाज में श्रमिक संघ पृ० १५०)

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि श्रमिक, श्रमिक सघ आन्दोलन में भाग लें और किसी भी श्रमिक को इस सम्बन्ध में चुनाव करने का कोई अधिकार

वहीं है। यह विचार कि श्रमिक चाहे जिन शर्तों पर कार्य करे, इस्तफा न करने वाले ऐतिहासिक युग के दर्शन का है और समाजवाद के युग में ऐतिहासिक दृष्टि में कोई महत्व नहीं रहता। समाजवाद के इस युग में श्रमिक-समूहों के शायी में परिवर्तन अनिवार्य है। जिन शायी के लिये यह व्यवस्था करना या या श्रमिकों की जिन सेवाओं को यह करता था, अब राज्य ने अपने उत्तर ले ली है। वे समाज व्यवस्थाकारी सेवाएँ जो कि पहले श्रमिक समूहों को करनी पड़ती थी, इन शौचांगिक राज्य करता है। श्रमिक समूह अपने सदस्यों को सामान्य शिक्षा देने के लिये उचित प्रकार का साधन नहीं है। अधिक से अधिक वह अपने सदस्यों को अपने अपने की शिक्षा में ही दे पावे किन्तु श्रेष्ठ शिक्षा के लिये उनका अधिकारा प्रयत्न समझना ही है।

अब वह समय आ गया है जबकि श्रमिकों को भी अपने शौचांगिक कारखानों के विकास और शौचांगिक उत्पादन के नियोजन में भाग दिया जाये। इंग्लैंड के विकास परिपदे यह काम करती है और इसके साथ ही साथ अब इनकी श्रमिकों को शौचांगिक शिक्षा देने का कार्य सौंप दिया गया है।

अब पीढ़ियों में यह सम्भव हो सकता है कि विश्व के तमाम राज्यों को नियोजित श्रमिक व्यवस्था को अपनाया वट और ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित है कि निजी उद्योग पक्षों का महत्व बहुत कम हो जायेगा। जिन राज्यों में साम्यवादी व्यवस्था है वहीं पर श्रमिक समूह स्वतन्त्र इकाई नहीं रहेंगे और न अब उमकी कोई अपनी नीति ही रहती। ये नैतिक कारणों से अब ही सब है और उनके स्वतन्त्र कार्य करने का क्षेत्र अधिक सीमित हो गया है। इतना ही नहीं कि श्रमिकों का कि इसका मुख्य धर्म है, वही पर काम में नहीं लाया जा सकता। अधिक से अधिक वे सरकार को अपनी प्रतिनिधियों और सम्प्रदायों के सम्बन्ध में सृचित कर सकते हैं। सरकार उनको कुछ विशेष कार्य करने का उत्तरदायित्व दे देती है। उदाहरण स्वतन्त्र सोवियत रूस में सामाजिक सेवा, श्रमिकों के लिये है। सामूहिक अनारक्रान्तिक एवं शिक्षात्मक कार्यों को करने का भार भी इनका प्रदान किया गया है। जैसे ही पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त होगा तब, श्रमिक समाज का अधिकार हितों के रक्षा करने वाले रूप का अन्त हो जायेगा। समाजवाद व्यवस्था में उनके इन रूप की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब नर राष्ट्रीयकरण करने हुए उद्योगों के उद्योग में श्रमिक समूह के सहयोग देने के तरीकों का अभी तक विचार नहीं कर पाये हैं। यह समस्या उद्योग में रहने वाली है। यदि हम ऐसे उद्योगों का निर्देशन श्रमिक समूहों के हाथ में दे देने है या कार्यवाहियों के अन्तर्गत पदों के श्रमिक समूह के नेताओं को दे दे या उनके प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष शक्ति में नियुक्त करने को इनमें से कोई भी प्रयत्न मनोप-जन्म नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्योगों के अन्तर्गत शक्ति के सम्बन्ध में भी लक्ष्मी ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं —

‘पहला सिद्धांत यह है कि भातक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अत्यधिक विकन्द्रीकरण है और प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष पक्षों का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जहाँ पर मजदूरों के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया जाय वहाँ उन निर्णयों का लागू करने से पहले प्रत्येक स्तर के मजदूरों को विचार विमर्श के अन्तर्गत साधनों द्वारा निराशा का सम्भ्रान्त, और उनको यह विश्वास दिवाना कि उनका अंतर्गत स्थानों को भी महत्व दिया जावेगा, के लिये उचित वायव्यता करना आवश्यक है। तीसरा यह है कि पदोन्नति एवं पदाच्युत करने की प्रणाली मजदूरों की सहमति से ही निश्चित होनी चाहिए और मजदूरों के पक्षों पर उनका यह ध्यान देना चाहिये कि इन नियमों का निर्णय विशेष स्थिति में जिस तरह उपयोग होगा। चौथा यह है कि समस्त उद्योगों में भरती होने के पश्चात् व्यावसायिक शिक्षा की योजना मजदूरों की स्वयं प्रवृत्ति के पूर्ण अवसर देने के लिये होनी चाहिये और इन योजनाओं का निर्माण एवं उपयोग मजदूर और प्रबंधक सम्मिलित रूप से करेंगे। इनमें से सम्बन्धित पानियों यह है कि लोक न्यायकारी योजनाओं में सम्मिलित साथ करने की साधना आवश्यक है। अन्तर्गत यह किमौद्योगिक अनुगन्धान, पाठ यात्रिका अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी, जिसमें मजदूरों का मानसिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित होगा, के लिये यह महत्वपूर्ण होगा कि वे ऐसे परिस्थितियों में किये जायें जिनसे कि मजदूरों को उनका अपने लिये महत्व का ज्ञान प्राप्त हो और जहाँ तक सम्भव हो उनका प्रत्यक्ष सहयोग और व्यावहारिक अनुभवों से इस विषय में लाभ उठाये जिनकी ही भाव उपेक्षा की जानी है सातवाँ सिद्धान्त यह है कि यथायथ रूप से निरन्तर संगठित होने वाली प्रवन्धकों एवं मजदूरों की सम्मिलित परिपक्षों, जिनमें प्रत्येक पक्षों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलेगा और जिसमें प्रवन्धक अपनी योजनाओं का सम्पूर्ण चित्र देने और योजनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नों एवं धारणाओं का उत्तर देने का ध्यान रखेंगे। आठवीं सिद्धान्त, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिये, यह है कि एक व्यक्ति को फोरम में मुख्य प्रवन्धक तक कोई भी कार्य-कारिणी का पद राष्ट्रीयकरण किम हूए उद्योगों में नहीं देना चाहिये जिनकी श्रमिक सघों की आवश्यकता की स्वीकृति के सम्बन्ध में सन्देह हो और जो इन उद्योगों को चलाना चाहते हैं, यद्यपि उनका विश्वास है कि राजनीतिक दृष्टि से इनका सार्वजनिक स्वामित्व ठीक नहीं है।’

(नवीन समाज में श्रमिक सघ पृ० १५८—१५९)

आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ श्रमिक सघों के कार्यों में परिवर्तन का अनिवार्य है। समाजवादी युग में उनका शोषण के विरुद्ध मजदूरों की रक्षा का

केवल निष्क्रिय कार्य ही न होगा वरन् उद्योगों के निर्देशकों को राय एवं निर्देशन में सक्रिय भाग भी लेना होगा। दूसरी ओर उद्योगों के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर मजदूरों के लिये एक नवीन व्यवस्था का सृजन होना आवश्यक है। उनके लिए काम में कम वेतन और अधिक में अधिक प्रतिदिन कार्य समय का निश्चित होना आवश्यक है। यह काम में कम वेतन देना आवश्यक हो कि वे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। उनको प्रतिवर्ष मवेतन छुट्टी एवं मनोरंजन के समुचित साधन भी देना आवश्यक है। यदि प्रारम्भ में इन कार्यों को करने में राष्ट्रीय उद्योगों को कुछ हानि भी होती है तो भी उनका यह कार्य करना ही चाहिए यह हानि राष्ट्रीय धाय में पूरी होनी चाहिये। श्रमिक सघों का यह कर्तव्य आवश्यक है वे अपने सदस्यों को एक नई परिस्थितियों में नवीन कर्तव्य की शिक्षा दें। किसी भी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में विशेषतः राष्ट्रीयकरण किए गये उद्योगों में, प्रो० लास्की के अनुसार श्रमिक सघों के मुख्य कार्य हैं—

“अपने सदस्यों की शिक्षा देना और यह स्वीकार करना कि उनका प्रथम कर्तव्य इन सदस्यों के प्रति है जो कि औद्योगिक ढाँचे के निम्न स्तर पर है। जब यह उनके लिए जा निम्न मध्यम वर्ग के है, अधिक अच्छी दशाओं के लिये माँग करता है तब उस यह मिश्र करना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक घंटे के उत्पादन में वृद्धि या किसी विशेष व्यवसाय में मजदूरों के उत्तरदायित्वों में विशेष वृद्धि या जीवन के स्तर में सम्पन्न वृद्धि हुई है और जिनका मजदूरों पर विशेष-प्रभाव पड़ा है। किन्तु श्रमिक सघों को सबसे अधिक महत्व एक और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घंटे में उत्पादन की वृद्धि पर देना चाहिये।”

(नवीन समाज में श्रमिक सघ, पृ० १६१)

अब श्रमिक सघों को श्रमिक, रचनात्मक एवं उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने होंगे और यदि वे गुना करते हैं तो वे प्रजातन्त्रीय प्रणाली को रक्षा करने में अत्यधिक सहायता देंगे।

वर्तमान काल में श्रमिक सघों की मुख्य समस्या औद्योगिक सघों की मुलभाने की है। अधिकतर श्रमिक सघ हट्टाल के अन्तर्गत का प्रयोग करते हैं किन्तु यह भागिरी अन्तर्गत होना चाहिये। हट्टाल प्रारम्भ करने के पहिले श्रमिक सघों का यह उत्तरदायित्व है कि वे समझौते की सम्पन्न परिस्थितियों का अनुभवान कर लें। अधिकतर परिस्थितियों में हट्टाल समाज विरोधी अन्तर्गत है। यह समाज के सामान्य जीवन को अत्यधिक अन्तर्गत करता है और उस समय को यह बात और भी महत्व है जब कि हट्टाल का प्रभाव समाज की आवश्यकताओं पर पड़ता है। विश्व के अधिकतर औद्योगिक राज्यों में मजदूरों एवं प्रदूषकों के अधिकतम घण्टों की निश्चित के लिये न्याय व्यवस्था का

निर्माण किया गया है : हट के मामले में न्यायाधीश जैमन ने अपना निर्णय देते हुए कहा:—

“श्रमिक आन्दोलन अपनी परिधि पूरा कर चुका है। श्रमिका ने बहुत समय तक सघर्ष किया है और यह सघर्ष घृणा से परिपूरित और सकटपूर्ण रहा है। किन्तु अब मजदूरों से उनकी रोजी इसलिए नहीं छीनी जा सकती क्योंकि वे श्रमिक सघों के पक्ष में हैं और उनके मालिक उनका विरोध करते हैं। श्रमिकों ने दूसरे और भी अधिकार जीते हैं जैसे कि बेकारी की क्षति पूर्ति, वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण और जो कि दूसरे के लाभों का आधार है, यह स्वोक्ति है कि अपने जीवन-पोषण के लिए कार्य करने के अवसर के लिए चिन्ता करना कबन व्यक्ति से ही सम्बन्धित नहीं किन्तु ऐसी समस्या है जिसका सब सगठित समाजों को सामना करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, यदि वे अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं। यह न्यायालय अब सघ के इस अधिकार को स्वीकार करता है कि वे आर्थिक जगत में किसी भी पूँजीपति को भाग लेने से मना कर सकते हैं क्योंकि वे उसे पसंद नहीं करते। यह न्यायालय पूँजीपतियों के आर्थिक क्षेत्र को जिसको कि वे नियंत्रित करते हैं और पूर्ण रूप से जिस पर अधिकार रखते हैं, जिसके लिए श्रमिकों ने इतने दिनों से इतनी कठोरता एवं सही प्रकार से दावा करने का प्रयत्न किया था, किसी व्यक्ति के पास नहीं हाना चाहिए।”

[“नवीन समाज में श्रमिक संघ” लास्की—पृष्ठ १७ से उद्धृत]

यह एक न्यायाधीश का श्रमिक सघों के प्रभाव के सम्बन्ध में कथन है। किन्तु श्रमिक सघ आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में भी क्षति उठाने हैं। ऐसे मामलों में सरकार समाज के हित में हस्तक्षेप करती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जब कि वह हस्तक्षेप अन्यायपूर्ण एवं अनुचित था। यदि सरकार यह दृष्टिकोण अपना लेती है कि कोई भी उद्योग जो राष्ट्र के आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, पर प्रभाव पड़ने की आशंका है तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। सरकार का ऐसे सघों में दृष्टिकोण न तो तटस्थ ही होता है और न पक्षपान रहित ही। प्रायः राज्य उत्पादकों के साधनों के मालिक का साथ देता है और यह बात इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि जब कभी पूँजीपतियों के पक्ष में समझौता होने की सम्भावना होती है, तो कभी हस्तक्षेप नहीं करता, और इसीलिये श्रमिकों का औद्योगिक सघों को निवटाने के लिये सरकारें जो न्याय व्यवस्था स्थापित करती हैं, कोई श्रद्धा नहीं होती। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि मैं उन कुछ श्रमिक सघों के अनुत्तरदायी कार्यों के पक्ष में नहीं हूँ जो कि किसी पक्ष विशेष के राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ के लिये सारे समाज की हानि पहुँचाने में नहीं भिन्नते।

धार्मिक शक्ति का कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीकृत हो जाना ही उसके दुष्प्रयोग का मुख्य कारण है। राज्य किसी भी व्यक्तिगत संगठन में इतनी शक्ति केन्द्रीकृत नहीं होने देता कि वह राज्य की बराबरी करने लगे और समाज में सबके पैदा होवे। इन केन्द्रीकृत धार्मिक शक्ति के विरुद्ध शक्तियों का अकेले ही संघर्ष धार्मिक नहीं है। प्रेसिडेंट फ्रैंक्लिन रूजवेल्ट ने १९३८ में संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस को अपने संदेश में कहा—

“……किसी भी प्रजातंत्र की स्वतंत्रता सबके में है यदि जनता व्यक्तिगत शक्ति की वृद्धि की उस सीमा तक जहाँ कि वह स्वयं प्रजातंत्रीय राज्य में शक्तिशाली हो जाये है, वे मरने वरते है।…… धार्मिक शक्ति का केन्द्रीयकरण और उसके फलस्वरूप अन्त और पूँजी की बेकारी प्राधुनिक पूँजीपति प्रजातंत्रों के लिये अशुभ सम्भावना है।”

धार्मिक शक्ति के केन्द्रीयकरण का प्रभाव न केवल शक्तियों पर ही किन्तु छोटे छोटे व्यवसायों पर भी प्रकट रूप में है। छोटे व्यवसायों पर गीनेट समिति के सम्पादन जेम्स० ई० मुरे ने इस सम्बन्ध में कहा “छोटे व्यवसाय बहुत वर्षों से अपने बड़े प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध लड़ने वाला युद्ध कर रहे हैं। धार्मिक नियंत्रण के केन्द्रीयकरण में वृद्धि और सर्वाधिकारी व्यवसायों की वृद्धि अत्यन्त भयानक हो गई है।”

द्वितीय महायुद्ध और युद्धोत्तर वर्षों में धार्मिक शक्ति का और भी अधिक केन्द्रीयकरण हुआ है। पूँजीवाद के मद्द संयुक्त राष्ट्र प्रेमिन्गाम में भी शक्तियों, छोटे व्यवसायों एवं समाज की इस संस्था बनने के लिये बानून बनाने पड़े है। और शक्तियों सब भी राज्य के इन बड़ने हुए हस्तक्षेप का आवश्यक समझते हैं।

पूँजीपतियों और शक्तियों के धार्मिक हितों में न तो सामंजस्य है और न कभी हो सकता है। उनके हित स्वभावतः भिन्न हैं और उनमें संघर्ष अवश्यम्भावी है। धार्मिक शक्ति के केन्द्रीयकरण में वृद्धि होने के साथ साथ इस संघर्ष का वर्तमान स्वरूप त्रिकोणीय है। इसके तीन पक्ष शक्तियों, पूँजीपति, और राज्य हैं। इस त्रिकोणीय संघर्ष में राज्य का कर्तव्य स्पष्ट है कि उसे पक्षपात रहित होकर नियंत्रण करना चाहिये। शक्तियों का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्हें केवल वे ही मांगें रखनी चाहिये जो देश की धार्मिक स्थिति को देखते हुए उचित हों। उन्हें अपने धार्मिक हितों का दूसरे समुदायों से धार्मिक हितों के समन्वय करना आवश्यक है। वेतन-वृद्धि का प्रभाव समाज के दूसरे सदस्यों पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसी हर माँग उसके प्रभाव के सम्बन्ध में पूर्ण विचार करके ही मागनी चाहिये। शक्तियों पर पूर्ण उत्पादन करने का उत्तरदायित्व है।

प्राधुनिक प्रजातंत्रों में अधिकांश शक्तियों को साम्यवादी विचारों से प्रेरणा मिलती है या वे इनके प्रति गहानुभूति रखते हैं। साम्यवाद उनकी अपने अधिकारों की रक्षा

की प्रेरणा देता है। दूसरे अन्य श्रमिक सघ जो कि इस विचारधारा में विश्वास नहीं करते उनमें—

“बैस सघर्ष की शक्ति नहीं हाती जो कि उसक मानने वालों को साम्यवादी सिद्धांत देता है। वे इस बात को महसूस करते हैं कि राजनीति के सम्पूर्ण दर्शन की कुंजी साम्यवाद उनको देता है। यह उनको आवश्यक शक्ति कार्य के प्रति भक्ति और शोध्यता की भावना, जो कि व्यवसायी सघों में केवल नाटकीय तनावों के क्षणों में ही होता है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह लक्षणा उन सघ नेताओं में भी प्रदर्शित किये हैं जो कि परीक्षा के पश्चात् व्यक्तिगत शक्ति के त्रिभुज स्वायत्त की शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं देता और कुछ इससे भी खराब निकले।

(नवीन समाज में श्रमिक सघ पृ० ३७)

श्रमिक सघ के नेताओं को यह समझना आवश्यक है कि युद्धोत्तर युग की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में उनको नवीन रचनात्मकता में भाग लेना है और राज्य के लिये भी आवश्यक है कि तटस्थता और पक्षपान की नीति को त्यागकर श्रमिकों के सच्चे हितों की रक्षा करे।

सांसदीय प्रजातन्त्र

बड़े राजनीतिक समस्याओं को देने के सम्बन्ध में विश्व, इंग्लैण्ड वा अनुगृहीत है और शासन की सांसदीय प्रणाली भी ब्रिटिश वैधानिक विकास का परिणाम एक देश है। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं में से जिस प्रणाली का नरूपों में सबसे अधिक अनुकरण हुआ है वह सांसदीय प्रणाली ही है। इसको ब्रिटेन में सम्बन्धित एक प्रभावित सब राष्ट्रों ने अपनाया है।

इसके पूर्व कि सांसदीय प्रजातन्त्र के लिये आवश्यक परिस्थितियों और उनको प्रकृति के सम्बन्ध में देखो, यह आवश्यक है कि हमें शासन की सांसदीय प्रणाली के सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिये। शासन की इन प्रणाली के तीन मूल सिद्धान्त हैं।

(अ) इस प्रणाली में कार्यकारिणी का निर्माण बहुमत सिद्धान्त के आधार पर होता है। वह राजनीतिक दल जो कि व्यवस्थापिका का बहुमत प्राप्त करने में (व्यवस्थापिका से यहाँ पर हमारा तात्पर्य केवल निचले सदन में है) सफल होगा वही मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा। बहुमत दल के नेता को राज्य की प्रमुख कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल बनाने की आज्ञा देती है और तब वह अपने साधारणतः प्रमुख कार्यकारिणी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। मंत्रिमंडल की अवधि उन्नीस वर्ष है जब तक कि उसे सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है।

(ब) द्वितीय सिद्धान्त यह है कि कार्यकारिणी इन शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। शासन की मंत्रिमंडल प्रणाली का जन्म इतिहास के स्टूअर्ट युग में ससद के राजा के मंत्रियों को नियंत्रण में करने का प्रयत्न हुआ था। १६४८ और १६८८ की राज्य शान्ति के पश्चात् ब्रिटेन की नगद की सिद्धान्ततः तीसरे महानिर्णय मिल गया किन्तु प्रायः दो शताब्दियों के प्रयत्न और संघर्ष के पश्चात् ही यह इसकी पूर्णरूपेण प्रयोग में लायी। व्यवहार में इस अधि-

कार का अर्थ है कि अग्निग रूप में राज्य की शक्ति का व्यवस्थापिका में निवाग है और मन्त्रिमंडल केवल व्यवस्थापिका की इच्छा को कार्य रूप देने के लिए है। सिद्धान्ततः मन्त्रिमंडल पर सदन का पूर्ण अधिनार है। यह मान लिया जाता है कि मन्त्रिमंडल सदन के निर्देशों का अनुचन नहीं कर सकता है और न बिना उचित निर्देशों के ही कोई कार्य कर सकता है। व्यवस्थापिका की कार्यकारिणी के कार्यों में हस्तक्षेप एवं निरीक्षण करने का अधिनार है और यह काम वह प्रश्ना, अविश्वास के प्रस्ताव एवं काम रोकने के प्रस्तावों आदि के द्वारा करती है।

(इ) कार्यकारिणी का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व से अर्थ है कि व्यवस्थापिका के सदस्य इस सिद्धान्त पर कार्य करते हैं कि वे सब एक हैं और उनमें से किसी के भी द्वारा की गई त्रुटि सारे मन्त्रिमंडल की त्रुटि है। प्रशंसा एवं दोषों के लिए सब समान रूप से उत्तरदायी हैं। नीति निर्धारण करने वाले नियम बहुमत के आधार पर होते हैं। किन्तु एक बार नियम कर लेने के पश्चात् मन्त्रिमंडल के सब सदस्यों को उस नियम से मान्य होना पड़ेगा और वे उसका किसी भी प्रकार का विरोध उस समय तक नहीं कर सकते जब तक कि वे मन्त्रिमंडल के सदस्य हैं, चाहे उन्होंने उस नियम के समय विरोध ही क्यों न किया हो। यदि वे उस नियम से असहमत हैं और उस नियम के प्रति अपने उत्तरदायित्व का नहीं चाहते तो वे मन्त्रिमंडल से त्याग पत्र दे सकते हैं किन्तु सदस्य रहते हुए विरोध नहीं कर सकते।

संक्षेप में मन्त्रिमंडल की शासन प्रणाली का मुख्य आधार दलीय व्यवस्था है और प्रो० यार्कर ने अनुसार केवल द्विदलीय पद्धति पर इसलिए यह आवश्यक है कि सांसदीय प्रणाली को समझने लिये दलीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाय। राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह समूह है जो कि समान राजनीतिक सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं पर समान रूप से विचार करते हैं तथा राज्य की शक्ति को प्राप्त करने के लिये अपने को संगठित करते हैं। राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने के लिये राज्य की शक्ति को प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। किन्तु शक्ति को प्राप्त करने के लिये केवल शान्तिपूर्ण वैधानिक एवं प्रजातन्त्रीय साधन ही अपनाएँ चाहिए अन्यथा यह राजनीतिक दल न रहकर गुप्त समाज या गुट्ट हो जायेंगे। इसलिये राजनीतिक दल स्वभावतः राज्य की शक्ति को प्राप्त करने का एक प्रजातन्त्रीय अस्त्र है। जिस राष्ट्र में सुसङ्गठित दलीय व्यवस्था होगी, वहाँ पर ही शासन की सांसदीय व्यवस्था सफल हो सकेगी। संगठित दलीय व्यवस्था का अर्थ है—छोटी सख्या में बड़े राजनीतिक

दम निचने सदन में परीक्षित स्थान प्राप्त कर सकें ताकि मन्त्रिमन्डल निर्माण करने के लिये आवश्यक बहुमत और सांसदीय प्रजातन्त्र का समष्टित विरोधी दल के द्वारा सम्भु-सन भी प्राप्त हो जाय ।

फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था का हमारा अनुभव यह सिद्ध करना है कि छोटे छोटे दलों के प्रशिक्षण मर्यादा में होने के कारण जागृत वि सांसदीय प्रजातन्त्री सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती है और इसका प्रमाण फ्रांस के राजनीतिक जगत् पर प्रत्यक्ष ही भयानक दृष्टा है । फ्रांस में हम छोटे छोटे दलों एवं राजनीतिक समुदायों का समूह पाते हैं जिनकी विभिन्न नीतियाँ एवं मन्तियाँ हैं । इनके फलस्वरूप फ्रांस का प्रत्येक मन्त्रिमन्डल विभिन्न दिशा का प्रशिक्षण सम्मिश्रित मन्त्रिमन्डल है और इसलिए फ्रांसीसी मन्त्रिमन्डल अस्थायी होने हैं । छोटे छोटे राजनीतिक दलों के कारण मन्त्रिमन्डल में न तो नीति और न वैधानिक आधारों का ही अन्तर् हो पाता है । ये छोटे छोटे दल साधारण कारणों से ही मन्त्रिमन्डल को त्याग देने हैं और इससे मन्त्रिमन्डल के बहुमत का अन्त हो जाता है और मन्त्रिमन्डल का त्याग पत्र देना पड़ता है । कुछ समूहों का निर्माण तो अथवा विशेष व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों की रक्षा के लिये सरकार पर प्रभाव डालने के लिये होता है । फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली अध्ययन के फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि सांसदीय प्रजातन्त्र को सफलता पूर्वक चलाने के लिये सबसे केवल दो समष्टित एवं सम्भुलित दलों की आवश्यकता है ।

प्रो० वार्कर के अनुसार द्विदलीय व्यवस्था ही सांसदीय प्रजातन्त्र की सफलता पूर्वक चला सकती है । इसका सिद्ध करने के लिये उन्होंने यह भी बतलाया कि यह द्विदलीय व्यवस्था सांसदीय प्रजातन्त्र की जिन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । सर्वप्रथम तो यह मतदानियों को समन्द करने की शक्ति प्रदान करने की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । प्रो० वार्कर के अनुसार—

“इनमें से पहला गुण नागरिकों की समन्द का नैतिक गुण है । नागरिक पूर्ण स्वायत्तता से चुनाव करें और उनकी नैतिक दृष्टि तभी सर्वोत्तम प्रकार से कार्यन्विन होगी जबकि उसे दो विभिन्न पक्षों के बीच में चुनाव का स्पष्ट प्रशिक्षण हो । अनेक गण देखकर आप उसे उलझन में डाल देंगे और इससे भी अधिक यह हो सकता है कि आप उसके चुनाव प्रशिक्षण को सीमित कर देंगे क्योंकि एक सामान्य कार्य-क्रम के स्थान पर आप एक विशेष हितों की एक प्रकार की समस्याओं के ऊपर निर्णय देने के लिये बाध्य करते हैं ।

सांसदीय प्रजातन्त्री की द्विदलीय पद्धति का द्वितीय मुख्य आधार राजनीतिक मुख्य समस्याओं एवं मिथान्त पर वाद-विवाद करने का बौद्धिक कार्य करना है । इस सम्बन्ध में प्रो० वार्कर कहते हैं—

“सासदीय प्रजातन्त्र वा दूसरा गुण वाद-विवाद’ वा बौद्धिक गुण है। इसके द्वारा नागरिक (अपने एव राज्य के हित के लिये) उच्च राजनीतिक समस्याओं पर वाद-विवाद के बौद्धिक कार्यों की ओर आकर्षित होता है। नागरिक तभी उचित प्रकार से तब ओर दूसरों के तर्कों को अच्छी तरह से समझ सकेगा जबकि वाद-विवाद केवल दो ही पक्ष में हो। पक्षों में वृद्धि होने से वे विचारों के ताने बाने के जाल में फँस जायेंगे और मस्तिष्क की उसभनो में ड्रास देगे। आप बौद्धिक कार्यों की माँग में वृद्धि करते हैं किन्तु उनको पूर्ति में कमी करते हैं। इसलिए कम बौद्धिक फल प्राप्त होने क्योंकि मस्तिष्क इन ताने बाने से ऐसी उसभनो में पड जाता है कि वह जो उसे उत्पन्न करना चाहिए, वह उत्पन्न नहीं कर सकता।”

द्विदलीय व्यवस्था सासदीय प्रणाली में नियन्त्रण एव सन्तुलन का कार्य भी करती है प्रो० चार्कर के शब्दों में—

“जैसा कि हम देख चुके हैं सन्तुलन का यह गुण राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक है और इसको हम उत्तम प्रकार से तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कि केवल दो मुख्य दल ही राजनीति के रंग मंच पर हों। दलों में वृद्धि होने से आपको दो परिणाम प्राप्त होंगे— आपको ऐसी सरकार प्राप्त होगी जिसका कि आधार दलों का गम्भीरता है इसलिए वह न तो निश्चित होगी और न ठोस ही और आप ही एक ऐसे विरोधी दल को जन्म देंगे या कई विरोधी दलों को जो कि सरकार के साथ साथ आपस में भी संघर्ष करेंगे जिसकी अनिश्चित रचना होगी और असंगठित कार्य होंगे। प्रत्येक प्रकार से— “सन्तुलन और उसके साथ साथ विवाद और नागरिकों की ‘पराजित’ और यह दोनों भी—साथ केवल दो ही के एक साथ है न कि दो से अधिक के साथ।”

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सासदीय प्रजातन्त्र की सफलता दो संगठित दलों की आवश्यकता है और दो से अधिक दल होने पर शासन व्यवस्था का अस्तित्व संकट में पड जायेगा।

सासदीय शासन पद्धति का मुख्य सिद्धान्त कार्यकारिणी का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व है। स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि यदि व्यवस्थापिका स्वामी है तो कार्यकारिणी सेवक है। किन्तु यह केवल सिद्धान्तिक रूप से ही सत्य है। न तो व्यवस्थापिका जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और न वे निर्णायक सत्ता ही है। शक्ति बहुमत दल के हाथ में होती है और आवश्यकता की बात तो यह है कि हम बहुमत दल को भी राष्ट्र के नागरिकों का अल्पमत ही प्राप्त

है। हम प्रचार चुने हुए प्रतिनिधि जनता को इच्छा का वाग्विक प्रराशन नहीं कर सकते। यह प्रतिनिधि प्रतिज्ञाओं एवं चुनाव लड़ने के लिये दलों के विशेष मण्डलों (बीचम) से बंधे हुए हैं। जैसा कि विशेष रूप से आस्ट्रेलिया में और हमारे देशों में दलों के बड़े अनुशासन में दल के केवल कुछ गिस्तर के नेता ही इन व्यवस्थापिकाओं पूर्ण सामन करते हैं और इनको उन नेताओं के प्रत्येक प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है। सासदीय प्रजातन्त्र का यह सबसे बड़ा ध्वजगुण है। शासन की इस प्रणाली में कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, यह ठीक प्रकार से समझने के लिये आवश्यक है कि हम दल की प्रवृत्ति एवं मण्डल और दल का अपने सदस्यों पर बड़े नियन्त्रण का अध्ययन करें।

जनसंख्या की वृद्धि से माताधिकार में वृद्धि हुई है जिससे निर्वाचन दलों के आकार में भी वृद्धि हुई है। इसके परिणाम यह हुए हैं कि हम व्यवस्थापक दल और उनके साधनों पर अपने चुनाव के लिये अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के लिये यह सम्भव है कि वे दल के साधनों की सहायता के बिना निर्वाचन मण्डलों तक पहुँच सकें। चुनाव के व्यर्थों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और जनता तक पहुँचाने के साधन बनने में होंगे हो गए हैं कि चुनाव लड़ना प्रत्येक व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं है। जो साधन एक स्वतन्त्र उम्मीदवार के लिये अप्राप्त है वह दल के लिये सामान्य में प्राप्त हैं। दल का अपने राष्ट्रीय संगठन है उसके अपने समाचार पत्र और संपत्तियाँ हैं। उसके अपने स्वयं सेवक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता और सबसे महत्वपूर्ण वह राष्ट्रीय नेता हैं जिसका कि जनता में अत्यधिक प्रभाव है और जिसकी उपस्थिति से स्थानीय मनदाताओं पर उसके उम्मीदवार के पक्ष में घण्टे प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक में व्यक्तित्व का महत्व एवं प्रभाव जिसका कि कि साधारण शब्दों में 'किभूतियों की पूजा का निदान' वह मरते हैं, प्रजातन्त्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रत्येक प्रजातन्त्र किसी भीमा तक भीटतन्त्र अवश्य है। दलीय संगठन, हित, पक्षपात, आशाएँ एवं डर के द्वारा अन्वयन में मण्डल रहते हुए भी अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में सफल होता है। यह राजनीतिक दल प्रायः मनो-वैज्ञानिक शोषण के अद्वय प्रभाववाली साधनों का मनदाताओं के शोषण के लिये प्रयोग करते हैं। इन सब कारणों से हम उम्मीदवार के लिये चुना जाता प्रायः सम्भव हो जाता है जिसको कि किसी मण्डल दल की सहायता प्राप्त नहीं है। दल के अनुशासन का और सदस्यों की दल निर्भरता का मुख्य गुण भेद पड़ती है और दलों पर हम निर्भरता में जैसे जैसे जनता तक पहुँचने के साधन अप्राप्त होते जायें, जैसे जैसे वृद्धि होती जायगी।

किसी भी राजनीतिक दल से निष्कासन का अर्थ होता है राजनीतिक जीवन का अन्त। आप ऐसे बहुत कम व्यक्ति पायेंगे जिसका कि स्व-सिद्धान्त अपने

राजनीतिक जीवन से अधिक प्रिय है और जो अपने गिद्धान्तों की रक्षा के लिए राजनीतिक जीवन को सबूट में डालना चाहेंगे इसी कारण से अधिकांश व्यवस्थापक दल का समर्थन करने वाले होते हैं। उन्हें हर मूल्य पर दल की नीति को अपनाना ही होता है। निजी रूप से चाहे वह दल की नीति को मालोचना भी कर लें किन्तु व्यवस्थापिका के सामने और जनता के समक्ष उन्हें दल की नीति की रक्षा करनी ही पड़ती है।

प्रो० वाकर के अनुसार प्रजातंत्र का आधार वाद-विवाद है। वाद-विवाद का मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को समझने का होता है किन्तु जहां तक व्यवस्थापिका सभाओं का सम्बन्ध है इस रूप में वाद-विवाद वहां नहीं होता। अधिकांश व्यवस्थापक तो इन वाद-विवादों में भाग लेने के योग्य होते ही नहीं। वे मूर्तियों की तरह भात चेंटे रहते हैं और अपने दल के निर्देशों के अनुसार मत प्रदान कर देते हैं। व्यवस्थापिकाओं में बहुत से सदस्य सोचते और सोते मिलेंगे और कुछ तो खुराँटे भी भरते हैं। हाल ही में मद्रास व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष को यह निर्णय देना पड़ा था कि यद्यपि सदन में सोने के विरुद्ध कोई नियम नहीं है तथापि खुराँटे भरना निश्चित रूप से असंसीय है। यह घटना वर्तमान व्यवस्थापकों एवं व्यवस्थापिकाओं की शैतनिक स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालती है। हम साधारण व्यवस्थापिकाओं से व्यवस्थापन एवं शासन जैसे जटिल कार्यों के लिए आवश्यक ज्ञान व अनुभव की धारा नहीं कर सकते। यद्यपि हम जीवन के साधारण कार्यों के सम्बन्ध में भी अत्यधिक सावधानी का प्रयोग करते जहाँ पर निहानि वा धोत्र केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है किन्तु हम राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों को ऐसे अज्ञानी एवं अनुभवहीन व्यक्तियों के हाथ में दे देते हैं जिनकी भ्रष्टियों के दुष्परिणाम से करोड़ों व्यक्तियों की हानि हो सकती है और उनका भविष्य सबूट में पड़ सकता है। ब्रिटिश लोक सभा, जो कि ब्रिटिश संसद का महत्वपूर्ण भाग है और जिससे कि हम 'संसदों की जननी' कहते हैं, में भी १४० में से अधिक से अधिक ४० या ५० व्यक्ति वाद-विवाद में भाग लेते हैं। भारतीय लोक सभा में उन्हीं व्यक्तियों की प्रतिदिन सासदीय सूचना में पुनरावृत्ति होती रहती है।

जो थोड़ा बहुत वाद-विवाद होता भी है उसका बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुमत के अधिकांश सदस्य संसद में विरोधी दलों के तर्कों को चाहे वे कितने ही उचित क्यों न हों, सुनने व समझने का कदापि प्रयत्न नहीं करते और यह सब तर्क उन सब मस्तिष्कों को जो कि दलीय-अनुशासन के द्वारा पगु हो चुके हैं, प्रभावित नहीं कर सकते। सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि संसदें दल की केवल इच्छा को स्वीकार करने वाली हो गई हैं।

सासदीय शासन व्यवस्था में शक्ति के अंतिम स्रोत का पता हम इस प्रकार

सगा सकते हैं। हर सत्र में निचले गदन का बहुमत दल और हर बहुमत दल में उस दल के नेताओं के हाथ में शक्ति होती है। चूंकि वे नेता मन्त्रिमंडल में होते हैं इसलिए हम यह सकते हैं कि अन्तिम रूप में यह शक्ति मन्त्रिमंडल के पास ही होगी है। सिद्धान्ततः हम भले ही यह दावा करें कि सासदीय शासन प्रणाली में नार्मनागिरी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है किन्तु वास्तव में ठीक इसका उल्टा है। व्यवस्थापिका पर मन्त्रिमंडल का अधिनायकत्व पूर्णरूपेण निश्चि तत्त्व है।

एक निश्चिन्त और मगठिन विरोधी दल का अभाव प्रजातन्त्र की इस शासन प्रणाली के लिए अत्याधिक महत्त्वपूर्ण कर सकता है। शासक दल ऐसे विरोधी दल के अभाव में अनुत्तरदायी हो जायगा और उसका दृष्टिकोण अधिनायकतन्त्रीय हो जायगा। इसकी अल्पे बाओं के लिए तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए और जनमत के अनुसार चलाने के लिए यह आवश्यक है कि शासक दल को यह डर बना रहना चाहिए कि चुनावों में यह हार भी सकता है। शासक दल को शक्ति के हाथ में निकल जाने का डर केवल उन्हीं प्रजातन्त्रों में ही सकता है जिनमें कि निश्चित विरोधी दल है और जिनमें कि शासक दल को अपने स्थायी रूप से बने रहने का निश्चय न हो। अगर वह जानता है कि उसके भूल खूब के बायें आगामी चुनावों पर प्रभाव डालने और इस कारण से राजनीति शक्ति विरोधी दल के हाथ में चली जावेगी तो वह जनमत को छुवराने और विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना से उदासीन नहीं होगा। विरोधी दलों का भी इस प्रणाली में एक नैतिक बर्तव्य है कि इनकी आलोचना रचनात्मक और जनता की अलाई के लिए होनी चाहिए। आलोचना दलीय, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थों की प्राप्ति करने के लिए नहीं होनी चाहिए। संक्षेप में केवल आलोचना के लिए ही आलोचना नहीं होनी चाहिए।

पद से हटाये जाने का डर एक दलीय राज्य में नहीं होता और इसलिए ऐसा राज्य अधिनायकतन्त्रीय हो जाता है। ऐसे ही हटाए जाने का डर वर्तमान भारत जैसे राज्य में नहीं है जहां कि सरकारों के दल का अत्यधिक बहुमत है और विरोधी निर्बल, विभाजित एवं अमरिठित हैं। इन दोनों प्रकार के विचारों में भारतीय प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता।

सासदीय प्रजातन्त्र में यह मानकर चलना होगा कि समाज के मगठन के लिए आवश्यक महत्त्व के प्रश्नों पर विभिन्न पक्षों में समझौता होगा। और प्रो० बाकर के शब्दों में—

“..... मूलभूत विषयों पर एकता होनी चाहिए और उबने अधिक प्रजातन्त्र और प्रजातन्त्रीय नीति को बनाये रखने की मूलभूत मान्यताओं पर; किन्तु सामान्य प्रश्नों पर विरोध भी होना चाहिए— उन लोगों के जो कि अधिक

प्रगति और अधिक प्रजातन्त्र चाहते हैं और जो कि कम चाहते हैं वे मध्य में विरोध" (सरकार पर निबन्ध पृ ६२-६३) और आगे ".... यदि वाद-विवाद करने वाले पक्षों के बीच में कोई सामान्य आधार न हो तो वाद-विवाद असम्भव है। यदि दली द्वारा निर्मित समस्याएँ सामान्य रूप से अनुस्यू होते हुए भी अगर उनके आधारों में जिन पर वे आगे बढ़ना चाहते हैं, सर्वथा भिन्न हैं और जिस दशा में उनके उद्देश्य सर्वथा एक दूसरे में असंग हैं तो उन पर वाद-विवाद नहीं हो सकता और ऐसी समस्याओं पर निर्णय वाद-विवाद के द्वारा नहीं पाया जा सकता। वहाँ शक्ति का मार्ग केवल मार्ग है।"

(सरकार पर विचार पृ० ४०)

प्रो० जैनिङ्गस के अनुसार इसलिए सांसदीय प्रजातन्त्र की प्रणाली में "शासन इच्छा के द्वारा" और "विरोध सहमति के द्वारा" (कैबिनेट सरकारें पृ १५-१६) होता है। मूलभूत विषयों पर एकता इसलिए भी आवश्यक कि राष्ट्रीय नीति में बार बार दली में परिवर्तन होने पर भी अविच्छिन्नता बनी रहे। प्रो० लास्की का मत है कि इङ्ग्लैंड में इस मूलभूत प्रश्नों पर एकता का अन्त हो रहा है—

"दलीय व्यवस्था पूँजीवादी प्रजातन्त्र को तभी तक चला मरती है जब तक कि जनता पूँजीवाद के परिणामों से सतुष्ट हो। तभी यह जनमत की दिशा को आकार एवं ऐसी दिशा देने योग्य होती है कि ऐसे प्रश्नों को जो कि पूँजीपति के मुख्य हितों की सुरक्षा को संकट में डालने, उन पर कानून बनने की संभावना पहुँचाने ही नहीं देती। किन्तु पूँजीवाद की सफलता का सवुचित क्षितिजों के कारण ऐसे प्रश्नों को ठीक वही दशा हुई है। एकता के नए आधारों का निर्माण करने की योग्यता तब सामदीय प्रणाली सरकार के जीवन के लिए आवश्यक दशा हो जाती है।"

(इङ्ग्लैंड में सांसदीय सरकार पृ० ६७)

दूसरे शब्दों में प्रो० लास्की यह कहना चाहते हैं कि शासन की सांसदीय प्रणाली पूँजीवादी प्रजातन्त्रों में सामाजिक व धार्मिक परिवर्तनों को करने में सफल न हो किन्तु यह सम्भवतः सफल हो। प्रो० बोधराज शर्मा ने भारतीय राजनीतिशास्त्र समुदाय की सभा के सभापतित्व पद से १९५३ में भाषण देते हुए भारतीय सांसदीय प्रजातन्त्र पर अपने कुछ विचार प्रकट किए जिसमें कि आपने इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और भारतीय दशा में इनको अनुपयुक्त बताया। उन्होंने कहा—

"भारत ने पार्लियामेन्ट प्रणाली का अनुसरण करने का निश्चय किया है और यह नास्तिक निरपेक्षता तथा सांसदीय प्रजातन्त्र का इसे अहकार

है जिसको कि प्रदाने का इतने निश्चय किया है।.....हम यह जानते हैं कि संसदीय प्रजातन्त्र की मर्यादों विश्व बड़े क्षेत्रों में जनता को शक्ति एवं मुक्त देने में समर्थन हुई है और वह अपनी युद्ध और दल की निरंकुशता के हर से नींद रहित रातों व्यतीत करते हैं।" इस भाषन की पद्धति की कमजोरियाँ प्रो० शर्मा के अनुसार "निर्वाचकों पर यह एक समझव कायं रखती है। स्वतंत्र उम्मीदवारों का अन्त कर देनी है और इसमें दसोंय दल के बड़े अनुशासन में वृद्धि, सरकारी और विरोधी दलों में समझयोग का आह्वान और राजनीतियों का शासन पर हानिकारक प्रभाव है।"

(भारत में संसद—प्रो० डब्ल्यू एच मोरिस जोन्स पृ० ४१ से उद्धृत)
प्रो० मोरिस जोन्स इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए लिखते हैं—

"उसमें शक्य नहीं कि भारत के लिए संसदीय प्रजातन्त्र की उपयुक्तता का प्रश्न एक सम्पूर्ण प्रश्न है किन्तु पाश्चात्य सम्प्रदायों की विवेक रहित आलोचना और मध्यकालीन भारत की सम्प्रदायों के अध्ययन पर ठीक ठीक इस प्रश्न का उत्तर सम्भव नहीं है। उपर्युक्त साधनों पर शीघ्रता से प्रयोगों के द्वारा और उन सम्प्रदायों की प्रदाने और कार्यान्वित करने के प्रयत्नों में त्रिभुज कि धार्मिक राजनैतिक अनुभवों ने अधिकतर भारतीयों को परिचित करा दिया है, ही इसका उत्तर किसी सीमा तक दिया जा सकता है और जैसे कि उत्तर दिया जा रहा है। यह तथ्य कि संसद शक्ति के अनुसार एक पाश्चात्य मर्यादा है, इस तथ्य में कि भारत में संसद एक भारतीय संस्था हो गई है कम महत्वपूर्ण है।..... संसदीय मर्यादों की रूप से सम्प्राकृतिक मर्यादों में ही कार्य कर सकती हैं और ऐसी दशाओं की अनुपस्थिति में नहीं कर सकती। प्रश्न यह नहीं है कि धर्म के अनुसार विभाजन स्पष्ट बहुमत एवं अल्पमत का निर्माण करना है और शक्ति में आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता जो कि प्रजातन्त्र की एक मुख्य आवश्यकता है और इसलिए धर्मों सामाजिक मर्यादों के ताने बाने संसद को बेवतन एवं दिशाहीन का माधन मान कर देते। 'वाम्पविक' शक्ति मर्यादों 'अदन के भव पर' न होकर और कहीं होंगे। संसद का कार्य केवल उन शौचवार्तिक परिणामों का निरूपण करना होगा जो कि विभिन्न शक्ति मर्यादों के मध्य में बाहर निर्वाही तौर पर निरूपण जा चुके हैं। यह आलोचना पद्धति वाणी की तरह यह विश्वास उत्पन्न करती है कि संसदों अनावश्यक है।"

(भारत में संसद पृ० ४२)

हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि भारत ने पश्चिम में संसदीय प्रजातन्त्र का अनुकरण किया है किन्तु फिर भी सरकार की इस पद्धति की बड़े भारतीय राज-

नीतिक भूमि में यथेष्ट रूप से जम चुकी हैं और इसकी सफलता या असफलता भारत के मतदाताओं के राजनीतिक विकास और एक शक्तिशाली एवं संगठित विरोधी पक्ष के विकास पर, जिससे कि हमारे सांसदीय प्रजातन्त्र को संतुलन प्राप्त होगा, पर निर्भर करता है। यहाँ हम बतला देना आवश्यक समझते हैं कि भारत में शामक दल काँग्रेस और मुख्य विरोधी दल एव साम्यवादियों में मूलभूत सिद्धान्तों में कोई एकता नहीं है और ऐसी एकता को स्थापित होना अत्यन्त ही संदेहात्मक है। केवल भविष्य ही यह बतला सकेगा कि हमारी दलीय व्यवस्था और सांसदीय प्रजातन्त्र का किस प्रकार से विकास होगा ?

वर्तमान परिस्थितियों के अध्ययन करने से तो हम यही ज्ञात कर सकते हैं कि भारत में सांसदीय प्रजातन्त्र का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। पिछले दो ग्राम चुनावों के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध होता है कि एक ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनता पर प्रभाव जहाँ कम होता जा रहा है वहाँ दूसरी ओर किसी एक विरोधी पक्ष का उसी अनुपात में प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। व्यवस्थापिकाओं के जो स्थान कांग्रेस हार रही है वह स्थान छोटे छोटे राजनीतिक दलों, पक्षों एवं समूहों में बँटते जा रहे हैं और इस कारणवश एक संगठित विरोधी दल का विकास नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल भारत में इस समय नहीं है जिसका कि राष्ट्र भर में राजनीतिक संगठन एव प्रभाव हो और जो कि अपने वाले भविष्य में बहुमत प्राप्त करके सत्ता को हस्तगत कर सके। कांग्रेस के छिन्न भिन्न होने पर और पिछले दस वर्षों के परिणामों में तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि कांग्रेस का छिन्न भिन्न होना आवश्यक है। भारत के दूसरा पाकिस्तान या फ्रान्स होने की सम्भावना है। अनेक राजनीतिक समूह जिनमें सिद्धान्तों का कोई भेद नहीं और जो केवल व्यक्तियों के आधार पर बने हैं, भारतीय राजनीतिक स्थिति को और भी अधिक अस्थायी एवं अस्थिर-स्थित बना रहे हैं।

भारत में मुख्य विरोधी दल, वोटों की सहाय्य एव व्यवस्थापिका के स्थान दोनों के अनुसार, साम्यवादी दल है। यही एक ऐसा विरोधी दल भी है जो कि केवल राज्य में सफलतापूर्वक राज्य की सरकार को चला चुका है किन्तु निम्न भविष्य में कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती कि यह दल केन्द्र एव राज्यों में अपने स्थान प्राप्त कर सकेगा या अपने प्रभाव में इतनी वृद्धि कर सकेगा कि ये देश के शासन की अपने हाथ में ले लें या हमारे सांसदीय प्रजातन्त्र को संतुलन में रखा गये। इस विरोधी दल के साथ में एक अन्य बटिनाई भी है। इसमें और कांग्रेस में सम्मेलन (१९५८) की अपेक्षा भी, मूलभूत सिद्धान्तों में कोई एकता नहीं है और नहीं सकती है।

समाजवादी विरोधी पक्ष स्वयं में ही अत्यधिक विभाजित है। इसके विभिन्न

भाषों में सिद्धान्तों के कारण उतना मतभेद नहीं है जितना कि व्यक्तिगत स्वाधों के कारण । निकट भविष्य में इसकी कोई आशा नहीं है कि प्रजातन्त्रीय समाजवादी विरोधी पक्ष अपना सफटल कर सकेगा या शासन के भार को समालने में समर्थ होगा । भारत घोर अधिकांश पूर्वी राज्यों के राजनीतिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसमें व्यक्तित्व का सिद्धान्तों से अधिक महत्त्व है । यह सांसदीय प्रजातन्त्र की सफलता के लिए एक गमीर सद्दुष्ट है । राजनीतिज्ञ अपने व्यक्तिगत स्वाधों के लिए निर्वाचक मण्डल को छुध समस्याओं पर विभाजित किए हुए है और यह विभाजन हमारे नवीन प्रजातन्त्र के लिए अत्यन्त आवश्यक द्वितीय व्यवस्था के विषय में बाधक है । कुछ विरोधी नेता जैसे कि अशोक मेहता ने तो काँग्रेस को एक विरोधी समष्टित दल के निर्माण के पवित्र कर्तव्य के सम्बन्ध में भी ध्यान आकर्षित किया है किन्तु काँग्रेस से यह आशा करना अत्यन्त ही अव्यावहारिक होगा कि यह अपने इस आदर्श कर्तव्य को राष्ट्र के प्रति पूरा करेगा । कोई भी दल या व्यक्ति जब तक समर्थ हो शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता है । काँग्रेस भी ऐसा ही करेगी और हमारे लिए उसे हमें शीघ्र नहीं देना चाहिए । यह सब बातें तो राजनीति के खेल के नियम हैं ही । हमें विरोधी दलों से उनके अपने हित में एकता की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि एक स्वस्थ एवं मजबूत सामंतीय प्रजातन्त्र का भारत में भी निर्माण हो जाय किन्तु यह भी अत्यन्त अव्यावहारिक एवं आदर्शवादी विचार है ।

फ्रान्स में सामंतीय प्रजातन्त्र की राजनीतिक अव्यवस्था का कारण दोनों के मध्य में विचारधाराओं का भेद नहीं है किन्तु प्रो० हरमैन फ्राइजर के अनुसार स्पष्ट शब्दों में राजनीति के कारण हैं—

“...मन्त्रिमंडल के प्रत्येक परिवर्तन का धर्म सभी पक्षों का पूर्ण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि एक या अधिक समूह नये मन्त्रिमंडल में रहते हैं—और कभी-कभी यह परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री को ही हटाना होता है । मन्त्रियों का परिवर्तन वास्तव में मन्त्रिमंडल का पुर्नलेपन मात्र है । इस पुर्नलेपन को शीघ्र देना भी कहा गया है—एक मरने हुए रोगी को शीघ्र देना । एक नियम के रूप में चाहे और तीन चौथाई के बीच के पुराने मन्त्रिमंडल के सदस्य नये में भी रहते हैं । और यह उन शासन के दोषों को कम कर देता है जो कि इतने शीघ्र परिवर्तन के द्वारा होते फिर भी इसके परिणाम कुछ धीकड़ों के मूढम अव्ययन से पता चलता है, मदेष्ट रूप से बुरे हैं । प्रायः इन राजनीतिक तथ्यों ने विधान के इस मूढाचर का प्रायः घल्ल कर दिया है कि मन्त्रिमंडल गामूढिक रूप से उधारदायी हैं । पत्राजित मन्त्रिमंडल की कमी भी पूर्ण रूप से सफाई नहीं हुई । प्रायः निरन्तर ही व्यक्ति त्यागपत्र देते थे और ऐसे पूरे मन्त्रिमंडल में निरन्तर परिवर्तन अत्यधिक विनाशकारी प्रतीत होते-होते, किन्तु

वे व्यक्तिगत त्याग पत्र मन्त्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा दुर्बल बनाते हैं और वे प्रायः मन्त्रिमंडल के पतन की तात्कालिक भूमिका होते हैं। डेप्पूटीज को एक बार खून लगना चाहिए ।.....”

(प्राधुनिक सरकारें पृ० ६२७)

सम्भवतः फ्रान्स ही ऐसा सासदीय प्रजातन्त्र है जिसमें कि राष्ट्र अभी कुछ समय पूर्व एक माह के लिए किसी भी सरकार के बिना रहा है। वहाँ सरकारों का यह अस्थायित्व प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को जलट देने और अधिनायकतन्त्र की स्थापना के मार्ग की रचना कर रहा है। मैंने फ्रान्स की राजनीतिक अवस्था का पूर्ण रूप से विवरण यह सिद्ध करने हेतु दिया है कि यदि हम संगठित एवं शक्तिशाली विरोधी पक्ष की रचना करने में असफल हुए तो हमारे सासदीय प्रजातन्त्र का भविष्य भी फ्रान्स की तरह अन्धकारमय हो जायेगा। इस भविष्य को गुधारने का प्रयत्न करना ही राष्ट्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

राजनीतिक दलों का प्रजातन्त्र में महत्व एवं स्थान

परिचाय प्राधुनिक राजनीतिक गम्भीरों की ही भाँति राजनीतिक दलों को दर्शाते भी घंट ब्रिटेन में हुई। ब्रिटिश दर्शन-संस्था मन्त्रहरी राजाओं के मध्य में राजा और समद के समर्थ के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। मारा ब्रिटेन उस समय दो भागों में विभक्त हो गया था। एक तो वह जो कि राजा के पक्ष में था, जिसे हम (Royalists) कहते हैं और दूसरा वह जो कि समद के पक्ष में था, जिसे हम राइट हैड्स कहते हैं। १६८० के लगभग रोयलिस्टों ने अपना नाम परिवर्तित करके टोरी दल का रूप लिया तथा राइट हैड्स ने विंग का। १८०३ के लगभग उन्होंने पुनः अपने नाम में परिवर्तित किया और अब टोरियों का नाम कन्सर्वेटिव या अनुदार दल पहा और विंग का लिबरल या उदार दल पहा। यद्यपि यह राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध थे, इनमें प्रायः में शक्ति के लिए मधुर्ष भी था फिर भी उनके मध्य में कुछ ऐसे सामान्य विद्वान् भी थे जिन्होंने कि वे दोनों महत्त्व भी थे। वे दोनों उस विद्वान् में पूर्णतया सहमत थे कि ब्रिटेन में गृह युद्ध नहीं होना चाहिये। यह दोनों शासन का एक मन्त्रपूर्ण विद्वान् है कि दोनों को "विभिन्नता के लिए सहमत होना चाहिये।" इनमें इनकी महत्त्वपूर्णता भी होनी चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे को महत्त्व कर सकें और राज्य की सुचलन समझाओं पर सहयोग कर सकें।

द्विती भी प्रजातन्त्रिय शासन व्यवस्था में दल आवश्यक है। दल और समद एक दूसरे में सम्बन्धित हैं विशेषतः शासन की सामंतीय पद्धति में। प्रजातन्त्र में दलों का मुख्य कार्य मन्त्रशासकों को चुनाव का अवसर प्रदान करना है—विभिन्न उम्मीदवारों और विभिन्न नीतियों के मध्य में चुनाव। प्रो० बार्कर के मतानुसार—

"नागरिक का 'चुनाव' प्रजातन्त्र की आधार दून जड़ है। यदि मैं चुन सकूँ तो मुझे चुनाव की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। एक स्वतन्त्र प्रायण के लिए और

चुनाव की स्वाम्भ्रता के लिए मेरे समक्ष विभिन्न चुनाव होने चाहिए । ये विभिन्न चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे ।”

दल निश्चित रूप से चुनाव मतदाताओं के समक्ष रगते हैं और इससे मतदाताओं के लिए चुनाव सरल हो जाता है । यही प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता का गुप्त भेद है । प्रजातन्त्र आवश्यक रूप से वाद-विवाद द्वारा सञ्चालित शासन है । जो चुनाव मतदाताओं के समक्ष प्रयुक्त किये जाते हैं उन पर सार्वजनिक वाद-विवाद आवश्यक है ताकि सामान्य मतदाता किसी भी सार्वजनिक समस्या के पक्ष और विपक्ष से पूर्णतः परिचिन हो जाय । यह सार्वजनिक वाद-विवाद-विभिन्न-दलों द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि उनकी ही मतदाताओं को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने में आवश्यक राजनीतिक हित है । राजनीतिक दल प्रजातन्त्र को सन्तुलन भी प्रदान करते हैं । यदि हम जिस दल के ह्राय में राष्ट्र का शासन है उससे उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार चाहते हैं तो एक शक्तिशाली और सुसंगठित विरोधी दल आवश्यक है ।

इसलिए किसी भी प्रजातन्त्र में राजनीतिक दल तीन मुख्य कार्य करते हैं । उनका नैतिक कार्य है - नागरिकों को चुनाव का प्रयत्न प्रदान करना, उनका शैक्षिक कार्य है - राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद में तथा मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षा में भाग लेना और उनका तृतीय कार्य है - मासदीय प्रजातन्त्र को सन्तुलन प्रदान करना ।

राजनीतिक दलों का परीक्षण हम उनकी सुधार प्रगति के प्रति दृष्टिकोण से मापार पर कर सकते हैं । वे सब दल जो कि प्रगति की पंढी को उलटना चाहते हैं, जो कि पिछली महानताओं की प्रशंसा करते हैं, और जो इतिहास की भीत हुए किसी स्वर्ण युग की पुनः स्थापना की कल्पना करते हैं उन सब को हम प्रतिबिम्बावादी कह सकते हैं । यह दल प्रत्येक नवीन वस्तु का विरोध करते हैं और उन सबकी प्रशंसा करते हैं जो कि परम्परा द्वारा निश्चित है । वे किसी प्राचीन वस्तु को इसलिए नहीं पसन्द करते कि वह अच्छी है या उसमें कोई मूलभूत मान्यताएँ निहित हैं किन्तु केवल इसलिए कि वे प्राचीन है । दूसरे राजनीतिक दल वे हैं जिनका सुधारों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण है । वे नवीन आदर्शों एवं पद्धतियों का पसन्द नहीं करते हैं । वे न तो भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं और न ही अतीत के स्वप्न ही देते हैं । वे जो कुछ है और जो होता आया है उसी में सिद्ध रहते हैं और उसी को अपने लिए सबसे सुरक्षित मार्ग समझते हैं । वे प्रत्येक सुधार और नवीन वस्तु को सदेहात्मक दृष्टि से देते हैं । ऐसे दलों को हम अनुसूचक दल कहते हैं । तृतीय वे राजनीतिक दल हैं जो कि भागे बढ़ना चाहते हैं और जो प्रगति से सहानुभूति रखते हैं । वे नए विचारों एवं नवीन संस्थाओं का विरोध नहीं करते । वे नए सुधार

नहीं चलते कि प्रत्येक नवीन वस्तु बुगै है। उनका नवीन वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण मात्रवानी एवंक परोक्षा करके प्रपनाने का है। वे प्रत्येक नवीन विचार का पहने विश्लेषण करना चाहते हैं और यदि वह अच्छा है तो उसे प्रपनाते हैं और यदि उसके द्वारा समाज को किसी प्रकार में हानि की या अशुभदशा की सम्भावना होगी है तो वे उसे प्रस्वीकार न देते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को हम उदार-दल कह सकते हैं। वस्तुओं के राजनीतिक दल हैं जो कि प्रत्येक प्राचीन एवं परम्परा द्वारा स्वीकृत वस्तुओं का विनाश चाहते हैं। भविष्य के सम्बन्ध में उनके पास न तो कोई रचनात्मक कार्य-क्रम ही होता है और न उनको वे सावररचना ही समझते हैं। उनका पुगनी व्यवस्था का नष्ट करने में अधिक विश्वास है और उनका यह विचार है कि भविष्य अपनी विन्ता स्वयं अपने हाथ करेगा। इस राजनीतिक दलों को हम उग्र सुधारवादी दल कहते हैं।

वर्तमान समाजों के धार्मिक वादों न राजनीतिक व सांस्कृतिक वादों पर पूर्ण-तया विजय प्राप्त का है जो हम उग्र-दल शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण वाद कह सकते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए यह प्रावश्यक है कि वह स्पष्ट धार्मिक नीतियों की प्रपनाये तथा यह भी प्रावश्यक है कि वह किसी भीमा नए धार्मिक धर्म में हस्तक्षेप करे। इसीलिए धार्मिक क्षेत्र में राज्य के हाथों की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों को भी स्पष्ट धार्मिक नीतियाँ प्रपनानी होंगी और उनका वर्गीकरण उनकी धार्मिक नीतियों के आधार पर ही हो सकेगा। मुख्य धार्मिक आधार राजनीतिक दलों के मध्य में राज्य के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र की सीमाओं के सम्बन्ध में मतभेद है।

धार्मिक आधारों न और दूसरे समस्त आधारों को पुरातन कर दिया है, और अधिकांश सामुहिक दलों ने समाजवादी या साम्यवादी कार्यक्रम को प्रपनाया है। हम उा दलों का समाजवादी दल कह सकते हैं जो कि राज्य को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और राज्य के द्वारा राष्ट्र के धार्मिक जीवन पर सामान्य नियंत्रण में विश्वास करते हैं, और साम्यवादी दल उन्हें कह सकते हैं जो कि उत्पादन एवं वितरण पर राज्य द्वारा पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं और निजी मण्डल की मर्यादा पर अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाते हैं।

कुछ देशों में राष्ट्रीय दल भी होते हैं। यह राष्ट्रीय दल सामान्यतः उन देशों में पाए जाते हैं जो कि परन्तु हैं या जिनमें एक से अधिक राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय दल उम समय भी उत्पन्न हो जाते हैं जबकि राष्ट्र का अस्तित्व वास्तविक प्रक्रमण के सङ्घट में होता है और उम समय उनका उद्देश्य राष्ट्र की समस्त जनता को राष्ट्र की रक्षा हेतु संगठित करना होता है। वे धार्मिक और राजनीतिक आधारों की परेक्षाकर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं अनुभूति की अधिक महत्व देते हैं। ऐसा भी होता था प्रायः

है कि अधिक बाल बितने पर यह दल अपने धार को राष्ट्र का एक मात्र प्रतिनिधि समझते हैं। उनका दृष्टिकोण दनीय — अधिनायकत्व ही और प्रथम होना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास इस सत्य का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

कुछ देशों में धर्म का आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। पश्चिमी योरोप तथा राजनीति। दृष्टि में पिछड़े हुए कई राष्ट्रों में ऐसे दल पाए जाते हैं जिनका आधार कैथोलिक धर्म है और जिनका उद्देश्य रोमन कैथोलिक अधिकारों एवं मिथ्यात्वों की रक्षा एवं विस्तार है। उनको हम 'कैथोलिक दल' कहते हैं और कहीं कहीं पर 'सेन्टर दल' भी कहते हैं, क्योंकि वे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में संतुलन रखते हैं।

पिछड़े हुए राष्ट्रों में किसी विशेष धर्म के विस्तार एवं रक्षा के लिए भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप मुस्लिम लीग या हिन्दू महासभा आदि। ऐसे दल स्वभावतः ही प्रतिक्रियावादी होते हैं। यह अत्यधिक विवाद-ग्रस्त विषय है कि धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण होना चाहिए या नहीं प्रथम धार्मिक दल होने चाहिए या नहीं। प्रायः पश्चिमी योरोप के 'कैथोलिक' और 'सेन्टर' दलों का अस्तित्व और उपयोग ऐसे दलों के सम्बन्ध में एक तर्क हमारे समक्ष रखा जाता है। यहाँ तक कि प्रो० बार्कर का भी यह मत है कि ऐसे दल उपयोगी हैं क्योंकि वे राजनीति को स्थायित्व एवं संतुलन देते हैं। किन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि ऐसे दल स्वभावतः ही सखीर्ण मनोवृत्ति और प्रतिक्रियावादी नीति के होते हैं। वे धर्म के नाम पर बहुत से आवश्यक सुधारों का भी विरोध करते हैं और बहुत से स्थानों पर (जैसे कि भारत) वे राजनीति में कट्टरता लाते हैं। राजनीति में समुदाय सम्प्रदायवाद को जन्म देते हैं और राष्ट्र की विरोधी धार्मिक समूहों में विभाजित करते हैं। वे राष्ट्र में फूट और धार्मिक सवर्ण को जन्म देते हैं। भारत में हमें ऐसे दलों के दूषित प्रभावों का यथेष्ट अनुभव है और कम से कम कोई भी भारतीय किसी भी प्रजातन्त्रीय समाज के लिए धर्म को राजनीतिक दलों का सही आधार नहीं मान सकता है। राजनीतिक दलों के इन आधारों और कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस स्थिति में आते हैं कि हम राजनीतिक दलों की परिभाषा करें। फ्रेडरिक के मतानुसार राजनीतिक दलों की परिभाषा इस प्रकार है—

"मानव व्यक्तियों का वह समुदाय, जो कि स्थाई रूप से शासन का नियंत्रण अपने नेतृत्वों के लिए प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए स्थाई रूप से संगठित है और उसका ध्येय उद्देश्य है कि ऐसे नियंत्रण द्वारा अपने दल के सदस्यों को आदर्श भौतिक लाभ और उनके हित प्रदान किये जायें।"

(संवैधानिक सरकार एवं प्रजातन्त्र पृ० ३०४)

द्रुक्म के मतानुसार राजनीतिक दल को परिभाषा इस प्रकार है—

“व्यक्तियों अथवा व्यक्ति के समूहों का वह स्वेच्छित संगठन है जिसका कि अत्यधिक विनिष्ट कर्ताभ्य अपने कुछ नेताओं को मार्चत्रैतिक पद के लिए मनोनीत करना है और उनको इनके प्राप्त करने के प्रयत्नों में सहयोग देना है। यह सर्वैव कुछ सिद्धान्तों एवं नीतियों का विनिष्ट समर्थन करता है और उन्हें शासन के सामान्य कार्य-क्रम के लिए दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है और यह मानता है कि इन सिद्धान्तों और नीतियों को प्राप्त करने के लिए सबसे शीघ्र पद्धति उसके मनोनीत उम्मीदवारों का निर्वाचन है।”

(राजनीतिक दल एवं निर्वाचन समस्याएँ पृ० १४)

हरमैन फाइनर के मतानुसार—

“राजनीतिक दलों के कार्यों के दो मुख्य पक्ष हैं, (१) निर्वाचक मण्डल का बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य में संगठन, (२) प्रतिनिधि और निर्वाचन दोनों के मध्य में भिन्नता और उत्तरदायित्व पूर्ण सम्बन्ध एक निर्वाचन और दूसरे निर्वाचन के बीच में बनाए रखना है। यह ध्यान रखने योग्य है कि त्रिनीदी अछे प्रकार से ये कार्य पूरे होंगे उनना ही राजनीतिक नेताओं और जनता के बीच में एकीकरण प्राप्त होने के निकट होगा।”

(साधुतिक शासकों के सिद्धान्त एवं व्यवहार पृ० २३७)

किन्तु ये कार्य त्रिनीदी कि फाइनर इतना महत्वपूर्ण समझता है, कदाचित् ही राजनीतिक दलों द्वारा पूर्ण किये जाते हों। यदि वे ऐसा करें तो प्रतिनिधित्व शासन एक प्रादेश शासन व्यवस्था का रूप ले लेगा और तब हमें न तो इन प्रत्यक्ष शासन प्रणाली की जनमत निर्देश एवं प्रवर्तक प्रादि विधियों को अपनाना आवश्यक होगा और न १९३६ के सोवियत संविधान के १४२ वें अनुच्छेद के अनुसार प्रतिनिधियों के प्रत्याहान के सम्बन्ध में कोई अनुच्छेद संविधान में रखना आवश्यक होगा।

“प्रत्येक प्रतिनिधि का यह कर्ताभ्य होगा कि वह निर्वाचकों को अपने कार्य की और अधिक प्रतिनिधियों के सोवियत के कार्यों की सूचना देगा और उनकी किसी भी समय प्रत्याहान का तब तक शासक निर्वाचकों के बहुमत के निर्णय के अनुसार किया जा सकता है।”

(१९३६ का सोवियत संविधान, अनुच्छेद १४२)

चाहे हम सैद्धान्तिक दृष्टि से राजनीतिक दलों के कार्यों और उद्देश्यों के सम्बन्ध में कुछ भी माना करें किन्तु यह बात जो कि उनके व्यावहारिक कार्य-क्रम पद्धति के अध्ययन से स्पष्ट रूप में सिद्ध होती है कि दलीय-राजनीति और राजनीतिक दलों का उद्देश्य आम-चुनावों में राज्य की सत्ता को प्राप्त करना है और उनके समस्त

कार्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होते हैं। उनका संगठन एवं उनके सदस्यों पर नियन्त्रण व अनुशासन में वर्तमान शताब्दियों में वृद्धि हो रही है और अधिकांश दलों को हम अत्यधिक सुसंगठित तथा किसी सीमा तक संन्योक्त भी पाते हैं और प्रायः असहाय सदस्य दल की कार्य पद्धति प्रजातन्त्रीय व्यवस्था नहीं के बराबर पाते हैं। दलों के सदस्यों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग में वे सक्रिय कार्यकर्ता और अपना पूर्ण समय देने वाले सदस्य हैं और जब कभी दल निर्वाचन में सफल होता है तब वे ही दल शासन के अधिकांश पक्षों को पाते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या सीमित होती है। ऐसे सदस्यों में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं—नेता और उनके अनुगामी। पदों की प्राप्ति के लिये नेता ही सबसे आगे हैं। दलों का यह भाग अधिकांश देशों में पेशेवर राजनीतिज्ञ जिन्होंने कि राजनीति को अपना व्यवसाय बना लिया होता है, द्वारा भरा हुआ होता है। वे सदा सत्ता को प्राप्त करने के प्रयत्न में रहते हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये वे किसी भी प्रकार के साधनों को प्रयोग में लाने में नहीं हिचकते। ऐसे ही व्यक्तियों के धार्मिक कार्यों ने जनता के मस्तिष्क में 'राजनीति' शब्द को इतना दूषित कर दिया है।

द्वितीय सदस्य वे हैं जो कि दल का चन्दा देते हैं उसकी सभाओं में सम्मिलित होते हैं और साधारणतः उसकी नीति और कार्य-क्रम का समर्थन करते हैं। यद्यपि यह निष्क्रिय सदस्य हैं किन्तु निर्वाचन के समय पर इनके मतों पर दल निर्भर रह सकता है। यह साधारणतः दल के भीतर क्या हो रहा है, इस विषय पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते और दल के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। दल के इसी भाग से ठोस सहायता और आर्थिक साधन प्राप्त होते हैं।

तीसरे सदस्य वे हैं जिनको कि हम दल से सहानुभूति रखने वाले कह सकते हैं। उनकी संख्या और अस्तित्व को हम पूर्णतः निश्चित नहीं कर सकते। उनके मतों पर निर्भर नहीं किया जा सकता किन्तु उन्हीं के मतों द्वारा बहुधा चुनाव का निर्णय होता है। उनको प्रचार के द्वारा सरलता से प्रभावित किया जा सकता है और इसलिये राजनीतिक दलों का अधिकांश कार्य-क्रम ऐसा ही मतदाताओं को अपनी ओर करने के उद्देश्य से होता है।

निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और मतदाताओं की सहाय में प्राधुनिक काल में कई गुना वृद्धि हुई है। जनता तक पहुँचने के साधन भी अत्यधिक महँगे हो गए हैं और वे किसी भी साधारण व्यक्ति की पहुँच के भीतर नहीं हैं। यदि कोई साधारण स्थिति का व्यक्ति राजनीतिक जीवन में पदार्पण करना चाहता है, चुनाव में निर्वाचित होना या पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे दल की सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। दल का अपना राष्ट्र व्यापी संगठन अनुभवी कार्यकर्ता, स्वयं सेवक दल, जनता तक

पूँजने के माधन जीमे कि मुद्र-भावन पर प्रीर बुद्ध देतो मे तो रेडियो दृष्यादि होने है। इनके धाम मे पातापात के माधन, कार्यालय, यथेष्ट धनराशि—जो कि हमके मदस्यो के पन्डे मे धयवा दगगे महाभूति रगने बाने व्यक्तियो एव समूहों के धान से प्रीर जिनके तिनो की यह रक्षा करता है, उनके अनुदानो से—ऐसे सहायक साधन भी प्राप्त हैं प्रीर मरने मत्त्वपूर्ण दगरा माधन हमरे राष्ट्रीय नेता है जो जनता की दृष्टि मे यथेष्ट महत्त्व रखते हैं प्रीर जिनका जनता पर यथेष्ट प्रभाव है यह सब माधन उन व्यक्तियो को प्राप्त हो जाने हैं जो कि दल मे सम्मिलित होकर हमके निर्देशों नीतियो एव कार्य-क्रम वातन करने का तत्पर हो। दल द्वारा मनीनीत मदस्यों के लिए निर्वाचन मे कम व्यय होना है प्रीर महत्त्वता की पाशा भी अधिा रहती है। दूसरी प्रीर किमी भी स्वतन्त्र उम्मादसार की यह सब माधन स्वयं ही प्रबन्ध करना पटना है प्रीर यह किमी भी साधारण स्थिति के व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। इसीलिए बहुत से मदस्यो के समझ या तो राजनीतिक जीवन को त्यागना धयवा दल के निर्देशों का पालन करने के अनिश्चित प्रीर कोई मागे भी नहीं है। इस तथ्य की राजनीतिक दलों के मचालनकर्ता पूर्णतः गमभंगे हैं प्रीर हमसे वे अनुशासन पालन करने मे पूर्णतः साम उदात्त है। अधिराज दल अपने दृष्टिकोण एव सगठनों में अधिनायकत्वभीय होने है। स्वतन्त्र विचार प्रीर स्वतन्त्र विवेचना को दल के नेता न ता पबन्द हो करने है प्रीर न ऐन सदस्यों को ब दल म रहने के पक्ष मे हो हैं। ऐसा दृष्टिकोण प्रजातन्त्र के लिए घलपन्ड हो हानिकारक है।

यह सब लक्षण फासिस्ट या साम्यवादी अधिनायकत्वभीय दलों में प्रीर भी अधिक विस्तृत रूप मे पाए जाने हैं। फाइनर के मनानुसार—

अधिनायकत्वभीय दलों के हजारों एव मागों सदस्य दलीय कार्य-क्रम को धयनाते हैं तथा उसको समभंगे हैं प्रीर धेना एव कट्टरता पूर्वक चाहते हैं। दलीय सदस्यता में एकत्व प्रीर भाक्ति बनाए रखने के लिये दो ढंग धाम में लाए जाते है। प्रथम—तो निरन्तर भावनात्मक, धीपचारिक प्रीर उलगवों के ढग की पद्धतियो तथा प्रस्ताधो, जो कि दलीय मदस्यता के धारम महत्त्व की वृद्धि करने के हेतु होते हैं। वे ऐसी भावनाधों प्रीर क्यारमक तत्वों को उत्पन्न करते हैं तथा एक महान् सामूहिक मस्या की मदस्यता की भावना को जन्म देने हैं प्रीर यह सब विवेकात्मक धार्पना के माध में होने हैं। एकीकरण प्राप्त करने हेतु दुमरा तत्व यद्यपि पूर्णतः विश्वास तो नहीं है किन्तु अधिनायकत्वभीय दलों के हाथ मे अधिकाधिक धरो एव सूट (Spoils) के वितरण की शक्ति है..... समस्त पद, समस्त धन्धे, समस्त ध्यवगाय प्रीर सामाजिक महत्त्व के समस्त चिह्न अधिनायकत्वभीय दलों के द्वारा भेद धिये जा मरने हैं प्रीर दल

के सदस्य इस वितरण में तथा समाज में महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आवश्यक रूप से सर्व प्रथम आते हैं ।'

(भाषुनिक सरकारें ३०६-१०)

अधिनायकतन्त्रीय दलों के यह लक्षण किसी सीमा तक प्रजातन्त्रीय दलों में भी पाए जाते हैं । चुनाव को जीतने और अपने सदस्यों में एकीकरण बनाए रखने के लिए प्रजातन्त्रीय दलों को भी संगीकरण स्थापित करना होता है ।

राजनीतिक दल प्रजातन्त्रीय समाज के इतने महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं कि वे दूसरी संस्थाओं की शक्तियों एवं कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे हैं । प्रत्येक सासदीय प्रजातन्त्र में चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं—दल निर्वाचक मण्डल, ससद और मन्त्री-परिषद । यह तत्व एक दूसरे को सन्तुलित करते हैं और इनको एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की लालसा का नियन्त्रण करना चाहिए । इन्हें अपने ही क्षेत्र में तथा अपने ही कार्यों को करने में सन्तुष्ट रहना चाहिए, तभी मासदीय प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य कर सकता है । वर्तमान समय में हम यह पाते हैं कि राजनीतिक दल इन दूसरे तत्वों के कार्यों में साधारणतः हस्तक्षेप करता है । प्रो० बार्कर के शब्दों में—

“वह तथ्य जो कि विशेषतः दूसरे तत्वों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की प्रलोभन रखता है, दल है । यह सत्य है कि निर्वाचक मण्डल को अपनी सीमाओं के अतिव्रमण का प्रलोभन हो जाय और वह ससद पर आदेशात्मक निर्देश लगाने का प्रयत्न करे । यह भी सत्य है कि ससद को इस बात का प्रलोभन हो कि वह एक और निर्वाचन मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करे और दूसरी ओर कार्यकारिणी पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करे । यह भी सत्य है कि कार्यकारिणी स्वयं भी इस प्रलोभन में आ जाय और ससद की परामर्श दाता, मार्ग प्रदर्शक और नेता होने की जगह स्वामी बनने का प्रयत्न करे किन्तु वह तथ्य जो कि विशेषतः अन्य तीनों पर आधिपत्य जमा सकता है वह दल का तत्व है ।”

राजनीतिक दलों के प्रकार एवं महत्व में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और इस तथ्य पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है । यह प्रजातन्त्रीय पद्धति के विरुद्ध भी है । निर्वाचक मण्डल के प्रकार में वृद्धि और निरन्तर बढ़ती हुई पेशेवर राजनीतिज्ञों की संख्या इन दोनों कारणों के फलस्वरूप दल का महत्व बढ़ता जाता है । यदि हमें अपनी प्रजातन्त्रीय पद्धति की रक्षा करनी है तो दल के अस्तित्व की वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाने होंगे । प्रो० बार्कर का इस सम्बन्ध में कथन है—

“... दल एक प्रकार का अपने आप में साध्य हो जाता है—राजनीति का आदि और अन्त हो जाता है । यह हमारे लिए जो कि साधारण नागरिक है

घौर भी अधिक आवश्यक है कि इस प्रवृत्ति का विरोध करें दल अपने भाग में साध्य नहीं है। यह सम्पूर्ण सांसदीय प्रजातन्त्रीय पद्धति कारक साधन आवश्यक यन्त्र है... यह व्यक्ति जो कि सांसदीय प्रजातन्त्र में विश्वास रखता है, दल का सदस्य प्रवेश होगा क्योंकि दल इस पद्धति के लिये आवश्यक है। किन्तु उसे अपने भागको घौर अपनी निर्णायक बुद्धि को पूर्णतः अपने दल के प्राधीन नहीं कर देना चाहिए। उसे चुनाव की स्वतन्त्रता रखनी चाहिए कि दल सम्पूर्ण प्रजातन्त्रीय पद्धति नहीं है, किन्तु उसका केवल एक चौधार्द भाग है।”

प्रजातन्त्र के सफलता पूर्वक कार्य करने के लिये एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है और प्रायः सब इससे सहमत हैं कि दो दल प्रजातन्त्र के लिये आदर्श स्वरूप है। केवल एक दल प्रजातन्त्र के लिये उपयुक्त नहीं है और न वह प्रजातन्त्रीय सरकारों के कार्यों को कर सकता है। यार्कर कहता है—

“.....केवल एक दल वाद-विवाद द्वारा शासन पद्धति के लिए आधार नहीं हो सकता। यदि एक ही प्रश्न होगा और इस पर एक ही कार्य-क्रम निर्धारित होगा तो वाद विवाद का अन्त एव दम ही जायगा.....दल में अपने आप वाद विवाद का अन्त हो जायगा।”

(शासन पर विचार पृ० ३६)

प्रागे इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि केवल एक दल—

“..... अपने सदस्यों में किसी प्रकार का वाद-विवाद करा सकता किन्तु यह उसके सिद्धान्तों से सीमित होगा और उसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर होगा। किन्तु दल राष्ट्रीय वाद-विवाद का एक मूल्का अस्त्र नहीं है और न यह किसी राष्ट्रीय वाद-विवाद के सामान्य व्यवस्था का जिसमें कि इसके साथ-साथ दूसरे अंग भी हैं, का यह अंग हो सकता है।”

(ई. यार्कर शासन पर विचार पृ० २८८)

दलीय शासन पद्धति अपने समस्त दोषों एवं अपूर्णता के अनेकादृश एक आवश्यक दोष है। हम इसके बिना कार्य नहीं कर सकते। इसके बिना प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति नहीं चलाई जा सकती। यह सांसदीय प्रजातन्त्र को कार्य रूप में परिणत करने के लिये एक आवश्यकता है। आइम ने प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता के लिए लिखा है—

“किसी ने यह नहीं बतलाया है कि प्रजातन्त्रीय शासन को उनके बिना चले चलाया जा सकता है।”

(साधुनिक प्रजातन्त्र भाग १ पृ० १३४)

दलीय शासन की अपेक्षा दूसरा चुनाव अधिनायकतन्त्रीय हो सकता है। इस चुनाव को करने से हमें समस्त प्रजातन्त्रीय चुनावों को छोड़ना होगा। हम इसलिए प्रो० सास्की से सहमत हैं कि—

“सत्य तो यह है कि दलीय शासन के स्थान पर दूसरा कोई प्राधुनिक आकार के किसी भी राज्य में अधिनायकतन्त्र के अतिरिक्त कोई चुनाव भी नहीं है।”
(इंग्लैंड में सांसदीय शासन पृ० ६६)

इस दशा में हमें इस आवश्यक दोष को स्वीकार करना ही होगा। अधिक से अधिक हम यह आशा कर सकते हैं कि एक शिक्षित, और चेतनशील निर्वाचक मंडल दलीय शासन के इन दोषों को कम करने का प्रयत्न करेगी। प्रत्येक प्राधुनिक समाज में विभिन्न आर्थिक हितों वाले विभिन्न समूह होते हैं और यह समूह सरकार से अपने आर्थिक हितों की रक्षा हेतु संगठित भी होते हैं। यद्यपि इनका संगठन न तो खुले रूप से होता है और न एक साधारण पर्यवेक्षक को दृष्टिगोचर ही होता है। किन्तु फिर भी एक ही प्रकार के हित वाले लोग दबाव डालने वाले समूहों (Pressure groups) में एकत्रित होते हैं। कुशल प्रचारकों की सहायता से वे एक ओर जनता को अपनी योजनाओं एवं नीतियों के पक्ष में करना चाहते हैं तथा दूसरी ओर वे व्यवस्थापिकाओं एवं राष्ट्रीय ससदों के अपने पक्ष में बरना चाहते हैं। विलियम एसन ने इनके सम्बन्ध में कहा है—

“..... यह हमारी राजनीति की नई शक्तियाँ जन-भावना को संगठित, निर्देशित और सस्थात्मक रूप देती हैं और अमेरिकन राजनीति के बहुत से लेखकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। किन्तु वास्तव में इन नयी शक्तियों ने हमारे राजनीतिक जीवन में प्रायः मूलभूत परिवर्तन किए हैं। संविधान में कांग्रेस की महत्व, किसी सीमा तक कार्यकारिणी और उसके द्वारा न्यायालयों में परिवर्तन जनमत के इन अस्थों से अधिक नहीं किया है।”

इन दबाव डालने वाले समूहों की सख्या में गत चालीस या पचास वर्षों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रो० के का कथन है—

“इनके द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य की आवश्यकता प्राशिक रूप से इसलिए पड़ी क्योंकि अधिक से अधिक सामाजिक विभिन्नता के कारण भौगोलिक प्रतिनिधित्व में अपूर्णता रहती थी। जब तक किसी विशेष कांग्रेस के निर्वाचक क्षेत्र की जनता किसी एक ही प्रकार का व्यवसाय करेगी। उदाहरण स्वरूप खेती और कृषि से सम्बन्धित घन्धे, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि, उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा जब उनके निर्वाचन क्षेत्र के हितों में अत्यधिक भिन्नता आ जायगी तो उसे अत्यन्त सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा अन्यथा

उसके अग्रज निर्वाचन क्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण भाग से शत्रुता उत्पन्न हो जाय। इसका यह परिणाम होता है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण भाग में कांग्रेस या राज्य की व्यवस्थापिका सभा में उचित प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं होगा। हमारे समाज में विनिष्टीकरण की निरन्तर वृद्धि ने एक भौगोलिक क्षेत्र में चुने हुये बायों को अत्यन्त ही बठिन बना दिया है। विशेष हितों को सगठित होना पडा है जैसे कि पत्नीर निर्माता मजदूर, बोभा होने वाले आदि अन्य हितों के लोगों के ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिये जो कि उनके हितों को सरकार और जनता के समक्ष अधिकार पूर्वक रख सकें।"

(राजनीतिक दल और दबाव डालने वाले समूह पृ० २०२)

इन दबाव डालने वाले समूहों के उदय होने से व्यवस्थापिका सभा एवं राजनीतिक दल दोनों पर ही समान रूप से प्रभाव पडा है। इन दोनों को ही उस पर ध्यान देना होता है और इनके निर्णय उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। ये प्रभाव डालने वाले समूह व्यवस्थापकों को प्रभावित करने करने वाले शक्तिशाली समूह (Powerful lobby) हैं। इनके पास जनता तक पहुँचने के साधन भी होते हैं, विशेषतः प्रेस और समाचार पत्र। इनके पास में पयेष्ट घन राशि होती है और जिसका उपयोग वे उन दलीय नेताओं व व्यवस्थापकों को मरीदने के काम में लाते हैं जो कि जिन्हे के लिए तैयार है। अर्थात् में यह राजनीतिक दलों और व्यवस्थापकों की नीति को बहुत अधिक सीमा तक निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं।

ये दबाव डालने वाले समूह या तो व्यवस्थापिका में अपने विशेष हितों की रक्षा हेतु धावप्यक कानूनों का निर्माण चाहते हैं या अपने हितों को हानि पहुँचाने वाले कानूनों के निर्माण को रोकना चाहते हैं। इनमें से जो अपने दृष्टिकोण में अनुदार है वे सब उन कानूनों का विरोध करते हैं एवं उन्हें रोकना चाहते हैं जो कि बायों के विशेष अधिकारों पर धाप्रमाण करते हैं या जो नवीन गुधारी के हेतु होते हैं या जो उनके विशेष हितों को प्रभावित करते हैं। उनमें से जो उदार या उग्र दृष्टिकोण के होते हैं वे ऐसे प्रत्येक कानून के पक्ष में होते हैं जो कि बायों के विशेष अधिकारों एवं हितों का अन्त करते हैं। सी० एम० मैसन, जो कि १९१४ में न्यू हैवन और हाटं फोर्ट रेलवे कम्पनी के अध्यक्ष थे, ने अपने दबाव डालने वाले समूह के सम्बन्ध में कहा था—

"हम नवीन कानूनों का निर्माण नहीं चाहते हैं.....हम बहुत अच्छी तरह से अपना काम चला सकते हैं, यदि हमें अपने धाय पर धीरे दिया जाय, हम दूसरे के प्रति जो करना चाहते हैं वह इतना धावप्यक नहीं है जितना कि दूसरा हमारे प्रति जो करना चाहता है उगको रोकना।"

डा० जैलर ने इस सम्बन्ध में कहा है कि दबाव डालने वाले समूहों का मुख्य उद्देश्य—

“कानूनों के निर्माण की प्रवृत्ति उनमें बाधा डालना है। सामाजिक कानूनों को जहाँ तक हो सके स्थगित करना या निर्बल बना देना है और इस तरह उद्योगों के लिए जितना धन संभव हो सके उतना बचाना। यद्यपि यह अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता।”

(न्यूयार्क में दबाव राजनीति पृ० ५५)

इसलिए इन दबाव डालने वाले समूहों का मुख्य कार्य निष्क्रिय है और इनका मुख्य उद्देश्य अपने विशिष्ट हितों की प्रत्येक हस्तक्षेप से रक्षा करना है। इन दबाव डालने वाले समूहों से जनता साधारणतः घृणा करती है क्योंकि ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनैतिक साधन भी अपनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमरीका में यह दबाव डालने वाले समूह खुले प्राम कार्य करते हैं और व्यापारियों से संचालित उग्र प्रजातन्त्र के वे एक मुख्य भ्रम हैं। हैरिज़न ने इस सम्बन्ध में कहा है—

“वे खुले रूप से कार्य करते हैं और उनको कुछ भी छिपाना नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें कैसे (अपने उद्देश्य) प्राप्त करने हैं बड़े संगठित समूह जो कि राजधानी में अपने प्रधान कार्यालय इतनी अधिक सभ्यता में रहते हैं वर्तमान की व्यवस्थापिका पर प्रभाव डालने वाले समूह (Lobby) हैं। वे ‘काँग्रेस के तृतीय सदन’ सहायक शासक, और ‘अद्वैत सरकारें हैं।’

(काँग्रेस के सामक्ष समूह प्रतिनिधित्व पृ० ३१)

वास्तव में वे राजनीतिक दलों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। साम्यवाद और दूसरे सर्वाधिकारी राजनीतिक पद्धतियों के उदय होने से प्रजातन्त्रीय देशों में भी राजनीतिक दलों के संगठनों पर सघेष्ठ प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक दलों ने अनुशासन बनाये रखने, दलीय सदस्यों के विचार नियन्त्रण, प्रचार की मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ तथा जनमत पर शक्तिशाली दबाव, भय एवं शक्ति उत्पन्न करके जनता के ध्यान को भ्रान्तरिक समस्याओं से वैदेशिक समस्याओं की ओर आकर्षित करना, किसी भी प्रकार के प्रति असहिष्णुता यह सब उन्होंने अधिनायकतन्त्रीय शासन से सीखे हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में फासिस्टवादी नाज़ी अधिनायकतन्त्र से जार्न की शुद्धता के सिद्धान्त को भी अपनाया है। यह सब प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की विरोधी वस्तुएँ हैं। इन सबसे प्रजातन्त्र के भविष्य की रक्षा करना आवश्यक है।

समानता

हम साधारणतः समानता के स्वभाव व क्षेत्र के सम्बन्ध में भूल भूत भ्रमरूप धारणाएँ पाते हैं। पुरातन काल से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के इस सिद्धान्त को समझने के जितने प्रयत्न हुए हैं उनमें से अधिकांश प्रयत्न बसत दिशा की ओर थे। पुरातन समाजों में समानता के सम्बन्ध में केवल धार्मिक समानता का तनिक सा ज्ञान था। ग्रीक और रोमन विचारकों का इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विचार नहीं है। सारे ग्रीक व रोमन, जो अपने अतिरिक्त अन्य सब लोगों को असम्य एव जगती मानते थे और इसीलिए वे सबको अपने से नीचा समझते थे। सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दी में धारक सर्वप्रथम समानता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में सोचा जाने लगा। इसका प्रभुत्व कारण समान ध्वजहार की सर्वव्यापी भाँग और व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व के गूढ्यान्त के सम्बन्ध में चेतना का विकास था। दृग भाँग को दो विभिन्न मार्गों द्वारा व्यक्त किया गया है। एक तो बुद्धिवादी विचारधारा द्वारा, जो कि सब धर्मों एवं सब व्यक्तियों को समान समझती है और द्वितीय रोमान्टिकों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि सब व्यक्तियों में एक मानवीय तत्त्व समान रूप से प्रावण्यक है।

बुद्धिवादियों का एक मुख्य तर्क था कि सब व्यक्ति समान हैं क्योंकि यह जन्म के समय समान थे। वे इस बात का भी दावा करते थे कि इस तथ्य का परिणाम मनुष्य द्वारा किया जा सकता है। किन्तु बुद्धिवादियों का यह तर्क हमारी सहज बुद्धि को स्वीकार नहीं है। न तो मनुष्य जन्म लेते समय समान ही होते हैं और न वे प्रत्येक रूप से समान हों ही सकते हैं। हाँ, यह हम मान सकते हैं कि मनुष्यों में निश्चले दर्जे के प्राणियों की अपेक्षा कम भिन्नताएँ होती हैं। बुद्धिवादियों का यह सिद्धान्त प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के द्वारा भी भूटा सिद्ध हुआ है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यह सिद्ध करता है कि मानव जाति में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। किन्तु बुद्धिवादियों एवं मनोवेज्ञानियों दोनों ने विभिन्नताओं का मुख्य कारण यास्त परिधिगतियों

में अन्तर होना बताया है । वे अब भी यह दावा करते हैं कि मनुष्य जन्म के समय समान होता है किन्तु बाद में परिस्थितियों एवं अवसरों की भिन्नता के कारण विभिन्नता आ जाती है और उनके परिणाम स्वरूप भिन्नता होती है ।

समानता का दूसरा सिद्धान्त धार्मिक-रोमान्टिक सिद्धान्त है । यह एक भावना-प्रधान सिद्धान्त है । सामान्य व्यक्तियों को यह सिद्धान्त इसलिये रुचिकर है कि यह उसके झूठे अभिमान को सतुष्ट करता है और उसकी हीनता की भावना पर विजय पाने में सहायक है । यदि सब व्यक्ति चूँकि व्यक्ति हैं इसलिये वे सब समान होने चाहिये अथवा चूँकि मनुष्यों को ईश्वर ने उत्पन्न किया है और सब ईश्वर की दृष्टि में समान हैं, इसलिए आध्यात्मिक रूप से वे सब समान होने ही चाहिए । यह सब केवल भावना मात्र है । वर्तमान समय में उपरोक्त दोनों में से कोई भी सिद्धान्त महत्वपूर्ण नहीं माना जाता । कानून के समक्ष अपिकाश आधुनिक सावैधानिक प्रजातन्त्रीय राज्यों में समानता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है । इन राज्यों में राजनीतिक समानता भी सबको समान रूप से मत प्रदान करके स्थापित की गई है । किन्तु यह राजनीतिक समानता केवल एक सदेहात्मक वरदान है । मतदाताओं और जनता की अयोग्यता के कारण यह राजनीतिक समानता कोई महत्व नहीं रखती । धर्मों, जातियों एवं विभिन्न रंगों की जनता और विभिन्न लिङ्गों के मध्य समानता को स्थापित करना विश्व की वर्तमान अवस्था में कठिन प्रतीत होता है ।

यह हमारे लिए ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम सम्पूर्ण याथिक समानता स्थापित नहीं कर सकते और न ऐसी समानता को स्थापित करना उचित ही होगा । यह समानता न होकर एकरूपता होगी तथा यह व्यक्तित्व और सृजन की शक्तियों को कुचल देगी और व्यक्तियों को यत्रवतृ बना देगी । या तो हम इस सिद्धान्त में विश्वास रखें कि जन्म के समय सब मनुष्य समान हैं और जो विषमताएँ हम पाते हैं वह बाद की परिस्थितियों में विभिन्नता के कारण हैं । यदि ऐसा है तो परिस्थितियों के बाह्य नियन्त्रण से हमें प्रायः सम्पूर्ण समानता स्थापित करने में सफल हो जाना चाहिये किन्तु ऐसा अब तक नहीं हो पाया है, या हमें इस सिद्धान्त में विश्वास रखना होगा कि वंश-परम्परा जैसी कोई वस्तु भी है और इसके कारण जन्म के समय ही विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं । किन्तु यदि वंश-परम्परा जन्म के समय भी विषमता उत्पन्न करती है तो हम दो भ्राताओं के मध्य में विषम स्वभाव और योग्यताओं को किस प्रकार समझा सकेंगे । इसलिए यह दोनों सिद्धान्त पूर्णतः सही नहीं हैं । हमें यह मानना तथा सहमत होना होगा कि समान व्यक्तियों के मध्य समानता और विषम व्यक्तियों के बीच में विषमता होगी ।

समानता को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक दशा अवसरों की समानता है । योग्यता, धर्म और जाति, धर्म, रंग, सम्प्रदाय और लिङ्ग भेद की विषमताओं

की अपेक्षा भी सब को समान अवसर मिलना चाहिए । यद्यपि प्राकृतिक योग्यताओं में भिन्नता होगी तथापि सबको अपनी योग्यता के पूर्ण विकास का पूर्ण अवसर देना आवश्यक है । सबको कम से कम जीवन में समान प्रारम्भ तो मिलना ही चाहिए । इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान प्रायिक व सामाजिक ढाँचे में पूर्णतः परिवर्तन करना ही होगा । अवसर की समानता राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन करने से प्राप्त नहीं हो सकती । क्योंकि इसमें जन्म के अनन्तर विषम प्रारम्भ प्राप्त होंगे । केवल एक सत्रिय राज्य जितने कि समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया है वे सब साधन दे सकती है जिनके बिना अवसर की समानता केवल एक धागा मात्र रह जायगी । अवसर की समानता का अर्थ व्यवहार की समानता वरदापि नहीं है; और न तो यह सम्भव है और न ठीक ही है । प्राकृतिक योग्यताओं में विभिन्नता अवश्य होगी और सबको समान प्रारम्भ देने के पश्चात् भी सबको अन्त समान नहीं हो सकता यह समानता का उदाहरणवादी सिद्धान्त है ।

कानून के समक्ष समानता होनी ही चाहिये । वर्तमानकाल में अधिकांश देशों में यह स्वीकार कर लिया गया है, यद्यपि व्यवहार में इसको प्राप्त करने में अधिक सफलता नहीं मिली है । यह इंग्लैंड में 'कानून के राज्य' का एक आधारभूत सिद्धान्त है । योरोपीय महाद्वीप के देशों, विशेषकर फ्रांस में, जहाँ पर कि प्रजासत्तीय कानून का एक महत्वपूर्ण भाग है । कानून की समानता अपूर्ण है और व्यवहार में कठिनाई से ही प्राप्त की जा सकती है । इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करने में सबसे बड़ी बाधा सदैव घन रही है । इस क्षेत्र में जनता ने कुछ सुरक्षा के साधनों की कक्षादियों के सघर्ष के पश्चात् प्राप्त किया है । उदाहरण स्वरूप, जूरी के द्वारा मुकदमों का निर्णय, बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), न्यायालयों, न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता आदि है । किन्तु न्याय प्राप्त करने के साधन, जटिल, सख्ते और अत्यधिक कीमती है कि अधिकांश नागरिक इससे लाभ नहीं उठा सकते । कानून के समक्ष समानता प्राप्त करने के लिये या तो न्याय शीघ्र, प्रत्यक्ष, और सबकी पहुँच के भीतर ही और या प्रायिक विषमता को कम से कम कर दिया जाय ।

सिद्धान्ततः राजनीतिक समानता का सिद्धान्त अपने विस्तृत रूप में प्रायिक व सामाजिक समानता का भी है । किन्तु व्यवहार में इसको हम सार्वभौमिक सरकार-नाधिकार और प्रतिनिधि शासन में ही सम्बन्धित करते हैं । तथापि में, हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि 'प्रत्येक को एक गिना जाय और किसी को भी एक से अधिक न गिना जाय ।' इस सिद्धान्त के समर्थकों का मुख्य तर्क यह है कि यद्यपि व्यक्तियों की राजनीतिक बुद्धि में भिन्नता पाई जाती है और जनता स्वशासन के लिये उपयोग्य है तथापि मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग मिलना ही चाहिये । बौद्धिक के अनुसार व्यक्ति घटने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक

है और बहुत गति मदा सही ही होगा। यह भी माना जाता है कि सब मनुष्यों में बम से कम योग्य प्रतिनिधियों को चुनने की निर्णायक वृद्धि तो होती है। 'किन्तु हम सबके सम्बन्ध में भारी संदेह है। हम यह देखते हैं कि बहुधा अयोग्य व्यवस्थापक चुने जाते हैं और जनता को राजनीतिक वक्ता अपने स्वार्थों के लिए बहकाते हैं। जनमन निर्देश, प्रवर्तक, प्रत्याहान आदि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की स्थापना के इतिहास में से सहज वृद्धि पर आधारित राजनीतिक समानता के सिद्धान्त में हमारे अविश्वास की और अधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान भुकाव विशेषज्ञता की ओर है और इसका राजनीतिक समानता के सिद्धान्त से सामंजस्य स्थापित करना कठिन प्रतीत होता है। 'आधिक विपमताएँ' एवं 'आवश्यकताएँ' इस तथाकथित राजनीतिक समानता के सिद्धान्त को नष्ट कर रही हैं। प्रायः मत प्रदान देवाव के द्वारा किया जाता है, मतों का प्रय-विक्रय भी होता है।

सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जीवन के कुलों वर्गीय सिद्धान्तों को पूर्णतः त्याग दें। जन्म, धर्म और पद की मान्यताओं का उन्मूलन करें तथा लिङ्ग, जाति, सम्प्रदाय, धर्म और विभिन्न रङ्गों के मध्य समानता स्थापित करें तभी सामाजिक समानता प्राप्त हो सकेगी। जहाँ तक लिंग भेद की समानता का प्रश्न है महिलाओं को अधिकार देशों में मताधिकार प्राप्त हो चुका है। इस विद्वान्त में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है कि महिलाएँ और पुरुष समस्त कार्य-क्रम में मूल भूत दृष्टि से समान हैं और केवल अवसर की विपमताओं के कारण ही महिलाओं की वर्तमान हीनावस्था पायी जाती है। किन्तु इस चित्र का दूसरा पक्ष भी है। जब तक महिलाएँ आधिक दृष्टि से परन्तु रहेगी तब तक व्यवहार में पुरुषों में सफलता प्राप्त होना कठिन है। पश्चिम में जहाँ पर महिलाओं ने आधिक दृष्टि से स्व-तन्त्रता एवं आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त को अपना लिया है वे पूर्व की महिलाओं से जो कि अब भी पुरुषों पर आधिक रूप से निर्भर हैं, अधिक स्वतन्त्र हैं।

विभिन्न जातियों के मध्य में समानता स्थापित करना अत्यन्त ही कठिन है। अमेरिका की नोब्रा, दक्षिणी अफ्रीका का रंग विभेद सिद्धान्त और साधारणतः बाला, पोली और भूरे रंग की जातियों का अफेद जाति वाले राष्ट्रों में स्थान आदि समस्याओं को हल करना कठिन कार्य है। जाति-विपमताएँ सम्भवन उन समय तक रहेंगी जब तक कि एशिया व अफ्रीका के राष्ट्र, राष्ट्र-परिवार में समान स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं। और यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वे आधिक व औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान रहेंगे। आधिक विश्वास अपनी सैनिक व आधिक शक्ति में वृद्धि करेगा और इसने परिणामस्वरूप अपने अपने लिए तथा उनके नागरिकों के लिए अनेक वर्ण वाले राष्ट्रों से समानता का स्थान प्राप्त कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ जाति या जाति की विशुद्धता का

सिद्धान्त भट्टे सिद्ध हो चुके हैं। विशुद्ध जातियों का अस्तित्व कहीं नहीं है। जातीय समानता आर्थिक आधारों पर निर्भर है न कि जातीय शुद्धता पर।

मानस की राज्यप्रान्ति ने एक नवीन शक्तिशाली सिद्धान्त को जन्म दिया था। यह सिद्धान्त राष्ट्रों के स्वयं निर्णय के अधिकारों का सिद्धान्त है। १५० वर्षों के समय के पश्चात् उस सिद्धान्त को तत्सार के अधिकार भागों में स्वीकार कर लिया गया है और इस सिद्धान्त के फलस्वरूप राष्ट्रों के मध्य में समानता के सिद्धान्त का भी विकास हुआ है। किन्तु राष्ट्रों की समानता का सिद्धान्त वास्तविक क्षेत्र में ठीक नहीं है। एशिया व अफ्रीका में अब भी औपनिवेशिकवाद के चिन्ह पाये जाते हैं और वहाँ पर राष्ट्रों के स्वयं निर्णय का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में विश्व के बहुत से ऐसे भाग हैं जैसे कि केन्द्रीय व दक्षिण अमेरिका तथा मध्यपूर्वी एशिया आदि जहाँ पर कि राष्ट्रों को अपने आर्थिक साधनों के स्वयं उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है। वे आर्थिक साम्राज्यवाद के शिकार हैं और पूँजि विश्व में अधिकार-निष्ठा-शक्ति की राजनीति का ही सर्वत्र बालबाला है, इसलिए प्रत्येक राज्य या दिव्य में स्थान व प्रभाव उसकी शक्ति के आधार पर निश्चित होता है। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राज्यों के बीच में समानता का अस्तित्व कहीं नहीं है। विश्व महान् व छोटी शक्तियों, स्वतन्त्र व परतन्त्र राष्ट्रों में विभाजित है और उनके मध्य में भी कुछ अधिक शक्तिशाली तथा कुछ कम शक्तिशाली एवं कुछ अधिक बड़े व कुछ छोटे हैं और इनमें भी विषमता पाई जाती है।

'सामाजिक और राजनीतिक समानता' बिना 'आर्थिक समानता' के कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और इसी क्षेत्र में हम अस्पष्ट विषमताएँ पाते हैं। समानता का सिद्धान्त भी इसी क्षेत्र में अस्पष्ट रूप से अस्पष्ट है। हमारा आर्थिक समानता से तात्पर्य क्या है? क्या यह समानता वर्तमान धन के समान वितरण या सबका समान पारितोषिक देने से स्थापित हो सकेगी? यदि प्रश्नों का हम सही उत्तर अभी दे सकेंगे जबकि हम समानता की प्रकृति को उचित प्रकार से समझने में समर्थ होंगे।

समानता का अर्थ व्यवहार की समानता कदापि नहीं है। समान व्यक्तियों के लिए समानता और विषम व्यक्तियों के लिए विषमता अवश्य रहेगी। न तो हम वर्तमान धन का समान वितरण ही कर सकते हैं और न सबको हम समान पारितोषिक ही दे सकते हैं। समान धनकर देने में भी समानता वास्तविक रूप में स्थापित नहीं हो सकेगी। वर्तमान पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था में समान योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रायः समान पारितोषिक दिया जाता है किन्तु यह व्यवस्था समानता के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व 'भावत्मकताओं' को कोई महत्त्व नहीं देती है। पूँजि आदर्शवादी अर्थ प्रणाली की होती है, इसलिए समान पारितोषिक की अपेक्षा भी विषमताएँ उत्पन्न हो ही जाती हैं। यह सम्भव है और प्रायः ऐसा होता भी है कि समान

पारितोषिक मिलने वाले दो व्यक्तियों में से एक को एक या दो व्यक्तियों का ही भरण-पोषण करना पड़े और दूसरे को पाँच-सात या अधिक व्यक्तियों का भी। यद्यपि इन दोनों की प्रायः आय समान ही है तथापि इनमें अधिक विषमता अवश्य होगी, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं में भिन्नता है।

यदि हम वास्तविक आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें योग्यता के साथ-साथ आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यकताएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। समानता के सम्बन्ध में मार्क्स का यह सिद्धान्त कि 'प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार' एक नवीन समान आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सर्वत्रोष्ठ साधक प्रतीत होता है। योग्यताएँ भिन्न होंगी और आवश्यकताएँ भिन्न होंगी। इसलिए समानता को वास्तविक रूप से स्थापित करने के लिए हमें इन दोनों को ध्यान में रखना होगा। पूँजीवाद को हम हृदयहीन बहेंगे, क्योंकि यह मर्ग और पूँजी के सिद्धान्त में तथा योग्यता के प्रय में विश्वास करता है तथा आवश्यकताओं की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। समाजवाद आवश्यक रूप से मानवता में विश्वास रखता है। यह मानवीय आवश्यकताओं को पूँजी का सिद्धान्त है और यह व्यक्ति को एक वस्तु मात्र ही नहीं मानता है। शारीरिक आवश्यकताओं से स्वतन्त्रता, राजनीति व सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जब तक सबकी आवश्यकताओं को पूँजी नहीं होगी तब तक प्रजातन्त्र और उसके आदर्श साधारण जनता के लिए कोई अर्थ नहीं रखेंगे और यह तभी सम्भव है जबकि किसी सीमा तक आर्थिक समानता स्थापित हो सके। पूर्ण समानता को अभी तब हम कहीं भी व्यावहारिक रूप में प्राप्त नहीं कर सके हैं। सोवियत संघ और उसके साथी साम्यवादी राज्य भी आर्थिक समानता के मार्क्सवादी आदर्श को स्थापित करने में अब तक असफल ही रहे हैं। यह सत्य है कि वे पश्चिम के पूँजीवादी प्रजातन्त्रीय राज्यों से आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं किन्तु वे भी व्यक्तियों को अम्र का एक पग मात्र ही समझते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जब, कहाँ और कौन समानता होगी यह वर्तमान में स्पष्ट नहीं है।

अधिकतर राज्य इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अत्यधिक आर्थिक विषमताओं के कारण समाज में अशान्ति और संघर्ष अवश्यम्भावी है। अस्तु का यह सिद्धान्त कि 'अत्यधिक आर्थिक विषमताएँ अशान्ति की जननी हैं' यथेष्ट रूप से सत्य है। इसलिये वे वे धनवान और निर्धनों के मध्य की खाई को बम करने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान राज्य-कर लगाने की नीति भी इसी उद्देश्य पर आधारित है। आय-कर, मृत्यु-कर, धन-कर तथा भेंट-कर, अधिक लाभ-कर आदि धन के अधिक अच्छे वितरण के हेतु प्रयत्न हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य उन लोगों से जिनके पास आवश्यकता

से अधिक है, नेहरू उन लोगों को सम्पादाकारी कामों के द्वारा देना है जिनके पास साधकता में कम है। किन्तु यह साधन अपने ही धनान्त्रिकी के कुछ समय के लिए रोके से किन्तु न तो यह साधक विषमता को समाप्त ही कर सकते हैं और न यह साधक समानता स्थापित ही कर सकते हैं।

इसमें भी हमें भारी संदेह होता है कि व्यक्ति वास्तव में साधक समानता चाहते हैं या उनकी इच्छा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी स्थिति को सुधारने की, भौतिक वस्तुओं का सभ्र कराने की, सामाजिक सीढ़ी में ऊपर चढ़ने की और अपने परोपकारों में प्रतिद्वन्द्वता की क्षमताओं प्रवृत्ति विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में भौतिक वस्तुओं के सभ्र की प्रवृत्ति वास्तव में अत्यधिक क्षमताओं एवं महत्पूर्ण प्रवृत्ति है। इसी कारण से बहुत से व्यक्तियों का साधक समानता की साधकता के बारे में संदेह है। जब तक व्यक्ति को स्वयं करने पार भौतिक उन्नति की प्राप्ति है तब तक वह समानता के सम्बन्ध में अधिक चिन्ता नहीं करता है। जब इस प्राप्ति का अन्त हो जाता है तभी वह समानता की गति को और प्रवृत्त होता है और राज्य द्वारा साधक क्षेत्र में हस्तक्षेप की मांग करता है।

स्वतन्त्रता और साम्यवाद

हम १९ वीं शताब्दी के मध्य तक स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य द्वारा विशेष हस्त-क्षेप या किसी कार्य को करने के लिए विशेष प्रतिबन्धों की अनुपस्थिति का ही सम-भते थे। आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त को माना जाता था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पर जोर देते हुए कि 'स्वतन्त्रता न तो प्रसीमित अधिकार है' और न हो सकता है तथापि स्वतन्त्रता को सामाजिक हित में सीमित एवं नियंत्रित करना आवश्यक है। उसने व्यक्ति के कार्य को दो भागों में विभक्त किया। एक तो वह भाग जो कि स्वयं व्यक्ति से सम्बन्धित है और दूसरा वह जो कि दूसरों से सम्बन्धित है। स्वयं व्यक्ति से सम्बन्धित भाग में व्यक्ति को पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहिए किन्तु दूसरों से सम्बन्धित भाग में उसको सामाजिक व राजनीतिक नियन्त्रण के अधीन होना चाहिए और इसलिए राज्य व समाज को उस भाग में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इन दोनों क्षेत्रों को कैसे निश्चित किया जाये और इन के मध्य में कैसे एक सीमा रेखा खींची जाय प्रादि समस्याओं का हल अत्यन्त ही कठिन है। व्यक्ति जब तक कि वह समाज का सदस्य है और सामाजिक जीवन व्यतीत करता है उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज में दूसरों पर अवश्य पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं सम्पूर्ण इकाई नहीं है और न उसका विकास समाज के बाहर ही सम्भव है। इसलिए व्यक्ति को वही अधिकार और विकास की दशाओं की माँग करनी चाहिए जो दूसरों के समान व स्वतन्त्र विकास के मार्ग में नहीं घाएँ। व्यक्ति के कार्यों का सामाजिक निर्देशन इसलिए एक आवश्यकता है और व्यक्ति को अपने *मात्र* हित में ही इस निर्देशन को स्वीकार करना चाहिए तथा ऐसा करने में स्वतन्त्रता को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना तथा व्यक्ति द्वारा उसके उपभोग को वास्तविक पाने के लिये राज्य द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है किन्तु यह हस्तक्षेप बितना ही तथा राज्य के व्यक्ति के कार्यों का नियन्त्रण

एव निर्देशन की क्या सीमाएँ हो चादि समस्याओं को हम अब तक सही प्रकार से हल नहीं कर पाये हैं ।

यह समस्या स्वतन्त्रता व सत्ता के मध्य सन्तुलन स्थापित करने की पुरातन समस्या है । यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह अत्यन्त ही सन्तुलित सन्तुलन है जो सरलता से नष्ट हो सकता है । प्रावश्यकता से अधिक सत्ता में वृद्धि स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगी और इसी प्रकार से जनता की स्वतन्त्रताओं में प्रावश्यकता से अधिक वृद्धि अव्यवस्था एवं सामाजिक व राजनीतिक संश्लेषों का विनाश करेगी । इन दोनों में सन्तुलन स्थापित करने की समस्या प्राधुनिक राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है ।

१६ वीं शताब्दी के मिल जेते व्यक्तिवादियों ने, जेगा बि उभर बताया जा चुका है, इस समस्या का हल व्यक्ति के कार्य क्षेत्र की दो भागों में विभक्त करके किया है । प्रथम तो वह भाग है जिसमें स्वतन्त्रता का प्रापित्य है और द्वितीय वह जिसमें राज्य द्वारा नियंत्रण । किन्तु यह विभाजन घटप-व्यावहारिक एवं काल्पनिक है । व्यक्ति के कार्य क्षेत्र की इस प्रकार दो फलक अलग भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता । व्यक्ति के प्रत्येक कार्य का सामाजिक कार्य क्षेत्र एवं जीवन पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा । मिल ने इस सम्बन्ध में जो उदाहरण दिया है वह स्वयं ही दीपपूर्ण है । मिल का कथन है यदि पुलिस का कोई सिपाही अपने कर्तव्य करते समय शराब के नशे में है तो उसे सजा दी जानी चाहिये क्योंकि उसके ऐसा करने में दूसरे व्यक्तियों की सुरक्षा और बायों पर प्रभाव पड़ना और इसलिये वह दूसरों से सम्बन्धित कार्य होगा किन्तु यदि वही पुलिस का सिपाही अपने सार्वजनिक बायों को पूरा करके अपने घर पर प्रवृत्ति के समय शराब पीता है तो यह स्वयं उभराने में सम्बन्धित कार्य है और इसलिये उम यह करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । यदि हम मिल के इस उदाहरण को एक सरसरी दृष्टि से देखें तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में सत्ता और स्वतन्त्रता का सन्तुलन उचित ही प्रतीत होगा । किन्तु इसका यदि हम ध्यान पूर्वक परीक्षण करें तो यह उदाहरण दीपपूर्ण प्रतीत होगा । पुलिस के उसी सिपाही के अपने घर पर शराब पीने से भी उसे परिवार के दूसरे सदस्यों, उसके पड़ोसियों तथा समाज के अन्य सदस्यों पर इसका अर्थात् प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा । इसलिए उभरने इस कार्य की केवल अपने से सम्बन्धित कार्य नहीं कह सकते । इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध कर सकते हैं कि स्वतन्त्रता और सत्ता की मिल द्वारा खोजी गई सीमा सही नहीं है । भोजन वस्त्र ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कि केवल व्यक्ति से सम्बन्धित हैं किन्तु यह कार्य भी एक सीमा के पश्चात् दूसरों से सम्बन्धित कार्य हो जाते हैं । भाप नये होकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकते और इसी प्रकार प्राप ऐसे मकान या मुहल्ले में जिसमें कि साक्षात्कारी रहते हैं मास भक्षण नहीं कर सकते ।

इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें कि व्यक्ति को स्वतन्त्रता दी जा सके और यह भी सही नहीं है कि व्यक्ति के लिए उसके प्रत्येक कार्य को समाज द्वारा नियन्त्रित और निर्देशित होना चाहिए । व्यक्ति के व्यक्तित्व के मन्तुलित विनाश के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है । सैन्यीकरण व एकरूपता सत्ता में अत्यधिक वृद्धि करे और स्वतन्त्रता पर अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाए व्यक्ति को किमी सीमा तक विचाराभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, समुदाय, व्यक्तिगत आदतें और निजी कार्यों में स्वतन्त्रता और विभिन्नता का अधिकार देना आवश्यक है । इन कार्यों में सीमाओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में मिल का कथन है—

“सामूहिक मत की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में विधि पूर्वक हस्तक्षेप की एक सीमा है, और उस सीमा का पता लगाना तथा जिसमें हस्तक्षेप के विरुद्ध बनाए रखते हुए मानवीय कार्यों को अच्छी दिशा में रखना उतना ही आवश्यक है जितना राजनीतिक निरक्षुब्धता से रक्षा ।”

(प्रोन लिक्टों ५० ६)

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता किसी सीमा तक अत्यन्त ही आवश्यक है । इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण स्वतन्त्रता विचारों एवं उनकी अभिव्यक्ति की बौद्धिक स्वतन्त्रता है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप दूसरों को अपमान कह सकें या उनकी निन्दा करें किन्तु इसका यह अर्थ अवश्य है कि व्यक्तियों को भिन्नता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । हमारा कम से कम मतभेद के लिये सहमत होना आवश्यक है । वास्टेयर के शब्दों में कि—‘मैं आप जो कहते हैं उससे चाहे सहमत न भी होऊँ किन्तु आप ने उस कहने के अधिकार के लिए मैं मरने तक को तैयार हूँ—प्रत्येक समाज के लिए जो कि बौद्धिक विकास तथा विचारों एवं सिद्धान्त की प्रगति को महत्व देता है अत्यन्त ही आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मिल का कथन है कि—

“यदि समस्त मानवता एक मत है और केवल एक व्यक्ति का विरोधी मत है तो मानवता एवं को व्यक्ति को छोड़कर उस व्यक्ति का मुँह बन्द करने का उतना ही अधिकार नहीं रखती है जितना कि उसे यदि उसके पास शक्ति होनी तो मानवता का मुँह बन्द करने का अधिकार होना । यदि मत एक व्यक्तिगत सम्पत्ति होती जिसका कि उसके स्वामी के प्रतिरिक्त और किसी के लिए मूल्य नहीं है या इसके उपभोग पर बाधाओं ने से व्यक्तिगत हानि होती तो इनका प्रभाव यह पड़ता कि ऐसी हानि कुछ व्यक्तियों को हुई या अधिक लोगों को । किसी भी मत की अभिव्यक्ति को बन्द करने की विशेष हानि यह है कि इससे मानव

जाति वर्तमान व माने वाली गोड़ियों को सूट रही है। उन लोगों को जो कि दस मत में सहमत है, इनकी अपेक्षा जो कि इनके विरोधी है, यदि मत सही है तो उन्होंने के स्थान पर सत्य को प्राप्त करने का व्यवहार तो दिया है यदि असत्य है तो सत्य का स्पष्ट दृष्टिकोण होने प्रायः से (जो कि उनके असत्य में टाराने पर उत्पन्न होगी और कि उतना ही बड़ा लाभ है) बचित रह जाते हैं।

(मौल सिध्दी पृ० २३-२४)

सत्य का अधिक धन्यता तरह पहचानने व लिये यह आवश्यक है कि वाद-विवाद व विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा राज्य की ओर से विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई बाधा या नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। मानवीय प्रगति के लिए यह आवश्यक है। यद्यपि आधुनिक काल में वैसी प्रसिद्धिपुत्रा जैंगी पीस में गुजरात के बिच्छू तथा मध्यमालीन पॉरोवीयन लोगों ने गैलीलियो के बिच्छू प्रदर्शित की थी, नहीं है किन्तु फिर भी व्यक्ति के विकास की यह असूत्य दशा बहुत से राज्य में नहीं पाई जाती। अधिनीयतन्त्रीय विचारों के एक शानको ने प्राचीन काल से ही यह दावा किया है कि अच्छा क्या है और वैयक्तिक विकास तथा प्रगति कौन हो सकती है। इसके लिए केवल एक ही मार्ग है— उनके अपने द्वारा बताए हुए मार्ग प्लेटो का दार्शनिक शासन, रूपों की सामान्य दृष्टा, रूपों की यथार्थ दृष्टा प्रायः वास्तविक राज्य, वास्तव की निरपेक्ष परम विधि यह कुछ ऐसे अपने प्रकार के अपने अपने मानवीय उन्नति तथा भलाई को प्राप्त करने के हैं। ऐसा ही एक आधुनिक मार्ग मार्गों के द्वारा भी हमारे समक्ष रखा गया है।

जिती भी समाज में यदि बहुमत भी इन प्रकार के विचारों अपने मार्ग को या राजनीतिक की विचारधारा को अपना ले सों भी उसे उस मार्ग को मानने के लिए असमर्थ को बाध्य करने तथा मुँह बन्द करने का कोई अधिकार नहीं है। मिल के इन शब्दों से हम पूर्णतया सहमत हो सकते हैं—

“दूसरे प्रकार के व्यवहारों को तरह ही बहुमत का अत्याचार भी प्रारम्भ में और अब भी सार्वजनिक भवनीय करना है। यह व्यवहार मुख्यतः मार्क्स-वर्गिक सत्ताओं के द्वारा कार्य रूप में परिणत होता है। समाज अपने प्रादेशों को स्वयं स्थापित करना है और यदि सही के स्थान पर एक गणतन्त्र आदेश देता है या उन पक्षियों के सम्बन्ध में आदेश देता है जिससे कि इनकी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो यह एक सामाजिक व्यवहार करना है जो कि कई प्रकार के राजनीतिक व्यवहारों से अलग गवाना है। यद्यपि इनके पीछे गजाएँ नहीं हैं तो भी इनसे अपने के मार्ग भी बहुत कम है। यह जीवन की

छोटी छोटी बातों में भी अधिक हस्तक्षेप करता है और यही तर्क कि व्यक्ति की आत्मा तब तक दासता में जकड़ लेता है।”

(ओन लिक्टर्स पृ० ७६)

व्यक्ति का घणना मुख्य है और जब तक हम इस मुख्य को उचित मान्यता नहीं देंगे तब तक वैयक्तिक या सामाजिक किसी भी प्रकार के विकास को कोई भी सम्भावना नहीं है। एकरूपता और सैन्धीकरण के मध्ये अनुसरणकर्ता शक्ति, सैनिक तथा यन्त्रवत् व्यक्तियों को भेजे ही उत्पन्न करने किन्तु यह कभी भी विकास व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं कर सकते। मिसल के शब्दों में —

“मानवीय प्रकृति कोई यंत्र नहीं है जिसको रि किसी दाने के घाघार पर तैयार किया जा सके और तब निश्चिन्त कार्य करने के लिए लगाया जा सके। किन्तु एक पेड़ के समान है जो कि सामाजिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के अनुसार अपने आप सब तरफ बढ़ता और विकसित होता है और जो कि इसे एक जीवित घन्तु बनाती है।”

(ओन लिक्टर्स पृ० ७७)

मिसल में धामे वैयक्तिकता के लिए जोरदार शब्दों में कहा है—

“किन्तु मन का अत्याचार ऐसा है जो कि सन्धीपन बनाता है और इसलिए इस अत्याचार को समाप्त करना आवश्यक है। सन्धीपन बड़ा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जहाँ पर परित्र की हृदा अधिक होती है। किसी समाज में सन्धीपन की मात्रा उसमें पाए जाने वाले लोगों की प्रतिभा, उनकी शक्ति और उनके नैतिक धर्म के अनुपात में होती है। आज सन्धी होने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं और यही इस युग का सबसे बड़ा सङ्कट है।”

(ओन लिक्टर्स पृ० ८३)

सम्भवतः मिसल की प्रतिशुद्धा होगी यदि उसमें युग में अत्यधिक अधिनायक-सन्धीय सैन्धीकरण होगा। आज के युग में प्रश्न यह नहीं है कि कितने सन्धीपन चाहते हैं या उनमें होता है किन्तु यह है कि किसी को भी सन्धी होने नहीं दिया जाता विशेषकर साम्यवादी राजनीतिर व्यवस्था में। ऐसा दृष्टिकोण प्रतिभा और सृजन की शक्तियों को कुण्ठित करता है। आज हम यह पाते हैं कि विश्व की आधि से अधिक जनसंख्या ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को अपना चुकी है जिसमें वैयक्तिक तथा विचारों की स्वतन्त्रता का कोई स्थान नहीं। साम्यवादी दर्शन विश्व के इतिहास में युग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इस युग का मुख्य लक्षण एक नवीन वर्ग के हाथ में राज्य की शक्ति घाना दे यह वर्ग जान कि समाज

शताब्दियों तक शोषित और शोषण वर्ग रहा और जिसको सर्वप्रथम अब राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई है वह सर्वहारा वर्ग है। इस वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति नहीं है केवल अपने धर्म की सम्पत्ति मात्र है।

एक नवीन समाज का निर्माण जिसमें श्रमिक या गरीबों का बहुमत अपने भाग्य का नियन्त्रण एवं निर्देशन कर सके, साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य है। ऐसे समाज के निर्माण के लिए मार्क्सवादियों को उस अल्पमत को नष्ट करना ही होगा जिसने हाथ में धार्मिक शक्तियों के कारण ही राजनीतिक शक्तियाँ हैं। जातियों की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जातियों में परिवर्तन करना आवश्यक है। मार्क्स राज्य को एक शक्ति का साधन मानता है। इस शक्ति के साधन पर अधिकार जमा कर इसको सर्वहारा-वर्ग के लिए काम में लाना आवश्यक है।

हिंसात्मक प्रान्ति तथा राज्य की शक्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात् सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना होगी। चूँकि इस अधिनायकत्वकीय समाज में केवल एक ही धार्मिक वर्ग होगा और इसके सदस्यों के चूँकि एक ही प्रकार के हित होने इसलिए इसका प्रतिनिधित्व केवल सर्वहारा वर्ग का दम ही कर सकता है। और यह दम राज्य की शक्ति का निरंकुश रूप से दो सदस्यों को प्राप्त करने के लिए काम में लाएगा। एक तो प्रति-प्रान्ति को रोकने के लिए और दूसरे वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए। मार्क्सवादी प्रान्ति का संगठन तथा सर्वहारा वर्ग के हितों की वृद्धि इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के मुख्य कार्य होंगे।

यथा यह अधिनायकत्व सोचने और कार्य करने की कोई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता या वैयक्तिकता को प्रोत्साहन देगा; इसका उत्तर नहीं है। किसी भी प्रकार के स्वतन्त्र विचारों की यह पदभ्रष्टता, संशोषनात्मक या समाज विरोधी विचार घाटाएँ मानेगा और उसके लिए दृढ़ देगा। यह अधिनायकत्व मुझ बाल की स्थिति में ही रहेगा और इसलिए इसमें जीवन का तन्वीकरण आवश्यक होगा। यह सब भले ही सत्य हो, किन्तु जिन लोगों को हमने विश्वास है क्या हम बात को सोचना आवश्यक नहीं है कि मूलतः भी ही सकते हैं और मार्क्सवादी मार्ग ही अकेला मार्ग नहीं है। प्रत्येक प्रकार के विरोध और विभिन्न प्रकार के मतों के सम्बन्ध में साम्यवादियों की असहिष्णुता मध्य युग की धार्मिक असहिष्णुता से भी अधिक है। उनका अपने मार्ग में उतना ही अधिक कट्टर विश्वास है जितना कि किसी धार्मिक पोप या पादरी को अपने धर्म के प्रति विश्वास होता है। व्यवहार में वे विरोध को अत्यन्त ही निर्दयता पूर्वक दबाते हैं और यह सब इसलिए है कि उनकी यह धारणा है कि उनका अपना ही मार्ग ही सत्ये गहरा और मध्य पर पहुँचने का अकेला मार्ग है।

स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मावसं ने 'कंपोर्टल' के तीसरे भाग में लिखा है—
 "स्वतन्त्रता का साम्राज्य वास्तव में वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर
 आवश्यकता और बाह्य कारणों के द्वारा निश्चित श्रम का घन्ट होता है।
 इसलिए यह विशुद्ध भौतिक उत्पादन के क्षेत्र से बाहर है। जैसे असम्य और
 जंगली मनुष्य को प्रकृति से अपनी आवश्यकताएँ तथा अपने जीवन की रक्षा
 और जीवन की उत्पत्ति के लिये सघर्ष करना होता है उसी प्रकार सम्य
 मनुष्य को भी करना होता है। उसे यह सब प्रकार के समाजों में और
 सब प्रकार की उत्पादन प्रणालियों में करना होता है। जैसे उसका विकास
 होता है यह आवश्यकता के क्षेत्र की वृद्धि होती है। क्योंकि व्यक्तियों की
 आवश्यकताओं में वृद्धि होती है किन्तु उसकी उत्पादन की शक्ति जो कि
 आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, में भी साथ ही वृद्धि होती है। इस क्षेत्र में
 स्वतन्त्रता उसी सीमा तक हो सकती है जिस क्षेत्र में व्यक्ति समाज में तथा
 सहयोगी उत्पादनकर्त्ता प्रकृति द्वारा दिये गए भौतिक साधनों को तात्किक
 दृष्टि से नियन्त्रित करें। इनको अपने सामान्य नियन्त्रण में ले लें और न
 कि इनसे एक अन्ध शक्ति मानकर शासित हो। इनका विकास कम से कम
 शक्ति के ध्येय के द्वारा और उन परिस्थितियों में जो कि मानवीय प्रकृति के
 योग्य है, किया जाय। किन्तु फिर भी आवश्यकता का क्षेत्र विस्तृत ही
 रहेगा। इसके भागे मानवीय शक्तियों का विकास जो कि स्वयं अपने ध्येय में
 साध्य है, प्रारम्भ होता है। यह स्वतन्त्रता का वास्तविक क्षेत्र है। किन्तु
 उसका पूर्ण विकास तभी हो सकता है जबकि उसका आधार आवश्यकता का
 क्षेत्र हो।"

(कंपोर्टल भाग ३ पृ० ६५४)

इस सम्बन्ध में मावसं के शब्दों की धारोचना करते हुए प्रो० लिहसे ने

कहा—

"स्वतन्त्रता किसी भी राजनीतिक राज्य से जो कि धार्मिक सम्बन्धों को
 किसी सामान्य उद्देश्य के लिये नियन्त्रित नहीं करता है, प्राप्त नहीं की जा
 सकती। जब तक उनको इस प्रकार नियन्त्रित नहीं किया जायेगा धार्मिक
 सम्बन्ध एक अन्धी शक्ति रहेंगे। और जब तक इस अन्धी शक्ति पर विजय
 न पाई जायगी तब तक राजनीतिक स्वतन्त्रता की बात करना व्यर्थ है।
 धार्मिक शक्तियों के द्वारा उत्पादित सामाजिक सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्धों
 को विगाहते हैं और विकृत करते ही रहेंगे।"

(कार्ल मावसं की कंपोर्टल पृ० ३७)

यहाँ पर जिन स्वतन्त्रता का उल्लेख है वह विशेषतः आर्थिक स्वतन्त्रता है, मार्क्स तथा उसके अनुयायी वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा नैतिक स्वतन्त्रता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखते ।

जब उच्चतर साम्यवाद स्थापित हो जायगा जिनमें सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित करने के लिये 'प्रत्येक से अपने योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उगरी प्राप्ति' का सिद्धान्त अपना लिया जायगा, तभी राज्य समाप्त हो जायगा तथा यद्यपि वे रूप में स्वतन्त्रता का क्षेत्र प्रारम्भ होगा । कब, कहाँ और कैसे होगा ? इससे विषय में न तो मार्क्स ने निश्चिन्त रूप से कुछ कहा है और न हम ही निश्चित रूप में कुछ कह सकते हैं । और जब तक यह सम्भावना यद्यपि नहीं हो जाती, तब तक हमें शान्तिपूर्वक टहरना होगा और हमारे समाज कर्मों को राज्य के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित करने देना होगा—यह राज्य मानवीय इतिहास के अन्य सब राज्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा, और इसके पास व्यक्तियों के जीवन के सम्पूर्ण निर्देशन की शक्ति होगी क्योंकि इसमें राजनीतिक व आर्थिक शक्ति का प्रत्यक्ष केन्द्रीकरण होगा । अधिनायकत्व और एक दलीय राज्यवाद-विवाद की स्वतन्त्रता, मनो की भिन्नता या अग्रहमति प्रकट करने का अधिकार नहीं दे सकते । ऐसे राज्य में व्यक्ति राज्य की आर्थिक शक्ति के समक्ष अपने प्राणों पर्यन्त ही निर्बल पाता है ।

यह राज्य न केवल स्वतन्त्रता का ही अन्त करना है किन्तु धीरे-धीरे स्वतन्त्रता की इच्छा व विचार का भी विनाश कर देना है; जो कि कहीं अधिक भयानक वस्तु है । बड़े विचार नियन्त्रण, उन्मुक्त प्रचार, जनता के मनोवैज्ञानिक शोषण तथा राजनीतिक दबाव का प्रयोग करके यह नवीन पीढ़ियों में डग धात का बट्टर विश्वास उत्पन्न कर देता है कि उनकी व्यवस्था ही सर्वोत्तम है और मार्क्स ही सबसे बड़ा दार्शनिक है । यह एक नये प्रकार की दासता को जन्म देती है जिसे समक्ष इतिहास की पुरानी दासताओं नगण्य है । इस दासता में न तो दास को अपने दासता का ज्ञान ही है और न उसे दुःख ही है । यह स्वतन्त्रता के लिए पर्यन्त ही दुःख का युग है । और यदि यही प्रगति हमने विचारों के क्षेत्र में २५०० वर्षों में की है तो हमें यह मान लेना होगा कि मानव प्रगति और विकास युग ही नहीं ।

यहाँ पर यह प्रश्न उठ सड़ा हो सकता है कि यदि अधिनायकत्व अर्थात् अपने विकास के लिए इतने हानिकारक है तो फिर क्यों व्यक्ति इन अधिनायकत्वों को अपनाता है तथा उनकी प्रशंसा करता है । इसका मुख्य कारण यह है कि अधिनायक-राज्य राज्यों के यह नियंत्रित समाज स्वतन्त्रता के बदले में कई भौतिक लाभों को देते हैं । मनुष्य अभी अपने प्राणों दासता में वेपता है जबकि उसे भविष्य अन्वेषण दिखता हो या वह वर्तमान में अपने प्राणों परितः अनुभव करता हो ।

परिवर्तन तथा कठिनाइयों के इस युग में व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता एवं इच्छा आर्थिक सुरक्षा की है। अधिनायकतन्त्र इस सुरक्षा को देने का वचन देते हैं और एक बहुत बड़ी सीमा तक देते भी हैं। इनकी आवश्यकताओं के लिये व्यक्ति बौद्धिक आवश्यकताओं का बलिदान देते हैं। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की सबसे बड़ी निर्धनता यह है कि यह व्यक्ति को यह सब चीजें नहीं दे सकते और इसलिए व्यक्ति अधिनायक-तन्त्र की ओर झुकता है। दूसरे यह भी सत्य है कि अब तक अधिनायकतन्त्र उन्हीं देशों में स्थापित हुआ है जहाँ पर अब तक किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न तो थी और न उसकी परम्पराएँ ही थी। चाप उस वस्तु की अनुपस्थिति का अनुभव अभी नहीं करेंगे जो कि चापके पास अभी नहीं थी और जिसके बारे में चापने केवल दूसरों से सुना ही था। पूर्वी योरुप, सोवियत संघ और चीन जहाँ पर कि साम्यवाद आज तक सफल हुआ है वहाँ पर पहले अभी भी प्रजातन्त्रीय या उदार शासन नहीं रहे हैं। वहाँ की जनता निरकुश शासन की शय्यस्त है। उन्होंने केवल राजाओं के स्थान पर अधिनायकों को अपनाया है और ये इस परिवर्तन से सन्तुष्ट हैं क्योंकि अधिनायकों के पास वे देवी अधिकार अथवा देवी शक्ति न होने के कारण उन्हें जनता को भौतिक प्रगति और साधनों से सन्तुष्ट रखना आवश्यक होता है। इसलिए हम यह देखते हैं कि ऐसे देशों में भौतिक प्रगति अथवा तीव्र गति से होती है। उन देशों में प्रत्येक ओर यही दिखाई पड़ता है कि उनकी भौतिक प्रगति प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों से बड़ी अथवा है। अगर हम यह भी मान लें कि वे हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों से अधिक योग्य हैं तो भी व्यक्ति को इस आर्थिक प्रगति का मूल्य चुकाना होता है।

नियन्त्रित समाजों का प्रत्येक सदस्य भौतिक प्रगति के लिए जो भारी मूल्य चुकाता है उसका वलुन प्रो० ओट ने इस प्रकार किया है—

‘विभिन्नताओं का अन्त करना और एकरूपता स्थापित करना अधिनायक-तन्त्रों की प्रकृति में है। ऐसी नीति भविष्य के लिए विनाशकारी होती है तथा वर्तमान में भय उत्पन्न करती है। यह इस कारण भविष्य के लिए विनाशकारी है, क्योंकि मानव जाति का विकास होता कि हमें ज्ञात है, कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत दूरदर्शिता के कारण ही होता है और यह एकरूपता के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं एवं भिन्नताओं को दबाना है। यह वर्तमान काल में भय उत्पन्न करता है क्योंकि विभिन्नताओं का अन्त करने के लिए उन मनुष्य अन्त करना आवश्यक है जोकि समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवित रखते हैं। यह तो मायजन्म के स्थान पर एकता स्थापित करना है, क्योंकि जैसा कि अरास्तू ने बताया है कि प्रजातन्त्रों की भिन्नता के

बिना एकता भले ही सम्भव हो, किन्तु सामंजस्य नहीं हो पाएगा। यह उनके मरिचक को काम में लाने के लिए ही बना नहीं करती, किन्तु उन सब विश्वासों को जो कि इसके घपने नहीं हैं, भी बना करती है। सब पर्यवेक्षक इससे सहमत हैं कि अधिनाशकतन्त्रों में सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता मुख्य लक्षण है। यह जानते हुए कि वे अपनी इच्छाओं को कार्यरूप में परिणत नहीं कर सकते और यह भी कि उनकी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं है समस्याओं का निर्णय उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके लिए होता है और वे बेबल छिपे हुए तरीकों से घटनाओं के कार्यक्रम में रंभ मात्र भी घन्तर नहीं ला सकते। इसलिए व्यक्ति राज्य के मामलों में या तो अपनी रुचि तो बैठते हैं या घपने सार्वजनिक कर्तव्यों को दिशाओं के लिए पूरा करते हैं या करते ही नहीं।”

(सिद्धांटी टु-के, पृ० १६०-६१ तथा १६२)

भौतिक साधनों के लिए हमें इस बात को विशेष रूप में ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकांश जनता के सदस्य इस मूल्य को पुनाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए पेट की आवश्यकताएँ मरिचक की आवश्यकताओं से बड़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं।

उपयोगितावाद

उपयोगितावाद विशेषतः फ्रांज़ राजनीतिक दर्शन का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को फिलोसोफिकल रैंडीकल्स ने अपनाया और फिर उन्होंने वैधानिक आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की एक सम्पूर्ण व्यवस्था हमारे सामने रखी। साथ ही इसको अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त से सम्बन्धित किया। उनका यह विश्वास था कि यह सिद्धान्त सभी वेकारियों और सार्वजनिक नीतियों को निर्देशित कर सकेगा। इनका यह भी विश्वास था कि इस सिद्धान्त के द्वारा वे व्यावहारिक राजनीति की प्रत्येक समस्या को सुलझा सकेंगे। इन विचारकों में से किसी ने भी, यहाँ तक कि बेंथम ने भी राजनीतिक दर्शन को कोई मौलिक अनुदान नहीं दिया है और न किसी नवीन दार्शनिक पद्धति एवं व्यवस्था का निर्माण ही किया है। बेंथम-युग तक बेंथम, जो कि इनका सबसे प्रसिद्ध विचारक था केवल वैधानिक सुधारों में ही पूर्णतया रुचि रखता था। उसका यह मत था कि ये सुधार उदार निरकुशता न कि राजनीतिक उदारता-उदारवाद के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। वह जेम्स मिल का बेंथम पर प्रभाव था जिसने कि उसे इस बात के लिए बाध्य किया कि वह उदारवादी दर्शन को अपनाए क्योंकि जनता के पार्लियामेंट में समुचित प्रतिनिधित्व के बिना इंग्लैंड में वैधानिक सुधार असम्भव थे। बेंथम ने उदारवादी दर्शन को इसलिए नहीं अपनाया कि यह अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त से तार्किक दृष्टि से सम्बन्धित था किन्तु इसलिए कि वह इसे वैधानिक सुधारों के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक अस्त्र समझता था।

फिलोसोफिकल रैंडीकल्स के आर्थिक दर्शन इस बात को बताते हैं कि वे स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) में उदारवादी प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक रुचि रखते थे। किन्तु जब तक वह ब्रिटिश संसद से ब्रिटिश के कुलीन वर्ग को निकासने में सफल नहीं होते तब तक वे आवश्यक आर्थिक सुधारों को करने में सफल

नहीं होने और इसलिए उन्हें उदारवादी प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों को मान्यता देनी पड़ी तथा ब्रिटिश संसद के प्रजातन्त्रीयकरण में सहयोग देना पड़ा।

उपयोगितावाद की सामान्य रूप रेखा हमें बेंथम की सर्व प्रथम पुस्तक 'सरकार पर कुछ विचार' (Fragment on Government) में मिलती है। बेंथम के अनुसार सब मानवीय कार्य सुख और दुःख के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं और एक भुक्तल व्यवस्थापक इनके द्वारा मानवीय कार्यों का नियन्त्रण एवं निर्देशन कर सकता है। उसने लिखा—

“प्रकृति ने मानवता को दो ताबंभोम प्रभु दुःख और सुख के घापीन रखा है। केवल वही बतला सकते हैं कि हमें क्या करना होगा और यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उनके गिहासन के एक ओर असत्य और सत्य के मापबद्ध और दूसरी ओर कार्य एवं कारण की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं।”

इस दर्शन का आधार हीडोनिस्ट (भौतिक सुखवाद) है। बेंथम ने भौतिक सुखवादियों की तरह यह माना कि सुख और दुःख विरोधी भावनाएँ हैं। वे एक दूसरे को सन्तुलित करती हैं, उनको मापा जा सकता है तथा जोड़ा जा सकता है। सुखों को जोड़ने से हम किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए अधिक से अधिक सुख का पता लगा सकते हैं। दुःख या सुख को जगके चारों तथ्यों को ध्यान में रखने से मापा जा सकता है। (अ) तीव्रता (ब) काल (स) कार्य और (द) इसके घाने के बीच का समय कोई भी सुख या दुःख दूसरे को जन्म देगा। और इस तथ्य को कोई भी सामाजिक गणना करते हुए ध्यान में रखा जायगा। बेंथम का स्वयं के सुख और दुःख के सिद्धान्त में विस्वास नहीं था। उसके अनुसार यह विचार कि विभिन्न व्यक्तियों के सुखों को जोड़ा जा सकता है; झूठा विचार है जो कि—

“एक ऐसा सिद्धान्त है जिमको माने बिना एक प्रकार के राजनीतिक तर्कों का घन्त हो जायगा।”

सुख और दुःख विरोधी नहीं, किन्तु सहयोगी भावनाएँ हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जो वस्तु सुख पहुँचा सकती है वह वस्तु परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर दुःख भी पहुँचा सकती है। उदाहरण स्वरूप एक गिलास ठन्डा पानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को गर्मियों में भ्रस्यधिक सुख पहुँचा सकता है किन्तु सर्दियों में वही दुःख का कारण भी हो सकता है। यहाँ तक कि ठन्डे पानी का पहला घूँट जो सुख देगा वह दूसरे घूँट में बढ़ावि नहीं पा सकता। यद्यपि यह घन्तर व्यक्ति को बढ़ाचित ही अनुभव हो। गर्मियों में भी व्यक्ति को ठन्डे पानी का दूसरा गिलास पहले की प्रवेदा कम सुख पहुँचाएगा और सुख की दर बमी का व्यक्ति

को अनुभव भी हागा। दो चार गिलासो के बाद सुख निरन्तर कम होता चला जायेगा यहाँ तक कि वह दुःख में परिवर्तित हो जाएगा। एक निश्चित तृप्ति के पश्चात् सुख दुःख में परिवर्तित हो जाता है। सुख की अनुभूति एवं तृप्ति व्यक्ति और व्यक्ति में भिन्न होती है। जो वस्तु एक व्यक्ति को सुख दे सकती है वह दूसरे को वदाचित सुख न दे। इसलिए सुख की मात्रा का गणना करना चाहे वह एक व्यक्ति का हो या व्यक्तियों के समूह का हो, अत्यन्त ही कठिन कार्य है। ब्रह्म का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त को उसके वैधानिक सुधारो के सिद्धान्त का आधार बनाना था। प्रो० संबादन के शब्दों में—

“अधिक से अधिक सुख का सिद्धान्त, जैसा कि ब्रह्म का विश्वास है, एक कुशल व्यवस्थापक के हाथ में एक सार्वभौमिक व्यावहारिक वस्त्र दे देना है। इसके द्वारा वह सुख का ढाँचा बुद्धि और कानून के हाथों तैयार कर सकता है। यह आधारभूत मानवीय प्रकृति उसकी मान्यताओं एवं उद्देश्यों के सिद्धान्त को देता है जिन्हें ब्रह्म सब समयों और स्थानों पर काम में लाने योग्य मानता है। व्यवस्थापक को केवल समय व स्थान की विशेष परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है जिन्होंने उन विशेष मादतों व रुद्धियों को जन्म दिया था। और तब वह दुःख और सजाओं को निर्धारित करके व्यवहारों का नियन्त्रण कर सकता है और ऐच्छिक परिणामों को उत्पन्न कर सकता है।”

(हिस्ट्री ऑफ पोलिटिक्स प्योरी पृ० ५७०-७१)

ब्रह्म १८ वीं शताब्दी के दूसरे दार्शनिकों की तरह मानता था कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। उसका यह मत था कि यदि मनुष्य एक बार एक दूसरे को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे तो वे आपस में सहमत होंगे। किन्तु उसने इस तथ्य पर दृष्टि पात नहीं किया कि एक दूसरे के उद्देश्यों को समझ लेने से सहमति के स्थान पर विरोध उत्पन्न होगा। उसे ऐतिहासिक विवास का कोई ज्ञान नहीं था और उसके विचारों में कोई मौलिकता एवं नवीनता नहीं थी।

उसके अनुसार अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख का सिद्धान्त सत्य और अमर्य को नापने के लिए एक मापदंड हो सकता था। उसके अनुसार प्रत्येक कार्य का उद्देश्य सुख की उत्पत्ति है। वह सुख और आनन्द को पर्यायवाची शब्द समझता था या दूसरे शब्दों में आनन्द की दुःख के ऊपर बाहुल्यता को ही वह सुख समझता था। उसके विचार में व्यक्तिगत सुख सामूहिक एवं सामाजिक सुख से सम्बन्धित हैं। किन्तु वास्तव में व्यक्तिगत सुख और सामूहिक सुख में कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है तथा सुख एवं दुःख पूर्ण रूप से व्यक्तिगत भावना है। जो वस्तु मुझे सुख पहुँचा सकती है वह हो सकता है दूसरे अन्य व्यक्ति को दुःखदाई हो। हित

एवं भलाई क्या है ? यह भी एक व्यक्तिगत विचार है । प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु या काम को हितपूर्ण मानेगा जो कि उसके लाभ को होंगे । सब व्यक्तियों में मूल एक हित क्या है इस पर समझौता होता सम्भव नहीं है । यह भी पूर्ण तथ्य नहीं है कि सामाजिक हित या सामाजिक सुख समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख या हित को पूरा कर सके । मूल एक भावना मात्र है- और यह भावना यह है- एक जीवित प्राणी में ही पाई जा सकती है । किसी भी वस्तु या कार्य की योग्यता के सम्बन्ध में विभिन्न विचार ही सकते हैं और इस सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सोचेगा । इस तथ्य को समझने में वैश्वम प्रसफल रहा है । यदि किसी वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिये भिन्न होगी, और जैसा कि वास्तव में सही है, राज्य के कार्य का उपयोगितावादी सिद्धान्त व्यावहारिक होगा । इस सम्बन्ध में प्रो० एलन का पथन है—

“व्यक्ति के दृष्टिकोण से उपयोगिता तथा समाज के दृष्टिकोण से उपयोगिता के सम्बन्ध को समझने में उसकी असफलता है । उनका यह अभिप्राय कि प्रत्यक्ष ज्ञानवादी व्यावहारिक रूप से यह मानते हैं कि सत्य और असत्य, व्यक्ति के उनका प्रयत्नानुसार प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष ही सत्यता है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है । वैश्वम का यह तर्क है कि ये सब प्रकार के कानूनों को बंगु बना देना है । क्योंकि यह इस प्रश्न किनी भी वस्तु की उपयोगिता क्या है; कार्य-हीन कर देता है । परन्तु क्या वैश्वम स्वयं का सिद्धान्त भी इसी परिणाम पर नहीं आता । यदि मेरी भलाई का मापदण्ड मेरा धनमान आनन्द है यह मापदण्ड मेरी रुचि और इच्छाओं के अनुसार होगा सम्भवतः ऐसी कुछ वस्तुएँ हैं जिनकी सब व्यक्ति इच्छा करते हैं किन्तु सब व्यक्ति उन वस्तुओं को उसी प्रकार से या उसी मात्रा तक नहीं चाहते और सब व्यक्ति दूसरी-दूसरी भिन्न वस्तुओं की भी इच्छा करते हैं ।

(सोशल एन्ड पोलिटिकल आइडियाज ऑफ डी रिबोल्यूशनरी ऐरा पृ० १६१-१६२)

प्रत्येक कानून को योग्यता की बसोटी पर जीवना होगा । इसलिए प्रत्येक कानून की बसोटी होगी कि वह अधिक आनन्द उत्पन्न करता है या दुःख । यदि अधिक सत्य में यह अधिक आनन्द देता है तो इसको लागू किया जायगा किन्तु यदि यह बखेदायी है तो इसको रद्द कर दिया जायगा । ऊपर के रूप से यह एक नीची और गार्फ बसोटी मालूम पड़ती है, किन्तु यह निश्चय करने के लिए कोई भी कानून या राज्य या कार्य सुरादाई या दुःखदाई है हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसके द्वारा उत्पन्न पूर्ण सुख या दुःख का पता लगायें । किन्तु व्यवहार में ऐसा करना असम्भव है । और इसलिए उपयोगिता की बसोटी व्यावहारिक है ।

जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ‘उपयोगितावाद’ में अधिक से व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । यदि प्रत्येक व्यक्ति के बार्धों

का उद्देश्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति है और यदि अधिकांश व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप सामाजिक सुख निश्चय ही प्राप्त हो जायगा। किन्तु उसने भौतिक सुखवादी सिद्धान्त में एक परिवर्तन भी किया है। सुख और दुःख को नैतिक आधारों पर उसने दो भागों में विभक्त किया है। श्रेष्ठ और निम्न। किन्तु मिल ने इन नैतिक आधारों को हमें नहीं बताया। नैतिकता अधिकतर रुढ़ियों पर आधारित होती है और जैसा कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं—सत्य और असत्य के सिद्धान्त में समय और काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। फिर सुख स्वयं एक कानून और राज्यों के कार्यों को जीवने के लिए एक मापदण्ड है। इस मापदण्ड का भी एक मापदण्ड कैसे हो सकता है। इसलिए मिल का उपयोगितावादी सिद्धान्त अतार्किक व अपूर्ण है।

मिल वैश्वम के अधिक से अधिक सुख के सिद्धान्त को राज्य के कार्य क्षेत्र में नैतिक आधारों की बगैरी पर जांचें बिना मानने को तैयार नहीं है। मिल ने अपने उपयोगितावाद को व्यक्तिगत आदर्शों पर आधारित किया है। वैश्वम के उपयोगिता के सिद्धान्त का महत्व प्रो० हनिङ्ग के शब्दों में इस प्रकार है—

“वैश्वम और उसका उपयोगितावाद इसको स्पष्ट रूप से मानता है कि राज्य का मुख्य आधार केवल एक आदत मात्र है—आज्ञापानन की आदत। उनका कहना है कि राजनीतिक समाज एक जीवित मनुष्यों के समूह से जो जिन उन उद्देश्यों से प्रेरित होता है और जो कि प्रत्येक के साधारण अनुभवों में से अधिक या कम कुछ नहीं है। इसने कार्यों का निर्णय पिछली पीढ़ियों के समझौता या सविदाओं या वर्तमान पीढ़ी के द्वारा अचेतन रूप से मान लिए गए हैं। किन्तु दूसरे सब मानवीय कार्यों की भाँति जीवित मनुष्यों के सुख और दुःख के विचारों से निश्चित होते हैं। सब सस्थाएँ, रुढ़ियाँ, रीतिरिवाज और उत्सव चाहे जितने पुराने, महत्वपूर्ण या ऐच्छित क्यों न हों, बेकार हैं यदि वे प्रत्यक्ष रूप से तत्काल अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक आनन्द को उत्पन्न नहीं करते हैं। जब आदर्शवादियों के समक्ष प्रयत्नकरण, कल्पनाएँ और रहस्यवादों के स्थान पर यह सरल और जीवित सिद्धान्तों को रखा जाता है तो सुनने वाले सहमति और स्वीकृति की अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया होती है।”

(पोलिटिकल थ्योरीज़, फ़ोम हस्तो, टू स्पेन्सर पृ० २४५)

हनिङ्ग के इस उपसंहार से बहुत कम व्यक्ति सहमत होंगे। उपयोगितावादी सिद्धान्त बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधारों पर सुरक्षित है। यह केवल राजनीतिकशास्त्र की सामान्य ज्ञान के आधार पर यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिगको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। मद्यपि यह दावा किया गया था कि यह व्यवस्थापिकाओं राजनीतिज्ञों के व्यावहारिक कार्य क्षेत्र के लिए एक बगैरी का

कार्य करेगा। बेंचम और उसके उपयोगितावादी सिद्धान्त की प्रो० ऐसन द्वारा की गई कड़ी प्रालोचना से अधिकांश विचारक सहमत हैं।

“यह कहा जाता है कि बेंचम सामान्य बुद्धि का दार्शनिक है किन्तु मैं यह कहूँगा कि मुझे उसमें सामान्य बुद्धि दर्शन के रूप में भेप बदसते हुए मिली है और यका देने वाले वास्तव में, बेकार भोजन और घनविश्वास पर प्रापारित आत्म परिपूर्ति लिए हुए हैं जो कि कुड़न पंदा करते हैं। यह मे पुरी तरह स्वीकार करता हूँ कि जब बेंचम वास्तविक कानून की प्रालोचना एव घाद-विवाद करता है तब उसकी सामान्य बुद्धि और उसके मोतिक विश्लेषण के रीने पर तथा उसकी भाषा की निश्चितता के कारण उसके जो अग्रजी विधि के उत्तमं हुए अंगस में सुपारों का निमोजन प्रत्यन्त सफलता के साथ किया है। जब प्राप उसके व्यावहारिक निष्कर्षों पर पहुँचेंगे तब प्राप उसके समस्त अपूर्ण बाहरी परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रतापिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का छोड़ सकते हैं। और तब प्राप यह देखते हैं कि उसके बहुत से अनुमान वही हैं जो कि सामान्य बुद्धि व्यावहारिक कार्यों में बनाती है। इन सबका केवल अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु के विषय में वह यह पूछता है कि इसका उपयोग क्यों है? हम सब भी वही करते हैं और सदैव करते रहे हैं केवल उस समय ही नहीं करते हैं जबकि हम इस बात को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। हमारा मतभेद ‘उपयोग’ शब्द अर्थ सम्बन्ध में होता है। बेंचम के विचार में आनन्द एक अर्थमी सुत व उपयोग की वस्तु है दूसरों के अनुभूत आनन्द केवल एक घटना मात्र है जिगना थोडा या कोई महत्व नहीं है। हमारे उपयोग के संबंध में विचार हमारी माग्यताओं के ऊपर निर्भर करते हैं और यथार्थ में दोनों वस्तुएँ समान हैं। हमारा मान्यताओं के सम्बन्ध में अत्यधिक मतभेद है। इन सब की अपेक्षा बहुत तो ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में हम सहमत हैं। यद्यपि हम उनकी उपयोगिता के अंशों के सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं।”

(सोमल एण्ड पोलिटिकल इक्विजिटी ऑफ़ डी रिवोल्यूशनरी ऐरा पृ० १७३)

प्यक्तिगत रूप से मैं गांधीजी के अधिक सहमत हूँ जो कि उपयोगितावादी सिद्धान्त को हृदयहीन सिद्धान्त मानते हैं। हम किसी भी अल्पमत चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो किसी भी बहुमत के लिए चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, बलिदान नहीं कर सकते। उपयोगितावादी प्रसन्नता से ४६ प्रतिशत का बलिदान कर देंगे यदि उस बलिदान से ५१ प्रतिशत को आनन्द प्राप्त होने की सम्भावना होगी। राज्य और समाज के अस्तित्व का एन मात्र उद्देश्य सब की अमार्दि है। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना है। यह राज्य का एक

नैतिक कर्तव्य है और राज्य का एक नैतिक माध्यम भी है। किन्तु उपयोगिता का सिद्धान्त आवश्यक रूप से बहुमूल्य है। वास्तव में यह सिद्धान्त है और इसके कार्यों की कसौटी बहुमत की भलाई है। इसलिए यह सिद्धान्त हृदयहीन एवं अनैतिक है।

उपयोगितावादी राज्य के कार्यों को अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई के लिए चाहते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम ऊपर तर्कों के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं अधिक से अधिक भलाई का पता लगाना असम्भव है क्योंकि भलाई एवं प्रसन्नता आदि पूर्णरूप से व्यक्तिगत वस्तुएँ हैं। द्वितीय अधिक से अधिक लोगों का क्या धर्म हो सकता है। स्पष्ट रूप से अधिक से अधिक लोगों का धर्म है १००%। पूर्ण उपयोगितावादी का विश्वास सब लोगों की भलाई में नहीं है इसलिए वैश्विक के सिद्धान्तों में यह एक उचित परिवर्तन होगा कि हम यह कहे अधिकतर लोगों की अधिकतर भलाई।

उपयोगितावाद का दृष्टिकोण मुख्यतः भौतिक है। उपयोगितावादियों के अनुसार तो हमें वही कार्य करने चाहिए जिनसे कि हमें आनन्द प्राप्त हो। उपयोगितावादी यह भूल जाते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य भी हैं जिनके करने से हमें परेशानि कष्ट एवं दुःख भी हो सकता है किन्तु फिर भी हमें उन कार्यों को करना ही होगा। क्योंकि ऐसे कार्यों का करना हमारे लिए परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए, धर्म कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत कार्यों की एक मात्र कसौटी उपयोगिता होगी तो समाज स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति का एक क्षेत्र मात्र रह जायगा और हमारी समस्त आदर्श भावनाएँ एवं कार्यों का अन्त हो जायगा। इसमें से अधिकतर व्यक्ति अपने अष्टदायक कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे और सामाजिक जीवन में अव्यवस्था आ जायेगी।



जनमत और प्रचार

जनमत और प्रचार की प्रकृति के सम्बन्ध में अष्टमसक के वर्तमान जनाब्दी में सामाजिक शास्त्रों के विचारियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसका महत्त्व जनतन्त्रीय राजनीति में इस व्यवस्था के विकास से और बहुत से देशों में अधिनायकतन्त्रीय व्यवस्थाओं की स्थापना से अधिक बढ़ गया है। दुर्भाग्यवश प्रचार प्रत्येक राज्य की नीति की सफलता के लिए एक आवश्यक अस्त्र हो गया है। विज्ञान ने हमें जनता तक पहुँचाने के ऐसे साधन प्रदान कर दिये हैं कि प्रचार का प्रभाव—चाहे वह अच्छा प्रचार हो या बुरा—अधिक व्यापक हो सकता है और कभी-कभी विनाशकारी भी हो सकता है। विश्व के अधिनायकतन्त्रीय शासकों में जनता के मनोवैज्ञानिक शोधण के लिए तथा युद्धकाल में विश्व के सब राज्यों में और शान्ति के भी जनमत के उत्पादन एवं प्रसारण में इन अस्त्रों के महत्त्व को हम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते। व्यावहारिक राजनीति के प्रत्येक विचारियों के लिए इन शब्दों का सही अर्थ जानना एवं यह समझना कि इनका व्यावहारिक उपयोग कैसे होता है, अत्यन्त आवश्यक है।

जनमत क्या है? इसके सम्बन्ध में अधिर्ज्ञात लोगों के विचार अस्पष्ट एवं अशुद्ध होते हैं। यथार्थ में जनमत कौन बनता है या जनमत क्या है यह बताना सरल कार्य नहीं है। बहुत से दलों जनता की राय मानते हैं—सम्भवतः वे जब 'जनता की राय' शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ बहुमत की राय से होता है। कुछ लोग जनमत को एक प्रकार की सामान्य इच्छा मानते हैं जो कि समाज में सबके हित के लिए है। इन दोनों में से कोई भी बात ठीक नहीं है और न कभी हो सकती है।

प्रजातन्त्र के लिए जनमत के महत्त्व के सम्बन्ध में हम कभी भी अतिशयोक्ति नहीं कर सकते। प्रजातन्त्र में सरकार निर्वाचकों की इच्छा के आधार पर बनती है। उनके द्वारा मत परिवर्तन होने पर सामान्य चुनाव में हटार भी जा सकती है। इसलिए प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी सरकार के लिए आवश्यक है कि वह जनमत का अध्ययन

करे, इसे समझे और यदि हो सके तो जनमत को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करे अधिनायकत्वो एव सर्वाधिकारी राज्यों का आधार ही प्रचार एव जनमत है और राज्य इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है कि यह जनमत सदा उसके पक्ष में ही बना रहे । राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी और राजनीतिज्ञो के अतिरिक्त उन सब व्यक्तियों के लिए जो कि समाज और सामाजिक व्यवहारो का अध्ययन करते हैं, जनमत के परिवर्तनो का अध्ययन करना आवश्यक है । जोसेफ एस० रोसेक के अनुसार—

“समाज शास्त्री जनमत को सामाजिक नियंत्रण वा एक साधन मानकर, मनोवैज्ञानिक वातावरण और पिन्ध गुणो का व्यक्तिगत मत के निर्माण में क्या स्थान हो, सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रचार का व्यक्ति और समूहो पर क्या प्रभाव हो, न्याय शास्त्र के विद्यार्थी जनमत का सार्वजनिक नीति पर प्रभाव, राजनीतिक वैज्ञानिक इसका सरकार पर प्रभाव और सरकारी व गैर-सरकारी सस्थाओ का इस पर प्रभाव को, पत्रकार कला के विशेषज्ञ उन प्रणालियो का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा समाचार पत्र समाचारो के प्रसारण से मत और मनोरजन के साधन के रूप में जनमत पर प्रभाव डालता है और स्वयं भी जनमत के द्वारा प्रभावित होता है ।”

(द्वन्टियम सैन्चुरी पोलिटिकल थोट पृ० ३५६-५७)

जनमत और प्रचार की परिभाषा करना अत्यन्त ही कठिन कार्य है । जनमत की परिभाषा करने के लिए हमें स्पष्ट रूप से पहले यह समझना होगा कि जन क्या है एव मत क्या है । साधारणतः जो मत दिया जाता है वह वास्तव में मत नहीं होता, उसको हम विश्वास कह सकते हैं । रोसेक ने मत की परिभाषा इस प्रकार की है—

“मत एक निष्कर्ष है या किसी भी समस्या पर एक निर्णय है जिसका निर्माण किसी विचारधारा और तथ्यो के आधार पर जिनको जांच लिया गया है और जिन पर वाद-विवाद किया गया है, निर्माण किया जाता है । अधिक से अधिक मत किसी भी दृष्टिकोण का केवल अपरिपुष्ट प्रतिनिधित्व करता है । दृष्टिकोण किसी भी मान्यता या अवस्था या विभिन्न मान्यताओ के प्रति सक्रिय या निष्क्रिय रूप से कार्य करता है ।

(द्वन्टियम सैन्चुरी पोलिटिकल थोट पृ० ३६०)

हरमन फाइनर के अनुसार जनमत इन तीनों में से एक वस्तु हो सकती है । या तो वह तथ्यो का एक सग्रह है या यह किसी विश्वास का प्रकाशन है और या वह किसी भी कार्य को करने का इरादा है, जबकि जनमत से हमारा अर्थ इच्छा शक्ति से होता है । फाइनर के शब्दों में—

- “ १) तथ्यों के समूह के रूप में मत का अर्थ ऐसे साधारण वस्तुओं होते हैं जैसे 'रोटी का मुख्य नाम हो गया है' या 'मैं जानता हूँ कि समुत्तराष्ट्र सभ है ।’
- “ २) विश्वास के रूप में मत का अर्थ केवल तथ्यों का समूह ही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी है । उदाहरण स्वरूप 'समुत्तराष्ट्र धमरोका समाजवादी नहीं होगा' यह तथ्यों की प्रभावशाली अज्ञाता है और दृष्टिकोणों का निर्माण करता है ।”
- “ ३) इच्छा शक्ति के रूप में जनमत में तथ्य और उन तथ्यों का विश्वास निर्माण करने के लिए मूल्यांकन और इनके पश्चात् यह घोषणा कि प्रमुख कार्यक्रम का चयन करना लाभदायक होगा ; जैसे कि क्या 'धीन धी ऐकसीमोज के साथ युद्ध करना चाहिए'—हाँ या ना ? और या 'क्या धरु भेद की सबकी बताना चाहिए' हाँ या ना ?”

(ओइर्न गवर्नमेन्ट पृ० २१८)

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मत किसी भी विशेष समस्या के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसको कि विचारधारा पर आधारित करके एवं तथ्यों का विश्लेषण करके निर्माण किया गया है । किन्तु हमारी कठिनाई जनता (जन) शब्द की परिभाषा करने में और भी अधिक है । यह शब्द अस्पष्ट है और इसका ठीक अर्थ जानना जनमत को जानने के लिए आवश्यक है । किसी भी समाज में एक से अधिक जनता हो सकती है । यह बताना कि एक स्थाई जनता के क्या लक्षण हैं या उसको क्या परिभाषा है असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जनता व्यक्तियों का वह समूह है जो कि एक निश्चित भूमि पर रहते हैं जिनके सामने एक ही प्रकार की समस्याएँ हैं और वह उन समस्याओं पर वाद-विवाद को एक ही प्रकार की विचारधारा के आधार पर करते हैं । प्रत्येक सामाजिक समूह में दो वस्तुएँ होती हैं—(अ) एक से अधिक व्यक्ति, (ब) इन व्यक्तियों के बीच में सम्बन्ध ।

“वर्गीकरण का आधार.....हमारा तत्कालीन दृश्य एक हित है । यदि हम किसी भी सामाजिक समूह के भौगोलिक पक्ष में रुचि रखते हैं तो हम उसे ऐसे नाम देते हैं जैसे कि पड़ोस, समुदाय, राज्य या राष्ट्र । यदि हमारा हित मुख्यतः सामान्य विश्वासों, मतां, सिद्धान्तों, धर्मों या रुढ़ियों पर आधारित है तो हम ऐसे शब्द उपयोग में लाते हैं जैसे कि सम्प्रदाय, दल या जनता । इसलिये जनता एक ऐसा समूह है जो कि किसी भी समस्या पर सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से सोच समझ कर निर्णय लेता है एक कार्य करता है ।”

(ट्रैक्टिफ़ेस सेन्चुरी पोलिटिकल थिंट पृ० ३६२)

डाक्टर चाइल्ड का इस सम्बन्ध में मत है कि—

“जनमत की बहुत सी परिभाषाएँ वास्तव में इसलिए हैं कि इनके विचारधियो में इस शब्द को जनमत के किसी एक पक्ष, जिसमें कि वह विशेष रूप से रुचि रखते हैं, सीमित करने का प्रयत्न किया है।”

(एन इन्स्टीट्यूशन टू पब्लिक प्रोपोनियन पृ० ५)

इसलिए जनमत शब्द का साधारणतः अर्थ है कोई भी विश्वास जो कि साधारण रूप से किसी भी विशेष समूह के सदस्य रखते हैं। साधारणतः इनको हम व्यक्तिगत इच्छाओं का सांख्यिकी योग मान लेते हैं। किन्तु यह गलत है। जनमत निर्धारण में समस्त लोगों का मत या बहुमत का मत भी आवश्यक नहीं होता। व्यक्तिगत मत और जनमत दो भिन्न वस्तुएँ हैं। व्यक्तिगत मत जनमत का रूप ले सकता है किन्तु यह तभी सम्भव है जबकि किसी विशेष समुदाय का बहुमत उस मत से सहमत हो जाए। इसलिए अब हम जनमत की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—

“जनमत एक प्रकार का मतैक्य है जो कि किसी भी निश्चित समय या स्थान में प्रचलित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के आधार पर निर्मित होता है और यह विरोधी भावनाओं एवं विश्वासों से संबंधित होता है। इसकी जड़े विशेष हितों, परम्परागत पक्षपातों, अपूर्ण समाचारों, तर्कयुक्त या तर्कहीन धाद-विवादों तथा अन्य कोई तत्वों से संबंधित हैं। यह किसी भी समूह के सदस्यों द्वारा अपेक्षाकृत समभाव का चुनाव का प्रकाशन उन समस्याओं के विषय में है। यद्यपि यह वाद-विवाद हो सकता है किन्तु वह सम्पूर्ण समूह से सम्बन्धित है।”

(द्वैतियथ संचुरी पोलिटिकल थोट रोसेक पृ० ३५८)

जनमत के निर्माण के लिए निश्चित समस्याओं का होना आवश्यक है। ऐसी समस्याओं के अस्तित्व के बिना जनमत का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व का काश्मीर के सम्बन्ध में कोई राजनीतिक जनमत उस समय तक नहीं था जब तक कि काश्मीर समस्या की उत्पत्ति नहीं हुई थी। प्रायः यह समस्याएँ झूठी समस्याएँ होती हैं और उनको कुछ राजनीतिक दल, या नेता अपने स्वार्थों, हितों के लिए उत्पन्न करते हैं। यह राजनीतिक दल, नेता या पत्रकार या कोई अधिकारी प्राप्त स्वार्थों इनको या तो जनता को गुमराह करने के लिए या अपने धर्म को जनता की दृष्टि में बनाए रखने के लिए या अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उत्पन्न करते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह प्रायः कठिन है कि वह एक सच्ची एवं झूठी समस्या के बीच में भेदभाव कर सके। उदाहरण स्वरूप कुछ काल पूर्व कुछ दलों ने अपने स्वार्थों हितों के लिए पूर्वी पंजाब में एक भाषा की समस्या उत्पन्न कर दी है और यह समस्या कुछ काल के लिए उस प्रदेश के लिए एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या हो गई है।

जनमत के निर्माण में नेताओं का भी महत्वपूर्ण योग होता है। ये वह व्यक्ति हैं जो कि सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखते हैं तथा उनमें सवन्धित हैं। उनके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे सार्वजनिक समस्याओं में सम्बन्धित समस्याएँ स्पष्ट एवं साफ़ता से प्रकट कर सकें। उनका क्षेत्र राष्ट्रिय से समाज तक है। राजनीतिक, सामाजिक, प्राथमिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर उन्हें विचार एवं प्रकट करना आवश्यक होता है। इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेता, समाचार पत्रों के सम्पादक, पत्रकार, अध्यापक, विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा समाज बुद्धिजीवी मुख्य हैं। राजनीतिक दलों के नेता सर्वत्र इस प्रकार में रहते हैं कि जनता उनके दल के मत को स्वीकार कर ले। यह मत प्रायः उनका स्वयं का मत होता है। प्रायः राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि वह जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करे। यदि वह राजनीतिक दल शक्ति में है तब उम्मीद यह उद्देश्य होता है कि वह सरकार के कार्यों को जनता को समझाए और बहुत ही यह विवरण दिखाने कि सरकार जो कुछ कर रही है वह उनकी भलाई के लिए है और उन परिस्थितियों में किनमें कि सरकार काम कर रही है उनके दल ने सर्वश्रेष्ठ नीति को ही अपनाया है। विरोधी दलों का सर्वत्र यह उद्देश्य होता है कि वह सरकार के विरुद्ध जनमत निर्माण करे और जनता के अधिकारों को भाग को इस बात का विवरण दिखाने कि राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में जो सुझाव वे दे रहे हैं वे सरकारी नीति से अधिक सही हैं या वे ही ठीक सुझाव हैं। उनका कार्य प्रायः सरकार और उसके कार्यों की प्राथमिकता करना होता है। यह प्राथमिकता केवल प्राथमिकता मात्र ही होती है और इसमें कोई रुचि नहीं होता। उनका उद्देश्य एक विरोधी जनमत उत्पन्न करके सामाजिक सुधार से सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में लेना होता है।

सम्पादक एवं पत्रकार प्रायः किसी न किसी दल का पूर्णतया निर्देशित होते हैं और यह निर्देशन उन्हें प्राथमिक कारणों के कारण स्वीकार करना पड़ता है। किसी भी समाचार पत्र को प्राथमिक सहायता के बिना चलना असम्भव है। और यह प्राथमिक सहायता जो भी देगा वह पत्र की नीति को अपने पक्ष में जनमत निर्माण करने के लिए निर्दिष्ट एवं निर्देशित करेगा। साधारण व्यक्ति प्रायः अपने सम्पादक, पत्रकार या अध्यापक की सम्मति को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है। मेलक, बुद्धिजीवी एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक जनमत निर्माण में सबसे कम प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। उनका जनमत निर्माण से प्रायः अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। साधारणतः वे अपना दृष्टिकोण पक्षपात रहित, बुद्धि एवं तर्क के आधार पर और उस समस्या के पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् अपनी समझ से प्रकटित करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में वे बहुत कम व्यक्ति सत्य राजनीति में भाग लेते हैं या वे साधारण व्यक्ति के सम्बन्ध में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं श्री. हेमचन्द्र त्रिपाठी, श्री. सी. एच. कोण्ड, गिरदी एवं वीणा।

दल नेताओं के मत को जनता तक प्रसारित करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों के बिना व तो जनता तक ही उनका मत पहुँच सकता है और व के अपने मत को जनमत का रूप देने में सफल ही हो सकते हैं। यह साधन वह साधन है जिनके द्वारा किसी भी राजनीतिक नेता, समाजिक वक्ता, या बुद्धिजीवी का मत जनता तक प्रसारित होता है और कुछ समय बीतने के पश्चात् जनमत का रूप ले लेता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण साधन रेडियो, समाचार-पत्र, पुरतकों आदि हैं।

अधिकांश देशों में रेडियो राज्य द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित है इसलिए इसका उपयोग केवल राज्य के द्वारा सम्मता प्राप्त समाचारों एवं दृष्टिकोणों के प्रसारण के लिए ही हो सकता है। यह दृष्टिकोण सामान्यतः उस दल के होते हैं जिसके हाथ में राज्य की शक्ति है। रेडियो का साधन इन देशों में सब पक्षों को प्राप्त नहीं हो सकता विशेषतः विरोधी दलों एवं उन बुद्धिजीवियों को जो कि सरकार की नीति में आलोचक हैं। भारतवर्ष में भी ऐसी ही व्यवस्था है। कुछ देशों में जैसे कि समुत्ताराष्ट्र अमेरिका में रेडियो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। वहाँ पर बहुत से निजी रेडियो प्रसारण कम्पनियाँ हैं जिनसे कि कोई भी व्यक्ति या दल रेडियो समय खरीद सकता है और अपने दृष्टिकोण को जनता तक प्रसारित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में विरोधी दल रेडियो का उपयोग जनता से सम्बन्ध स्थापित करने में कर सकते हैं किन्तु रेडियो को एक व्यापारोत्तरका बनाने में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। तब यह साधन केवल उन व्यक्तियों एवं दलों को पहुँच में ही रह जायगा जिनके पास रेडियो समय को खरीदने के लिए आवश्यक धन है। रेडियो के नियन्त्रण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली संभवतः एक स्वशासित राष्ट्रीयकरण की हुई संस्था जैसी कि इंग्लैंड में है और जो कि प्रत्येक पक्ष के नेताओं के अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए सम्मन्वित कर सके तथा जो रेडियो को यथार्थ में जनता से सम्बन्ध स्थापित करने का एक साधन बना सके।

समाचार पत्र या तो किसी राजनीतिक दल या किसी विशेष हितों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सम्भवतः हम में से बहुतों को इस बात पर आश्चर्य हो कि समाचार पत्रों से कोई लाभ नहीं होता और प्रायः उनको चलाने में आर्थिक हानि ही होती है। इसलिए उनको चलाने के लिए बाह्य आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। उसकी नीति जहाँ से उल्लेख आर्थिक सहायता मिलती है वहीं से निर्धारित होती है। समाचार पत्र इसलिए उन समाचारों के प्रकाशित नहीं करते हैं जिनको कि उनको नियन्त्रण करने वाले नीति निर्देशक दबाना चाहते हैं। या वे उनको इस प्रकार से प्रकाशित करते हैं जिससे सामान्य व्यक्ति जो कि एक सरसरी दृष्टि से समाचार पत्र पढ़ता है व पढ़ पावे। यहाँ पर हम यह ध्यान रखना है कि समाचार पत्र को पढ़ने वालों में से अधिकांश व्यक्ति सरसरी से ही पढ़ते हैं। ऐसे समाचारों को

यह समाचारपत्र गुप्त पृष्ठ पर नहीं छपाते हैं, उनको बीच के रिगो पृष्ठ पर गद्यों में तथा छोटे पद्यों में छपाते हैं। जिन समाचारों को यह जनता तक पहुँचाने चाहते हैं, उन्हें वे बहुत ही मोटे पद्यों में गुप्त पृष्ठ पर प्रकाशित करते हैं। समाचार पत्रों का यह भाग जिनको कि हम 'पीना प्रेम' कहते हैं, इससे भी अधिक अनुचित कार्य करता है। यह समस्त समाचार छापना, कल्पित समाचारों का निर्माण करता और समाचारों की मनोवांछित रूप देता है। भूखी समस्याओं के निर्माण में तथा अनुसार-दायीपूर्ण मत के प्रकाशन में यह पीना प्रेम अनुत्पन्न है। साधारणतः साधारण व्यक्ति एक ही समाचार पत्र पढ़ता है इसलिये उसे समाचारों एवं दृष्टिकोणों का केवल एक ही पक्ष प्राप्त होता है। उसके पास तत्काल समय ही न जति और न उसका इतना मानसिक विकास या योग्यता है कि वह हर समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन करे, तथ्यों एवं घावों को एकरिज करे और तब उनके आधार पर अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्माण करे। साधारणतः समाचार पत्र पढ़ना ही उसका प्रवेश बौद्धिक व्यायाम होता है। वह इसलिये अपने सम्पादन या पत्रकार के मत पर ही निर्भर रहता है जो कि उसके सामने पक्षपात पूर्ण और स्वार्थी मनो को रखते हैं। यहाँ पर हमें यह भी याद रखना है कि ऐसे समाचारपत्र जो कि जनता और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, बहुत पाँके हैं। अधिकांश समाचार पत्र ऐसे हैं जो कि या तो किसी पक्ष या स्वार्थी द्वारा नियन्त्रित हैं इसलिए वे पक्षपातरहित हों ही नहीं सकते या वे पीना प्रेम को थोड़ी से घाते हैं जिसका कार्य जनता की भावनाओं को उन्नत करना और उनको साम उठाना है।

जहाँ तक पुस्तकें, पत्रिकाएँ और ऐसे ही जनता तक पहुँचाने के साधनों का प्रश्न है हमें यह ध्यान रखना होगा कि इनका क्षेत्र समाचारपत्र और रेडियो की तुलना में अपरमूल्य ही सीमित है। यह साधारणतः सामान्य जनता के लिए दृष्टिपूर्ण तथा उच्च बौद्धिक स्तर के होते हैं तथा उनकी समझ के बाहर होते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पर कि जनता अधिशिक्षित है जनता में सम्बन्ध स्थापित करने के इन साधनों का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर अधिकांश व्यक्ति पढ़ना जानते ही नहीं। ऐसे देशों के लिए मुझे और देखने वाले साधन अधिक लाभदायक होने जैसे कि रेडियो, सिनेमा आदि। हम सिनेमा को फँसलों के सम्बन्ध में जनता निर्धारण के रूप में जानते हैं। हम साधन का उपयोग हम जनता को देश की समस्याओं से अवगत बनाने के लिए और एक स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए कर सकते हैं। ऐसे देशों में जनमत निर्माण के लिए सांख्यिक भावण भी महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सांख्यिक समाचारों में हमारे यहाँ अधिकांश समस्या में जनता के एकजिन होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ एक ऐसा साधन है जिससे कि जनता के अधिकांश सदस्य लाभ उठा सकते हैं।

चिन्ह एव संकेत भी जनमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण साधन हैं। रोसेर के अनुसार—

“चिन्ह या संकेत वे सरलता से पहचाने जाने वाले वस्तुएँ, भावाजें, कार्य, या दूसरे तरीके (शब्द, लेखनी, राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय चिन्ह, गीत, सङ्गीत, कविताएँ एवं मूर्तियाँ) जो कि अपने से अधिक और कुछ भी प्रतिनिधित्व करती हैं और जो साधारणतः सामाजिक महत्व के विचारों, कार्यों या वस्तुओं को उत्पन्न करती हैं (पद के विचार, महत्वाकांक्षाएँ, सिद्धान्त, विचारधाराएँ, प्रेम, काल्पनिक कथाओं आदि) इसलिए वे सामाजिक नियन्त्रण के प्रभावशाली तरीके एवं प्रयोजक हैं। जो व्यक्ति यह ध्यान में नहीं रख सकता कि मानस-वाद का सिद्धान्त क्या है वह भी एक संकेतात्मक नारे के द्वारा जैसा कि ‘विश्व के मजदूरों एक हो’ प्रभावित होकर कार्य कर सकता है।”

(दृष्टिग्रह सैन्युरी पोलिटिकल थोट पृ० ३६४)

एक ही चिन्ह या संकेत का विभिन्न जनताओं के लिए विभिन्न अर्थ हो सकता है। ‘विश्व के मजदूरों एक हो’ इस नारे की प्रतिक्रिया पूँजीपति एवं मजदूरों पर भिन्न-भिन्न होगी।

अमरीका की प्रचार विश्लेषण संस्था ने प्रचार की परिभाषा इस प्रकार की है—

“व्यक्तियों या समूहों द्वारा सचेतन रूप से कार्य या मत प्रकाशन व्यक्तियों या समूहों के कार्यों एवं मतों को एक पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए करना है।”

(दृष्टिग्रह सैन्युरी पोलिटिकल थोट पृ० ३७०)

डाक्टर चाइल्डस इस परिभाषा को और स्पष्ट करते हैं—

“प्रचार शब्द का अर्थ उन विचारों, सिद्धान्तों एवं मतों में है जिनको किसी उद्देश्य के लिये प्रसारित किया जाता है।

(एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक प्रोपीनियन पृ० ८१)

✓ हरमैन फाइजर प्रचार की परिभाषा इस प्रकार करते हैं—

“व्यक्ति या जनता की इच्छा को यह तर्क देकर विचार विनिमय की ओर से बन्द करना या शक्ति शोषित करना कि किसी भी नीति को पूरा करने के लिये केवल एक ही मार्ग है और वही सर्वश्रेष्ठ है तथा जान बूझ कर मस्तिष्क को एक रास्ते के अपेक्षा और सबसे बन्द कर देता है।”

(मोडर्न गवर्नमेंटस पृ० २६०)

राजनीतिक नियन्त्रण के लिये एवं जनमत निर्माण के लिए प्रचार एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अस्त्र है। प्रचार की विधियों का अत्यधिक विवादास्पद सर्वाधिकारी राज्यों ने विशेषतः नात्सी जर्मनी ने किया है। प्रचार का भेद एक ही दृष्टिकोण की निरन्तर

दुनरावृत्ति तथा दूसरे घोर सब दृष्टिकोणों को जनता के सामने पहुँचाने से रोक्ना है । यह दुनरावृत्ति हम समय तक हीनी चाहिए जब तक कि जनता का अधिकांश भाग उसे स्वीकार न करे (प्रचार की सफलता राज्य के द्वारा जनता से सम्बन्ध स्थापित करने के सब मामलों के पूर्ण नियन्त्रण पर निर्भर करती है) यह नियन्त्रण जितना बड़ा होगा जनता ही राज्य का एक पक्षीय दृष्टिकोण जनता से स्वीकार कराने में सफलता प्राप्त होगी । क्योंकि ऐसी दशा में जनता घोर किमी दृष्टिकोण को मानेगी भी नहीं ।

सामने जर्मनी ने प्रचार की विधियों को पूर्णतः विरहित किया था । जनमत तक सम्बन्ध स्थापित करने के सब मामलों पर जैसे कि गैरियों, प्रेम, प्रकाशन, बाहर से आने वाले समाचार और सार्वजनिक नायक आदि पर पूर्ण नियन्त्रण लगाकर घोर अपने दृष्टिकोण को निरन्तर जनता के सामने रखकर नाज़ी दल ने अपने मिशनरों के प्रचार में अदृष्ट सफलता प्राप्त की थी । साधनों के ऐसे पूर्ण घोर बड़े नियन्त्रण के द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाया सम्भव है कि वे सब एक ही प्रकार की विचारधारा है और सार्वजनिक सम्स्याओं का एक ही मुद्दाव है । इससे यह भी सम्भव है कि मानवीय विचारों को संघीकृत कर सकें । प्रयातन इस सीमा तक करनी भी नहीं जा सकते ।

प्रचार के उद्देश्य एक सोझ के सम्बन्ध में दो मत हैं । सामने घोर माटिन माटि कुछ देगक प्रचार को आवश्यक रूप से बुरा समझते हैं और इसलिये वे उनको सार्वजनिक निष्ठा से निम्न मानते हैं । उनका यह मत है कि प्रचार की प्रकृति ही दूसरों को धोखा देना और अपने स्वार्थों की रक्षा करना है । किन्तु कुछ और लोग जैसे कि समर्थन, धारणाएँ और निरन्तर आदि समने तथा माटिन के मत को एक पक्षीय मत मानते हैं । उनके अनुसार प्रचार अच्छा भी हो सकता है तथा जन निष्ठा का एक साधन भी हो सकता है । इसके द्वारा जनता तक नये विचार पहुँचाये जा सकते हैं तथा यह उनके मानविक विकास का महत्वपूर्ण साधन भी हो सकता है । उनके अनुसार प्रचार यदि पक्षपात पूर्ण और स्वार्थी हितों के लिये नहीं है तो निष्ठा का एक महत्वपूर्ण साधन है ।

किन्तु साधारणतः प्रचार का उपयोग जनता के मनोवैज्ञानिक भावणु के लिये किया गया है । इसका उपयोग जनमत के निर्माण के लिये तथा जनता की इच्छा तथा महयोग को प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक हर्मों एवं सरकारों द्वारा किया गया है । प्रचार का जनमत के निर्माण-समय के रूप में उपयोग धार्मिक काम में ही हुआ है । किन्तु इसका सार्वजनिक शासन और जनमत के विचारधियों के लिये महत्व इसलिये हो गया है कि सर्वाधिकारी राज्यों द्वारा इसके उपयोग के कारण ही महत्वपूर्ण और ज्ञानिकारक परिणाम हुए हैं ।

यदि हम प्रचार का जन मस्तिष्क पर प्रभाव का परीक्षण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रचार की सर्वश्रेष्ठ विधि यह होगी कि जनता के मस्तिष्क में दूसरे पक्ष या राष्ट्र के प्रचार के विरुद्ध जनता के मस्तिष्क में एक भय उत्पन्न करदे। अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क में ऐसा भय इस प्रकार के प्रचार के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा और यह प्रतिक्रिया उस भय से आने वाले तमाम विचारों और समाचारों के विरुद्ध उन व्यक्तियों को अपने मस्तिष्क बन्द कर देने की बाध्य कर देगी। यह एक मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करेगा कि यदि हम दूसरे पक्ष की सुनेंगे तो हमारा मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षोभण होगा तथा हम अपने तथा अपने राष्ट्र के हितों को हानि पहुँचावेंगे। अधिकांश प्रचार विशेषज्ञ जनता के अन्ध-विश्वासों एवं भयों से लाभ उठाते हैं और उनको उस बात पर विश्वास करने को जिनमें कि वे उनको विश्वास कराना चाहते हैं बाध्य कर देते हैं। प्रायः ऐसी घटनाएँ या अवस्थाएँ उत्पन्न की जाती हैं जो कि एक विशेष प्रचार की सफलता के लिये आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के उद्देश्य से होती हैं।

प्रचार के लिए ऐसे नागरिक सर्वोत्तम हैं जिनका मस्तिष्क एकदम रिक्त हो या जो अपना कोई मत नहीं रखते हों। १९१४ में अमरीका के नागरिक प्रथम महायुद्ध की समस्या पर ऐसे ही नागरिक थे। वे मित्र राष्ट्रों तथा जर्मनी दोनों पक्षों के सम्बन्ध में समान रूप से अज्ञानो थे और वे इन दोनों के बीच में चुनाव करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। इसलिए ब्रिटेन के प्रचार विशेषज्ञ अमरीकन नागरिकों को अपने पक्ष की नैतिक श्रेष्ठता का विश्वास दिलाने में सफल हो गए। एटलांटिक समुद्र के तटों को बाट देने से वे जर्मन पक्ष के विचारों को अमरीका तक पहुँचाने से रोकने में सफल हो गए। ब्रिटेन का प्रचार प्रायः कल्पना की सीमा तक पहुँच जाता था किन्तु वह पूर्णतः अमरीकनो द्वारा स्वीकृत हो जाता था क्योंकि उनको न तो योरोपियन पृष्ठभूमि का कोई ज्ञान था और न योरोप की समस्याओं के सम्बन्ध में कोई पूर्व निश्चित विचार ही था। ब्रिटेन के प्रचार ने जर्मन लोगों को उनके समक्ष एक असम्य जनता के रूप में रखा जो कि किसी का आदर नहीं करते हैं और जो कि सम्यता के हर प्रकार प्रतीक को नष्ट करना चाहते हैं। यह कहना प्रतिशयोक्ति नहीं होगा कि ब्रिटेन द्वारा यह बाल्पनिक और झूठा प्रचार किसी सीमा तक अमरीका के प्रथम महायुद्ध में सम्मिलित होने के लिए तथा उस तकहीन, अन्यायपूर्ण और निर्मम सन्धि जिसे द्वारा युद्ध का अन्त हुआ, उत्तरदायी था।

शिक्षित अमरीकन नागरिक भी जिनको हम मानसिक रूप से विकसित मान सकते हैं ब्रिटेन के इस प्रचार के सहो रूप को समझ न सके। उन्होंने भी जर्मन, बर्बरता और निर्दयता की ऐसी बाल्पनिक बयानों को जैसी कि बर्लिन में युद्ध के अन्त के लिए वाटने की, आस में महिलाओं के रतन काटने की, कनाडियन सैनिकों को कीले ठोककर पानी पर टांग देने, पवित्र पवित्र स्थानों के विनाश करने की,

अन्तर्गम्य कानून की पूर्ण रूप से मंजूर करने आदि की कथारों पर बिना किसी तरह के विचार कर लिया। इसके हम यह ज्ञान कर सकते हैं कि एंग्लो घोर घरेलू के अधिकांश राष्ट्रों के नीचे और अधिकांश नागरिकों पर जिनका अधिक प्रभाव ही मरता है।

राज्य के द्वारा जनमत नियंत्रण का एक दूसरा महत्वपूर्ण मापन बाहर से आने वाले समाचारों पर रोक लगाता है। जहाँ प्रचार किसी विचार की निम्नतर पुनर्गति है वहाँ समाचारों पर यह रोक लगाने का मापन (censorship) उन विचारों को देना है यह कहना उचित नहीं है कि ज्ञान में आनन्द है या हम उस चीज में प्रभावित नहीं होते जिसको कि हम नहीं जानते। राज्य उन समाचारों पर रोक लगाता है जिसको कि वह जनाता तक पहुँचने नहीं देना चाहता है। किसी सीमा तक जनमत नियंत्रण के लिए समाचारों पर रोक प्रचार से भी अधिक महत्वपूर्ण है। समाचारों पर यह रोक केवल सरकार और उसकी मन्त्रियों द्वारा नहीं होती। यह निजी मन्त्रियों द्वारा निजी स्वयं भी इस मापन को काम में लाते हैं। जब समाचार पत्र पुराने के एक सदस्य में सफाई हो जाते हैं या केवल परीक्षक समाचार देने हैं तो यह रोक सरकारी निजी समाचारों पर रोक होती है। प्रायः समाचारों पर यह रोक लगाने में समाचार पत्रों का भी अभाव नहीं होता। यह रोक समाचारों की रोक से ही मरती है। या तो समाचारों को देने में मना किया जाता है या उनको किसी विशेष उद्देश्य में विरुद्ध रूप दिया जाता है।

जनमत इंगित इन सब बातों का एक विशाल गुणधर्म है। यह किसी व्यक्ति, देश का या दवायक आने वाले मनुष्य का या किसी बाहरी स्वार्थी हितों का मत ही मरता है किन्तु इसका यदि ठीक २ विवेकपूर्ण किया जाये तो यह कभी भी मनुष्य से या किसी भी जनता के अधिकांश सदस्यों का मत नहीं होता है। यह अधिकतर एक भावना है। जिसका आधार सामूहिक और ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि है। सामाजिक और सामूहिक रुढ़िवा, पलायन, मम, और धार्मिक हैं और इन सब बातों का प्रचार विवेक के द्वारा आने वाले स्वार्थों को पूरा करने के लिए उपयोग है। जनता में सम्बन्ध स्थापित करने के शक्तिशाली मापन प्रचार विवेक विरुद्ध ब नारे निर्माता आदि के द्वारा यह सम्भव है कि कुछ निजी मन्त्रियों भी आने लिए जनमत निर्माण में सक्षम हो जाए। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक जनता का मनोवैज्ञानिक मापन होना रहेगा और हमारा प्रजातन्त्र उन लोगों के हाथ में एक विनीता मात्र होगा जिनमें कि इन मापनों की नियंत्रण करने का प्राण करने की शक्ति होगी।

कल्याणकारी राज्य की समस्याएँ

राजनीति विज्ञान में समाज कल्याण के विचार का प्रादुर्भाव हाल ही में हुआ है। सन् १९५० ई० तक सामाजिक विज्ञान के विश्वकोष में कल्याणकारी राज्य शब्द बही नहीं दिखाई देते थे। कल्याणकारी राज्य की सजा उस राज्य को प्रपनाती है जो अपने सब नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर रखवाने के लिए उत्तरदायी समझे। देश में भ्रान्तरिक शान्ति रखने और बाहरी घातक्रमों से सुरक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के प्रतिरक्त राज्य के सब कार्य कल्याणकारी कार्यों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं। सब प्रकार की समाज सेवा, सुरक्षा, बेकारों को सहायता और वे सब धार्मिक नीतियाँ जो धन को समाज में उत्तम ढंग से अधिकाधिक समानता से बाँटने पर आधारित होती हैं, समाज कल्याण की गति विधियाँ ही कहलाती हैं।

कुछ ही समय पहले सेवा, निजी प्रपवा व्यक्तिगत सूत्रों जैसे परिवार, धार्मिक संस्थाएँ, दान तथा दयासु नागरिकों आदि पर निर्भर थी। सेंट टामस एक्विनास दान को शासकों का एक अनिवार्य कार्य मानते थे। परन्तु प्राचीन प्रपवा मध्यकाल में राज्य द्वारा अधिक समाज सेवा नहीं की जाती थी। आधुनिक युग के सूत्रपात और समाज सामन्ती से डचि से छूटने के साथ राज्य को नितान्त बनाय और निर्धन लोगों के साथ कुछ न कुछ करने को बाध्य होना पड़ा। ऐतिहासिक कालीन इंग्लैंड में, बेकारों को काम देने और बूढ़े अपाहिजों के लिये घरण गृह तथा बच्चों के अनायास्य स्थायी करने सम्बन्धी निर्धन कानून लागू करना पड़ा था। लेकिन इस प्रकार की समाज सेवा औद्योगिक क्रान्ति हो जाने के बाद कम करदी गई। सन् १८३४ का इंग्लैंड का निर्धन कानून स्पष्ट रूप से यह बताता था कि उसके अन्तर्गत सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों को दी जाय जो शास्य में निर्धन हो और जो सहायता दी जाये वह मजदूरों की सामान्य मजदूरी से कम न हो। यह नियम इसलिये बनाया गया था कि लोगों में अलस्य न फैले और वे जो न पुरायें।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक राज्य का सम्बन्ध केवल ऐसी सेवाओं के लिये जाने तक ही सीमित रहा जो केवल उसे स्थिर रखने के लिये आवश्यक थी। यह सम्बन्धों के पालन किया जाता तक थी। इस समय राज्य की निर्देशात्मक या पुलिस राज्य कहा जा सकता है। औद्योगिक प्रगति के साथ यह आवश्यक माना जाने लगा कि राज्य को धार्मिक क्षेत्र में अधिकाधिक हस्तक्षेप देना चाहिये क्योंकि यदा पूर्व रहने देने वाली नीति से दुखी और शोषण तथा लूट लूट व्यापक रूप से फैल चुकी थी। सामन्ती ढाँचे तथा परिवार प्रथा का टूटना और पूँजीवादी समाज में सामान्य वेतन स्तर स्थापित किया जाना, जिसके द्वारा प्रत्येक श्रमिक से अधिपतन काम लिया जा सके और बड़े जीवन भर अपने को धार्मिक रूप से अगुर्दास समझना रहे, जैसी परिस्थितियों ने व्यक्ति को राज्य की नीकरियों में अधिकाधिक निर्भर रहना गिरा दिया। इस प्रकार सक्रिय अथवा कल्याणकारी राज्य बीसवीं सदी के में अत्यन्त ही आवश्यक हो गया।

“यदा पूर्व स्थिति” वाली उदारता का सिद्धान्त अन्तिम निरक्षरों को, धर्मशिवन परिस्थितियों पर तथा धार्मिक और राजनीतिक जीवन की स्वयं मन्तवित होने वाली शक्तियों के समस्कारों पर छोड़ देता है। इसलिये उदारतावाद के इस युग को उद्देश्यों और मूल्यांकनों की सामूहिकता तथा जीवन की मुख्य समस्याओं के प्रति निर्देशात्मक नीति रखने वाला कहा जाता है। ‘यदापूर्व स्थिति’ वाली उदारता ने मननी के महत्त्व बिये जाने की नीति को निपटणना समझ लिया।”

(डाइरिजिबल आफ अवर टाइम पृ० ६-७ वालें मैनहोम का उद्धरण)

इस झूल ने निरक्षर ही मानवता के कष्टों को बहुत बढ़ा दिया और बीसवीं शताब्दी में प्रजातन्त्र के प्रति भयावह प्रतिश्रिया उत्पन्न की। उन देशों में जहाँ प्रजा-तांत्रिक परम्पराएँ शक्तिहीन थी और जहाँ अधिनायक जनता को विश्वास दिलाने में सफल हो गये कि प्रजातन्त्र में उनके दुख कभी दूर न हो सकेंगे, वहाँ फासिस्ट और साम्यवादी प्रवृत्तियाँ सक्षेप में बढ़ा जाय ली सब प्रकार के सर्वप्रतिमान, एकतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। यदि प्रजातन्त्र को जीवित रहना है तो उसे अन्तु स्थिति के नये-नये मूल्यांकन करने होंगे और सक्रिय कल्याणकारी राज्य को स्वीकार करना ही होगा।

मारसेट कोल ने इस दिशा में बीसवीं शताब्दी की विविध प्रगति को सक्षेप में इस प्रकार बताया है।

“(१) समाजवादी मोक्षदान मन्त्रराज्य साथ द्वारा अपने अन्तित्व के आरम्भ में ही सामाजिक सुरक्षा व अन्य सामाजिक कानूनों की संहिता को लागू करना, जो इस विमान क्षेत्र के अतिरिक्त निम्नो हुए भागों में चाहे

कितने ही समय में प्रभावशाली ढंग से क्रियाशील हो पाये हों, फिर भी सत्कार के सुधारका को इन उदाहरणों को देखने और समझने का अवसर प्रदान किया ।

- “(२) राष्ट्र सभ और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सभ द्वारा श्रमिकों के कार्य करने की अवधि तथा परिस्थितियों आदि की अन्तर्राष्ट्रीय नियमावली का लागू कराया जाना ।
- “(३) युद्ध के तुरन्त बाद ही ब्रिटेन के सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्र में बेकारी के विरुद्ध अनिवार्य धीमा योजना का चलाया जाना ।
- “(४) स्वीडन की सरकार द्वारा विशेष रूप से इस दृष्टिकोण का अपनाया जाना कि आर्थिक मन्दी के समय सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य जनता के घन से बेकारी दूर करने के उपाय होने चाहिये ।
- “(५) युद्ध के समय फ्रेंच सरकार द्वारा इस बात में अधिकाधिक रुचि रखना कि परिवारों की सहायता केवल पारिवारिक भत्ते देकर ही न की जावे वरन् बड़े-बड़े परिवारों के सरक्षकों को यथासंभव सम्पूर्ण प्रकार की सुविधायें दी जावें ।
- “(६) सम्भवतः सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्र सभ द्वारा यदि राजकीय सहायता के सिद्धान्त को नहीं तो आत्म निर्भरता के महान् आचार को क्रियात्मक रूप में परिवर्तित कर देना । मन् १९२९ के बाद की आर्थिक मन्दी और उससे छुटकारा पाने के लिये रुजवैल्ट की नई कार्यवाही द्वारा जो पग उठाये गये उनके फलस्वरूप एक स्तर निश्चित कर दिया गया कि अमेरिकी जीवन स्तर इस सोमा के नाँचे नहीं जाने दिया जायगा । यद्यपि बहुत से अमेरिकी नागरिक आज भी इस तथ्य को मानने से इन्कार करेगें कि वे एक कल्याणकारी राज्य में, जैसा कि आजकल ब्रिटेन में है, रहते हैं, फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि जितनी सामाजिक सुविधायें यहाँ उपलब्ध हैं और जितने लोग उनसे लाभ उठाते हैं वह किसी भी देश से अधिक कम नहीं है । और इन सबके साथ ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार द्वारा सन् १९४५-४६ ई० में बनाये गये कानूनों की श्रुतता तथा सन् १९४६ ई० का ब्रिटिश शिक्षा कानून जिसके द्वारा राज्य की समस्त संकेन्द्री शिक्षा निःशुल्क कर दी गई, और शामिल कर लेने चाहिये ।

(शोसल वेल्फेयर पृ० १३-१६)

मारशेट कोल द्वारा दी गई सूची में एक महत्वपूर्ण घटना जो रह गई है, वह भारत सरकार द्वारा वैधानिक जनतांत्रिक तरीकों से भारत में समाजवादी ढंग के

समाज की स्थापना करने का निश्चय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनवरी १९५१ ई० के अपने अध्याह्न प्रधिवेशन में भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य समाजवादी ढंग की समाज की स्थापना करना रखा। शक्ति पूर्ण तथा वैधानिक रीति से प्रजा-तांत्रिक समाजवाद भारत के बल्त्याणकारी राज्य में स्थापित किया जायगा।

सक्रिय या बल्त्याणकारी राज्य स्वभावतः अपनी गतिविधियों का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक सीमा तक बढ़ा देगा। राज्य द्वारा जितनी सेवाएँ की जायेंगी उतना ही राज्य कार्यों का विस्तार बढ़ता चला जायगा। इसी कारण राज्य की अधिकाधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। बल्त्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये अपरिमित धन की आवश्यकता होगी और यह बड़े से बड़े औद्योगिक राज्य के लिये भी संभव नहीं हो सकेगा कि वह सम्पूर्ण समाज बल्त्याण का ध्येय बहन कर सके। ब्रिटेन, जो कि बहुत औद्योगिक राष्ट्र माना जाता है अपने यहां की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का ध्येय नहीं उठा रहा और केवल आरोग्य और दांतों के इलाज की ही व्यवस्था करा पाया।

हर राज्य की आर्थिक शक्ति के स्रोत या तो कर व्यवस्था से और या राष्ट्रीय उद्योगों से माँगी श्रद्धा धन राशि जुमा करते हैं। परन्तु करो और श्रद्धा की भी एक सीमा होती है और राष्ट्रीयकरण आवश्यक प्रथम व्यवस्था करने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। ब्रिटेन के अनुभवों ने सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रीय उद्योगों की प्रवृत्ति घाटा उठाते रह कर चलने की हुमा करती है। इसलिए या तो हम राज्य में पूर्ण रूप से आर्थिक नियंत्रण लागू करें अन्यथा हम पूर्ण रूप से बल्त्याणकारी राज्य स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे।

ऐसा राज्य तभी सम्भव है जब उसमें उत्पादन केवल आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि में किया जाय, लाभ उठाने के दृष्टिकोण से न किया जाय। आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु किये गये उत्पादन से उपभोग की वस्तुओं की माँग मात्र की प्रवेष्टा संकटों मुक्त बढ जायेगी और तब हम राज्य से बेकारी को समूल नष्ट कर सकेंगे और जीवन स्तर को और अधिक ऊँचा उठा सकेंगे। परन्तु उपभोग के लिये किया गया उत्पादन उसी समाज में संभव है जहाँ केवल उत्पादन पर ही नहीं बल्कि वितरण पर भी पूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था हो। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस हम तब्य को उदा के लिये अक्षी तरह से समझ लें कि द्विविधा के साथ किये जाने वाले कार्य सभी सफल नहीं होते। किसी जुली आर्थिक व्यवस्था जैसी कोई बस्तु नहीं होती। या तो हम पूर्ण रूप से समाजवाद को स्वीकार करते अन्यथा बल्त्याणकारी राज्य के सम्बन्ध में कोई धर्ना करना ही छोड़ दें।

बल्त्याणकारी राज्य के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अपने नागरिकों को पूर्ण रूप से प्राज्ञीविका प्रदान करना भी होता है। यह तभी संभव है जबकि राज्य में सबको

प्राजीविवा प्रदान करने के दृष्टिकोण से उपलब्ध हो। कृत्रिम रूप से जीविका प्रदान करने के साधनों की व्यवस्था समस्या का बंधन भ्रष्टाचारी हल ही होता है। इस समस्या को सुलभाने के लिये हमें तीव्र औद्योगीकरण का सहारा लेना होगा और उत्पादन, उपभोग के दृष्टिकोण से ही करना होना जिनसे अपरिमित उत्पादन और जीविका प्राप्त हो सके। बेकारी नष्ट हो जाने पर बहुत सी राज्य की कल्याण सेवाओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और कल्याणकारी राज्य का व्यय भी बहुत कम हो जायगा।

भारत जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े या कृषिप्रधान राज्य कभी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सफल नहीं हो सकते जब तक कि वह औद्योगीकरण के सिद्धान्त की नीति पर न चलें जिसमें कि उत्पादन और तदनुसार जीविका के साधनों का बढ़ना सम्भव हो। यह औद्योगीकरण भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के निश्चित उद्देश्य से किया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित योजनाओं को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करके ही शीघ्रता पूर्वक स्थापित हो सकेगा। अतः हमें सुनियोजित प्रजातन्त्र को अपनी योजनायुक्त प्रगति के लिये स्वीकार करना होगा। हमारे लिये अपनी जनतांत्रिक प्रणाली के कुछ गुणों का पुनः मूल्यांकन करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रजातन्त्र को जीवित रहने के लिये अपने मूल्यों को फिर से सुधारना संवारना होगा।

“हमारे प्रजातन्त्र को यदि जीवित रहना है तो उसे फौजी ढंग अपनाना होगा ... यह फौजी ढंग केवल सामाजिक परिवर्तनों के लिए सर्वमान्य उचित तरीकों तथा उन आधारभूत गुणों और मूल्यों, जैसे भाई चारा, पारस्परिक सहयोग, निष्ठा, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, व्यक्तित्व का सम्मान आदि जो समाज व्यवस्था को शान्ति पूर्ण ढंग के चलते रहने के आधार हैं, की सुरक्षा के लिये होगा। नये फौजी अनुशासन वाला प्रजातन्त्र सामाजिक मूल्यों के प्रति नये दृष्टिकोण को उत्पन्न करेगा। यह पिछले युग के सापेक्षिक यथा पूर्व स्थिति रहने दिये जाने वाले सिद्धान्त से भिन्न होगा, क्योंकि इसमें कुछ उन आधारभूत सामाजिक मूल्यों से सहमत होने की क्षमता होगी जो हर व्यक्ति को स्वीकार होंगे जो पश्चिमी सभ्यता की परंपराओं में भाग लेता है।”

(बाइबेलीतिस थाफ़ सवर टाइम काल् मैनहीम पृ० ७)

हमें यह निश्चित रूप समझ लेना चाहिये कि वर्तमान प्रजातन्त्र पद्धति अपूर्ण है और उसे सम्पूर्ण रूप से संवारने और ठीक करने की आवश्यकता है। हमें इस राजनीतिक प्रजातन्त्र के साथ जो अभी अपूर्ण रूप से स्थापित है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना भी करनी है। वास्तव में सामाजिक और राज-

नतिक्रम प्रजातन्त्र बिना धार्मिक प्रजातन्त्र के केवल बलपना की वस्तु बन कर रह जायगा और कभी भी उपलब्ध न हो सकेगा । इसलिये धार्मिक प्रजातन्त्र की स्थापना इस युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और बल्थाणुकारी राज्य की स्थापना उसी दिशा में एक प्रयत्न है । दूसरा प्रयत्न साम्यवादी राज्य की स्थापना भी है ।

साम्यवादी राज्य सुनियोजित प्रगति द्वारा नई धार्मिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में विश्वास रखता है । यह सुनियोजित प्रगति अनिर्वाय रूप से राज्य की शक्ति का स्रोत बन कर कार्य करने तथा अपने में धार्मिक और सामाजिक शक्तियों को केन्द्रीभूत करने की आवश्यकता प्रदान करती है । ऐसे राज्य इस दिशा में इस कारण अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं कि वे इस सम्बन्ध में सब तर्कों, बितोष रूप से जन शक्ति और आवश्यक पदार्थों का सम्पूर्ण महयोग प्राप्त कर लेते हैं ।

“जोना कि प्रायः लोग सोचा करते हैं, धार्मिक कार्य राज्यों ने धनेक शायों में अधिष्ठान्तिपुण्णता केवल उनके धार्मिक मुख्यवर्धित तथा धन्यापुण्य प्रचार के कारण ही नहीं हो जाती बल्कि उनका इस तथ्य को सुरन्त हो सम्भ्रमना इसका कारण है कि समाज का जन समाज पर के एकान्त में बैठ कर बनाये गये उन नियमों में शामिल नहीं किया जा सकता जो मशीन युग से पहले के हस्तकला युग के लिए उचित थे । उनकी निपुणता का रीज इस तथ्य में निहित है कि इन सब प्राणियों में सामञ्जस्य स्थापित करके वे जनता के अधिकाधिक भाग को व्यस्त कर लेते हैं और उन पर वे मान्यताएँ, विश्वास और व्यवहार की प्रणालियाँ लाद देते हैं जो नागरिक की मूल प्रवृत्ति से मेल नहीं खाते ।”

(बाइब्लोसिस प्राक अवर टाइम कार्ल मैनहोइन पृ० ३)

इन सब नई प्रणालियों से साम्यवादी, जन समूहों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उनकी शक्ति को नये समाज के व्यवस्थापन में प्रयुक्त करते हैं । प्रजातन्त्र में ऐसा नहीं होता । धार्मिक प्रजातन्त्र और बल्थाणुकारी राज्य के साथ वही व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना पड़ता है । व्यक्ति को प्रजातन्त्र में एक निश्चित सीमा से अधिक न तो दबाया जा सकता है और न नियन्त्रित किया जा सकता है ।

इसलिये प्रत्येक प्रजातन्त्रीय राज्य के सामने, जो बल्थाणुकारी राज्य भी होना चाहता है, अपनी योजनाओं में शक्ति या समाजवाद की स्वतन्त्रता का स्वतन्त्र रूप से सम्भव बनाने का मुख्य कार्य है । इस सम्बन्ध में प्रोफेसर ई० एच० कार्ल कहते हैं कि—

“राजनैतिक और धार्मिक उद्देश्यों को मिलाने तथा प्रजातन्त्र और समाजवाद में सम्भव स्थापित करने का वही बड़ा कार्य है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के

पश्चात् ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोप के कुछ अन्य छोटे देशों को सामाजिक नीतियाँ प्रपनाने की ओर प्रेरित किया। राजनैतिक स्वतन्त्रता को समाजवादी योजनाओं के साथ रहने के प्रयत्नों की सम्भावना को दोनों पक्षों की ओर से चुनौती दी गई है। साम्यवादी यदि निश्चित और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से व्यवहार में इस स्वतन्त्रता के विरुद्ध हैं। इसी प्रकार वे रूढ़िवादी प्रजातन्त्रवादी भी इसके विरुद्ध हैं जिनके प्रजातन्त्रीय विचारों का आधार, अभी तक मंत्र और से त्याग गये तथा पिछड़े यथा 'पूर्व स्थिति' वाले सिद्धान्त पर है। दूसरी चुनौती को पाजकल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने बेकार कर दिया है क्योंकि वे लोग जो प्रजातन्त्र के साथ नियन्त्रित योजनाओं के चलाने जाने को पसंद नहीं करते, भले ही वे जनहित में हों, इन्हीं योजनाओं को युद्ध की तैयारियों के सम्बन्ध में बिना हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेते हैं। समाजवाद लाने की योजनाओं के साथ प्रजातन्त्र का सम्बन्ध एक कठिन कार्य है। भले ही यह देर में आरम्भ किया गया हो परन्तु यही एक ऐसा कार्य है जिससे भ्रम भी यदि युद्धों को रोका जा सके तो, प्रजातन्त्र को जीवित रखा जा सकेगा।

(न्यू सोसाइटी पृ० ३६)

उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि हमारे सामने दूसरा और कोई उपाय नहीं है। हमें नया समाज बनाने की तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए अपने को तैयार करना चाहिये साम्यवादी चुनौती का सामना करने के लिये नया समाज ऐसा होना चाहिये जिसमें सबका कल्याण एक ठोस सामाजिक उत्तरदायित्व मान लिया जाय और जिसमें एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जा सके। इस नये समाज के निर्माण का आवश्यक साधन सुनियोजित समाजवाद है।

हम सहमत हो चुके हैं कि सब राजनैतिक विचारधाराएँ एक सीमित रूप में ही क्रियान्वित हो सकती हैं और समाज में निरकुश तथा शाश्वत स्थिति में कभी नहीं रह सकती। स्वतन्त्रता भी निरकुश रूप में नहीं दी जा सकती, उसमें भी आवश्यक नियन्त्रण होना चाहिये ताकि सभी उसका लाभ उठा सकें। इसी प्रकार धार्मिक स्वतन्त्रता की भी सीमा होती है। यथा पूर्व स्थिति का सिद्धान्त निश्चित रूप से इसीलिये अनुबिधायक कि उसमें धार्मिक स्वतन्त्रता को एक निरकुश विचार समझ लिया गया था। राज्य द्वारा लागू किये गए नियन्त्रणों का जनहित में स्वागत किया जाना चाहिये। पर समस्या तो यह है कि यह नियन्त्रण कैसे लागू किये जायें। यदि हम धार्मिक आधार को जीवन में अधिक महत्व देते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिये हम जीवन के अन्य मूल्यों का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार हम अपने जीवन का सम्पूर्ण नियन्त्रण राज्य के हाथों में दे बैठते हैं ताकि हमें धार्मिक सुरक्षा और भौतिक सुख सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। जैसा कि बहुत से

प्रजातन्त्रवादी सोचते हैं, यदि हम मानले कि अन्य तरफ भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नैतिकता, जिसे हम बिलकुल भी बलिदान करने को तैयार नहीं हैं तो हम राज्य के हाथों में नियन्त्रण की समस्त शक्ति नहीं दे सकते ।

बिना नियन्त्रण की समस्त शक्ति के दिये हुये एक ऐसे योजनायुक्त समाज की स्थापना जिनमें सबके सामाजिक कल्याण की गारंटी दी जाती है अधिक समय लेगी और निश्चित रूप से ऐसे उद्देश्य के प्रति प्रगति बहुत धीमी और कठिन हो जायगी । जैसे कि इस नियन्त्रण के प्रारम्भ में बताया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में प्राधिक बोनस प्रचलान्तरण रूप से बढ़ जाता है जिसे इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़े हुए देश भी पूरी तरह नहीं सहन कर सकते । इसका केवल एक उपाय है और वह है उत्पादन का केवल उपयोग के लिये किया जाना । जिनके लिये राज्य को बहुत अधिक प्राधिक नियन्त्रण के अधिकार देने होंगे । परन्तु इस मार्ग के चलाने में भ्रमक की क्या आवश्यकता है ?

प्रजातन्त्रीय समाज में जहाँ सरकार शासित वर्गों की इच्छा से बनाई जाती है यह अधिकार भी शासित वर्गों को देना और उनका प्रयोग भी वैधानिक ढंग से ही किया जायगा । यदि इन अधिकारों का प्रयोग जनता को पराध नहीं है तो प्रगति चुनाव में ही सरकार को बदला जा सकता है । राजनीतिक सत्ताओं में बढ़ते परिवर्तन के साथ प्रजातन्त्रीय वैधानिक मूल द्वारा समाजवादी योजना के घाघात को सहन किया जा सकता है ।

इस प्रकार कल्याणकारी राज्य के सामने महत्वपूर्ण प्राधिक तथा समाजवाद की स्वतंत्रता के साथ सम्बन्धित करने की समस्याएँ हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की है । कुछ और भी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका हमें कल्याणकारी राज्य में सामना करना पड़ेगा । इनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या काम करने के लिये प्रेरणा प्राप्त करने की होगी । नये समाज में अधिको से अधिकतम उत्पादन कराने को कैसे प्रेरित किया जायगा ? अब तक हमारा यह अनुभव रहा है कि लोग राज्य सेवर होकर कार्य नहीं करते, क्योंकि अब उनमें व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेने कासा कोई नहीं रहता । नये समाज में कार्य कराने की प्रेरणा क्या होगी यह एक ऐसी समस्या है जिसका हम साधान नहीं । प्रो० ई० एच० कार का कहना है—

“प्राधिक घाघात से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन अपनी उलझनें प्रस्तुत कर रहा है । कल्याणकारी राज्य के घालोचकों का कहना है कि सामाजिक सुविधाओं से प्राप्त गुण और रहन-सहन का उँचा स्तर अधिक की मूलभूत और स्वतन्त्रता को कम करेगा । यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसमें सच्चाई है । उन्नीसवीं शताब्दी के उद्योगपति जिन मान से डरते थे, वह यह थी कि बहुत अधिक महापता व बहुत अधिक सम्पन्नता अधिक की प्रेषणाएँ अधिक

स्वतन्त्र य धारम निर्भर बना देगी और इसीलिए वह उद्योग के आवश्यक अनुशासन में बम रह पाएगा। आज वही डर सामने है। दूसरे विश्व युद्ध से पहिले यह कहा गया था कि श्रमिक सघों को जब यह पता लगा कि प्रम बेकारों की आधिक सहायता पहिले की भाँति इन सघों की अपनी निधि में से न होकर सार्वजनिक कोष में से होगी तो उनके भाव साय करने के हीसते बहुत बढ़ गये। कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को काम दिए जाने की सुविधा से श्रमिक में यह भावना भर जाती है कि प्रम उसे प्रत्येक दशा में लाभ ही लाभ है, हानि की तो कोई सभावना ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में वेतन दरो को ऊँचा होते जाने का रास्ता साफ कर देती है तथा ऐसे समय जब कि सामान्यतः वस्तुओं के मूल्य रतार ऊँचे उठ रहे हों और रहन-सहन के रतार पर दबाव बढ़ता जा रहा हो, इस प्रवृत्ति को रोकना असम्भव हो जाता है।”

(वि म्यू सोसाइटी पृ० ४८-४९)

कल्याणकारी राज्य के लिए सघगुच में यह एक गम्भीर खतरा है। ब्रिटेन के अनुभवों में यह सिद्ध किया है कि सामान्यतः राष्ट्रीय उद्योग पाटे में चलते हैं और ऐसे उद्योगों का राज्यकीय प्रबन्ध काम में निधिलता तथा ग्राहकों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक राष्ट्रीय उद्योग एकाधिपत्य व्यापार होता है और ग्राहक से 'लो चाहे मन लो' वाली नीति अपनाता है। हमें जन साधारण तथा राज्य अधिकारियों को कल्याणकारी राज्य की इस नई नीति के अनुसार ढालना और तिसाना होगा जिससे व्यक्ति की चेतना में 'वे कोमल भाव उभरें' जिनके द्वारा वह सामान्य और राज्य से एकात्म भाव रतार सके और अपने करीबियों की पूर्ति भी एक नई चेतना के साथ ही करे।

सतार की पहिली हुई तथा परतम उपनिवेशों के सामाजिक आर्थिक विकास में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके कार्य को 'सामाजिक कल्याण कार्य' शीर्षक के अन्तर्गत रखा जा सकता है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सतार में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सामाजिक कल्याण के कार्यों के क्षेत्र में बड़ी उन्नति की गई है तथा विश्व के राष्ट्रों ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है। विश्व स्वास्थ्य सघ तथा राष्ट्र सघ की शिक्षा संरक्षित तथा विज्ञान संस्था ने न केवल अपने को अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ की भाँति कुछ अन्तर्राष्ट्रीय रतार स्थिर करने तक ही सीमित रखा वरन् त्रिपारमक रूप से बम उन्नति राष्ट्रों को समाज कल्याण के लिये है टैक्सिबल व्यक्ति दिलाने, आर्थिक तथा राज समाज की सुविधाएँ दिलाने में बड़ी सहायता की है। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों से यह कार्य कुछ सीमा तक सीमित रूप में ही हो पाये है फिर भी इस सम्बन्ध में उन्होंने आरम्भ से ही बड़ा साराहनीय कार्य किया है इसमें कोई सन्देह नहीं।

एक ध्यान रखने की बात यह भी है कि समाज कल्याण के कार्यों पर किसी विशेष प्रकार की सरकार या सिद्धान्त विशेष का ही एकाधिकार नहीं है। यदि एक घोर समाजवादी सोवियत यूनियन है तो दूसरी घोर जैसा कि हम इस निबन्ध के पहिले भाग में ही बता चुके हैं, पूँजीवादी धमरीकी तप है। यह कार्य सम्बन्धित देश की सामान्य धर्म व्यवस्था का विचार किये बिना भी किये जाते रहे हैं। कदाचित् यह जान कर बहुतों को आश्चर्य होगा कि जर्मनी में यह 'घाइरन चांसलर' की सरकार का ही कार्य था कि उसने संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक रूप से सामाजिक बीमा योजना धाल कर दी ताकि 'सोशल डेमोक्रेट' प्रपन्ना प्रभाव न बढ़ाने पायें। फ्रांसिस्ट तानाशाही ने भी नागरिकों के राजनैतिक तथा अन्य अधिकार छीन कर बदले में उनके लिये बहुत सामाजिक सुविधाओं का सूत्रपात किया तथा प्रदान की। इसीलिये हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न कुछ परिस्थितियों के कारण बीसवीं शताब्दी में यह नितांत आवश्यक हो गया कि बहुत से राज्य समाज कल्याण की व्यवस्था करें। यह घोर यही कारण है कि आज कल्याणकारी राज्य की स्थापना एक स्थिर ध्येयता में आ चुकी है।

सत्रिय राज्य का विचार हमारे लिये विसकुल नया है। बहुत से सकीर्ण पन्वी धर्मवा रुढ़िवादी धर्मो भी इसे धरने दिमाग में बिठाने में असफल रहे हैं। यही कारण है कि फ्रान्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रजातन्त्र कल्याणकारी मये बढम उठाने में शिथिल घोर चौकन्ने रहते हैं। इसके पूर्व कि हम इस निबन्ध को समाप्त करें यह आवश्यक है कि हम उन कारणों घोर परिस्थितियों को समझ लें जिनके कारण राज्य के कार्यों में समाज कल्याण कार्य इतने सुतर रूप में जा सका।

सत्रिय राज्य का आन्दोलन पिछली टेढ़ शताब्दी पूर्व आरम्भ हुआ था। टॉम पेने, रीवट्ट घोवन तथा यूरोप के अन्य विचारकों ने पहली बार राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता तथा यथा पूर्व स्थिति रहने दिये जाने की असफलताओं घोर कुराहियों पर प्रकाश डाला। बाद में मार्क्स घोर एंग्ल्स भी राज्य की इस तकारात्मक तथा तटस्थ रहने की नीति पर किये गये आक्षेपों में सम्मिलित हो गये। पीछिन दशों की सहायतायें दिये गये उनके तकें निरन्तर ही अधिक मानवता घोर सहानुभूति से प्रोत्साहित थे। उनकी मुख्य माँग यह थी कि समाज को प्रियात्मक रूप में धरने सदस्यों की भलाई के लिये हस्तक्षेप करना चाहिये घोर कुछ न कुछ ध्येय ही करना चाहिये। वे सोच सामाजिक व राजनैतिक सहायों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कर्त्तव्य समझते थे कि अधिका जीवन स्थिति किये जाने के लिये आवश्यक साधन जुटाये जायें। लेकिन यह सब दार्शनिक विचार बहरे कालों पर पड़े घोर उनका कोई अधिक राजनैतिक प्रभाव नहीं हो सका।

उपरीसवी षतब्दी की चिन्तिता विज्ञान और विज्ञेय रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी विज्ञान की प्रगति ने भी राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सीमा बढ़ाने तथा छूत सन्नामक रोगों को फैलने से रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाये रखने में बहुत कार्य किया। इस प्रगति ने न केवल सफाई सम्बन्धी कानून बनवाने पर मजबूत किया बरन् गन्दी यस्तियों को हटाने और श्रमिकों के कार्य की दशा सुधारने के सम्बन्ध में भी बहुत काम कराया। यह भी पता लगा गया कि सार्वजनिक रूप से सफाई रखे जाने के सब कार्य प्रघर्षहीन हैं जब तक कि गन्दी यस्तियों को नहीं हटाया जाता और कारखानों में होने वाले कार्यों की दशा में सुधार नहीं किये जाते। अत्यधिक घनी गन्दी यस्तियों, हवा और प्रकाश के साधनों से हीन बारसाने, श्रमिकों के कार्य करने की शोचनीय परिस्थितियाँ ही मुख्य रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मृत्यु सख्या तथा बीमारियों के कारण थे। राज्य को इन परिस्थितियों को सुधारने के लिये हस्तक्षेप करने और कानून बनवाने पर मजबूत होना पड़ा। यही कार्य राज्य को समाज कल्याण के मार्ग पर ले जाने और उसका परिवर्तन एक निपेधारमक राज्य से सश्रिय राज्य में होना धारम्भ हो गया।

भौतिकीय प्रान्ति की प्रगति से उद्योगपतियों को विश्वास होगया कि कम से कम श्रमिक भी उद्योग के अत्यावश्यक साधन हैं और उनकी देख रेख की जानी चाहिये। बीमारी, यकायक दुर्घटना व श्रम विवाद आदि पूँजीपतियों के लिये भी हानि कारी हैं क्योंकि इनसे उत्पादन में हानि होती है। वे इसके द्वारा इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानवता पूर्ण इन इन्मानी साधनों को त्रियाशील रखा जाना चाहिये। यह समझ में आजाने पर उद्योगों में कुछ निजी कल्याणकारी संस्थाएँ स्थापित की गईं और काम की दशा में भी कुछ सुधार किये गये। बहुत से उद्योगपतियों ने अपने श्रमिकों को अवकाश तथा मनोरजन की सुविधाएँ देकर सन्तुष्ट रखना भी अपने हित में धमका।

प्रजातन्त्र के फलस्वरूप मताधिकार प्रसार से राज्य द्वारा समाज-सेवा के सिद्धान्त की स्थापना होगई। इससे निपेधारमक राज्य को सश्रिय राज्य में परिवर्तित होने में बड़ी सहायता मिली। मारशेट कोल ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

“विशुद्ध राजनैतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र का प्रभाव अर्थात् मताधिकार का प्रमणः प्रसार बहुत ही स्पष्ट हुआ है। यद्यपि यह प्रसार धीरे धीरे होने के प्रतिरिक्त, किसी प्रान्ति पूर्ण उथल पुथल के कारण नहीं हुआ। कभी कभी तो पूरा प्रभाव अनुभव करने में काफी समय लग गया है। प्रजातन्त्र के किसी भी प्रसार सदा जन साधारण की शिक्षा में वृद्धि की है जैसा कि स्वयं रोयटं लो ने सन् १८७० के ब्रिटेन में कहा है कि हमें कम से कम अपने मये स्वामियों को अपने पाठ सीखने के लिये शिक्षित करना चाहिये। समाज

कल्याण के विषय में व्यापक रूप से बहुत स्पष्ट होगया कि जैसे ही नये मताधिकार प्राप्त नागरिक अपनी मांगों को प्रभाव वाली ढंग से अनुभव कराने में समर्थ होमये उन्होंने अपनी सरकारों से सामाजिक सुरक्षा, जीवन के भय का व्यापारों से बचाव तथा असन्दिग्ध रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिये सहायता की मांग की। इसी प्रकार जैसे ही मतदाताओं की संख्या बढ़ती गई शासकों को बड़े सौगों के लिये पैंगन, काम से अपाहिज व्यक्तियों के लिये मुघावजा, बीमारी तथा बेकारी में सहायता, प्रारम्भिक स्तर के पत्रातृ शिक्षा में मदद, उद्योगों में निम्न स्तर के श्रमिकों तथा नौकरियों के बड़े क्षेत्र में ऐसे ही पिछड़े वर्गों की व्यवस्था, बिना किसी उरसाह और श्रमिक वर्गों को सिर चढ़ाने सम्बन्धी धावाजों के बीच करनी पड़ी और इस को उन्होंने इसे एक राजनैतिक आवश्यकता मान लिया।”

(सोशल संसकेयर पृ० २४-२५)

इस प्रकार अपनेकों की आवश्यकता पूर्ति, उचित सेवाओं की व्यवस्था, निपेष्ण-रमक राज्य का सत्रिय राज्य में परिवर्तन, यथा पूर्व स्थिति से मुनियोजित धर्म व्यवस्था की ओर भुकाव एक ऐसी राजनैतिक आवश्यकता है जिसे प्रजातांतीय सरकार टाल नहीं सकती। अधिनायकवाद तक में इस राजनैतिक आवश्यकता को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वे भी जनता की इच्छा से ही टिके रहते हैं मले ही यह इच्छा परोस हो या शक्ति के दबाव से ही।

संघवाद की समस्याएँ

इस नये युग में सघीय विधान का रूप बहुत प्रचलित है। शीघ्रगामी आवागमन के साधनों के आश्चर्यजनक आविष्कारों ने यह सभार बहुत छोटा सा रह गया है और अब आवश्यक होगया है कि अधिक बड़ी राजनैतिक इकाइयों का सृजन हो। यह इतिहास सिद्ध अनुभव है कि विशेष रूप से आवागमन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति के कारण राजनैतिक इकाइयाँ भी बड़ी होती हैं। जैट और घणु सम्बन्धी आविष्कारों से यह समय आगया है जब कि हमें सम्भोगता पूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना है कि सारे संसार की राजनैतिक रूप में समुक्त व्यवस्था होनी चाहिये। इस समस्या का हल केवल सघवाद ही दे सकता है और मार्ग प्रदर्शन कर सकता है।

राजनैतिक सघ की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि जनता में राजनैतिक चेतना और अनुभव हो। प्राचीन और मध्य कालीन सघों को केवल नाम की सजा दी जा सकती है उनको सघ के स्थान पर राज्य-महल कहना अधिक उपयुक्त होगा। वायदा का कहना है—

“यद्यपि सघ सभारों प्राचीन काल में भी थीं और प्राचीनतम सघ मरहार ई० पू० चौथी शती में स्वीगिया में नगरी द्वारा स्थापित की गई थी परन्तु यह प्राचीन सघ छोटे छोटे गण राज्यों के ऐसे मिले हुए दल थे जो अपने सम्मिलित सैनिक दल बनाए रखने के उद्देश्य से शायद ही प्रागे न बढ़ सके।”
इस प्रकार सघवाद वास्तव में विस्तृत नये स्वरूप में है।

जब एक से अधिक राज्य नई राजनैतिक इकाई बनाने को सम्मिलित होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने विभिन्न व्यक्तित्व एक इकाई में विलीन कर लेते हैं तो उसे संघ की सजा दी जाती है। दूसरे शब्दों में जब राज्य की एक ही सीमा में, एक ही जन समूह पर, दो सभारों साथ-साथ अस्तित्व रहता है तो वे एक सघ इकाई

का निर्माण करती हैं। यह कार्य दूसरी भाँति, यही राजनैतिक द्वाकादयो में विभाजित हो जाने से भी हो जाता है जिसके उदाहरण भारत और ब्रिटेन हैं। सभ का निर्माण इस प्रकार सन्धि और विच्छेद, दोनों प्रकार के कार्यों से होता है जो सभ निर्माण के समय सत्रिय केन्द्रीय मूल और शक्तियों पर निर्भर होता है। सभ निर्माण होने से पहिले की परिस्थितियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और सभिय द्वाकाई के ढाँचे पर प्रभाव डालती हैं।

वे राज्य जो सभ निर्माण में किसी सीमा तक अपने व्यक्तित्व को बिलीन करते हैं स्वभावतः इस बात के लिये बड़े उत्सुक रहते हैं कि सभ में उनका भावी स्थान व शक्ति सुरक्षित रहे। दूसरी ओर यह राज्य भी जो सभ बनाने के लिये छोटे राज्यों में विभाजित होता है अपने लिये यही चाहता है। इस प्रकार केन्द्रीय और विभाजित राज्यों के भावी सम्बन्ध मुख्यतः उन धारणाओं पर निर्भर करते हैं जो सभ निर्माण के पूर्व क्रियाशील रहती हैं। विकेन्द्रीयकरण की धारणाओं का अर्थ केन्द्र का निर्वल होना है जिसका फल सभ की निर्वलता हुआ करता है जब कि केन्द्रीयकरण की धारणाएँ एक शक्तिशाली केन्द्र और फलस्वरूप एक शक्तिशाली सभ का निर्माण करती हैं। यद्यपि यह स्थिति बाद में जबकि विधान बनता है, बदल भी जाती है परन्तु यह भविष्यवाणी करना कठिन होता है कि प्रारम्भिक विचारों का ऐसी दशा में क्या होगा। सभों में विधानों को पवित्र समझते माना जाता है और प्रायः उनमें परिवर्तन करना कठिन होता है। प्रोफेसर डायसी ने ठीक ही लिखा है—

“सभवाद का अर्थ राज्य के अधिकारों को अनेक सहयोगी संस्थाओं में जिनका जन्म और नियन्त्रण संविधान के अन्तर्गत होता है, बाँट देना है।”

संघात्मक और एकात्मक सरकारों में मुख्य अन्तर दो सरकारों की उपस्थिति और सह-अस्तित्व का होता है। एकात्मक रूप में प्रभुसत्ता केन्द्रित रहा करती है किन्तु संघात्मक रूप में यह बाँटी जाती है और विभाजित रहती है। अधिकारों का यह विभाजन राष्ट्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर हुआ करता है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता सम्पन्न होती है जिसके विषय में संविधान में स्पष्ट निर्देश रहता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सभ राज्य में संविधान का बहुत अधिक और विशेष महत्त्व होता है। यह विभिन्न सरकारों के क्षेत्र को सीमित कर देता है और इसी में सह-अस्तित्व के नियम भी रहते हैं। यह संविधान लिखित ही होना चाहिये। एकात्मक संविधान अलिखित हो सकता है क्योंकि इसमें केन्द्रीय और प्रांतीय सरकार के अधिकारों पर कोई विवाद नहीं उठता। इंग्लैंड जैसे देश में प्रभुसत्ता संसद में निहित है और उसकी यह प्रभुसत्ता कानूनी रूप में असीमित है। सभ राज्य में ऐसा नहीं हो सकता।

सविधान को जितना भी सम्भव हो स्पष्ट और अर्थपूर्ण होना चाहिये। शब्दों, वाक्यों या उपनियमों आदि की अस्पष्टता गभीर विवाद उत्पन्न कर सकती है जिससे न्यायपालिका को, जो राष्ट्रीय सविधान में सविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखती है, आवश्यक महत्ता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय सविधान प्रायः अपने निर्माण काल में ही भविष्य की सब समस्याओं को समझने और समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी बहुत सी ऐसी समस्याएँ रह जाती हैं जिनको केवल भविष्य ही गामने लाता है। ऐसी समस्याओं का साधन या तो समाधान में फेर बदल करके प्रथवा अवशेष अधिकारों के अन्तर्गत जो केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक सरकारों को प्राप्त होते हैं, कर लिया जाता है।

जैसे कोई भी समझौता बार-बार नहीं बदल सकता उसी प्रकार राष्ट्रीय सविधान की स्थिति होती है। बार-बार के परिवर्तन सभ की राजनैतिक स्थिरता को नष्ट कर देते हैं और सविधान के प्रति अनादर की भावना उत्पन्न कर देते हैं। इसे तो पवित्रतम दस्तावेज समझना चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो इन बार-बार के परिवर्तनों से बचना चाहिए। फिर कोई भी समझौता एक पक्ष की ओर से नहीं बदला जा सकता। न तो सभ सरकार और न प्रादेशिक सरकारें ही सविधान को बदल सकती हैं। इसलिये सविधान में परिवर्तन के लिये एक विशेष प्रक्रिया का निर्माण करना होता है जिसमें केन्द्रीय तथा प्रादेशिक दोनों प्रकार की सरकारों के दृष्टिकोण सुने जा सकें और सहमति प्राप्त की जा सके। इसलिये सभ राज्य में सविधान परिवर्तन की प्रिया सामान्य कानूनों के बनाने की प्रिया होती है। इसी कारण से राष्ट्रीय सविधान को स्तित्त और अटिल रूप का होना आवश्यक है। यह इस तथ्य से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है कि पिछले १६६ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान अपने आदि काल से अब तक केवल सात बार ही यथार्थ में बदला गया है जब कि इंग्लैण्ड में २१०० से अधिक प्रस्ताव इस हेतु प्रस्तुत किये गये थे।

चूँकि संघवाद में दो सरकारों का सह-अस्तित्व उन्हीं नागरिकों पर एक ही समय में निहित है इसलिये यह नागरिक दुहरे प्रकार के अधिकारियों की आज्ञा पालन को तथा दुहरे कानूनों का पालन करने व केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से दुहरे प्रकार के कर देने की बाध्य हैं। कुछ सभ राज्यों में जहाँ विवेकीयकरण द्वारा सभ की स्थापना हुई है वहाँ दुहरी नागरिकता भी है। यह दो सरकारों के सह अस्तित्व का स्वाभाविक परिणाम है।

इस प्रकार हम प्रोपेसर के० सी० गिह्यर के शब्दों में सभ सरकार को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं—

“संघ सरकार की मैं जो परीक्षा किया करता हूँ वह इस प्रकार है कि क्या किसी सरकार विशेष में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों में अधिकारों का

स्पष्ट विभाजन है और क्या वे अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से सहयोग करते हुए भी परस्पर स्वतंत्र हैं। यदि ऐसा है तो वह सरकार सय सरकार है। यह समुचित नहीं है कि सघीय सिद्धान्त किसी देश के लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से दिये गये हों। भले ही इसका महत्व हो परन्तु अवश्य ही इसकी कोई गारंटी नहीं कि सघीय सरकार की प्रणाली सश्रिय हो ही जायगी। वास्तव में इस समस्या को निश्चित करने वाली चीज इस प्रणाली का प्रचलित होना है। इसीलिये मैंने सघीय संविधान और सय सरकारों के बीच अंतर पाया है। और अंत में मैंने उन संविधानों या सरकारों के लिये प्रथम नाम रखना उचित समझा जिनमें सघीय सिद्धान्त यदि पूर्णतः स्पष्ट नहीं है तो कम महत्व के भी नहीं हैं, इनमें मैंने अर्द्ध सघीय संविधान या अर्द्ध सघीय सरकारों की संज्ञा दी है।"

(कॉन्ट्रोल बर्नमेन्ट पृ० ३२-३३)

सामान्यतः एक प्रश्न पूछा जाता है कि सघ में प्रभुसत्ता कहाँ निहित रहती है? प्रभुसत्ता के स्थान के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त स्पष्ट रूप से माने गये हैं।

(अ) सघ में सदा जनता की प्रत्यक्ष व परोक्ष स्वीकृति रहा करती है। यह सघ का राष्ट्रवादी सिद्धान्त है।

(ब) सघ की स्थापना से पहले राज्य प्रभुसत्ता संपन्न और स्वतंत्र थे और उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता का कुछ भाग अपने पारस्परिक हितों के लिये त्यागना स्वीकार कर लिया। वे सघ में तब तक रहेंगे जब तक उनके वे हित जिनके लिये उन्होंने सघ का निर्माण किया और उसमें सम्मिलित हुए थी रखा होती है। यदि किसी समय उनके हितों की हानि पट्टवनी है तो वे असह्य हो जायेंगे और अपनी प्रभुसत्ता के लिये हुए भाग को वापिस प्राप्त कर लेंगे। इस सिद्धान्त के कारण प्रभुसत्ता राज्यों में निहित है। यह सिद्धान्त राज्य अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त कहलाता है। इसके अनुसार प्रादेशिक राज्य सघ से किसी भी समय अलग हो सकते हैं यदि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि अब सघ में बने रहना उनके हितों में नहीं है।

(ग) इस सिद्धान्त के प्रवक्ताओं का कहना है कि प्रभुसत्ता परिवर्तन करने वाली शक्ति में निहित रहती है। इस सिद्धान्त को मानना कठिन है। सब सघ राज्यों में कोई उभय पक्षीय परिवर्तन कराने के अधिकार वाली शक्ति नहीं होती है और इस कारण प्रभुसत्ता विभिन्न सघ राज्यों में विभिन्न स्थानों में मानी जाय, यह असंभव है।

अमेरिका के संयुक्त राज्य में अन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवादी सिद्धान्त के तथा राज्य अधिकार सिद्धान्त के प्रवक्ताओं में एक बड़ा विवाद उठ उठा हुआ। डेनियल वेल्मिंटर व जीर्ज सी० वास्कून् में जो प्रमणः इन सिद्धान्तों के प्रवक्ता थे अपने अपने सिद्धान्तों के गुणों पर वाद-विवाद हुआ। सेबिल अतिथि निर्णय इन दोनों पक्षों में तो केवल दूनी गूढ गुढ द्वारा ही करवाया था। गुमांभी प्रथा के प्रश्न पर दक्षिणी राज्यों में

सघ से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और उनके इस कार्य का राष्ट्रवादी विद्वान्त के प्रतिपादकों ने जो सघ को भविष्य और प्रमर मानते थे, विरोध किया। सघवादियों की विजय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने सघवादियों के दृष्टिकोण को शक्ति प्रदान की।

सघवाद केवल प्रजातांत्रिक वायुमंडल में ही पनप सकता है। इसमें अल्पमतों के, राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा अधिकारों को जिनसे सघों के स्वरूप को आधार प्राप्त होता है, मान्यता प्रदान की जाती है। सोवियत सघ ने जातिगत, सांस्कृतिक, और विभिन्न भाषा भाषी अल्पमतों को सम्पूर्ण स्वाधिकार देने के लिये एक जटिल सविधान को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त भी की है। प्रत्येक सघीय सविधान में अधिकारों का विभाजन होता है। अधिकारों का यह विभाजन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उनका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत रूप से दिया हुआ होना चाहिए। साधारणतः वे अधिकार जिनका क्षेत्र राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण होता है केन्द्र को दे दिए जाते हैं, जैसे वैदेशिक कार्य, सुरक्षा, परिवहन, मुद्रा, विदेशों से व्यापार आदि। जबकि स्थानीय क्षेत्र और महत्व के विषय जैसे शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य सत्याएँ, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि प्रादेशिक सरकारों को दे दिए जाते हैं। बरों के क्षेत्र में केन्द्र को कर लगाने के अत्यल्प स्रोत दे दिए जाते हैं जब कि प्रादेशिक सरकारों के पास उनके अत्यल्प स्रोत रहते हैं। सविधान को दोनों प्रकार की सरकारों को अनावश्यक न्याय सम्बन्धी विवादों से बचाने के लिए, स्पष्ट रूप से उनके कार्य क्षेत्र निर्दिष्ट कर देने चाहिए। भविष्य की आवश्यकताएँ देखते हुए अवशेष अधिकार सघ बनने की परिस्थितियों के अनुसार केन्द्र या प्रादेशिक सरकारों को दे दिए जाते हैं।

इतना सावधानी के साथ अधिकार विभाजन करने पर भी कभी-कभी अधिकारों का सघर्ष हो ही जाता है। वैदेशिक विषयों और सन्धि करने के अधिकार प्रायः केन्द्रीय सरकार में निहित रहते हैं। सधि उन विषयों के अन्तर्गत भी की जा सकती है जो अब केवल प्रादेशिक सरकारों के ही विषय हों। सधि विषयक समझौते का परिपालन केन्द्रीय सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है जब कि हो सकता है कि उसे ऐसा करने के लिए अवशेष अधिकार प्राप्त न हो। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदाहरण देखने पर हमें पता चलता है कि सविधान ने अनुच्छेद ६ के अनुसार सधि करने सम्बन्धी अधिकारों का परिपालन होता है, जिसमें कहा गया है कि—

“संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का यह सविधान और इसके कानून जो इस सम्बन्ध में बनाये जायेंगे, वे सब सन्धियाँ जो संयुक्त अमेरिका के अधिकार से की जा चुकी हैं और भविष्य में की जायेंगी, इस देश के सर्वोच्च कानून माने जायेंगे और इस सघ के न्यायाधीश सविधान में तथा राज्यों के कानून में चाहे जो कुछ हो उनसे बाध्य होंगे।”

यह नियम इस प्रकार समुक्त राष्ट्र अमेरिका की केन्द्रीय सरकार को बहुत व्यापक सन्धि विषयक अधिकार देता है। इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी सन् १६६६ ई० में ठीक होने की मान्यता देकर बनाम हिल्टन में प्रदान की और यही दृष्टिकोण रखा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि—

“सन्धि, देश का, प्रर्षात् समुक्त राष्ट्र अमेरिका का, यदि राज्यों का किसी राज्य की संसद या कोई कानून उसके मार्ग में बाधा बनकर आ जाता है, सर्वोच्च कानून नहीं हो सकती। यदि किसी राज्य का विधान जो उस राज्य का निरिच्छल कानून और संसद से ऊँची शक्ति है सन्धि के सामने घण्टक हो जाता है और भुंका जाता है तो क्या यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या इस प्रकार एक राष्ट्रीय विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कम शक्ति वाले कानून की इस श्रिया द्वारा समाप्ति नहीं हो जाती है? समुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनता की यह घोषित इच्छा है कि वह प्रत्येक सन्धि जो यह संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार द्वारा किया करता है, प्रादेशिक राज्य के विधान और कानून से ऊँचा माना जायगा और इस सम्बन्ध में केवल जनता की इच्छा ही इसका निर्णय करने में समर्थ मानी जायगी। यदि ऐसा न हो तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक छोटा भू-भाग सम्पूर्ण राष्ट्र की इच्छा को दबा देगा।”

उपर्युक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से बता देता है कि अधिकारों का सम्पूर्ण विभाजन कबले एक ही उपनिषद से ही सम्पादित हो सकता है। इसलिये संधि में अधिकारों के विभाजन की अच्छी प्रकार से समझने के लिये सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। साधारणतः यह होता है कि एक सरकार के कुछ अधिकार दूसरी के अधिकारों पर या तो छा जाते हैं और या उन्हें समाप्त कर देते हैं। दोनों दलों की शक्ति का ठीक-ठीक अनुमान लगाने के लिये यह जानना आवश्यक है कि विशेष अधिकार किस के पास हैं। इसे अधिकारों की रान बहना उचित है और सामान्यतया जिस सरकार को यह प्राप्त होते हैं वह दूसरी से घाते चढ़ जाती है।

न्याय का यह दृढ़ सिद्धान्त है कि विवादग्रस्त पक्ष न्यायाधीश का पद नहीं ले सकता। दो सरकारों में विवाद पैदा होने पर उनमें से कोई भी केन्द्रीय या प्रादेशिक प्रपना फंताला दूसरी पर सादने का अधिकार नहीं ले सकती और न किसी आश्रित प्रपवा सहकारी सत्ता या अधिकारीवर्ग की शैवधानिक विवादों को तय करने के अधिकार दिये जा सकते हैं। संधि में प्रायः एक तीसरा दल जो दोनों सरकारों से स्वतन्त्र होता है और अपनी अधिकार सीमा संविधान से ही प्राप्त करता है, नियुक्त किया जाता है। इसे साथ न्यायपालिका कहते हैं। संधि में इसे एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि इसे मुख्य विशेष कार्य करने होते हैं। यह संविधान के संरक्षण की हेतियत से कार्य करती है और केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकार द्वारा संविधान को

तोड़ने के कार्यों को सविधान के विरुद्ध घोषित कर देती है और इस प्रकार उनके इस कार्य को समाप्त कर देती है। यह सविधान की व्याख्या भी करती है जबकि विवाद किसी शब्द, वाक्य या नियम के अर्थों के सम्बन्ध में उठ सड़ा होता है।

इन दोनों में से किसी प्रकार की सरकार द्वारा सविधान को किसी भी सम्भव अतिक्रमण से बचाने के लिये इसे न्याय और निगरानी के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। कोई कानून या केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक सरकार की आज्ञा यदि न्याय पालिका के सामने रखी जायगी तो वह उसके वैधानिक रूप का विश्लेषण करेगी। न्यायालय इस सम्पूर्ण कानून पर विचार करेगी और उसके उन भागों को जो सविधान के विपरीत लक्षित होते हैं अवैधानिक घोषित करके उनको समाप्त कर देगी। इसके पश्चात् कोई न्यायालय उन नियमों का परिपालन नहीं करा सकेगा। न्यायपालिका इस प्रकार सभ के दोनों पक्षों के बीच में एक पक्ष का कार्य करती है।

उन तत्वों में जिन्होंने सभ की स्थापना और विकास में सहयोग दिया है, भौगोलिक एकता ने बहुत बड़ा कार्य किया है। केवल वही राज्य प्रायः सभ बना सकते हैं जो भौगोलिक रूप से एक हो। वे राज्य जो एक दूसरे से एक लम्बी दूरी पर स्थापित हो, सफलतापूर्वक एक सभ में बद्ध नहीं हो सकते। यह भौगोलिक एकता ही है जिसने अमेरिका के तरह उपनिवेशों और आस्ट्रेलिया के छह राज्यों को सभ बनाने में योग दिया।

कभी किसी शक्तिशाली या अत्याचारी पड़ोसी देश या किसी साम्राज्यवादी शक्ति के आक्रमण के इरादे भी सभवाद की स्थापना में योग देते हैं। जितनी बड़ी एक राजनैतिक इकाई होगी उतना ही आज़ की शक्ति प्रभूत राजनीति में उसके अधिकार जीवित रहने की सम्भावना है। यह बढ़ती हुई जर्मन जल शक्ति का ही प्रभाव था, जिससे आस्ट्रेलिया में सघीय एकता शीघ्र ही हो गई और विरोधियों को सभ निर्माण की इस सभ योजना से शान्त हो जाना पड़ा।

आर्थिक तथ्य भी इस एकीकरण के बहुत बड़ा कारण हैं। बड़े राज्य छोटे राज्यों के सामने औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि के अधिक उत्तम अवसर प्रदान कर सकते हैं। मुद्रा, नाप के पैमाने, तोल के बाँट, और ऐसी ही दूसरी सुविधाओं का एक सा होना, व्यापार और अर्थनीति का विकास करता है। सो-सो मील जैसी छोड़ी-छोड़ी सी दूरी पर चुँगी जैसी प्रसुविधायें इन बड़े राजनैतिक इकाइयों में नहीं होती। मध्य युग में हैन्सीयाटिक सभ केवल व्यापारिक कार्यों के लिये बनी थी। समुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में सभ स्थापित होने के लिये यही तथ्य मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।

अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में छोटी राजनैतिक इकाइयों हानि में रहती हैं। उनकी आवाज़ सभ की अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में प्रायः अनसुनी कर दी जाती है और

बड़ी शक्तियाँ उनके अधिकारों को घेकिमक होकर कुपल कातती हैं। मैक्सिको और समुक्तराष्ट्र अमेरिका में कंते गमानता ही सक्ती है यह बात टिमी के ध्यान में नहीं था सक्ती। यह राजनैतिक तथ्य भी सधों के निर्माण के लिये प्रेरक रहा है।

साधवाद ने जाति, भाषा और संस्कृति की समस्याओं का भी हल कर दिया है। जाति और भाषा विषयक जन समूह संध का निर्माण करा सक्ती है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजनैतिक इकाई ने विभिन्न जातियों का जिनमें भाषाई सांस्कृतिक और धार्मिक अन्तर हैं वा एकीकरण किया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संधवाद ने कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश, स्विटजरलैंड में, जर्मन, इटैलियन और फ्रेंच, दक्षिणी अफ्रीका में डच और इंग्लिश तथा सोवियत संध में एक दर्जन से भी अधिक भाषाएँ बोलने वाली जनता को समुक्त कर दिया है। ऐसी समस्याओं की गुणमाने के लिये साधवाद के रूप को ही सुझाया जाता है।

प्रोफेसर डायसी तथा कुछ लेखकों ने राष्ट्रीय इकाई को एक निर्वंन सरकार माना है। उनके अनुसार इससे प्रभुता का विभाजन हो जाता है, राज्य भक्ति दुहरी हो जाती है और चूंकि यह एक आपसी समझौते का परिणाम होता है इसलिये इसका सरकार एकात्मक सरकार की अपेक्षा निर्वंन होती है। प्रोफेसर डायसी ने स्विस सोन्डरबन्द और अमेरिकी प्रसगाव के उदाहरण दिये हैं। प्रो० डायसी संध सरकार की निम्न निर्वंनताएँ प्रस्तुत करते हैं—

“संध सरकार का अर्थ एक निर्वंन सरकार होना हैसंधवाद रुढ़िवाद पैदा करता है.....संधवाद का अर्थ अन्त में कानूनवाद होना है अर्थात् सम्बिधान में ग्माय व्यवस्था की प्रधानता—सोवो में कानूनी भावना का प्रादुर्भाव हो जाना।”

किन्तु यह स्पष्ट नहीं होना कि हम संध सरकार को निर्वंन प्रकार की सरकार कैसे कह सक्ती है। किसी देश में संधवाद के कारण राजनैतिक अस्थिरता नहीं हो पाई जो यह गिद्ध करती है कि संधवाद एक निर्वंन अण्यन है। अमेरिकी प्रसगाव कुछ तथ्यों के कारण सम्भव हुआ जो दस संध के निर्माण के आरम्भ से ही मत्रिय थे और तब से संध सरकार अपने गृह तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हड़ना से जमी हुई है। राष्ट्रीय संबिधानों और सरकारों में भी बहुत जोध परिवर्तन नहीं हुए हैं। अस्थिर तो एकात्मक सरकारें भी हो सक्ती हैं जैसे कि फ्रांस तथा अटिन अमेरिका में स्पष्ट उदाहरण हैं। संधवाद अस्थिरता या निर्वंनता नहीं पैदा करता परन्तु वह तो अस्थिरता अन्य समस्याओं को गुलना देता है, जैसे कि कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश भाषी जनता का साथ रहना सम्भव हो गया।

साधवाद का अविष्य सुनिश्चित और जानदार है। संधों की संख्या बढ़ती जा रही है और निश्च अविष्य में यदि यही परिस्थितियाँ रही तो प्रादेशिक व अंतर्राष्ट्रीय

सघ बनने सम्भव हो जायेंगे । यह समझ लेना महत्वपूर्ण होगा कि प्राज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में निकट भविष्य में ऐसे सघों के निर्माण की अधिक आशा नहीं की जा सकती । लीग और संयुक्त राष्ट्रसंघ अर्द्धसघ भी नहीं कहे जा सकते । वैज्ञानिक प्रगति ने ससार की दूरी को बहुत कम कर दिया है । लेकिन इस दिशा में मनोवैज्ञानिक विकास अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया है । कदाचित् अभी कुछ शताब्दियों तक राष्ट्रियता एक शक्तिशाली शक्ति बनी रहेगी और विश्व सघ के निर्माण का प्रश्न तब तक घटका रहेगा ।

विश्व सघ के निर्माण की दिशा में एक पग तो अभी मन् १९१६ व १९४५ ई० की अन्तर्राष्ट्रीय संधियों जो अर्द्धसघ जैसी स्थिति से किसी सीमा तक मिलती-जुलती हैं, बनाकर उठा ही लिया गया है । बाली घटावों तक में प्रशासकीय शीघ्र रेखा दृष्टा करती है । यह प्रादेशिक संधियों यद्यपि विश्वशांति के लिए भय है फिर भी प्रादेशिक सहयोग के लिये आवश्यक, मनोवैज्ञानिक चेतना उत्पन्न करने के साधन तो हैं ही जिनके बिना विभिन्न प्रदेशों के राष्ट्र शांति बाल में अपने सौम्य और आर्थिक स्रोतों के विलोनीकरण जैसा कदम उठाने में सहायोग नहीं दे सकते ।

संधवाद को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी आन्तरिक समस्याओं का हल निकालने और विभिन्न राष्ट्रियताओं में मेल स्थापित करने के लिये भी अपनाया जा रहा है । संयुक्त अरब गणराज्य—मिश्र और सीरिया का राजनैतिक विलोनीकरण इसका एक नया उदाहरण है । हमें आशा रखनी चाहिये कि यह दशा बनी रहेगी और एक या दो दशाब्दियों के अन्त में हम प्रादेशिक अथवा महाद्वीपीय सघों का निर्माण देख सकेंगे । केवल यही परिवर्तन असन्दिग्ध रूप से विश्व शांति स्थापित करने में सहायक हो सकेंगे ।

के लिए नितान्त आवश्यक समझे गए है। यह आदर्श उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत से देशों में प्राप्त कर लिये गये। प्रो० सौदाइन ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

“यह आदर्श, नागरिक स्वतन्त्रता, विचार, भाषण व सम्मेलनों की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक मत द्वारा राजनीतिक सत्ताओं का नियंत्रण में सम्मिलित है। प्रत्येक स्थान पर यह आदर्श क्रियात्मक रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं जब कि वैधानिक रूप में सरकारों का निर्णय हो, सरकारें कानूनी मर्यादा का उल्लंघन न करें, राजनीतिक सत्ता का केन्द्र सांसदीय प्रतिनिधियों में निहित रहे और सरकार की सब शाखाएँ देश की जन सत्ता के समस्त वयस्क मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हों। यह आदर्श और इस प्रकार की राजनीतिक संस्था जो इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निर्मित हों प्राकृतिक अधिकारों के नाम पर सुरक्षित रखी गई अपनी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निरन्तर बढ़ती रही और यही उन्नीसवीं शताब्दी के उदारवाद की उपलब्धियाँ हैं।”

(हिस्ट्री ऑफ गोलिटिकल थ्योरी पृ० ५६०)

आधुनिक उदार विचारधारा का महत्वपूर्ण रूप सरकार निर्माण की क्रिया में भाग लेने में विश्वास रखना है जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व के उच्चतम विकास को प्राप्त करने के लिये आवश्यक साधन है। यह विचारधारा नये राजनीतिक सिद्धान्त का इतना परिणाम नहीं थी जितना कि नई परिस्थितियों का परिणाम थी। पुराने वर्ग भेद और पुरानी समस्याएँ औद्योगिक क्रान्ति के आगमन को सहन नहीं कर सकी और इसलिये बिलडन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। उन्नीसवीं शताब्दी के वर्ग हितों को, विशेष रूप से उठते हुए नये मध्य वर्ग के हितों को नहीं रोका जा सका। इसलिये मध्यवर्ग को अपने वर्ग हितों को सन्तुष्ट करने के लिये वर्गगत संस्थाओं से सांसदीय सरकार और जन प्रतिनिधियों के पक्ष में अपने विश्वास को हटाना पड़ा।

चेतना के इस युग के विचारकों ने सोचा कि एक बार यदि स्वतन्त्र व्यापारिक मंडियों की स्थापना हो जाय तब व्यक्ति की स्वतन्त्रता निश्चित हो जायगी। औद्योगिक क्रान्ति के बाद के समय में यह मान्यता असत्य सिद्ध हुई। वाटकिन्स लिखता है—

“स्वतन्त्र प्रतियोगिता इस मान्यता पर निर्भर है कि सब लोग अपनी योग्यता और प्रयत्नों के अनुपात में प्रतियोगी सफलता के लिये समान अवसर प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक और औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनों में जब कि सीमित साधनों वाले लोगों ने अपना निजी व्यापार स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान समझा, यह मान्यता मध्यवर्ग के दृष्टिकोण से उचित और यथार्थ ही थी। लेकिन जैसे-जैसे औद्योगिक प्रगति द्वारा पूँजी अधिकाधिक मात्रा में एकत्रित होती गई तो कम और मध्यवर्गीय आर्थिक साधनों वाले व्यक्तियों के लिये

पनी प्रतियोगियों के मुद्दाविषे में प्रतियोगिता करके घपना अधिकाधिक बढित होता गया। औद्योगिक और व्यापारिक एकाधिकारों (मोनोपली) का स्वतन्त्र मंडियों के माध्यम निम्नत्रण हो गया। मध्यवर्ग के बहुमत को इस नये ज्ञान की प्राप्ति मूल मरीचिका मान बनकर रह गई। व्यावहारिक रूप में यह स्वतन्त्र मंडियाँ केवल पीछे से पुराने व्यापारियों को छोड़ केव समयको प्रपत्ता आर्थिक विकास करने के लिये मार्ग के रोडबन गईं। अथवा सामाजिक दलों के प्रतिनिधियों को अपेक्षा इनके लिये भी यह मंडियाँ पारस्परिक हितों में स्वाभाविक सामंजस्य स्थापित करने में कम सफल नहीं रही।"

(पोलिटिकल ट्रेडिशन प्रॉफेसर चैप्टर पृ० २४५)

इस कारण मध्य वर्ग को अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये राजनीति में भाग लेने को बाध्य होना पड़ा। स्वतन्त्र मंडियों के इन दोषों को दूर करने के लिये विधान मंडली का हस्तक्षेप करना आवश्यक था और उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मध्यवर्ग का जनमत इसकी माँग करने लगा। उम समय के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जर्मनी जैसे देशों में उद्योगपतियों ने यह समझ लिया वे खुली स्वतन्त्र मंडी में नहीं पनप सकन इसलिए उन्हें श्रमी श्रेणों द्वारा अपने को बचाये जाने के लिये शोर करना प्रारम्भ कर दिया। छोटे उद्योगपतियों ने अपने बचाव के लिये बड़े उद्योगपतियों द्वारा किये गये लगभग एकाधिकार निम्नत्रण के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी प्रारम्भ कर दी। अब भी यह उगों पुराने उदारवादी सिद्धान्त को माने जा रहे थे कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता ही किसी समाज के सशोभित आचार को बनाये रखने के लिये सर्वोत्तम है। उन्हें प्रतियोगिता की गहरी परिस्थितियाँ बनाये रखने के लिये राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने और निश्चित राजनीतिक कार्यों करने के पक्ष में भुङ्गना पड़ा।

नगरो और ग्रामों की जनसंख्या के आर्थिक हित उन्नीसवीं शताब्दी में टकराने प्रारम्भ हो गये, क्योंकि नगरो के उत्पादक स्वतन्त्र व्यापार चाहते थे ताकि उन्हें लाभ सामग्री सस्ते भाँवों पर मुलभ हो सके और कृषि के हित श्रमी श्रेणों द्वारा अपने को बचाना चाहते थे। स्वतन्त्र मंडियाँ अब हितों या स्वाभाविक सामंजस्य बनाये रखन में सफल न हो सकी। वाटकिनस इन सम्बन्ध में लिखता है—

"रिचार्डों, जो कि अपने समय का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था, इन अनुभव से इस परिणाम पर पहुँचा कि आर्थिक हितों का सामंजस्य, जो भूमि जैसे स्वाभाविक एकाधिकार के निम्नत्रण द्वारा अपनी प्राप्ति ग्रहण करते हैं, उन लोगों में, तथा ऐसे लोगों में जो एकाधिकार विहीन साधनों से अपनी जीविका कमाते हैं, नहीं हो सकता। मार्ग का यह सपन यात्रा सिद्धान्त बहुत कुछ रिचार्डों के इस विश्लेषण का ही श्रेणी है। यद्यपि रिचार्डों ने एकाधिकार की प्रतियोगिता प्रणाली को स्वीकार करने की कठिनाइयों को समझ लो लिया परन्तु उनके

यह नहीं सोचा कि फिर इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहियेउमने केवल मध्यवर्ग की स्वीकृति के लिये इस तथ्य का रास्ता तो साफ कर दिया कि एकाधिकार से हितों के ऐसे विवाद उठ खड़े होते हैं जो राजकीय कार्यों द्वारा ही सुलझाये जा सकते हैं ।”

(पोलिटिकल टुंडेशन आफ द रॉयल्टी पृष्ठ २४८)

राजनैतिक उदारवाद उन्नीसवीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण राजनैतिक भ्रान्दी-लन था जिसका प्रभाव पश्चिमी यूरोप और इंग्लैण्ड जैसे देशों पर भी पड़ा । फ्रांस में तो यह सँवाइन के विचारों के प्रतिरिक्त एक वर्ग के सामाजिक दार्शनिक विचार अधिक थे । सँवाइन तो इन्हें जनता के प्रति एक शाही मनोवृत्ति मात्र मानता है । केवल इंग्लैण्ड में जो उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत बड़ा औद्योगिक देश माना जाता था उदारवाद ने राष्ट्रव्यापी दार्शनिकता और राष्ट्रीय नीति का स्थान प्राप्त कर लिया था । इस सम्बन्ध में प्रो० सँवाइन कहते हैं कि—

“इंग्लैण्ड में, उदारवाद एक प्रभावशाली राजनैतिक भ्रान्दीलन के रूप से ऐसे तत्वों से भरा हुआ था जिन्होंने सिद्धान्तवादी समझौतों पर बल न देकर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग देना सीखा । प्रारम्भिक उदारवाद का बौद्धिक ढाँचा तैयार करने वाले और उसका कार्यक्रम निश्चित करने वाले उग्र दार्शनिक ही थे । एक राजनैतिक दल की अपेक्षा उनका दल सदा बुद्धिवादियों का रहा लेकिन उनका प्रभाव उनकी सख्या के हिसाब से कभी नहीं आँका गया । जैसा कि राजनीति में प्रायः हुआ करता है कि बुद्धिवादी लोग विचार प्रदान करते हैं जिन्हें राजनीतिज्ञ परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार कभी कुछ धरा में प्रयोग करते हैं और कभी बिलकुल ही नहीं करते ।”

(ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी पृ० ५६५)

जोन स्टुअर्ट मिल रुढ़िवादी उपयोगितावाद से आरम्भ करके इन प्रतिक्रियाओं को उनके प्रसन्न परिणाम तक ले गया । उसके लिये मनुष्यों का नैतिक व्यक्तित्व, अधिकतम सत्यता की अधिकतम प्रसन्नता से, वही अधिक महत्वपूर्ण था । अपनी दुःख और सुख को गणना के साथ ‘हैशवाद’ अधिकतम सामाजिक विकास की अपेक्षा व्यक्तिगत आनन्द की ओर अधिक ध्यान आवेष्टित करा सका । परन्तु नैतिक दृष्टि से जीवन का मुख्य लक्ष्य समस्त मानव व्यक्तियों के विकास में सहायता देना है और इसलिए स्वार्थ परक कार्यों को परमाधिक कार्यों के सामने नीचा स्थान मिलना चाहिए । यद्यपि मिल प्रारम्भिक विचारकों के समान विष्वास करता था कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तिगत पहल व उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं और उसने अपने ‘मान सिद्धांत’ नामक प्रसिद्ध लेख में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के पक्ष में बड़े मार्गिक और प्रभावपूर्ण तर्क दिये हैं, लेकिन वह वही समझता था किसी व्यक्ति की

स्वतन्त्रता निश्चय ही दूसरों की भी समान रूप से स्वतन्त्रता के साथ सीमित है। मनुष्य व्यक्तिगत प्रयत्न तथा सामाजिक परिस्थितियों का ही परिणाम है।

“प्रभावशाली उपयोगितावादी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की हैसियत से, मिस, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रणों को लागू हुआ देखने पर तुला हुआ था। सिद्धान्त रूप में यह वैधानिक और अन्य सामाजिक कार्यों को व्यक्ति की स्वतन्त्रता का आधार बनाने के लिये, स्वीकार करने को तैयार था। बाद के मध्यवर्गीय सँद्धान्तिक जैसे प्रीन और होबहाउस अपने सिद्धान्त से चल्य हुए बिना और भी अधिक सामाजिक जिम्मेदारी की सीमा स्वीकार करने को तैयार थे।”

(पोलिटिकल ट्रेडिशन आफ द वेस्ट—वाटकिंस पृ० २५०-५१)

व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास केवल समाज में ही सम्भव है। मानवशक्तियों के सर्वोत्तम विकास के लिये, समाज की परिस्थितियों में घाटर्षण बनाये रखना समाज का ही उत्तरदायित्व है। इसलिये मिस कुछ सीमा तक सामाजिक पग उठाने में विश्वास रखता था जो व्यक्ति के विकास के हित में थे। प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाएँ भी आवश्यक हैं क्योंकि ये व्यक्ति की शिक्षा में योगदान करती हैं और शासकीय संस्थाएँ ठोस वैधानिक प्रस्तावों पर मानवोचित रूप से विचार विमर्श करने का मध्य प्रस्तुत करती हैं। संसद में प्रवेश कर व्यक्ति अपनी बुद्धि का योगदान सार्वजनिक समस्याओं पर कर सकता है और अपने साधियों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ सकता है। इसलिये सबको सरकार के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कम से कम मतधिकार में भाग लेने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। वैधानिक प्रजातंत्र का आन्दोलन उन्नीसवीं शताब्दी तक नगरों के सर्वहारा वर्ग तक भी फैल गया। इसका कारण कुछ बड़े हुए पूँजीवादी देशों में मानवों की अधिक-बाणी का असफल रहना था जहाँ नियंत्रण और अधिक नियंत्रण तथा घनी और अधिक घनी न हो सके।

“उन्नीसवीं और प्रारम्भिक बीसवीं शताब्दी की घटनाएँ अपना घोषित सिद्ध करने में असफल रही। यद्यपि बड़े पैमाने पर प्रयत्न और नियंत्रण परिवर्तन गति से चलते रहे, निगम (कारपोरेशन), कार्टेल और अन्य वानुजी साधनों ने अधिक नियंत्रण छोड़े से व्यक्तियों के हाथों, धन के स्वामित्व का तुलनात्मक समूह उत्पन्न किये बिना, सीमित रहना सम्भव कर दिया। पक्षत खाती व भीमा पालिसियों, में रुपया लगाने वाले तथा प्रत्यक्ष रूप से मास भरकर रखने वाले लोग पूँजीवादी आर्थिक स्थिति में लाभ के रूप में अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने में समर्थ रहे। जो लोग वेतन भोगी बन गये उनका बड़ा भाग धर्मियों से साथ अपने हितों को रक्षित कर देने में असमर्थ

रहा प्राधुनिक उद्योग में विप्रेताग्रो, बलवर्षी और दूसरे ऐसे तफेद पोष कार्य करने वालो की बहुत अधिक सख्या ५ स्थान है जो अपनी प्राधिक असुरक्षा की अपेक्षा अपने को शारीरिक श्रम करने वालो से सामाजिक क्षेत्र में अधिक ऊँचा समझे। इस प्रकार मावर्स की क्रान्तिकारी भाषाये जो सर्वहारा की सीमा से अधिक सख्या बढ़ जाने पर आधारित थीं उन्नीसवी शताब्दी के पूँजीवादी विकास से निराशाग्रो में बदल गई।

(पोलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द वॅस्ट—घाटकिन्स पृ० २५२-५३)

औद्योगिक क्षेत्र में अधिक बड़े हुए राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग का विश्वास राज-नैतिक समस्याग्रो, प्रतिनिधि सरकारो तथा अपने वर्ग के प्राधिक सक्त दूर करने के लिये वैधानिक उपचारो में अधिक व्याप्त हो गया। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, इङ्गलैण्ड का श्रमिक वर्ग राष्ट्र की नीतियो में सासदीय समस्याग्रो में भाग लेकर, श्रमिक आन्दोलनो व धराजनैतिक हठतालो के द्वारा अपना प्रभाव डाल सकता था। उसे अपने माँगों स्वीकृत कराने के लिए क्रान्तिकारी समाजवाद अपनाने की भयस्या तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं थी। इससे इन देशो में श्रमिक आन्दोलन का विकास हुआ जिसने प्राधुनिक उदारवाद की बहुत सी आधारभूत विचारधाराएँ अपना ली।

“इस प्रकार ऐडवर्ड बन्संटीन ने अपने पुस्तक ‘एवोल्यूशनरी सोशलिज्म’ में इतिहास की मार्क्सवादी क्रान्तिकारी मान्यताग्रो को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी है। यह सिद्ध करके कि प्राधुनिक पूँजीवाद का विकास मावर्स के प्राधिक विश्लेषण के अनुसार होने में असफल रहा है उसने अपने साथी मार्क्सवादियो को विश्वास दिलाने की चेष्टा की है कि वैधानिक सरकार के ढाँचे में शान्ति-पूर्ण राजनैतिक प्रक्रिया श्रमिकवर्ग के उद्देश्यो की प्राप्ति का आवश्यक साधन है।”

(पोलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द वॅस्ट—घाटकिन्स पृ० २५५)

यह विचारधाराएँ प्रजातान्त्रिक, वैधानिक, विकासोन्मुख समाजवाद की प्रगति में सहायक हुईं और श्रमिक आन्दोलन को वैधानिक प्रजातन्त्र के सिद्धांत से तुष्ट करा दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी की श्रोट में उदारवाद, एक राजनैतिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार्य नहीं है किन्तु इंग्लैण्ड व अमेरिका जैसे देशो में श्रमिक आन्दोलन व प्रजातान्त्रिक समाजवाद द्वारा इसके बहुत से विचारो को अपना लिया गया है। भारत में समाजवादी ढंग की रचना इसी उदार परम्परा के चिन्हों को व्यक्त करती है। फिर भी हमें विश्वास नहीं है कि यह विचारधारा प्रचलित रहेगी भी या नहीं। बहुत से देशो में उदारवन्धी प्रजातान्त्रिक सरघाएँ अपना विश्वास/श्रीघ्नता से खोती जा रही हैं। हम निश्चित रूप से नहीं यह कहने कि यह अविश्वार्म की विचारधारा राजनैतिक व प्राधिक चक्र को एक दशा विशेष है और या फिर उदारवादी विचारो-

घारा के तर्कसंगत पतन क्रम को जारी रखेगी। हम प्रोफ़ेसर साररी से सहमत हो सकते हैं और आशा करते हैं कि उदारवाद की सिद्धान्तिक सामग्री ऐसी सज्जगी और स्फूर्ति प्रस्तुत करेगी जो सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, समानता, शिशा और सामाजिक योजनाओं की भावनाओं को नये रूपों में ढाल देगी। अधिक से अधिक हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि हमारे अल्पविरवाहों और प्राचीन मान्यताओं पर तर्कों की विषय होगी सहयोग व सामाजिक योजनाओं के नये युग का सूत्रपात, मुद्धोत्तर काल की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये, करना सम्भव होगा।

कार्ल्स मैनहीन हमारे प्रजातन्त्र को मुद्धोत्तर काल की कठिनाइयों से बचाने के लिये एक नये धार्मिक अन्वयन और नये सचि में ढालने का सुझाव देते हैं। कुछ अन्वय लोग हमारी नैतिक और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के पतन का कारण नास्तिक धर्महीनता मानते हैं। इन आलोचकों के अनुसार इतिहास हमें शिशा देता है कि जब कभी धर्म पतनोन्मुख हुआ है या धर्म विरुद्ध अथवा अधार्मिक विचारधाराएं बढ़ी हैं तो समाज अवश्य ही पतन की ओर गया है। सोफ़वाद (सोफ़िस्ट) युग का यूनानी समाज और पुनर्जागरण युग का इटली समाज, समाज के नैतिक आधार पर धार्मिक अष्टाधार और पतन के विशिष्ट उदाहरण बने जाते हैं। इस सम्बन्ध में वाटकिन्स लिखता है—

“धार्मिक उदारवाद के कुछ आलोचकों के अनुसार धर्महीनता के उदय ने पश्चिमी विश्व को सामाजिक और नैतिक पतन की ऐसी दूसरी मुसोबत में पकेल दिया है। यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उदारवादों, यूनान के अधिकांश सोफ़वादियों और इटली के मानवतावादियों की तरह, पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों को धर्महीन मानवतावादियों की तरह, पुनर्निर्धारित करना चाहते थे, उनके सिद्धान्त उनके विचारों की केवल आदत मात्र थे जो अल्पविरवाह के युग से आसत्य की शक्ति द्वारा संगठित थे। अपने जीवन स्रोत के विषिष्ट इन आदतों का उत्तरोत्तर निर्बल होते जाना स्वाभाविक ही थी। धर्महीन मानवतावाद में राष्ट्रीयता की नैतिक रूप से विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिये अपने साधन नहीं थे। धार्मिक पूर्ण—प्रभुत्ववाद (टोटलिटैरियनिज्म) जिसमें हर संभव उपाय से शक्ति पर विषय प्राप्त करने के प्रयत्न साधन एकत्रित कर लिये गये हैं, परम्परागत नैतिकता की धार्मिक निर्देशों की सहायता बिना बनाये रगने के प्रयत्नों में स्वाभाविक देन है।

(पोलिटिकल ट्रेडिजन्स ऑफ़ द वर्ल्ड पृ० ३४१-४२)

प्राचीन चीनी सभ्यता का एक उदाहरण है कि ईसाई युग से पूर्व जब उसमें ऐसा ही पतन इष्टिगोचर हुआ तो चीनी बोधी और दार्शनिक, अल्पयुगियत और उसके शिष्य बहुत समय के पश्चात् यह सिद्ध करने के अनीरथ प्रयास में सफल हो गये कि परम्परागत गुण मनुष्यों की मानवोचित आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य हैं। आज के भारत में गांधीजी और उनके अनुयाइयों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया है।

संसार के उदारवादी प्रजातन्त्रों को भीतिवतापूर्ण मानवतावाद के सामने सतुलन स्थापित करने के लिये ऐसे ही प्रयत्न करने होंगे ताकि नैतिकता के परम्परागत मूल्यों को सुरक्षित रखा जाय और नैतिक पतन की लहर को रोकने के लिये नये नैतिक विचारों को विकसित किया जाय। सामाजिक सम्बन्धों के समूह और स्थिरता के लिये विश्वास आवश्यक तत्व है। मनुष्य केवल तर्क के सहारे ही जीवित नहीं रह सकता। विश्वास से मेरा अभिप्राय ग्रन्थविश्वास, टोने टोटको पर भरोसा और जीवन के प्रति भाग्यवादी दृष्टिकोण रखना नहीं है। परन्तु सामाजिक स्थिरता लाने के लिये हमें कुछ नैतिक मूल्यों का विकास करना होगा या परम्परागत शाश्वत मूल्यों का प्रोत्थन इस प्रकार सिद्ध करना होगा जो तर्क के सहारे स्वीकृत हो सकें। धर्म और राजनीति का सम्बन्ध विच्छेद आवश्यक और लाभदायक था परन्तु हमारी बहुत सी कमी और दुर्गुण राजनीति से नैतिकता को अलग कर कर देने के कारण हो गये हैं। परिवर्तनों के अचानक हो जाने तथा वातावरण में उथल पुथल मच जाने से हम अपनी नैतिकता रूपी नाव से दूर होकर तूफानी समुद्रों में असुरक्षित होकर फँस गये हैं जहाँ हम दिशा निर्देशन के लिए भटक रहे हैं और इस सघर्ष में अपने पाँवों को तोड़े डाल रहे हैं।

प्रजातन्त्र और उदारवाद का फिर से सँवारना सुधारना जाना हमारे युग की प्रमुख आवश्यकता है। यदि हमें अपनी सभ्यता के परम्परागत गुणों की जीवित रखना है तो मानव के व्यक्तित्व में, प्राकृतिक अधिकारों की आवश्यकता में और प्रजातन्त्रिक संस्थाओं को नये सिरे से सँवारने सुधारने में हमें नया विश्वास रखना होगा। हम वाटकिन्स के शब्दों में भाषा रख सकते हैं कि—

“यद्यपि आधुनिक विश्व धर्मविहीन विज्ञान के प्रति, उत्साह के पहिले भ्रोकें में, मानवोचित तर्क के स्पष्टीकरण पर दैवी ज्ञान प्रगट होने की निश्चित मान्यता का आरोप करते हुए आकर्षित हुआ था पर धर्म मध्ययुगीन परम्परा के अधिक सतर्क मानवतावाद की ओर लौट रहा है। यदि यह प्रगति जारी रहती है तो वह आधुनिक उदारवाद के स्थान को सशक्त बना सकेगा।”

(पोलिटिकल ट्रैडिशन ऑफ वीस्ट ५० ३५०)



भारतीय संघीय संविधान

स्वतन्त्र भारत ने अपने लिए एक संघीय संविधान की व्यवस्था की है। यह संविधान यथेष्ट रूप से सम्बन्ध और लिखित है। इसको जनता द्वारा चुनी हुई संवैधानिक सभा ने निर्माण किया था और यह २६ जनवरी १९५० से लागू किया गया है। साधारणतः हमारे संविधान के लिए कहा जाता है कि हमने उसके मुख्य विचारों को विश्व के कई संविधानों से लिया है और यह कुछ अंश तक सत्य भी है। प्रो० प्रसन्नचन्द्रोपिज के मतानुसार—

“भारत का संविधान अनेक अन्य संविधानों से प्रभावित हुआ है। संसदीय शासन का हमने इंग्लैंड के संवैधानिक कानून से अनुकरण किया है। हमारे संघीय प्रबन्ध प्रांशिक रूप से बनावटियन, फ्रांज़ेसियन और अमरीकन कानून पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में फ्रांसिस संवैधानिक कानून का पर्याप्त हाथ रहा है और भूस अधिकारों का निर्माण अमरीकन अधिकार-पत्र (Bill of Rights) जो कि संयुक्त राष्ट्र संविधान के सम्बन्धित संशोधनों में निहित है, का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है।”

(कांग्रेसीटपुस्तक डेवलपमेंट्स इन इण्डिया पृ० ९)

भारत का संघीय संविधान आत्यधिक सम्बन्ध, विस्तृत और बड़े है। यह केवल केन्द्रीय सरकार का ही नहीं, अपितु राज्य-सरकारों का भी संविधान है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। इस संविधान द्वारा स्थापित भारतीय संघ का आत्यधिक केन्द्रीकृत स्वरूप है। केन्द्र एवं राज्य दोनों रूपानों में संसदीय शासन की स्थापना हुई है। यद्यपि भारत ने अपनी अधिकांश राजनीतिक संस्थाएँ इंग्लैंड से ली हैं और साथ ही साथ भारत में अंग्रेजी शासन की परम्पराओं को अपनाया है फिर भी हमने कुछ ऐसी वास्तुएँ भी अपनाई हैं जिनको कि

हम प्रांगल नहीं कह सकते जैसे कि मूल अधिकारों का लिखित स्वरूप राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की न्यायालयों द्वारा व्याख्या भ्रष्टवा कानूनों का न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन । ऐसी सार्वभौमिक नियन्त्रण पद्धतियाँ प्रांगल सार्वभौमिक कानूनों को नहीं मासूम हैं और न वे प्रांगल परम्परा के अनुरूप ही हैं । हमने सासदीय प्रजातंत्र को संयुक्त राष्ट्र संविधान से लिए गए कुछ सघीय स्वरूपों के साथ सम्मिश्रण करने का सफल प्रयत्न किया है । प्रो० भाइवर जैनिङ्गस का इस सम्बन्ध में कथन है—

“साधारणतः भारतीय संविधान प्रजातन्त्रीय विचारों को कानूनी सिद्धान्तों का रूप न देकर प्रजातन्त्रीय संस्थाओं की स्थापना करता है । वास्तव में इसका विस्तार और विलम्बता एक बहुत बड़े अर्थ में राजनीतिक संस्थाओं को, जो कि प्रांगल परम्परा वाले अन्य देशों में साधारण कानूनों द्वारा नियंत्रित होती हैं, स्वयं संविधान से नियंत्रित करने की तीव्र अभिलाषा है । इस प्रसङ्ग में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व असङ्गत हैं ।”

(सम करंबटरस्टिबस प्रोफ वी इन्डियन कान्सटीट्यूशन पृ० ५)

किसी भी सघीय संविधान को आवश्यक रूप से कठोर होना चाहिए । हम साधारणतः उस संविधान को कठोर कहते हैं जिसमें संशोधन किसी विशेष प्रणाली द्वारा हो । भारतीय संविधान का विस्तार ही उसे कठोरता प्रदान करता है । यह संविधान या तो दोनों सदनों के सम्पूर्ण सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत प्रदान करते हुए कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा ही संशोधित हो सकता है । प्रो० जैनिङ्गस ने मतानुसार भारतीय संविधान की कठोरता इसकी संशोधन प्रणाली से भी अधिक इसके लम्बाई व विस्तार के कारण है । यह विश्व में सम्पूर्ण संविधान से अधिक विस्तृत एवं लम्बा है । इसमें केन्द्र और राज्य दोनों के संविधान, केन्द्र और इकाइयों के बीच के विलम्ब एवं विस्तृत सम्बन्ध, मूल अधिकारों की व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विस्तृत सूची आदि हैं । मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों मूल संविधान के विधायियों को द्विविधा में डालते हैं । इस विधान में कतिपय ऐसे प्रबन्धों का भी समावेश है, जैसे कि न्यायालयों का समेटन, और कुछ ऐसी विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष प्रबन्धों का जो कि विशिष्ट रूप से भारत में ही पाई जाती है । जैसे कि प्रांगल भारतीय अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन, राष्ट्रीय भाषा इत्यादि जिनका कि हम साधारण कानूनों के द्वारा भी प्रबन्ध कर सकते थे । इस विधान में प्रापत्तिकालीन शक्तियों के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध है । यह सब विस्तार संविधान की अनावश्यक रूप से कठोर बनाते हैं । संविधान वह है जिसमें कि कानून और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सके । यह तभी अधिक सम्भव है जबकि सभ्यता में वेदों सामान्य सिद्धान्तों का ही उल्लेख हो । संविधान निर्माण करने वालों को

इस नियम का पालन करना चाहिए कि संविधान में उन सब बातों का समावेश न हो जो कि सरसता से छोड़ी जा सकती हैं।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व धायरलैंड के विधान से लिए गए हैं और स्वयं धायरलैंड ने भी इन विचार को स्पेन के गणतन्त्रीय संविधान से लिया था। किसी सीमा तक हम संयुक्त राष्ट्र धमरीरर की स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र को भी एक ऐसा विशिष्ट खेत मान सकते हैं जिसमें कि मूल भूत राजनैतिक सिद्धान्तों का वर्णन हो। इसी प्रकार से मनुष्य व नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को, भी जो कि १७६१ के फ्रान्सीसी संविधान का ऋण में एक भाग बन गई थी, ऐसे ही राजनीतिक सिद्धान्तों का उल्लेख करने वाला मान सकते हैं।

प्रो० जैनिङ्गम के मतानुसार भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को सिवनी और वीट्राइस बेंच से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उनके विचार में ये नीति निर्देशक तत्व संविधान समाजवाद को प्रदर्शित करते हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों को न तो न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है और न किसी राज्य या केन्द्र की सरकार को इनको पूरा न करने पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वास्तव में इन नीति निर्देशक तत्वों को निकट भविष्य में पूरा करना इतना सरल भी नहीं है। इनका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का है और ऐसा सभी सम्भव हो सकता है जब कि हमारे आर्थिक पुनर्निर्माण ऐसे स्तर को प्राप्त हो जाय कि हम लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक साधन जुटा सकें। धार्ये यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये नीति निर्देशक तत्व भविष्य में घाने वाली सरकारों को भी मान्य होंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसका संकेत भी किया था कि यदि भविष्य की सरकारें इन नीति निर्देशक तत्वों से सहमत न हुईं और उन्होंने इसमें शोधन करना चाहा तो यह हमारे संविधान के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा। प्रो० घमैकगैन्डरोविज का इन सम्बन्ध में कथन है—

“ऐसी स्थिति का स्वागत नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्वों के अन्तिम उद्देश्यों और उत्तराधिकारी सरकारों से किसी सीमा तक नीति परम्परा बनाए रखने और भारत को अनावश्यक राजनैतिक और सामाजिक अस्थिरता से बचाने तथा स्थायित्व व अन्तिम को प्राप्त करने के लिए है।”

कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेंट इन इंडिया पृ० १०७)

यद्यपि नीति निर्देशक तत्व स्वयं न्याय योग्य नहीं हैं फिर भी न्यायालय विशेषतः मूल अधिकारों की व्याख्या एवं लागू करने में इनकी भी व्याख्या करने से बच नहीं सकते। यह नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान को सामाजिक एवं आर्थिक नीति के द्योतक हैं और न्यायालय इनकी सहायता से ही इनमें सम्बन्धित विषयों में सरकार के

कार्यों की उपयुक्तता का निर्णय करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रो० प्रल्लवर्जंडरोविज का कथन है—

“जनहित’, ‘जन उद्देश्य’ अथवा ‘सर्वसंगत प्रतिबन्ध’ क्या है ? का निश्चय नीति निर्देशक तत्वों की सहायता से ही किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ‘मद्य निषेध’ जो कि उन्नीसवें अनुच्छेद के मूल अधिकारा, अथवा सौतालिसवें अनुच्छेद (भाग चतुर्थ) जो कि हमारे विषयों में भी निषेध करता है, पर सर्वसंगत प्रतिबन्ध है। उसी प्रकार से ‘सार्वजनिक उद्देश्य’ क्या है ? अथवा निजी व्यक्तियों के हाथ में घन के वेन्द्रीकरण को निष्फल करने हेतु स्वामित्वहरण के नियमों का निर्माण राज्य कैसे करेगा। यह इक्कीसवें अनुच्छेद, जो कि उनतालिसवें अनुच्छेद (भाग चतुर्थ) की सहायता से निश्चय किया जा सकता है, द्वारा निश्चय होगा। वास्तव में अथ न्यायाधीशों को उनतालीसवें अनुच्छेद की सहायता से ही बहुत से मुकदमों, जैसे कि बीकानेर राज्य बनाम कामेश्वरसिंह या राजेन्द्रमालाजी राव बनाम मध्य भारत राज्य, में निर्णय करने पड़े हैं।”

(कांसटीट्यूशनल डेवलपमेन्ट इन इंडिया पृ० १०६-७)

प्रो० जैनिंग के मतानुसार हमारे संविधान में दिये गये अधिकार, वास्तव में, अधिकार ही नहीं है केवल वार्यकारिणी एवं व्यवस्थापिका शक्तियों पर प्रतिबन्ध है। संविधान का घटारहवाँ अनुच्छेद, जो कि पदवियों का उन्मूलन करता है, समता के अधिकार का एक भाग प्रतीत होता है किन्तु समता के सिद्धान्त को राज्य के द्वारा श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवाओं की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप दी गई पदवियाँ समता के सिद्धान्त को भंग नहीं करती हैं ? यदि पद्म श्री, या पद्म विभूषण आदि समता के सिद्धान्त को भंग नहीं करती हैं तो राय साहब अथवा राय बहादुर की पदवियाँ ही कैसे कर सकती हैं।

संविधान के सत्रहवें अनुच्छेद के अनुसार भ्रष्टोद्धार हुआ है। वह कोई मूल अधिकार उत्पन्न नहीं कर सकता है किन्तु केवल एक सामाजिक जोषण का घन्त करता है। संविधान का तेईसवाँ अनुच्छेद, जो कि मानव प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाता है और संविधान का चौबीसवाँ अनुच्छेद जो कि बालकों के श्रम करने पर प्रतिबन्ध लगाता है केवल नागरिकों पर निजी कर्तव्यों को लागू करते हैं न कि उनको कोई मूल अधिकार देते हैं। हमारे मूल अधिकार अधिकार समुक्त राष्ट्र अमेरिका के मूल अधिकारों के समान ही हैं। डा० अम्बेडकर के शब्दों में इन दोनों के मध्य में मुख्य अन्तर ‘स्वल्प का’ न कि ‘तथ्य का’ है। अमरीकी नागरिक उन मूल अधिकारों के द्वारा सुरक्षित हैं जिनका कि न्यायालयों को पुनरावलोकन की पद्धति द्वारा परीक्षण हो चुका है; और जिनकी कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की है। अतः हम डा० अम्बेडकर से इस सम्बन्ध में सहमत हो सकते हैं कि—

“इनके परिणामों में कोई अन्तर नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से करता है वही दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से करता है इन दोनों में मूल अधिकार पूर्ण नहीं हैं।”

कोई भी संविधान मूल अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की भाँति पूर्ण अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता। इन अधिकारों पर अवश्यमेव प्रतिबन्ध होने ही चाहिए और भारतीय संविधान इसीलिए मूल अधिकारों पर आवश्यक सीमाएँ व प्रतिबन्ध लगाता ही है। जनता की मूल भूत स्वतन्त्रताओं को सक्रिय जनमत मूल अधिकारों की घोषणा समया सांविधानिक प्रवन्धों की प्रपेक्षा वही अधिक मन्दी तरह सुरक्षा कर सकता है। इस प्रवन्ध में प्रो० जैनिङ्गस का कथन है—

“साधारणतः यद्यपि मूल भूत स्वतन्त्रताओं का नून के द्वारा न होकर जनमत द्वारा सुरक्षित होती है, अमरीकी अधिकार पत्र की सांविधानिक स्वतन्त्रताएँ अल्प वाजून से ली हुई हैं। ब्रिटेन में यह (स्वतन्त्रताएँ) संसदीय वाजून द्वारा घोषित की जा सकती हैं जब कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इनको सांविधानिक संशोधनों द्वारा ही घोषित किया जा सकता है। फिर भी यह साधारणतः स्वीकार किया जा सकता है सुचारु रूप से सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पर अधिक मन्दी प्रकार से संगठित और शक्तिशाली जनमत है। संयुक्त राष्ट्र जैसे विशाल देश में जनमत को संगठित करने की कठिनाई को स्वीकार करना होगा। भारत में यह कठिनाई अवश्यमेव और भी अधिक होगी। किन्तु क्या यह तर्क मंगल प्रथम नहीं होगा कि क्या भारत को इन विनष्ट अधिकार-मन्त्र से साम की प्रपेक्षा अधिक हानि नहीं होगी।

(सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्डियन कांस्टीट्यूशन पृ० ५६)

भारत के संविधान के संघीय स्वरूप के सम्बन्ध में यथेष्ट मतभेद है। बहुत से लेखक व विचारक इसकी एक वास्तविक संघ नहीं मानते। उनके अनुसार यह स्वरूप में तो संघीय ही है किन्तु इसकी प्रवृत्ति एकात्मक है। उनके इस दृष्टिकोण का ध्यानपूर्वक परीक्षण भारतीय संघ के वास्तविक स्वभाव को जानने के लिए आवश्यक है।

किसी भी संघीय विधान का स्वभाव अव्यधिक मात्रा में इस बात पर निर्भर होता है कि संघ निर्माण के समय परिस्थितियाँ कैसी थीं। संघ का जिन प्रवृत्तियों के कारण निर्माण हुआ है वे भी संघीय स्वरूप को निर्धारित करती हैं। यदि संघ का जन्म संयोजनशील प्रवृत्तियों के कारण हुआ है जिसमें कि छोटे-छोटे स्वाधीन राज्यों की संख्या एक संघ के मूल में बँसती है तो केन्द्रीय सरकार अवश्यमेव निर्बल होगी और शासन की शक्तियाँ व एक प्रति वृद्ध भाग और अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होगी किन्तु यदि कोई संघ विपटवर्ती प्रवृत्तियों के कारण जन्म लेता है—जैसे कि

कई एकात्मक राज्य इकाइयों में विभाजित होकर सभ का निर्माण होता है—तो केन्द्र प्रावश्यक रूप से शक्तिशाली होगा और इसके पास शासन की अग्रकाय शक्तियाँ व प्रबलिष्ट शक्तियाँ भी होंगी । प्रथम प्रकार के मुख्य उदाहरण सयुक्त राष्ट्र अमरीका है जबकि दूसरे प्रकार के कनाडा और भारतवर्ष । इम सामान्य सिद्धान्त के किसी विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ अपवाद भी हैं जैसे कि दक्षिण अफ्रीका वा सभ । भारतीय सविधान में एक शक्तिशाली सभ है और उसके पास प्रबलिष्ट शक्तियों का होना इसलिए स्वाभाविक ही है ।

कुछ आलोचकों का यह भी कथन है कि सविधान की आपत्तिकालीन शक्तियों के कारण केन्द्र और भी शक्तिशाली हो गया है और भारत का सविधान इन आपत्तिकालीन शक्तियों के प्रयोग होने पर एकात्मक विधान की भाँति ही कार्य करेगा । किन्तु ऐसे आलोचक इस तथ्य को भूल जाते हैं कि विधान का आपत्तिकालीन प्रबन्ध विशेष परिस्थितियों के निमित्त ही है और वह सविधान के दिन प्रति दिन का साधारण स्वरूप नहीं है । हम किसी भी सविधान का उसकी असाधारण परिस्थितियों व स्वरूपों से न तो मूल्यांकन कर सकते हैं और न करना ही चाहिए । यदि सदैव हम किसी रोगी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो हम स्वस्थ व्यक्ति को न पहचान ही सकेंगे और न उसके स्वभाव से परिचित ही हो सकेंगे । इसी प्रकार से असाधारण परिस्थितियों के लिए सावैधानिक परिस्थितियों के अध्ययन से पूर्ण सविधान का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे ।

वास्तव में आपत्तिकालीन शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा भारत में अधिनायकतन्त्र की स्थापना का कुछ भय आवश्यक है । भारत के राष्ट्रपति को पद निमुक्ति के सम्बन्ध में यथेष्ट शक्तियाँ हैं और वह उनका दुरुपयोग करके विशिष्ट स्थानों में अपने महायुक्तों को नियुक्त करके तथा आपत्तिकाल को घोषणा करके शासन की समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है और अधिनायक बन सकता है । जर्मनी के बीमर सविधान के अठतालीसवाँ अनुच्छेद का इतिहास को भारत में पुनरावृत्ति सम्भव है । सविधान सांसदीय शासन प्रणाली स्थापित करता है और स्वभावतः राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि वह अपनी समस्त शक्तियों एवं कार्यों का उपयोग मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार ही करेगा किन्तु सविधान में इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कमी रह गई है । सविधान में केवल यह प्रबन्ध है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों को करने में मन्त्रिपरिषद् द्वारा परामर्श व सहायता मिलेगी । किन्तु यह स्पष्ट शब्दों में प्रबन्ध नहीं करता कि मन्त्रिपरिषद् द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही होगा । सविधान निर्माताओं ने परम्परा और रुढ़ियों पर ऐसी सुरक्षा का प्रबन्ध छोड़ दिया है ।

यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य है कि भारत में प्रजातन्त्रीय परम्परा अधिष्ठ शक्तिशाली नहीं है । यद्यपि हमने वैदेशिक सांसदीय सस्थाओं को अपनाया है।

किन्तु हम जान का कोई प्रावधान नहीं है कि यह सम्पूर्ण भारतीय परिस्थितियों में मरतनापूर्वक कार्य कर सकेंगे। भारतीय प्रजातन्त्र को मरतना हेतु न तो हमारे पास आवश्यक परम्पराएँ ही हैं और न दृष्टियाँ ही। प्रभावशाली पूर्वी देशों की जनता की मनोवृत्ति, मार्क्सवादी नीति और विद्वानों की तात्कालिक कमीटी पर परस्पर की प्रेरणा विमूर्ति प्रावधान की ओर प्रतिकूल है। राजनीति में व्यक्तिवाद प्रभाव भारत में विशेषतः प्रतिकूल है और यह सम्भव है कि कोई मार्क्सवादी राजनीतिक विमूर्ति, जो कि विवेक दृश्य भी है, इन परिस्थितियों में काम उठा कर हमारे हाथ और उनकी प्रजातन्त्रवादी शक्तियों का विनाश कर दे। राष्ट्रीय विधान की एकात्मक संविधान में निम्न करने वाला मुख्य तथ्य मार्क्सवादी शक्ति-विभाजन है। भारतीय संविधान एक विमूर्त शक्ति-विभाजन का प्रवण करता है। संविधान में शक्तियों की तीन श्रेणियाँ हैं— केन्द्रीय सूची, राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर क्षेत्राधिकार के प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का मता मान्य होंगे। अतः समवर्ती सूची को हम केन्द्रीय सूची का प्रसारण मान सकते हैं। इनके साथ-साथ केन्द्र की शक्ति और प्रावधानों की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। भारतीय संविधान एक प्रत्येक शक्तिशाली केन्द्र को स्थापना करता है किन्तु हम प्रत्येक पक्षगत पूर्ण शक्ति विभाजन की प्रेरणा भी राज्य सरकारों की घना स्वतन्त्र कार्य-क्षेत्र प्राप्त है और हम विभिन्न क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार संविधान में संशोधन, प्रावधानों की घोषणा प्रथम राज्यो में स्वोक्ति विधि विना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। भारत में स्थापना की दूसरे राष्ट्रीय संविधानों के समान ही विभिन्न शक्तियाँ एक पर प्राप्त हैं। भारत सर्वोच्च न्यायालय की विधान की व्याख्या, संरक्षण तथा केन्द्रीय और राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा निम्न विधियों की पुनरावकान्त करने की शक्ति भी है। प्रत्येक विधि का संविधान की कमीटी पर परीक्षण करेगा और यदि कोई भारतीय या कार्यकारिणी के नियम व प्राजा की संविधान के प्रवणों के प्रतिभूत समझेंगे तो वह उसको प्रभावशाली घोषित कर देगा। ऐसा करने पर वह विधि या प्राजा शक्तिशाली माननी जावेगी और भारत का कोई भी न्यायालय उसको लागू नहीं करेगा।

प्रतिष्ठान शक्तियों में मर के इकाइयों की मरतना के विद्वान्त की केन्द्रीय शक्ति के द्वितीय मरत में समान प्रतिनिधित्व देकर स्वोकार किया गया है। यह माना जाता था कि इकाइयों की मरतना का यह विद्वान्त शक्ति की छोटी इकाइयों के अधिकारों की प्रतिकूल जनमन्था वाली बड़ी इकाइयों में तथा केन्द्रीय मरत में अनुचित हस्तक्षेप की रखा करेगा। राजनीतिक दलों एक राष्ट्रीय राजनीतिक विकास के कारण इकाइयों की मरतना का यह विद्वान्त प्रवण नहीं रहा है। प्रावधान कोई भी यह नहीं मानता है कि इकाइयों के प्रतिनिधि इकाइयों के अधिकारों की रखा करेगे। इन इकाइयों के

प्रतिनिधि सभिय ससद के दोनो सदनों में दली में विभाजित है और वह दलीय हितों की रक्षा अपनी इकाइयों के हितों की रक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। इसी कारण से भारत के सभिय सविधान में इकाइयों की समता के सिद्धान्त को द्वितीय सदन में उनके प्रतिनिधित्व क सम्बन्ध में नहीं अपनाया गया है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इकाइयों के हितों की सुरक्षा सविधान नहीं करता है। इन इकाइयों के हितों की सुरक्षा, सभोघन प्रणाली न्यायालय के विधियों के पुनरावलोकन तथा सविधान की व्याख्या के अधिकार स्पष्ट एवं निश्चित क्षेत्र का प्रबन्ध करके की गई है। राज्य परिषद को सभ की इकाइयों की प्रतिनिधित्व सभा के रूप में सविधान के २४६ वें अनुच्छेद में किया गया है जिसके अनुसार राज्यों की सूची से कोई भी विषय केन्द्रीय सूची को एक प्रस्ताव द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये हस्तान्तरित किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव राज्य परिषद के दो तिहाई उपस्थिति और मत प्रदान करते हुए सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रस्ताव की पुनरावृत्ति हा सकती है और इस प्रस्ताव के कारण जो भी विधि निर्माण होगा उसका इस प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के छः मास पश्चात् अन्त हो जायगा। हम इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय सविधान का निश्चित रूप से केवल सभिय स्वरूप ही नहीं है किन्तु इसमें किसी सीमा तक सभिय तत्व भी विद्यमान है। सभिय शासन के सब महत्वपूर्ण लक्षण, जैसे कि दो सरकारों का सह-अस्तित्व, निम्न और बड़े सविधान, सांविधानिक शक्ति-विभाजन न्यायालय की विनिष्ट शक्ति आदि भी इसमें विद्यमान है। इसलिए हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय सविधान स्वरूप एवं तत्व दोनों में सभिय है और जो कुछ थोड़े से सभिय लक्षण हम उसमें पाते हैं उनका मुख्य कारण भारतीय विशेष परिस्थितियाँ ही हैं।

साधारणतः सभ राज्य में सामान्य और प्रादेशिक सरकारों के मध्य में शक्ति विभाजन भी इतना कठोरता से होता है कि प्रायः वे एक सभर्ष के स्रोत हो जाते हैं। यह सभर्ष २० वीं शताब्दी में राज्य के लोक कल्याण कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण और भी बढ़ गया है। प्रत्येक विधान साधारणतः जिस काल में उसका निर्माण हुआ था उस काल के विचारों एवं परिस्थितियों का शोचक होता है। जैसे जैसे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे वैसे विधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। अपरिवर्तनीय व स्थाई विधान जैसी कोई भी वस्तु नहीं होती किन्तु सभिय विधानों के साथ यह कठिनता है कि वे अपने आप को सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ समयानुबल परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक संविधान सामान्य और प्रादेशिक सरकारों के मध्य के सभर्षों को निपटाने के लिए कुछ ऐसे साधन काम में

जाता है जिससे कि सामान्य सरकारों का विधान में परिवर्तन किए बिना सारे देश में सामाजिक व धार्मिक परिवर्तनों के अनुसार एकलपेण प्रगति को प्रादेशिक सरकारों से मान्य करा सकें।

इन साधनों में से मुख्य साधन सौंध की सामान्य सरकारों द्वारा प्रादेशिक सरकारों को विशेष कार्यों के लिए एकरूपेण सामाजिक व धार्मिक सुधारों को घपानाने के लिए सहायक अनुदान देना है। उन सहायक अनुदानों में २० बीं गताब्दी में बराबर वृद्धि होती जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रो० बेंचर का बचन है—

“उदाहरण स्वरूप १९३६ में संयुक्त राष्ट्र समरीक्षा में राज्यों को सामान्य सरकार की ओर से ५८ करोड़ डालर ऐच्छिक सहायक अनुदानों के रूप में राज्यों को प्राप्त हो रहे थे और यह उनकी प्राय का १५ प्रतिशत भाग था। कनाडा में प्रान्तों की दो करोड़ २० लाख डालर या उनकी प्राय का १० प्रतिशत, फ्रान्सेलिया में राज्यों को १½ करोड़ बीड या उनकी प्राय का १२ प्रतिशत और स्विटजरलैंड में बेन्टनम् को २३ करोड़ १० लाख स्विस फ्रांग जो कि उनकी प्राय का २५ प्रतिशत था, प्राप्त हो रहा था।” यह बचन स्पष्ट होगा कि फ्रान्सेलिया और कनाडा में १९४३ में प्राय-कर के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएँ की गई थीं और जिसके द्वारा प्रदेशों को सामान्य सरकारों के द्वारा क्षतिपूर्ति अनुदान के बदले में प्राय-कर क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत किया गया था, का यह पक्ष हुआ कि फ्रान्सेलिया में केन्द्रीय सरकार ने उन ऐच्छिक अनुदानों द्वारा राज्यों की प्राय का २५ प्रतिशत भाग और दिया और कनाडा में भी इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों की प्राय का २५ प्रतिशत भाग और दिया। संयुक्त राष्ट्र समरीक्षा में इतनी अधिक वृद्धि तो नहीं हुई फिर भी १९४८ में अनुदान लगभग १४० करोड़ डालर के था और राज्यों की प्राय से इसका अनुपात लगभग १४ प्रतिशत का था।’

(केरल गवर्नमेंट पृ० ११५-११६)

उपरोक्त घण को उद्धृत करने का तात्पर्य यह है कि प्राय इस महत्वपूर्ण तथ्य का भली प्रकार समझ से कि लोक-कल्याणकारी राजनीति के कारण सामान्य सरकारों कार्यक्षेत्र में लगातार वृद्धि के लिए बाध्य हो गयी हैं और प्रादेशिक सरकारों से इस केन्द्रीय कार्यक्षेत्र की वृद्धि को मनवाने के लिए सहायक अनुदानों में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ी है। प्राथमिक राष्ट्रीय राज्यों में प्रादेशिक और केन्द्रीय सरकारों अपने मध्य में शक्ति-गन्तुवन घब निश्चय ही केन्द्रीय सरकारों के पक्ष में है और केन्द्र अधिक शक्ति-शाली होते जा रहे हैं।

भारत के संविधान निर्माता इन कठिनाइयों के प्रति स्पष्ट रूप से स्पष्ट थे और उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आवश्यक एकरूपेण प्रगति के लिए एक

दूसरी विधि वाम में लाए हैं। सामाजिक विधि निर्माण क्षेत्र के अधिकांश कार्य उन्होंने समवर्ती सूची में रखे हैं जिस पर कि केन्द्र का पूर्ण प्राधिपत्य है। सप्तम अनुसूची के सम्बन्धी सूची के ५३ वें धारा पद के अनुसार 'सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, भाजीविका और बेकारी' धारापद २४ के अनुसार 'श्रमिक कल्याण जैसे कि कार्य करने की दशाएँ, भविष्य निधि (Provident Fund) स्वाभियो का उत्तरदायित्व, श्रमिकों की क्षति पूर्ति, अपङ्गता और वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन तथा मातृत्व सम्बन्धी विशेषाधिकार' और धारापद २० के अनुसार 'प्राथमिक व सामाजिक नियोजन' हेतु विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह सब शक्तियाँ चूँकि समवर्ती सूची में हैं इसलिए केन्द्रीय सरकार को इन पर विधि निर्माण करने में कोई कठिनता नहीं पड़ेगी।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) के अनुसार हमारे संविधान के प्रमुख उद्देश्य इस सम्बन्ध में ये हैं—

“और अपने समस्त नागरिकों हेतु सामाजिक, प्राथमिक व राजनीतिक न्याय, पद व अवसर की समानता करना है।”

यह उद्देश्य विधान के चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा पूरे किए जाने का प्रबन्ध किया गया है। उदाहरणतः विधान के ४३ वा अनुच्छेद के अनुसार—

“राज्य आवश्यक विधियों अथवा आवश्यक सगठन या किसी और प्रकार से योग्य वेतन तथा कार्य करने की व्यवस्थाएँ, जो कि जीवन के सम्पत्ता पूर्ण स्तर को बनाए रखने के लिए तथा अवकाश का एवं सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरों का आनन्द प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।”

भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों ने भारत हेतु एक लोक-कल्याण राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो सामाजिक विधि निर्माण, तथा सामाजिक सेवाओं के प्रशासन के लिए संविधान के आवश्यक प्रबन्ध यथेष्ट रूप से उचित हैं।

न्यायालयों के पुनरावलोकन का अधिकार

संघीय संविधान दो पक्षों के मध्य में एक समझौता है और इस समझौते के दोनों पक्ष प्रादेशिक और केन्द्रीय सरकारें हैं। प्रत्येक समझौते को भविष्य की कठिनाइयों से बचाने के लिए तथा एक निश्चित रूप देने के लिए लिखित होना ही चाहिए। प्रत्येक लिखित संविधान चाहे वह कितना ही स्पष्ट व लिखित क्यों न हो किसी न किमी अनुच्छेद या प्रबन्ध पर उसके एक से अधिक धर्म निभाते जा सकते हैं और सही धर्म क्या है इस सम्बन्ध में वादविवाद उठ सकता हो सकता है। संविधान के निर्माता इस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं कि संविधान की भाषा में किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता न रह जाय ताकि भविष्य में उसके एक से अधिक धर्म निभान सकें। किन्तु कितना ही ध्यान क्यों न रखा जाय कोई न कोई भाषा सम्बन्धी अस्पष्टता रह ही जाती है और किसी भी सार्वजनिक प्रबन्ध के एक से अधिक धर्म निकल सकते हैं। सही धर्म का निर्णय करने के लिए यह आवश्यक है कि एक स्वतन्त्र संस्था जो कि संविधान की व्याख्या कर सके तथा जिसका निर्णय अन्तिम एवं सब पक्षों को मान्य हो। ऐसी संस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होगा और यह संस्था अपनी शक्तियों को स्वयं संविधान से प्राप्त करेगी तथा केन्द्र व राज्यों की सरकारों से पूर्णतया स्वतन्त्र होगी।

प्रत्येक संघीय संविधान में केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच में शक्ति-विभाजन होता है। संघीय संविधान के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारों में से कोई भी दूसरे के क्षेत्र हस्तक्षेप न करे और यदि ऐसा हस्तक्षेप होता है तो संविधान द्वारा निमित्त एक स्वतन्त्र संस्था उठो रोकने के लिए प्रबन्ध हो। साधारणतः संघीय संविधानों में संविधान की रक्षा का यह कार्य न्यायालयों को सौंपा जाता है। यह न्यायालयों का एक विशेष अधिकार होता है कि वे संविधान को किसी भी प्रकार में भंग न होने दें तथा संविधान की सन्दिग्धतात्मक भाषा को विषय एवं वास्तविक व्याख्या करें।

सविधान की न्यायालयों द्वारा सारक्षिता का कार्य विधियों के पुनरावलोकन पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका यह अर्थ बदापि नहीं कि न्यायालय किसी भी विधि के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका द्वारा निर्माण होते ही उसकी सविधानिकता पर सपना मत प्रकट करे गे। इसका केवल यह अर्थ होता है कि जब कभी कोई नई विधि किसी भी बाद में प्रयुक्त होने का अवसर आवेगा तो वह पहले उसकी सविधानिकता का परीक्षण करे गे। यदि वह सन्विधान के अनुकूल है तो उसे प्रयोग किया जायगा और यदि वह सविधान के सम्बन्धों के प्रतिकूल है तो जिस अंश तक या पूर्ण रूप से प्रतिकूलता होगी वहाँ तक उसको सन्विधान के प्रतिकूल और रद्द घोषित कर दिया जायेगा। न्यायालयों का विधि के पुनरावलोकन का यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा भारत में भी है।

न्यायाधीशों को सविधानिकता के नाम पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। प्रमुख न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडीसन में सर्वोच्चता और न्यायालयों के पुनरावलोकन के अधिकार का दावा करते हुए यह कहा—

“जो भी लिखित सविधान का निर्माण करते हैं उनके विचार से निश्चित रूप से राष्ट्रों के मूलभूत सर्वोच्च विधियाँ हैं और इसके परिणामस्वरूप ऐसी प्रत्येक शासन का यह सिद्धान्त होना चाहिए कि व्यवस्थापिका की कोई भी विधि जो भी विधान के प्रतिकूल है रद्द है।

“यह सिद्धान्त आवश्यक रूप से लिखित सन्विधान से साथ जुड़ा हुआ है और इसके फलस्वरूप न्यायालयों द्वारा इसको हमारे समाज का एक मूलभूत सिद्धान्त के रूप में मानना होगा। भविष्य में इस विषय पर विचार करते समय हमें भूल न जाना चाहिए।”

(मारबरी बनाम मेडीसन के निर्णय से—हरमैन फाइजर—माइर्न गवर्नमेंट्स से उद्धृत पृ० १४२-४३)

उपरोक्त सिद्धान्त आगे चलकर मैकसो बनाम मैरीलैंड के प्रख्यात मुकदमे में लागू किया गया है। यह मुकदमा न्यायालय के पुनरावलोकन अधिकार के इतिहास में इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि इसमें सर्वप्रथम ‘निहित शक्तियों’ के सिद्धान्त का उपयोग हुआ था। संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने १८१६ में एक विधि द्वारा एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की थी। इस संघीय बैंक की शाखा मैरीलैंड राज्य में भी स्थापित की गई। मैरीलैंड राज्य ने ऐसी दस्तावेजों पर जो धन के लेनदेन से सम्बन्धित थी एक कर लगाया और इस वर को उन्होंने केन्द्रीय बैंक के दस्तावेजों पर भी लागू किया। मैरीलैंड शाखा ने संघीय बैंक के सजायगी ने इस कानून को मानना स्वीकार नहीं किया और इन्होंने पक्षरूप में मैरीलैंड राज्य ने गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि

संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने की शक्ति नहीं दी थी क्योंकि यह शक्ति मुद्रा के विनिमय परिचालन और नियन्त्रण के लिए आवश्यक है इसलिए संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 'निहित शक्तियों के सिद्धान्त' के अनुसार यह शक्ति उचित ठहराई। अपना निर्णय देते हुए प्रमुख न्यायाधीश मार्शल ने कहा—

“कोई भी संविधान अपने समस्त उप-विभागों के विस्तृत सविस्तार जितको कि इनकी महान शक्तियाँ स्वीकार करती है और वे सब साधन जिनके द्वारा इनको कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है वे इसको जितनी भी विधि संहिता के अत्यधिक विस्तार का रूप दे देंगे और उसको मानवीय मस्तिष्क कठिणता से धपना पाएगा। यह सम्भवतः साधारण जनता द्वारा कभी भी नहीं समझी जा सकती। इसकी प्रकृति के लिए यह आवश्यक है कि इसमें केवल युद्ध रूप-रेखा इसके उद्देश्य और इसके सारों का निश्चय किया जाय और इसके छोटे-छोटे विभाग जो कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं उनका निर्माण उन उद्देश्यों की प्रकृति के अनुसार हो जाय………किसी भी घण्टा तक यह इसके विच्छेद और न्यायपूर्ण व्याख्या के मार्ग में कोई भी प्रतिबन्ध न लगाने के कारण है। इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूखना चाहिए कि हम संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। यदि उद्देश्य वैधानिक है और संविधान के अंतर्गत है तो सब साधन जो कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से काम में लाए गए हैं और जिन पर कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है और जो विधान के शब्दों एवं भावनानुकूल हैं वे सब संविधानिक और उचित हैं।”

इस निर्णय के पश्चात् पिछले १५० वर्षों में न्यायालयों द्वारा संविधान की व्याख्या और विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार राष्ट्रीय संविधान के मद्देनसे प्राप्त हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बनाम बटलर में न्यायाधीश घोवन. जे. रोबर्ट्स ने न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति के सम्बन्ध में यह कहा—

“प्रत्येक अनुमान, कांग्रेस द्वारा मूलभूत नियमों के निर्देशों को निष्पट पासन के पक्ष में ही होने चाहिए। किन्तु हमारी शासन प्रणाली में और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि नागरिक या यह दावा सुना जा सके कि विधि जितनी भी दी गई शक्ति की सीमाओं का प्रतिफलण कर रही है……… यदि विधि संविधान के निहित सिद्धान्तों को भंग करती है तो हमें इसकी घोषणा करनी ही चाहिए।”

न्यायाधीश स्टोन ने इसी मुद्दे में अपना विरोधी मत देते हुए यह कहा—

“न्यायालयों के जितनी भी विधि को संविधान के प्रतिकूल घोषित करने का

यह अधिकार उन दो निर्देशक सिद्धान्तों के अधीन होना चाहिए और यह (सिद्धान्त) न्यायाधीशों की धेतना से कभी सुप्त नहीं होना चाहिए। प्रथम यह है न्यायालय केवल विधि निर्माण की शक्तियों से सम्बन्धित है न कि उनमें निहित बुद्धिमत्ता से। द्वितीय यह है कि जन शासन की कार्यकारिणी या व्यवस्थापिका शाखाएँ अपनी शक्तियों के प्रसाधनिक उपयोग न्यायालय के अधीन हैं तहाँ हमारे अपनी शक्ति के उपयोग पर केवल आत्म नियन्त्रण की भावना का ही प्रतिबन्ध है। विधि संहिता से प्रबुद्धिमत्तापूर्ण नियमों को हटाने के लिए प्रजातन्त्रीय शासन में अधीन न्यायालयों को न होकर जनता द्वारा मतदान की होनी चाहिए“ “ ।”

अल्लादी-शृण्णा स्वामी अय्यर ने भारतीय सविधान सभा के समक्ष बोलते हुए इस सम्बन्ध में यह कहा कि न्यायालयों को किसी भी विधि के ऊपर निर्णय देते समय यह मानकर चलना चाहिए कि वे सविधान के अनुकूल ही हैं केवल—

“यदि विधि किसी निश्चित उद्देश्य से हो या विधि निर्माण की सीमा का अतिक्रमण करती हो अथवा निजी कानूनों की भांति या शक्ति का अपटपूर्ण उपयोग हो तो न्यायालयों को ऐसे कानूनों को प्रसाधनिक और रद्द घोषित करना चाहिए।”

न्यायालयों के पुनरावलोकन के अधिकार की प्रालोचना करते हुए प्रो० लास्की ने कहा है कि—

“यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रसाधनिक निर्णय की गई विधियों में से अधिकांश, वास्तव में, विशुद्ध कानूनी सिद्धान्तों पर ही नहीं की गई हैं किन्तु तार्किक क्या है, इस दृष्टिकोण पर किए गए तार्किकता के तथ्य का निवास स्थान बदलता नहीं है किन्तु इसका निश्चय करने वालों के स्वभाव और सम्बन्ध से पूर्णतः निर्मित होता है। कुछ व्यक्तियों में तो इतनी समझ हो सकती है कि वे अपने सीमित अनुभवों की विशेष परिधि को पार कर अपने आपको बाहर ले जा सकें किन्तु अधिकतर उसी में बन्द ही रहते हैं और उन्हें अपने बन्दी रहने का आभास भी नहीं होता“ “ न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका की इच्छा को रद्द कर देने की शक्ति देना उसको राज्य में निर्णायक स्तर बना देना है……कोई भी लिखित सविधान जिसमें कि व्यवस्थापिका को इस हक से नियन्त्रित किया गया हो, मेरी समझ में एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि सविधान सदैव अपने समय की प्रचलित गति को प्रतिबिम्बित करता है न्यायाधीश सामान्यतः उसी समय की गतियों से अधिक परिचित होगा और वे विचार जो कि इसमें प्रतिबिम्बित से होते हैं उन्हीं से घेगा होगा, अपेक्षाकृत, उसके पश्चात् की एवं प्राथमिक समय की गतियों से।”

न्यायालय के पुनरावलोकन के अधिभार का मुख्य आधार यह है कि सूक्ति संविधान ने सरकार को जन्म दिया है इसलिए सब सत्ता उसके अधीन होनी चाहिए। परन्तु शूक्ति न्यायालय संविधान को ध्याय्य करते हैं इसलिए न्यायालय सब संस्थाओं से श्रेष्ठ है। प्रधान न्यायाधीश ह्यूजेस का इस सम्बन्ध में कथन है 'हम लोग एक संविधान के अधीन हैं किन्तु संविधान वही है जो कि न्यायाधीश उसे कहते हैं।' इस बात का कोई आधारवाचन नहीं है और न कोई मार्ग ही है जिसके द्वारा इन निर्णयों को प्रमाणीकरण किया जा सके। विभिन्न न्यायालयों ने विभिन्न समयों पर संविधान की विभिन्न व्याख्याएँ की हैं और न्यायालयों का पाठ जो निर्णय देना की सब सत्ताओं को उसे मानना होगा। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जिताकी ठीक समझते हैं उसको यह टुकरा सकते हैं। इनके निर्णय न्यायाधीशों की विशेष प्रवृत्ति उनकी सनक और द्रष्टाएँ, उनके राजनैतिक सिद्धान्त, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और वास्तविकता की परिस्थितियों पर साधारणतः निर्भर करते हैं। न्यायालय के इस पुनरावलोकन के अधिभार की इस आधार पर आलोचना हुई कि अन्तिम निर्णयारम्भ कर्त्ता संसदियों के हाथ में दे देते हैं, और जिनसे भी पाँचवें व्यक्ति के ऊपर निर्णय प्रायः निर्भर रहता है। और शूक्ति इनमें से कोई भी जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है और न जनता का प्रतिनिधित्व ही करता है इसलिए यह एक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था नहीं है, जिसको हम साधारणतः 'न्यायाधीशों द्वारा शासन' कहते हैं, जन्म देता है।

संयुक्त राष्ट्र समरीका के सर्वोच्च न्यायालय को प्रायः क्रायेंस का तीसरा सदन कहा जाता है। वास्तव में एक बहुत बड़े सनक यह सत्य भी है। इसके पश्चात् पुनरावलोकन की शक्ति है जो कि विश्व में किसी भी द्वितीय सदन के पास नहीं होगी। इसने पाठ वास्तव में किसी कानून को स्वीकार अस्वीकार कर देने की सत्ता है। इस सत्ता के कारण इसको एक अत्यन्त शक्तिशाली पुनरावलोकन करने वाला द्वितीय सदन या व्यवस्थाविधा से भी ऊपर एक सत्ता मान सके हैं। किन्तु ऐसा करना प्रजातन्त्रीय पद्धति के विरुद्ध होगा और कोई भी जों कि अपने को वास्तविक सधों में प्रजातन्त्र कहता है उसके लिए न्यायाधीशों को यह देना सम्भव नहीं है।

न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून उनकी व्यक्तिगत सनको एवं पदावली पर निर्भर रहेगा और किसी विशेष न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रवृत्ति उस न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी। कोई भी न्यायालय जिसमें अधिकांश अनुदार न्यायाधीश हैं लोक-वस्थाएँ कानूनों को राज्य के अधिकांश क्षेत्र में नियन्त्रण की वृद्धि के अधिकांशों के प्रति सहानुभूति नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई भी न्यायालय जिसमें अधिकांश न्यायाधीश उच्च एवं सुधारवादी विचारधारा के हैं, प्रतिनिध्यावादी कानूनों को अस्वीकार कर देंगे। न्यायालय के द्वारा पुनरावलोकन की

पद्धति न्यायाधीशों को अधिक सत्ता प्रदान करती है। और यह पूर्ण सम्भावित बात है कि न्यायाधीश इस सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। न्यायालयों के निर्णय प्रायः बहुमत के आधार पर होते हैं और यह कहा गया है कि जब दोनो पक्षों की ओर पार-पार न्यायाधीश होने और जिस ओर भी पाँचवाँ न्यायाधीश हो जायेगा उसी पक्ष की विजय होगी। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति किसी एक न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करेगी और यह प्रकृति न्यायाधीश समस्त राजनीतिक संस्थानों जिसमें कि व्यवस्थापिका भी सम्मिलित है, से भी अधिक शक्ति का अधिकारी होगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति, साधारणतः, राज्य के प्रमुख के द्वारा होती है और संयुक्त राष्ट्र समूहों जैसे देश में जहाँ राज्य के प्रमुख के पास शासन की समस्त कार्यकारिणी शक्ति भी होती है वहाँ इस बात की संशयपूर्ण सम्भावना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी कानूनी योग्यता के अनुसार कम और उनकी दलीय-भ्रष्टाचार एवं सहानुभूतियों के अनुसार अधिक हो। यदि एक ही राष्ट्रपति के प्रशासन काल में एक से अधिक सर्वोच्च न्यायालय में पद रिक्त हुए, तो वह राष्ट्रपति अपने दल से सहानुभूति रखने वालों से न्यायालय को 'भर सकता है'। ऐसे न्यायालय से हम निष्पक्ष निर्णय की आशा करें, विशेषतः क्राइसिस द्वारा निर्मित कानूनों के सम्बन्ध में, तो यह व्यर्थ होगा। राष्ट्रपति के पद में परिवर्तन होने पर और दूसरे दल के प्रशासन काल प्रारम्भ होने पर ऐसा न्यायालय स्वभावतः अधिकतर कानूनों का जिनको यह पसन्द नहीं करता है विरोध करेगा। रिपब्लिकन दल से सहानुभूति रखने वालों के द्वारा भरा हुआ न्यायालय किसी भी डेमोक्रेट दल के प्रस्ताव का बहुत ही ध्यानपूर्वक और धालो-पनासमक रूप से परीक्षण करेगा और ऐसे कानून को अस्वीकार करने का या असांख्यिक घोषित करने का कोई भी अवसर नहीं लौएगा। इसी प्रकार से डेमोक्रेट दल द्वारा भरा हुआ न्यायालय रिपब्लिकनो के प्रस्तावों के साथ करेगा। न्यायालय को सम्बिधान निर्माताओं द्वारा दिये गये अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए निष्पक्ष होना आवश्यक है। किसी सीमा तक यह है भी, किन्तु हम सम्बन्ध में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। उदाहरण स्वल्प न्यायाधीशों की शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी व्यक्तिगत सनक और इच्छाएँ, उनकी राजनीतिक सहानुभूतियाँ तथा महत्वाकांक्षाएँ जिनकी भी न्यायालय के लिए हम सम्बन्ध में सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि वह यह अनुमान करके लें कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून विधानानुकूल ही होगा और तभी वह इन कानूनों का पक्षपातगर्हित निर्णय कर सकता है।

न्यायालयों के इस अधिकार के पीछे साविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने

का विचार है। संविधान की सर्वोच्चता एवं राष्ट्रीय शासन में प्रत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। यह संविधान के प्रबन्धों को भंग होने से सुरक्षित रखती है। यह समस्या एकात्मक राज्यों में नहीं पाई जाती। ब्रिटेन जो कि एकात्मक राज्य है उसमें संसद की सर्वोच्चता का सिद्धान्त माना जाता है और वहाँ पर कोई भी न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पुनरावलोकन नहीं कर सकता किन्तु समुक्त राष्ट्र धमरीबा में सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो कि कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को रद्द भी कर सकती है। न्यायाधीशों के द्वारा नक्ति के दुरुपयोग का केवल यही उपचार है कि संविधान में संशोधन किया जाय किन्तु राष्ट्रीय बटोर संविधानों में संशोधन करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस सम्बन्ध में जेम्स हार्ट का मत है—

“सामूहिक सत्ता की कमियों को दूर करने का प्रभावशाली तरीका केवल संशोधन योग्य में संशोधन करना है। हमें न्यायाधीशों के पुनरावलोकन का न तो भ्रम ही करना है और न उस पर प्रत्यधिक प्रतिबन्ध ही लगाने हैं”
इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम उपचार यह है कि कांग्रेस की ध्येय और व्यापार की शक्तियों की पुनः परिभाषा करें ताकि न्यायालय को इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के स्थान पर अपनी इच्छा को प्रतिस्थापित करने का अवसर न रह जाय।”

(मोडर्न गवर्नमेंट्स पृ० १४६ से उद्धृत)

न्यायाधीश पेंडिबन, फ्रैंक पट्टर ने न्यायालय के इस अधिकार की आलोचना करते हुए कहा कि—

“न्यायिक पुनरावलोकन स्वयं ही जनतन्त्रीय सरकार पर नियंत्रण है और हमारी संवैधानिक दृष्टि का एक मूलभूत भाग है। किन्तु हमारी मूलभूत स्वतन्त्रताओं का संरक्षण न्यायालय के समान व्यवस्थापिका के अधिकार में भी है यह व्यवस्थापिका के अधिकार के दुरुपयोग का, व्यवस्थापिका सभाओं और जनमत के समक्ष विरोध करने से, न कि ऐसे राष्ट्रों को न्याय क्षेत्र में हस्तान्तरित कर देने से स्वतन्त्र जनता के भारत-विश्वास को प्रभावित करने का कार्य करेगा।”

समुक्त राष्ट्र धमरीबा के संविधान के अनुबन्ध ६ के द्वितीय उपबन्ध के अनुसार समुक्त राष्ट्र द्वारा की गई समस्त गन्धियाँ राष्ट्र का सर्वोच्च कानून मानी जावेंगी—

“यह संविधान और समुक्त राष्ट्र के कानून जो कि इनके अन्तर्गत निर्मित होंगे और सब गन्धियाँ जो कि समुक्त राष्ट्र की सत्ता के द्वारा की गई हैं या की जावेंगी, देश के सर्वोच्च कानून होंगे और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश राज्य के संविधान या कानूनों में इनके कोई भी प्रतिकल्प की अपेक्षाएँ भी इनके द्वारा रद्द हुए होंगे।”

यह अनुबन्ध न्यायालयों के पुनरावलोकन की शक्तियों को सन्धियों पर भी लागू करता है और उन्हें किसी भी सन्धि के प्रबन्धों की व्याख्या करने की और ग्रंथ निकालने की शक्ति देता है। हैमिल्टन इस अधिकार के पक्ष में था और अमेरिकन विधान के निर्माता भी इससे सहमत रहे होंगे जबकि उन्होंने इस अनुबन्ध को सविधान में स्थान दिया है। हैमिल्टन ने इस सम्बन्ध में कहा है कि—

“कानूनों की व्याख्या करना न्यायालयों का विशिष्ट और सही क्षेत्र है। सविधान वास्तव में, और ऐसा ही इसे न्यायाधीशों द्वारा माना जाना चाहिए, मूलभूत कानून है। इसलिए वह उनका कार्य है कि यह इसके ग्रंथों को मान्य करे और किसी विशेष कानून को जो कि किसी व्यवस्थापिका सभा द्वारा निमित्त है, ग्रंथों का भी पता लगावे। यदि इन दोनों के बीच में कोई विरोधी अन्तर है तो जिसके प्रति अधिक कर्तव्य और अधिक मान्यता है उसी को मानना चाहिये। या दूसरे शब्दों में, सविधान को कानूनों से अधिमान देना चाहिए और जनता की इच्छा को जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा से अधिमान देना चाहिए।”

(केड्जेलिसट, पृ० ५०६)

उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि जो कानून सविधान के विपरीत हो उन्हें रद्द कर देना चाहिए और कोई भी न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता है। हैमिल्टन के शब्दों में—

“किसी भी श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ सत्ता के हस्तक्षेप करने वाले कार्यों के सम्बन्ध में मौलिक और व्युत्पन्न शक्तियों, उस वस्तु के स्वभाव और तर्क यह बात बतलाते हैं कि उसके विपरीत नियम ही पालन करने योग्य है। वे हमें सिखाते हैं कि किसी श्रेष्ठ सत्ता के पहले वाले अधिनियमों को किसी अधीनस्थ या निकृष्ट सत्ता के बाद के अधिनियमों से मान्य होंगे और उसके अनुसार जब कोई विशेष कानून सविधान को भङ्ग करता है, तो न्यायालयों का यह कर्तव्य होगा कि वे सविधान को मानें और ऐसे नियमों को अस्वीकार करें।”

(केड्जेलिसट, पृ० ५०७)

न्यायालयों के इस अधिकार के दुरुपयोग के सम्बन्ध में हैमिल्टन का कथन है—

“इसका कोई महत्व नहीं होगा कि न्यायालय प्रतिकूलता के सहानुभूति अपनी इच्छाओं को व्यवस्थापिकाओं की इच्छा के स्थान पर प्रतिस्थापित करे। यह उन विपरीत नियमों के द्वारा भी हो सकता है और यह किसी नियम के लागू करने में भी हो सकता है। न्यायालयों के लिए किसी भी कानून के ग्रंथों की घोषणा करना आवश्यक है और यदि वह ‘निर्णय’ के स्थान पर अपनी इच्छा का प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम व्यवस्थापिका सत्ता के स्थान

पर अपनी दृष्टियों के प्रतिस्थापित करने के समान ही होगा। यह यदि कृप
सिद्ध करता है तो देवत यह कि उस संस्था से भ्रमण न्यायाधीन होने ही नहीं
चाहिए।”

(केड्सिस्ट पृ० ५०७-८)

न्यायालयों के इस पुनरावलोकन के अधिकांश ने विशेषतः सपुत्रराष्ट्र पदवीका
के केन्द्रीय सरकार को संविधान की जटिल संशोधन विधि और कठोरता की आवश्यक
क्षतियाँ दी हैं। न्यायालयों से यह आशा की जाती है कि यह समय की गति
के अनुसार घले और संविधान को आवश्यक लचीलापन देंगे जिससे द्वारा संविधान
परिवर्तित विचारों एवं समस्याओं के अनुकूल हो जायगा। राष्ट्रपति जैक्सन जेम्स
ने जनवरी, १९६७ में संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस को अपने भाषण में इस सम्बन्ध में कहा—

“मुझे आवश्यकता हमारे मूलभूत कानून में परिवर्तन करने की नहीं है किन्तु
इस सम्बन्ध में अधिक सुनिश्चित प्रकाशित दृष्टिकोण रखने की है। ऐसे मामलों
का हमें पता लगाना ही होगा जो कि हमारे कानूनी ढाँचे और न्यायिक
व्याख्याओं को विद्व की सबसे बड़ी प्रतिशोध प्रजातंत्र की वास्तविक वर्तमान
आवश्यकताओं के अनुसार हो।”

(फाइवर, नोबर्न गवर्नमेंट्स, पृ० १५० से उद्धृत)

इतनी आसौचना एवं प्रशंसाओं, भय एवं आशाओं की अपेक्षा भी हम इस
स्थिति में नहीं हैं कि न्यायालयों के पुनरावलोकन के इस अधिकांश का भ्रमण
कर दे। यदि यह दोष है तो हमें अपने भाषकों इस विचार से सागरवना देनी होंगी कि यह एक
आवश्यक दोष है।

धर्म निरपेक्ष राज्य

राज्य की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि राज्य कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ। यह एक विवादप्रस्त समस्या है। किन्तु यह निश्चित है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रारम्भ में धर्म ने यथेष्ट रूप से महत्वपूर्ण योग दिया है। ग्रीस, रोम, मध्यपूर्व के पुरातन साम्राज्य, अफ्रीका, चीन तथा भारत आदि देशों के इतिहास को पढ़ने से सिद्ध होता है कि प्रारम्भ में धर्म और राजनीति अत्यन्त ही निकट रूप से सम्बन्धित थे और सबसे प्राचीन राजा पुजारी राजा थे। पुरातनकाल के लोगों के लिए धर्म से अलग या धर्म से उदासीन किसी राज्य की कल्पना करना सम्भव नहीं था। विभिन्न धर्मों के मध्य निरपेक्षता की भावना भी असम्भव थी।

ग्रीक राजनीतिक दर्शन में धर्म का स्थान, नीतिशास्त्र में मुकरान, अफलातून और अरस्तू के प्रभाव से ले लिया था। इन विचारकों ने राजनीति का अध्ययन नैतिक दृष्टिकोण से किया है। उनका यह विश्वास था कि राज्य स्वयं नैतिकता का प्रचार कर सकता है और एक विशेष प्रकार को शिक्षा-नीति श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण कर सकती है। राजनीति और नीतिशास्त्र का यह सम्मिश्रण पुरातन भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं में पाया जाता है।

मध्ययुग में जब और राज्य के सम्बन्ध निर्धारण की समस्या ने एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया है। उस काल में यह माना जाता था कि धर्म राज्य की अपेक्षा एक श्रेष्ठ सत्त्वा है। यह ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है और राज्य को इसके द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ख्रिश्चियन धार्मिक विचारक यहाँ के पार्थिव जीवन को भविष्य में माने वाले स्वर्गीय जीवन के लिए तैयारी करने का साधन मात्र मानते हैं। उनके विचार में भविष्य में माने वाला जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ का पार्थिव जीवन राज्य के नियन्त्रण में रह सकता है किन्तु भागे माने वाला

जीवन जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, उसके लिए ठीक संपादनी सभी हो पायेगी जबकि चर्च राज्य के कार्यों की देखरेख रखेगा एवं उनका निर्देशन करेगा। प्रो० गैब्राइल के शब्दों में :

“चर्च का इतिहास इसलिए घोरस्टाइन के लिए अत्यंत में 'मिस्य में ईश्वर की प्रगति है' जिसकी अभिव्यक्ति को हेगल ने सगर रूप से राज्य के लिए प्रयोग किया है। सारी मानव जाति वास्तव में एक परिवार है किन्तु इसका अन्तिम भविष्य पृथ्वी पर नहीं किन्तु स्वर्ग में है। यह मानवीय जीवन ईश्वर की प्रच्छाई और विद्रोह धारणाओं की पुराई के मध्य एक निरन्तर संपर्क का स्थान है। सारा मानवीय इतिहास देवी मुक्ति की योजना को हमारे सामने पेशता है और इस इतिहास में चर्च का प्रकट होना एक निष्णातिक धारा का प्रतीक है। इसके पश्चात् मानव की एकता का अर्थ है चर्च के नेतृत्व में ईसाई धर्म की एकता। इससे यह तार्किक अर्थ निकाला जा सकता है कि राज्य चर्च का केवल एक धार्मिक अंग है।.....उन्होंने बहुत शताब्दियों तक के लिए यह निश्चित विचार रखा कि इस नई ध्येयस्था में राज्य ईसाई ही होगा और यह ऐसे समुदाय की सेवा करेगा जिसमें कि एक ही ईसाई धर्म के पालन करने के कारण एकता हो। एक ऐसे जीवन का पालन कराएगा जिसमें कि साम्यारिभक हित दूसरे हितों से श्रेष्ठ माने जायेंगे और जो कि मानवीय मुक्ति के लिए धर्म की शुद्धता को बनाए रख कर अपना अनुदान देगा।”

(हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थ्योरी पृ० १७१)

उपरोक्त उद्धरण मध्ययुग में धर्म और राजनीति के सम्बन्ध को तथा उस युग के राज्य की प्रकृति को पूर्णतया स्पष्ट कर देता है, और यह सब केवल मध्य युग के लिए ही सत्य नहीं है। शतरहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में भी ऐसे विचारों का समेट महत्व था। प्रो० गैब्राइल का इस सम्बन्ध में कथन है—

“शतरहवीं शताब्दी के विचारकों के लिए इस विचार से कि राज्य सामान्य धार्मिक विषयों पर एवं उनसे सम्बन्धित प्रश्नों से अलग रह सकता है, अधिक कोई कठिन विचार नहीं था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी ग्लेडस्टन यह तर्क कर सकता था कि राज्य के एक अन्तरात्मा है जो उसे धार्मिक सत्य और धर्म के मध्य में विभेद करने की योग्यता प्रदान करती है।”

(हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थ्योरी पृ० १७१)

इसके पहले कि हम सामुदायिक युग और उसकी विचारधाराओं के सम्बन्ध में परीक्षा करें हमारे लिए उन कारणों को जानना आवश्यक है जिन कारणों से धर्म और राजनीति के मध्य पुरातन तथा मध्य युग में इतना पक्का सम्बन्ध रहा। इतिहास

का मध्यमन करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि उस अव्यवस्था और अर्ध-सम्य काल में केवल शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके राज्य अपनी आशाओं का पालन जनता से कराने में सफल नहीं सकता था और न जनता का इतना बौद्धिक विकास ही हुआ था कि वह शासन पालन करने की आवश्यकता को समझती । उस समय में साधारण व्यक्ति से कानून मनवाने के लिए यह आवश्यक था कि उसमें ईश्वरीय भय उत्पन्न कर दिया जावे । यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम उस वस्तु से डरते हैं जिसको हम नहीं जानते या समझते । विजलो, वादलो की गडगडाहट, भूचाल आदि प्राकृतिक घटनाओं को पुरातन या मध्यकालीन व्यक्ति बुद्धि एवं विज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता था । इसलिए इन प्राकृतिक घटनाओं को अपने पापों के परिणामस्वरूप ईश्वरीय कोप का प्रतीक मानता था । प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने की प्रवृत्ति सम्पूर्ण विश्व में पाई जाती है । ग्रीस के जुपीटर और भारत के इन्द्र की प्रायः एक ही प्रकृति, शक्ति एवं कार्य हैं । इसलिए धीरे-धीरे एक ऐसे ईश्वर का विचार व्यक्तियों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ और जिस विचार का पुजारियों ने पोषण दिया जो कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य की देखरेख करता है, पाप और पुण्य का हिसाब रखता है तथा मृत्यु के पश्चात् पापों के लिए नरक में दण्ड देता है ।

आधुनिक काल के प्रारम्भ में राजाओं ने दैवी अधिकारों के सिद्धान्त की उत्पत्ति में सहयोग दिया और विश्वास करना भी प्रारम्भ किया । राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था इसलिए वे उसी प्रकार से पूज्य थे जैसे कि ईश्वर । राजा की भवशा ईश्वर की भवजा थी और ऐसी भवजा चूँकि पाप थी इसलिए इसके परिणामस्वरूप नारकीय यातनाएँ भोगना निश्चित था । राज्य के दण्ड से बचा भी जा सकता है किन्तु ईश्वर को घोला देना या ईश्वरीय दण्ड से बचना नितान्त असम्भव था । ईश्वरीय दण्ड चूँकि केवल कल्पना पर आधारित था और चूँकि उसके विषय में किसी को भी ठीक-ठीक पता न था इसलिए वह राज्य के दण्ड से भी अधिक भय उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ । धर्म ने साधारण व्यक्तियों से राज्य के कानून मनवाने में राज्य की पूर्ण सहायता की है ।

साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि आधुनिक काल में मेकियावेली प्रथम विचारक था जिसने कि धर्म को राजनीति से अलग करने का प्रयत्न किया है, किन्तु ऐसा वास्तव में सत्य नहीं है । मेकियावेली जैसा महान् कूटनीतिज्ञ राजनीति के लिए धर्म का महत्व समझता था । उसने न तो धर्म का अन्त करने की ही सलाह दी है और न धर्म को अलग करने की किन्तु केवल धर्म को राज्य के अधीनस्थ बनाने की । वह धर्म को राजा के द्वारा राजनीति का एक उपयोगी अस्त्र बनाना चाहता था । धर्म के नाम पर जनता से राजाशासन पालन कराना और राज्य को अक्षिणशील बनाने में सहयोग देना वह आवश्यक समझता था । मेकियावेली का राजा अथवा राज्य न तो धर्मनिरपेक्ष है और न धर्म विरोधी ।

विज्ञान की प्रगति ने हमको प्राकृतिक शक्तियों को समझने का ज्ञान दिया और एक नवीन बुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। अब हम यह विश्वास नहीं करते कि विजली का चमकना या बादल का गड़गड़ाना इन्द्र के कोप के प्रतीक हैं। किन्तु अब हम यह जानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक घटनाएँ हैं जिनकी हम सामान्यी से समझ करने हैं तथा दूसरों को समझा सकते हैं। विज्ञान की प्रगति ने अन्धविश्वासों भूठी धार्मिक कल्पनाओं दैवी शक्तियों और अज्ञातपूर्व घटनाओं में हमारे विश्वासों, की जड़ों को हिला दिया। बुद्धिवादी दृष्टिकोण के विकास से राज्य की आज्ञा पालन करने के आधार में भी परिवर्तन हुआ है। अब हम राजा आज्ञा का पालन, चैनल दृष्टि के द्वारा वास्तु की आवश्यकता को समझ कर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बनाए रखने के लिए तथा सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब धर्म राजनीतिक दृष्टि से न आवश्यक है और न महत्वपूर्ण ही।

कार्ल मार्क्स ने धर्म का राज्य के कार्यक्षेत्र से पूर्णतः अलग कर दिया था। उसका राज्य को हम धर्म विरोधी राज्य कह सकते हैं। वह धर्मको शासक तथा पूँजीपति वर्ग के हाथ में शोषण का अस्त्र मानता है। उसके लिए धर्म जनता की अज्ञानता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि राजनीति और धर्म में सर्वत्र एक अविच्छिन्न गठबन्धन रहा है और गठबन्धन का उद्देश्य सामान्य व्यक्ति का शोषण और उनकी पददमित अवस्था में रखना रहा है। इन सिद्धान्त ने हमारे सब दुख एवं अज्ञानों भाव्य ईश्वर के कारण प्रगति के रास्ते में यथेष्ट बाधा डाली है और शोषणकर्ताओं के हाथ में एक अत्यन्त उपयोगी अस्त्र दिया है। इसीलिए सोवियत जैसा विचारक यह कह सक्ता कि एक निर्दयी और उत्पीड़न करने वाला राजा की आज्ञा जनता को माननी ही चाहिए क्योंकि ऐसे राजा को ईश्वर ने जनता के पुराने पापों के लिए दण्ड देने के लिए भेजा है। जनता को अपने सब कष्टों को गरीबी, उत्पीड़न, शोषण आदि का उत्तरदायित्व भाष्य पर डाल देने की आदत धर्म और राजनीति के इस अविच्छिन्न गठबन्धन के कारण ही पड़ी। धर्म ने जनता में प्रगति एवं नए विचारों के प्रति अज्ञानता, अंधविश्वास एवं उदासीनता उत्पन्न की।

प्रजातन्त्र और बुद्धिवादिता के उदय के कारण राजनीति के क्षेत्र में धर्म के महत्व का अन्त हुआ गया और उसका स्थान एक नवान दृष्टिकोण ने लिया जिसकी वि हम धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण कह सकते हैं। यह दृष्टिकोण सब धर्मों के प्रति पूर्ण निरपेक्षता का है, और अब हम धर्म को सारे समाज का एक सामूहिक कार्य न मानकर व्यक्ति का एक निजी कार्य मानते हैं। भाषुनिष्ठ व्यक्ति धर्म को व्यक्ति और ईश्वर के मध्य एक निजी सम्बन्ध मानता है। व्यक्ति की यह पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह इस सम्बन्ध का किस प्रकार से निर्धारण करे तथा किस ईश्वर से वह धरना सम्बन्ध

रसे । राज्य एवं दूसरे व्यक्तियों को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । जब तक यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित न हो सकेगा । यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ न तो धर्म-विरोधी दृष्टिकोण है और न धर्म के प्रति उदासीनता ही है किन्तु विभिन्न धर्मों के मध्य निरपेक्षता या यी मानिये कि धर्म के सम्बन्ध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता है । जब तक हम यह दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे तब तक हमारा सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक विकास पूर्णतः संभव नहीं होगा ।

धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी राज्य कदापि नहीं है । इसका केवल यह अर्थ है कि राज्य न तो किसी एक या सब धर्मों पर रोक ही लगायेगा, न धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप ही करेगा और न धर्म विरोधी दृष्टिकोण या नास्तिकता का प्रचार ही करेगा । इसलिये हम किसी भी साम्यवादी राज्य को या किसी ऐसे राज्य को जो कि धर्म पर रोक लगाता है, धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं मान सकते । यह सत्य है कि प्रत्येक राज्य को किसी सीमा तक धार्मिक कार्यों पर नियन्त्रण रखना होगा । ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य जो कि दूसरे धर्मों के मानने वाले को भावनाओं को चोट पहुँचाता है या जो अनैतिक है या जो सामाजिक सुधारों में रुकावट डालता है, या जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैलने का डर हो, ऐसे कार्यों पर राज्य को रोक लगानी आवश्यक है । उदाहरण स्वरूप भारत में गोवध की समस्या है । हिन्दू धर्मावलम्बी गाय को एक पवित्र पशु मानते हैं जिसको न तो हानि पहुँचाई जा सकती है और न इसको मारा जा सकता है जबकि इस उपमहाद्वीप पर रहने वाले मुसलमान गोवध को जबाब मानते हैं । यदि ऐसी समस्याओं पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो समाज में एक अव्यवस्था फैलने का भय है । गोवध पर रोक लगाना धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है और न मुस्लिम धर्मावलम्बियों के विश्वासों में हस्तक्षेप ही है, किन्तु केवल यह एक धार्मिक कार्य को जनहित में नियन्त्रित करना है ।

प्रत्येक धर्म को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । एक उसका नैतिक भाग और दूसरा आडम्बर वाला भाग । इनमें से नैतिक भाग अधिक मूलभूत और धर्म का वास्तविक आधार है । आडम्बर वाला भाग समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और राज्य को इस भाग में प्रायः हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाना है । ऐसा हस्तक्षेप धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता । अधिकांश धार्मिक कार्य अन्धाविश्वासों एवं काल्पनिक कथाओं पर आधारित होते हैं न कि नैतिकता पर । भारत में ब्रिटिश सरकार को कई बार अनैतिक एवं समाज विरोधी धार्मिक कार्यों पर रोक लगानी पड़ी थी, उदाहरण स्वरूप सती प्रथा, बाल-विवाह आदि । हमारे नवीन संविधान में भी अछूत प्रथा का अन्त किया गया है । यह सब कार्य नये तो धर्म अनावश्यक हस्तक्षेप ही हैं और न धर्म विरोधी दृष्टिकोण के

परिणाम है। धार्मिक ब्राह्मणों और परम्परागत धार्मिक रुढ़ियों को जनहिा में निर्देशित करना तथा नियंत्रण लगाना राज्य का एक प्र वश्यक कार्य है अन्यथा यह धार्मिक रुढ़ियों प्रगति के मार्ग में बाधा डालेंगी।

धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीन नहीं होता है। येनहेंटे क्रोस के अनुसार—

“.....विशुद्ध राजनीति नैतिकता को त्रिभष्ट नहीं किन्तु धरती उत्पन्न करती है और उसमें धरती पूर्णता एव श्रेष्ठ अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है। वास्तविकता के जगत में राजनीतिक या धार्मिक कार्यों का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि दूसरों के अलग करने प्राय स्वतन्त्र रह सके, किन्तु वेवल धार्मिक कार्यों की एर व्यवस्था है, और जिस व्यवस्था में जो उपयोगी है वह निरंतर उसमें परिवर्तित होता है जाकि नैतिक है। राजनीति में नैतिक भावना इसके कार्यों का आधार एव प्रश्न दोनों है। यह एक शरीर के समान है जिसको कि राजनीति नवान् आत्माओं से भरती है और धरती इच्छानुसार दिशा देती है। जैसा जब तक राजनीति और धार्मिक जीवन की स्थापना नहीं हो जाती है नैतिक जीवन स्थापित नहीं हो सकता है जैसा कि पुरातन ध्यक्ति कहा करते थे पहले 'जीवन' और फिर 'श्रेष्ठ जीवन'। दूसरी ओर जैसे शरीर के बिना कोई आत्मा नहीं हो सकती वैसे ही कोई ऐसा नैतिक जीवन नहीं जो कि साथ ही साथ धार्मिक एव राजनीतिक जीवन भी न हो।”

(पोलिटिकल एण्ड मोरल्स, पृ० २३-२४)

इसीलिए हमें यह एक क्षण के लिये भी न समझना चाहिए और न सोचना चाहिए कि धर्म निरपेक्ष राज्य किसी प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है या सब धर्मों के प्रति उदासीन सत्ता है। नैतिकता के बिना श्रेष्ठ जीवन और सामाजिकता समभव नहीं है। मान्यताओं एव भावदण्डों के बिना सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और यह मान्यताएँ और भावदण्ड हमें वेवल नीतिशास्त्र से ही प्राप्त हो सकते हैं या दूगरे सन्दो में धर्मों के मूलभूत भाग में। जब भावों ने धर्म को जनता की धरती यताया था तो यह वेवल धर्म के ब्राह्मण होने भाग के सम्बन्ध में ही सत्य था। धर्म का जो नैतिक भाग है वह जनता को धरती नहीं है धरती धर्म है। सब राज्यों एव समस्त सामाजिक समूहों के लिये किसी न किसी प्रकार का नैतिक मान्यताएँ और भावदण्ड प्रवश्य हैं जिसको कि संसदीय में गांधी जी ने नैतिक धर्म का नाम दिया है।

इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो न तो धर्म विरोधी है और न धर्म के प्रति उदासीन है किन्तु जो सब धर्मों के प्रति पूर्णरूप से निरपेक्ष है। पत्र-वर्ती राजगोपालाचारी का इस सम्बन्ध में कथन है कि—

“यह बार बार कहा गया है कि जब भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है तो इसका यह उद्देश्य नहीं था कि राज्य धर्म विरोधी या धर्म को हतोत्साहित करेगा । किन्तु इसका उद्देश्य तब तबों एवं विश्वासों में निरपेक्षता तथा इस सिद्धान्त की अस्वीकृति थी कि विभिन्न धर्म विभिन्न राष्ट्रों का निर्माण करते हैं । या यह कि राज्य किसी एक धर्म का दूसरे धर्मों से अधिक साध देगा ।”

इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य को किसी भी धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति नहीं अपनानी चाहिये । धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ अमरीकन, योरोपियन और भारतीय राष्ट्रों में अलग अलग है । राजगोपालाचारी के अनुसार—

“अमरीकन संविधान के अनुसार यद्यपि बाइबल किसी भी धर्म को ‘स्थापित’ करने वाला वास्तु नहीं बना सकती है या किसी भी धर्म के स्वतन्त्र प्रसारण में रोक नहीं लगा सकती है, ता भी अमरीकन संविधान एक धार्मिक समाज को मानकर चलता है । अमरीकन भाषा में ‘धर्म निरपेक्ष’ का अर्थ है ‘सम्प्रदाय निरपेक्षता’ न कि विरोध या उदासीनता ।”

“अमरीका में धार्मिक जीवन और नीति के बीच में आधारभूत सम्बन्ध तथा अमरीकन समाज के धार्मिक जीवन एवं बाइबल में किसी भी धर्म को प्रोत्साहित न करने की निष्प्रिय नीति पर आधारित नहीं है

“धर्म निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त का योध्य में अर्थ भिन्न है । यह सिद्धान्त यहाँ पर धर्म विरोधी है तथा यह धर्म को एक राजनीतिक दृष्टि से अप्रति कारक वस्तु समझते हैं और वे धार्मिक विश्वासों को राजनीतिक एकता एवं स्थायी सरकार के लिए हानिकारक समझते हैं । दूसरी ओर अमेरिकन सिद्धान्त धार्मिक जीवन के लिये अतुल्य मुख्य के विश्वास पर आधारित है ।

“.....कहा जा सकता है कि ‘धर्म निरपेक्ष’ राज्य का भारतीय सिद्धान्त योरोपियन की अपेक्षा अमेरिकन सिद्धान्त से नहीं अधिक निकट है ।
.....भारत के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य धर्म के विरुद्ध सामान्य उदासीनता नहीं थी किन्तु सब धर्मों और सम्प्रदायों के प्रति सहनशीलता तथा एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों और बाइबल के प्रति आदर की भावना करना था ।”

भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, धर्म और पूजा की स्वतन्त्रता देता है । संविधान का अनुच्छेद १५ धार्मिक समानता प्रदान करता है और भारत के प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि धार्मिक कारण से कोई भेदभाव नहीं होगा । अनुच्छेद १५ (६) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी दुकान, सार्वजनिक जलपान गृह, होटल, सार्वजनिक आसनों

प्रमोद के स्थानों पर, कुम्भो, तालाबों, स्नानप्रहो, मडकों तथा सावंजनिक पूजा के स्थानों पर जो कि पूर्णतः या धार्मिक रूप से राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं या जिनको शावंजनिक उपयोग के लिये बनाया गया है, के प्रयोग से धर्म जाति, सम्प्रदाय, तिब्बत या जन्मस्थान के कारण रोका नहीं जा सकता। सविधान का १७ वां अनुच्छेद प्रभूत प्रथा का अन्त करता है। २५ वां अनुच्छेद सावंजनिक शान्ति, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के प्रतिरिक्त अन्य मामलों में पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। २६ वां अनुच्छेद सब धर्मों को अपने धार्मिक मामलों तथा धार्मिक स्थानों के चलाने की स्वतन्त्रता देना है। यह सब अधिवार भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार हैं तथा इनको न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। यह अनुच्छेद भारत में एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। इन अनुच्छेदों की सही व्याख्या करने से यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य का जो सिद्धान्त भारत में अपनाया है वह धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का निश्चिन्त सिद्धान्त नहीं है किन्तु सबके हितों की समान रूप से रक्षा तथा उनके मध्य में निरपेक्षता एवं सह-अस्तित्व का सन्निध सिद्धान्त है।

बीसवीं शताब्दी की हम वास्तव में धर्म निरपेक्ष शताब्दी कह सकते हैं। इस शताब्दी में पाकिस्तानों गणतन्त्र की तरह धर्म पर आधारित राज्य ऐतिहासिक दृष्टि से एक बीते हुए युग का प्रतीक है। ऐसे राज्य किसी एक धर्म को दूसरा अन्य धर्मों की अपेक्षा प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा दृष्टिकोण अशुद्धि एवं धर्मज्ञानिक विचारों का प्रतीक है। केवल वही सोच जिम्होंने इतिहास को उचित ढंग से नहीं पढ़ा है या जिनका मानसिक विकास अपूर्ण रह गया है इस बात में विश्वास कर सकते हैं कि केवल एक ही वाद, सिद्धान्त या धर्म पूर्ण रूप से सत्य है और बाकी दूसरे वाद, सिद्धान्त या धर्म पूर्णतः असत्य हैं। ऐसा करने से वे सत्य की ओर से मुक्त मोड़ते हैं। ऐसा करने से वे सत्य, प्रगति और नैतिक समस्याओं का ठीक प्रकार से समझने में असफल होते हैं। ऐसा दृष्टिकोण रूढ़िवादिता, कट्टरता और एक ही धर्म श्रेष्ठ है तथा दूसरे सब धर्म असत्य हैं; इन आधारों पर धार्मिक अविष्णुता की भावना को जन्म देता है। धर्म निरपेक्ष राज्य हमारी इन सब प्रकार के सक्लों से रक्षा करता है तथा सन्निध धर्म निरपेक्षता ही केवल सन्निध धार्मिक अविष्णुता तथा धार्मिक शान्ति को जन्म दे सकता है।

इन क्षेत्र में 'धर्म' शब्द का प्रयोग केवल रूढ़िवादी और परम्परागत धर्म के लिए ही हुआ है। मुझे नैतिकता या नैतिक धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। यह विषय अब तक विवादग्रस्त है कि राजनीति एवं नैतिकता को पृथक किया जाये प्रथम नहीं। बालें मैनहोम तथा बहुत से दूसरे विचारक हमारी वर्तमान सम्मता की रक्षा के लिए नैतिक मापदण्ड को प्रावश्यक समझते हैं और इनके बिना उन्हें सामाजिक अस्थिरता एवं पतन का भय है। वे इसलिए नैतिकता को सामाजिक एकता एवं सम्पूर्णता के लिए आवश्यक समझते हैं।

यहाँ पर हम इस समस्या पर पुन विचार नहीं करेंगे कि राज्य के द्वारा नैतिकता की स्थापना हो सकती है अथवा नहीं। इतना कहना बस्येष्ट होगा कि राज्य एक वाह्य कार्यकर्ता होने से नैतिकता जो कि एक आन्तरिक वस्तु है, स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता। यह केवल ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न कर सकता है जिनमें कि व्यक्ति नैतिक रह सके। किसी भी राज्य को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म निरपेक्षता का अर्थ अनैतिकता नहीं है। इसलिये किसी भी धर्म निरपेक्ष राज्य को अपनी नीतियों को नैतिकता पर आधारित करते हुए कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किसी भी समाज की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उसका नैतिक जीवन श्रेष्ठ हो और यदि ऐसा नहीं है तो नैतिक पुनरुत्थान का प्रयत्न हो। धर्म निरपेक्षता के सम्बन्ध में जो योगोपीयन दृष्टिकोण ने नैतिक रिक्तता उत्पन्न कर दी है उसको उदारवादी विचारधारा एवं समस्यात्मक ढाँचा न तो भर ही पाया है और न वह पश्चिमी समाज को छिन्न भिन्न होने से रोक ही सका है। धर्म निरपेक्षता वर्तमान युग में एक नैतिक सक्कट का सामना कर रही है जिसमें कि किसी नवीन नैतिक चेतना तथा मापदण्ड के बिना हमारे समाज का भविष्य अन्धकारमय है।

प्रो० कार्ल मैन्होम का कथन है कि—

“अब से यह जानने के लिए कि कोई भी प्रस्ताव किस प्रकार कार्यान्वित होगा और क्या वह ईसाई कहलाने योग्य है, हमें यह देखना होगा कि समाज में कार्य किस प्रकार होता है।

“ईसाई विचारकों के लिए इस कारण यह आवश्यक है कि वह धार्मिक विचारों का समाजशास्त्रीय ज्ञान से अधिक निकटवर्ती सम्मिश्रण करें... मेरे विचार में आदतों और नियमों का पुनर्निर्देशन भविष्य में समाजशास्त्रीय और दूसरे विशेषज्ञों की सलाह से करना होगा। उनका ज्ञान हमें यह बतलाएगा कि नियम व्यवहार में किस प्रकार से कार्यान्वित होते हैं। मापदण्डों का अन्तिम पुनर्गठन अब भी धार्मिक विचारों और दार्शनिकों पर ही छोड़ देना होगा।”

(आइन्फोर्मेस आफ आवर टाइम पृ० ११५)

राष्ट्रमण्डल

उपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) शब्द की न तो कभी पूर्णरूप से परिभाषा हुई है और न व्याख्या ही, किन्तु साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि इसका अर्थ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के द्वारा स्वतन्त्रता है। इस पद के अर्थबोध और वर्तमान की कभी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं हुई है किन्तु उनका क्षेत्र और उनके सबन्ध में विचारों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है।

१९०१ तक बाहरी पदवियों के साथ में 'समुद्र पार के ब्रिटिश अधिराज्य' शब्दों का प्रयोग होता रहा है और उस समय का यह अर्थ था कि अधिराज्य केवल ब्रिटेन के साम्राज्य का एक भाग मात्र है। १९०७ के उपनिवेशिक सम्मेलन में अधिराज्यों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वशासित अधिराज्यों का पद लेने में सफल हुए। इसलिये उपनिवेशिक स्वराज्य की सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण बसोटी पूर्ण धान्तरिक स्वतन्त्रता है। १९२१ के साम्राज्य सम्मेलन में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड गेल्डर ने कहा था—

“अवधारण में हमें स्वशासन के वे सब अधिकार हैं जिनका कि स्वतन्त्र राष्ट्र उपभोग करते हैं। मैं ऐसी कोई शक्ति को नहीं जानता हूँ जो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के पास है और जनरल स्मट्स के पास नहीं है।

किन्तु इन अधिराज्यों की वास्तुनी और सांविधानिक स्थिति तब तक अस्पष्ट ही थी। वास्तुनी सीमाएँ और सांविधानिक बाधाएँ विशेषतः कनाडा के अधिराज्य के सम्बन्ध में (उदाहरणतः कनाडा का अधिराज्यीय सचिवालय जो कि केवल ब्रिटिश संसद के द्वारा ही हो सकता है तथा उच्चतम कनाडियन न्यायालयों से प्रीवीकौंसिल की न्याय समिति के द्वारा अपील मुनी जा सकती थी) सिद्धांत में धान्तरिक स्वतन्त्रता को सीमित करती है। जब धायरलैंड को अधिराज्य पद मिला तो इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत हुई। १९२६ के साम्राज्य सम्मेलन ने

लार्ड बालफोर के समापनविषय में 'अन्तर साम्राज्यीय सम्बन्धों' से सम्बन्धित प्रश्नों को हल करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट में ब्रिटेन और उसके अधिराज्यों के आपसी सम्बन्धों तथा उनके स्थान की परिभाषा पाई जाती है। इस परिभाषा के अनुसार अधिराज्य—

“ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासित समुदाय हैं जो कि समान पद वाले तथा एक दूसरे से किसी भी प्रकार अपने भ्रान्तरिक व वैदेशिक मामलों में अधिशासित नहीं हैं। यद्यपि वे शासन के प्रति सामान्य भक्ति से सम्बन्धित हैं तथा स्वतन्त्र रूप से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य की हैसियत से से सम्बन्धित हैं।”

उपरोक्त न तो अधिराज्यों की परिभाषा ही है और न उनके कानूनी पद की व्याख्या ही है। यह अधिराज्यों को वर्तमान पद तथा उनके ब्रिटिश साम्राज्य के स्थान के सम्बन्ध में घोषणा एवं स्पष्टीकरण मात्र है, और इस सम्बन्ध में कोई भी मौलिक बात नहीं थी। किन्तु अब तक के अन्तराज्यीय सम्बन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न साम्राज्य सम्मेलनों ने समय-समय पर जो प्रस्ताव पास किए थे उनका सग्रह एवं स्पष्टीकरण मात्र है। यह बालफोर घोषणा साम्राज्यवादी ब्रिटेन और इसके स्वशासित उपनिवेशों के बीच में राजनैतिक सम्बन्धों का वर्णन करती है। इस घोषणा को स्टैंटपूट आफ बैस्ट मिनिस्टर १९३१ के द्वारा कानूनी रूप दिया गया था। इस विधेयक ने अधिराज्यों को भ्रान्तरिक स्वतन्त्रता पूर्णतः प्रदान की। इसके अनुसार अधिराज्यों की व्यवस्थापिकाओं को ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए किसी कानून को रद्द करने की तथा उसके प्रत्यक्ष भविष्य में और नए कानून बनाने की अनुमति दी गई तथा भविष्य में ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून अधिराज्यों की सीमा में उनकी इच्छा होने पर ही हो सकेगा, इस बात का भी आश्वासन दिया। इस विधेयक के अनुसार अधिराज्यों की व्यापारी जहाजी बंदे के सम्बन्ध में नियंत्रण के कानून बनाने का अधिकार सीमा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार आदि भी दिए गए जो कि इस समय तक केवल ब्रिटिश संसद के पास ही थे।

१९३१ के बैस्ट मिनिस्टर विधेयक बनने से पूर्व भी अधिराज्यों की ब्रिटेन के साथ समान पद, भ्रान्तरिक स्वतन्त्रता तथा वैदेशिक संबंधों का स्वयं संचालन करने की शक्तियाँ व्यवहार में थीं। प्रथम महायुद्ध में अधिराज्यों के भाग लेने से उनकी वैदेशिक नीति के निर्धारण में स्थान मिलने लगा था। अधिराज्यों ने इस अधिकार के विस्तार के लिए बराबर माँग की तथा साम्राज्य की वैदेशिक नीति के निर्धारण में उनके प्रभाव की निरन्तर वृद्धि हुई थी। सर रीबर्ट बोर्डेन जो कि इस काल में कनाडा के प्रधान मंत्री थे, ने इस अधिकार की माँग बड़े जोरदार शब्दों में की। उन्होंने कनाडा के लिए समुक्त राष्ट्र घमरीबा और योरप के मरुत स्वतन्त्र राज्यों के समान ही पद

की मांग की। वेरिस शान्ति सम्मेलन में जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें अधिराज्यों को असम-असम स्थान दिया गया था राष्ट्रसम की स्थापना पर इन अधिराज्यों को स्वतन्त्र राज्यों के समान ही पूर्ण सदस्यता दी थी। शान्ति संधि पर प्रत्येक अधिराज्य के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये थे तथा प्रत्येक अधिराज्य की व्यवस्थापिका तथा ने उन संधियों को पृथक रूप से स्वीकार किया था। बालफोर ने घोषणा इन अधिराज्यों के स्वतन्त्र एवं समान पद को केवल कानूनी दृष्टि से स्वीकार किया है जबकि व्यवहार में इनको यह पद एवं अधिकार प्रथम महा युद्ध के पश्चात् से प्राप्त थे। यह सत्य है कि शैथिलिक मामलों में इन अधिराज्यों की व्यावहारिक सीमाएँ थीं और इनको स्वीकार करते हुए बालफोर घोषणा ने कहा है—

“समानता और एकरूपता के सिद्धान्त जो कि राज्यों के लिए उपयुक्त है वार्यों तक नहीं पहुँचते हैं” ... उदाहरण स्वरूप रक्षा सम्बन्धी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक लचीली सस्या चाहिए। ऐसी सस्या जो कि सामान्य-नुसार विश्व की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार चल सके।”

इस कथन की सत्यता को द्वितीय महायुद्ध ने पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। बालफोर घोषणा के अन्तिम भाग जिसके अनुसार अधिराज्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के स्वेच्छा पूर्णक सदस्य हैं; अधिराज्यों को राष्ट्र मंडल से असम होने का अधिकार देता है। १९४२ में भारत के लिए त्रिपक्ष प्रस्ताव में भी इस अधिकार को माना गया था।

जिसी साधारण व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन है कि भारत तथा पाकिस्तान जैसे गणतन्त्रीय राष्ट्र, राष्ट्रमंडल के सदस्य किस प्रकार रह सकते हैं और कैसे वे ब्रिटिश क्राउन के प्रति भक्ति रख सकते हैं। शेरट मिनिस्टर विधेयक की इस सम्बन्ध में दो व्याख्याएँ हो सकती हैं। एक तो यह कि ब्रिटेन का क्राउन इन सब अधिराज्यों का भी क्राउन होगा। उदाहरणतः जब ब्रिटेन का राजा मयरा रानी जो भी किसी अधिराज्य के सम्बन्ध में कोई कार्य करेगा तो वह उस अधिराज्य के राजा या रानी की हैसियत से न कि ब्रिटेन के राजा या रानी की हैसियत से करेगा। १९३६ में अधिराज्यों द्वारा पृथक पृथक युद्ध घोषणा से तथा १९४५ के पश्चात् असम असम शान्ति स्वीकृति से यह विभाजित क्राउन सिद्धान्त को पुष्टि मिलती है। दूसरी व्याख्या यह है कि अधिराज्य पूर्णतः स्वतन्त्र राज्य है और उसका ब्रिटिश क्राउन अतिरिक्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी व्याख्या करने वाले यह मानते हैं कि इंग्लैंड को अधिराज्यों के सधोषानिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मायरसेड, भारत, पाकिस्तान तथा पाप्वा के गणतन्त्रीय संविधान उसी व्याख्या पर आधारित हैं। शेरट मिनिस्टर विधेयक राष्ट्र मंडल सम्बन्धी अन्य किसी विधेयक में कहीं पर भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब अधिराज्य गौणानिक क्षेत्र में एकरूपता ही अपनायेंगे। राष्ट्र मंडल के राजनीतिक और साधोषानिक विचार में शेरट मिनिस्टर विधेयक सबसे

पहला विधेयक है। १९४६ में राष्ट्र मंडल ने एक घोर गग धामे बढ़ाया जब कि ब्रिटिश शब्द को हटा दिया गया तथा गणतन्त्रीय अधिराज्यो को सदस्यता दी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यह नया गणतन्त्रीय अधिराज्य मानव जाति की उसी शाखा का नहीं था जिसके ब्रिटेन और उसके पुराने अधिराज्य थे। ब्रिटेन और उसके पुराने श्वेत अधिराज्यो में किसी प्रकार का कोई भी जातीय या सामाजिक भेद नहीं था। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि इन पुराने श्वेत अधिराज्यो में तथा नवीन स्वाम अधिराज्यो में किसी प्रकार का भी कोई सामाजिक या जातीय भेद नहीं है। अप्रैल १९४६ की राष्ट्रसंघ के प्रधान मन्त्रियों के सदन सम्मेलन की घोषणा ने स्पष्ट रूप से भारतीय गणतन्त्र की राष्ट्र मंडल में स्थिति को निश्चित किया था। इस घोषणा के अनुसार—

“भारत सरकार ने राष्ट्र मंडल की दूसरी सरकारों की भारतीय जनता के इस इरादे की सूचना दी है कि नए संविधान जो कि लागू किया जाने वाला है के अनुसार भारत एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतन्त्रीय गणराज्य होगा। भारत सरकार ने तथापि यह घोषणा की है तथा भारत की राष्ट्रमंडल की पूर्ण सदस्यता को बनाये रखने की इच्छा प्रकट की है और राजा की राष्ट्रमंडल के प्रमुख की स्थिति में स्वीकार किया है जो कि केवल हमारे स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्रों के संगठन का प्रतीक है। राष्ट्र मंडल के दूसरे देशों की सरकार जिनकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता का आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा भारत की सदस्यता को इस घोषणा की शर्तों के अनुसार स्वीकार करते हैं। “.....वे यह घोषणा करते हैं कि वे राष्ट्रमंडल के स्वतन्त्र और समान सदस्यों की तरह से एक रहेंगे और शान्ति स्वतन्त्रता तथा उन्नति की प्राप्ति के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक सहयोग करेंगे।”

बालफोर समिति ने अधिराज्यो के लिये न तो कोई सार्वधानिक एकरूपता को उचित ही समझा था और न राय ही दी थी। अन्तर अधिराज्यीय सलाह और समझौते के लिए सर्व्व ही लचीली प्रकार की सस्था का निर्माण हुआ है। पहले साम्राज्य सम्मेलन और राष्ट्रमंडल के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन राष्ट्रमंडल के सदस्यों की सामान्य समस्याओं पर वादविवाद करते हैं और नीतिनिर्धारण करते हैं। भूतकाल में अधिराज्य कार्यालय और वर्तमान में राष्ट्र सम्बन्ध कार्यालय राष्ट्रमंडल के सदस्यों के लिए एक विशेष प्रकार का वैदेशिक विभाग है। राष्ट्रमंडल के सदस्य ब्रिटेन को और एक दूसरे को हाई कमिश्नर ही नियुक्त करते हैं। वे हाई कमिश्नर अफ़सहार में उन देशों के राजदूत ही हैं। समय समय पर प्रधानमन्त्री सम्मेलन राष्ट्रमंडल की समस्याओं को सुलझाने में सघेष्ट सहयोग देते हैं।

सदस्यों की रक्षा सेनाओं के शास्त्रों में जहाँ तक सम्भव होगा है, एकरूपता रखने का प्रयत्न किया जाता है। इन सदस्यों के मध्य में सहयोग साम्राज्य की रक्षा समिति द्वारा होता है। किन्तु यह पूर्णतः सदस्यों की स्वच्छता पर ही निर्भर है कि वे किसी विश्व मुद्द में भाग नें या न लें तथा वे अपनी राष्ट्रीय सेनाओं को सम्मिलित सेनापठित के प्राचीन रमें। किसी भी सदस्य पर ब्रिटेन या राष्ट्रमण्डल के किसी दूसरे सदस्य द्वारा इन सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं डाला जाता है।

घातित क्षेत्रों में भी कम से कम विद्वान्त में सदस्यों की पूर्ण स्वतन्त्रता है। किन्तु व्यवहार में कुछ सदस्यों के बीच में घातित सहयोग यथेष्ट सीमा तक है। घातित सहयोग के लिए साम्राज्य की समिति तथा साम्राज्य का श्रुति विभाग प्रादि है। किन्तु इन सहयोग का यह अर्थ कदापि नहीं है कि राष्ट्रमण्डल का कोई घातित गुरु हो। राष्ट्रमण्डल न तो घातित दृष्टि में एक पूर्ण इकाई ही है और न इसका व्यापार एक दूसरे तक ही सीमित है। इसके सदस्य प्रायः दूसरे राष्ट्रों में घातित समझौते एवं छान्दिसी करने रहे हैं और कर सकते हैं। वास्तव में बनाया समुक्त राष्ट्र समरौहा घातित क्षेत्र में है तथा भारत ने पूर्णतः स्वतन्त्र घातित नीतियों को अपनाया है।

प्रायः राष्ट्रमण्डल के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं में किसी प्रकार से भी गुरु मनोवृत्ति का परिचय नहीं देने हैं। समुक्त राष्ट्र मण्डल में मनदान का अध्ययन करने में यह पता लगता है कि न तो राष्ट्रमण्डल में इन सम्बन्ध में एकरूपता ही है और न वे विश्व सम्मेलनों पर एक दूसरे का विरोध करने में ही संकोच करते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री मि० फ्रैंजर द्वारा बोटी योजना एवं समुक्त राष्ट्रमण्डल में प्रजेस्टीना के प्रदेश का जो बड़ा विरोध हुआ था उससे बहुत से लोगों को सम्भवतः भावपूर्व हो क्योंकि प्रायः घातित विद्या और न्यूजीलैंड ब्रिटेन के सबसे अधिक अनुगामी अधिराज्य माने जाते हैं। प्रायः अधिराज्य समुक्त राष्ट्रमण्डल में स्वतन्त्र नीति पालन करते हैं। स्वयं भारत ने प्रायः ब्रिटेन और दूसरे सदस्यों का विरुद्ध समरौहों पर विरोध किया है।

किन्तु अब भी ऐसी कितनी ही समस्याएँ हैं जो कि घस्पष्ट हैं और जिनके स्पष्टीकरण का कभी अवसर ही नहीं आया है। ऐसी एक समस्या राष्ट्रमण्डल के दो सदस्यों के बीच में मुद्द की सम्भावना है। भारत व पाकिस्तान के प्राचीन सम्बन्ध काश्मीर की समस्या के कारण ठीक नहीं हैं और उनके मध्य मुद्द की सम्भावना की हम पूर्णतया मुद्द नहीं कह सकते हैं। राष्ट्रमण्डल के दो सदस्यों के बीच में मुद्द होने पर दूसरे सदस्य क्या करेंगे यह तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते पर कम से कम इसकी सम्भावना अवश्य है कि राष्ट्र मण्डल के दूसरे सदस्य आश्रमागारी का बहिष्कार करेंगे।

अश्वेत अघिराज्यो के सम्मिलित हो जाने से राष्ट्रमण्डल यथार्थ रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का रूप ले चुका है। यह सदैव एक ढीले प्रकार का राजनीतिक ऐक्य रहा है और १९४६ के पश्चात् इसके लचीलेपन में और भी वृद्धि हुई है। प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसके सदस्य किसी स्थायी राजनैतिक ऐक्य या किसी प्रकार के सभ्यता के बंधों नहीं निर्माण करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कोई भी पथ असंभव है क्योंकि ऐसे राजनीतिक ऐक्य की संविधान एवं संस्थाओं का निर्माण करने में यथेष्ट कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा।

अरब लीग और पान-अमेरिकन सभ्यता के समान ही राष्ट्रमण्डल भी एक प्रादेशिक मण्डल है किन्तु इसके उद्देश्य, आदर्श एवं नीतियाँ संयुक्त राष्ट्रसभ्यता के संविधान के अनुच्छेद ५२ (१) के अनुरूप ही हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार—

“इस वर्तमान संविधान में, कुछ भी, प्रादेशिक समझौते या संस्थाओं को जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्य करती हैं और जो कि प्रादेशिक कार्य के उपयुक्त हैं, के अस्तित्व के विरुद्ध है। बशर्तें जो समझौते या संस्थाएँ और उनके कार्य मयुक्त राष्ट्र सभ्यता के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुरूप ही हों।”

यह किसी भी प्रकार से प्रादेशिक सैनिक सभ्यता की भाँति विश्व शान्ति में बाधक नहीं है। इसके सदस्यों का सहयोग सामान्य आवश्यकताओं और सामान्य आदर्शों पर आधारित है। यह विश्वशान्ति स्थापित करने के लिए एक ठोस पथ है। कनाडा के प्रधान मंत्री पिए० मैकेन्ज़ी क्रिग ने २६ जनवरी १९४५ को इस सभ्यता में कहा है कि—

“राष्ट्रमण्डल में अपने सदस्य राष्ट्रों के समान ही पृथक्त्व की भावना नहीं है किन्तु उसके विपरीत है और इसी में भविष्य के लिए धारा है।”

किन्तु राष्ट्रमण्डल का भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं है। हमारे तीन सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध कोई अच्युत भावना नहीं रखते हैं। भारत व पाकिस्तान के सम्बन्ध दक्षिण अफ्रीका से तथा आपस में भी वैसे नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए। कोई ऐसा सभ्यता जिसके फलस्वरूप दो सदस्यों में युद्ध हो जाय राष्ट्रमण्डल की एकता को यथेष्ट हानि पहुँचा सकता है। राष्ट्रमण्डल एक विकसित होती हुई इकाई है। अभी हाल ही में इसके दो नए सदस्य बने हैं। अफ्रीका में घाना और एशिया में मलाया। यह भी आशा की जाती है कि शनैः शनैः अफ्रीका के दूसरे ब्रिटिश उपनिवेश एवं अफ्रीकन राज्य स्वशासन प्राप्त करके राष्ट्रमण्डल की सदस्यता निश्चय भविष्य में ही प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु फिर भी इसके भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

जाति, रंग एवं राजनीति

जाति की समस्या मानवता के पुरातनकाल से है। ग्रीक और रोमन लोग अपने प्रतिरिक्त और सब लोगों को भ्रष्टमन्य एवं जगती मानते थे तथा उनके पूर्ण करते थे और उनके लिये केवल प्रजा बन कर ही रहने का अधिकार उपयुक्त समझते थे। भारत में भी क्षत्रियों ने द्रविणों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। विचारकों ने इस दृष्टिकोण को, कि कुछ जातियाँ अधिक उच्च और श्रेष्ठ हैं और कुछ जातियाँ भ्रष्टमन्य एवं निम्न हैं, प्रोत्साहन दिया है। यहाँ तक कि भारत में जैसे विचारक ने भी इसको माना है।

ईसाई धर्म के प्रारम्भ काल से ही यहूदियों के विरुद्ध ईसाइयों का बड़ा विरोध रहा है। यह विरोध ईसाइयों की एक प्रकार की धारणा पर आधारित है कि यहूदी ईसा-मसीह के बतल के लिए उत्तरदायी हैं। ईसाइयों ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ईसा-मसीह के बतल के लिए उस समय के जेफतात्मक के कुछ यहूदी उत्तरदायी थे न कि उनकी अग्रणी पीढ़ियाँ। और यदि रोमन गवर्नर पाव्लेट चाहता तो उसे शोक सकता था।

यहूदियों के सम्बन्ध में इस धारणा के कारण यहूदी और ईसाइयों के बीच में एक निरन्तर झगडा रही। पेटो तथा यहूदियों का सब धर्मों और ध्याचारों से बहिष्कार इस झगडा का प्रतीक है। सब धर्मों एवं ध्याचारों से बहिष्कार होने पर यहूदियों ने महाजनी का धन्दा अपनाया और इस धन्दे के लिए भी धर्म के पादरियों ने उनको निन्दा की और उनके ईसाई बर्जदारों ने उनके प्रति पूर्ण एवं दुष्प्रहार किया यद्यपि यह धन्दा उनको ईसाइयों के कारण ही अपनाया पड़ा। यहूदियों की समाज की समस्या नुराधियों एवं समाजधर्मों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता था। और यही कारण है कि ईसाइयों ने बराबर यहूदियों के प्रति दुष्प्रहार एवं हिंसा का प्रयोग किया है जैसे फ्रान्स में डु'पुस के मामले में तथा पोलैण्ड और जर्मनी में तो उनके पूर्ण विनाश का प्रयत्न किया गया है। मुई मोसलिन का इस सम्बन्ध में बयान है कि—

“यहूदियों का विरोध इसलिए प्रारम्भ नहीं हुआ कि कुछ यहूदी या सब यहूदी बुरे थे। इसके प्रारम्भिक कारण धार्मिक थे न कि व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक या राजनैतिक। यह माना जाता था कि जो मनुष्य ईसा-सीह को प्रस्वीकार करते हैं उनको अपने पड़ोसियों के स्वतन्त्र जीवन में शामिल नहीं किया जा सकता। समय समय पर यहूदियों के प्रसहाय समूहों पर हिंसा का प्रयोग उस अपराध के लिये बदला लेने की भावना से किया गया है जिसके लिए कि उनके पूर्वज पुरातन काल में एक दूरवर्ती देश में उत्तरदायी ठहराये जाते हैं। वर्तमान काल में कुछ राज्यों में इस आलोचना को पूर्णतः छोड़ दिया है। अब यहूदी समस्या धार्मिक आधारों पर नहीं है। जर्मनी में उन व्यक्तियों का जिनके पिता, पितामह ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे और जो कि स्वयं भी चर्च के कट्टर अनुयायी हैं उनके विरुद्ध भी उतना ही भयकर उत्पीड़न है जितना कि उनके दूरवर्ती सम्बन्धियों के प्रति जो कि यहूदी धर्म का पालन करते हैं।

“यहूदियों के विरोध के संपूर्ण इतिहास में उन पर भ्रातृभरण की प्रणाली में निरन्तर परिवर्तन हुआ है। जब पश्चिमी विश्व के जीवन में धर्म का महत्व कम हो गया तो यहूदियों के विरुद्ध यह तक प्रयोग में लाया गया कि वे केवल अपने को व्यवहार में ही सीमित रखते हैं तथा धन्य धन्यो (जिनसे शताब्दियों तक बहिष्कृत रहे हैं) के प्रति कोई रुचि नहीं है।”

(डी ज्यूइज प्रोब्लम, पृ० १३)

वर्तमान काल में जाति की समस्या विशेषतः रंग की समस्या है। श्वेत व्यक्ति यह विश्वास रखते हैं कि वे पीले, बादामी या श्याम व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ हैं और इसी कारण से हम देखते हैं कि आस्ट्रेलिया में केवल श्वेत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है तथा सारे पश्चिमी गोलार्द्ध में रंग भेद और एशिया और अफ्रीका के निवासियों पर प्रतिबन्ध है। जाति-भेद और सामाजिक बहिष्कार दक्षिण समुक्त राष्ट्र अमरीका में एक आम सिद्धान्त है। अत्यधिक बहिष्कार एवं विभेद इस सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पश्चिमी योद्धा के उदार प्रजातंत्रों में भी श्वेत लोग एशिया और अफ्रीका के निवासियों को अपने से नीचा समझते हैं।

अग्रणीत शताब्दियों में विश्व की बड़ी-बड़ी जातियों का विवाह संवन्धों एवं स्थानान्तर होने के कारण एक दूसरे में पूर्णतः सम्मिश्रण हो गया है। जाति की शुद्धता केवल एक कल्पना मात्र रह गई है। जिसे भी जाति-विज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञान है वह इसमें विश्वास नहीं कर सकता। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में विश्व में एक नवीन व्यवस्था ने जन्म लिया। भूमध्यसागर से प्रशान्त महासागर तक का समस्त औपनिवेशिक पिछड़े हुए तथा काले राष्ट्रों में

साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतन्त्रता पाने का प्रयत्न शुरू किया गया और इस सम्पूर्ण प्रदेश में विद्रोही राष्ट्रियता ही ने जन्म लिया। एशिया के निवासी विशेषतः, तथा सारे वाले व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने लगे और जोर-शोर से उनकी रक्षा करने लगे। जापान जो कि इस काल में एक महान् शक्ति का पद प्राप्त कर चुका था, अपने नागरिकों के बहिष्कार तथा उनके साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने लगा। राष्ट्रसंघ जाति और रंग की समस्याओं को सुलभाने में असफल हुआ यद्यपि इसने अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जिसका कार्य केन्द्रीय और पूर्वी योरूप की अल्पसंख्यक जातियों की देखभाल करना था किन्तु व्यवहार में इसको कोई विशेष सफलता न मिली। राष्ट्रसंघ ऐसी बोर्ड भी स्थापित करने में सफल नहीं हुआ जो कि अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा कर सके।

हिटलर के उदय के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जाति उत्पीड़नों को रोकने में असफलता और भी अधिक मिट्टी हो गई। हिटलर के अनुसार जर्मनी की समस्त समस्याओं के लिए यहूदी लोग ही पूर्णतः उत्तरदायी थे। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की हार का कारण यहूदियों का देशद्रोह तथा उनके द्वारा युद्ध के प्रयत्नों के विरुद्ध हड़तालें तथा छुट्टी पर धार्य हुए सैनिकों में असन्तोष फैलाना आदि थे। जर्मन नैतिकता में पतन का मुख्य कारण यहूदियों की मूलभूत अनेतिकता थी। दोनो महायुद्धों के मध्य के युग में जर्मनी के अत्येक सङ्घ और समस्या के लिए यहूदियों को उत्तरदायी ठहराया गया और इसलिए सम्पूर्ण यहूदी जाति के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। उनमें से अनेकों को मृत्यु दण्ड, शारीरिक उत्पीड़न तथा देश निकासी का दण्ड मुगलना पडा। जर्मन लोगों को अपनी जाति शुद्धता रखने के लिए बार-बार चेतावनी दी गई और उन्हें यह याद दिलाया गया कि वे शुद्ध धार्य जाति के होने के नाते विश्व विजय एवं विश्व स्वामित्व के लिए योग्य हैं।

सारे विश्व के यहूदियों ने जर्मनी के सर्वाधिकारी शासकों द्वारा यहूदियों के प्रति इस व्यवहार के विरुद्ध यथेष्ट रूप से आवाज उठाई एवं आन्दोलन भी किया किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। नवीन विश्व संगठन जिसने कि विघटी हुई और पद दलित जातियों को ऊपर उठाने के एवं उनकी रक्षा करने के लिये वादा किया था, वह भी जर्मनी के शक्तिशाली शासकों के प्रमुख बोर्ड की टोप पग उठाने का साहस न कर सका। राष्ट्र संघ और अन्तर्राष्ट्रीय जनमत समान रूप से जर्मनी के शासकों की इस सम्बन्ध में नीति परिवर्तन कराने में असफल रहे। जर्मन और स्लोवाक का चेकोस्लोवेकिया और पोर्लैंड में स्लाव और बल्गारों का हंगरी में यहूदियों का जर्मनी के उत्पीड़न के सीधे हिस्से का भी सामना नहीं करना पडा था। पश्चिमी जनताओं के अस्तित्व पर यहूदियों के विरुद्ध जो अचेतन मनोबैज्ञानिक विरोधाभास था उताने उन्हें यहूदियों के प्रति इस व्यवहार के विरुद्ध कोई भी टोप

कदम उठाने के प्रति अनरी इच्छा को पगु दना दिया। उनमें से कुछ लोगो ने तो नास्वी लोगो के साथ मिलकर यहूदियों को निन्दा शुरू करदी। विश्व के यहूदियों ने तथा उनकी सस्थामो ने ही मुख्यत जर्मनी द्वारा उत्पीडित यहूदियों को सहायता एवं आश्रय दिया। जर्मनी द्वारा यहूदियों के उत्पीडन का वर्णन लुई गोलडिंग ने इस प्रकार किया है—

“मध्य युग के समान ही एक उपरान्त दूसरे शहर में अपने आपको यहूदियों से रिक्त कर दिया है और यह अपने दरवाजो पर ऐसे सूचना-चिन्ह धमड से लगाते हैं कि वे यहूदी रहिन है। मध्ययुग के समान ही यहूदी अब सार्वजनिक स्नानगृहो में प्रवेश नहीं पा सकते .. सार्वजनिक उद्यानो में उनके लिए पृथक पील रंग की बेंठकें निश्चित हैं और वे दूसरे किसी स्थान पर नहीं बेंठ सकते हैं। यहूदी और गैर-यहूदी के मध्य कानून द्वारा अन्तर्जातीय विवाह बन्द है और एक विस्तृत नियमो के संग्रह का निर्माण किया गया है जिसके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि किस अंश तक के यहूदी खून वाले से शादी की जा सकती है” .. यहूदियों द्वारा लिखित कोई भी पुस्तक किसी बेटी प्रकाशक के अतिरिक्त अब जर्मनी में प्रकाशित नहीं हो सकती और उसको भी उसे गैर यहूदियों को बेचने की आज्ञा नहीं है..... किसी यहूदी संगीतज्ञ द्वारा निर्मित संगीत को कोई भी भार्य सार्वजनिक रूप से नहीं बजा सकता है। समस्त अनाथों को सरकार को (१९३८) उस प्रत्येक प्रकार की अपनी समस्त सम्पत्ति बतानी होगी (घर में काम आने वाले फर्नीचर तथा व्यक्तिगत सामान भी) जिस सामान की कीमत ४०० पौंड से अधिक है।

“एक दूसरा नियम सरकार को इतनी गत्ता देता है कि वे तमाम जर्मन प्रजा को (ये शब्द ध्यानपूर्वक यहूदियों को, जो कि प्रजा है न कि नागरिक, शामिल करने के लिए चुना गया है) थ्रमिक टुकड़ियो में एक निश्चित बेटन पर भर्ती कर सकते हैं।... यह सदा सोचा जाता था कि फैंरो किस प्रकार पुरातन मिश्र में ६ लाख यहूदियों को गुलाम बना सका था। यह नवीन नियम उसका विस्तृत उत्तर हमें देता है।”

(बी ज्यूइज प्रोब्लम पृ० १२१-१२५)

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर घोषनिवेशिक साम्राज्यो का प्रायः अन्त हो गया। बहुत से एशियाई देश स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संधि के सदस्य हो गये। इन्डोनेशिया से इज, बर्मा, भारत, पाकिस्तान, सिका, घाना और मलाया से

ब्रिटेन को निरुत्थना पडा। मध्यपूर्वी राष्ट्रों ने अपने राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति स्रोतों पर पूर्ण नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया और अधिकांश राष्ट्र इस प्रयत्न में सफल भी हुए। घन चासीस वर्षों के निरन्तर गृहयुद्ध और घण्टाघरों के पश्चात् एक सगठित और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के सम्मुख इस युग में आया। भारतीय प्रजातंत्र ने, विश्वपरिषदों में अपनी शक्ति और साधनों से बड़ी अधिक प्रशंसा एवं सफलता पाई किन्तु इस चित्र का एक और रूप भी है। दोनों महायुद्धों में जहाँ योद्धाओं की शक्ति का पतन हुआ है, वहाँ अमेरिका की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अपने विशाल साधनों और अभूतपूर्व धन के द्वारा यह अकेला ही विश्व विजय में सफल हो गया है। युद्धोत्तर युग में यह धीरे-धीरे तारे विश्व पर नियन्त्रण प्राप्त करने के हेतु भागे बढ़ रहा है। मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धान्त तथा राष्ट्रपति फ्रांज़नहावर की सक्रिय नीति आदि इसी दिशा में ठोस कदम हैं। ब्रिटेन को उसने ईरान के विरुद्ध तेल के मामले में, मिथ्र के विरुद्ध स्वेज नहर के मामले में सहायता दी है। फ्रांस को हिन्द चीन, ट्यूनिशिया, मारको और अल्जीरिया में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी है। इसने कारिया में समुक्त राष्ट्र तंत्र के नाम पर दक्षिण कोरिया को और फारमोसा में व्यापक-काई शेंक को, योत्पारस के बिना यह तुर्कों को तथा दक्षिण अफ्रीका में जाति विभेद को सहन एवं प्रोत्साहित करता है। अपनी शक्ति और साधनों के द्वारा यह एक नवीन विश्व सगठन का निर्माण कर सकता है और उनके दुरुपयोग के द्वारा यह सभ्यता का विनाश भी कर सकता है। अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में भी यह नीचों लोगों के उत्पीड़न को रोकने में असफल रहा है। अमरीका की 'कू क्लक्स क्लान' सभ्यता नीचों लोगों के उत्पीड़न में जर्मनी के नास्ती दल में प्रतियोगिता कर सकती है। अमरीका की काला जातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय समुदाय के लिए बावें मनी मि० रोय विलकिन्स इस सम्बन्ध में लिखते हैं—

“सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक व्यापक भेद जाति और रंग पर आधारित है। आर्थिक और सांस्कृतिक भेदों की अपेक्षा जाति भेद हमारी राष्ट्रीय संस्कृति में जड़े ही नहीं जमाये हुये हैं किन्तु ऐसे नियम एक तिहाई से भी अधिक राज्यों में कानून का रूप ग्रहण कर चुके हैं। 'बेवल श्वेत लोगों के लिये' चिन्ह जो कि पूर्ण प्रदेश की भूमि को विहृत करते हैं, बेवल इस यहिष्कार के बेवल बाह्य प्रतीक हैं।

“यहाँ अमरीका में रंग ही मुख्य बनावट है। जाति भेद की समस्या जो कि अल्प संख्यक नीचों लोगों को अमरीकन समाज की मुख्य धाराओं से परिवार्य रूप से पलग रखने की न तो पूर्णतया नयी है। और न जाति भेदों को अन्त करने का संघर्ष ही नया है। प्रायः अर्थ शताब्दी से काले लोगों के

विकास के लिए यह राष्ट्रीय समुदाय इन दोषों के विरुद्ध निरन्तर रायपत्र कर रहा है ।”
(करेन्ट हिस्ट्री, मई १९५७, पृ० २८३)

सोवियत सभ और उसके युद्ध के राष्ट्रों, जिनमें कि चीन भी शामिल है, के सम्बन्ध में राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था के लिए चाहे जो भी आलोचना की जाए किन्तु यह सत्य है कि विश्व के इस भाग में किसी प्रकार की कोई जाति समस्या नहीं है । इस स्वयं में योरुप और एशिया की विभिन्न जातियाँ रहती हैं । इस समस्या को सुलझाने के लिए हम ने एक अद्भुत सविधान का निर्माण किया है जो कि संघों का एक सभ है और जिसने कि भाषा, संस्कृति और जाति की समस्याओं को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है । किन्तु इसके पास भी विशाल शक्ति है और चूकि यह शक्ति एक विशेष प्रकार के दर्शन पर आधारित है जो कि इसके मानने वालों को कट्टरता प्रदान करता है । इसलिए यह शक्ति करोड़ों व्यक्तियों को केवल यत्रवत् बना देने से प्राप्त हुई है । इसकी और अमरीका का साम्राज्यवादी नीतियों में कोई विशेष मूलभूत अन्तर नहीं है । केवल यह भिन्न प्रकार का साम्राज्यवाद है । इसका आधार कोई जाति या जीवन का तरीका नहीं है किन्तु एक विशेष दर्शन है जिसको कि उसमें रहने वाली जनता आदर्श एवं पूर्ण सत्य मानती है ।

विश्व में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं । आज विश्व में युद्ध का भय चारों ओर छाया हुआ है । राजनैतिक दृश्यों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहा है । मध्यपूर्व में सयुक्त अरब गणतन्त्रीय राज्य, लेबनान में विद्रोह, फ्रान्स में अधिनायकतन्त्र, पाकिस्तान, बर्मा, टर्की और प्रियाम में सैनिक राज्य आदि राजनैतिक अव्यवस्था के प्रतीक हैं । किन्तु इससे भी अधिक भयानक इन दो महान् शक्तियों के मध्य में युद्ध की आशंका है । हम यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में विश्व सगठन किस प्रकार का होगा । या तो अमरीकन प्रकार का और या रूसी ढंग का प्रजातन्त्र और या विश्व विनाश में से कौनसी वस्तु हमारे लिए भविष्य के गर्त में छिपी हुई है यह बताना हमारे लिए बठिन है । किन्तु यह निश्चित एवं स्पष्ट है कि विश्व की जाति और रग की समस्या पर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना ही होगा । यहूदियों ने २००० वर्ष के पश्चात् पुनः एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया है और उनकी रक्षा करने के लिए तैलमन्वीव में एक यहूदी सरकार है । अफ्रीका जागृत हो रहा है और इसके आगे बढ़ते हुए लोगों के पैरों की ध्वनि समुद्र पार तक सुनाई दे रही है । माओ माओ इस ध्वनि का केवल एक प्रतीक है । अल्जीरिया का विद्रोह, केन्द्रीय अफ्रीका में असन्तोष और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ मिलकर असहयोग आन्दोलन इसकी जागृत अवस्था के कुछ उदाहरण हैं ।

दोनों विश्व सगठनों ने जाति के प्रश्नों को यथेष्ट महत्व दिया है किन्तु दोनों को इस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है । पिछड़ी हुई जातियों का

सरक्षण के लिए दूसरे शब्दों में काली जातियों के लिए कर्पोरि द्येत जानियों को उनसे श्रेय बन्धु कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं मान सकते हैं यहाँ तक कि प्रत्वानिया को भी नहीं। राष्ट्र सभ ने सरक्षणात्मक प्रणाली (Mandate system) तथा समुक्त राष्ट्र सभ ने न्यायी सरक्षण व्यवस्था (Trusteeship System) स्थापित की है। किन्तु यह दोनों व्यवस्थाएँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों के विशेष हितों के सम्भूत प्रायः प्रसहाय हैं। उदाहरण स्वरूप डेनिश्ल मलान पूर्णतः दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को दक्षिण-अफ्रीका सभ में शामिल कर सका और गामरिक् महत्त्व की घाट में अमरीका प्रशान्त महासागर में वेगोलीन, माशेल और मैरियानम द्वीपसमूहों को प्रायः अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुआ। दक्षिण अफ्रीका की जाति विभेद नीतियों के विषय गुरुक्त राष्ट्र सभ ने जो- ठोस पग नहीं उठाया और उस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किए उनसे प्रचलित करने में यह असफल रहा। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों की दशा के सम्बन्ध में बेल्गारिया लिखते हैं—

“वह पील (poll) और गृह कर के भार से दबे हुए हैं। उनके वहाँ केवल उग सामाजिक सेवाओं को छोड़कर जिनके लिए कि वे वसते देते हैं और कोई नहीं है। वे भी रङ्गभेद तथा जाति भेद की नीति से अपमान पर प्रोप करते हैं। उनको शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है और उनके वेतन अत्यन्त ही कम है। उनके स्वास्थ्य और रहने कोई व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चों की मृत्यु सख्या की दर अत्यधिक है तथा अत्यन्त पुण्यों में अंगारो भयानक रोगों की दर भी अधिक है। यदि दक्षिण अफ्रीका इस परिस्थिति को गमय रहते नहीं गुधारता है तो इसे अपनी उपेक्षा के लिए भारी मूल्य चुकाना होगा।”

‘दुर्भाग्यवश जाति विभेद की यह नीति जिसको कि दक्षिण अफ्रीका अपनी जाति समस्याओं को गुलामाने के लिए उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व दे रहा है, अफ्रीका के दूसरे देश जिनमें ब्रिटिश उपनिवेश भी हैं जैसे कि रोडेनिया और कैनिया में फैल गई है और उनसे द्वारा दूसरे गैर-यूरोपियन लोगों के लिए भी लागू की गई है।” (वे यूनिवर्स ऑफ साउथ अफ्रीका पृ० १७-१८)

विश्व इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि सभ्यता का जन्म यूरेनिया के विभिन्न देशों में भिन्न समय में हुआ था। सिन्धु घाटी, मिथ, मेसीसोन, सुमेर, मेसोपोटामिया, चीन एवं चीन पुरातन समय में विभिन्न सभ्यताओं के जन्म एवं मृत्यु स्थान रहे हैं। ज्ञान के पुनर्जन्म और अर्थ में सुधार के पश्चात् योरोप में राष्ट्रीय राज्य एवं राष्ट्रीय सभ्यताओं का उदय हुआ था और इनको इन्हीं पुरातन सभ्यताओं से प्रेरणा मिली थी। किन्तु इस प्राचीन सभ्यता में एक नवीन तत्व था जो कि पुरातन सभ्यताओं में नहीं था विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय पाने के कारण भौतिक

सम्पन्नाने जन्म लिया। और इन कारण से पश्चिमी योरोप के राष्ट्रों को विश्व में अपनी औद्योगिक शक्ति के कारण एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ तथा इनके परिणामस्वरूप योरोपियन लोगों के परित्यक्त में एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक भावना का उदय हुआ कि वे विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं तथा योरोपियन जातियाँ सम्पूर्ण विश्व पर राज्य करने के लिए ही जन्मी हैं। वे व्यापार और खनिज पदार्थों को खोजने योरोप से बाहर निकलने और पूर्व की पत्तन सम्पत्तियों को पिछड़ी हुई प्रवृत्तियों से लाभ उठाकर तथा अपनी ही तथा पश्चिमी गोलार्ध के नए देशों की विकास की प्रथम श्रेणी की स्थिति से लाभ उठाकर उन्होंने ऐसे औपनिवेशिक साम्राज्यों का निर्माण किया जिनके समान विश्व इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। इस सफलता से मदमत्त होकर वे इस झूठी कल्पना में विश्वास करने लगे जो कि वास्तव में उनकी मानसिक कल्पना की ही उपज थी कि उनसे विश्व में एक महान् कार्य करना है। उन विचार को हम राष्ट्रपति मैकिन्ले के उन शब्दों में जो कि उन्होंने फिलीपाइनस के सम्बन्ध में लिखे थे, समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अमरीकन जनता का कर्तव्य है कि वे—

‘फिलीपीन लोगों का शिक्षित करें, ऊपर उठावें, सम्य तथा ईसाई बनायें क्योंकि वे भी हमारे समान ही मानव हैं जिनके लिए ईसायती ने अपने प्राण गवाएँ थे।’

इन पश्चिमी श्वेत जातियों ने इस विचार को ‘श्वेत व्यक्तियों का भार’ इस मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया है। यदि इसकी वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह केवल साम्राज्यवाद है जिसके पीछे राष्ट्रीयता और जाति व सामाजिक श्रेष्ठता का विश्वास है। इस जाति भेद के पीछे एक मुख्य कारण श्वेत और काले लोगों के धार्मिक स्तर में अन्तर है। श्वेत लोगों को यह सन्देह है और इस सन्देह पर आधारित शत्रुता की भावना है कि काले लोगों के कारण वेतन के स्तर को गिराने तथा अपनी शक्ति को कम मूल्य पर बेचने के लिए तैयार है और वह ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनकी भावसम्पत्तियाँ कम हैं और उनके जीवन का स्तर गिरा हुआ है। काले व्यापारियों के प्रति भी इसी प्रकार का सन्देह एवं शत्रुता की भावना है क्योंकि वे अपनी वस्तुओं को कम लाभ उठाकर कम मूल्य पर बेच सकते हैं। श्वेत व्यापारी इन काले व्यापारियों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं और उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे इन लोगों को अपने देशों में खाने से रोकें। योरोपियन दृष्टिकोण को हम नाटाल के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण सम्मेलन की नवी इन्टरिम रिपोर्टों को कि १९१४ में प्रकाशित हुई थी, के शब्दों में इस व्यक्त कर सकते हैं—

“विज्ञान और मजदूर वर्ग के भारतीय तो एक उपयोगी कार्य कर रहे हैं किन्तु धनवान वर्ग के भारतीय नाटाल में योरोपीयन सम्पत्ता के लिए एक सड्डूट हैं और ऐसे भारतीयों के लिए प्रत्येक जाति, स्थान निश्चित कर देने चाहिए जहाँ

पर कि वह रह सके, व्यापार व धन्ये कर सके तथा साधारण मानवीय जीवन के समस्त दैनिक कार्यों को पूरा कर सकें।”

इसी सम्बन्ध में लाई हैले ने लिखा है—

“भारतीय प्रायः बहुत ही छोटे लाभ पर व्यापार करते हैं और इसने व्यापारी प्रतियोगिता को ही नहीं बल्कि भारतीयों के विरुद्ध भारतीय विरोधी भावना के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है तथा जाति भेद की भाँति के पीछे यह एक वास्तविक कारण है।” (एन प्रकरोकन सच, पृ० ३२७)

जाति भेद की यह नीति अद्वैतदर्शी है। यह दक्षिण अफ्रीका के हित में ही है कि वह अपने नागरिकों के बहुमत को जो गैर श्वेत लोगों का है, धनु न बनाए। बल्सारिया ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

“अधिकांश दक्षिण अफ्रीका औद्योगिक विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगामी कुछ वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रंग बाधाओं को सुलभाने का होगा। यदि पैमाने पर औद्योगीकरण, आन्तरिक बाजारों में अत्यधिक सुधार के बिना असम्भव होगा और इसका अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका को जन-संख्या वीग स्तर श्वेत पुष्ट न होकर एक करोड़ लोगों की होनी चाहिए। यह सस्ते और अधिक श्रम की उपलब्धि के बिना सम्भव नहीं होगा। और इसका अर्थ है कि सप की सरकार के द्वारा परतन की गई जाति भेद की नीति में पूर्णतः परिवर्तन करना होगा। इस पर भी औद्योगिक विकास की योजना की सफलता में सन्देह रहेगा जब तक कि श्वेत श्रमिकों को ऊँचे वेतन दिये जाएँगे।”

(बी यूनिपन ऑफ साउथ अफ्रीका, पृ० २६-३०)

हमें इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय साधनों के विशाल और परिणाम स्वरूप हमारी राष्ट्रीय शक्तियों का विकास होने पर ही हम श्वेत राष्ट्रों को उनकी गलती से अवगत कराने में सफल होंगे और अपने मस्तिष्क से जाति अंधता की भावना का अन्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे मानवीय अधिकारों की सूची बना लेने से ही जाति समानता प्राप्त नहीं हो सकती। १९५३ में 'शांता-अज' जाति विभेद प्रयोग ने दक्षिण अफ्रीका की जाति विभेद नीति की बड़ी घालोचना की है इसने स्पष्ट रूप से जाति भेद नीति का विश्व माहित के लिए हानिकारक तथा राक्षस राष्ट्र सप के सविधान जिसको कि दक्षिण अफ्रीका भी मानता है, के विरुद्ध स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में भारतीय तर्कों को पूर्णतः स्वीकार किया गया था किन्तु दक्षिण अफ्रीका अब भी उसको अपनी एक आन्तरिक समस्या मानता है और संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा भारतीय हस्तक्षेप का विरोध करता है। किन्तु ऐसे तर्कों कोई मूल नहीं है। साम्राज्यवादी राष्ट्र पुरातन काल से अपनी साम्राज्यवादी नीति को उचित सिद्ध करने के लिए इनको काम में लाते रहे हैं।

राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा

यद्यपि संयुक्तराष्ट्र सगठन तथा राष्ट्रसंघ किसी सीमा तक भिन्न हैं किन्तु वे दोनों एक ही प्रकार के— अर्थात् राज्य मंडल व्यवस्था रूपी सगठन हैं। इन दोनों सगठनों की उत्पत्ति राष्ट्र समुदाय की सत्ता को कार्यरूप देने के लिये तथा इनके सदस्यों को सामूहिक सुरक्षा देने के लिये की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के सातवें परिच्छेद के अनुसार सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रसंघ की सन्धि से कहीं अधिक सीमा तक नवीन शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की अर्थार्थ तथा सम्भावित आक्रमण के विरुद्ध रक्षा राष्ट्र समुदाय के समस्त सदस्यों का कर्तव्य है। यदि विश्व शान्ति की स्थापना करनी है और आक्रमणों को अर्थार्थ से रोकना है तो हमें राष्ट्रीय आत्म सहायता के स्थान पर सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त अपनाना होगा। अत्यधिक शान्ति के समर्थक राष्ट्र भी अपनी रक्षा सैनिकों का अन्त या उनमें कमी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि राष्ट्र समुदाय उन्हें सामूहिक सुरक्षा का पूर्ण रूप से विश्वास न दिला सके और ऐसी सुरक्षा की गारंटी न दे दें। किन्तु ऐसी गारंटी केवल राष्ट्र से ऊपर कोई अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता ही दे सकती है जिसके पास स्वयं अथेष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सेनाएँ होंगी और जो अपनी आजादियों को पालन कराने तथा आक्रमण को रोकने में समर्थ होगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ और राष्ट्रसंघ को कि वास्तव में अर्थार्थ मंडल है न तो ऐसे राष्ट्रों से ऊपर सन्ध्याएँ ही हैं और न वास्तव में सामूहिक सुरक्षा के लिए पूर्ण गारंटी ही देने में समर्थ हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा के मार्ग में सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों की निषेधात्मक शक्ति है। सुरक्षा परिषद द्वारा शान्ति स्थापना के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों को बर्दाश्त भी स्थाई सदस्य निषेधात्मक शक्ति के द्वारा रोक सकता है।

इसका यह भी अर्थ है कि महान स्यार्ई शक्तियों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता का प्रयोग उनकी स्वेच्छा के बिना नहीं हो सकेगा । छोटे राष्ट्र समुक्त राष्ट्र संधि से सुरक्षा की पूर्ण आशा नहीं कर सकते यदि उन पर इन स्यार्ई सदस्यों से कोई भी आक्रमण करता है । यदि किसी बड़े राष्ट्र के महत्वपूर्ण हित सञ्चट में होंगे तो वह राष्ट्र अपनी नियेष्ठात्मक शक्ति का उपयोग करके राष्ट्र-संधि द्वारा सामूहिक कार्यवाही को अपने या अपने किसी मित्र राष्ट्र के विरुद्ध रोक सकेगा ।

यदि यह नियेष्ठात्मक शक्ति न भी होती तो भी समुक्त राष्ट्र संधि इन महान् राष्ट्रों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रवधों को लागू नहीं कर सकेगा या और न इन छोटे राष्ट्रों को इनके आक्रमण-से बचा ही सकेगा या क्योंकि ऐसा करने के लिए इसको एक विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता । नियेष्ठात्मक शक्ति वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की यथासंता को स्वीकार करती है । इसलिए ही न ही किसी भी महान् शक्ति के विरुद्ध उसकी इच्छा के बिना किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्णय को लागू करना प्रायः असम्भव सा है । सुरक्षा परिषद और सभा में भले ही यह बहुमत प्राप्त करने में सफल न हो; किन्तु फिर भी बिना सटे यह अपने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को कोई भी कार्यवाही नहीं करने देगा । यही कारण था कि राष्ट्रसंधि परिषद से भी मतभेदता के सिद्धान्त को अपनाया गया था ।

राष्ट्र संधि के ऊपर समुक्तराष्ट्र संधि में जो एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया था किन्तु जिसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सका है वह समुक्त राष्ट्र संधि संविधान के अनुच्छेद ४३ के अनुसार सुरक्षा परिषद के आधीन राष्ट्रीय सेनाओं की दुर्बलियों को रराने का प्रस्ताव था ।

(१) "समुक्तराष्ट्रसंधि के तय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद को उसके मानने पर और एक समझौते व समझौतों के अनुसार सेनाएँ, सहायता एवं सुविधाएँ जिनमें कि रास्ते का अधिभार और जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होंगे, देंगे,

(२) "ऐसा समझौता व समझौते सदस्यों को सेना की प्रसारें, के किस अंश तक संधार रहेंगी, उनकी स्थिति, सुविधाएँ व सहायता की प्रशुति आदि की निश्चित करेंगे ।

(३) "यह समझौता व समझौते सुरक्षा परिषद द्वारा जितनी शीघ्र सम्भव होगा, किए जाएँगे वे सुरक्षा परिषद और सदस्यों या सुरक्षा परिषद और सदस्यों के समूहों के मध्य में किए जाएँगे और उन पर प्रस्तावित करने वाले राज्य अपने सार्वधानिक प्रश्नों के अनुसार वास करेंगे ।"

महान् शक्तियों को कि इन सेनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रयोगों के सम्बन्ध में सहमत न हो सकी इसलिए यह अनुच्छेद, वषार्य में कार्यान्वित न हो सका। २५ जून १९५० को कोरिया में सुरक्षा परिषद के द्वारा जो सैनिक बायेंबाही का निश्चय किया गया था उनके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो उम दिन सुरक्षा परिषद में सोवियत गण की अनुपस्थिति और द्वितीय संयुक्त राष्ट्र समरीका द्वारा आवश्यक धन एवं सेनाओं के एक महत्वपूर्ण भाग का अनुदान। राष्ट्र सभ के मविधान के अनुच्छेद १६ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र सभ मविधान के परिच्छेद ७ में जो इस सम्बन्ध में प्रगति की आशा की गई थी उसको हम बायें रूप में परिणत नहीं कर सके हैं और सुरक्षा परिषद की राष्ट्र सभ परिषद के समान ही केवल सदस्य राष्ट्रों को सैनिक महायता हेतु प्रायेंना कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर और इस प्रायेंना के स्वीकार हो जाने पर धन व सैनिक महायता के सम्बन्ध में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में अनुमान निश्चित कर सकती है।

इस शताब्दी में भी १९ वीं शताब्दी की भांति ही महान् शक्तियों द्वारा विश्व-शान्ति स्थापित करने के आदर्श को व्यवहार में लाना गया है। यह सत्य है कि महान् शक्तियों के मलैक्य के बिना सामूहिक सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती तथा सामूहिक सुरक्षा की ऐसी कोई भी व्यवस्था उन महान् शक्तियों में स्थाई विभाजन व विरोध होने पर सफल नहीं हो सकती। ऐतर्गटाइन की समस्या ने यह सिद्ध कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सभ अधिक से अधिक अधिक वधाय का काम कर सकता है न कि एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस भेन का। वास्तव में सोवियत सभ ने कभी भी विश्व-शान्ति स्थापित करने की इन आनन्ददायक कल्पनाओं में न तो विश्वास ही किया है और न भरोसा ही रखा है। वे अब भी पड़ोसी पूँजीपति राष्ट्रों में भयभीत एवं उनको गन्देह की दृष्टि से देखते हैं और उनका संयुक्त राष्ट्र सभ के द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। वह यह मानते हैं और किसी सीमा तक यह उचित भी है कि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए शक्ति राजनीति के खेल खेलने ही होंगे।

जब तक दूर तक नष्ट करने वाले शस्त्रों का विकास नहीं हुआ था और दूरी पश्चिमी मोलादों को सुरक्षा प्रदान कर रही थी तब तक समरीका ने इस सामूहिक सुरक्षा में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की और इसीलिए इसने राष्ट्र सभ और उसकी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का बहिष्कार किया था। हिन्दु मुड़ोतर अणु युग में अब समरीका के लिए पहले बातें दृष्टिकोण से सोचना अबका सुरक्षा अनुभव करना असम्भव है। सुरक्षा यहाँ के लोगों के लिए इस युग में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण समस्या हो गई है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि समरीकी और रूसी वैदिक एवं रक्षा नीतियाँ संयुक्त राष्ट्र सभ को सुरक्षा के लिए अनुपयुक्त मानकर ही निहित की जाती

है। ऐसे सन्देह एव दृष्टा से परिपूर्ण बालावरण में किसी भी प्रकार के निरास्रीकरण के लिये समझौता सम्भव है।

संयुक्त राष्ट्र धमरीका और सोवियत संघ दोनों अपनी तमाम अपने सन्धियों की राजनीतिक एव सैनिक शक्ति पर संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अधिक विश्वास करते हैं। इस धोर श्रुताव सर्वप्रथम हमें साम्यवादी गुट में दिखाई देता है जबकि उसके सदस्यों ने द्विपक्षीय सन्धियों द्वारा सुरक्षा की सोच धारम्भ की और इन द्विपक्षीय सन्धियों का अन्त एक बहुपक्षी बारसा सन्धि में हुआ जो कि इस गुट के समस्त सदस्यों की सुरक्षा हेतु सङ्गठित करता है। पश्चिमी देशों ने इसके उत्तर में शीघ्र ही बहुपक्षी सुरक्षा समझौते का रूप १९४७ की अन्तर-धमरीकी एक दूसरे की सहायता देने की सन्धि जिस पर कि रायो-डी-जेनेरियो में हस्ताक्षर हुए थे, में निश्चित किया है। १९४८ में पश्चिमी योरुप में इसी प्रकार की दूसरे सन्धि ब्रिस्लने कि बाद में उत्तर एटलांटिक सन्धि सङ्गठन का रूप ग्रहण किया था, सुरक्षा के लिये की गई। प्रादेशिक सैनिक सन्धियों के पक्ष में यह दावा किया जाता है यह कि संयुक्त राष्ट्र सभ सन्धिधान के अनुच्छेद ५२ पर आधारित है किन्तु इनका अस्तित्व इस बात का द्योतक है कि विश्व टम्बार्टेन शीघ्र प्रथम दोन फ्रान्सिसको के समय से नितन्य अपिक परिवर्तित हो गया है। इस उत्तर एटलांटिक सङ्गठन के राजनीतिक व बाहुनी आधार संयुक्त राष्ट्र सभ सन्धिधान से नितान्त भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र सभ सन्धिधान के ५२ वें अनुच्छेद के अनुसार—

- (१) "इस वर्तमान सन्धिधान में कुछ भी प्रादेशिक व्यवस्थाओं या सन्धियों, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के प्रादेशिक कार्यों द्वारा ही स्थापित की जा सकती हैं, नहीं हैं। किन्तु ऐसे समझौते या संस्थाएँ और उनके कार्य संयुक्त राष्ट्र सभ के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के अनुरूप ही होंगे।
- (२) "संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य जो कि ऐसे समझौते को करते हैं या ऐसी सन्धियों के सदस्य हैं, स्थानीय संघर्षों को ऐसे प्रादेशिक समझौते प्रथम ऐसी प्रादेशिक सन्धियों द्वारा सुरक्षा परिषद के सम्मुख लाने से पहले सुलझाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।
- (३) "सुरक्षा परिषद स्थानीय सन्धियों को ऐसे प्रादेशिक समझौते प्रथम ऐसी प्रादेशिक सन्धियों द्वारा चाहे सम्बन्धित राज्यों द्वारा प्रयत्नित हो प्रथम सुरक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट हों, शान्तिपूर्ण समझौते के विकास के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- (४) 'यह अनुच्छेद किसी प्रकार भी अनुच्छेद ३४ एव ३५ में बर्णित होने में बाधा नहीं पहुँचाता है।'

ऐसी प्रादेशिक सैनिक सन्धियों का निर्माण विश्व संध की सत्ता का स्पष्ट रूप से निगेष है। यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसे प्रादेशिक सैनिक संगठन विश्व शांति में बाधक न होकर सहायक हैं, समुक्त राष्ट्र समरिका के विचारकों और यत्नाओं ने समुक्त राष्ट्र संध सविधान के ५२ वें अनुच्छेद को अत्यधिक महत्त्व देना आरम्भ कर दिया। इस अनुच्छेद की तुलना हम राष्ट्रीय सविधानों के प्राथमिकालीन प्रबंधों से कर सकते हैं। केवल भविष्य ही यह बताएगा कि क्या यह अनुच्छेद भी समुक्त राष्ट्र सविधान के लिए उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होगा जितना कि ब्रह्मर सविधान का अनुच्छेद ४८ हुआ था।

शक्ति का कानूनी रूप से प्रयोग केवल समुक्त राष्ट्र संध सुरक्षा परिषद द्वारा ही हो सकता है। किन्तु अनुच्छेद ५२ व्यवहार में युद्ध के अधिकार की पुनः वही महत्त्व व स्थान प्रदान करता है जो कि उसे संगठित अन्तर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना के पूर्व प्राथमिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्राप्त था। यह हमें प्रथम महायुद्ध के पूर्व वाले युग की गूढ़ और प्रति गूढ़ व्यवस्था की याद दिलाता है।

आज समुक्त राष्ट्रसंध भी प्रायः उन्ही परिस्थितियों का सामना कर रहा है जो कि राष्ट्र संध ने इथियोपिया के विरुद्ध इटैलियन आक्रमण को रोकने में असफल होकर १९३६ में की थी। अन्तर केवल यही है कि राष्ट्रसंध की गैर सदस्यों से सङ्घटन का सामना करना पडा था और वह बाह्य शत्रुओं के आक्रमण द्वारा नष्ट हुआ जबकि समुक्त राष्ट्रसंध स्वयं को विरोधी दलों में विभक्त है। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय समाज का ढाँचा जैसा है वैसा ही रहेगा तब तक केवल नवीन सङ्गठनारम्भ ढाँचों को अपनाते मात्र से ही न तो विश्व राजनीति की समस्याओं का हल ही हो सकता है और न विश्व शांति की स्थापना हो सकती है।

द्वितीयांश तक यह सार है कि राजनीतिक कार्यवाही जो कि प्रायः गुप्त रूप से होती है बहुत सी समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझा सकती है क्योंकि सुरक्षा परिषद में जहाँ पर कि खुले रूप से विवाद होता है वहाँ राष्ट्रों के प्रतिनिधि समझौते के लिए नहीं बरन् अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को ध्यान में रखा कर तथा प्रचार के लिए विवाद करते हैं।

जैसे राष्ट्र के अन्दर दलीय स्वार्थ राष्ट्रीय स्वार्थों पर विजय पाते हैं वैसे ही राष्ट्र के बाहर राष्ट्रीय स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्थों पर विजय पाते हैं। यह असम्भव है कि कोई भी राष्ट्र किसी एक समस्या पर तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का गुणगान करे अथवा उसे आवश्यक समझे तथा दूसरी किसी समस्या में जितने उसके राष्ट्रीय स्वार्थ निहित हैं, गिराने की तरह रण बंद कर राष्ट्रीय समस्याओं पर साम्राज्य वृद्धि और राजनीतिक यथासंताओं की दुहाई देकर शक्ति के प्रयोग के प्रयत्न करे।

राष्ट्र राष्ट्र संघ में सोवियत संघ और उसके साथी राष्ट्र स्थाई रूप से अल्पमत में हैं और इसलिए वे ऐसा कोई भी संस्थात्मक परिवर्तन नहीं चाहते हैं जो कि उनके हितों के विरुद्ध हो। सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद से आम सभा की शक्ति हस्तांतरित करने के प्रयत्नों का विरोध करते हुए बार बार नियेपारमक शक्ति का प्रयोग किया है। क्योंकि ऐसा होने से सोवियत संघ के लिए आम सभा में जहाँ कि वह स्थायी रूप से अल्पमत में है अपने अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना असम्भव हो जाता।

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सामूहिक सुरक्षा तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि यह अन्तर्राष्ट्रीय तनावों और शीत युद्ध की अन्त करने में सफल नहीं होता है। खुली हुई कूटनीति तथा खुले हुए सम्झौते नैतिक दृष्टि से तो सर्वोत्तम हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थताएँ इस नैतिक सिद्धान्त के सफल होने की राभावनाओं के विरुद्ध हैं। राष्ट्र राष्ट्र संघ के युग में गुप्त सन्धिवादी एवं गुप्त वार्ताओं का प्रायः अन्त हो चुका है और इस युग में अन्तरिक राजनीति की जनतन्त्रीय प्रणालियों की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सागू करने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया गया है। राष्ट्र संघ के सदस्यों के लिए किसी भी निर्णय पर पहुँचने के लिए पहले मतैक्य आवश्यक था और यह मतैक्य परिषद में खुले रूप से वाद-विवाद करने के अतिरिक्त गुप्त वार्ताओं एवं सम्झौतों के द्वारा ही सम्भव था। पोल हैनरी स्पाक का इस सम्बन्ध में बयान है—

“.....जैनेवा का वातावरण लेकर सभसेस के वातावरण से सर्वथा भिन्न था, यह अधिक पूर्व निमित्त था। समय समय पर कुछ सार्वजनिक वाद-विवाद होते थे किन्तु मैं यह नहीं समझता कि मैं कोई गुप्त भेदों को तोल रहा हूँ या कोई अप्रिय बात यह रहा है जबकि मैं यह कहता हूँ कि सार्वजनिक वाद-विवाद जितने कि विरोधी मत प्रदर्शित किए जाते थे, गलियारों में सावधानी पूर्वक सँभार किये जाते थे, और वास्तव में वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित पाठें खेलता था और यदि कोई इससे विरुद्ध कार्य करता था तो एवदम एक बहुत बुरा व्यक्ति माना जाता था।”

सार्वजनिक वाद-विवाद और मतदान केवल गुप्त कूटनीतिक सम्झौतों की वैधानिकता देने के लिए किए जाते थे।

कूटनीति का यह कार्य है कि वह राष्ट्रों को बचाए और विभेदों को दूर करे। यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, विश्व की प्रमुखा समस्याओं के सम्बन्ध में मापस में कूटनीतिक शतधीत करें तो उन समस्याओं का सुलभना अधिक संभव हो सकता है। सुरक्षापरिषद और आम सभा में सार्वजनिक वाद-विवाद एवं मापसों का उपयोग प्रायः राजनीतिक और रीढ़ान्तिक प्रचार के लिए किया जाता है। वहाँ पर व्यक्तियों का उद्देश्य प्रचार और विश्व जनमत को प्रभावित करना होता है न कि सम्झौतों को प्राप्त करना।

कोई भी राष्ट्र अपनी अन्तरिक या वैदेशिक नीति को संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण एवं निर्देशन में नहीं रखना चाहता है। महान शक्तियाँ तो अपने स्वयं की स्वयं सुलझाना चाहती हैं तथा वे निपेधात्मक शक्ति का प्रयोग अपने राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए करती हैं। निपेधात्मक शक्ति को अस्तित्व में नहीं किन्तु इसके प्रयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ सविधान द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट किया है। इस सम्बन्ध में महान शक्तियों का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र समरीक्षा के सीनेटर वेन्डनबर्ग के इस कथन से समझा जा सकता है जो १९४५ में संयुक्त राष्ट्रसंघ सविधान पर वाद-विवाद करते समय उन्होंने कहा था—

“यह हमारी रक्षा करता है जिसको कि मैं समझता हूँ और जिसकी कि हमारी ‘अनिच्छापूर्ण दासता’ के रूप में कई ओर से कड़ी निन्दा होगी यदि हमारी निपेधात्मक शक्ति का अस्तित्व नहीं होता। यह हमारे उन तार्किक भयों का कि हम अपने भविष्य को वैदेशिक निर्देशन के अधीन कर रहे हैं, अपूर्ण उत्तर है।” “यह अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य से इस प्रकार हमको चिर स्वतन्त्रता को गारन्टी देता है।”

सीनेटर वर्ग निपेधात्मक शक्ति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों का रक्षक मानते हैं।

सोवियत संघ अल्पमत में होने के कारण इस अल्पमत के विशेषाधिकार निपेधात्मक शक्ति पर किसी प्रकार की कोई भी सीमाएँ लगाने के पक्ष में नहीं है। यदि सोवियत संघ ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है या सामूहिक सुरक्षा के कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न की हैं तो दूसरे बड़े राष्ट्र भी इस सम्बन्ध में न तो पीछे ही रहे हैं और न तटस्थ ही। सोवियत संघ ने इस शक्ति का प्रयोग ऐसे सदस्यों के आग्रहों का विरोध करते हुए किया है जिनके कारण उसके विरुद्ध के बहुमत की सहाय्य और भी अधिक बढ़ने का भय था।

सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्न करने के लिये यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थाई विभाजन का अन्त किया जाए चाहे इसके लिए कृत्रिमता का प्रयोग ही सहाय्य लेना पड़े। इस सविधान के ५२ वें अनुच्छेद के नाम पर जो प्रादेशिक सैनिक संगठन हैं उनकी भी तब कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। एक संयुक्त संयुक्तराष्ट्र संघ ही शक्ति और सामूहिक सुरक्षा स्थापित कर सकता है। अर्नेस्ट बी० हैज तथा एम० एम० विटलीग के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि—

“विश्व के राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर कोई बहुत अधिक भरोसा नहीं रखते हैं। इस सत्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सामान्यतः पतन ही हुआ है तथा प्रादेशिक संगठनों की ओर रुखा में निरन्तर रुढ़ि ही हुई है। १९५५ में

संयुक्त राज्य समरीका चार बहुपक्षी प्रादेशिक सामूहिक आरम्भका सगठनों का सदस्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति मौलिक स्वामिभक्ति के परचातु प्रादेशिक समझौते और अधिकार जो कि भारत रत्ना अनुच्छेद में है, की सामूहिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिये सही प्रकार की नीति के रूप में प्रस्ताव की जाती है। योरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण अमेरिका और सबसे अधिक सोवियत संघ तथा इस पर निर्भर रहने वाली इकाइयों में यही भुक्तान दिखाई देता है। प्रादेशिक सगठन संचारिका और उत्तरदायित्व आदि सब स्थानों पर सार्वभौमिक सुरक्षा व्यवस्था से बड़ी अधिक विकसित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सविधान की प्रादेशिकता के सिद्धान्त का आधार मानता उसका सबसे दुर्बल कड़ी पर आधारित है—सामूहिक आरम्भका के अधिकार पर। आज सार्व-जनिक नेता सार्वभौमिक सुरक्षा के सम्बन्ध में कम से कम कह रहे हैं और इसकी अधिकतर देशों के मुख्य व्यक्ति विरोधी प्रादेशिक समूहों की सामूहिक सुरक्षा का आधार मान रहे हैं जो कि अब एक विभाजित और प्रत्यष्ट संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती।”

(डाइर्नेमिक्स आफ इन्टरनेशनल रिलेशन्स पृ० ४८६)

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में अत्यधिक कमियाँ हैं और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में इसके सफलतापूर्वक कार्य करने की आशा व्यर्थ है। यदि हम वास्तव में एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो हमें प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को एक नवीन रूप देना होगा। इसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के दृष्टि में सीमित करना होगा तथा राष्ट्रों से ऊपर एक सार्वभौमिक सर्वसत्ता सम्पन्न सगठन स्थापित करना होगा। साधारण एवं अणु प्रस्त्रों का निगन्धीकरण करना होगा और इसके साथ ही साथ हमें शान्ति के प्रति राष्ट्रों एवं उनके नागरिकों में एक नई मनोभावना उत्पन्न करनी होगी जो कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को व्यक्तिगत रक्षा से अछेद माने तथा उस पर निर्भर रहने का प्रयत्न करें।

आज विश्व में कोई भी इस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर दवाचं में भरोसा नहीं रखता है और इसके परिणाम स्वरूप विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपनी तथा अपने नागरिकों की गति-शक्ति आरम्भका के लिये निर्भर है। इस सम्बन्ध में वर्तमान शताब्दी और विगत शताब्दियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षणात्मक शासन व्यवस्थाएँ

राष्ट्र सभ के अन्तर्गत मैन्डेट व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्र सभ के अन्तर्गत ट्रस्टी-शिप व्यवस्था को हम विश्व के पिछड़े हुए और अर्ध विकसित प्रदेशों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के क्षेत्र में एक महान प्रगति कह सकते हैं। १९१९ में अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षणात्मक सिद्धान्त तथा १९४५ में ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा एवं विकास को एक पवित्र अन्तर्राष्ट्रीय न्यायी के रूप में स्वीकार किया गया था। इन व्यवस्थाओं ने एक दोहरे उद्देश्य को पूर्ण किया है। इन्होंने कमजोर और पिछड़े हुए राष्ट्रों के हितों की किसी सीमा तक रक्षा की है तथा दूसरी ओर १९१९ और १९४५ में विजेताओं के मध्य में शान्ति स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की है। इन व्यवस्थाओं ने हारे हुए राष्ट्रों के उपनिवेशों तथा अधीनस्थ देशों की बठिन समस्या को सुलझाया है। प्रथम महायुद्ध के बीच में मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने ऊँचे आदर्शों एवं नारों का प्रयोग किया था। इस सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन का नाम उल्लेखनीय है। इन सिद्धान्तों व आदर्शों के अनुसार अधीनस्थ राष्ट्रों को आत्म निर्णय का अधिकार दिया गया था और यह भी स्वीकार किया गया था कि मानवीय अधिकार तथा मानवीय व्यक्तित्व का महत्त्व सम्पूर्ण विश्व में स्वीकार किया जायेगा।

किन्तु यह सब बातें केवल राजनैतिक प्रचार हेतु थीं। विजेताओं ने गुप्त सन्धियों और समझौतों द्वारा हारे हुए राष्ट्रों के अधीनस्थ देशों और उपनिवेशों को पहले ही आपस में बाँट लिया था। उदाहरण स्वरूप १९१९ के गुप्त साइम्स पिकोट समझौते के द्वारा मोटोमन साम्राज्य के निकट पूर्व के प्रान्तों को इंग्लैंड व फ्रान्स ने आपस में विभाजित कर लिया था। ऐसे ही दूसरे समझौते के द्वारा अफ्रीका के जर्मन उपनिवेशों को भी बाँट लिया गया था। इसके पश्चात् यह विजेता इन नवीन प्राप्त अधीनस्थ राज्यों में अपने हितों को प्राप्त तथा रक्षित करना चाहते थे। फ्रान्स की

जनमर्यादा में पूर्ण निरन्तर कमी हो रही थी इसलिए उसे अपने को एक महान मत्ता बनाए रखने के लिए इन उपनिवेशों से फौज भर्ती करना आवश्यक था। ब्रिटेन ने अधिराज्य इनको दूरतरे देशों के व्यापार तथा नागरिकों के आकर बसने पर रोक लगाने के पक्ष में थे।

जनरल स्मट्स ने घोस्ट्रो-हंगरी तथा भोटोमन साम्राज्य के अधीनस्थ राज्यों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में १८ दिसम्बर १६१८ को एक व्यवस्था प्रकाशित की थी। इस व्यवस्था का विकास करके राष्ट्रपति विल्सन ने १० जून १६१६ को पेरिस शान्ति सम्मेलन के समक्ष राष्ट्रसंघ की सन्धि को दूरतरे मसौरे के एक अन्तर्ग भाग के रूप में रखा था। विल्सन ने इस सिद्धान्त का प्रयोग समस्त हारे हुए देशों के अधीनस्थ राज्यों पर किया और वह इस सिद्धान्त से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि शान्ति सम्मेलन में उसने सिद्धान्त के पक्ष में बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में समर्पण किया किन्तु इस सिद्धान्त के अपना देने के रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ थी जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन के विशेष हित तथा गुप्त समझौते। विल्सन की इन सब बातों पर अपने आदर्शों से समझौता करना पड़ा और इसके पश्चात् ही यह सिद्धान्त शान्ति सम्मेलन द्वारा स्वीकृत हुआ। राष्ट्रीय हित और शक्ति राजनीति की आवश्यकताओं ने एक प्रादर्शवादी सिद्धान्त को नष्ट प्रायः कर दिया। १६१६ और १६४४ में इस सिद्धान्त को जो सत्त्वात्मक रूप दिया गया था वह केवल इसकी छाया मात्र था। इसके पहले कि हम इस सिद्धान्त का प्रालोचनात्मक अध्ययन करें हमारे लिए राष्ट्रसंघ की सन्धि के अनुच्छेद २२ का, जिसमें कि मंडेट व्यवस्था थी, अध्ययन करना आवश्यक है। यह अनुच्छेद इस प्रकार था—

- (१) "उन उपनिवेशों और क्षेत्रों पर, जो कि पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप उपराज्यों के सार्वभौमत्व में नहीं रह गए हैं, जिनका पहले उन पर शासन था तथा जिनमें ऐसे लोग बसते हैं, जो कि प्राचुरिक विषय की कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े होने योग्य यह सिद्धान्त लागू किया जाए कि ऐसे लोगों का कल्याण और विनाश विकसित देशों का पवित्र कर्तव्य है तथा इस कर्तव्य के निश्चित रूप से पालन के लिए आवश्यक व्यवस्था इसी सन्धि पत्र में कर दी जाय।
- (२) इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे लोगों का संरक्षण उन उन्नत राष्ट्रों को सौंपा जाए जो कि अपने साधनों, अपने अनुभव या अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस उत्तरदायित्व को सबसे अच्छी प्रकार पूरा कर सकते हैं तथा जो वे त्रिभेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं तथा ये इस संरक्षण अधिदार का उपयोग राष्ट्र संघ की ओर से एक संरक्षक राज्य से रूप करेंगे।

- (३) "सम्बन्धित जगता के विकास की अवस्था, उनके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति प्राथिक परिस्थितियाँ और इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण इन सरक्षित राज्यों का स्वरूप भी विभिन्न होगा ।
- (४) "इससे पूर्व कि तुर्की साम्राज्य में शामिल कुछ समुदाय विहारा की ऐसी अवस्था तक पहुँच गए हैं कि उनके अस्तित्व को अस्थाई रूप से स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में माना जा सकता है किन्तु कोई एक संरक्षण राज्य इन्हें तब तक प्रशासकीय सलाह सहायता देता रहेगा, जब तक कि वे अपने पैरों पर स्वयं खड़े न हो जाएँ । संरक्षण राज्य का चुनाव करते समय इन समुदायों की इच्छाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए ।
- (५) "अन्य लोग—विशेषकर मध्य अफ्रीका के—ऐसी अवस्था में हैं कि संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन करना होनी चाहिए कि उन लोगों के विश्वास और धर्म की स्वतन्त्रता—जिन पर केवल सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने का ही ध्यान हो—की गारंटी प्राप्त हो सके तथा दुष्कार्यों जैसे दास व्यापार, शस्त्रास्त्र तथा शराब के व्यापार का निषेध किया जा सके एवं किलोबन्दी या भूमिगत या गौर्गनिक अड्डे बनाना और पुरातन प्रयोजनों तथा इन क्षेत्रों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए वहाँ के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देना रोका जा सके एवं राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों को व्यापार और वाणिज्य के लिए समान अवसर भी प्राप्त हो सके ।
- (६) "ऐसे भी क्षेत्र हैं—जैसे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा कुछ दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीप—जो कि कम जनसंख्या होने के कारण या सम्यता के केन्द्रों से दूर पड़ जाने या संरक्षण राज्य के क्षेत्र से भौगोलिक निकटता अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण, संरक्षण राज्य के क्षेत्र के ही अविभाज्य के रूप में संरक्षण राज्य की विधियों के अनुसार ही अन्तर्भूति प्राप्त किए जा सकते हैं किन्तु देशों लोगों के हित की दृष्टि से उपरोक्त सावधानियाँ व सुरक्षा प्रबन्ध बढ़ते जाने चाहिए ।
- (७) "हर संरक्षित राज्य के सम्बन्ध में, संरक्षण राज्य उसे सीपे गए क्षेत्र के सम्बन्ध में, परिपद को एक प्राथिक रिपोर्ट भेजेगा ।
- (८) "संरक्षक राज्य का जिस सीमा तक अधिकार होगा या वह नियन्त्रण व प्रशासन करेगा, इसका निश्चय यदि राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने पहले से ही नहीं कर दिया हो, तो परिपद हर मामले में यह सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित करेगी ।

(६) "मरुतक राज्यों की वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करने तथा उनको जांच करने प्रथम संरक्षण कर्तव्यों का पालन करने सम्बन्धी सभी मामलों पर परिषद को परामर्श देने के लिए एक स्थाई आयोग की नियुक्ति की जाएगी।"

शान्ति सम्मेलन ने अपने पूर्व के सम्झौतों को वास्तव में स्वीकार किया था और मंडेट व्यवस्था के अन्तर्गत क्षेत्रों का जो विभाजन हुआ था वह भी इनके आधार पर हुआ था। मई १९१६ में प्रशान्त महासागर के द्वीपों का इन्डो, पास्ट्रोलिया और न्यूजीलैंड के बीच विभाजन हो गया। अफ्रीका में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के साथ को, जर्मन पूर्वी अफ्रीका ब्रिटेन को तथा होमोलैंड और कैम्बून ब्रिटेन और फ्रान्स के बीच में विभाजित किए गए थे। अप्रैल १९२० में टर्की के अफीनस्थ राज्यों का फ्रान्स और ब्रिटेन के बीच में विभाजन हुआ। फ्रान्स को सीरिया व लेबनान तथा ब्रिटेन को पॅलेस्टाइन, ट्रान्सजॉर्ड और ईरान इस बंटवारे में मिले। अफ्रीका की अरबीभूमिया पर संरक्षण के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसके लिए उसने मना कर दिया। अरबीभूमिया बाद में टर्की और सोवियत संघ के बीच में विभाजित हो गया। वास्तव में यह मंडेट संरक्षक राज्यों और सुप्रीम परिषद के बीच में कानूनी समझौते थे। और यही पर इनका अ, ब, ग, वर्गीकरण लीग सन्धि के अनुच्छेद २२ के ४, ५, ६, उपअनुच्छेद में किया गया। अ वर्ग के मंडेटों का इतिहास अच्छा नहीं है। जैसा कि सन्धि में था। वहाँ के रहने वालों की इच्छाओं का संरक्षक राज्य के नियुक्त करते समय ध्यान रखा जायेगा, नहीं हुआ। मेसोपोटामिया में घाम विद्रोह हुआ और ब्रिटेन को हजाज के बादशाह हुसैन के लड़के फौज को ईराक का राजा स्वीकार करना पड़ा। ईराक और ब्रिटेन के बीच में १९२२ में एक संधि हुई। इनमें ४ वर्ष के लिए ईराक और ब्रिटेन के सम्बन्धों को निश्चित किया। १९३२ में ईराक पूर्णतः स्वतन्त्र राज्य हो गया और इसकी लीग की सदस्यता भी प्राप्त हो गई।

इन क्षेत्रों के अन्तिम बंटवारे में संरक्षण कार्य व्यवस्था के आदर्श बाह्य विद्वानों की प्रो० धूमन के अनुसार तोड़-नरोड़ कर रख दिया गया तथा वे आदर्शों में अत्यधिक दूर थे। अ वर्ग के मंडेटों में जनता की इच्छा को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। पॅलेस्टाइन और सीरिया में भी, जहाँ पर कि जनता की इच्छा का पता लगाया गया था। वहाँ भी इसको कोई महत्त्व नहीं दिया गया। होमोलैंड और कैम्बून में फ्रान्स को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए वहाँ के लोगों को फौज में भर्ती करने दिया गया। अ वर्ग के मंडेटों में स्वतन्त्र रूप से व्यापार निषेध, हो गया। अ, वर्ग के मंडेटों की दशा अत्यन्त ही सोचनीय थी। उन्हें संरक्षक राज्य वास्तव में अपने क्षेत्र का एक भाग मानकर और एक जीता हुआ प्रदेश मानकर राज्य करते थे। प्रायः यही दशा

व, वर्ग के मॅन्डेट्स की थी। अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण का यह मसाला आदर्श शक्ति राजनीति की भूल भुलैयाँ में फँसकर न मालूम कहाँ सो गया।

ईराक के प्रतिरिक्त अन्य सब मॅन्डेट्स में स्वतन्त्रता आन्दोलन को और स्वशासन की माँग को निर्देशता पूर्णक दवा दिया गया। सरक्षक राज्य जुले रूप से इन क्षेत्रों में साम्राज्यवादी नीति व शासन को अपनाते थे। पैलस्टाइन में ब्रिटेन और यहूदियों ने मिलकर विदेशियों को अरब भूमि पर बसाने का एक पद्धत किया जिसको कि पिछड़े हुए गरीब अरब किसी भी दशा में रोक नहीं सके थे।

प्रत्येक सरक्षक राज्य की यह नीति होती थी कि वह प्रत्येक मॅन्डेट के वजह को स्थानीय माँग द्वारा ही सतुलित रहे। उन्होंने स्थानीय माँग से अधिक व्यय करने में इन्कार कर दिया। इन पिछड़े हुए और अविश्वसित क्षेत्रों की उन्नति के लिए यह आवश्यक था कि सरक्षक राज्य स्थानीय माँग से कहीं अधिक अपने पास से व्यय करते हैं। इन राज्यों की जनता को पुराने साम्राज्यवादी शासन तथा इस नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण में कोई विशेष अन्तर नहीं मालूम पड़ा। यह केवल एक झूठा आडम्बर मात्र था।

किन्तु फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण का विचार वास्तव में एक सैद्धान्तिक प्रगति है। राष्ट्र संधि के अनुच्छेद २२ के उप अनुच्छेद ६ के अनुसार एक स्थायी मॅन्डेट आयोग की स्थापना हुई जो कि लोग परिषद को इस सम्बन्ध में परामर्श देता। प्रारम्भ में इसमें ६ सदस्य थे और इनमें गैर सरक्षक राज्यों का बहुमत था। १९२७ में इनकी संख्या १० कर दी गई ताकि जर्मन प्रतिनिधि को भी इसमें लिया जा सके। १९२९ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का एक प्रतिनिधि भी एक परामर्शदाता के रूप में इसमें सम्मिलित कर लिया गया।

इस आयोग का कार्य केवल परामर्श देने का था किन्तु वास्तव में इसने लोग परिषद के एजेंट का रूप धारण कर लिया। सरक्षक राज्य अपने क्षेत्रों की वार्षिक रिपोर्टें इस आयोग के समक्ष रखेंगे। इसके सूचना प्राप्त करने के अन्य साधन सरक्षक राज्यों के द्वारा आई हुई जनता की शिकायतें और सरक्षक राज्यों से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर थे। न तो यह स्वयं मॅन्डेट में जाकर निष्पक्ष जाच व देख रखा कर सकता था और न ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त ही कर सकता था। इसका अपना सभी सूचना के लिए सरक्षक राज्य सरकारों पर ही पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में राज्य अपने रहने वाले लोगों की शिकायतों का स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से सुना जाना प्रायः अशक्य था। यह आयोग केवल सरक्षक राज्यों से सूचना प्राप्त करने और उन्हें राष्ट्र संधि परिषद तक पहुँचाने का साधन मात्र था। राष्ट्र संधि के अन्तर्गत ही इस व्यवस्था का भी अन्त हो गया।

संयुक्त राष्ट्र सभ संघटन ने दूत बरत्रम्बा के स्थान पर नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की—ट्रस्टीशिप व्यवस्था। इन दोनों के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं था। बाल्टा सम्मेलन में निश्चित हुआ था कि पुराने मैनचेटर प्रदेशों को इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत कर दिया जाएगा तथा उन क्षेत्रों को भी जो कि द्वितीय महायुद्ध के फल-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत रहना चाहते तो उसे भी ऐसी नई व्यवस्था के अन्तर्गत रखा जायगा। समझौते की शर्तों के अनुसार न्यायी शक्तियों को निश्चित करना एक कार्यभार करने का कार्य सामाजिक महसूस के क्षेत्रों में अनुच्छेद ८३ के अनुसार सुरक्षा परिषद की प्राथमिकता को दिया गया था। किसी भी ट्रस्ट प्रदेश का सम्पूर्ण या एक विशेष प्राथमिक सामरिक महसूस का क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन में प्रशासकीय सत्ता का सुरक्षापरिषद के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनुच्छेद ८४ के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है।

स्थायी मैनचेटर आयोग के स्थान पर ट्रस्टीशिप परिषद की स्थापना हुई। इसके सदस्य वे सब राष्ट्र वे जो कि न्यायी शक्ति की हितयत्न से कार्य कर रहे थे तथा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से वे सदस्य वे जो न्यायी नहीं थे और इन दोनों के समान ही शक्तियों में प्राथमिकता द्वारा ३ वर्ष की पूर्ण अवधि के सदस्य थे। इनको न्यायी शक्तियों द्वारा रिपोर्टिंग को प्राप्त करने और उनका परीक्षण करने की सत्ता है तथा वे प्रशासकीय सत्ता की समाह से इन प्रदेशों की जनता द्वारा दी गई शक्तियों को भी स्वीकार कर सकती तथा परीक्षण कर सकती है। यह ट्रस्ट क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर सकती है। परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में अनुच्छेद ८८ के अनुसार एक राजनैतिक, प्राथमिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी इन ट्रस्ट क्षेत्रों की प्रगति की जानकारी के लिये एक प्रश्न सूची तैयार करेगी और उसको न्यायी शक्तियाँ पूर्णतः भरेंगी। यह न्यायी समझौता के साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों को जो भी अपेक्षाएँ सम्बन्धी पर शासन कर रहे हैं, चाहे वे न्यायी व्यवस्था में हो ग हों, यह सामान्य निर्देश दिया गया था कि वे—

“इस सिद्धान्त को स्वीकार करें कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हित ही मुख्य हैं और इसलिए उन्नति, न्याय, स्वतन्त्रता, स्वशासन, प्राथमिक सुरक्षा, विकास, अन्वेषण, सहयोग और अष्ट पक्षीयता आदि की प्राप्ति के लिए।”

(क्रैडरिफ एल टुमैन)

और वे सम्बन्धित प्रायश्चित्त को महासचिव को समर्पित करेंगे।

य और य वर्ग के मैनचेटर में स्थानीय विवेचकों या फोर्जे भर्ती करने की महाही थी और न्याय के लिए युवा द्वारा रखने का निर्देश था। किन्तु इन सब बातों पर संयुक्त राष्ट्र सभ संविधान पुन है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में

यह एक पीछे हटने वाला पग है। किन्तु न्यायी परिषद मैन्डेट प्रायोग की तुलना में एक निश्चिन्त प्रगति है। इस सम्बन्ध में जो प्रगति है उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

- (प्र) न्यायी परिषद सरकारों के प्रतिनिधित्व की एक संस्था है जो कि अपनी सरकारों के नाम पर बोल सकती है और इस प्रकार न्यायी शक्तियों को बाध सकती है। जबकि मैन्डेट प्रायोग स्वतन्त्र विशेषज्ञों की मसूमा थी और वे ऐसा नहीं कर सकते थे।
- (ब) यह न्यायी क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकते थे जबकि मैन्डेट प्रायोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी।
- (स) यह सीधे प्रार्थना पत्र ले सकता था और इसलिए दोनों पक्षों का सुनने के पश्चात् एक स्वतन्त्र और निरपेक्ष आिच कर सकता था। मैन्डेट प्रायोग ऐसा करने में असमर्थ था।

यह सब प्रगतियाँ केवल साधारण क्षेत्रों व सम्बन्ध में ही हुई हैं। जहाँ तक सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों का प्रश्न है प्रो० शूमेन ने ठीक ही कहा है कि—

“महत्त्व के क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिषद की शक्तियाँ इतनी अधिक सीमित और अस्पष्ट हैं कि वे अर्थहीन हैं।

यह परिवर्तन करने वाले छोटे और ऊपरी हैं कि इनके द्वारा औपनिवेशिक जनताओं को न तो प्रेरणा ही मिली है और न उन्हें समुक्त राष्ट्र सभ की संरक्षण पद्धति की उपयोगिता में विश्वास हो हुआ है। नौरा के अतिरिक्त कोई भी क्षेत्र न्यायी पद्धति के अन्तर्गत स्वेच्छा से नहीं रखा गया है। यह आम सभा के द्वारा एक अस्थायी समिति औपनिवेशिक शक्तियों के बड़े विरोध की प्रेरणा भी औपनिवेशिक शासन और न्यायी क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी महासचिव की रिपोर्ट की आिच करने के लिए नियुक्त की थी। इस समिति की १९५७ के अगस्त व सितम्बर में बैठक हुई, किन्तु यह पिछड़ी हुई जनताओं के सम्बन्ध में कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य न कर सकी।

समुक्त राष्ट्र सभ के स्थापित होने के पूर्व ही राष्ट्र सभ द्वारा स्थापित स वर्ग के सुरक्षा राज्य स्वतन्त्र हो चुके थे। बेल्जियम और फ्रांस ने टैंगानिका, रोषान्डी-उरुन्डी, टोगोलैंड और कैमेरून आदि स वर्ग के मैन्डेट संरक्षक राज्यों के सम्बन्ध में न्यायी समझौते दे दिए थे तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने नई गिनी और पश्चिमी सोमोवा तथा इङ्गलैंड और आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने नौरा के प्रशासन के लिए १९५७ में एक सम्मेलन समझौता पेश किया था कि दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर जो रि स वर्ग का सुरक्षित राज्य था, आम सभा के निर्देश और विश्व न्यायालय के परामर्शदात्री पत्र के अपेक्षा भी न्यायी व्यवस्था के अधीन नहीं किया। उसने पूर्णतः उसे अपने राज्य में मिला लिया।

शीत युद्ध और गृह-प्रतियोगिता में न्यायी परिषद में भी अपना प्रभाव जमा रखा है। प्रारम्भ में सोवियत संघ ने इसका बहिष्कार इस कारण किया कि न्यायी क्षेत्रों के रहने वालों की इच्छाओं जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था।

प्रशान्त महासागर के कैरोलीन और मरियाना द्वीप-समूह जो कि समुक्त राष्ट्र अमरीका ने युद्ध के समय जापान से जीत लिए थे, उनकी उससे समुक्तराष्ट्र सुरक्षा-परिषद के माघीन सामरिक महत्त्व के न्यायी क्षेत्र के रूप में ही स्वीकार किया। इन द्वीप-समूहों के सम्बन्ध में, शर्तों के सम्बन्ध में अमरीका ने सुरक्षा-परिषद को यह समझी तक दी कि यदि ये शर्तें स्वीकार नहीं की गईं तो यह न्यायी समझौते के लिए जाएंगे और इन समझौतों से पूर्व की भाँति ही उनका प्रशासन किया जायगा। इन निर्दिष्ट समझौतों के अनुसार अमरीका को अपने कानून के किलेबन्दी करने, फौजी प्रहृष्टे कायम करना, स्थानीय सेना की भर्ती करना, इन क्षेत्रों को विदेशी व्यापार के लिए बन्द करने तथा सब क्षेत्रों से जो कि सामरिक महत्त्व के क्षेत्र हैं, समुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण को भी बन्द करने की शक्ति मिल गयी।

यह इतिहास का एक निर्दय दृश्य है कि समुक्तराष्ट्र अमरीका जो कि अब तक गुले द्वार, औपनिवेशिक जनताओं के लिए स्वयं नियंत्रण, अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं सरक्षण आदि का सबसे बड़ा समर्थक था उसी ने स्वयं इनसे पूर्ण विरोधी वस्तुओं की माँग की। वास्तव में १९१६ के समुक्तराज्य अमरीका और १९४५ के समुक्तराज्य अमरीका महान् अन्तर था।

इस निबन्ध को हम प्रो० शूमेन के इस कथन से अन्त कर सकते हैं—

“गठन में, समुक्तराष्ट्र अमरीका, जो कि बहुत दिनों से हर स्थान पर ‘गुले द्वार’ का सबसे बड़ा समर्थक था अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण, निःशस्त्रीकरण और अन्तिम रूप से स्थानीय क्षेत्रों के स्वशासन आदि के लिए प्रकार का देवदूत था उसने यहाँ पर सफलता पूर्वक ‘बन्दद्वार’ (यानि अमरीकी नागरिकों के लिए पक्षपातपूर्ण व्यापारिक व्यवहार) पूर्ण नियंत्रण, सैन्यीकरण और विगुद्ध औपनिवेशिक प्रशासन की क्षेत्रों के लिए माँग की जिन्के लिए वह न्यायी था। और किसी भी न्यायी को न्यायी पद्धति को पुराने प्रकार की जीत के साथ एकरूपता स्थापित करने का इतना माहुर ही न पड़ा। यहाँ पर भी सदैव की भाँति दुर्गुणों ने गुणों को पागल रूप में कर दिया। यह समझौता स्वयं ही इस बात का अपेक्ष टीका है कि किस सीमा तक समुक्तराष्ट्र न्यायी पद्धति पुरानी औपनिवेशिक में अर्धपूर्ण परिवर्तन कर सकती है।”

(इन्टरनेशनल पोलिटिक्स, चौथी संस्करण, पृ० ३५२)

निश्स्त्रीकरण

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और युद्ध का राष्ट्रीय नीति के एक आवश्यक अंश के रूप में त्याग के पूर्व निश्स्त्रीकरण आवश्यक है। इस युद्धोत्तर अणु युग में इसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी अतिशयोक्ति उचित है। एफ० ए० ई० क्रू के अनुसार—

“किन्तु इस शताब्दी में वे उन सब भौतिक बाधाओं जो कि राष्ट्रों को विभाजित करती थी, पर विजय पाली गई है, और घटनाएँ जो कि विश्व के कोने में होती हैं अब सम्पूर्ण विश्व की मानव जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। युद्ध विश्व-युद्ध हो गए हैं। किन्तु साथ ही साथ उन यांत्रिक विकास के जिनके द्वारा ये वस्तुएँ उत्पन्न हुई हैं वे भी सम्भव कर दिया है कि स्वतंत्र राज्यों का एक स्वेच्छित समुदाय को उत्पत्ति जिसमें से सामाजिक स्तरों का अन्त कर दिया गया है, अथवा मानव जाति वापिस अत्यन्त ही कष्ट से बर्बरता में डूब जायगी और यह प्रत्येक का कर्तव्य हो जाता है कि यथा सम्भव प्रत्येक कार्य जो कि युद्ध को रोके, करे और इसका अधिकतम ध्यान रखें कि इसके बीच बच्चों के अस्तित्व में न बौए जाये।”

(मस्ट मैन वेज वार, पृ० ३८)

राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का वर्तमान सिद्धान्त का आधार राष्ट्र को एक शक्ति की इकाई मानने का सिद्धान्त है और यह शक्ति उसके शस्त्रों द्वारा निश्चित होती है। उसकी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थिति और महत्व उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर है या उसके मित्रों व साधियों की सैनिक शक्ति पर। राज्यों की सम्पत्तियों का सिद्धान्त केवल मिथ्या कानूनी सिद्धान्त मात्र है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की तथा उसकी भूमि की बाहरी घातमण से रक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्र को पूर्णरूप से अपने आपको शस्त्रों से सुसज्जित करना होता

है तथा उसका यह प्रयत्न रहता है कि उसकी सैन्य-शक्ति विद्य के अन्य सब राष्ट्रों की सम्मिलित सैन्य-शक्ति से भी अधिक हो जाए जो कि नितान्त असम्भव है। स्वभावतः यह पूर्णरूप से शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की सोज करता है, गृह बनाता है, और इसका विरोधी फिर वही कार्य आत्म-रक्षा के नाम पर करता है तथा एक प्रतिगृह का निर्माण करता है। गृह और प्रति-गृह इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक-दूसरे के समक्ष सदैव पाए जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के चाहे वह साम्राज्यवादी हो या न हो कुछ महत्वपूर्ण हित हैं जिनकी रक्षा करने के लिए वह हर प्रकार का सङ्कट मोस लेने के लिए तैयार रहता है। यह महत्वपूर्ण हित प्रायः स्पष्ट होते हैं और इनकी निश्चय करने का कार्य उस राष्ट्र के राजनीतिज्ञों का है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सत्ता को न तो कम करना चाहता है और न दूसरे के अधीन। यह अपने सभी भगड़ों का स्वयं निरुपकरण चाहता है तथा वह अपने महत्वपूर्ण हितों का निर्णायक स्वयं होता है। यह सब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी एक भराजवता उत्पन्न करते हैं।

राज्य की शक्ति उसकी विभिन्न सेनाएँ हैं चाहे वह विश्व न्यायालय या विश्व समूह के नाम पर नैतिक सिद्धान्तों का निर्माण करें या प्रचार करें किन्तु शक्तिम रूप में यह केवल अपनी सैन्य-शक्ति पर ही विश्वास रखता है। प्रत्येक राष्ट्र के राजनीतिज्ञ सदैव यह दावा करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे कि उनका राष्ट्र शक्तिपूर्ण है और उनका विरोधी राष्ट्र आक्रमणकारी एवं उनकी नीति मुद्रिय है। सब राष्ट्र आत्म-रक्षा के नाम पर ही युद्ध शुरू करते हैं। बेलायत सन्धि की स्पष्ट रूप से आत्म-रक्षा को राष्ट्र की भूमि की रक्षा माना है किन्तु फिर भी व्यवहार में इसका अर्थ सदैव महत्वपूर्ण हितों की रक्षा, अपने राष्ट्रीय प्रभाव के क्षेत्रों की रक्षा या अपने विशेष आर्थिक हितों की रक्षा रहा है। १५८८ के स्पेनिश जहाजी घेरे के आक्रमण के पश्चात् कभी भी ऐसा अवसर इतिहास में नहीं आया जबकि दक्षिण की राष्ट्रीय सीमाओं को किसी विदेशी आक्रमण का सबट उपान्न हुआ ही और वही समुद्र राष्ट्र समरीका के लिए भी उत्पन्न है। किन्तु फिर भी इन राष्ट्रों ने प्रत्येक विश्वव्यापी युद्ध में भाग लिया है। सीमलन सिद्धान्त जिसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि आक्रमण के द्वारा प्राप्त की गई भूमि को शेष स्वीकार नहीं किया जायगा, कभी वास्तव में लागू नहीं किया गया और न वह चीन से आक्रमणकारी को हटाने में ही सफल हुआ।

सुरक्षा और निशस्त्रीकरण की जुड़वाँ समस्या ने १९१९ के विश्व-समूह की स्थापना के समय से विश्व राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये इस बात को समझते हैं और इससे सहमत भी हैं कि विश्व शक्ति और युद्ध संघर्षों के निरुपकरण के लिए एक मात्र के रूप में स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है और इससे लिए अन्तर्राष्ट्रीय समूह द्वारा दृष्टिक गुरुता की राष्ट्रीय शक्ति को स्थापना के

ढाँचा घट्यन्त आवश्यक है जिसके बिना निशस्त्रीकरण की आशा एक बल्पना मात्र होगी। निशस्त्रीकरण की मूलभूत समस्या राष्ट्रों के बीच में सन्देह का पूर्ण निराकरण है। इस क्षेत्रों में सफलता की उस समय तक कोई आशा नहीं है जब तक कि पूर्ण रूप से सामूहिक सुरक्षा स्थापित हो जाती। यह सामूहिक सुरक्षा शक्ति द्वारा स्थापित की गई रोमन शक्ति की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए किन्तु किसी अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन द्वारा स्थापित की गई यथार्थ शान्ति होनी चाहिए। डॉ० डब्ल्यू० ग्रनोल्ड फास्टर के अनुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा-प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह—

- (अ) “जो कि आक्रमण की सोचे उनके विरुद्ध यथेष्ट निरोधात्मक सत्ता का कार्य करे।
- (ब) “जिन पर आक्रमण हो सकता है उनके लिए एक विश्वास पूर्ण गारन्टी का कार्य करे।
- (स) “जिनको इस प्रकार के शक्ति प्रबन्धों में हिस्सा लेना पड़ेगा उनके लिए यह सहन करने योग्य भार हो।”

(बी इन्टर्लीजेंट मॅन्स वे टू प्रीवेंट वार पृ० ३८४)

ऐसे प्रबन्धों के बिना निशस्त्रीकरण सम्भव नहीं है और न राष्ट्रों में सुरक्षा की भावना ही उत्पन्न हो सकेगी।

निशस्त्रीकरण की समस्या यद्यपि सदैव रही है किन्तु उसको सुलझाने के लिए प्रयत्नों को हम दो स्पष्ट युगों में विभाजित कर सकते हैं पहली राष्ट्र संध के अन्तगत रुढ़िगत शस्त्रों की। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी का निशस्त्रीकरण करते समय मित्र राष्ट्रों ने एक अस्पष्ट विश्वास दिया था कि वे स्वयं भी भविष्य में निशस्त्रीकरण करेंगे। नौसैनिक शस्त्रों को होठ को बन्द करने के लिए १९२१-२२ में वाशिंगटन नौसैनिक सम्मेलन बुलाया गया था। इसको नौसैनिक शस्त्रों को प्राणिक रूप से सीमित करने में सफलता भी मिली थी। ब्रिटेन, अमरीका और जापान को युद्ध के बड़े सामरिक जहाजों के लिए १० : १० : ६ का अनुपात निश्चित हुआ था तथा छोटे जहाजों में समानता दी गई थी। फ्रांस और इटली को ३ . ५ का बड़े जहाजों में अनुपात दिया गया था। किन्तु इस सम्मेलन और इसके द्वारा किए गए समझौते को हम निशस्त्रीकरण की ओर कोई सक्रिय पग नहीं मान सकते। यह शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में नौसैनिक प्रतियोगिता का अन्त करने के लिए तथा उन पर सीमाएँ लगाने के लिए हुआ था। १९२६ का नौसैनिक सम्मेलन पूर्णरूप से असफल रहा जबकि १९३० के संदेन नौसैनिक सम्मेलन ने उपरोक्त लिखित राष्ट्रों के मध्य में १० : १० : ७ : ६ : ६ का अनुपात स्थापित किया था। १९२६ से १९३२ तक निशस्त्रीकरण सम्मेलन

राष्ट्रो के मध्य में भीषण सदेहारमक प्रवृत्तियों के कारण पूर्णरूप से अक्षय रहें। फ्रान्स ने प्रत्येक समय पर निगरानीकरण या घसत्र सीमित करने से इस समय तक के लिए इन्वार किया जब तक कि सामूहिक सुरक्षा की कोई विश्वासनीय व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है।

१९७० की हार के पश्चात फ्रान्स और जर्मनी में अत्यन्त ही बटु प्रतियोगिता और भीषण सदेह उत्पन्न हुआ। जर्मन आक्रमण के अत्यधिक भय और अपने अत्यधिक अपमान के स्मरण ने फ्रान्स को गुट्ट बनाने और पूर्णरूप से शस्त्रीकरण करने के लिए बाध्य किया था। वह किसी भी दशा में निरस्त्रीकरण के लिए तत्पर नहीं था जब तक कि ब्रिटेन विशेष रूप से और दूसरे राष्ट्र सामान्यतः उसकी सुरक्षा की गारन्टी नहीं कर देते हैं। जब १९१९ के पश्चात् जर्मनी का पूर्ण निरस्त्रीकरण कर दिया गया और यह विश्वास दिया गया कि भिन्नराष्ट्र भी शीघ्र ही निगरानीकरण की और कदम उठावेंगे तो जर्मनी ने १९२७ में राष्ट्रमध्य की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् इस बात की निरन्तर माँग की कि सब राष्ट्र निरस्त्रीकरण को अपनाएँ। १९२२ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में सोवियत दूत लिटीविनोव ने सम्भवतः अत्यधिक निरस्त्रीकरण की योजना को सम्मेलन के समक्ष रखा था और पश्चिमी राष्ट्रों को एक चुनौती दी कि यदि वे इस योजना को स्वीकार करें तो सोवियत सब भी पूर्ण निरस्त्रीकरण की नीति को अपनाएगा। पश्चिमी राष्ट्र इस चुनौती को स्वीकार करने से डरते थे क्योंकि निरस्त्रीकरण द्वारा सैनिक शक्ति का अन्त होने पर उसका अस्तित्व साम्यवादी दलों के तृतीय विश्व युद्ध की दशा पर निर्भर रह जाता। सोवियत रुत की इस योजना की स्वीकृति से महत्वपूर्ण लाभ होता और इस योजना के पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा टुकुराए जाने पर महत्वपूर्ण राजनैतिक व बूटनीतिक लाभ हुआ ही। अन्तर्राष्ट्रीय ने जो कि सोवियत सब की इस योजना में निहित उन्हें दबो की समझने के लिए प्रयोग था पश्चिमी राष्ट्रों और उनके निरस्त्रीकरण को न अपनाएने की नीति की बड़ी घालोचना की। हिटलर के उदय ने उस निरस्त्रीकरण सम्मेलन और समस्त निरस्त्रीकरण प्रयत्नों का द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक के लिए अन्त कर दिया।

निरस्त्रीकरण के मार्ग दूसरी महत्वपूर्ण बाधा अस्त्रसम्बन्धी है। किन शस्त्रों को रखा जाए और किन शस्त्रों पर नियंत्रण लगाया जाए यह इस पर निर्भर करता है कि प्राय किनकी रक्षा और किनको आक्रमण के अस्त्र मानते हैं कोई भी इन दोनों मध्य में सीमा निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। फिर यह अस्त्र सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए सैनिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और किसी ने यह ठीक ही १९२२ का निरस्त्रीकरण सम्मेलन का वर्णन करते हुए कहा है कि यह बग़ादियों का बाबाहारी भोजन की दावत थी। इस सम्मेलन में फ्रान्स के प्रतिनिधि का विश्वास था कि ईश और एनर्जिटिव रक्षा के लिए आवश्यक अस्त्र ही अत्यधिक

ब्रिटेन के प्रतिनिधि इनको आक्रमणकारी शस्त्र ममकते थे । राष्ट्रपति फ्रैंक्लिन हजबैंट के अनुसार सामरिक हवाई जहाज, बड़ी, तोपें, टैंक और जहरीली गैस आक्रमणकारी शस्त्र थे और अन्य सब रक्षा के लिए आवश्यक थे । विशेषज्ञों की यह वृहत् कितनी हास्यास्पद थी यह तो हमसे प्रतीत होगा कि किसी भी शस्त्र का आक्रमण व रक्षा के लिए उचित होना उस शस्त्र पर नहीं बल्कि उसके शस्त्र को प्रयोग करने वालों पर होता है । यदि यह मान लिया जाय कि चाकूओं के प्रतिरिक्त और सब शस्त्र निषेध भी हो जाए तो भी चाकू आक्रमण एवं आत्म रक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोग में आएं गे । समस्या यह नहीं है कि हम शस्त्रों की प्रतिद्वन्दिता को रोकें या सीमित करें न यही है कि हम आक्रमण और रक्षा के शस्त्रों की खोज उत्पादन और उपयोग को निषेध विवाद ही करें किन्तु विनाशकारी शस्त्रों के सम्बन्ध में केवल सैद्धान्तिक वाद-करने की है और यह सामूहिक विनाश के शस्त्रों के सम्बन्ध में और भी अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है । आविष्कारकों और वैज्ञानिकों का इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है । एक ए ई क्यू का इस सम्बन्ध में कथन है कि—

“वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहार में लाने से जो युद्ध के शस्त्रों की शक्तियों में वृद्धि हो रही है इसको वैज्ञानिक जानते हैं और उन्हें उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान के इस दुरुपयोग का विरोध करना चाहिए ।”

(मस्ट मैन वेज वार, पृ० ६२)

तत्पश्चात् निशस्त्रीकरण-निरीक्षण की समस्या है । वर्तमान सन्देहात्मक अवस्थायें तथा प्रभुसत्ता के अस्तित्व के कारण निशस्त्रीकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं है । नौमैनिक क्षेत्र में यह फिर भी सरल है और समय-समय पर यह निर्णय भी लिए गए हैं कि केवल निश्चित टन भार के ही जहाज बन सकेंगे और उन पर किस माप की तोपें लगाई जावेंगी किन्तु भूमि और हवाई सेना के निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ऐसा करना कठिन है । १९३२ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित योजना में हवाई निशस्त्रीकरण व के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध थे—

(अ) “सामरिक और नौमैनिक हवाई जहाजों का पूर्ण रूप से निषेध और जो कि नागरिक हवाई जहाजों के सैनिक कार्यों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित निरीक्षण पर निर्भर करता है ।

(ब) “यदि ऐसा उचित निरीक्षण को प्राप्त करना अवश्य निम्न हो तो इस बात का निश्चय करना कि प्रत्येक समयभीने के पक्ष को किन्ने हवाई जहाजों की अहस्त अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और उत्तरदायित्व और प्रत्येक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होगी

प्रत्येक सामुनिक राज्य के पास बहुत बड़ी सशस्त्र सेना में साधारण हवाई जहाज होते हैं जिनको राज सरकारतापूर्वक सैनिक कार्य के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इन पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण का प्रयत्न करना प्रायः असम्भव है। राष्ट्र द्विपक्षी या बहुपक्षी इस सम्बन्ध में समझौते तो करते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कोई सामान्य समझौता नहीं करते। १९३५ में हिटलर के शक्ति में आने के पश्चात् ब्रिटेन की वसाय की सन्धि की शर्तों के विरुद्ध भी जर्मनी को ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति का ३५ प्रतिशत भाग तथा पन्डुब्बियों में समानता का अधिहार देना पड़ा था।

निगरानीकरण सम्मेलनों की असफलता का इतिहास का अन्त राष्ट्रसंघ के साथ ही हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभ के सामने भी समस्या है और यह भी राज तक असु या परम्परागत शस्त्रों की सीमित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। २४ जनवरी १९४६ को संयुक्त राष्ट्र सभ की आम सभा ने संयुक्त राष्ट्र सभ के असु शक्ति आयोग की स्थापना की जो कि असुशक्ति की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेगा। इसका कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार था—

- (क) "सब राष्ट्रों के मध्य में मूलभूत वैज्ञानिक सूचनाओं का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आदान-प्रदान का विकास।"
- (ख) "उस सीमा तक असु-शक्ति का नियन्त्रण जो कि इसको शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए काम में लाने के लिए आवश्यक है।"
- (ग) "राष्ट्रीय शस्त्रों में से असु-प्रश्न और वे सब बड़े अस्त्र जिनको कि सामूहिक विनाश के लिए उपयोग किया जा सकता है, अन्त करना।"
- (द) "निरीक्षण तथा दूसरे साधनों द्वारा जो राष्ट्र इन प्रश्नों को स्वीकार करे उनके इन शर्तों के भंग करने के विरुद्ध सुरक्षा।"

संयुक्त राष्ट्र सभ के अन्तर्गत निगरानीकरण प्रयत्नों के पहिले पुग में १९४६ से १९४८ तक असुशक्तियों को नियंत्रित करने का संयुक्तराष्ट्र समरीक्षा के प्रस्ताव के आधार पर एक प्रयत्न किया गया था। असुशक्ति आयोग की प्रथम बैठक १४ जून, १९४६ में संयुक्त राज्य समरीक्षा की सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय असु विकास सलाह की उत्पत्ति के लिए जो कि असु शक्ति के विकास एवं उपयोग के विभिन्न रूपों से सम्बन्धी होने के लिए एक योजना रखी जिसको आम तौर से अस्त्र-योजना कहा जाता है जो राष्ट्र इन सलाह के अधिकारों को भंग करेंगे उनको सरकार दण्ड देने के महत्त्व पर जोर दिया गया और संयुक्त राज्य समरीक्षा के प्रतिनिधि श्री वर्नाइ यरुच ने यह घोषणा की कि—

"उनकी रक्षा के लिए निवेदाधिकार की शक्ति नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कि

अपनी अणुशक्ति को इन आविष्कारों को विनाशकारी उद्देश्यों के लिए विकास या उपयोग में न लाने के समझौते को भंग किया है।”

पाँच दिन पश्चात् सोवियत संघ ने श्रमिक योजना रती जिसके अनुसार अणु-शस्त्रों के उपयोग और उत्पादन को एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा बन्द किया जाना था। इसके अनुसार योजना के प्रारम्भ होने से ३ माह के अन्दर सब अणु शस्त्रों का विनाश होना था।

संयुक्तराज्य अमरीका ने अणुशक्ति से सम्बन्धित अपनी वैज्ञानिक जानकारी को विश्व के दूसरे राष्ट्रों को बताने से उस समय तक के लिए इन्कार किया जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियन्त्रण के लिए कोई उचित व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती। दूसरी ओर सोवियत संघ पहले सब अणु शस्त्रों का विनाश चाहता था और सब अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण एवं निरीक्षण के लिए व्यवस्था। सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के विरुद्ध था तथा अमरीका अणुशस्त्रों के विनाश के विरुद्ध। संयुक्तराज्य अमरीका का इस अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता को अणु सम्बन्धी सूचना देने के बारे में यह शब्द भी थे ‘सौधानिक प्रयत्नों के अनुसार।’ वास्तव में इसका अर्थ यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमरीका की वांछित में पाया अणु शक्ति सम्बन्धी सूचना को देने या न देने की अन्तिम सत्ता होगी। यह अणुशक्ति आयोग योजना और उनमें परिवर्तनों पर १९५० तक सफलता पूर्वक वाद-विवाद चरता रहा। इस आयोग को १९५० में कुछ मास के लिए स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार निगरानीकरण के क्षेत्र में सन्देह ने एक बार फिर बुद्धि पर विजय पाई।

फरवरी १९४७ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम्परागत शस्त्रों के नियन्त्रण के लिए भी एक आयोग स्थापित किया था। सितम्बर १९४८ में सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य प्रारम्भ में एक वर्ष के अन्दर अपनी वर्तमान स्थल, जल और वायु सेनाओं में एक तिहाई कमी कर दें, किन्तु पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ ने अविश्वास होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अणुशक्ति के उदय के बाद परम्परागत शस्त्र बेकार हो गए हैं। यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस युद्धोत्तर विश्व में यह किसी एक राष्ट्र की शक्ति और साधनों के बाहर है कि वह अपने को एक युद्ध के लिए सुसज्जित कर गये। यह तो ऐसा एक राष्ट्रों के गृह द्वारा ही सम्भव है। इस गृह के छोटे सदस्य आवाशयक सज्जित पदार्थ और बड़े सदस्य वैज्ञानिक जानकारी तथा धन की व्यवस्था करते हैं और उन दोनों के सहयोग से ही अणुशस्त्रों की उत्पत्ति सम्भव है। वर्तमान भीतयुद्ध के वातावरण में दोनों पक्षों की ओर से यह असम्भव सा प्रतीत होता है कि अणुशक्ति के नियन्त्रण के लिए या शनैः शनैः निगरानीकरण के लिए किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव हो। इस सम्बन्ध में केंद्रीय सौहार्दिल सिद्धि है—

“मैं यह नहीं कहती कि यह शर्तें शर्तें बाली प्रणाली निराशाजनक है या इसकी ईमानदारी से यदि पूरा किया जाय तो सफल नहीं होगी। किन्तु मुझे जो निराशाजनक प्रतीत होता है वह यह है कि इसकी शक्ति राजनीति के साथ-साथ भ्रष्टाने का प्रयत्न तथा जानबूझकर जर्मन और जापान में पुनः शस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने की नीति तथा महान शक्तियों की ओर से भ्रष्टाचारी को बन्द करने और एक शस्त्र-विराम सन्धि का प्रयत्न करने की ओर से घर्षण तथा और सबसे अधिक शक्तियों में सैनिक प्रशिक्षण और विचारधारा को घना रखना, सेनाओं के द्वारा तथा साधारणतः प्रचार के सब साधनों द्वारा, यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है और किसी भी महाव शक्ति के पास में इस भ्रष्टाचारी का ठेका नहीं है।”

(इज् पोल पोतिबिल पृ० १०५)

युद्धोत्तर निराश्रीकरण का दूसरा युग १९४६-५२ तक का है। इस युग में कोई भी ठोस कार्य नहीं हुआ। दिसम्बर १९५१ में एक नये निराश्रीकरण प्रायोग की स्थापना हुई जिसने कि भ्रष्टाचारी प्रायोग के स्थान पर कार्य शुरू किया। यह भी अपने कार्य में पूर्णतः असफल रहा। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि इस युद्धोत्तर युग में अधिक जोर शरतों से सामूहिक उपयोग तथा उनके सीमित करने पर है न कि उनके पूर्ण रूप से विनाश करने में। १६ मार्च १९५१ को मैक्सवेल ने सोवियत गण की नीति को विश्व तनावों को कम करने के उद्देश्य से शान्ति की राह भ्रष्टाचारी। इसके फलस्वरूप बेलेरियन जोरिन जो कि संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक समिति पर सोवियत प्रतिनिधि थे, एक प्रस्ताव रखा और इसके अनुसार निराश्रीकरण प्रायोग को 'एकदम उन व्यावहारिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए बन्द गया जिनसे कि शस्त्रों को पताने का कार्य हो सकता है।' इस प्रस्ताव के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को इस बात पर सहमत होने के लिए कहा कि, भ्रष्टाचारी, कीटाणुजनक और दूसरे सामूहिक विनाशकारी शस्त्रों पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा दें तथा कहा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण इनकी स्थापना करने के लिए स्थापित करने को कहा। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रायोग को संयुक्त राष्ट्र सच की धाम सभा को अपनी रिपोर्ट १ जुलाई १९५३ तक देना आवश्यक थी। १९५३ से १९५५ तक युद्धोत्तर निराश्रीकरण का तो सदा युग रहा है। सोवियत राजनीति में स्थायित्व था जाने से तथा अद्भुत युग के प्रारम्भ में सोवियत नीति एकदम पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति बढ़ी हो गई और इस युग में निराश्रीकरण प्रायोग को प्रायः कोई महत्व नहीं दिया गया।

१९५५ से १९५७ के अन्त तक जब कि सोवियत संघ ने उपग्रह का निर्माण किया था; को हम युद्धोत्तर निराश्रीकरण का चौथा युग कह सकते हैं। जुलाई १९५६ में संयुक्त राष्ट्र निराश्रीकरण प्रायोग की बैठक में पश्चिम तथा सोवियत राष्ट्रों ने

सामंजस्य न हो सका । राष्ट्रपति आइजनहावर और सोवियत प्रधान मंत्री मार्शल बुल्गानिन के मध्य में एक लम्बा पत्र-व्यवहार जून १९५६ से जनवरी १९५७ तक चला किन्तु इस पत्र व्यवहार का भी कोई ठोस परिणाम न हुआ । संयुक्तराष्ट्र सभ की ग्राम सभा ने एक मत में अपने ११ वें अधिवेशन में निम्नस्वीकरण आयोग की यह निर्देश दिया कि वह अपनी सन्दन उपसमिति का शीघ्र ही सम्मेलन करे ताकि यह अपनी रिपोर्ट निम्नस्वीकरण आयोग को पहली अगस्त १९५७ तक दे ही दे ।

यह सन्दन उप समिति १८ मार्च १९५७ को बैठी और यह अपना सोच-विचार मई के मध्य तक करती रही । किन्तु यह भी किसी निर्णय पर न पहुँच सकी । इस समिति से निम्नलिखित बातों का अध्ययन करने के लिए कहा गया था—

- (अ) राष्ट्रपति आइजनहावर की 'खुले प्राकाश' की योजना अर्थात् हवाई जहाज द्वारा निरीक्षण और सैनिक योत्सनाओं का विनियम ।
- (ब) स्थल निरीक्षण कन्द्रों की सोवियत योजना ।
- (स) कनाडा, जापान और नार्वे की यह प्रार्थना कि अणुशस्त्रों के परीक्षणों की संयुक्त राष्ट्र सभ को पूर्व सूचना दी जाय ।
- (द) अमरीका की यह प्रार्थना कि अन्तर महाद्वीपीय निर्देशित शक्ति का भी भविष्य में निम्नस्वीकरण अथवा शस्त्रनियंत्रण योजना में सम्मिलित करना ।

यद्यपि इतने सर्वप्रथम सोवियत सरकार ने हवाई जहाज द्वारा निरीक्षण की योजना को अपना लिया था और ब्रिटिश सरकार ने भी अणुशस्त्रों के निरीक्षण को पहले से संयुक्त राष्ट्र सभ के पास सूचना देने पर जोर दिया था, किन्तु फिर भी सदन सम्मेलन पूर्ण या आंशिक निम्नस्वीकरण के क्षेत्र में कोई भी सफलता प्राप्त न कर सका ।

खुशेब द्वारा मार्शल बुल्गानिन को विस्थापित किये जाने पर वर्तमान मुद्देत्तर निम्नस्वीकरण इतिहास का आरम्भ होता है । ३१ मार्च १९५८ को मि० ख श्वेव के प्रधान मंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद सोवियत विदेश मंत्री मि० ग्रिभिनो ने सुप्रीम सोवियत के सम्मिलित अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा—

“मन्त्री परिषद यह प्रस्ताव करती है कि सबसे पहला पग सोवियत सभ का एकपक्षीय सब प्रकार अणुशस्त्रों के परीक्षण को बन्द करना इस आशा से होमा कि ब्रिटेन और अमरीका भी शामिल हो जायेंगे ।

“.....” अणु विस्फोटों का अन्त करने के पक्ष में स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हम इसको अपना मुख्य उद्देश्य समझते हैं कि दूसरी शक्तियों के साथ एक समझौते को करना कि सब प्रकार के अणु और उद्जन शस्त्रों को बिना शर्त के आघार पर उनका उत्पादन तथा वर्तमान सत्रहों का पूर्ण विनाश और साथ-साथ आवश्यक नियन्त्रण ।”

यह एक साहस पूर्ण पथ निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में था। १ अप्रैल १९५८ को संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य मंत्री श्री टर्लस ने सोवियत विदेश मंत्री के वक्तव्य को तेजस प्रचार और शूटनोटिक कदम कहकर आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा था कि संयुक्त राज्य इसका अनुकरण करके अणु परीक्षण बन्द नहीं कर सकता क्योंकि—

“यह आवश्यक है कि स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपने आप्रमण से रक्षा के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसका अन्त करना या उसे काम में न लाना केवल सोवियत इरादों की घोषणा पर विश्वास करके जिसके सम्बन्ध में पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसका शुद्ध रूप से तोटा भी जा सकता तथा जिसमें इच्छानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।

यह वक्तव्य और प्रति-वक्तव्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि विश्व की इन दोनों महान् शक्तियों के मध्य में जितना अधिक सन्देश है। जब तक यह सन्देश रहेगा तथा यही दृष्टिकोण अपनाया जायगा तब तक अणुशस्त्रों को सीमित तथा उनको निश्चित करने की कोई विशेष आशा नहीं है। हमने यह विस्तार में देखा है कि निःशस्त्रीकरण की समस्या वर्तमान समय में किसी प्रकार से उलझी हुई है। इसलिए हम तब तक नहीं हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए अफसोस सन्तरे में है।

विश्व शान्ति की समस्याएँ

विश्व शान्ति की समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम हम राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर प्रभाव को देखें। इसका वर्तमान सिद्धान्त विश्व शान्ति की राह में सबसे अधिक बाधक है।

शान के पुनर्जन्म द्वारा प्रेरित होकर तथा चर्च में सुधार के द्वारा सामन्तवाद की राह पर राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। एक वही राजनीतिक इकाई का अध्य-कालीन सिद्धान्त जिसमें कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं का समावेश होता था, का स्थान एक राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया और प्रभुसत्ता के सिद्धान्त ने भी राष्ट्रीय राज्य के सिद्धान्त से साम्य स्थापित किया। प्रायः स्वशासित विभिन्न इकाइयों के स्थान पर अद्युक्ति काल में एक केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता का प्रारम्भ हुआ जिसने कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता का रूप लिया। इसके सम्बन्ध में सबसे पहले निकोली मैकियावेली ने निरता है तथा मोस्टिन, बोदो और हांस ने इसकी परिभाषा की है। प्रभुसत्ता को इसके अनुसार अविभाज्य, पदेम तथा राज्य में सर्वोच्च सत्ता माना गया है।

राष्ट्रीयता के युग के प्रथम चरण में इन प्रभुसत्ता को राजा के अस्मित्व में निहित किया गया था जो कि देशी अधिकारों के अनुसार शासन करता था। इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध राजाओं के अन्तर्राष्ट्रीय सप एव अम्बेल्नो के द्वारा पूर्ण किए जाते थे और राज्यकुलों के हितों द्वारा निर्देशित होते थे तथा व्यावहारिक सम्बन्धों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती थी। इस युग की प्रभुसत्ता को हम सुई १४ वे के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं 'मैं ही राज्य हूँ'। इसके प्रागिरी भाग को वाणिज्यवाद (Mercantilism) ने प्रभावित तथा निर्देशित किया था। इसी कारण मध्यकालीन वाजार की सर्वोच्च सीमाएँ टूट गईं और इसने राष्ट्र को एक प्राथिक इकाई बना दिया था। इस काल में व्यापारिक युद्ध राष्ट्रीय नीति के आवश्यक अंग बन गए थे जैसा कि बीलबार्ट ने कहा है—

"ध्यापार घन का स्रोत है और घन युद्ध के लिए महत्वपूर्ण म्यागु है।"

(ई० एफ० हैबतषर—फर्कन्टाइलिंगम २, १७)

नेपोलियन व उद्यम-युद्ध के पश्चात् राष्ट्रीयता के युग के द्वितीय चरण का जन्म होता है। हुआ जो कि प्राधुनिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का निर्माता था, न राजाओं की समुदायता के सिद्धान्त की प्रसवीकार किया तथा राष्ट्र का जनता के साथ समीकरण किया। इस युग में (१८१५-१९१८) राजनीति और प्राथमिक शक्ति के बीच में स्वतन्त्र ध्यापार और महास्तरोप की नीति के कारण भेद हो गया। इंग्लैंड न इस युग में विश्व की प्राथमिक नीति का निर्देशित किया तथा फोमबार्ड मार्ग ने एक अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिक संगठन का रूप धारण किया। (वास्टर बैंगहाट, ग्लोमबार्ड स्ट्रीट) राजनीति व क्षेत्र में राष्ट्र का प्रजातन्त्रीकरण ने राष्ट्रीय प्रमुसता के सिद्धान्त एवं परिहारों को प्राथमिक स प्राथमिक अनिर्दिष्ट बनाने में सहयोग दिया।

गीडान व पश्चात् जर्मनी के उदय होने के कारण ब्रिटिश नौनैतिक और ध्यापारिक सर्वोच्चता का एक बड़ा चलोरो उत्पन्न हो गई और ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिक निर्देशिता का प्रथम महायुद्ध न धन्य कर दिया। इस महायुद्ध ने राष्ट्रीयता के तीसरे चरण को जन्म दिया जिसमें कि राष्ट्रीय प्राथम निर्णय के परिहार ने विश्व का ६० में प्राथमिक प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रीय राज्यों में विभाजित कर दिया। उन्नीसवीं शताब्दी की प्रजातन्त्रीय राष्ट्रीयता का स्थान २० वीं शताब्दी की समाजिक राष्ट्रीयता ने ले लिया और इनमें मोरक्कात्म्यकरणकारी राज्य के सिद्धान्त को जन्म दिया तथा इस सिद्धान्त द्वारा निष्क्रिय ने सक्रिय राज्य की ओर परिवर्तन भी प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय राज्य के कार्य राजनीतिक व प्राथमिक दोनों हो गए तथा विश्व की प्राथमिक एकता नष्ट हो गई और इसके स्थान पर विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों ने जन्म लिया। अन्तर महायुद्ध युग में (१९१९-३९) जो सफल चला जाता था और जिसने इसके अन्त में एक विश्व युद्ध का रूप धारण किया राष्ट्र के समाजीकरण, विश्व के विभाजन और जिसको प्रो० ई० एच० कार ने 'प्राथमिक नीति का राष्ट्रीयकरण' कहा है, परिणाम था। इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय नीति में एक नए तत्व का समावेश होना है और यह तत्व समाजवाद है और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय प्रमुसता के अन्तर्राष्ट्रिक कार्यों में फिर से सर्व सत्तापारी दृष्टिकोण का उदय हुआ। पूर्ण युद्ध के इस युग में प्राथमिक राष्ट्र की चाहे उसका राजनीतिक संगठन किसी भी प्रकार का हो कम से कम युद्ध काल में सर्वाधिकारी व्यवस्था अपनाती ही होगी, राष्ट्र इसमें पूर्ण रूप में सैनिक निवृत्त बन जाते हैं तथा व्यक्ति धरयन्त ही नगण्य हो जाता है। मई १९४० में मगद द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह प्राथमिक दिया गया कि वह भाषा द्वारा 'यह व्यक्ति धरने से, अपनी सेवाओं को और अपनी सम्पत्ति को सम्राट को इच्छा पर समर्पित कर देने' को बाध्य कर सकती है। यह प्राथमिक युद्ध का सफलता

पूर्वमं गणनागत करने के लिए दिया गया था। संघीय राष्ट्रीय सापत्तियों के स्वतन्त्रता के विस्थापनका भी लेगे सर्वाधिकारी नियम बनाने पर बाध्य कर दिया था। यह राष्ट्रीयता तथा समाजवाद के सम्मिश्रण का परिणाम है।

द्विज संसदन का यह ही प्रयोग जो कि विद्यमान के सादरशाब्द द्वारा प्रेरित हुआ था राष्ट्रीय प्रभुमत्ता की चट्टनों पर न टकराकर टूट गया। राष्ट्रपति व्यक्तिगत राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मध्य समाजवाद स्थापित करने में समर्थ रहा। न तो हमने पास अन्तर्राष्ट्रीय मत्ता भी और न यह अन्तर्राष्ट्रीय पुनिसर्जन का ही कार्य कर पाता था। युद्ध राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अन्तर्गणना रहा और राष्ट्र के महत्वपूर्ण द्वित जो कि संसद ही संसद के लिए हमका प्रयोग हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मामिल स्थापित करने, अन्तर्राष्ट्रीय मत्तों को नियमन में युद्ध स्वी अन्तर्गणना के लिए निशस्त्रीकरण संसद स्थापित है। राष्ट्रमण के प्रारम्भिक मण में १९२१-२२ के मार्चमण नौसैनिक समसतल को नौसैनिक संसद का आशिक रूप में भीमित करने में युद्ध सफलता लो मिली किन्तु हमने मसतल के निशस्त्रीकरण सम्मन्धनों की राष्ट्रीय सुरक्षा की समसता और राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध न कारण कोई सफलता न मिल सकी। कोई भी राष्ट्र स्वयं निशस्त्रीकरण प्रारम्भ नहीं करना चाहता था जबकि यह दूसरों से निशस्त्रीकरण की भाशा रखता था। इसी कारण पर १९१८ के विवेताधो न जमनी और उमक मारियता का मण निशस्त्रीकरण किया तथा उन्हें एक संसद सादा भी किया कि वे स्वयं भी भीषण ही निशस्त्रीकरण करे। फ्रांस न प्रत्येक संसद पर निशस्त्रीकरण और सम्बन्धित माजना की मर्ता में उस समय तक के लिए भाग मित से हमका किया जब तक कि विदेन विवेतन दूररे राष्ट्र सामान्यतः उसकी रक्षा राष्ट्रीय मही देने हैं और ऐसा दुर्भाग्यवश उन्हें मण पर नहीं किया। जब उन्होंने मिया भी लो सदन देर हो चुकी थी।

इस राष्ट्रीय प्रभुमत्ता के सिद्धांता ने प्रत्येक राष्ट्र को इस बात बाध्य किया है कि वह अपने सापत्तो संसदों में सुगमिजन कर तथा और सब राष्ट्रों के सम्मिलित मुकाबले में स्वयं भी अधिक अतिजायी हो जाए। यह सपनी मत्ता को भीमित करने का विरोध करता है। अपने मत्तों का स्वयं निर्णायक होना चाहता है तथा अपने महत्वपूर्ण द्वितों का रक्षक होना चाहता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वयं सध्यवस्था मंगाना है जबकि राष्ट्रीय क्षेत्र में वह सध्यवस्था पर और देता है और उगे बनाए रखता है।

प्रत्येक राष्ट्र साप्रमण ने समस सासण रक्षा के अधिकार को एक सध्यवस्था अधिकार मानता है। यह सासण रक्षा केवल राष्ट्र की भीमोसिक मीमाधों या हमने अधीनस्थ राष्ट्रों तक ही भीमित नहीं है किन्तु वे हमने द्वारा अनुमानित प्रमाण क्षेत्र, रक्षित सार्विक क्षेत्रों और विश्वव्यापी राष्ट्रीय द्वितों तक भी मीमी हुई है। साधुनिक

काल में ब्रिटेन और अमरीका ने जितने भी युद्धों में भाग लिया है उनमें से किसी में भी उनकी राष्ट्रीय सीमाओं पर आक्रमण नहीं हुआ। इन युद्धों में भाग लेने का मुख्य कारण उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित या उनकी राष्ट्रीय प्रभुत्व था। आक्रमण को रोकने के लिए जितने भी प्रयत्न किए गए हैं वे सब राष्ट्रीय हितों के समक्ष असमर्थ रहे हैं, जैसे कि स्टिम्सन सिद्धान्त, नव-शक्ति-सन्धि (Nine-Power Treaty), सीबानो सामंजस्य तथा वैंलोग सन्धि आदि।

सामूहिक सुरक्षा की जो व्यवस्था राष्ट्र सभ के सन्धिपान द्वारा की गई थी वह व्यवहार में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध प्रचलित नहीं की जा सकती थी। राष्ट्र सभ ने पोलैंड और लिथुआनिया तथा ग्रीस और बल्गारिया के मध्य से संपर्क रोकने में कुछ सफलता प्राप्त की थी। किन्तु यह ईशोपिया पर इटली के आक्रमण को तथा चीन पर जापान के आक्रमण को रोकने में सर्वथा असफल रही। इसका एक मुख्य कारण यह था कि शक्तिशाली राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय हितों के स्थान पर अपने राष्ट्रीय हितों को या अपने राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोपरि महत्व दिया और इसीलिए नवान इटली को इशोपिया देना तथा मुसोलिनी जर्मनी को आस्ट्रिया सौंपना और चैंम्बरलेन चेकोस्लोवाकिया को घमका कर आलग विनाश के लिए बाध्य कर सके। केन्द्रीय योरप के छोटे छोटे राज्य इस आक्रमणकारी अंग्रेज राष्ट्रीयता की बाढ़ के समक्ष अपने को पूर्णतः असहाय पा रहे थे किन्तु फिर भी उन्होंने सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रयत्न न किया। राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रायः गिरफ्त के समान रंग बदलने हैं और किसी भी नीति में ऐसी सरलता से परिवर्तन कर लेते हैं जैसे कि हम पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा पाने के उद्देश्य से फ्रांस की साम्यवादी रुढ़ से मित्रता स्थापित करना थी। यद्यपि अन्तर महायुद्धीय युग में खुली बूटनीति एवं तुली सन्धियों को अपनाते वा सिद्धान्त राष्ट्रों ने ऊपर से मान लिया था किन्तु फिर वे नित्य उन्नतता पूर्वक अपने राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए आपस में भूमि और भागों का बदल बदल करते रहे। सामूहिक सुरक्षा के ये सब प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए जो कि राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थे या जिनमें सहयोग देने से किसी युद्ध में उलभने की सम्भावना थी। जैसे कि जापान के विरुद्ध नितन आयोग टिपॉट पर बायेंबाही तथा मुसोलिनी के विरुद्ध आधिक प्रतिबन्ध बायेंबाही।

कुछ राज्यों में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या है तथा उनके राष्ट्रीय स्थापन इस जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं इसलिए वे अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए दूसरे राष्ट्रों में जा बसाने और वहाँ पर प्राकृतिक स्थापनों का उपयोग करने के अधिकार की माँग करते हैं। परन्तु राष्ट्रीय प्रभुत्व तथा राष्ट्रीयता का सिद्धान्त ऐसे राष्ट्रों के नागरिकों के विरुद्ध द्वार बन्द देता कर है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क उत्पन्न होता है जिसका

परिणाम कभी-कभी युद्ध भी होता है। जर्मनी का लेबेन सॉयम (Leben Traum) तथा जापान का सह समृद्धि योजना का विरासत, बढ़ती हुई जर्मन व जापानी जनसंख्या को भूमि और प्राकृतिक साधन प्राप्त करने के लिए ही घपनाने गए थे। इन देशों के नागरिकों के लिए उन देशों के द्वार जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि एवं प्राकृतिक साधन थे, बन्द थे।

यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं सङ्गठन में किसी भी राज्य का स्थान उस अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन के उत्तरदायित्वों को पूरा करने की शक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। राष्ट्र सघ के मूल्य सिद्धान्त की अगम्यता का एक कारण यह भी था कि छोटे छोटे राज्य अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार कर सकते थे। सघुत्त राष्ट्र सघ का निष्पातमक मत का सिद्धान्त (Veto) इसी अनुमान पर आधारित है कि कि किसी भी महान् शक्ति की घोषित इच्छा क कोई भी कार्यवाही अथवा उनके विरुद्ध किसी भी निरुत्त वी लागू करना सम्भवत अतम्भव होगा। सिद्धान्त में यद्यपि सब राज्य समान हैं किन्तु व्यवहार में समान राज्यों के मध्य समानता और विषम राज्यों के मध्य विषमता का ही राज्य है। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धान्त प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य को अपने सम्मान की रक्षा हेतु इस पर बाध्य करता है कि कम से कम सिद्धान्त में वह अपने को किसी अन्य राज्य का अधीनस्थ न माने तथा समान स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। सिद्धान्त और व्यवहार में इस अन्त के कारण सघ अल्प उत्पन्न होता है और जो कभी-कभी युद्ध का रूप भी धारण कर लेता है।

१९१४ से विद्रोही राष्ट्रीयता अरब और एशियाई विश्व पर छा गई। द्वितीय महायुद्ध के अन्त होते २ अधीनस्थितिक साम्राज्यों का प्रायः अन्त हो गया। इण्डो-नेशिया से डच अर्मा, भारत, पाकिस्तान, लद्दा, पाना और मलाया से ब्रिटेन तथा और मिश्र से भी ब्रिटेन के प्रभाव का अन्त होना; मन्त का हिन्द चीन तथा उत्तरी अफ्रीका से बलपूर्वक निकाला जाना और मध्य पूर्वी देशों का अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर पूर्ण अधिकार स्थापित करना इसी विद्रोही राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। यह नए स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को एक अमूल्य वस्तु समझते हैं और वे किसी ऐसी विश्व व्यवस्था में भाग नहीं लेगे जिससे कि उनकी प्रभुसत्ता को एक बहुत बड़े अंश में सीमित करने का प्रयत्न हो। अथोति के पश्चिम को सन्देशारमक दृष्टि से देखते हैं और वे ऐसे प्रयत्न की उत्तको फिर से दाग बनाने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों को एक चाल समझेंगे। शक्ति राजनीति की वर्तमान अवस्था को देखते हुए ये असत्य भी नहीं हैं।

अणु युग के प्रारम्भ हो जाने से राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त में परिवर्तन अवश्यम्भावी है। सामरिक महत्त्व की सीमाएँ जो कि पहले राष्ट्रों के मध्य में युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण थी अब अल्प एवं अल्प हीन हैं। निर्दिष्टित अस्त्र, तथा अणु एवं

उद्भवन वमो के लिए कोई नीचा नहीं है। परम्परागत शस्त्र जो कि प्रायिक दृष्टि से अत्यन्त राष्ट्र की पहुँच के भीतर के सब स्वयं हो गए हैं। राष्ट्रियता ने एक नया रूप धारण किया है जिसको हम प्रादेशिकता कह सकते हैं। सम्पूर्ण प्रदेश अब अपनी रक्षा के लिए अपने आपने एक व्यक्तियों को सम्मिलित कर रहे हैं। उनकी सेनाओं को एक ही सेनापति की प्रधीनता में रखना तथा उनकी रक्षा के लिए सम्मिलित प्रयत्न इस दिशा की ओर ठोस पग है। इसी कारण से पौरुष में हम उत्तर-एटलांटिक सन्धि सङ्गठन, मध्य पूर्व में बगदाद सन्धि, प्रशान्त महासागर में दक्षिण पूर्वी एशियाई सन्धि सङ्गठन जिसको हि साधारणतः मनीला सन्धि कहा जाता है तथा प्रान्जस (A N Z U S) और प्रन्त में अरब सङ्घ तथा पैन-अमरीकन रूप में पाते हैं।

कोई भी राष्ट्र वह चाहे कितना ही पनवान एव सापन सम्पन्न क्यों न हो प्रकृति प्रपन का प्रणु युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार नहीं कर सकता है। शक्तिशाली से शक्तिशाली राष्ट्रों को भी छोटे राष्ट्रों से सनिज पदायों की प्रावश्यकता है और वह छोटे राष्ट्र इस सहायता के यत्न में प्रणु शस्त्रों के विपुल सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। क्याय में आज विश्व का महान शक्तिशाली अमरीका और रूस के बीच में विभाजित है। शेष सब राष्ट्र इन दोनों शक्तियों के समक्ष अत्यन्त ही निबल और असहाय है और वह अकेले या सम्मिलित रूप में भी इनसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश राष्ट्रों ने इन दोनों में से एक के गुरु में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। जो इन राष्ट्रों से दूर पर स्थित है, यह कभी कभी अपनी स्वतन्त्रता की प्रापणा किया करते हैं, किन्तु शक्ति राजनीति के वास्तविक जगत में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। १९ वीं शताब्दी में छोटे राष्ट्रों के लिये तटस्थ रहना तथा युद्ध से बच जाना सम्भव था, किन्तु वर्तमान काल में ऐसा करना असम्भव है। उन्हें अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने के लिये अपनी तटस्थता का बलिदान करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में बाल्टर लिपमैन का कथन है—

“महान् राज्य सुरक्षा प्रदान करते हैं जो कि प्राधुनिक युद्ध की प्रोपनिवेशिक प्रकृति है—उसके कारण कोई भी छोटा राज्य अपने लिये स्वयं नहीं कर सकता। छोटा राज्य इसके बदले में सामरिक महत्व की दो मुबिपाएँ जो कि सम्मिलित रक्षा के लिये आवश्यक है, देता है और यह अपनी शान्तिमयी तता का अपने महान पड़ोसी को अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी एवं पश्यन्त्र से रक्षा करने के लिए उपयोग करता है.....”

(ग्र० एस० वार एम्स पृ० ८४)

माम्यवाद की बढ़ती हुई याद से बचने के लिए बहुत से छोटे-छोटे राष्ट्र ने अपने आपको ट्रु मैन मित्रात के समक्ष समर्पित कर दिया है। युद्धोत्तर युग का अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क

विशेषतः विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों का सघर्ष भी है। १९ वीं शताब्दी और किसी अथवा तक २० वीं शताब्दी के आरंभ में भी यह सघर्ष जाति के काल्पनिक सिद्धान्तों पर आधारित हुआ करता था और अब यही राजनीतिक विचारधाराओं पर आधारित है। ट्रूमैन सिद्धान्त जो कि स्वतन्त्रता और जीवन की प्रजातन्त्रीय प्रणाली की रक्षा के हेतु साम्यवाद का एक अन्तर्राष्ट्रीय घेरा डाले हुए है जबकि साम्यवादी दलों का अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ कमिन्टर्न (Comintern) का उद्देश्य उस स्वतन्त्र और जीवन की प्रजातन्त्रीय पद्धति के द्वारा उत्पन्न हुए समस्त दोषों का निराकरण करने के लिए एक सजीवनी बूटो के समान है।

युद्धोत्तर युग का एक महत्वपूर्ण तथ्य विश्व के समस्त राजनीतिज्ञों द्वारा विश्व शान्ति के सम्बन्ध में निरन्तर घोषणा है। हमको अब कहीं भी युद्ध की प्रशंसा या युद्ध की राष्ट्रीय नीति के लिए आवश्यकता की घोषणा सुनाई नहीं देती। प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन हुआ करते हैं और राजनीतिज्ञ यह सिद्ध करने का यथेष्ट प्रयत्न करते हैं कि उनके उद्देश्य शान्तिपूर्ण हैं और वे वास्तव में शान्ति चाहते हैं। या तो वे केवल विश्व की स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के लिए रक्षा करना चाहते या वे विश्व को पूँजीवादी दोषों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस युद्धोत्तर युग में इतिहास में पहली बार क्रान्तिकाल में राष्ट्रीय सेनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय सेनापतित्व के आधीन रखने का प्रयत्न किया है और यह प्रयत्न सिद्ध करता है कि राष्ट्र अब शक्ति की इकाई नहीं रहा है। इसे अपना स्थान प्रदेश को और गुट को देना पडा है। सम्यता के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य पूर्ण सिद्ध हो जायगा कि औद्योगिक परिवर्तनों के साथ ही साथ राजनीतिक समुदायों के आकार में भी अवश्यम्भावी परिवर्तन हुआ है। ई० पू० १७ वीं शताब्दी में केन्द्रीय एशिया के निवासियों द्वारा घोड़े को पालतू बना लेने से गाँवों में बड़े नगर-राज्य एवं पुरातन साम्राज्यों का रूप ले लिया और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईसा की १५ वीं शताब्दी में सामूहिक जहाजों के आविष्कार से राष्ट्रीय राज्यों तथा अन्तरमहाद्वीपीय साम्राज्यों की स्थापना हुई। जैट और अणु युग में विश्व राज्य से छोटा राज्य सम्भव ही नहीं है। किन्तु सबसे बड़ी बाधा इस मार्ग में यह है कि हमारी मनो-दशाओं ने इस शीघ्रता से परिवर्तित औद्योगिक दशाओं का साथ नहीं दिया है।

यदाकदा हम यह सुनते रहे हैं कि भारत एक तृतीय गुट का निर्माण करेगा तथा इन दोनों महान् शक्तियों के मध्य, यह तृतीय गुट एक प्रकार का सन्तुलन स्थापित करने की चेष्टा करेगा और यह गुट अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय तटस्थता का सिद्धान्त अपनायेगा। किन्तु जो लोग ऐसा भोचते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रीय राजनीति की भाँति ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुरूपता और आदर्श-वाद के स्थान पर अकार्य (१) इच्छित है। यह सत्य है कि प्रत्येक राष्ट्र का

अन्तर्राष्ट्रीय दौत्र में स्थान व प्रभाव उमकी शक्ति पर निर्भर है । और यही कारण है कि राष्ट्र को इस सम्बन्ध में अपनी निर्बलता का जब प्राभास हुआ तो उसने प्रदेशों और गुटों में अपनी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति का सम्मिलित संगठन किया है ताकि वह इस सम्मिलित शक्ति द्वारा अपनी रक्षा कर सके ।

यदि हम यथार्थ में देखें तो हमें यह मानना होगा कि वर्तमान विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित है । इन गुटों में स्पष्ट रूप में शान्ति एवं सुरक्षा है । इन गुटों के सदस्यों में जहाँ तक सम्भव हो सके है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के गिड्डान्त को परिवर्तित करने का एक प्रभुसत्ता को सीमित करने का प्रयत्न किया गया है तथा राष्ट्रों के बीच में सामान्य उद्देश्यों के लिए सहयोग प्राप्त करने में भी सफलता मिली है । निरुद्ध अशान्ति की सबसे महत्वपूर्ण समस्या इन दोनों गुटों के मध्य में सहयोग है । इस गुट सभ्य में रूस या समुक्त राज्य अमरीका दोनों में से किसी विजय होगी उमका बेबल अनुमान ही लगाया जा सकता है किन्तु यह सत्य है कि वर्तमान में ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता जिससे अनुमान इन दोनों के मध्य में समझौता हो सके तथा जिसके द्वारा सभ्य का स्थान सामंजस्य ले सके और विरोध के स्थान पर सहयोग प्रारम्भ हो जाय और वे अपनी प्रादेशिक और गुट सत्ता को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सत्ता के अधीन कर दें या मिला दें । समुक्त राष्ट्र सभ भी अपने इस छोटे से इतिहास में इसी प्रकार असफल रहा है जैसे कि हमने पहले राष्ट्र सभ कहा था । इसके पास भी किसी महान् शक्ति को नियंत्रित करने की योग्यता नहीं है तथा यह भी राष्ट्र सभ की भाँति ही छोटे छोटे राष्ट्रों के मामले में भाँजिक या पूर्णरूप से सफल रहा है । अन्त ही इन्डोनेशिया या फिलिस्तीन में जो हो चुका है उम पर अपनी स्वीकृति की छाप दे दे या असफल रूप से काश्मीर, दक्षिण अफ्रीका या ट्यूनिशिया की समस्या पर अपना मत प्रदान करे या शक्ति-राजनीति की आवश्यकताओं में प्रभावित होकर कोरिया में हस्तक्षेप करे किन्तु मुख्य मुख्य समस्याओं पर अनिरोध चम रहा है और उस समय तक रहेगा जब तक कि निरस्तोद्धरण की समस्या हम नहीं हों जाती या जब तक गुट की सत्ता को हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सत्ता के अधीन नहीं कर देते ।

हीरोसिमा और नागामाकी के ध्वंस होने के पश्चात् अणुशस्त्रों की सेना में अत्यधिक प्रगति हुई है । पिछले १२ वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली अणु एवं उद्भवन बम, निर्देशित अस्त्र और अन्तरमहाद्वीपीय शस्त्रों का अत्यधिक विकास हुआ है । वर्तमान काल में निरस्तोद्धरण की समस्या 'विकेपतः अणु शक्ति प्रयोग' राष्ट्रों के मध्य में सन्देशात्मक सातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति के निरीक्षण के लिए समुचित व्यवस्था पर सन्देश प्राप्त न होने के कारण पूर्णतः असफल रहा । समुक्त राज्य अमरीका ने अणु शस्त्रों का जो अस्तित्व अस्तित्व रूप में शान्ति एवं सुरक्षा के लिए है

वह भी इस सन्देहात्मक वातावरण में अणु शस्त्रों के निशस्त्रीकरण में एक महत्वपूर्ण बाधा बन गया है। सयुक्त राज्य अमरीका न तो इनको नष्ट करने के लिए ही और न इनको अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए देने को तैयार है। सयुक्त राज्य अमरीका अणु शक्ति के भेदों को राष्ट्रीय नीति के एक अस्त्र के रूप में उपयोग करता रहा है। दिसम्बर १९५१ में इस आयोग को फिर से अणुशस्त्रों के निशस्त्रीकरण का कार्य सौंपा गया किन्तु यह उसे करने में पूर्णतः असफल रहा। अणु शस्त्रों की प्रतिद्वन्द्विता जो कि परम्परागत शास्त्रों की तुलना में वही अधिक महँगी और विनाशकारी है, पूर्ववत् जारी है। यहाँ पर हमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्रादेशिकता चाहे कितनी ही अरुन्धी या बुरी बस्तु क्यों न हो अभी पूर्णरूप से स्थापित नहीं हुई है तथा निर्माण अवस्था में है और इसीलिए आर्थिक आपत्तियों के होते हुए भी ब्रिटेन को उस प्रतिद्वन्द्विता में भाग लेना पडा है जिससे गुट्ट के मामलों में ब्रिटेन के मत एवं नीति को अधिक महत्व मिलने लगे।

अणु शस्त्रों के निशस्त्रीकरण की निकट भविष्य में कोई सम्भावना दृष्टि-गोचर नहीं होती है और हम अणुशस्त्रों के राष्ट्रीय या गुट्ट मत्ता के हित में उपयोग से पूर्णतः निश्चित भी नहीं हो सकते। १९५० में सयुक्त राज्य के बड़े सैनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति को कोरिया में चीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अणु शस्त्रों के उपयोग की सलाह ही दी थी।

यद्यपि विश्व, राष्ट्र से प्रदेश और प्रदेश से गुट्ट की ओर अग्रसर हो रहा है किन्तु फिर भी युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की ओर अग्रसर होने के लिए कुछ विशेष सिद्धान्तों को अपनाना आवश्यक होगा जिनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं—

- (अ) व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार मानना आवश्यक है।
- (ब) सूचनाओं का स्वतन्त्र रूप में प्रसारण हो।
- (स) युद्ध और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो।
- (द) अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों का उद्देश्य विश्व का सामान्य हित होना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का आधार व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की एक महत्वपूर्ण इकाई मानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको उन नीतियों एवं उद्देश्यों को अपनाना चाहिए जो कि विश्व भर के सामान्य व्यक्तियों की हितकारी और सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की मनोदशा में परिवर्तन हो विदेशियों के प्रति सामान्य व्यक्तियों को सन्देह और घृणा का भाव कम तथा नियमित किया जा सकेगा। इतिहास के प्रारम्भ से विदेशों के प्रति सन्देह एवं घृणा की समस्या किसी न किमी रूप में सदैव रही है। ग्रीक और रोमन दूसरे लोगों लोगों को असम्प्रमानते थे और इनको बेदल प्रजा होने योग्य ही मानते थे। मध्य युग में योद्धों को

घान्मिक कारखो ने कुछ दिनों के लिए बिगो सीमा तक इस समस्या से छुटकारा मिल गया था किन्तु राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने ही यह समस्या पुनः हो गई है। यद्यपि युद्ध जीतने के लिए शत्रु के विरुद्ध भूटा प्रचार करना एक सैनिक प्रावर्ण्यता है तथापि इस प्रकार के भूटे प्रचार ने अन्तर्राष्ट्रीयता की अत्यन्त हानि पहुँचाई है तथा इस प्रकार के प्रचार ने प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों के सामान्य एक दूसरे के प्रति घृणा घृणा और सन्देह के भाव बूटबूट कर भर दिए हैं। उदाहरण स्वरूप अधिकांश धर्मोपनिषद् नागरिक हस्तियों की अमम्य एक शत्रु समझते हैं और इसका ठीक उल्टा रूसी नागरिकों के लिए भी सत्य है। पहले राष्ट्र और अब युद्ध अपने महत्वपूर्ण हितों की विचारधारा की धाड़ में रक्षा करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध अत्यन्त ही भूटा और विरोधी प्रचार करते हैं। साधारणतः साधारण व्यक्ति जो कि मतदाता भी है इस प्रचार से प्रभावित होकर अपने राज्य की विदेशियों के विरुद्ध पूर्णतः महापना देता है और इस मिद्वान्त को अपनाता है कि 'मेरा देश, सही हो या गलत, मेरा देश है' वह न यह जानता है, और उसकी मनोदशा प्रचार द्वारा इतनी विकृत हो गई है कि वह यह जानने योग्य नहीं रह जाता कि दूसरे देशों के साधारण व्यक्ति भी उसी के समान नैतिक, मानवीय और ज्ञानितपूर्ण हैं। परिवर्तन के इस युग में हमें साधारण व्यक्ति की विदेशियों के संशुद्धों का ज्ञान कराना होगा और यह हमें उनको सिखाना होगा कि उनके हित तथा राष्ट्रीय सीमाओं के उत्त पार रहने वाले साधारण व्यक्ति के हितों में कोई अन्तर्विरोध नहीं है और यथाथं वे एक ही हैं। केवल इसी प्रकार शिक्षित और ज्ञानवान साधारण व्यक्ति ही एक सच्चे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का आधार हो सकता है।

राष्ट्र गण ने ज्ञान के स्वतन्त्र प्रसारण के लिए संस्थाओं का प्रबन्ध किया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग के लिए, बौद्धिक अन्वेषण परिषद, बौद्धिक शिक्षा सचिवालय की स्थापना की थी जोकि बौद्धिक सहयोग समिति के प्राचीन कार्य करते थे। इस समिति का एक मुख्य कार्य बौद्धिक सूचनाओं का प्रसारण था। बौद्धिक सहयोग संस्था, वैधानिक और विशेष ज्ञान के विनिमय का प्रबन्ध करती थी। समुक्त राष्ट्र गण ने इसी उद्देश्य से समुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सभा की स्थापना की है। किन्तु इन सबकी अपनी सीमाएँ रही हैं और इन कारखों से उन्होंने कभी साधारण व्यक्ति के विदेशों के प्रति अज्ञान को दूर करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों का यह एक प्रमुख कर्तव्य है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का साधारण व्यक्तियों में उदय करें और दूसरे देशों की जनताओं के सम्बन्ध में साथ और केवल सत्य के प्रसारण में महापना दें। विदेशियों की राष्ट्रीय भावना और जीवन परिदृश्यों के सम्बन्ध में साधारण व्यक्ति का ठीक-ठीक ज्ञान तथा उन्हें निर्मूल सन्देह और दूर की भावनाओं को दूर करने का प्रयत्न करें।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिए एक आवश्यक तथ्य सही प्रकार की मनोदशा की स्थापना है। जिन देशों में जननमयीय पद्धति है वहाँ पर मत के रूप में व्यक्ति के हाथ में एक शक्तिशाली अस्त्र है जिसके द्वारा वह अपनी राष्ट्रीय सरकार को राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के दोषों से नियंत्रित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखने तथा उसके लिए समुचित पग उठाने को बाध्य कर सकता है। अन्तिम रूप में यदि देखा जाय कि साधारण व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर एक स्थायी और प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। किन्तु इसके लिए उसके विचारों में आवश्यक परिवर्तन करना होगा। यही हमारे युग की महत्वपूर्ण समस्या है। प्रो० मैकडोगल का इस सम्बन्ध में मत है कि —

“हमारी सभ्यता का सन्तुलन पुनः स्थापित करने के लिए तथा हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में भौतिक विज्ञान ने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राकृतिक परिवर्तन किए, उसके पुनः व्यवस्थित करने के लिए हमें मानवी प्रकृति और सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में त्रिजना है उससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता है।”

जीवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने यह पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि लहने की प्रवृत्ति न तो आवश्यक है और न प्राकृतिक और यृद्ध जनगण्यता को सीमित करने का एक उचित धारत्र नहीं है। यदि हम यह भी मान लें कि सपर्य एक आवश्यक मानवीय प्रकृति है तो भी इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसे व्यक्ति के जीवन में स्थान प्रदान करें ही। यह एक समाज विरोधी प्रवृत्ति है और व्यक्ति को एक सामाजिक प्रणाली के नाते समाज में ही दूगरे व्यक्तियों के सहयोग से अपना जीवन व्यतीत करना है और इसलिए उसे इस प्रवृत्ति को तब एव बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक है। निर्देशित धस्त्रों द्वारा सटा गया यह आधुनिक युग धीरता व साहस के गुणों को भी व्यक्ति में उत्पन्न नहीं कर सकता है।

शान्ति के लिए मनोदशा उत्पन्न करने में शिक्षा का महत्व एवं स्थान हमें नहीं भूलना चाहिए। अमरीकन वैदैनिक नीति समुदाय के महापति डा० जेम्स मैकडो-नाल्ड ने १९३३ में अपने एक भाषण में विश्वशांति के लिए शिक्षा का महत्व बतलाते हुए यह कहा है कि—

“परिवर्तित होती हुए विश्व व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरघाओं के निर्माण की समस्या के लिए प्रतिषादी शिक्षा के पाम क्या हल है ? जब तक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सस्था तक सम्बन्ध उत्पन्न नहीं कर सकते

जो कि उनके विरोधी धार्मिक और विभिन्न राजनैतिक हितों के सामंजस्य पैदा करेंगे तब तक धार्मिक गुधार हर स्थान पर वेदल रखायी ही होंगे । विज्ञान ने पूरी एव समय को कम करके सब राष्ट्रों को एक समुदाय का सदस्य बना दिया है । भव बुद्धि का परिवर्तन और विज्ञान के प्रवर्तकों को पुनः रखते हुए बानून और व्यवस्था को समुदाय के अन्तर्गत स्थापित करना ही होगा, अन्यथा विनाश की सम्भावना है । यदि हम शान्ति स्थापित नहीं कर सकते तो हम समस्त नागरिक और सांस्कृतिक साथ अन्तः प्रचार के मुख्य, महिलाएँ और बच्चों को विज्ञान द्वारा सम्मम पूर्णतः विनाश के लिए तैयार करेंगे ।

और उन्होंने आगे धमकर मह भी कहा कि शिक्षा -

- (म) मानवता की आवश्यक एकाता के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करेंगे ।
- (ब) सब जनता को हित की अन्तर्निर्भरता को सिखलाएगी ।
- (स) इतिहास को राष्ट्रीय पक्षपात का आधार नहीं देगी तथा युद्ध की यथावस्था के सम्बन्ध में बताएगी और सभी शिक्षा विश्व व्यवस्था और विश्व शान्ति के लिए अपने आवश्यक कर्तव्य को पूरा करेगी ।

राष्ट्र सभ और समुक्त राष्ट्र सभ ने नागरिक व्यक्ति के उत्थान और सामान्य हित को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष समझौते की स्थापना की है । इनमें से मुख्य विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन है किन्तु इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इनमें भी गृह मनोवृत्ति का समावेश हो गया है । इनमें कार्य करने के लिए जिन विशेषज्ञों की आवश्यकता है वे केवल औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों के पास हैं और इस सम्बन्ध में समुक्त राष्ट्र सभ के द्वारा सबसे बड़ा अनुदान समुक्त राज्य अमेरिका का है । विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने मनेरिया टी० पी० आदि बीमारियों के नियन्त्रण के लिए तथा कृषि और खाद्य संगठन ने विश्व की खाद्य समस्या को सुलभाने के लिए यथेष्ट रूप से सराहनीय कार्य किया है । किन्तु गृह मनोवृत्ति के कारण तथा इनमें भी भीतयुद्ध का आभाव रख स्थापित हो जाने के कारण यह संगठन भी रूप से उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं । इस सम्बन्ध में वास्टर नियमन के ये शब्द पूर्णतः सत्य हैं कि—

“इस विश्व समाज के स्थापकों के मध्य में युद्ध की विश्व समाज के नियमों एवं प्रवृत्तियों द्वारा नहीं रोका जा सकता । विश्व संगठन पुनिताने के उपर पुनितान का कार्य नहीं कर सकता ।” (पृ० २२० बार० एम० पृ० १६१)

निकट भविष्य में इस समस्या का कोई हल दिखाई नहीं देता है और न हम युद्ध को गृह को समाप्त के लिए अत्र ये रूप से उपयोग की सम्भावना को ही मान्य

या अन्त कर सकते हैं। इन दोनों गुटों की विचारधाराएँ एक दूसरे में सर्वथा भिन्न हैं और उनके मध्य में समझौते की आशा तभी हो सकती थी जब कि उन दोनों के सिद्धान्तों में तथा उन सिद्धान्तों को मानने में पूर्णरूप से यथार्थता हो। इन सिद्धान्तों की घाट में अपने राष्ट्रीय या गुट हितों का संरक्षण एवं प्रतिपादन होता है। गुटों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इनके सदस्यों में से एक राष्ट्र को प्रमुखता और दूसरे को किसी सीमा तक उसकी अघोषिता स्वीकार करनी पड़ती है। यह भी संभव है कि तृतीय विश्व युद्ध के द्वारा सारे विश्व पर इनमें से किसी एक गुट की सत्ता पूर्णतः स्थापित हो जाय। किन्तु यह भले ही विश्व में एक प्रकार की रोमन शान्ति स्थापित कर दे, किन्तु यह एक सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार कदापि नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त पर नियन्त्रण करने का एक सच्चा आधार यह सिद्धान्त हो सकता है कि प्रत्येक मानव समुदाय को जिस प्रकार का वह जीवन चाहे और जिस प्रकार के आन्तरिक राजनैतिक संगठन को आवश्यक समझें, अपनाते व स्थापित करने का अधिकार हो। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन समुदायों के समस्त विश्व में उन कार्यों के लिए जो कि समस्त मानवता से सम्बन्धित हैं और जो कि समस्त विश्व में एक आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, का प्रयत्न करें। यह तभी हो सकता है जबकि हम सब समुदायों के लिए उनके रंग और राजनैतिक सिद्धान्तों को भूलकर विश्व के प्राकृतिक साधनों का समान रूप से वितरण करें। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि इन सबको प्राप्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व मनोवैज्ञानिक तत्व है। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए मनोवृत्ति का जब तक निर्माण एवं विकास नहीं होगा जब तक शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की यथार्थ रूप में स्थापना नहीं हो सकती। हमारे समक्ष एक सिद्धान्तिक रूप से विभाजित विश्व है जिसको या तो सह-अस्तित्व के लिए और या सह-विकास के लिए सहमत होना ही होगा। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के असफल होने पर विश्व विनाश अवश्यभावी है और सह-अस्तित्व की मनोवृत्ति के विकास के लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के वर्तमान मापदण्डों में परिवर्तन करना होगा।

वर्तमान युग में विश्वशान्ति की समस्या का हल पाना अत्यन्त ही बठिन प्रतीत होता है। इस समय हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं और जिस किसी मार्ग को अपनायेंगे वह अपने बान्नी समस्य पीढ़ियों को पूर्णतः प्रभावित करेगा। इसलिए शान्ति के लिए प्रयत्न तथा शान्ति के लिए इच्छा का विकास हमारा अस्तित्व एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है।

विश्व संघ की समस्याएँ

प्रो० मार्नॉल्ड, जे० टोपनबी के अनुसार किसी भी राजनीतिक समुदाय का आकार यातायात के साधनों की गति के लोपे अनुपात में होता है। दूसरे शब्दों में यातायात के साधनों की गति में वृद्धि होने से राजनीतिक समुदाय के आकार में भी वृद्धि होने की सम्भावना रहती है एवं होती है। यातायात के साधनों की गति जितनी ही तीव्र होगी राजनीतिक समुदाय का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। ईसा पूर्व १७ वीं शताब्दी में घोड़े की पासतू पशु बना लेने से नगर राज्यों और पुरातन साम्राज्यों का युग प्रारम्भ होता है। तथा ईसा की १५ वीं शताब्दी में सामूहिक जहाजों के बन जाने से भूतमहाद्वीपीय साम्राज्यों का युग शुरू होता है। जेट और धनु शक्ति तथा शब्द से भी शीघ्र जाने वाले इस युग में केवल एक विश्व तथ ही वास्तवीय है।

अन्तर्राष्ट्रीय तथ की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निरंकुश राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धान्त है। राष्ट्रों के मध्य में सनिज पदार्थ और जनसंख्या के कारण अस्यधिक विषमताएँ हैं। जो राज्य साधन सम्पन्न एवं कम जनसंख्या वाले हैं वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि वे अपने साधनों का उपयोग निर्धन और अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों के साथ करें। ऐसा करने से उनका सामिक स्तर घटस्य नीचे गिरेगा और इसके साथ ही जाति और रग की समस्या है। विश्व में श्वेत लोग अल्पमत में हैं और किसी भी विश्व तथ में वह एक स्थायी अल्पमत ही रहेंगे। इन कुछ बाधाओं के कारण श्वेत राष्ट्र कभी भी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धान्त छोड़कर विश्व तथ का सिद्धान्त नहीं अपनाएंगे।

विश्व संघ की स्थापना के प्रयत्न वर्तमान काल में नए नहीं हैं। पिछली बार शताब्दियों से इसके लिए योजनाएँ बराबर बनती रही हैं। १८ वीं शताब्दी में अवे-द-सत्त-बीरे और ह्यूगो ने एक स्थायी शक्ति की योजना का निर्माण किया था। १८१८ में रोबर्ट मोबन ने मोर्य की सरकारों की जो कि १० सा० शक्ति के अन्तर्गत

सम्बन्धन में श्री कि प्रत्येक अधिक को एकमात्र राष्ट्र घोटोनिक् अधिक से तथा एक देशन पाने वान से अधिक बनने में महापता देते है ।”

विश्व सघ की स्थापना एक गरल समस्या नहीं है । यह बहुत से तरकों पर निर्भर करती है और उनमें से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रभुगता के सिद्धान्तों में परिवर्तन है और इसमें साथ ही राष्ट्रों के दृष्टिकोण में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है । इसके पहले कि हम एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करें जो कि एक नवीन मनोवृत्ति पर आधारित हो हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बार्द के लिए कुछ मापदंडों का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु शिक्षा की व्यवस्था में सामूल परिवर्तन करना होगा । नागरिक को विश्व नागरिक बनने को शिक्षा देनी ही होगी और यह शिक्षा एक नवीन शिक्षा प्रणाली ही दे सकती है । यह परिवर्तन अपने अधिक इतिहास व क्षेत्र में आवश्यक है । अब तक इतिहास में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण शिक्षा गया है जिसमें कि अपने राष्ट्र की अगता और दूसरे राष्ट्रों की बुराई एक प्रभुग दृष्टिकोण रहा है । इतिहास को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण में पढ़ाने के कारण प्रत्येक पीढ़ी में विदेशियों के प्रति स्वाभाविक घृणा, अन्धेह आदि की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और उनमें एक भूटा विश्वास उत्पन्न होता है कि जो कुछ हम बर्जते हैं और है और जो कुछ दूसरे कर रहे हैं गलत है । अन्धिम रूप में महीविचार 'मेरा देग, मही या गलत, मेरा देग है व रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा देग की शक्ति का एक भूटा खोल पीटा जाता है ।

यह अपने राष्ट्र की प्रगता और अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को महीव उभिन टहाने की मनोवृत्ति भूटे प्रचार को जन्म देती है जो कि राष्ट्रों में महयोग और एक दूसरे को समझने के कार्य में एक बाधा बन जाती है हम गीना के उग पार न तो जानते हैं और जानना ही चाहते हैं, और हम तो कुछ हमारी सरकार कहती है या चाहती है उगमें विश्वास कर लेते हैं । हमको रोहन के लिए गुणता और दृष्टिकोणों के प्रादान-प्रदान में पूर्णतः स्वतन्त्रता होनी चाहिए । प्रत्येक सरकार का अर्थव्यवस्था और केवल साथ ही होना चाहिए । समाचारों पर नोक, भूटे समाचारों का निर्माण, दृष्टिकोणों को विद्वल रूप बना आदि बातों की सरकार को बन्द करना चाहिए । शिक्षकों द्वारा इतिहास का ठीक प्रकार में शिक्षण तथा पत्रकारों द्वारा ठीक प्रकार से समाचारों का प्रसारण अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना और मही प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों व संघेष्ट महापता कर सकता है । दृष्टिकोण पक्षपात रहित होने चाहिए तथा आलोचना केवल आलोचना के लिए ही नहीं होनी चाहिए और न बन्नी अर्थमन्त्री और बुराई के स्वर का उत्तर मानी चाहिए । बिना भी राष्ट्र के नेताओं के लिए अर्थमन्त्री का प्रयोग करने से तथा उस देश की धार्मिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं की

मालोचना करने से कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय या विश्व सङ्घ की मनोवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रत्येक देश के पाने प्रेस को नियंत्रित करना चाहिए तथा दबाना चाहिए और ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्याएँ स्थापित होनी चाहिए जो कि समाचारो, दृष्टिकोणो और अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओ की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सके।

हम अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर गैर राजनीतिक क्षेत्रो मे भी सहयोग की वृद्धि करके वृद्ध कर सकते हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षेत्र। सांस्कृतिक मडलों को एक दूसरे देशो में भेजना चाहिए ताकि प्रत्येक देश के लोगो को दूसरे देश के लोगो से मिलने का अवसर मिले और उनके साथ अपनी सामान्य समस्याओ को समझें अथवा समझावें। हर स्थान पर साधारण व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा शान्ति और समृद्धि चाहता है। यह तो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं जो कि उसे धोखे मे रखते है तथा सदैव तनाव और युद्ध का वातावरण बनाये रखते हैं। ऐसे लोगो से साधारण व्यक्ति की रक्षा होनी चाहिए तथा युद्ध की मांग करना एक निश्चित अपराध माना जाना चाहिए जिसका कि एक युद्ध अपराधो की भांति ही किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा ही निर्णय हो, क्योंकि युद्ध मे किए गए अपराधो पर दण्ड दिया जाने लगा है इसलिए युद्ध की मांग करने वालो को भी दण्ड मिलना ही चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय समठन के सम्बन्ध मे सोचने से पहले हमे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के सम्बन्ध मे सोचना जरूरी है वे दोनो समस्याएँ इतनी अधिक एक दूसरे से सम्बन्धित है कि उनको अलग अलग करना सम्भव नहीं है। शान्ति के द्वारा ही व्यवस्था और सहयोग उत्पन्न होंगे और इन्ही के आधार पर अन्त मे एक सच्ची विश्व सत्ता की स्थापना होगी। प्रजातन्त्र सबसे अधिक शान्तिपूर्ण ढंग की सरकार है। यह सत्य है कि प्रजातन्त्र प्रायः युद्ध के लिए ठीक प्रकार से तैयारी नहीं कर पाते हैं। जनता के प्रतिनिधि उस समय तक युद्ध की बात करने का साहस नहीं कर सकते जब तक कि उन्होने घृणा को उत्पन्न नहीं कर लिया है, किन्तु यह केवल विकसित और प्रौढ़ता प्राप्त प्रजातन्त्रो के लिए ही सत्य है। पूर्व के अधिकारी प्रजातन्त्रो मे कोई भी सरकार अपनी जनता को धर्म अथवा देश-भक्ति के नाम पर युद्ध के लिए भडका सकती है अधिनायकतन्त्रो के लिए युद्ध तो एक आवश्यकता है। भरस्तू के समय मे यह राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त रहा है कि आन्तरिक उत्पीडन के बदले मे राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे विजय और साम्राज्य प्राप्त करना ही होगा। इसीलिए अधिनायकतन्त्र आन्तरिक स्वतन्त्रता के बदले मे एक उग्र वैदेशिक नीति का पालन करते हैं और वह अपनी जनता का ध्यान आन्तरिक समस्याओ से हटाकर आत्म-निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ पर केन्द्रित करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अधिनायकतन्त्रो का अस्तित्व ही घृणा और युद्ध पर है। यदि हम वास्तव में कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहते है

स्थापना भी करे जिनके राज्यों की समानता का सिद्धान्त मानाया जायगा, उसमें भी श्वेत राज्य स्थायी मूल्यमूल में रहेंगे। श्वेत लोग जो कि पिछले ४०० वर्षों से विश्व में सदैव प्राधान्य पाते रहे हैं तथा जिनको इसकी भावत हो गई है वह ऐसी संसद नहीं स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा हम एक निष्पक्ष संसद का निर्माण कर सकें। ऐसी संसद का चुनाव एक विशेष चुनाव प्रणाली के द्वारा होना चाहिए। निष्पक्ष चुनावों और सभ्य प्रतिनिधित्व के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र में चुनाव अधिकारी दूसरे राष्ट्रों के हों। यह राष्ट्रीय अन्त-राष्ट्रीय संसद उन सब विषयों पर जिनमें कि राष्ट्रों में अन्तर्निर्भरता है, कानून निर्माण करेगी। शांति बनाए रखने का इसका विशेष उत्तरदायित्व होगा। इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सक्तित करना होगा और जिन विषयों पर इसकी सत्ता रहेगी उन पर इस नीचे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करना होगा।

इस विश्व सभ की अपनी निजी प्रशासकीय संस्था होगी। यह प्रशासकीय संस्थाएँ सब राष्ट्रीय इकाइयों के नागरिकों के लिए खुली होंगी और इसमें स्थान पाने का आधार केवल योग्यता, जिनका पता समान के लिये एक विश्व प्रतियोगिता होगी। इस विश्व सभा की टुकड़ियाँ प्रत्येक राष्ट्र में रहनीं। हर राष्ट्र में दूसरे राष्ट्रों के नागरिकों की सैनिक टुकड़ियाँ रती जायगी।

एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी हमें चाहिए जिसका कि विश्व के प्रत्येक स्कूल में एक द्वितीय भाषा का स्थान एवं महत्व दिया जाय। विश्व की 'मुक्त पुरतक' एक अनुसन्धान फल इस अन्तर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवादित किया जायगा। राष्ट्रीय रेडियो व्यवस्थाओं का अन्त कर दिया जायगा और केवल एक विश्व रेडियो की स्थापना होगी जिससे कोई भी राष्ट्र रेडियो द्वारा दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध या भ्रूट वा प्रचार न कर सके। सारे विश्व के लिए एक मुद्रा होगी। व्यापार पर कहीं भी कोई, किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होंगे। समस्त सामूहिक और वायु स्थान विश्व सरकार की सत्ता के अधीन होंगे और सब राष्ट्र उनका स्वतन्त्र रूप से उपयोग कर सकेंगे। माना के हवाई जहाज, हवाई मर्द्द, रेसके, अन्तर्राष्ट्रीय, सड़कें, डाक के तार, सामूहिक श्वेत तथा के-तार के तार, भार और मापदण्ड, सिक्के, रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना, अन्तर्राष्ट्रीय न्याय आदि प्रस्तावित विश्व सभ राज्य की कुछ प्रमुख शक्तियाँ होगी। इस विश्व सरकार को अपने अलग भाव के क्षेत्र दिये जाने चाहिये। इसको ऐसे अग्रत्वश कर जैसे कि भाषाकारी भाषा-कर आदि सारे विश्व के दे देने चाहिये।

सभ की उपरोक्त रूप-रेखा को बहुत से व्यक्ति आदर्शवादी कल्पनात्मक एवं अभ्यावहारिक समझकर आसवीकार करेगे। मैं स्वयं भी इसमें सहमत हूँ। किन्तु इसकी

अम्बोजार करने के पहले हमें एक क्षण ठहरकर यह गोचना आवश्यक है कि ऐसी निम्नी सघोष व्यवस्था के बिना न तो यथायं में विश्व सरकार की स्थापना हो सकती है और न वह सरकार अपने कर्तव्यों की सफलतापूर्वक पूरा ही कर सकती है। राष्ट्र मय और संयुक्त राष्ट्र मय के हमारे अनुभव यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय मगठन जिसके सदस्य सर्वतत्ता सम्पन्न राष्ट्र हैं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने में कभी भी पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। केवल एक यथायं विश्व मगठन ही यथायं में एक विश्व सरकार की स्थापना कर सकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि वर्तमान में यह सम्भव नहीं है और सम्भवतः यह शताब्दियों तक भी सम्भव न हो किन्तु कभी न कभी यह सम्भव होगा ही, अन्ततः मानव जीवन असम्भव हो जायगा।

— — —

तेल कूटनीति

इस औद्योगिक बीसवीं शताब्दी में तेल के महत्व के सम्बन्ध में प्रतिगण्योक्ति प्रगल्भ है। इस शताब्दी में मोटरो और दूसरे यन्त्रों की सहाय में अत्यधिक वृद्धि तथा रेल के दृजन और जहाजों में बोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग होने के कारण तेल की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसी आवश्यकता यन्त्रों को चिकना करने के लिए (Lubrication) इस औद्योगिक सम्पत्ता में और भी अधिक है। इस सम्बन्ध में तेल के स्थान पर और किन्हीं वस्तु का प्रयोग प्रायः असम्भव है। यह हम मान सकते हैं कि तेल के स्थान पर शक्ति के लिए प्राकृतिक गैस, कोयला, सड़की, पानी द्वारा उत्पादित बिजली या अणुशक्ति पूर्णतः इस सम्पत्ता को खतम करने में सफल हो सकती है। वर्तमान काल में यदि तेल की प्रगति एक क्षण के लिए भी रुक जाय तो सम्पूर्ण औद्योगिक सम्पत्ता वहीं की वहीं सड़ी रह जायगी। औद्योगिक विकास के लिए हमें तीन मूल वस्तुओं की आवश्यकता है। (अ) शक्ति-स्रोत (ब) तनिज पदार्थ तथा (स) बाजार। अब तक तेल प्रमुख शक्ति का साधन रहा है और इसीलिए विश्व का वह प्रत्येक राष्ट्र जो कि औद्योगिक शक्ति का विकास चाहता है, अपने निजी एवं सुरक्षित तेल के स्रोतों के लिए प्रयत्न करता है।

विश्व के तेल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र उत्तरी अमरीका में समुक्त राष्ट्र अमरीका तथा कनाडा, कैरोबियन क्षेत्र में वेनेजुला, कोलम्बिया तथा ट्रिनिडाड, दक्षिण अमरीका में मैक्सिको, अर्जेंटाइना, पेरू, ब्योडोर, चाइल और बोलीविया, मध्यपूर्व एशिया में कुवैट, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, क्वातार, मिथ, टर्की तथा इजराइल दक्षिण और सुदूरपूर्वी एशिया में, इन्डोनेशिया, ब्रिटिश बोनियो, भारत, ब्रैस्ट न्यूगिनी तथा जापान। पश्चिमी योरोप में जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रान्स और नीदरलैंड्स, इटली तथा यूगोस्लैविया; उत्तर अफ्रीका में मोरक्को; योरोप में सोवियत संघ, हंगरी, रूमानिया, अल्बानिया, बल्गारिया, पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया हैं। १९५७ के सम्पूर्ण उत्पादन

में से उत्तरो धमरीया में ४४८१ प्रतिशत, मध्यपूर्वी एशिया में २०१ प्रतिशत, कैरोवियन क्षेत्र में १६७ प्रतिशत तथा पूर्वी योरप ४११४ प्रतिशत हुआ था। इन धारों को हम विश्व के प्रमुख उत्पादन करने वाले क्षेत्र कह सकते हैं।

१९५५ में मध्यपूर्व एशिया के तेल कारखानों में मँगोलाय्यादी विश्व के सम्पूर्ण तेल उत्पादन का २३ प्रतिशत तेल उत्पन्न किया था और यह उत्पादन समुद्र-राज्य धमरीया, सोवियत संघ और वीनेजुला के उत्पादन के बराबर था। जुलाई, १९५७ में यह हिमाय सगाया गया है कि विश्व के सम्पूर्ण तेल भण्डार का ७५ प्रतिशत केवल मध्यपूर्वी एशिया में ही स्थित है। यह साबित इस बात को पूर्णतः सिद्ध कर देगे कि वर्तमान समय में मध्यपूर्वी एशिया विश्व की तेल कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण सद्य है।

औद्योगिक उत्पत्ति की प्रगति के अनुपात में राजिज वदार्थों की गोज और तेल उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजिज वदार्थ हैं तथा बाजारों की गोज बढ़ती जाती है। औद्योगिक प्रगति के विकसित चरणों में पूँजी में बहुत घणिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है और इस पूँजी को पूँजीगत उन देशों में लगाना चाहते हैं जिसमें बिश्रम घणवदा दूसरे साधन सरसनापूर्वक उपलब्ध हो तथा सस्ते हों; साथ ही इस पूँजी से घणिकायिक साधन उद्योग जा सके। पूँजी व इस निर्माण के कारण सिध्ते हुए देशों के प्राकृतिक साधनों का शोषण होता है और उन राष्ट्रों के घणिकायिक जीवन पर औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों का नियन्त्रण हो जाता है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का इस प्रकार के शोषण को हम घणिकायिक राजनीति शब्दावली में 'बाजार कूटनीति' तथा 'घणिकायिक साम्राज्यवाद' कहते हैं। जब इसका उद्देश्य तेल से होता है तब हम उसे 'तेल कूटनीति' कहते हैं। इन सब प्रकार की कूटनीतियों के उद्देश्य और सिद्धान्त एक ही प्रकार के हैं।

दोनों विश्व युद्धों में मध्य में रुमानिया की तेल कम्पनियों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण ब्रिटेन के नागरिकों के पास था और रुमानियन तेल को प्राप्त करना नास्सी जर्मनी की वैदेशिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इस तेल का उपयोग साम्यवादी विश्व कर रहा है। ईरान में राष्ट्रीयता के उदय के पश्चात् ब्रिटेन को वहाँ के तेल का स्वामित्व भी छोड़ना पड़ा और ऐम्बो-इरानियन तेल कम्पनी को घणना व्यापार बन्द करना पड़ा। वीनेजुला सदैव इस तेल के कारण विदेशी पक्षियों का निवार रहा है और १९०२ में ब्रिटेन, जर्मनी और ईरान ने तेल-कूटनीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वीनेजुला का सामुद्रिक भेरा बाला था और सब तेल के उक्त भूगो राष्ट्रों का सम्पूर्ण ध्यान एवं कूटनीति इस समय मध्यपूर्वी एशिया पर केन्द्रित है।

यह मध्यपूर्वी एशिया के राष्ट्रों का दुर्भाग्य है कि उनके पास न तो घणिकायिक पूँजी ही है, न गुणिपाएँ और औद्योगिक जानकारी ही है जो कि तेल के उत्पादन

और उसको विश्व के बाजारों में पहुँचाने के लिए आवश्यक है। १९५० से तेल उद्योग में ७ अरब डालर का पूँजी विनियोग हुआ है तथा नये तेल के क्षेत्रों की खोज में प्रति वर्ष ७५ करोड़ डालर व्यय किए गए हैं। इस प्रकार तेल में पूँजी का विनियोग ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है। १९५७ में केवल मध्यपूर्वी एशिया में ६ अरब डालर तेल के उद्योग में लगे हुए थे और इसी प्रकार तेल का उपभोग भी उस वर्ष से बढ़ता जा रहा है। १९५० से केवल संयुक्तराष्ट्र अमरीका में तेल के उपभोग में ५½ प्रतिशत प्रतिवर्ष और शेष विश्व में ११ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। १९५६ में योरोप में १४ प्रतिशत, जापान में ३० प्रतिशत तथा पश्चिम जर्मनी में २४ प्रतिशत तेल के उपभोग में वृद्धि हुई। योरोप को स्वेज नहर के द्वारा मध्यपूर्वी एशिया से उसकी आवश्यकता का ६५ प्रतिशत तेल मिलता है। स्वेज नहर के बन्द हो जाने का योरोप की आर्थिक व्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ा था। इङ्गलैंड के सर्व मन्त्री ने १९५७ की आर्थिक रिपोर्ट देते हुए यह कहा था कि—

“स्वेज नहर के बन्द होने के कुछ सप्ताह के अन्दर ही तेल की कमी हो गई किन्तु उसके द्वारा विशेष रूप से प्रभावित केवल मोटर उद्योग ही हुआ था। तेल की यह कमी किसी भी प्रारम्भिक उत्पादन करने वाले देशों पर मध्यपूर्व के देशों को छोड़कर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल रही है। स्वेज नहर के बन्द होते ही कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े किन्तु बाद में गिर गए। तेल की कमी के सामान्य प्रभाव इस देश में इतने अधिक नहीं हुए जितना कि डर था यद्यपि बेरोजगारी में उससे अधिक वृद्धि हुई है जितने कि वर्ष के इस समय पर साधारणतः होती रही है।”

अर्थमन्त्री का यह कथन तेल की समस्या के सम्बन्ध में थोड़ा पक्षपातपूर्ण है और उनके द्वारा सरकार की इस सम्बन्ध में अदूरदर्शी नीति को छिपाने का भी प्रयत्न किया गया है। वास्तव में इङ्गलैंड में भी तेल की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई थी और पूँजी में विनियोग की हानि हुई थी तथा इन कारणों से इंग्लैंड और फ्रांस में विदेशी मुद्रा की स्थिति भी गम्भीर हो गई थी। इस उदाहरण से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि तेल के बन्द हो जाने या उसमें कमी होने से आर्थिक आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल होगा? आज से १० वर्ष पश्चात् तेल की स्थिति अत्यन्त ही गम्भीर होगी। १९५६ के चेज मैनेज्मन्ट बैंक द्वारा इस समस्या पर जो अन्वेषण किया गया है उसके अनुसार दस वर्ष बाद संयुक्तराष्ट्र अमरीका में ३२ प्रतिशत और शेष देशों में ११५ प्रतिशत तेल के उपभोग में वृद्धि होगी और तेल के उपभोग में इस अभूतपूर्व वृद्धि को पूरा करने के लिए १९६५ तक तेल-उद्योग में ११५ अरब डालर का विनियोग आवश्यक होगा और इसके लिए प्रतिवर्ष ११॥ अरब डालर इस क्षेत्र में लगाने होंगे। यह आविर्भूत इस तथ्य को पूर्णतः सिद्ध करते हैं कि ये किसी भी मध्य-

पूर्व एशिया के राष्ट्र के लिए असम्भव है कि वह इतनी पूँजी का विनियोग कर सके तथा अपने राष्ट्रीय तेल-साधनों का पूर्ण उपयोग कर सके तथा साथ ही साथ यह भी सिद्ध करते हैं कि विश्व के शेष राष्ट्रों वा मध्यपूर्व के तेल में कितनी अधिक रुचि एक हित निहित है। तेल की आवश्यकता को समझते हुए प्रगतिशील देशों के पूँजी-पति तेल की कम्पनियों एवं तेल-उद्योगों में अपनी पूँजी लगा रहे हैं और इन पूँजी का भविष्य उतना ही सुरक्षित है क्योंकि तेल वा भविष्य सुरक्षित है।

मध्यपूर्व देशों की आर्थिक व्यवस्था वा तेल एक महत्वपूर्ण भाग है और उनके दुर्भाग्य में भी इसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। वे राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्र हैं और तेल के उत्पादन के सम्बन्ध में उनके समक्ष ये प्रमुख बाधाएँ हैं—

- (अ) उनके पास अपने तेल के साधनों वा उपभोग करने के लिए आवश्यक साधन नहीं हैं।
- (ब) तेल को खोजने, निकालने और शुद्ध करने के लिए जिस औद्योगिक ज्ञान की आवश्यकता है वह उनके पास नहीं है।
- (स) उनके बन्दरगाहों से विषय के बाजारों तक तेल ले जाने के लिए आवश्यक जहाजी बेड़ा नहीं है।
- (द) तेल को उपभोक्तार्थी तक पहुँचाने के लिए आवश्यक वितरण-व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्त कारणों से वे प्रसह्य हैं और उन्हें अपने तेल के साधनों वा विदेशों द्वारा शोषण की अनुमति देनी ही होगी। इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर ईरान वा उदाहरण दे सकते हैं। जब ब्रिटेन ने आयल ईरानी तेल कम्पनियों से अपने औद्योगिक विशेषज्ञों को वापिस घुसा लिया तो यह ईरान के लिए प्रायः घतम्भ हो गया है कि वे उत्पादन में तेल शुद्ध करने के कारणों को वा दक्षिण-पश्चिम ईरान के तेल के कुम्भों को चला सकें। जो शुद्ध तेल वा उत्पादन प्रथम शुद्ध करने में वे सफल हुए वह भी वहीं एकत्रित हो गया क्योंकि उसके पास न तो आवश्यक जहाजी बेड़ा वा और न वितरण व्यवस्था ही जिसके द्वारा वे इस तेल को उपभोक्तार्थी तक पहुँचा सकते। जर्मन, इटैलियन और जापानी सहायता के प्रोत्साहित भी वे अपने साधनों के पूर्ण उपभोग में असफल रहे और अपेक्षित आर्थिक हानि उठानी पड़ी जिसके फलस्वरूप ईरान में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। उन्हें बाद में २५ वर्ष के लिए एक समझौता करना पड़ा जो कि १९७६ तक चलेगा और जिसने द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय तेल-कम्पनी ईरानियन आइल पार्टीसिपेन्ड्स ईरान के तेल को उपभोक्तार्थी तक पहुँचावेगी व उत्पादन में सहायता करेगी।

मध्यपूर्वी तेल के क्षेत्रों से ब्रिटेन के प्रस्थान के पश्चात् अमरीकी पूँजीपतियों को मध्यपूर्व में अपनी विनियोग कार्यवाही का अवसर मिला। स्टैंडर्ड ब्राइल कम्पनी जो कि स्वयं कम्पनियों की एक कम्पनी है और जिसका सम्पूर्ण विषय के तेल के महत्वपूर्ण भाग पर नियन्त्रण है, ने मध्यपूर्वी तेल पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की। अरेबिया तेल कम्पनी में स्टैंडर्ड ब्राइल कम्पनी का लगभग ६० प्रतिशत भाग है। ईरानियन ब्राइल पार्टीसिपैन्ट्स के द्वारा अब स्टैंडर्ड ब्राइल कम्पनी और उसके साथी कम्पनियों ने ईरान की खाड़ी और ईरान के तेल पर लगभग अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। १९५५ में मध्यवर्ती तेल के पूँजीविनियोग में अमरीका का ५८.४ प्रतिशत हिस्सा था तथा ब्रिटेन का इस क्षेत्र में पूँजीविनियोग ४९.६ प्रतिशत में २१.४ प्रतिशत तक गिर गया। हालैण्ड ६.१ के ७ प्रतिशत बढ़ा है जबकि फ्रांस का ६.१ से ५.३ प्रतिशत तक घट गया। यह आँकड़े बताते हैं कि जब १९४५ में ब्रिटेन का मध्यपूर्वी तेल विनियोग में महत्वपूर्ण स्थान था किन्तु १९५५ में समुक्तराज्य अमरीका ने ब्रिटेन को पूर्ण रूप से स्थानापन्न कर दिया था। तेल के कुष्ठो, पाइपलाइन और तेल शुद्धि के कारखाने की रक्षा के लिए पूँजीपति यह आवश्यक समझते हैं कि उनकी अपनी सरकारें निर्भल देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करें। इस समय अमरीकन पूँजीपतियों के यह हित में है कि यहाँ पर अमरीकन पक्ष की ही सरकारें स्थापित हो और इसीलिए सऊदी अरेबिया को उदारतापूर्वक सैनिक सहायता दी गई तथा अमरीकन सरकार की ओर से ईराक और जोर्डन को पूर्णतः अपनी ओर करने का प्रयत्न किया गया। यदि सोवियत संघ इस क्षेत्र को पूर्णतः अपने वज्जे में कर लेने में सफल होता है तो शेष बचे हुए विश्व के पूँजीपति देशों में एक भीषण तेल सङ्कट उत्पन्न हो जायगा और बहुत से देशों में उद्योगो एव कारखानों को बन्द करना पड़ेगा। तेल के साथ-साथ इस क्षेत्र के सामरिक, भौगोलिक महत्व भी हैं। मेक्सिको और होसाफर के अनुसार जो कोई भी एशिया के केन्द्र का और योष्य के किनारों को नियन्त्रण करेगा वह विश्वद्वीप का नियन्त्रण करेगा और जो विश्वद्वीप का नियन्त्रण करेगा वह विश्व का नियन्त्रण करेगा।

अब तक हमने शांति में तेल का महत्व के बताने का प्रयत्न किया है। युद्ध में तेल का महत्व और भी अधिक है। किसी भी आधुनिक युद्ध को यथेष्ट तेल के साधनों एव संप्रहृ बिना लड़ना असम्भव है। तेल की अनुपस्थिति में अस्त्रों के उत्पादन से सेनाओं की गति तक सब कुछ रुक जायेगा। इसलिये प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के लिये यथेष्ट तेल साधनों को प्राप्त करना चाहता है। समुक्त राज्य अमरीका भी बिमके पास तेल में अपने स्वतंत्र साधन हैं, मध्य पूर्व से तेल का आयात करता है। समुक्तराज्य अमरीका में युद्ध के पूर्व के युग से आज दुगुनी राश्या में मोटरें हैं। यह अनुमान किया जाता है कि इस समय समुक्तराज्य अमरीका की सड़कों पर ५६० लाख मोटरें हैं और इनकी शरण में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। हवाई जहाजों के लिये भी बहुत

अधिक मात्रा में तेल की आवश्यकता पड़ती है और हवाई जहाज और निर्दिष्ट रावेट घस्त्रों के लिए बहुत ही उच्चकोटि के पेट्रोल की आवश्यकता है। इस प्रकार के पेट्रोल की प्राप्ति करने के लिये बहुत अधिक मात्रा में सजिज तेली की आवश्यकता होती है।

तेल की स्थानापन्न वेधन दो ही शक्ति स्रोत कर सकते हैं—जलविद्युत और अणु शक्ति। ब्रिटेन, जिसका कि मध्यपूर्वी एशिया के तेल पर नियन्त्रण था अन्त हो गया, उसने इसपर कुछ वर्षों में अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों के दिशास पर आर्थिक ध्यान दिया है और यह विश्व का सबसे पहला अणु शक्ति के द्वारा विजयी उत्पादन केन्द्र बान्दर्वेल को स्थापित करने में सफल हुआ है। उसने विरय का सबसे पहला मनुष्यकृत बालमूर्ध 'जीटा' का निर्माण किया है जोकि समुद्र के पानी से प्राप्त हुये हाइड्रोजन अणुओं से विशाल अणु शक्ति को उत्पन्न करेगा। ऐसे कुछ अणु शक्ति केन्द्र ब्रिटेन की औद्योगिक और गृह शक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल होंगे। यह सब महान् शक्तियों के लिए आवश्यक है कि यह शक्ति के अल्प साधनों का समुचित विकास करें। क्योंकि यह अनुमान लगाया जाता है कि तेल वर्तमान उपयोग बर्बाद करने की गति से विप्रेय से संचित तेल के साधन केवल १०० वर्षों तक चल सकेंगे। इसी समय में दूसरे शक्ति के साधनों का विकास औद्योगिक सभ्यता के अस्तित्व के लिये आवश्यक है। जापान ने अणु शक्ति से चलने वाले जहाज और सोवियत संघ ने अणु शक्ति द्वारा चलने वाली पनटुम्बी वेडो को तैयार कर लिया है। समुक्त राज्य अमरीका अपने समस्त जहाजी वेडे को अणु शक्ति द्वारा चलाने की योजना पर विचार कर रहा है तथा भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने तेल के स्थान पर सूर्य की शक्ति को एकत्रित करने तथा उपयोग के लिये आवश्यक अन्वेषण करने प्रारम्भ कर दिये हैं। किन्तु अब तक इन सब प्रयोगों में पूर्णतः सफलता नहीं मिल जाती तब तक तेल विश्व का प्रधान शक्ति साधन रहेगा और इसके पश्चात् भी चिकनाहट (Lubrication) का प्रमुख साधन रहेगा। इसीलिये यह विश्व के प्रमुख देशों के बीच में एक प्रतिद्वन्दिता का गुरा आधार बना हुआ है।

मध्यपूर्व का आइजनाहावर सिद्धांत और अगस्त सचि के पीछे आग्ल अमरीकी गृह का यह प्रमुख शूटनीतिक उद्देश्य है कि सोवियत संघ के मध्यपूर्व में बढ़ते हुए प्रभाव को रोक जाय। स्वेज संकट के पश्चात् वाले युग में मीरिया और जोर्टन का महत्व बढ़ गया है क्योंकि भूमि द्वारा जाने वाली तेल की पाइप लाइनों का महत्व बढ़ गया है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जोर्टन को सैनिक और आर्थिक सहायता के साधन द्वारा अमरीका ने अपने पक्ष में कर लिया है। उसने आइजनाहावर सिद्धांत को स्वीकार भी कर लिया है किन्तु मीरिया संयुक्त गणराज्य अरब में सम्मिलित हो गया है और इसलिए आइजनाहावर सिद्धांत और मध्यपूर्व में अमरीका के प्रभाव की वृद्धि

का विरोधी। जब टर्की ने आंग्ल अमरीकी गुट्ट के पक्ष में रने के उद्देश्य से सीरिया को भय दिखाया तो सोवियत संघ ने एक अत्यन्त ही गम्भीर चेतावनी टर्की को दी थी। संयुक्त अरब गणतन्त्र का सोवियत संघ की ओर झुकाव देखकर अमरीकन आंग्ल कम्पनियों ने इजरायल और टर्की के रास्ते एक नवीन पाइप लाइन का निर्माण किया है। यद्यपि सऊदी अरेबिया संयुक्त अरब गणतन्त्र से यथेष्ट सहानुभूति रखता है फिर भी यह अमरीकी तेल हितों का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि इसकी राजकीय आय का एक मुख्य भाग तेल पर है। इसने तेल कम्पनियों से इसी का लाभ उठा कर कुछ और गवें स्वीकार कराली हैं। १९५० में सऊदी अरेबिया और अमरीका के मध्य में एक समझौते द्वारा तेल कम्पनी ने यह स्वीकार किया कि वह अपना कर मुक्त पद का अन्त कर देगी और तेल-कर के अतिरिक्त भी कम्पनी की आय के आधे भाग पर कर लगाने का अधिकार सऊदी अरब सरकार को होगा। यह समझौता सऊदी अरेबिया को अमरीकी प्रभाव के क्षेत्र में रखने के लिए एक प्रकार की रिश्वत थी। शायद सऊद तेल के कारण ही विश्व का एक अत्यन्त ही घनाढ्य पुरुष माना जाता है। आशियन दृष्टि से ये राष्ट्र अत्यन्त ही अदिकसित एवं निर्धन है। इसका अधिकांश भाग साधारणतः रेगिस्तान है और यह बहुत थोड़ा या नहीं के बराबर उत्पादन करते हैं। जनता को काम मिलने का कोई आर्थिक साधन नहीं है। तेल कम्पनियों ने उनको कार्य दिया है और इसके साथ ही साथ साधारण युद्ध को समृद्धि भी। प्रो० कोस्टानिक इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि :

‘पेट्रोलियम मध्यपूर्व के बहुत से क्षेत्रों में एक नए प्रकार का जीवन लाने के अत्यन्त ही उत्तरदायी है। यह रेगिस्तान के आसकों पर लादे गए घर्म धीरे विलास की सामग्री के अलावा है। इसका एक दूरवर्णी परिणाम यह है कि बहुत दिनों से सम्पत्ता से दूर क्षेत्रों को सड़को, रेलों और हवाई जहाजों से यातायात द्वारा सम्बन्धित किया गया है। साथ ही साथ बन्दरगाह और हवाई अड्डे भी खोले गये हैं। दूसरा अनुदान हजारों व्यक्तियों का कुशल और अर्थ-कुशल स्थितियों के लिए प्रशिक्षण है। यद्यपि कुछ कम्पनियाँ ऐसे लोगों का स्थानीय सरकारों की ओर चले जाने की निरन्तर समस्या उनके सामने है। पारित्रिक कारीगरों को प्रशिक्षण देना तथा अरेबिक तथा इसकी भाषाओं का पठन और लिखने की शिक्षा देने लिए बहुत से स्कूल भी खोले गये हैं।’

(करेन्ट, हिस्ट्री नवम्बर १९५७, पृ० २७१)

यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रो० कोस्टानिक के द्वारा बताये गए ये सब लाभ एवं विकासो का महत्त्व एवं लाभ सर्वप्रथम अमरीकी तेल कम्पनियों के लिए है और मध्यपूर्व के साधारण व्यक्तियों को

तो इससे लाभ केवल धार्मिक है। साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस सब समृद्धि के कारण मध्यपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति के शतरंज पर एक मोहरा बन गया है और यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मोहरा है। किन्तु मध्यपूर्व की साधारण जनता धार्मिक साम्राज्यवाद की नीतियों को न तो समझती ही है और न समझना ही चाहती है। सरकार और जनता दोनों इस तेल द्वारा पाई गई समृद्धि से प्रसन्न हैं और वे दोनों इस बात को समझते हैं कि इस तेल का उपभोग स्वयं करने में असमर्थ हैं इसलिए उन्हें विदेशियों का सहारा लेना ही होगा।

मध्यपूर्व में अब भी सामन्तवादी युग चल रहा है। प्रजातन्त्र को वहाँ पूर्णतः माने में समय लगेगा। यह राजनीतिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहाँ के राजा और शक्तिशाली शेर धार्मिक साम्राज्य से भी धार्मिक साम्यवाद से डरते हैं और उनका यह विश्वास है कि साम्यवाद की जीत का अर्थ उनका विनाश है। अपने जान बचाने के लिए वे अमरीकी पूँजीपतियों से मंत्री-भाष्य रखना चाहते हैं। और वे इस संधि को तब तक कायम रखेंगे तब तक कि अमरीका उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखने की गारन्टी देगा। प्रजातन्त्रीय अमरीका मध्यपूर्व में सामन्तवाद की सहायता ही नहीं करता, किन्तु उसको प्रोत्साहन भी देता है। मिस्र और सीरिया आदि त्रिन देशों में अपने सामन्तवादी युग का अन्त कर दिया है उन्हें सोवियत संघ या साम्यवाद से डरने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और वे अमरीका की पूँजीवादी व साम्राज्यवादी नीति को पूर्णतः समझते हैं। किन्तु जो देश धार्मिक व राजनीतिक दृष्टि से अब भी मध्ययुग में हैं वे आइजनाहावर सिद्धान्त में अपने लिए दुहरी छाल का आभास पाते हैं। वे समझते हैं कि यह सिद्धान्त एक ओर साम्यवाद से और दूसरी ओर अपने देश के जनतन्त्रीय आन्दोलनों से उनकी रक्षा करेगा। मध्यपूर्व की तेल पूटनीति को पूर्णतः समझने के लिये इस ध्येय से सोचना आवश्यक होगा। वहाँ के वास्तव अपने अपने प्राकृतिक साधनों को विदेशों में इसी शर्त पर बेचते हैं कि उसके बदले में वे विना भय के निरकुश शासन कर सकें और विदेशी सरकारें उनको इस निरकुश शासन में सहयोग दें। द्वितीय महायुद्ध के पहले ब्रिटेन इस कार्य को किया करता था। किन्तु जब मध्यपूर्व के राष्ट्रों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेन अब सोवियत संघ से पूर्णतः रक्षा नहीं कर सकता है तो उनका भ्रूणव अमरीका की ओर बढ़ गया।

मध्यपूर्वों राजनीति में सोवियत संघ को एक महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक समाजवादी राष्ट्र होने के कारण यह अपने प्राणको सामन्तवाद के पक्ष में नहीं रख सकता है और न सामन्तवाद को सुरक्षा ही कर सकता है। ऐसा कार्य सम्पूर्ण विश्व में इसके लिए हानिकारक होगा। यह केवल संयुक्त प्रत्यक्षतन्त्र जैसे राष्ट्रों को सहयोग दे सकता है और दे रहा है।

प्रजातन्त्र के विकास होने के कारण शनैः शनैः मध्यपूर्व की सामन्तवादी व्यवस्था का विकास हो जायगा। सामन्तवादी व्यवस्था पर जनतन्त्रीय शक्तियों के विजय पाने पर मध्यपूर्व अपनी आर्थिक जमीनों को तोड़ देगा और तेल कूटनीति का अन्त हो जायगा। ट्यूनिशिया, मिश्र, सीरिया और ईराक में ऐसा हो चुका है और वह समय अब दूर नहीं है जबकि मध्यपूर्व के दूसरे राष्ट्र भी इसी मार्ग को अपनाएँगे। फ्रायज ए० सलेग के अनुसार—

“सोवियत प्रभाव, साम्यवादी सिद्धान्त को अपनाने, प्रौपनिवेशिक तथा यहूदियों द्वारा लिए गए अपमानों को सहन करने तथा एक पिछड़ी हुई दशा को स्वीकार करने के विरुद्ध गतिशील राष्ट्रीयता अपने रचनात्मक सुधारों और सक्रिय तटस्थता के दोनों दृष्टिकोणों के द्वारा अधिक प्रभावशाली होगी। यह इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सन्धियों से, इकतरफा सुरक्षा के सिद्धान्तों से शतों पर आधारित सहायता की योजनाओं से तथा बदले की नीति से जिनको कि पश्चिम ने अब तक मध्यपूर्व में राष्ट्रीयता की चुनौती और सन्धिवाद की घमकी के उत्तरस्वरूप अपनाया है, कहीं अधिक योग्य होगी।”

(करेंट हिस्ट्री, नवम्बर १९५७ पृ० २८७)

यह मध्यपूर्व की समस्या का एक अत्यन्त ही स्पष्ट विश्लेषण है। जिस तेलक का यह उद्धारण है वह अरब राज्यों के दूतावास कार्यालय के प्रसिद्ध निर्देशक है और इनकी मध्यपूर्व देशों के सम्बन्ध के सम्बन्ध में विस्तृत व्यक्तिगत अनुभव है।



आर्थिक साम्राज्यवाद

उपराष्ट्रवादी देशभक्त अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक साम्राज्यों को सदैव राष्ट्रीय राष्ट्रकोण से देखते हैं। वे अपने राष्ट्र की समृद्धि दूसरों के मूल्य पर चाहते हैं, और वे अपनी सरकार से ऐसी नीतियों एक शक्ति के उपयोग की आशा करते हैं जिनसे कि उनके धार्मिक उद्देश्य पूरे हो जाएँ। जब राष्ट्र की शक्ति राष्ट्रीय धार्मिक हितों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है और यहाँ यह ध्यान रखना है कि यह राष्ट्रीय धार्मिक हित प्रायः स्वार्थी हैं, तथा इन्हीं को राष्ट्र महत्वपूर्ण समझना है, तो हम इस नीति की धार्मिक साम्राज्यवाद कहते हैं। किन्तु यह धार्मिक अन्तःनिर्भरता का उद्देश्य सब राष्ट्रों की समृद्धि और कल्याण होना चाहिये न कि कुछ छोटे से बड़े राष्ट्रों के हाथ में एक शक्ति का अस्त्रमान हो।

उत्पादनों एक उपभोक्ताओं दोनों के धार्मिक साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण हित अन्तर्निहित है। ये दोनों उप स्वार्थी धार्मिक राष्ट्रीयता के पक्ष में होते हैं। किन्तु धर्म-ज्ञान उपभोक्ता वेतनभोगी कर्मचारी है और उनका उत्पादन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता। उनका हित कम कीमतों, सस्ते भाग, सस्ते मकान और धार्मिक भाग एक सब प्रचार की सेवाओं में है। चाहे यह सब उन्हें राष्ट्र के अन्दर से या विदेशों से ही क्यों न प्राप्त हों। जिन लोगों का हित साम में है जो कि कीमतों पर निर्भर करता है और कीमतें माँग और पूर्ति के नियम द्वारा निर्दिष्ट होती हैं, ये वे लोग हैं जो कि उत्पादन का नियन्त्रण करते हैं और थड़े-थड़े उपभोगार्थि हैं। यदि विदेशी भाग को आने से रोकना जा सके, या उस पर धार्मिक कर लगाया जा सके, यदि राष्ट्रीय उपभोगों को संरक्षण दिया जा सके तो राष्ट्रीय उत्पादक राष्ट्रीय बाजार पर एकाधिकार प्राप्त कर सकता है और साम में वृद्धि के लिए कीमतों में भी वृद्धि कर सकता है। संरक्षण तथा धर्म की ओर से दिए जाने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। चूँकि उत्पादक धार्मिक दृष्टि से अतिशयोक्ति है उनका राजनीतिक प्रभाव और

दबाव भी यथेष्ट होना है और वे सरकार की नीति और दृष्टिकोण को अपने हित में करने में सफल हो जाते हैं। देश भक्ति राष्ट्रीय आत्म निर्भरता आदि के नाम पर वे अपने हितों की रक्षा करने वाली नीतियों का प्रतिपादन करते हैं। देश भक्त और मुनाफाखोर दोनों साथ ही साथ इस सम्बन्ध में कार्य करते हैं।

आधुनिक औद्योगिक सम्पत्ता रूपी शरीर के लिए खनिज पदार्थ रीढ़ की हड्डी के समान है। राजनीतियों, व्यापारियों और अधिक राष्ट्रवादियों के विचारों में उनको समान रूप से महत्व दिया जाता है। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व प्रत्येक राज्य प्रायः आत्मनिर्भर था। किन्तु मशीनों और वायु शक्ति के आविष्कार के पश्चात् एक नवीन आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसकी मूल आवश्यकताएँ बहुत बड़ी मात्रा में कोयला और लोहा थी। जिन राष्ट्रों ने पास यह मूल खनिज पदार्थ थे जैसे—ब्रिटेन, जर्मनी और अमरीका, वे बिद्व के महान् औद्योगिक राष्ट्र हो गये। इन यात्रिक विकासों के कारण यह राज्य पुराने कृषि व्यवस्था पर आधारित राज्यों को शक्ति और साधनों में हराने में सफल हो गये। किन्तु औद्योगिक विकास के साथ ही साथ राष्ट्र की सीमाओं के बाहर उपलब्ध खनिज पदार्थों की प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। कृषि प्रधान राज्यों ने अपने औद्योगिकीकरण के लिए यथेष्ट राजनैतिक और सैनिक कारणों से भी उतनी ही कोशिश की जितनी अपने नागरिकों के लिये अधिक समृद्धि और उच्चतर आर्थिक स्तर प्राप्त करने के लिए की। इन मूल खनिज पदार्थों के लिये अत्यन्त ही कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और राज्यों की नीति सदैव ऐसे खनिज पदार्थों के नियन्त्रण द्वारा अधिक से अधिक राजनैतिक व आर्थिक लाभ उठाने की रही है।

ये मूल खनिज पदार्थ विश्व के कुछ भागों में पाये जाते हैं और वह भी सीमित मात्रा में हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और विभिन्न धातुएँ विश्व के कुछ भागों में हैं और इनके उपलब्ध होने की भी निश्चित सीमाएँ हैं। महत्वपूर्ण कृषि से प्राप्त होने वाले साधन जैसे कि रबर, रुई, चोनी, गेहूँ आदि का यद्यपि उत्पादन निरन्तर चल सकता है किन्तु ये भी विश्व के केवल उन्हीं प्रदेशों में हो सकते हैं जहाँ की मिट्टी और जलवायु इनके लिए उपयुक्त है।

बड़े-बड़े पूँजीपति अधिक लाभ की खोज में और अत्यधिक उपभोक्ता सस्ते माल की खोज में अपनी सरकार से सहायता व हस्तक्षेप की आशा करते हैं। राष्ट्रीय सरकारें ऐसी सहायता देने के लिए सदैव रहती हैं क्योंकि ऐसे खनिज पदार्थों का नियन्त्रण और उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक एवं सैनिक शक्ति उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में वृद्धि करने में सहायक होती है। ये जहाँ तक सम्भव हो, इन खनिज पदार्थों के स्रोतों का स्वतन्त्र रूप से नियन्त्रण करना चाहते हैं ताकि इनकी उपलब्धि युद्धकाल में सुरक्षित रहे और दूसरी सरकारें या दूसरे राष्ट्रों के उत्पादक एक बीमों निर्धारित

न कर सकें। इन सबके परिणामस्वरूप राष्ट्र के भीतर एकाधिकारी कम्पनियों की कम्पनियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ और यह काट्टेस प्रन्तर्राष्ट्रीय भीमता को निर्धारित करते हैं। ऐसी राष्ट्रीय धार्मिक महत्वाकांक्षाओं के कारण तेस बूटीती तथा तेस साम्राज्यवाद यदि बर्दाश्तकी का जन्म हुआ है और इन सबका उद्देश्य है सम्पूर्ण विश्व के मूल राजिज पदार्थों पर एक ही राष्ट्र का एकाधिकारी नियन्त्रण हो।

मध्यपूर्व के लिए तेस एक अभिगाप बना हुआ है। कई महान् राष्ट्रों ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और इस मूल राजिज पदार्थ को अपने राष्ट्रीय नियन्त्रण में लाने के लिये प्रयत्न किये हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने साम्राज्यवादी कर और दूसरे देशों के लिये बन्द द्वार की नीति अपनाई थी। इसी कारण से समुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले १०० वर्षों में खुले द्वार की नीति के लिये आन्दोलन किया था। ब्रिटेन ने रूमानिया के मुट्ट में हस्तक्षेप करके उसके तेल के साधनों पर नियन्त्रण प्राप्त किया था और १९१४ से पूर्व ब्रिटेन तथा जर्मनी मध्य-पूर्वी तेल के लिए एक दूसरे से उग्र प्रतिद्वन्दिता कर रहे थे। यही दूसरे राजिज पदार्थों के लिये भी कहा जा सकता है।

राजिज पदार्थों के पश्चात् अपना मात बेचने के लिये बाजार की आवश्यकता एवं प्रतिद्वन्दिता प्रारम्भ होती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए प्रत्येक बाजार प्राप्त करने की चेष्टा करता है। दूसरे देशों के बाजार पर पूर्ण नियन्त्रण पूंजीपति और राष्ट्रीय सरकार दोनों के लिये लाभदायक है। पूंजीपति के लिये इसका धर्म होगा—अधिक उत्पादन तथा अधिक लाभ, और राज्यों के लिये इसका धर्म होगा—धार्मिक, सैनिक शक्तियों में वृद्धि। १७वीं व १८वीं शताब्दी में बालिग्यवादी धर्म-शक्तियों की विचार-धारा के अनुसार सरकार के लिए राष्ट्रीय धन और समृद्धि में वृद्धि के उद्देश्य में व्यापार का नियन्त्रण करना आवश्यक था। उस काल में सोने को ही धन माना जाता था और बाहर में अधिक से अधिक सोना प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय सरकारें निर्वात को बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक हार प्रकार की सहायता देती थीं और आयात को रोकने के लिए या निरस्तारहित करने के लिए कर आदि लगाती थीं। उपनिवेश और उनके मातृदेशों के बीच में व्यापार केवल मातृदेश के नागरिक ही कर सकते थे क्योंकि उस समय यह समझा जाता था कि हमारे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होगी। ब्रिटेन और स्पेन ने एकाधिकारी औपनिवेशिक व्यापार के लिए कई युद्ध मड़े थे।

बालिग्यवादी धार्मिक सिद्धान्त तर्क-संगत नहीं है। निर्वात सभी सम्भव है जबकि उगने पाप-पाप आयात भी हो और यदि प्रत्येक राष्ट्र केवल निर्वात का ही प्रयत्न करेगा और आयात को रोकने या कम करने का प्रयत्न करेगा तो धीरे-धीरे सम्भव प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द हो जायगा क्योंकि आयात करने वाले राष्ट्रों के पास उम आयात के लिए धन नहीं रहेगा। १९ वीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार और धार्मिक

क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप न करने की नीति के सिद्धान्तों का जन्म हुआ। मध्यम वर्गीय धर्म-शास्त्रियों ने भी राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट डालता है। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रीयता के स्थान पर आर्थिक व्यक्तिवाद को अपनाया। १८४६ में ब्रिटेन ने अपने कानून लॉ का अन्त कर दिया और स्वतन्त्र व्यापार की नीति को अपना लिया। संयुक्त राज्य अमरीका ने भी १८३०-६० तक विदेशी माल पर करो में यथेष्ट कमी कर दी। जर्मनी ने १९ वीं शताब्दी के मध्य में प्रायः विदेशी व्यापार के ऊपर करो का अन्त कर दिया। इस नवीन सिद्धान्त के प्रभाव से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप अत्यन्त ही सीमित हो गया। किन्तु १८७० के पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में इस सिद्धान्त के प्रति एक प्रतिक्रिया हुई और विपन्न की सरकारों ने पुनः आर्थिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को अपनाया। विदेशी माल को रोकने के लिए करो में वृद्धि की और फिर से खनिज पदार्थों व वाजारों की खोज प्रारम्भ की। सक्षेप में, उन्होंने पुनः राष्ट्रीय, आर्थिक आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त को अपनाया। विदेशी माल पर अधिक कर लगाने से राष्ट्रीय उत्पादक अपने राष्ट्रीय बाजार पूरी तरह भोपण कर सकता है। वह एकाधिकारी कीमते उपभोक्तानो से वसूल कर सकता है और उसे इन कार्यों में विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता न होगी। इसके द्वारा गुरानी रीतियों से उत्पादन करना सम्भव होगा और अयोग्य उत्पादकों को भी यह उत्पादन क्षय में सुरक्षित रखता है क्योंकि इसके द्वारा उसे विदेशी प्रतियोगिता से शरण मिल जाती है। यद्यपि इन कारणों से सम्पूर्ण राष्ट्र को आर्थिक हानि ही होनी है किन्तु फिर भी राज्य को राजनीतिक लाभ होता है और राष्ट्र के उस वर्ग को जोकि राष्ट्रीय सरकारों की नीति को नियन्त्रित एवं प्रभावित करता है, आर्थिक लाभ होता है।

यह पूँजीगति अपने अतिरिक्त माल को राष्ट्र के बाहर बेचना चाहते हैं और इसमें यह राष्ट्रीय सरकारों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए सरकारें रेल तथा जहाज के द्वारा माल ले जाने के किराये में कमी करने तथा उन खनिज पदार्थों पर, जिनको कि उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का रूप देने के पश्चात् पुनः निर्यात किया जायगा, कर वापिस सौदा देती है।

इन नीतियों का तर्क-संगत अन्त यह होता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार अपने नागरिकों के लिए राष्ट्र के बाहर निर्मित कोई भी वस्तु खरीदना सम्भव कर देती है अपनी सम्पूर्ण शक्ति बिना बाहर से खरीदे हुए, अपना माल बाहर बेचने के लिए उपयोग में लाती है। इस नीति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यथेष्ट रूप से बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और प्रत्येक राष्ट्र बिना आघात किए हुए निर्दान के इन प्रयत्नों को दूसरे सब राष्ट्र भी अपने यहाँ पूर्ण शक्ति से विरोध करने लगते हैं। प्रायः इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिरोध को सुलझाने के लिए व्यापारिक सन्धियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर समझौते आघात और निर्यात अन्वय तथा अप्रावृत्तिक विश्व

व्यापार नियन्त्रण एवं पूर्ण सरकारी नियंत्रण के द्वारा भागं खोजने का प्रयत्न किया जाता है। १९३० के पश्चात् के इन नवीन आण्ड्रियवादी सिद्धान्त में अन्तर्गष्ट्रीय व्यापार का अस्वाभाविक रूप से मला घोट कर एक विश्व व्यापार माट उत्पन्न कर दिया है।

आर्थिक साम्राज्यवाद का तृतीय और अन्तिम चरण पूँजी के निर्यात के साथ प्रारम्भ होता है। औद्योगिक क्रान्ति के प्रथम भाग में खनिज पदार्थ, द्वितीय भाग में बाजार और अन्तिम भाग में पूँजी का निर्यात होता है। प्रत्येक राष्ट्र के औद्योगिक विभाग में एक समय ऐसा अवश्य आता है जबकि पूँजी का निर्यात मास के निर्यात से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। पिछले हुए देशों में पूँजी के निर्यात से अधिक लाभ की सम्भावना है क्योंकि यहाँ पर अच्छा मास और धर्म अधिक सरता है और इसलिए उत्पादन में कम व्यय होता है और बाजार भी उत्पादन केन्द्रों के निकट में ही स्थित है। यह पूँजी का निर्यात, विनियोग राजनीति को जन्म देता है।

ब्रिटेन विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र था जिसने कि सर्वप्रथम पूँजीवाद के तृतीय चरण में प्रवेश किया और पूँजी का निर्यात किया। १९११ तक ब्रिटेन की विदेशों में विनियोग की हुई पूँजी १९ अरब ५० करोड़ डालर थी और इस विनियोग में १ अरब डालर प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही थी। जर्मनी के विदेशों में ६ अरब ७० करोड़ डालर उद्योगों में लगे हुए थे और इनके विनियोग में २५ करोड़ डालर प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही थी। फ्रान्स का इन समय विदेशी विनियोग ८ अरब डालर का था और उगमे ५० करोड़ डालर प्रति वर्ष वृद्धि हो रही थी। प्रायः योरोपियन पूँजी का ४० करोड़ डालर प्रतिवर्ष समुक्त राज्य अमरीका में विनियोग था जबकि समुक्त राष्ट्र अमरीका ने स्वयं बनाया, योरोप और कैरिबियन क्षेत्र में १९१४ तक २ अरब ५० करोड़ डालर की पूँजी निर्यात की थी। किन्तु प्रथम महायुद्ध ने विदेशी पूँजी की स्थिति में एकदम परिवर्तन कर। समुक्त राज्य अमरीका जोकि उस समय तक श्रेणी देश था प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विश्व का सबसे बड़ा महाजन राष्ट्र हो गया। योरोप में अमरीका के श्रेण और विनियोग में ७५ करोड़ डालर से वृद्धि होकर ५ अरब ५० करोड़ डालर हो गए। बनाया में ६५ करोड़ डालर से ४ अरब ५० करोड़ हो गए तथा दक्षिण अमरीका में १० करोड़ डालर से ३ अरब डालर हो गए। अमरीका से पूँजी का यह निर्यात इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि १९११ तक सरकार के द्वारा श्रेण दिए गए धन के अनिश्चित अमरीकी पूँजीपतियों के १८ अरब डालर विदेश जा चुके थे और १९१४ में १९२६ के युद्ध युग में योरोपियन राष्ट्रों का वैदेशिक विनियोग की इसी अनुपात से कमी हो गई।

यह स्वाभाविक ही है कि विनियोग करने वाले राष्ट्र तथा जिस राष्ट्र में विनियोग होता है उन दोनों के बीच विरोधों और विभिन्न होंगे। वैदेशिक राष्ट्रीय नीति

का एक महत्वपूर्ण आर्थिक ज्ञान माना जाता है और इसके द्वारा पूँजीपति राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रभाव एवं शक्ति की वृद्धि करते हैं। इन राष्ट्रों की सरकारें बूटनीति और परीक्षा बल प्रयोग के द्वारा भी औद्योगिक विनियोग की रक्षा करती हैं। यह रक्षा पेशल उस औद्योगिक विनियोग को प्राप्त नहीं होती है जिसको कि राष्ट्र की सरकार राष्ट्र के हित के विरुद्ध समझती है और इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारें अग्रिम रूप से पूँजी के औद्योगिक विनियोग पर नियन्त्रण करने में सफल होती हैं। यदि इस औद्योगिक विनियोग का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण होता तो राष्ट्रीय सरकार कपट, घेईमानी आदि को बन्द करने के लिए उचित हस्तक्षेप करती और उनके द्वारा ऋण देने वाले से देने वाले को उचित गन्धर्व प्राप्त होता। किन्तु पूँजी का यह औद्योगिक विनियोग साम्राज्यवाद के कारण कुछ और भी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार के द्वारा इस औद्योगिक विनियोग के नियन्त्रण के विरुद्ध चार मुख्य राजनीतिक दृष्टि से आलोचनाएँ की गई हैं और वे इस प्रकार हैं—

- (अ) औद्योगिक ऋण प्रायः अपने मित्र राष्ट्रों का बलवान् बनाने के लिए दिए जाते हैं।
- (ब) अपने शत्रुओं को निबल रखने के लिए इन औद्योगिक ऋणों की रोक जाता है।
- (ग) इनका उपयोग प्रायः राष्ट्रीय नीति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में किया जाता है और इनके द्वारा निबल और विच्छेद हुए राष्ट्रों की सरकारों से राजनीतिक, आर्थिक व वित्त सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।
- (द) इन ऋणों के द्वारा पूँजीपति राष्ट्रों की सरकारें विच्छेद हुए और निबल राष्ट्रों की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पर अपना नियन्त्रण प्राप्त करती हैं और उन पर अपनी अग्रिम प्रभुता स्थापित करती हैं।

नारंगी जर्मनी, फारिसट इटली तथा साम्यवादी रूस में अधिनायकतावादी सरकारें राजनीतिज्ञों को भीमते निरिधत करने, वेतन निर्धारण करने, उत्पादन सम्बन्धी योजना बनाने, आयात व निर्यात, धन और साधन के नियन्त्रण करना, व्यापारिक प्रतियोगिता को दबाने आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकारी मनोवृत्ति की वृद्धि करने और सम्पूर्ण राष्ट्र की एक आर्थिक इकाई की भाँति शासित करने के अधिकार देती हैं। व्यापार और वित्त सम्बन्धी इस पूर्ण नियन्त्रण का उद्देश्य है—इनको राजनीतिक और वैश्व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाना। अधिनायकतावादी राज्य जोकि औद्योगिक विनियोग का नियन्त्रण करते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को घटत-बदल के आधार पर चलते हैं, अपने व्यापारियों को इस बात पर बाध्य कर देते हैं कि वह माँग और पति के प्राकृतिक विनियमानुसार न लारी दें व बेचें किन्तु राष्ट्रीय नीति की

अपना पडा तथा अपने प्रतिस्व के लिए अमरीकी शनों पर आर्थिक सहायता स्वीकार करनी पडी ।

(८) इस महायुद्ध से विश्व के आर्थिक क्षेत्र में अमरीका का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया है । इस काल में समुक्त राज्य अमरीका ने अपने उत्पादन, को प्रायः दुगुना कर लिया और अपने वैदेशिक व्यापार में अत्यधिक वृद्धि की । अपने आर्थिक जीवन-स्तर को ऊँचा उठा लिया । युद्धकालीन नियन्त्रण का अन्त कर दिया । खुले हुए बाजारों की नीतियाँ अपनाई और उसे १९४८ में एक ऐसे विश्व का समना करना करना पडा जोकि अमरीकन उद्योगों और क्षेत्रों का इस निरन्तर बढ़ते हुए उत्पादन को खरीदने में असमर्थ था और अपना माल बेचने के लिए अमरीका को डालर सहायता इन देशों को देनी पडी ।

द्वितीय महायुद्ध ने पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था को प्रायः विनष्ट कर दिया था । राष्ट्र के द्वारा अपनाए हुए अर्थ प्रवन्धों के द्वारा इस स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । खाद्य सामग्री और कच्चे माल को खरीदने के लिए न उनके पास उत्पादन शक्ति ही बची थी और न उनके बेचने के लिए बाजार ही थे । युद्धोत्तर युग में इस प्रकार एक आश्चर्यपूर्ण स्थिति का विकास हुआ । योरोप जूँकि कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के आयात को ब्रीमन नहीं चुका सकता था इसलिए योरोप में करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हो गए और भूख मरने लगे । दूसरी ओर अमरीकी आर्थिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह योरोपीयन बाजारों के लिए निर्यात करे क्योंकि इसके बिना उनके उद्योगों के बन्द हो जाने का भय था । और इन उद्योगों के बन्द होने पर बेरोजगारी में वृद्धि और उनके फलस्वरूप अमरीकी जीवन स्तर के नीचे गिरने का भय था ।

इस जटिल समस्या का समुक्त राज्य अमरीका ने १९४५-४६ के बाल में योरोप को बचेष्ट माल दान में देकर किया । अमरीकन उत्पादकों को समुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा या नोट छापकर कीमत चुकाती रही और योरोप में उपभोक्ताओं में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में प्राप्त की हुई सामग्री के लिए कीमतें चुकाई परन्तु योरोपीय राष्ट्र न तो अमरीकन बाजारों को अपना माल निर्यात करके ही डालर प्राप्त कर सकते थे न वे निजी अमरीकन स्रोतों से प्राप्त ले सकते थे और उनके पास अमरीकन सरकार द्वारा दिए गए माल की डालर मुद्रा में कीमत चुकाने का कोई साधन नहीं था । अन्तिम रूप में इस काल की कीमत को अमरीकी राष्ट्र को ही चुकाना पडा । इस अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक व्यवस्था से युद्धोत्तर युग के सबसे सकटपूर्ण काल में योरोप को जीवित रखा गया और इसके द्वारा साथ ही साथ समुक्त राज्य अमरीका में भी पूर्ण उत्पादन तथा पूर्ण रोजगार कायम रखा गया । इस युग में अम-

रोका मे १६ घरब डालर प्रतिवर्ष के हिमाज से निर्यात किया और इसके वैदेशिक व्यापार मे हमको १ घरब डालर प्रति माह की प्राय हुई। इम वैदेशिक निर्यात को बनाए रखने के लिए तथा विश्वव्यापी रक्षा-संघटन को स्थापित करने के लिए धमरीकी सरकार की राष्ट्रीय बरों मे निरन्तर वृद्धि करती रही और इस कारण से वस्तुओं की कीमतों मे भी निरन्तर वृद्धि हुई। इन कीमतों की वृद्धि से दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए। प्रथम तो, धमरीकी उत्पादन की एक अप्राकृतिक वृद्धि हुई तथा साथ ही साथ दूसरी ओर, हमने उपभोक्ताओं की क्षय-शक्ति मे भी यथेष्ट कमी की और इस ओर कारण धमरीका के बिनास उद्योगों के अभूतपूर्व उत्पादन के लिए बाजारों को निरन्तर बमी पढ़ने लगी।

यूरोपियन धारोग्य व्यवस्था (European Recovery Programme) जो कि समुक्तराज्य धमरीका के द्वारा मार्शल योजना के रूप मे प्रस्तावित हुई थी और जिसके कि विश्व साम्यवाद की प्रगति को रोकने लिए तथा क्रैमलिन की नीतियों के विरुद्ध प्रतियोजना के रूप मे प्रस्तावित किया गया था। यथायं मे योध्य की धार्मिक व्यवस्था, शक्ति व पूर्व पश्चिम के प्राकृतिक व्यापार पर किसी प्रकार की भी अप्राकृतिक सहायना के अपेक्षा अधिक धारणित है। औद्योगिक पश्चिमी योध्य तथा कृषि-प्रधान पूर्वी योध्य धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे की पूति करते हैं तथा दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। गुट्ट-बन्दी ने योध्य को विभाजित कर दिया; उनके बीच अप्राकृतिक प्रतिबन्ध एव सम्बन्धों को स्थापित किया जिन्के कारण दोनों ओर के योध्य का धार्मिक सन्तुसन नष्ट हो गया और धारधार्मिक मानवीय बन्ध उठाना पडा। फिर यह धमरीजन सहायना निस्वार्थ नहीं थी। इम सहायना के साथ एक आवश्यक शर्त यह थी कि इन राष्ट्रों को साम्यवाद के विरुद्ध धमरीकी धार्मिक विश्व-गुट्ट में शामिल होना पड़ेगा। धमरीकी धार्मिक न इम सहायना के प्राप्त करने वाले राष्ट्रों पर ऐसी धममानजनक शर्त लगाई जिनकी कि कोई भी स्वामिमानी राष्ट्र सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकता था और जिनके कारण साम्यवादी राष्ट्रों को धमरीका के विरुद्ध प्रचार करने का एक उत्तम एवं दृढ़ आधार प्राप्त हुआ।

पृथक्ता की इन शर्तों के धनुमार धार्मिक सहायना प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को अपनी स्थानीय मुद्रा मे एव पृथक् शर्तों में प्राप्त की हुई सहायता के बराबर ही वित्त जमा करना होगा। यह धन धमरीका के राष्ट्रपति के नियन्त्रण में रहेगा और इमका ध्यय धमरीकी सरकार के निर्देशन के धनुमार होगा। इन राष्ट्रों को प्राप्त की हुई सहायता को पूर्ण प्रशानन देना होगा ताकि उनके नागरिक और सम्पूर्ण विश्व की धमरीकी का उदारता जान हो जाय। सहायता में प्राप्त हुई वस्तुओं का धमरीका की धार्मिक के बिना निर्यात नहीं कर सकते थे। इम विशेष स्थान के धन के वितरण में तथा इस सहायता के वितरण में धमरीकी धार्मिकारियों द्वारा निर्देशण उन राष्ट्रों को

स्वीकार करना होगा। अन्त में अमरीका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी शर्त भंग हो तो वह ऐसी सहायता को बन्द करदे। इन शर्तों का अध्ययन करने से हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं कि सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्र को अपने आर्थिक क्षेत्र में अमरीकी प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ा तथा उनको इस कारण से अपमानजनक स्थिति में इस सहायता ने पहुँचा दिया था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान स्वतन्त्र विश्व पर अमरीका का आर्थिक आधिपत्य छाया हुआ है। यह उन बहुत से राष्ट्रों की नीति के एव आर्थिक व्यवस्थाओं के नियन्त्रण करने का प्रयत्न कर रहा है जिन्होंने इससे आर्थिक सहायता प्राप्त की है। यह एक नवीन प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद है और इसके मुख्य उद्देश्य अमरीकी सुरक्षा योजना को हढ़ बनाना तथा अमरीका की विशाल औद्योगिक व्यवस्था को चलाने के लिए कच्चा माल, बाजार और शक्ति प्राप्त करना है तथा इनके द्वारा संविधान सभ से अवश्यम्भावी युद्ध की नीतिना है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो अमरीका के इस युद्धोत्तर आर्थिक साम्राज्यवाद में और इस शताब्दी के पहले दशमाश के केन्द्रीय और दक्षिण अमेरिका में डालर कूटनीति और 'थॉकी साम्राज्यवाद' में कोई विशेष अन्तर नहीं है। केवल उद्देश्यों में ही परिवर्तन हुआ है यह सम्पूर्ण विश्व पर आर्थिक नियन्त्रण के उद्देश्य से है।

संयुक्त राज्य अमरीका की वैदेशिक नीति

संयुक्तराज्य अमरीका की वैदेशिक नीति के मूलाधार १८२३ से प्रारम्भ होते हैं जो कि इस सम्बन्ध में एक धारणा ही महत्वपूर्ण बर्ण है। इस बर्ण से अमरीकी वैदेशिक नीति का एक नया युग प्रारम्भ होता है। इस बर्ण में राष्ट्रपति जुनरो ने अमरीका के द्वारा सम्पूर्ण पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा की गारन्टी दी थी तथा इस निश्चित नीति की घोषणा की थी कि यह पश्चिमी गोलार्ध में योध्य या क्रिटी या विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के द्वारा भी ऐसे हस्तक्षेप का विरोध करेगा। यह घोषणा बिना सोचे समझे या दृष्टिक्रम के नहीं की गई थी। राष्ट्रपति जुनरो ने भूतपूर्व राष्ट्रपति मैडिसन तथा जेफर्सन से विचार-विमर्श के करने पश्चात् तथा ब्रिटिश मनी जार्ज कैनिङ्ग के अमरीकी राज-दूत रिचार्ड के यह धारणाएँ दे देने के पश्चात् कि ब्रिटेन की नी-सेना पश्चिमी गोलार्ध के विरुद्ध योरोपियन साम्राज्यवाद के प्राक्रमण होने पर अमरीका की सहायता करेगी, के पश्चात् यह घोषणा की गई थी।

नेपोलियन द्वारा स्पेन की विजय के पश्चात् जब योध्य में घोर स्वयं स्पेन में पूर्ण राजनीतिक अव्यवस्था घोर अराजकता उत्पन्न हो गई थी, उस काल में दक्षिण अमरीका में स्थित स्पेन के उपनिवेशों ने एक सफल विद्रोह के द्वारा अपने को स्वतन्त्र कर लिया था। संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग को यह भय था कि स्पेन पश्चिम-नाम्न वाले देशों की सहायता से इस विद्रोही उपनिवेशों पर पुनः अधिकार स्थापित करने की चेष्टा करेगा और इसीलिए जुनरो सिद्धान्त की रचना हुई थी। इन अमरीकी उपनिवेशों पर स्पेन का पुनः अधिकार ब्रिटेन के हित के भी विरुद्ध था क्योंकि ऐसा होने से योध्य का शक्ति-सन्तुलन पश्चिम-नाम्न वाले राष्ट्रों के पक्ष में हो जाता और इससे ब्रिटेन की वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त—योध्य में शक्ति-सन्तुलन की हानि पहुँचती। दक्षिण अमरीका पर योरोपीय राष्ट्रों का प्रभुत्व और अधिक

हितो को भी गम्भीर हानि होती। समुक्तराज्य अमरीका की विवक्षित होती हुई आर्थिक व्यवस्था को अधिक बरुचे माल और बाजारो की आवश्यकता थी जो कि उसे केवल पश्चिमी गोलार्द्ध और एशिया के उन प्रदेशो मे प्राप्त हो सकते जिनमे किसी भी योरोपीय राष्ट्र का प्रभुत्व नहीं था।

अमरीकी और दक्षिण-अमेरिकन राष्ट्रों के नेताओं को ब्रिटेन के द्वारा नौ सैनिक रक्षा आश्वासन महत्व पूर्णतः शांत था। डेवस्टर पब्लिस ने अपनी पुस्तक मे लिखा है कि दक्षिण अमरीका के नेताओं की दृष्टि—

“सहायता के लिए समुद्रो की मत्का पर थी न कि उत्तर के नवयुवक गणतन्त्र पर.....” और जब सचट निश्चित रूप से टल गया था तब इन सय व्यक्तियों ने यह पूर्णतः स्वीकार किया कि ब्रिटेन का दृष्टिकोण ही वास्तव मे निर्णायक था। यद्यपि उन्होंने समुक्त राज्य अमरीका के इस सम्बन्ध मे वार्ध की अवहेलना नहीं की थी। यह आविष्कार अत्यधिक अशो मे काल भ्रम से पूर्ण होगा यदि हम १८२३ मे अपरिपक्व अमरीकी प्रजातन्त्र की उस शक्ति के, जिनका सम्मान और जितकी शक्ति नेपोलियन की वाटरलू की हार के ८ वर्षे पश्चात् न कभी इससे अधिक प्रभावशाली थी, के मुकाबले मे अधिक महत्व दें।”

(हेन्स आफ ए हिस्ट्री आफ बी मुनरो डीस्ट्रीन)

समुक्त राज्य अमरीका की जनता कभी भी ब्रिटेन के नौ सैनिक सारक्षण तथा मुनरो सिद्धान्त के निर्माण और बनाए रखने मे जो सहयोग दिया था उसके महत्व को सम्पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ रही। यद्यपि मे मुनरो सिद्धान्त पर ब्रिटेन अमरीका का यह समझौता गुप्त तथा अज्ञात था और इसको कभी भी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया। ब्रिटेन के लिए समकालीन योरोपीय राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वे स्पष्टरूप से दक्षिण अमरीकी गणतन्त्रो की स्वतन्त्रता को माग्गता नहीं दे सकता था। इसीलिए अमरीका के विदेशमन्त्री जीन बिचम्ली एडम्स ने इस गुप्त समझौते का विरोध करते हुए कहा था कि ब्रिटेन भय भी—

“अपनी नीति की शक्ति और भौतिक शक्तो के विभाजन और वितरण के अनुसूच करने के लिए स्वतन्त्र होगा जो कि पिछली शताब्दी से समस्त योरोपियन राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अन्तिम निर्णय का सिद्धान्त रहा है।”

इन कारणों से मुनरो सिद्धान्त को अमरीका के एक-तरफा सिद्धान्त के रूप मे घोषित किया था। ब्रिटेन द्वारा कोई भी स्पष्ट भया लिखित समझौता न होने से कारण

योरोपीय राष्ट्रों द्वारा इसके भंग होने की सम्भावना सदैव रही है। इनकी बनाए रखने में दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक हित ही इसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण गारन्टी के धोर इस अस्पष्टता का कुछ वर्षों पश्चात् अत्यन्त ही गम्भीर परिणाम हुआ। १८६३ में नेपोलियन तृतीय ने मुनरो सिद्धान्त को भंग करने मैरिबोरो में फ्रांस का एक बठपुतली साम्राज्य स्थापित किया था। यदि नेपोलियन को इस कार्य में सफलता मिल जाती तो पश्चिमी गोलार्ध में इसके अत्यन्त ही गम्भीर परिणाम होते। फ्रांस ने साइ जॉन रसेल तथा स्पेन से स्पष्ट व तिर्यक समझौते की अनुपस्थिति में इस साम्राज्य की स्थापना के लिए स्वीकृति लेने में सफल हो गया। अमरीका स्वयं इस समय गृहयुद्ध से पीड़ित था और इसलिए मुनरो सिद्धान्त को भंग होने से रोकने में अक्षम था।

यद्यपि नेपोलियन के साम्राज्य स्थापित करने का यह प्रयत्न फ्रांस की परेनू समस्याओं तथा कुछ समय पश्चात् ब्रिटेन की महायत्ना न रहने के कारण असफल रहा किन्तु फिर इसके अमरीकी राजनीतिज्ञों का ध्यान, मुनरो सिद्धान्त की इस कमी एवं निर्बलता की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित किया। अमरीका अनेक मैरिबोरो की प्रगतीशील शक्तों से शाली सम्भवतः न करा पाता किन्तु फिर भी इस अनुभव को समुक्त राज्य अमरीका के नेताओं ने तथा जनता ने पूरी तरह से नहीं सीखा। उन्होंने कभी भी मुनरो सिद्धान्त के निर्माण में बनाए रखने में ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति के योग एवं अनुदान के महत्व को पूर्णतः नहीं समझा। ब्रिटेन के साथ इस प्रकार की अस्पष्ट सन्धि से अमरीकी जनता के आत्मविश्वास की घबराहट जनता और बोर्ड भी राष्ट्रपति ऐसी सलाह देने का साहस नहीं कर सकता था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अमरीकी बौद्धिक नीति के मूल सिद्धान्तों का इनका अस्वभाविक अर्थ करते हुए भी अमरीका ने धीरे-धीरे मुनरो सिद्धान्त की विस्तृत सीमाओं में भी बाहर अपने उत्तरदायित्व में निरन्तर वृद्धि की। १८४४ में कैलेव वशीण ने एक सन्धि द्वारा चीन से कुछ बन्दरगाहों में व्यापार करने लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया। १८५३ में कमाडोर पेरी ने जपान की सन्धि के द्वारा जापान को अमरीकी व्यापार के लिए खोल दिया। १८५७ में सेवाने ने रूस से अस्ताना करीब लिया जो कि एक सामरिक महत्व से परिपूर्ण स्थान था और त्रिमकी स्थिति रूस की सीमाओं में कुछ ही मील दूर तथा जापान से कुछ १०० मील ही दूर थी।

किन्तु इतने पर भी अमरीका को गंभीर न हुआ और प्रगति सागर में अमरीकी शक्तों में प्रगति होगी रही तथा अमरीका की सामरिक सीमा अर्ध-प्रगति तक पहुँच गई। १८७८ में गैमोसा के पैगो-पैगो नामक स्थान पर व्यापारी जहाजों के लिए एक बोस्ते का स्टेशन छोड़ा गया। १८६८ में हुवाना द्वीप-समूह तथा विर्जिनिया पर अमरीका ने अपना आधिपत्य जमाया। इस समय अमरीकी सामरिक सीमाओं का यूटिन में विस्थापन से मिरबे द्वीप छोड़ा हुई गैमोसा तक एक विस्तृत अर्ध-व्यापार

७५० से पश्चात् महासागर में ३००० गीत तक पहुँची हुई थी। फिजीपाइथा ने वाराणसी भी अमेरिका पर विशेष उत्तरदायित्व था पड़े। मनीला को केन्द्र मानकर यदि एक गोलाई खींचा जाय तो १५०० गीत के व्यापार में अफान का भौतिक विभाग, संयुक्त कोरिया, चीन की अधिकांश भाग, फिलीपींस हिन्द चीन, मलाया तथा अफान इन्डोनेशिया के क्षेत्र इस गोलाई में आ सकते हैं। फिजीपाइथा पर अधिकार स्थापित करने के पश्चात् अमेरिका ने अपने आपकी पूर्वी एशिया के साम्राज्यों के भौतिक केन्द्र में तथा मातामान की रेखाओं के सामरिक जोराहो पर ध्यान कर लिया था। यह अमेरिका की बुद्धि का सबसे विस्तृत रूप था और इस कारण २ जुलाई १९०० को, जान है ने यह कहा कि "समुक्त राज्य सरकार की महत्तीति है कि वह एक ऐसा हल खोजने का प्रयत्न करे" जो कि दूसरे मतुओं से साथ "चीन की भौतिक और प्रशासकीय इकाई को बनाए रखे" दूसरे शब्दों में, अमेरिका ने इस विचार से उसे शोध्य की उन साम्राज्यवादी शक्तियों से अलग के लिए आग्रह कर दिया जो कि उस समय चीन को अपनी साम्राज्य लिखा का केन्द्र बनाए हुए थी और यही बात बहुत शर्तों में आज भी सत्य है।

यह महत्त्वपूर्ण विस्तार सर्वाि राष्ट्रपति मंकविनो के शब्दों में अमेरिकन जनता पर उन प्रदर्शनों की जनता को ईसाई बनाने शिवाय एवं साथ बनाने के लिए ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व था किन्तु मन्थने में तथा स्पष्ट शब्दों में यह मुनरो सिद्धांत का ही विस्तार था। मुनरो सिद्धांत को मार्ग रूप देने के लिए तथा गोलापकन शक्तियों को पश्चिमी गोलाई से दूर रखने के लिए अमेरिका ने पश्चात् महासागर में अपनी सीमाओं का विस्तार किया एवं सामरिक महत्त्व न छोड़ो का प्राप्त किया। यद्यपि इन सबके पीछे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञेया कि हम बना चुके हैं अमेरिका की उत्पादन शक्ति और विस्तृत होनी हुई आर्थिक आनंदा का लिए आनंदों की खोज थी। यह विशाल उत्तरदायित्व १९१६ तक अमेरिका ने अपने पपर लिए था और एडमरल महात्त्व के शब्दों में इन उत्तरदायित्वों ने मुनरो सिद्धांत पर अशिया के आधिपत्य के सिद्धांत को जोड़ दिया था। किन्तु अमेरिका की वैश्विक नीति अभी अभी अपने उत्तरदायित्वों के भार को महत्त्व करने शोध्य नहीं रही और अमेरिका ने अभी भी इस मान का पूर्ण प्रयत्न नहीं किया कि वह अपने उत्तरदायित्वों और अपनी शक्ति में संतुलन स्थापित करे।

अमेरिकी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति मिमोरोर कमबेस्ट ने एनामा महत्त्व के निर्माण पर जोर दिया ताकि अमेरिकी तो सदा आवश्यकता पड़ने पर एडलांतिक और पश्चात् महासागर में अफाना से पहुँच सके। किन्तु इसकी नीति के दूसरे पक्षों भी हुए जिसके कारण राष्ट्रपति कमबेस्ट और विदेश मंत्री हे को विदेन

से निकट संबंध स्थापित करने पड़े थे तथा चीन में घमगीकी हित धीरे-धीरे किसी सपने के कारण कभी भी ब्रिटेन और अमरीका में सम्बन्ध विच्छेद का अवसर न घटने पावे, इसका प्रयत्न करना पड़ा। इसके कारण समुक्त राज्य के राष्ट्रपति को १९०५-६ में मोरक्को समस्या में ई प्रता से हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति यह स्पष्टतः समझते थे कि एक योरोपीय महायुद्ध होने की दशा में अमरीका और उसके विशाल उत्तरदायित्व को योरोपीय शक्तियों से रखा नहीं हो पाएगी।

किन्तु अमरीकन वैदेशिक नीति का यह संध्याकांक्षी दृष्टिकोण बाद में घाने वाले राष्ट्रपतियों ने नहीं अपनाया। अमरीकन जनता सधि और गुटों के हमेशा विरुद्ध रही है और उनका जो विचार था कि राष्ट्र निर्माताओं के सिद्धान्तों के अनुसार यह विरोध ठीक है। (१८२३-१९ तक ७० वर्ष में मुनरो सिद्धान्त का ठीक प्रकार पालन इसी कारण हो सका कि उसके पालन करने में ब्रिटेन और अमरीका दोनों का हित या धीरे-धीरे इस संबंध में एक स्पष्ट समझौता था। अमरीकनो को सहायक-संधियों के प्रति विरोध की भावना के दो मुख्य आधार १७९६ में वाशिंगटन का विदाई-भाषण तथा १८०१ में जैफर्सन का उद्घाटन भाषण है। वाशिंगटन ने इस संबंध में कहा था कि :

“योरप व अपने कुछ मूल स्वार्थ हैं जिनका कि हमसे कोई संबंध नहीं है या बहुत दूर के संबंध है और इसीलिए हमारे लिए यह ध्वुष्टिपूर्ण होगा कि संप्राकृतिक संबंधों द्वारा हम अपने आपको उसकी राजनीति का सामान्य दोषों में शामिल करें या उसके सामान्य मित्रों और शत्रुओं के गुटों तथा सपनों में भाग लें।”

वाशिंगटन ने यह शब्द उस समय कहे थे जबकि फ्रान्स की राज्य-व्यति अमरीकी जनता की महानुभूति को दृक्कलैण्ड और फ्रान्स के समर्थकों में विभाजित कर रही थी। यह अमरीका को फ्रान्स के सम्पूर्ण गुटों में शामिल नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने यह स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि फ्रान्स के साथ १७७३ की सहायता-सन्धि पूर्ण रूप से एक अस्थायी सन्धि थी। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह नैदानिक दृष्टि से नव प्रकार की सहायक-सन्धियों में विरुद्ध था। इसका केवल यह अर्थ है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप जब अमरीका के हितों की रक्षा के लिए सहायता-सन्धि का आवश्यकता हो तो उसे करना चाहिए और जब ऐसा करने से हानि की सम्भावना हो तब नहीं करना चाहिए।

यह सत्य है कि वाशिंगटन स्थायी सहायता सन्धियों के विरुद्ध था किन्तु साथ ही साथ यह भी सत्य है कि वाशिंगटन और जैफर्सन सब प्रकार की सहायता-सन्धियों के विरुद्ध नहीं थे और उन्होंने स्वयं आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सहायक की सौत्र की थी तथा सहायता-सन्धि को अमरीका के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समझा था। स्वयं जैफर्सन ने राष्ट्रपति मुनरो को ब्रिटेन से समझौता करने के लिए मसाहू दी थी जो

कि उसकी राय में विषय में ब्रिटेन ही ऐसा राष्ट्र था जो कि अमरीका तथा अमरीकी हितों को हानि पहुंचा सकता था। रण और कैनिंग द्वारा किया गया अव्यक्त समझौता बहुत दिनों तक चला किन्तु इस समझौते का आधार कोई लिखित सहायता-सन्धि नहीं थी।

विस्मार्क ने १८७१ में कहा था :

"हमारा यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि अमरीका में कहीं भी हम स्थान प्राप्त करें और हम उस सारे महाद्वीप में अमरीका के प्रभाव के महत्व को स्वीकार करते हैं क्योंकि यह स्वाभाविक ही है और उसका हमारे हितों से पूर्ण सामंजस्य है।"

किन्तु १९०२-३ तक जर्मनी के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो चुका था। जर्मनी ने पश्चिमी गोलार्द्ध में अमरीकन प्रभाव को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया था और साथ ही साथ ब्रिटेन की नौ सैनिक शक्ति से भी कड़ी प्रतियोगिता प्रारम्भ की थी। १९०० से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन तत्व का जन्म होता है और वह यह है—जर्मन नौ सेना और उसके परिणाम स्वरूप नवीन जर्मन साम्राज्यवाद का उदय। मुनरो सिद्धान्त का यह आधार कि एटलांटिक में ब्रिटेन का सदैव पूर्ण प्रभुत्व रहेगा, अब सत्य नहीं था। अमरीका के प्रमुख उत्तर-दायित्व प्रशान्त महासागर में थे और इसलिये अब अमरीका के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया था कि वह अब एटलांटिक महासागर की ओर में आक्रमण के रक्षा करने के लिये एक नवीन नौ सेना का निर्माण करे। किन्तु अब भी अमरीकी जनता और नेता उसी पुरानी वैदेशिक नीति को जिसको कि साधारणतः हम प्रथमत्व की नीति कहते हैं और जिसको वाल्टर लिपमैन ने दिवालियेपन की नीति कहा है, नहीं छोड़ा।

अमरीका ने १९१४ से १६ तथा सितम्बर १९३६ से जून १९४० तक जापान की ही नीति ब्रिटेन को भी निशस्त्र करने की नीति अपनाई और अमरीकी रैडिशल नीति इतनी अधिक इस काल में मजबूती थी कि उसे ब्रिटेन या जर्मनी की नीति में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता था। राष्ट्रपति विल्सन का राष्ट्र तथा के द्वारा राष्ट्रों में गुप्तता आदेशों में भी सहायता संधियों के विरोध में वृद्धि थी। यदि अमरीका राष्ट्रमण्डल में होता तो यह व्यवहार में ब्रिटेन तथा फ्रान्स के साथ में एक प्रकार का गुप्तता के लिये समझौता होता। कम से कम जापान और जर्मनी के पुनर्गोपनीकरण के मामले में ब्रिटेन और अमरीका एक दूसरे के निशस्त्रीकरण का प्रयत्न तो नहीं करते। राष्ट्रमण्डल के अमरीकी विरोधी यह जानते थे कि राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित होने का अर्थ है ब्रिटेन और अमरीका में एक प्रकार की सहायता संधि जिसका कि राष्ट्र ने राष्ट्रपति मुनरो के समय से विरोध किया था। वाल्टर लिपमैन के अनुसार अमरीकी आलोचकों ने राष्ट्र-

संघ को एक छिपी हुई शक्ति राजनीति की सधि भी बताया है तथा यह वास्तविक आधार भी ।

विस्मय तो यह है कि विल्सन ने बिना सहायक सधि के ही सामूहिक सुरक्षा स्थापित करने का प्रयत्न किया । एक प्रकार से यह झण्डों की श्याम कर मामलेट घाटा था । विल्सन की असफलता अमरीकी जनता द्वारा अपनी विदेश नीति की मूल आवश्यकताओं को न समझने का सबसे बड़ा प्रमाण है । १९ वीं शताब्दी का प्रचलित सिद्धान्त २० वीं शताब्दी में भी चलता रहा । और अमरीकी जनता यह मानती रही कि अमरीका ने कभी भी किसी से भी सहायक सधि नहीं की है । उन्हें मुनरो द्वारा स्थापित अव्यक्त समझौते के महत्व की समझने का प्रयत्न नहीं किया गया । १८६८ से १९४१ तक अमरीका ने तीन बड़े युद्धों में भाग लिया किन्तु यद्यपि वे एक भी सच्ची वैदेशिक नीति का निर्माण किया ।

इस शताब्दी के प्रारम्भ में ही अमरीका की नीति केन्द्रीय अमेरिका के राष्ट्र में विशेष रूप में तथा संपूर्ण दक्षिण अमरीका में साम्यवादी वैदेशिक नीति का आधार बालर ब्रूटनीति था । इसने कोलम्बिया में पनामा नहर निर्माण के लिये हस्तक्षेप किया । निकारा गुआ, कोस्टारिका साल्वदोर में सैनिक ब्रह्म स्थापित करने तथा सैनिक पदाथी पर आधिपत्य जमाने के लिये अपने प्रभाव को काम में लाया । इस प्रकार ब्रूटनीति के द्वारा कैरीबियन क्षेत्र में अमरीकी प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई थी । इस नीति के कारण अमरीकी व्यापारियों की अत्यधिक लाभ हुआ और उसने अमरीका को दक्षिण व केन्द्रीय अमेरिका के छोटे छोटे राज्यों के लिये एक भय की वस्तु बना दिया ।

बालर ब्रूटनीति पर आधारित इस वैदेशिक नीति का प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अन्त हो गया और पश्चिमी गोलार्ध के देशों में निवृत्तवर्ती सम्बन्धों की स्थापना की गई तथा पैन अमेरिकन संधि की भी स्थापना हुई । १८९९ में इस पैन अमेरिकन संधि का विकास हुआ जबकि २१ अमरीकी राज्यों का एक सम्मेलन हुआ और इसने सामूहिक सुरक्षा के लिये १९३५ की सीमा घोषणा, १९४० का हवाना एक्ट, १९४५ का चिपल्टेपक एक्ट तथा १९४७ का रायोडीजनेरियो एक्ट के द्वारा मुनरो सिद्धान्त की एक पथीय से बहुपथीय घोषणा का रूप दे दिया । १९४७ का रायोडीजनेरियो एक्ट ने अमरीकन राज्यों को विदेशी एव एक दूसरे के प्रति सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया । निरन्तर होने वाली क्रान्तियाँ तथा सीमा संधियों के कारण और इनसे लाभ उठाने के लिये अमरीकी हस्तक्षेपों की रोकने के लिये इन एक्टों की आवश्यकता पड़ी । अर्जेन्टाइना तथा चाइल का अमरीकी राज्यों के दृष्टिकोण से ब्रूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ने के सिद्धान्त का विरोध के कारण भी समुक्त राज्य और दूसरे अमरीकी राज्यों को सामूहिक सुरक्षा के लिये निवृत्तवर्ती सम्बन्ध स्थापित करने पड़े । इन राज्यों में घुरी शक्तियों के राजदूतों की गुप्तचर कार्यवाहियाँ अमरीका के सुरक्षा प्रशासन को विद्यमान महायुद्ध में अत्यन्त ही कठिनाता का सामना करना पड़ा या विशेषकर उनकी

इस सम्बन्ध में चिन्ता जर्मन सेनाप्री के डाकार पर प्राधिपत्य जमा लेने के पश्चात् जो कि ब्राजील से निकट था काफी बढ गई थी । १९२६ तक विजय और डालर कूटनीति के द्वारा अमरीकी साम्राज्य और प्रभाव का विस्तार २ लाख वर्गमील के क्षेत्र में हो चुका था तथा २ करोड २० लाख जनसंख्या पर उनका राज्य था । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इस प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई और आज इसका विस्तार १४ लाख वर्गमील तथा ७० करोड जनसंख्या पर फैला हुआ हुआ है । अमरीका का सामरिक प्रभाव और क्षेत्र योरुप, दक्षिण अमेरिका, भूमध्य सागर, केन्द्रीय तथा उत्तरी अफ्रीका, निकट पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया तथा विश्व के और कई भागों में फैला हुआ है । अब पुर्तगाल के अधिनायक सलाजार से टर्नर वार्टलेज ने साक्षात्कार में यह प्रश्न पूछा कि पुर्तगाल किस ओर है ? तो उसने यह उत्तर दिया था कि पुर्तगाल निश्चित रूप से अमरीकी प्रभाव क्षेत्र में है । यह उत्तर मिद्ध करता है कि अमरीकी प्रभाव क्षेत्र कितना विस्तृत है ।

युद्धोत्तर युग की अमरीकी वैदेशिक नीति जिसका मुख्याधार ट्रूमैन सिद्धान्त तथा उसके व्यावहारिक रूप मार्शल योजना है और पाइन्ट ४ है, ने पुरानी प्रथकत्व की नीतियों को बहुत पीछे छोड दिया है तथा अमरीका अब सम्पूर्ण साम्यवादी विश्व पर मुनरो सिद्धान्त का लागू कर रहा है । साम्यवाद को रोकने के लिए एक विश्व सामरिक योजना ट्रूमैन सिद्धान्त के द्वारा लागू की गई है वह यह सिद्ध करती है कि ट्रूमैन सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त का ही विस्तृत रूप है । यह भी पूर्णत सत्य है कि मार्शल योजना और पाइन्ट ४ में विश्व का प्रजातन्त्र के लिए बचाने का उद्देश्य तथा प्राथिक राष्ट्रीयता के स्वार्थ दोनों समान रूप से सन्तुलित हैं ।

योरोप के पूर्व और पश्चिम के विभाजन के कारण उत्तम प्राथिक सन्तुलन बिगड़ गया है । युद्ध के पूर्व कृषि प्रधान पूर्वी योरोप तथा औद्योगिक पश्चिमी योरोप एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और इससे दोनों को प्राथिक लाभ था तथा योरोप में इस कारण से प्राथिक सन्तुलन बना हुआ था । अब पूर्वी योरोप को अपने औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुएं सोवियत संघ से मिल जाती हैं परन्तु पश्चिमी योरोप को खाद्य सामग्री तथा बच्चे माल के लिए अत्यन्त ही कठिनाता का सामना करना पड रहा है । पश्चिमी योरोप की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मार्शल योजना का निर्माण हुआ । युद्ध के पश्चात् विश्व के किसी भी राष्ट्र के पास न इतना सोना था न बच्चा माल और न सेनाओं के साधन जिनके द्वारा वे अमरीका के विशाल उत्पादन को खरीद सकते । और अमरीका स्वयं इस कारण से बड़ी प्राथिक कठिनाई में पड गया था । इसके सामने दो ही मार्ग थे—या तो यह अपने उद्योगों को बन्द करके बेरोजगार व प्राथिक स्तरों के पतन की समस्या का सामना करता या वह अपने अतिरिक्त उत्पादन को उन देशों को दान देता जिनको कि उनकी अत्याधिक आवश्यकता थी । किन्तु जिनके पास उसे खरीदने के लिए प्राथिक सामान नहीं थे । मार्शल

योजना में अमरीका की धारत बूटनीति ने एक नवीन रूप में जन्म लिया है और विश्व की राजधानियों को भयभीत करता हुआ साम्यवाद का भूत इस नवीन धारत बूटनीति का सबसे बड़ा सहायक है ।

मुदात्तर समुक्त राज्य अमरीका के पास १ अरब डॉलर प्रति माह की माय थी । और यदि सम्पूर्ण राष्ट्रीय वैदेशिक माय का हिसाब लगाया जाय तो यह १६ अरब डॉलर प्रतिवर्ष में भी अधिक बढ़ती थी । इसमें से पश्चिमी भाग अमरीका ने मोटाप का पुन अवन पवि पर राढ़े होने के लिए अनुदान दिया किन्तु वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवाद को रोकना और अमरीका के लिये सामरिक महत्व में घट्टों का प्राप्त करना था । यह बात यदि हम इन सहायता योजनाओं को ध्यान पूर्वक देखें तो पूरात सिद्ध हो जाती है क्योंकि इन योजनाओं में सामरिक सामग्री प्राधिकार का वाण सामग्री में बड़ी अधिक अनुपात में है । मार्शल योजना का प्रणालन एवं शर्तों भी इसी दिशा की ओर संकेत करती है । इस योजना में सहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक राष्ट्र का सहायता में प्राप्त हुए माल की कीमत अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में विशेष गाने में जमा करनी आवश्यक थी और इस विशेष शर्तों का प्रणालन अमरीका के राष्ट्रपति का प्राधिकार में था । मि० एबरेल हेरीमैन ने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत में इस विशेष गाने का वादन क देशों में प्रणालन किया था और उनके अधीनस्थ प्राधिकारी इस सामान के वितरण का भी निरीक्षण कर सकते थे । यह भी आवश्यक था कि सामान पर स्पष्ट रूप से यह लेबिल लगाया जाय कि यह अमरीका से सहायता रूप में या दान रूप में प्राप्त हुआ है । इस प्रकार से अमरीका ने मार्शल योजना के द्वारा अपना अनिरीक्त माल भी बेच दिया और साथ ही साथ उन राष्ट्रों की जिन्होंने कि इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की थी, प्राधिकार व्यवस्था पर अपना प्राधिकार्य भी जमा लिया है । इन राष्ट्रों को इस सम्बन्ध में अमान्यता शर्तों भी स्वीकार करनी पड़ी थी । इसी कारण से सबसे पहले ब्रिटेन ने इस योजना का विरोध किया तथा इसके अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली सहायता का अन्त किया ।

१९१७ में विन्सन तथा १९४०-४१ में रूजवेल्ट यह स्पष्ट रूप से समझने में कि अखिली वायु तथा इन्फैन्ट अमरीकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है तथा इन नवीन योरोपीय साम्राज्यवादों से अमरीका की रक्षा करने के लिए आवश्यक है । अमरीकी सुरक्षा नीति न तो सैन्यप्रतिस्को में है और न अमरीका के घटसाटिक समुद्र तट पर ही किन्तु यह होना चाहिये कि, विपना, रोम और टोरियो में स्थित है । वास्तव में यह सब सही साम्राज्यवाद से रक्षा प्राप्त करने के लिए है । अमरीका को अपने गृहकार्य के सिद्धान्त को छोड़ना पडा है और सम्पूर्ण विश्व में अपनी प्राधिकार्य माय में घन का अय करना पडा है । इन सब योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अमरीका सुरक्षा की प्राप्ति है न कि जैसा कि अमरीकन साम्राज्यवाद कहते हैं विश्व के नागरिकों को रूजवेल्ट द्वारा बताया गए चार स्वतन्त्रताओं को प्राप्त करनी है ।

१९५१ से टर्मिन सिद्धान्त का एक नया रूप प्रदान किया गया है तब तक यह मुनरो सिद्धान्त के समान ही एक रक्षात्मक सिद्धान्त था। राष्ट्रपति आइज़नहावर ने २ फरवरी १९५३ को अपना वार्शेन को राज्य की दशा का संदेश देते हुये एक नवीन और सक्रिय वैदेशिक नीति की रूप रेखा सामने रखी जिसने कि ट्रूमैन सिद्धान्त के परिवर्तन को ही बदल दिया। राष्ट्रपति आइज़नहावर ने कहा कि—

“हम यह सीख चुके हैं कि स्वतन्त्र विश्व परिचित रूप से अपना तनाव की स्थिति में नहीं रह सकता है और न सदैव ही आक्रमणकारी को समय, स्थान व साधन चुनने दे सकता है जिसके द्वारा वह कम से कम कीमत पर हमें अधिक से अधिक हानि पहुँचाने में सफल हो।”

साधारण भाषा में इसका अर्थ होगा कि यह नवीन प्रशासन की वैदेशिक नीति अब उग्र नीतियों तथा विश्व भर में पूर्ण तैयारी का प्रयत्न करेगी और यह नीति राष्ट्रपति के शब्दों में 'आक्रमणकारी साम्यवाद के बढ़ते हुये दबाव के विरुद्ध होगी।'

इस नवीन नीति के परिणाम स्वरूप सयुक्तराज्य की ७ वीं नौ सेना जो कि चीन और फारमोसा के बीच के समुद्र में युद्ध रोकने के लिये पहरा दे रही थी, हटा ली गई है तथा क्यांग काई शेख को समरीकी घन और शस्त्रों की सहायता से चीन पर पुनः आक्रमण करने की स्वतन्त्रता दी गई। यह स्वतन्त्रता राष्ट्रपति के नवीन सिद्धान्त के एशियाई लोगों को एशियाई लोगों में ही युद्ध करना चाहिए के अनुरूप ही है। जर्मन और जापानी पूर्णगन्नीकरण इसी उग्र नीति के नार्किक परिणाम है। ट्रूमैन सिद्धान्त में यह परिवर्तन रूप की इस नीति के प्रति सम्बुद्धन में किया गया था कि वह अमरीकन शक्ति को अपने मुटु व आधीनस्थ राष्ट्रों से युद्ध करने में ही निरर्थक व्यय कराना चाहता था। १९५०-५३ तक कोरिया में अमरीकन फौजे सयुक्त राष्ट्र सभ के नाम पर उत्तरी कोरिया और चीन की फौजों से निरन्तर लड़ती रही और इस युद्ध में जबकि रूप को केवल शस्त्रों को ही हानि हो रही थी अमरीका की शस्त्रों और सैनिकों दोनों की हानि हुई। दूसरे यदि अमरीका को इन क्षेत्रों में उसभावा रखा जा सके तो उसे पश्चिमी योरोप और निक्ट पूर्व के सामरिक रक्षा क्षेत्रों पर पूर्ण ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा।

अपने सम्पूर्ण इतिहास में सयुक्तराज्य पहली बार अपनी सीमाओं से बाहर निबल कर सम्पूर्ण विश्व में शान्ति-काल में छाया हुआ है। नये अकारा सचि, बगदाद सचि, मनीला सचि आजस सचियों के द्वारा तथा हिन्द-चीन, दक्षिण कोरिया, फिलीपीन, फारमोसा तथा जापान के सामरिक महत्वक्षेत्रों में अमरीकी सैनिक सभू विश्व भर में सदैव अमरीकी सुरक्षा में तलार हैं। मुनरो सिद्धान्त का विस्तार उतना निर्माण करने वालों की अगम्भव कल्पनाओं के क्षेत्र से भी बाहर होगया है। किन्तु अब भी प्रथकत्व की नीति के पक्ष में अभी-कभी आवाज सुनाई पड़ती है। सीनेटर नोर्लेड का

एक पक्षीय कार्य करने का सिद्धान्त इस विश्व मुनरो सिद्धान्त को केवल घमरीका द्वारा ही लागू करने की नाति अपनाया चाहता है। घमरीका ने १८२३ से १९५३ तक वास्तव में इस क्षेत्र में घाइजनक विस्तार किया है।

१९७६ में स्वेज समस्या पर पश्चिमी शक्तियों के अग्रमान के पश्चात् राष्ट्रपति घाइजनहावर ने मध्यपूर्व में शक्ति की रिकतता के नवीन सिद्धान्त को जन्म दिया और उन्होंने यह कहा कि या तो स्वतन्त्र विश्व इस रिकतता की शक्तिपूर्ति करे अथवा सोवियत गघ इसकी पूर्ति करेगा। ५ जनवरी, १९५७ को घमरीकी काँग्रेस की अपने भाषण में उन्होंने घाइजनहावर सिद्धान्त की हृष-रेखा समझाई तथा इस सम्बन्ध में कहा—

“यह आवश्यक हो गया है कि समुक्त राज्य राष्ट्रपति और काँग्रेस की सम्मिलित कार्यवाही के द्वारा मध्यपूर्व क्षेत्रों के उन राष्ट्रों को जो कि सहायता चाहते हैं, सहायता देने का निश्चय प्रदर्शित करे। (एक महान् सबट के समय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के लिये)

उन्होंने इस सम्बन्ध में ३ तथ्यों की ध्यान में रखने के लिये कहा क्योंकि इनके द्वारा मध्यपूर्व की साम्यवाद से रक्षा सम्भव है—

“(घ) मध्य-पूर्व जितको कि सदैव रुस ने चाहा है आज अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिये और भी अधिक एन्डिक वस्तु है।

“(ब) सोवियत साम्य निरन्तर यह प्रदर्शित करते हैं कि वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी प्रकार के साधनों के प्रयोग में नहीं हिचकता।

“(स) मध्य-पूर्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये अधिक शक्ति की आवश्यकता है और बहुत कुछ वे चाहते भी हैं।”

इस सिद्धान्त की तुलना ट्रूमैन सिद्धान्त से की गई है। यह ट्रूमैन सिद्धान्त के समान आवश्यक है। इसका क्षेत्र अत्यन्त ही सीमित है। यह मध्य-पूर्व के सम्बन्ध में घमरीकी वैश्विक नीति को समुक्त राष्ट्र सघ से स्वतन्त्र और एकपक्षीय बनाता है। द्वितीय, यह यथार्थ गबट को दूर नहीं करता जो कि घमरीकी दृष्टिकोण से सोवियत प्रचार और इन क्षेत्रों में साम्यवाद का प्रवेश है। यह सिद्धान्त केवल सैनिक सोवियत घात्रमण के विरुद्ध ही प्रयोग में आवश्यक है। तृतीय, यह मध्य-पूर्व में केवल उन देशों के लिये है जो कि घमरीकी सैनिक और आर्थिक चाहते हैं; संक्षेप में, सगदाद सपि जाने राष्ट्रों के लिये। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि घमरीका मध्य-पूर्व को भूल से दूररा पश्चिम घमरीका समत रहा है।

यह समझना थोड़ा कठिन है कि घाइजनहावर सिद्धान्त मध्य-पूर्व में किस प्रकार शान्ति स्थापित करने में रुस की प्रगति को बिना एक विश्व-युद्ध के रोकने में सफल होगा। मध्यपूर्व में जो वर्तमान राजनीतिक घटनाएँ हुई हैं वे घमरीका के पक्ष

में नहीं हैं। मध्यपूर्व इस समय दो शस्त्र भागों में विभाजित है और इन भागों में कभी भी समर्थ हो सकता है। संयुक्त अरब गणराज्य आइजनाहावर मिद्वान्त को प्रस्वीकार करता है तथा उसको अमरीका के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है अमरीका द्वारा निर्मित ईराक जोर्डन तथा बा हाज ही में अंत हो गया है। ईराक के निकल जाने के पश्चात् बगदाद सन्धि की उपयोगिता को यथेष्ट धक्का पहुंचा है। इसलिए हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जहाँ तक मध्यपूर्व का सम्बन्ध है, अमरीका की वैदेशिक नीति तथा आइजनाहावर मिद्वान्त पूर्ण से असफल रहा है। अमरीका की इस विश्व व्यापी सुरक्षा-नीति ने उसे विश्व का एक साम्राज्यवादी व शोषक राष्ट्र बना दिया है और विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की उसके प्रति सहानुभूति में सन्देह किया जा सकता है।

१९५० से १९५६ तक के काल में भी ऐसा प्रबल प्रतीत होने लगा है कि संयुक्त-राज्य अमेरिका की वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का आभास १९५७ में मोवियत रूप के स्पुनिक युग को आरम्भ करने के पश्चात् और अधिक स्पष्ट होता है। अमेरिका रूस की तरह ही अब युद्ध को अपनी राष्ट्रीय नीति का मुख्य अङ्ग मानने में हिचकता है। राष्ट्रपति आइजनाहावर की ऐशिया-याना तथा शिखर-सम्मेलन के लिए पश्चिमी राष्ट्रों का निश्चय इस नवीन परिवर्तन की ओर इङ्गित करते हैं। यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में यह परिवर्तन शान्ति स्थापित करने में कहाँ तक सफल होगा। किन्तु इस शिखर सम्मेलन के असफल हो जाने से अथ स्थिति खराब हो गई है।

ब्रिटेन की वैदेशिक नीति

द्वितीय महायुद्ध के अन्त होने पर ब्रिटेन, इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य ज़िम पर कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, विश्व के भाग्य का निपटारा करने वाले के स्थान से पतित होकर वह राजनीतिक दृष्टि से नगण्य तथा तृतीय श्रेणी की शक्ति माना जाने लगा ।

ब्रिटेन की परम्परागत वैदेशिक नीति दो प्रकार के स्वार्थों से सदैव प्रभावित हुई है—उसके योरोपीय महाद्वीप के हित तथा उनके समुद्र पार के साम्राज्य के हित । योरोपीय महाद्वीप में उसका उद्देश्य सदैव शक्ति-सन्तुलन को बनाए रखना था । इन सिद्धान्त का अर्थ है कि ब्रिटेन सदैव इस बात का ध्यान रहता था कि कोई भी योरोप की शक्ति योद्ध में सर्वोच्च स्थान प्राप्त न करने तक महाद्वीप पर शक्ति-अनुलन ही नष्ट हो जाए, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रायः धन से सहायता देता रहता था तथा कभी-कभी उसे सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा था । द्वीप होने के कारण तथा सभी समुद्र और छ महाद्वीपों पर फैले हुए साम्राज्य के कारण उसे अपनी नौसैनिक सर्वोच्चता बनाए रखनी पड़ती थी । और इसी नौसैनिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के उद्देश्य से उसे अपने परम्परागत मित्र जर्मनी के विरुद्ध १९१४ के पूर्व नौसैनिक प्रति-योगिता में भाग लेना पड़ा था और इसी कारण से उसने अपनी संपूर्ण ब्रूटनीति और शक्ति का प्रयोग रूम के भूमध्यसागर की ओर विकास का सदैव विरोध करना पड़ा था । रूम का भूमध्यसागर तक पहुँचने का अर्थ होता—ब्रिटेन के लिए एक गम्भीर नौसैनिक प्रतियोगिता । इसी कारण से क्रिमिया युद्ध तथा पूर्वी प्रश्न का जन्म हुआ और १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन की वैदेशिक नीति सदैव रूम के विरुद्ध रही ।

दोनों महायुद्धों के मध्य में ब्रिटेन ने महाद्वीप से हटकर फिर अपने पृथक्त्व की नीति अपनाई । यद्यपि उसने राष्ट्रसंघ और विश्व न्यायालय और सामूहिक सुरक्षा-योजना को स्वीकार किया तथा उनमें भाग लिया फिर भी उसने सदैव फ्रांस की

मीमात्रों के लिए एक्तरफा गारन्टी देने या फ्रान्स के साथ रक्षा-मन्त्रि करन के लिए इन्कार किया। उनका विश्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय मञ्जूरन और वह सुरक्षा व्यवस्था जिसका कि उसके द्वारा निर्माण हुआ है, शान्ति स्थापित करने के लिए यथेष्ट है। नात्सी जर्मनी के उदय के पश्चात् भी उसने एक अत्यन्त ही दुर्बल और झिझकपूर्ण वैदेशिक नीति अपनाई। न तो इस काल में उसने आक्रमणकारियों का हठ विरोध ही किया और न अपनी पूरी शक्ति सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही उपयोग में लाई।

१९१८ में जर्मनी पर विजय प्राप्त करके महाद्वीप पर पुनः शक्ति-सन्तुलन स्थापित हो गया। पश्चिमी राष्ट्रों में फ्रान्स का प्रभाव एवं महत्त्व जिसको कि ब्रिटेन ने स्वयं प्रोत्साहन दिया था, कभी भी ब्रिटेन के हितों के लिए हानिकारक नहीं माना गया। यह ब्रिटेन की परम्परागत नीति है कि जब तक योरप में शक्ति सन्तुलन बना रहे तब तक वह महाद्वीप के मामलों से पृथक् रहता था। जर्मनी और इटली में आक्रमणकारियों के प्रति शक्ति और समझौते की जो नीति अपनाई गई थी उसका भी एक कारण है। यह धारणा की जाती थी कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस महाद्वीप पर एक दूसरे को सन्तुलित कर लेंगे। ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के कूटनीतिज्ञों को यह पूर्ण धारणा थी कि यदि युद्ध हुआ भी तो जर्मन आक्रमण पूर्व की ओर होगा और इसी प्रकार एक ही पक्ष पर दो पक्षी भारे जाएँगे। यह न केवल नात्सी जर्मनी, फासिस्ट इटली बनने साम्यवादी रूस को भी नष्ट कर देगा जिसको कि पश्चिमी राष्ट्र सबसे बड़ा दोष मानने थे। समझौते नीति के यह राजनीतिक कारण थे, और इस नीति के लिए जनस्वीकृति शान्ति के नाम पर प्रगति की गई थी किन्तु यह नीति असफल रही और ब्रिटेन को अपने सम्पूर्ण इतिहास में सबसे बड़े सङ्कट का सामना करना पड़ा और अपने अस्तित्व के लिए युद्ध करना पड़ा। इस सम्बन्ध में प्रो० शूर्मन का कथन है कि—

“शक्ति-राजनीति के खेल में किसी भी नीति की कमीटी इरादे व धारणाएँ नहीं किन्तु परिणाम है। वाइडोवन, चैम्बरलैन, साइमन हेल्फेक्स और होर की १९३० के तश्चात् के युग की नीतियों के परिणामस्वरूप तृतीय जर्मन राज्य योष्य को जीतने और ब्रिटेन के लिए नामान्वित विजय के समय से धन तक राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए सबसे महान् सङ्कट का सामना करना पड़ा। उस सङ्कट को सम्भवतः टाला जा सकता था यदि घुरी शक्तियों को रोकने के लिए हस से एक सन्धि फरती जाओ किन्तु यह कार्य चुस्तुपुं अनुदार नेतागण कभी भी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार सोवियत शक्ति का विस्तार ब्रिटेन के लिए जर्मन शक्ति के विस्तार से कहीं अधिक सङ्कटपूर्ण था और यह दृष्टिकोण इरदर्शी नीति के कारण सैद्धान्तिक रूप में ठीक भी

था । किन्तु निश्चय भविष्य में इसका परिणाम दुःखा जर्मनी और रूस का मोड़ तथा एक ऐसा युद्ध जिसने कि ब्रिटेन को जर्मन आक्रमण का रास्ता पैदा कर दिया और जिसके फल में मध्यकाल योरप पर रूस का प्राधिपत्य हो गया ।”

(इन्टरनेशनल पालिटिक्स, पाँचवाँ संस्करण, पृ० ४७५)

ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ इस दृष्टिकोण में, कि जर्मनी सोवियत सङ्घ की शक्ति तथा साम्यवाद को नष्ट कर देगा, इतना अधिक विश्वास रखते थे कि उस युग के अधिकांश नेताओं की कृतियों में यही दृष्टिकोण पाया जाता है । १९३४ में मि० एल० लैंगपुन ने फोर्टनाइटली रिभ्यू में लिखा कि—

“जबकि पहले वाले जर्मन राजनीतिज्ञ पूर्ण और पश्चिम दोनों ओर देखते थे ब्रिटेन वर्तमान में केवल पूर्व की ओर ही देखता है ... जो कोई भी पूर्वी योरप के नक्शे का अध्ययन करेगा वह इसमें शन्देह नहीं कर सकता कि जर्मन तथा पोलैंड का दूसरी की कीमत पर समझौते की आत्यधिक सम्भावना है । यूक्रेन की पश्चिमी योरप-युद्धस्था में सम्मिलित करने और रूस को पूर्व की ओर हटाने का विचार निश्चय ही सातत्यपूर्ण है ।”

मि० एल० एम० ऐमरी ने १९३५ में फारवर्ड रिभ्यू में लिखा है कि—

“आज योरोपियन प्रान्ति की पहली शर्त यह स्पष्ट स्वीकृति है कि जर्मन का राष्ट्रीयकरण केवल उसका धपना मामला है और बिता का नहीं ... इसमें हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ... कि हम पूर्वी साइबेरिया में जापानी-विस्तार को रोकें ।”

भारतवर्ष काफ लंदनटैरी ने एक बहस भागे चढ़कर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—

“हमारा वैदेशिक विभाग फ्रान्स के साथ हमारे सहयोग के द्वारा साम्यवाद और बोल्शेविकवाद में सम्यग्धों को क्षमा करता है, जबकि वह जर्मनी, इटली और जापान को इस स्वस्थ दृष्टिकोण पर कोई ध्यान नहीं देता कि वह साम्यवाद और बोल्शेविकवाद की पूर्ण हृदय से निन्दा करते हैं । बोल्शेविकवाद के विश्वव्यापी सिद्धान्त हैं जिसका उद्देश्य सब प्राधुनिक सरकारी व्यवस्था में प्रान्तरिक अध्ययन करना और जगत् का अन्तिम उद्देश्य है—विश्व-प्रान्ति करना । जर्मनी, इटली तथा जापान जिस मानसिक दृष्टिकोण से बोल्शेविकवाद की निन्दा करते हैं उसे इस देश में उचित प्रकार से समझने का प्रयत्न नहीं किया जाता ... मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम क्यों जर्मनी के साथ साम्यवाद के विरोध में किसी न किसी प्रकार के सामान्य प्राधारों का निर्माण नहीं कर सकते । साम्यवाद विरोधी प्राधार या और सब भी असमर्थ है ।” (धावररोत्त्वज एण्ड जर्मनी १९३८, पृ० २१-२२, १२८)

(ऊपर दिये गए उद्धरण शुरू करने की इन्टरनेशनल पालिटिक्स, पांचवें संस्करण पृष्ठ ४७४, ७५ में से उद्धृत है।

उपरोक्त यह पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि समझौते की नीति का वास्तविक उद्देश्य क्या था। अन्तिम क्षण तक ब्रिटेन के अनुभवी वृत्तनीतिज्ञ यह माना करते रहे कि फासिस्टवाद पूर्ण साम्यवाद विरोधी है इसलिए इसका प्राथमण पूर्व की ओर होगा और पश्चिमी प्रजातन्त्रीय देश सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने जब यह समझा कि फासिस्टवाद साम्यवाद विरोधी के साथ-साथ प्रजातन्त्र विरोधी भी है तब बहुत देर हो चुकी थी। विन्स्टन चर्चिल की महानता की स्वीकार करते हुए यह कहना ही होगा कि उसने इस तथ्य को बहुत पहले ही समझ लिया था और उसने अपने देशवासियों को इस घाने घाने सबूत के विरुद्ध धार-धार चेतावनी दी थी। उसने राष्ट्र का नेतृत्व उस समय अपने हाथ में लिया जबकि मुझ अपनी पूर्ण गति में था और ब्रिटेन को उसके नेतृत्व में अपने अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चर्चिल ने १९४० में यह चेतावनी दी थी कि—

“इस यात्रा पर नृत्य और दुःख ही हमारे साथी होंगे। बठिनताएँ ही हमारे कण्ठे होंगे। धीरता तथा मजबूती ही हमारी ढाल होगी, हमें पुनः संगठित होना है, हमें साहसपूर्ण होना है, हमें अत्यन्त ही दृढ़ होना है। हमारे गुणों और कार्यों को याद पर छाए हुए इस प्रकार में समझना होगा जब तक कि वे उसकी मुक्ति के लिए प्रकाश पुँज नहीं बन जाते।”

इस विजय की कीमत ब्रिटेन के लिए वास्तव में अधिक थी। ब्रिटेन को युद्ध के कारण इतना अधिक धक्का लगा था कि युद्धोत्तर युग में जो देश १९१४ से पूर्व विश्व के लिए एक महाजन था, वह अब वास्तव में दिवालिया हो गया था। यद्यपि इसकी दशा फ्रान्स और इटली से कुछ प्रबन्धी थी और यह अपने आन्तरिक व्यवस्था को बरों के द्वारा पूरा कर सकता था और उसकी आर्थिक व्यवस्था पूर्णरूप से अभ्यस्तित नहीं हुई थी फिर भी इसके निर्यात तथा आयात में अत्यधिक अन्तर था और इसने कारणों के अन्तर्गत अर्थ बढ़ता जा रहा था तथा इसकी मुद्रा स्टर्लिंग पर भार बढ़ता जा रहा था।

युद्धोत्तर ब्रिटेन के समक्ष केवल दो ही मार्ग थे। या तो यह अपनी शक्ति को खोके, अपने आन्तरिक उपभोग को कम करे तथा अधिक निर्यात करे और इस प्रकार यह अपने आयात-निर्यात के मध्य में अन्तर को दूर करे और महान् त्याग करके व्यापार के संतुलन को अपने पक्ष में करे। दूसरा मार्ग वैदेशिक दान को स्वीकार करना था विशेषतः अमेरिका के और इसने द्वारा अपने आयात-निर्यात के अन्तर को पूरा करने युद्ध के द्वारा अभ्यस्तित आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना था। एक तीसरा और भी मार्ग हो सकता था जिनमें कि किसी सोमा तक यह दानों मार्ग अपनाए जा सकते

थे । किन्तु व्यवहार में इनमें से किसी का भी गालन करना प्रत्यन्त ही कठिन था । मार्शल-सहायता-योजना ने इन आर्थिक कठिनाइयों को हल किया । संयुक्त राज्य अमरीका ने ब्रिटेन को १ परस डालर प्रति वर्ष दान के रूप में दिए और बाद में यही सहायता म्यूचुल सिविलिटी एजेंसी के द्वारा दी गई । यद्यपि ब्रिटेन की आर्थिक सरकार ने साहसपूर्ण उपरोक्त सब मायों अपनाये और राष्ट्रीय उपभोग में प्रत्यन्त ही कमी की किन्तु फिर भी ब्रिटेन को अपनी मुद्रा पाउण्ड स्टलिंग का १६ सितम्बर, १९४६ में ३०'५ प्रतिशत मूल्य घटाना पड़ा । किन्तु आर्थिक दृष्टि में इतने अधिक त्याग की प्रपेक्षा भी ब्रिटेन को आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त नहीं हुई थी । आर्थिक सरकार ने और भी अधिक कठे प्रतिपक्ष इस सब में किए । १९४६ में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा तत्पश्चात् कोयला, यातयात, हवाई जहाज, रेलवे, घसों, लोहा, तथा स्पात के कारखानों आदि का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया । प्रजातन्त्रीय समाजवाद ने ब्रिटेन में किसी सीमा तक आर्थिक विपन्नताओं को दूर किया तथा एक सीमित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ।

‘पुराने जमींदार और धनवान कुछ मुख्य व्यक्तियों के द्वारा समाजवाद की आलोचना की गई । किन्तु इसका साधारणतः निम्न वर्गों के लोगों द्वारा स्वागत हुआ जिससे कि इससे काफी लाभ पहुँचा । किन्तु ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था की यह कष्टपूर्ण दिविधा जो कि इससे बाल विश्व के सम्बन्धों के सम्बन्ध में थी, को पर पर समाजवाद या पूँजीवाद से नहीं सुमझाया जा सकता था । इसके लिए आवश्यकताएँ थीं कि सरकार द्वारा विनिमय नियंत्रण हो, राष्ट्र के साधनों और धन का वितरण हो, कीमतेँ निश्चित की जाएँ, निर्यात का राश-निर्द्ध हो, आयात प्रतिबन्ध लगाए जाएँ और राज्य की ओर से ‘आर्थिक नियोजन’ हो । चाहे हाउस ऑफ कामन्स के बहुमत की कुछ भी विचारधारा अथवा वर्ग-हित ही ।’

(इन्टरनेशनल पार्लियामेंट, दूमैम, पाँचवाँ सत्र, पृ० ४७७)

आर्थिक परिस्थितियों ने उदार आर्थिक व अनुदार दोनों प्रकार के ब्रिटिश सरकारों को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वे अपनी वैदेशिक नीति अमरीका के कथनानुसार ही चलाएँ । उनके सामने और कोई मार्ग भी नहीं था । आधुनिक इतिहास में पहली बार ब्रिटेन को नेता से अनुयायी होना पड़ा और यह ब्रिटेन के आत्मनिर्भरता की बड़ी चोट पहुँचाता है । वहाँ पर अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन के साम्राज्य के दिनों के सपने देखा करते हैं और यही कारण है कि ब्रिटेन में अमरीका के प्रति द्विपी हुई विरोध की भावना पाई जाती है जो कि साधारण बात-चीत एवं कभी-कभी सार्वजनिक सत्रियों में भी प्रकाशित हो जाती है और इसी कारण से कुछ समय पूर्व उद्भवनवैम के विरुद्ध सार्वजनिक आन्दोलन भी हुआ था ।

सोवियत सभ के साथ किसी प्रकार की भी यदि अमरीका के अधिकांश ब्रिटिश नागरिकों के लिये अप्रिय थी। युद्ध के काल में चर्चित ने एक ऐसी सैनिक-संधि के उपयोग के लिये कहा था जो कि सोवियत प्रभाव को पूर्वी योरोप तक ही सीमित कर दे। जब वह अपने उम्र प्रयत्न में अक्षय हो गया तो वह मास्को से सन्धि करना चाहता था किन्तु वाशिंगटन ने ऐसी सन्धि का बड़ा विरोध किया। १९४२ में ईडन और मोलोटोव ने २० वर्ष तक जर्मनी के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता देने के लिए एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। दोनों युद्धोत्तर युग में जर्मनी या उसके साथियों द्वारा आक्रमण होने पर सहायता देंगे। उन्होंने इस सन्धि के द्वारा यह भी स्वीकार किया कि वे न तो एक दूसरे के प्राणिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और न भौतिक विस्तार का प्रयत्न ही करेंगे। कोई इसी सन्धियाँ अथवा राज्य के गुटों में सम्मिलित नहीं होंगे जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। इस संधि की शर्तें स्पष्ट रूप से इन दोनों राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम करती है किन्तु पूर्वी योरोप में सोवियत नीति तथा सोवियत यूनियन से किसी प्रकार के भी सम्बन्धों को अमरीका द्वारा कड़ा प्रतिरोध करके इस संधि को नष्ट कर दिया। १९४६ में पुल्हन में भाषण देते हुये चर्चित ने सोवियत सभ के अधिनायक और आक्रमणकारी बनाते हुये निन्दा की तथा स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये एक आगत अमरीकन संधि को मांग की। इसके फलस्वरूप ट्रूमैन-सिद्धान्त, मार्शल-योजना, डॉकट्रिन तथा यू.एस.एस. और अन्त में उत्तर-एटलांटिक सन्धि-संगठन की स्थापना हुई।

इस प्रकार ब्रिटेन अमरीका के साम्यवाद का विरोध करने के लिये विश्व-व्यापी संगठन में एक अनुयायी साथी होगया। इसने केवल सदुत्तराष्ट्र और पश्चिमी योरोप के देशों से ही सोवियत आक्रमण को रोकने के लिये सन्धि नहीं किन्तु यह सारे विश्व के सोवियत विरोधी संधियों का सदस्य होगया। अमरीकी विदेश नीति के साथ देने के कारण ब्रिटेन को अमरीकी अनुदान और आर्थिक धिन्न-भिन्नता से सुरक्षा प्राप्त होगई। किन्तु ब्रिटेन ने शक्ति के द्वारा शान्ति की इस नीति को अस्वीकार में अपनाया था। नाटो और इसके दूसरे उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए जिस आकार की सेना और सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी वह ब्रिटेन के लिये आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त ही कठिन थी। १९५४ में सैनिक समस्याओं पर जो योजना हाउस आफ कामन्स ने सामने रखी गई थी उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि चूँकि ब्रिटेन विश्व में फँसे हुये अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये सैनिक दृष्टि से असमर्थ है इसलिये इसकी ऐसे शस्त्रों के विकास का प्रयत्न करना चाहिये जो कि निरक्षयपूर्वक और शीघ्रता से शत्रु का विनाश कर सकें। इस नये सिद्धान्त को 'बमर-तोड़ युद्ध-नीति' कहते हैं।

यह आगत अमरीकी मित्रता न तो अत्यन्त ही गहरी है और न इसके आधार ही डॉकट्रिन टोस है। इन दोनों राष्ट्रों के बीच में कई दिवसों पर मतभेद है। ब्रिटेन

के बहुत से नेता और साधारण व्यक्ति ब्रिटेन तथा पश्चिमी योरोप के, विशेषतः पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण की नीति में विश्वास नहीं करते हैं। और न वे इस सिद्धान्त को ही ठीक मानते हैं कि पश्चिमी योरोप की सुरक्षा के लिए पूर्वी योरोप का साम्यवाद से उद्धार करना एक सामरिक सैनिक आवश्यकता है; न वे यह चाहते हैं कि उनका देश मणु-शस्त्रों के प्रहृ के रूप में काम में लाया जाय और न वे यह चाहते हैं कि अमरीकन बम बर्षक हवाई जहाज मणु बम विशेषतः उद्जन बम को लेकर उनके देश के ऊपर शान्ति के समय में पहरा दें।

सम्पूर्ण १९ वीं शताब्दी में तथा द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन ने अमरीका की योरोपीय साम्राज्यवाद से रक्षा की है तथा इसकी शक्तिशाली नौ-सेना अमरीका के लिये एक ढाल का काम करती रही है। ब्रिटेन के द्वारा सुरक्षित अमरीका पृथक्त्व की नीति तब अपना सकता था किन्तु इस युद्धोत्तर युग में अब अमरीका की सुरक्षा को यह गारन्टी नहीं रही है और इसीलिये यह अमरीका फ्रांस से भी अधिक सुरक्षा के लिये चेतन और अपनी सुरक्षा के लिये पृथक्त्व की नीति को छोड़कर सारे विश्व में उच्च सुरक्षा नीति को अपना रहा है। इसने अपनी सामरिक सीमाओं को योरोप और एशिया तक विस्तृत कर रखा है। यूरेन के अनुसार इसकी सुरक्षा-सीमाएं राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत आगे बढ़कर अब बर्लिन वियना, रोम और टोबियो में स्थित है। पश्चिमी जर्मनी तथा जापान का पुनः शस्त्रीकरण और साम्यवादी रूस के चारों ओर प्रादेशिक सैनिक अभियोगों का एक घेरा अमरीका के इस सुरक्षा चेतना के प्रतीक है। ब्रिटिश अनता अमरीका के साम्यविष्य उद्देश्यों की समझती है और जानती है कि अमरीकी सैनिक और आर्थिक सहायता ब्रिटेन के लाभ के लिये नहीं किन्तु अमरीका की अपनी सुरक्षा के हेतु है।

ब्रिटेन अमरीका की अपेक्षा सोवियत सघ से अधिक निकट है। इसलिए यह सोवियत संघ के प्रति उस नीति का अनुमोदन नहीं कर सकता क्योंकि युद्ध होने पर इसका विनाश आवश्यकता है। द्वीप होने के कारण यह मणु-शस्त्रों के लिये एक अच्छा लक्ष्य है और यह सोवियत बम-बर्षक हवाई जहाजों के द्वारा सरसता से पट्टेवा जा सकता है। अपने अस्तित्व के लिये ब्रिटेन को सोवियत सघ के प्रति समझौते की नीति अपनाना आवश्यक है और इन्हीं कारणों से युद्धोत्तर ब्रिटेन ने कभी भी सोवियत सघ के विरुद्ध उच्च नीति नहीं अपनाई है। सोवियत सघ के पास अतः महाद्वीपीय निर्देशित शस्त्र होने के कारण अमरीका को सोवियत भूमि पर स्थिति से ही नष्ट करना सम्भव है। किन्तु अमरीका के पास क्योंकि केवल अन्तर प्रादेशिक निर्देशित शस्त्र हैं और जिनकी शक्ति केवल १५०० मील तक जाने की है, ऐसा करना सम्भव नहीं है। सोवियत सघ में अपने रक्षा करने हेतु तथा आवश्यकता पडने पर उसे नष्ट करने के लिये अमरीका सोवियत भूमि के चारों ओर १५०० मील की दूरी में

हवाई सड़के स्थापित करना एक सामाजिक आवश्यकता है । ब्रिटेन और पश्चिमी योरोप के राष्ट्र इस प्रकार के सड़के स्थापित करने के लिए बलवन्त ही उपयुक्त है किन्तु जहाँ ऐसे सड़के स्थापित होंगे उन राष्ट्रों को शोषित सामुदायों के द्वारा विनाश की संभावना का सबूत मीमाणा होगा उन देशों की जनता इस प्रकार के सबूत को महत्वपूर्ण रूप से समझती है । इसीलिए ब्रिटेन ऐसे सड़कों के पक्ष में नहीं है और इसी कारण से भारत-भारतीय सम्बन्धों में स्पष्ट या अस्पष्ट तनाव समय-समय पर दिखाई पड़ते हैं ।

१७ सितम्बर १९४७ को प्रो० एन० एफ० भीट, ब्रिटिश सामुदायिक शास्त्री ने इस सम्बन्ध में कहा है—

‘भारत के साथ मीट्री के कारण यदि कुछ कभी ऐसी शक्ति के विच्छेद प्रारंभ हुआ जो कि सैनिक बन्दरगाहों को प्राप्त कर सकती है और जिसे पास सामुदायिक हैं वह चाहे वह देश कुछ भी करे हमें नष्ट कर देगी... इस प्रकार के ५० परसेन्ट बी-२० परब्रों द्वारा छोड़े गए वर्तमान विनाश की स्थिति में सन्दन की जनसंख्या के एक-चौथाई भाग को मार सकते हैं तथा शहर रहने योग्य नहीं रहेगा ।’

(इंटरनेशनल पब्लिसिटी, सूर्यन, पृ० १७८ से १७९)

१९४७ में जो बात सत्य थी वह १९५० में और भी अधिक सत्य है क्योंकि इस बीच सामुदायिकों के विनाश में भयंकर प्रगति हुई है ।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शक्तिमत्त घेष्टा भारत-प्रदेश इजरायली क्रौडों द्वारा मिथ पर १९५६ में सामुदायिकों के रूप में थी । मिथ ने ब्रिटेन के साधारण नागरिकों को यह सिद्ध कर दिया कि ऐतिहासिक दृष्टि से जोन बुल का युग शदैव के लिए सीता चुना है । इस सामुदायिकों के कारण ईरान का राजनीतिक जीवन समाप्त होना और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सम्मान को एक बड़ी चोट पहुँची किन्तु साथ ही साथ इसने मध्यपूर्व की नीति के सम्बन्ध में भारत-भारतीयों के भी स्पष्ट कर दिया । सामुदायिकों के लिए सबसे बड़ी समस्याजनक बात तो यह थी कि उन्हें शोषित मध्य के द्वारा चेतना दी जाये पर पीछे हटना पड़ा । मिथ के युद्ध में हार ब्रिटेन के सम्मान के गतन की पराकाष्ठा का प्रतीक है ।

ब्रिटेन को राजनीतिक समारोहों को स्वीकार कर लेना ही चाहिए । इसको यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह पश्चिमी मुटु का नेता नहीं रह सकता और उसे अपने शक्ति के लिए भारतीयों के बीच की नीति का अनुयायी होना ही पड़ेगा । यह सत्य है कि ब्रिटेन में भारतीयों की नीतियों के लिए न कोई विशेष समारोह ही है और न प्रशंसा के भाव ही है । ब्रिटेन हर मूल्य पर और महत्व समारोह करने भी अपने शोषण के लिए मूल्य को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है । यह इस बात से

सिद्ध होता है कि भीषण धार्मिक कठिनाइयों की अपेक्षा भी उसने अपने को समरीका तथा सोवियत संघ से प्रणु-शक्ति के विकास में पर्यन्त ही निकट रखा है। समरीका और सोवियत संघ के बाद विश्व का केवल यह देश है जिसके पास अपने उद्जन बम हैं। इस लेख को हम प्रो० शुमैन के इन शब्दों से समाप्त कर सकते हैं—

“मध्य शताब्दी के ब्रिटेन के पास सोवियत आक्रमण के विरुद्ध समरीका की सहायता करने की अपेक्षा कोई चारा नहीं है। क्योंकि या तो उसे सम्पूर्ण विनाश या निश्चित दिवाला या दोनों का सामना करना पड़ता। किन्तु मध्य शताब्दी का ब्रिटेन किसी प्रकार भी, राष्ट्रीय हितों की कोई भी बौद्धिक परिभाषा के अनुसार जानबूझ कर समरीका की उन नीतियों को जो कि पूर्व पश्चिम के व्यापार को पनु कर रही थी, जो कि पश्चिमी योद्धा और राष्ट्र-मंडल को संदेह के लिए समरीकन सहायता पर निर्भर कर रही थी और जो कि इस भाषा और इस गति का पुनः शस्त्रीकरण पर जोर दे रही थी जिनके कारण उन जनताओं को जिनकी कि इनके द्वारा रक्षा करने की पर्यन्त ही धार्मिक कठिनाता का सामना करना पड़ता और जिसके कारण समीप और मध्यपूर्व ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों को हानि पहुँच रही थी”” महाद्वीप पर समरीका के जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण की अपेक्षा भी शक्ति-सन्तुलन का संदेह के लिए प्रस्त हो गया था और ब्रिटेन के लिए सुरक्षा और समृद्धि तभी समभव थी जबकि समरीका और रूस के मध्य में एक ऐसा विश्व समतल हो जो कि पृथीय महायुद्ध की समाप्ति का प्रसन्न कर दे।”

(इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, चौथी संस्करण, पृ० ५८०)

ऐसा विश्व सन्तुलन स्थापित करने की समस्या का हल प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। ब्रिटेन की वर्तमान संदेशिक नीति ऐसे सन्तुलन को स्थापित करने योग्य नहीं है।

सोवियत संप की वैदेशिक नीति

साम्यवादी शासन की स्थापना तक सोवियत संध की परम्परागत नीति पूर्वी-पृथक्त्व तथा कभी कभी पाश्चात्पीकरण के प्रयत्नों की रही है। १८ वीं व १९ वीं शताब्दी में रूस के शासकों के न्यायिक संधवा भूमध्यसागर में बारूतपाती मन्वरगाह प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किया है। १८ वीं शताब्दी में इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप मोल्दोव का विभाजन एवं विनाश हुआ तथा १९ वीं शताब्दी में इसी कारण से इतिहास की पूर्वी समस्या का जन्म हुआ। १९१७ में रूस में एक साम्यवादी सोवियत सरकार की स्थापना हुई। इस प्रकार का साधारण मान्य व लैनिन के साम्यवादी सिद्धान्त थे और इसने सर्वहारा वर्ग के सामिनायकतवीय व्यवस्था को अपनाया साथ ही साथ इसके कर्मचारों ने इस सरकार के प्रमुख उद्देश्यों की घोषणा करते हुए कहा कि यह सरकार विश्व साम्यवादी क्रान्ति, पूँजीवाद का विनाश, सम्पूर्ण निजी संपत्ति का शान्त तथा गवर्जानत व शौणित्वेधिक रास्ट्रो का उद्धार करने का प्रयत्न करेगी।

इसके पूर्व कि हम सोवियत वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्तों का अध्ययन करे हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इसके पूर्व इतिहास का ज्ञान प्राप्त करें। सोवियत जनता अपने पूर्ण इतिहास में निरंकुश शासन की रावी रही है और यह निरंकुश शासन बहुत बर्षों की सामिक असहिष्णुता के साथ में सम्मिलित रहा है। इसलिये इस जनता के लिए सर्वहारा वर्ग के सामिनायकतत्व को स्वीकार कर लेना कोई शक्यता नहीं थी। इनको स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में न कुछ मासुम था और न कोई व्यक्तिगत अनुभव था। इसीलिए इस लवीन निरंकुश राज्य के प्रति किसी प्रकार की भी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिनिधि नहीं हुई।

रूस अपने सम्पूर्ण इतिहास में पश्चिमी योसु में पृथक् रहा है। रोम की सेनाएँ कभी इस तक नहीं पहुँच पाईं और इसलिये इन पर रोमन सभ्यता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञान व पुनर्जागृत तथा ६ वीं व ७ वीं शताब्दी में आने वाले गिरिषी योसु

जो मध्य युग से प्राबुनिक युग में परिवर्तित हुआ था उसने भी इस प्रदेश को मरुता ही छोड़ दिया। फ्रान्स की राज्य-प्राप्ति का भी इस प्रदेश पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। पश्चिमी सभ्यता और परम्परा से इस सर्वथा प्रसन्न रहा। रूसी लोगो में इस कारण एक सांस्कृतिक हीनता की भावना की उत्पत्ति हुई और इसी कारण से रूसी सेनाको एवं विचारको भी कृतियों में हमें या तो पाश्चात्य सभ्यता एवं सरथाओ के लिए अत्यधिक प्रशंसा का भाव धरवा अत्यधिक निन्दा का भाव दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में रूस राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही केवल पिछड़ा हुआ नहीं था किन्तु धार्मिक और भौद्योगिक दृष्टि से भी मध्य युग में था। रूस के पिछड़े होने के कारण उसकी सैनिक-शक्ति भी सदैव द्वितीय श्रेणी में रही और १८ वीं और १९ वीं शताब्दी में उसकी निरन्तर सैनिक हारें इस सत्य का प्रतीक हैं। स्टालिन ने भी इस सत्य को १९२१ में स्वीकार किया था जबकि उसने यह तिसा कि—

“पुराने रूस के इतिहास का एक सदाश यह था कि उसे अपने पिछड़े होने के कारण तथा विश्व से पीछे रह जाने के कारण निरन्तर हार सहन करनी पड़ी थी। उसकी मंगोल सानो ने हराया, उसे तुर्कों सरदारो ने हराया, उसे पोलिश और लिथोयानिय सभ्रान्तो एवं मुसलमन लोगो ने हराया। उसे फ्रांस और ब्रिटेन के पूँजीपतियो ने हराया, उसे जापानी वैंरन्स ने हराया। सबने उसे उसके पिछड़ जाने के कारण सैनिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन के कारण हराया।”

(सैनिनिज्म, सेलेब्रेट राइटिंग, पृ० २००)

यद्यपि प्रारम्भ में बोन्शेविक सरकार ने जार के साम्राज्यवाद की निन्दा और राष्ट्रीय भारत-निर्णय के सिद्धान्त को अपनाया किन्तु बाद में उन्होंने इस नीति में परिवर्तन किया और जार शाही हथ की साम्राज्यवादी परम्परा को सोवियत संघ में पुनः अपनाया।

सोवियत वैदेशिक नीति को ठीक प्रकार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके दार्शनिक आधारों को समझने की चेष्टा करें। सोवियत शासकों का यह विश्वास रहा है कि साम्यवाद एवं पूँजीवाद में सदैव अवश्यम्भावी है और पूँजीवाद अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए कारणों से क्षिप्त-भिन्न एवं विनष्ट होगा। सैनिक और न र्खालिन इन दोनों व्यवस्थाओ के शक्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास रखते थे। पूँजीवाद की धान्तरिक समस्याओ के सत्य के साम्य में स्टालिन ने १९२५ में लिखा है कि—

“पूँजीवादी सिद्धि में हितों का कोई साम्य नहीं है; न कोई ऐसी बे-दिल शक्ति ही है जो कि एकीकरण स्थापित कर सके। पूँजीवादी संघ में हितों का सत्य

तथा अिभ्र-भिन्न होने की प्रवृत्ति है। विजेता एव जीते हुए में युद्ध है। विजेताओं में स्वयं सघर्ष है और सब साम्राज्यवादी राष्ट्रों के मध्य में सघर्ष है... नाभ के लिए..... पूँजीवादी शिविर में सघर्ष और अव्यवस्था सम्बन्ध्याप्त है।”

(लेनिनिगम, पृ० ३७०)

वी० आई० लेनिन ने इस सम्बन्ध में कहा था—

“हम केवल एक राज्य में नहीं रहते किन्तु राज्यों की एक व्यवस्था में रहते हैं। और सोवियत गणतंत्र का साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ अस्तित्व बहुत काल तक अविचारणीय है। अन्त में या तो एक अथवा दूसरे की विजय होगी और जब तक वह अन्त नहीं आता तब तक सोवियत गणतंत्र और मध्यमवर्गीय राज्यों में एक के बाद एक भीषण टक्करें अवश्यम्भावी हैं।” और आगे १९२१ में लेनिन ने चेतावनी दी है—“अन्तर्राष्ट्रीय मध्यम वर्ग सोवियत रूस के विरुद्ध खुले युद्ध लड़ने की सम्भावना से रहित होकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जबकि परिस्थितियाँ इस युद्ध को पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति देगी।”

इसलिए हम कह सकते हैं कि सोवियत साम्यवादी नेता पूँजीवाद और साम्यवाद के मध्य में सघर्ष अवश्यम्भावी मानते रहे हैं। सोवियत वैदेशिक नीति की प्रवृत्ति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम सोवियत सविधान, सरकार और उनकी घरेलू राजनीति को भी समझें। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सोवियत सघर्ष में राज्य और दल के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में स्टालिन ने लिखा था कि—

“यहाँ सोवियत सघर्ष में..... कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक या संस्थात्मक प्रश्न हमारे सोवियत और दूसरे जन सगठनों अथवा दल के निर्देशों के बिना निर्णय नहीं किया जाता है।”

(प्रोबलम ऑफ लेनिनिगम, पृ० ३४)

और लेनिन ने १९२० की नवी दलीय काँग्रेस को अपने भाषण में कहा था कि—

“पोलिटब्यूरो अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीति के सब प्रश्नों का निर्णय करता है।”

सोवियत वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त आत्म-विकसित तथा एक-पक्षीय हैं। आत्म विकास का अर्थ है साम्यवादी सिद्धान्तों का दार्शनिक प्रचार या नियोजित क्रान्ति के द्वारा विश्व के दूसरे राष्ट्रों में विस्तार। इसका यह भी अर्थ है कि रूस विश्व-क्रान्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगा। कौमिन्टर्न और कौमिन्फोर्न वास्तव में

सोवियत वैदेशिक नीति के महत्वपूर्ण घटक हैं। क्योंकि इस को विश्व प्रान्ति का आधार होना है इसलिए विश्व-प्रान्ति की सफलता इसमें समाजवाद की सफलता पर निर्भर होगी। जोसेफ स्टालिन के अनुसार यह आत्म विकास आवश्यक को साथ ही साथ स्वयं की वैदेशिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उसने इस सम्बन्ध में लिखा है कि—

“विश्वप्रान्ति का विराम” “तभी अधिक शीघ्र और अधिक पूर्ण होगा जब कि समाजवाद के द्वारा जीते हुए इस क्षेत्र में वे अपने को अधिक प्रतिशाली बना सकेंगे। जितनी शीघ्रता से यह देश अपने को विश्वप्रान्ति के विस्तार के लिए एक प्रादेश के रूप में परिवर्तित कर सकता है तथा साम्राज्यवाद को ध्वस्त-भिन्न करने के लिए एक मन्त्र का काम दे सकता है” “विश्वप्रान्ति का विकास उतना ही अधिक शीघ्र और पूर्ण होगा जितनी अधिक और प्रभावशाली सहायता यह सर्वप्रथम समाजवादी देश दूसरे राष्ट्रों के श्रमिकों को देने में सफल होगा। इस सहायता का प्रशासन किस प्रकार होना चाहिए, इसका प्रकाशन सर्वप्रथम इस विजयी राष्ट्र में एक राष्ट्र में अधिक से अधिक प्रान्ति के लिए जिसके द्वारा सहायता और शान्ति का जावरण सब देशों में हो सके” “(लेनिन)। द्वितीय दगबा प्रकाशन होना चाहिए कि ‘दस सर्वप्रथम देश की विजयी सर्वहारा बरों’ (लेनिन) अपने समाजवादी उत्पादन को गण-ठित करने के परधान् बने हुए पूँजीवादी विश्व के विरुद्ध विरोध में सदा ही। अपने और दूसरे देशों के उत्पीड़ित वर्गों को आकर्षित करे तथा उन देशों में पूँजीवादियों के विरुद्ध प्रान्ति बर्राए और आवश्यकता पडने पर शोषक वर्गों और उनकी सरकारों के विरुद्ध मन्त्र लेकर विरोध करे।”

सोवियत वैदेशिक नीति की एक पक्षीयता का सिद्धान्त का, द्वितीय परिणाम यह है कि सोवियत गण अपने विरुद्ध भी संपर्क को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या पंचों के द्वारा नहीं सुनमाना चाहता है। सोवियत गण यह मानकर चलता है कि समाजवाद और पूँजीवादी राष्ट्रों के मध्य में किसी भी संपर्क पर विपक्ष न्याय ही ही नहीं सकता। उनका विश्वास है कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सगठन पूँजीवादी राज्यों के द्वारा अधिकृत है और इसलिए समाजवादी हितों के विरुद्ध है। वे समुक्त राष्ट्र सभ द्वारा स्थापित न्यायी पद्धति को औपनिवेशिक शासन बनाए रखने के लिए एक पक्ष मानते हैं तथा औपनिवेशिक और अधिकृत देशों के लिए जो सहायता-योजनाएँ हैं उनको प्रतिरिक्त पूँजी के नियंत्रण का मन्त्र मानते हैं। सोवियत संघ का एक पक्षीयता का प्रकाशन इसके पूँजीवादी राष्ट्रों के सम्बन्ध में ही केवल सिद्ध नहीं होता किन्तु दूसरे साम्यवादी राज्यों में भी इसके ऐसे ही सम्बन्ध हैं। सोवियत नेता यह मानकर चलते हैं कि साम्यवाद के सम्बन्ध में स्वयं का नेतृत्व तथा दूसरे साम्यवादी राज्यों को शिक्षा

उसके बाद फ्रान्स तथा बेल्जेस्लेवाकिया से शक्ति भी की थी। सोवियत सघ और पश्चिम के बीच में यह समझौते जर्मनी, इटली तथा जापान को फासिस्ट शक्ति की बढ़ती हुई शक्ति के भय के कारण हुए थे। स्वयं सोवियत सघ जर्मनी और जापान की बढ़ती हुई शक्ति के कारण भयभीत था तथा अपने प्रतिनिधि तिडियिनोव के द्वारा उसने सामूहिक सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रयत्न किया तथा साम्यवादियों और उदार दलों के मिले-जुले जनतन्त्रिय विरोधी का एक दल को फासिस्टवाद के विरोधों के लिये पूर्णरूप से प्रारम्भित किया। १९३५-३६ के वास में पश्चिमी शक्तियों ने समझौते की नीति को अपनाया और उन्हें सदैव यह धारणा रही कि फासिस्टवादी धात्रमण का शिकार साम्यवादी सोवियत सघ ही होगा। उनको यह पूर्ण धारणा थी कि फासिस्टवादी और साम्यवादी शक्तियों में सपर्यं धात्रमणम्भावी है और जिसके कारण अन्त में दोनों का विनाश हो जायगा। सोवियत सघ के साम्यवादी दल के १८ वीं कांग्रेस में भाषण देते हुये स्टालिन के १० मार्च १९३६ को कहा था कि—

“धात्रमण विरोधी राष्ट्रों का बहुमत विशेषतः इङ्ग्लैंड और फ्रान्स ने सामूहिक सुरक्षा की नीति को तथा धात्रमणकारियों के सामूहिक विरोध की नीति को अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने अहस्तक्षेप तथा तटस्थता की स्थिति को अपनाया है। अहस्तक्षेप की नीति यह बताती है कि धात्रमणकारियों को उनके पृष्ठित कार्य में बाधा न देने की इच्छा या धात्रमण जापान को चीन के साथ युद्ध करने देने में न रोकना था। उससे भी अच्युत हो यदि ये सोवियत सघ से युद्ध में फँस जाय। जर्मनी को यॉरोपियन मामलों में फँसने से या सोवियत युद्ध में फँस जाय जर्मनी को यॉरोपियन मामलों में फँसने से या सोवियत सघ से युद्ध करने से न रोकना……तथा जर्मनी को पूर्व की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सरस विजय की धारणा दिलाना तथा इस प्रकार प्रोत्साहित करना कि मोस्कोविकों के विरुद्ध वे सब युद्ध धारम्भ कर दो और सब अपने धाप ठीक हो जायगा।”

अगस्त १९३६ में मास्को ने प्रायः सोवियत सन्धि के लिए माँग की जिसको कि सन्धन ने अस्वीकार कर दिया और इस कारण नात्सी-सोवियत सन्धि का प्रारम्भ हुआ। पश्चिमी राष्ट्रों ने इङ्ग्लैंड तथा फ्रान्स के साथ युद्धा सधि और की मोस्कोटोव की शर्तों को अस्वीकार कर दिया। यही १९३६ में मोस्कोटोव ने पश्चिमी शक्तियों के साथ सन्धि की शर्तों को रखा था और जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था यह शर्तें थी—

(अ) एक मंत्री सन्धि।

(ब) उन समस्त देशों द्वारा जो कि सोवियत सघ की सीमाओं पर हैं सम्मिलित गारण्टी।

(स) इन गारण्टी देने वाले राज्यों का धात्रमणकारियों द्वारा हमला होने पर सुरक्षा और सहायता के लिए एक निश्चित समझौता। पश्चिमी

शक्तियों व साथ गन्नि प्राप्त करने में सोवियत सघ की असफलता के कारण सोवियत कूटनीति में एक गम्भीर परिवर्तन हुआ तथा इस कारण से सोवियत सघ जर्मनी की ओर मुका । २३ अगस्त १९३९ को जर्मनी के विदेश मन्त्री वान रीबिनट्रोप तथा मोस्तोव ने एक गुप्त समझौते के द्वारा यह स्वीकार किया कि—

“वाल्तिक राज्यो (फिनलैंड, अस्टोनिया, लैटविया और लिथोनिया) के क्षेत्रो में किसी भी प्रकार के भीतिक या राजनीतिक पुर्नगठन की दशा में लिथोनिया की उत्तरी सीमा जर्मन तथा सोवियत सघ के प्रभाव क्षेत्रो की सीमा होगी । पोलिश राज्य के क्षेत्रो के पुर्नगठन की दशा में जर्मनी तथा सोवियत सघ के प्रभाव क्षेत्रो की सीमा नैव विस्तूला और सान नदियों की सीमा से प्राय सीमित होगी “ दक्षिण पश्चिमी योक्ष के सम्बन्ध में सोवियत पक्ष की ओर से उसके बेसरविया में हिनों की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।”

(ए रोसी—दी रसी जनरल एलाइंस, १९३९-४१, पृ० ४०-४१)

इस प्रकार सोवियत सघ ने बिना युद्ध लड़े ही जारिस्ट रूस की सीमाओं तक अपना विस्तार कर लिया । नाजी-सोवियत-गधि का आधार पूँजीवादी विश्व के प्रति गहन सन्देह था । सोवियत सघ की नीति युद्ध प्रारम्भ हान के पश्चात् पूर्ण तटस्थता की थी । और यह तटस्थता उमन हिटलर को इस मूल्य पर बेबी जिसके द्वारा सोवियत रक्षा करने की शक्ति में वृद्धि हो जाय । २८ सितम्बर १९३९ को सोवियत सघ ने पोलैंड को जर्मनी व साथ विभाजित कर लिया । इसका अलग कदम वाल्टिक राज्यो पर अपना सरकारण स्थापित करना था और जर्मनी इससे सहमत था । इसके पश्चात् सोवियत सघ ने शान्ति का प्रचार प्रारम्भ किया और सारे विश्व के साम्यवादियों ने साम्य फेच युद्ध को एक साम्राज्यवादी युद्ध कहकर निन्दा की । १९३९ में मास्को ने फिनलैंड को धमका कर भूमि लेने का प्रयत्न किया ताकि लेनिनग्राड को छात्रमण के विरुद्ध सुरक्षित किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप एक युद्ध हुआ जिसमें फिनलैंड को सोवियत सघ अत्यन्त ही कठिनाई से हरा सका । इस समय तब मास्को और नारसी जर्मनी में सघर्ष प्रारम्भ हो गया था और १९४० के अन्त में यह स्पष्ट था कि इन दोनों के मध्य में सघर्ष अवश्यम्भावी है । सघर्ष का कारण बल्कान प्रायद्वीप था । जून १९४१ में फ़ामिस्टवादी योक्ष ने अपनी सपूर्ण शक्ति के साथ सोवियत सघ पर छात्रमण किया । इस युद्ध में विजय के लिए सोवियत सघ को एक भारी मूल्य चुकाना पडा । किन्तु सोवियत सघ ने अपनी विजय के द्वारा विश्व के समक्ष यह मिद्ध कर दिया कि सोवियत राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था दूसरी किसी भी प्रकार की व्यवस्था से अधिक भारी उत्तरदायित्वो की पूरा कर सकती है ।

युद्ध प्रारम्भ होते ही बर्लिन ने सोवियत संघ को ब्रिटेन का मित्र एवं साथी घोषित कर दिया क्योंकि बर्लिन के अनुसार ब्रिटेन के शत्रु का फल स्वभावतः ब्रिटेन का मित्र है और इस कारण से मई १९४२ में आंग्ल-सोवियत संधि हुई। नवम्बर १९४२ में धर्मरीवा ने सोवियत संघ को सैंडलोव सहायता योजना के अन्तर्गत एक धरम डालर दिये और यह सहायता उसका अत्यन्त ही सबटकालीन स्थिति में मिली थी। परिणाम की इस उदार सहायता तथा सोवियत जनता के हृदय निश्चय के कारण युद्ध जीता गया। किन्तु इस महायुद्ध के परिणाम सोवियत संघ के लिये अत्यन्त ही विनाशकारी हुए। इसमें ८० लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा ८० लाख से अधिक व्यक्तियों की जर्मनी की जनता का अन्त करने की नीति तथा युद्ध के दूसरे परिणामों के कारण मृत्यु हुई। यह अनुमान लगाया जाता है कि सम्पूर्ण मर्त्यता की हानि ६७६ धरम खतम हुई थी। प्रायः ५ लाख मकान, १७०० नगर तथा ७० हजार से अधिक गाँवों का पूर्णरूपेण विनाश हो गया था। ३१ हजार कारखाने, १ लाख ३० हजार पुल और लगभग ४० हजार मील रेलवे लाइन भी नष्ट हो गई। सोवियत आर्थिक व्यवस्था ने अपनी शक्ति युद्ध काल में ही प्रदर्शित नहीं की बरन् युद्धोत्तर युग में आर्थिक युग निर्माण के क्षेत्र में भी समान रूप से की।

१९४५ में पश्चिमी शक्तियों को शान्त करने के लिए मास्को ने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ का अन्त कर दिया किन्तु योमिनफॉर्म के रूप में इसका १९४७ में पुनर्जन्म हो गया। संहरान, वाट्टा और पोर्टेस्डम सम्मेलनों में इसने पूर्वी योरोपीय राष्ट्रों में प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए महामति प्रकट की किन्तु इस युद्ध के पश्चात् सोवियत संघ ने यहाँ पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना की। युद्धोत्तर युग में सोवियत संघ ने अपना ३६ करोड़ ८० लाख वर्गमील के क्षेत्र में विस्तार किया। युद्ध के समाप्त होते ही शीत युद्ध का युग प्रारम्भ हुआ। अक्टूबर १९४७ में योमिनफॉर्म के निर्माण के पश्चात् सोवियत वैदेशिक नीति ने उग्र रूप धारण किया। यह वह काल था जबकि उसने धर्मरीवा के हवाई जहाजों पर आक्रमण किया तथा चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार जमाया एवं पश्चिमी शक्तियों को बर्लिन के लिए सामान को हवाई जहाजों से भेजने के लिए बाध दिया। इस युग में चीन में भी सोवियत नीति निरन्तर धर्मरीवा के विरोधी नीति होनी चली गई। सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादियों ने अपने सामर्थ्य को सहायता के पहले वाली नीति का अन्त कर दिया तथा भारत, बर्मा, मलाया, इन्डोनेशिया, टिन्-चीन और फिलीपाइन में आतंकवादी नीति अपनाई। १९५० से २१ तक सोवियत नीति में एक परिवर्तन हुआ क्योंकि १९४६ में इसने अणु बम का आविष्कार कर लिया और इस कारण इसे धर्मरीवा से अलग के क्षेत्र में समानता प्राप्त हो गई थी और इसी कारण इसे अपने अणु और स्वाभाविक सामर्थ्य में आत्म विश्वास की स्थापना हुई, और कोरिया में दोनो ओर से शक्ति का प्रदर्शन हुआ। १९५१ में इन उग्र नीतियों को छोड़कर शान्तिपूर्ण प्रचार को फिर से अपना लिया

विशेषतः भारत, बर्मा, लका तथा इ. होनेछिया मे । १९५३ मे सोवियत वैदेशिक नीति के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार थे—

(अ) मास्को-पेरिग मित्रता को शक्तिशाली बनाना ।

(ब) अमरीका के शक्ति और प्रभाव को दूर करना, उसके मैनिफेस्टो तथा प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार करना ।

(स) मुख्य एशियाई राष्ट्रों में व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, जैसे कि जापान भारत आदि ।

(द) संयुक्त राज्य अमरीका प्रतिद्वन्द्विता में वैदेशिक सहायता-योजना का निर्माण करना जिसके अन्तर्गत विदेशी सहायता एवं ऋण दिए जा सकें ।

१९५७ तक सोवियत संघ ने वैदेशिक सहायता के क्षेत्र में ही केवल संयुक्त-राज्य अमरीका को नहीं हराया था अपितु अणुशस्त्रों के वैज्ञानिक विकास में भी उद्जन-बम अन्तर्महाद्वीपीय निर्देशित शस्त्रों के निर्माण और स्पुतनिक युग को प्रारम्भ करके विजय प्राप्त की । मध्यपूर्व में भी बगदाद-सन्धि के उत्तर में सोवियत संघ ने संयुक्त अरब गणतन्त्र को यथेष्ट सहायता दी ।

सोवियत संघ अपने सक्षिप्त इतिहास में प्रारम्भ से ही १९५७ तक सदैव रक्षात्मक नीति अपनाता रहा है । इसकी सदैव अपने अस्तित्व का ही भय रहा और इसे सदैव यह सन्देश रहा कि पूँजीवाद राष्ट्र अक्सर मिलते ही इस पर आक्रमण करेंगे और इसका विनाश कर देंगे । इसकी विश्वक्रान्ति, एक पक्षीयता तथा विस्तार करने की नीतियों का एकमात्र उद्देश्य सोवियत संघ के अस्तित्व को बनाये रखना था । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् पहली बार इसकी अपनी शक्ति और साधनों में अपनी रक्षा करने के लिए यथेष्ट विश्वास उत्पन्न हुआ, यह विश्वास क्षणिक था । अणु-बम ने इस विश्वास को नष्ट कर दिया और इसको अपने अस्तित्व के लिए भय उत्पन्न होगया । इस भय से पूँजीवादी शक्तियाँ अणु-शस्त्रों को सम्भवतः इसके विनाश के लिए उपयोग करेंगी, इसको फिर से रक्षात्मक नीति और शीत-युद्ध के लिए बाध्य किया । १९४९ में इसने भी अणुबम बना लिया और इसके साथ ही इसका अपनी रक्षा करने के लिये आत्मविश्वास लौट आया । १९४९-५२ तक इसकी नीति में उग्रता की कमी होगई किन्तु अमरीका द्वारा उद्जन-बम के निर्माण से इसके आत्म-विश्वास का फिर से अन्त होगया । १९५२-५५ तक इसने फिर से रक्षात्मक नीति को अपनाया किन्तु १९५५ में इसके पास उद्जन-बम तथा अन्य प्रकार के निर्देशित शस्त्र भी हो चले थे । १९५७ के आखिरी मास में इसने अमरीका पर वैज्ञानिक विकास एवं अणुशस्त्रों के क्षेत्र में स्पूतनिक युग प्रारम्भ करके एक निश्चयात्मक विजय प्राप्त की । इसके पास इस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली अणु पनटुबबी नौ-सेना है । अपने इतिहास में इसको अब यह विश्वास हुआ कि यह अकेला ही पश्चिमी शक्तियों से निपटने के लिये यथेष्ट रूप से

सक्तिशासी है और इसका यह विश्वास उन घोषणाओं एक योजनाओं में पूर्ण रूप से प्रदर्शित होना है जो कि इसने निगमनीकरण और निरंतर सम्मेलनों के सम्बन्ध में की है। यह भाषा की जाती है कि अपनी वैज्ञानिक विजय के पश्चात् भी सोवियत सभ युद्ध प्रारम्भ नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से हमको कोई लाभ की भाषा नहीं है तथा हानि की ही भाषा है। इसकी नीति शान्तिपूर्ण विस्तार की है और यह इस नीति में उस समय तक सफल होगा जब तक कि विश्व में भविष्यित क्षेत्र रहेंगे। इतिहास में सर्व प्रथम चुनाव के द्वारा एक साम्यवादी सरकार का १९५३ में भारत में निर्माण हुआ है और यह भी सम्भव है कि १९६१ में इसी प्रकार से साम्यवाद चुनाव के द्वारा ही भारत के अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते।

१९५० में पश्चिमी पूँजीपति राष्ट्रों की तुलना में सोवियत सभ की स्थिति निरन्तर रूप से थोड़ा है। यू २ जहाज को नीचे गिरा कर वैज्ञानिक प्रगति में इसने सतार में अमरीका से और भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। यह ध्व प्राप्त: विश्व द्वीप का नियन्त्रण करता है। इसके पास अघिक जनशक्ति तथा वैज्ञानिक धोष्ठना है। तटस्थ राष्ट्रों में इसके प्रति सहानुभूति है और इसने पूँजीवादी राष्ट्रों को उनके सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र शैक्षणिक सहायता के क्षेत्र में भी हरा दिया है। सोवियत शैक्षणिक नीति की सफलता ने पश्चिम के अनुभवी कूटनीतिज्ञों को भी उलभन में डाल दिया है और इसने कई कूटनीतिक विजय प्राप्त की हैं। इसकी वर्तमान शैक्षणिक नीति में सोवियत शक्ति तथा पश्चिमी राष्ट्रों से धोष्ठता तथा धारम-विश्वास प्रतिबिम्बित होता है।

भारतीय वैदेशिक नीति

भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पूर्व ही विश्व, साम्यवादी और पूंजीवादी दो विरोधी गुटों में विभाजित हो चुका था। मार्च, १९४७ में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमरीकी कांग्रेस को अमरीका की सरकार के इस निश्चय की घोषणा की थी कि—

“उन स्वतन्त्र जनताओं की सहायता करेंगे जो कि शत्रुों द्वारा अल्पमतों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा अधिपत्य जमाने के प्रश्नों का विरोध कर रही हैं।”

अक्टूबर, १९४७ में जबकि भारतीय स्वतन्त्रता को प्रायः डेढ़ महीना ही हुआ था साम्यवादी गुट ने कमिनिफौस के रूप में एक नवीन सन्धि को जन्म दिया। इसके घोषणा-पत्र में यह कहा गया था कि—

“इन परिस्थितियों में साम्राज्यवादी विरोधी प्रजातन्त्रीय कैम्प को अपनी शक्ति का संगठन करना है, खड़े होना है तथा एक सामान्य योजना से सहमत होना है जो कि उन साधनों को निश्चय करेगी जिनके द्वारा साम्राज्यवादी कैम्प की मुख्य शक्तियों का विरोध करना होगा।”

भारत का एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में कठिन समय में जन्म हुआ था और इसके प्रारम्भ से ही दोनों गुटों के प्रभाव का विरोध करना पड़ा था। दिसम्बर, १९४७ में प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था कि—

“हमने किसी भी गुट में शामिल न होकर वैदेशिक उल्लंघनों से अलग रहने का प्रयत्न किया है और इसका प्राकृतिक परिणाम यह हुआ है कि इनमें से कोई भी गुट हमारे पक्ष में नहीं है।”

भारत को इसीलिए प्रारम्भ में ही एक ऐसी वैदेशिक नीति चुनने की समस्या का सामना करना पड़ा जो कि इसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके तथा साथ ही साथ इन गुटों या उल्लंघनों से इसको बचा सके। भारत का यह दुर्भाग्य है कि उसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण स्वभावतः दोनों ही गुट उसमें रुचि रखते हैं—

“भूगोल एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। और भौगोलिक दृष्टि से यह ऐसी स्थिति में है जो कि पश्चिम और उत्तर तथा पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया का मिलन-बिन्दु है।” (नेहरू)

तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के पश्चात् साम्यवादी चीन के साथ इसकी यम सीमा एक दूसरी समस्या है। भारत का ३५०० मील लम्बा सामुद्रिक सट है। काश्मीर में इसकी सीमा गोविन्द सघ की सीमा के अत्यन्त ही निकट है और यह कुछ महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है जिन्होंने कि हमारी नीति निर्धारण को निर्दिष्ट किया है।

राष्ट्रीय संपर्क के काल में कांग्रेस ने विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों का विकास कर लिया था। यह सिद्धान्त भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् तथा कांग्रेस दल द्वारा शासन व्यवस्था चलाने के कारण अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। कांग्रेस दल के मुख्य सिद्धान्त उपनिवेशवाद का विरोध, अर्थात् साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को शक्य स्थान पर विरोध करने की नीति तथा उत्पीड़ित और अल्पसंख्यक जनताओं के साथ प्रत्येक स्थान पर सहयोग भारतीयों के लिए विशेषतः तथा एशियाई और काले लोगों के लिए साधारणतः जाति समानता प्राप्त करना तथा पहिना की नीति के कारण विश्व शान्ति के लिए प्रयत्न और अहिंसक या अतन्त्रिक सधियों का विरोध कांग्रेस ने सर्वत्र सर्वाधिकारी अथवा अधिनायकत्वश्रीय-सरकारों का विरोध किया है और उसकी फासिस्टवाद तथा फासिस्टवादी सरकारों के प्रति विरोध की भावना सर्वविदिन है। उसने ईथोपिया पर इटली के आक्रमण को, स्पेन में अहमदर्शों की नीति को, चीन में जापान के आक्रमण को फासिस्टवादी अधिनायकों के प्रसन्न की नीति को तथा म्यून्निख सन्धि की निन्दा की है। इसका मर्देव अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रहा है और उसने कभी भी साम्यवादी गुट की ओर से आक्रमण का भय नहीं है।

१९५७ से ५९ के युग में भारत सरकार को राष्ट्र के विभाजन के कारण व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा था तथा इस विभाजन के परिणामस्वरूप नागरिक अस्थिरता और करोड़ों व्यक्तियों के स्थानांतरण होने की समस्या को भी सुलभाना पड़ा था। इस काल में इसकी मुख्य आन्तरिक समस्याएँ थीं—शान्ति और सुरक्षा की स्थापना, करोड़ों विस्थापितों का पुनर्वासन, एक नवीन प्रशासकीय व्यवस्था का निर्माण, प्रशासन पर भारतीय नियन्त्रण तथा नौबतों भारतीय राज्यों की एकता के सूत्र में बाँधना। इसकी पाकिस्तान के साथ काश्मीर के अगड़े, जूनागढ़ की घटना, अविभाजित सामान और इसने साथ ही इस नवीन राज्य ने सामान्य विरोध की भावना के कारण जो उपमहाद्वीपीय तनाव अत्यन्त हुआ था उसकी सुलभाना था। तैलमान में साम्यवादी आतंकवादियों को दबाना और इस प्रकार भारत को एक दूसरा सत्ताया, वर्मा, अथवा हिन्द चीन होने से रोचना भी इसकी एक महत्त्वपूर्ण समस्या थी। काश्मीर

सघर्ष और द गलैंड तथा अन्य कुछ राष्ट्रमण्डल के देशों की पाकिस्तान के प्रति भुवाव की अपेक्षा भी इसके राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रति घटपन्त ही निकट और गैरीपूर्ण सम्बन्ध रहे । १९४९ में इसने राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना स्वीकार किया और इसके गणतन्त्रीय सविधान को स्वीकार कर लेने के कारण राष्ट्रमण्डल के वैधानिक नियमों में आवश्यक परिवर्तन भी हुआ ।

इस युग में भारत की समस्याओं और नीति के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा है कि—

“हमें हमारे वैदेशिक सम्बन्धों में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का समय नहीं मिला । पिछले वर्षों के बीच में हम आन्तरिक सघर्षों और अव्यवस्था के मध्य में रह रहे थे जिसने कि हमारी सारी शक्ति को खींच लिया और हमें दूसरे मामलों को मुलभाने का अवसर नहीं दिया ... और निगन्धेह हमारी वैदेशिक नीति को इस अर्थ में प्रभावित किया है कि हमने उसे यथेष्ट समय या शक्ति नहीं दी है ।”

भारतीय वैदेशिक नीति के दूसरे अरण्य में १९४९-५३ तक इसकी आन्तरिक उपमहाद्वीप समस्याओं से किसी सीमा तक शास मिल गई थी । काश्मीर में युद्ध का अन्त हो गया था । इसने विस्थापितों की समस्या को किसी सीमा तक हल कर लिया था और अपने सैकड़ों देशी-राज्यों का एकीकरण करने आन्तरिक समस्याओं पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लिया था । इसने सफलतापूर्वक प्रशासकीय शान्ति और सुरक्षा की समस्या को भी हल किया और इस प्रकार स्थायित्व के लिए स्वाति प्राप्त की । यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि भारत का राजनैतिक स्थायित्व एशिया में नवीन स्वतन्त्र राष्ट्रों में एक अद्भुत वस्तु थी । जैसे ही भारत अपनी आन्तरिक समस्याओं एवं चिन्ताओं से स्वतन्त्र हुआ वैसे ही उसे चारों ओर देखकर अपनी वैदेशिक नीति का विकास करना आवश्यक हुआ ? इस युग में अप्रत्यक्ष रूप से शीतयुद्ध और गुट-सघर्षों के कारण उस पर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा यद्यपि उसने अपनी तटस्थता के दृष्टिकोण को बनाए रखा फिर भी इसका कुछ भुवाव परिषदी गुट की ओर रहा । क्योंकि उसके साथ इसके निकट आधिक सम्बन्ध थे और जिसकी सहायता की इसको संयुक्त राष्ट्र सघ में पाकिस्तान से अपने भगड़े को निपटाने के लिए आवश्यकता थी । भारत रटलिङ्ग गुट का एक सदस्य था और इस कारण इसकी आधिक व्यवस्था इस गुट से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है तथा अप्रत्यक्ष रूप से डालर पर निर्भर करती है । इस तथ्य को १९४९ में पाउण्ड के अवमूल्यन के साथ ही साथ भारत की मुद्रा का भी अवमूल्यन होने की आवश्यकता पूर्णरूप से सिद्ध करती है । भारत की विश्व में इस युग में स्थिति को हम प्रधान मन्त्री नेहरू के शब्दों में इस प्रकार र्णन सकते हैं—

“जब मैं यह कहता हूँ कि हमें किसी क्षत्रिय गुट के साथ गठि नहीं करनी चाहिए तो स्पष्टतः इसका यह अर्थ नहीं है कि इन्हें कुछ राष्ट्रों के साथ दूसरों की अपेक्षा निकट सम्बन्ध नहीं रखने चाहिए। यह सर्वथा कुछ प्राधारों पर निर्भर करता है विशेषतः आर्थिक, राजनैतिक और बहुत से दूसरे प्राधार।”

जब पुनः के भारत के लिए यह प्रश्नः सत्य है। इन तथ्यों के कारण इसके अतिरिक्त और राज्यमन्त्रालय के कुछ राष्ट्रों से अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक निकट सम्बन्ध है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि भारत ने अपने प्राधारों पर पश्चिमी गुट में सम्मिलित कर लिया हो।

चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना होते ही भारत की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की सीमाएँ घा गईं। इसलिये उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह साम्यवादी गुट के प्रति ठोस नीति का निर्धारण करे। भारत स्वाभाविक दृष्टि से अपने पड़ोसियों के राजनैतिक स्वायत्तत्व में, जो कि चीन के भी पड़ोसी थे विशेषतः नेपाल और बर्मा, रूचि रखता है। यह यह नहीं चाहता था कि चीन इन देशों के साम्यवादी दलों की सहायता दे या उनके अन्तरिक मामलों में किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके लिए आवश्यक था कि वह चीन के साथ कोई निरिच्छत समझौता करे और इसी कारण से भारतीय वैदेशिक नीति का विरुद्धात् सिद्धान्त शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त जिसको कि हम साधारणतया पंचशील के नाम से पुकारते हैं, का जन्म हुआ।

हमारी वैदेशिक नीति के दो मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम तो हमारा अन्तरिक आर्थिक विकास और हमारे राष्ट्र का औद्योगीकरण तथा द्वितीय हमारी कतिना में प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता की रक्षा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने सब पड़ोसियों की सहायता स्वीकार की है तथा पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर के राष्ट्रों से हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमने क्षत्रिय-राजनीति की गुटबन्धियों से भी भारत को सर्वथा अलग रखा है तथा वैदेशिक क्षेत्र में हमने अपनी स्वतन्त्रता को अधिक से अधिक मात्रा में बनाए रखने का प्रयत्न किया है।

भारत यथापि में तृतीय महायुद्ध में डरता है और उसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए कार्य करना है जिससे यदि सम्भव हो तो युद्ध के भय का अन्त हो कर दिया जाय। यदि युद्ध हुआ भी तो भारत का यह प्रयत्न होगा कि वह इस युद्ध में जहाँ तक सम्भव हो भाग न ले। अपने प्रादेशिक सैनिक समूह का निरन्तर विरोध इसीलिए किया है कि वह उनको तृतीय महायुद्ध का एक आवश्यक कारण मानता है। यह एक क्षत्रिय का क्षेत्र अपनी सीमाओं के चारों ओर बनाए रखना चाहता है और इसी कारण से अपने समर्थकों द्वारा आदिशान्त की सैनिक सहायता का विरोध किया था। अपने आर्थिक विकास को पूर्ण करने के लिए विश्व शान्ति

भारत के लिए आवश्यक है। उसकी सविनयित और निरपेक्षी हुई सार्वजनिक व्यवस्था को विकसित करने के लिए वैदेशिक सहायता आवश्यक ही आवश्यक है और यह सहायता केवल सार्वजनिक युग में ही प्राप्त हो सकती है। यह निश्चित है कि कोई भी युद्ध नहीं उसमें भारत सम्मिलित हो सकता नहीं उसके सार्वजनिक पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में प्रमाण सन्नी नेहरू ने कहा था कि—

“यह एक वास्तविक ही महान दुर्भाग्य होगा यदि हमें अपनी योजनाओं में दूसरों के भागड़ों और कठिन कार्यों के कारण रुकना पड़े या वे ठगने हो जाएँ।”

सार्वजनिक और नृपवत्सल की यह बुद्धि उन देशों के लिए जिन्होंने कि अपनी स्वतन्त्रता कठिनता से प्राप्त की है, अपने प्रारम्भिक युग में न तो गई है और न कूटनीतिक सिद्धान्त के विषय ही। वास्तविक और अकारण में भी नवजात समरीवन राष्ट्र के लिए ऐसी ही नीतियों का निर्धारण किया था और उसे भी उन्होंने मोक्ष के साँपों से प्रकट करने का परामर्श दिया था।

कोरिया, हिन्द-चीन और मिश्र में भारत ने इसलिए राष्ट्र संघ के कार्यों में अनुमोदन किया कि इसके द्वारा युद्ध की भाग को भीगित ही रखा जा सकेगा। किन्तु उसने संयुक्त राष्ट्र की पीजी द्वारा ३८ वीं समानान्तर रेखा को पार करने की नीति का विरोध किया क्योंकि ऐसा करने से उसे युद्ध क्षेत्र के विस्तृत होने का भय था। भारत और मिश्र में उसके सार्वजनिक कार्य तथा सार्वजनिक पूर्ण सहकारिता का एक मान-उद्देश्य विषय-सार्वजनिक है। यह उसकी तृतीय महायुद्ध को रोकने की तीव्र इच्छा को सिद्ध करते हैं। तृतीय महायुद्ध को रोकना उसने लिए कितना महत्त्वपूर्ण है यह श्री नेहरू के इस कथन से सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा—

“अब और कभी विनाश-साधना तो यह सम्पूर्ण विश्व-को-प्रभावित करेगा। हमारा पहला प्रयत्न इस विनाश को होने से रोकना है। यदि ऐसा करना हमारी शक्ति के बाहर हो तो हमें किसी भी हात में इस विनाश से बचना या ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जिसमें कि यदि यह विनाश आए तो जहाँ तक सम्भव हो इसके परिणामों को हम सहाय्य कर सकें।”

भारत अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आवश्यक ही प्रयत्न है। यह किसी भी युद्ध का अनुशासनी नहीं होगा चाहता है। यह किसी को भी किसी भी साधन के लिए अपनी स्वतन्त्रता नहीं छोड़ना चाहता है और इस कारण से उसने सार्वजनिक तटस्थता की नीति को अपनाया है। यह नीति एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र की नीति है जिसमें कि सार्वजनिक-निष्ठा है और जो कि स्वतन्त्र रहने के लिए हक-निष्ठा है। सार्वजनिक तटस्थता का अर्थ है प्रत्येक समस्या को उसकी निष्पक्षता से निपटना और न कि किसी राजनीतिक या सार्वजनिक कर्तव्यों पर। इस नीति को प्रायः दूसरे राष्ट्रों में ठीक प्रकार से समझने

का प्रयत्न नहीं किया है। भारत को प्रायः पञ्चसहस्रवादी कहा गया और उम पर यह आरोप लगाया है कि यह दोनों पक्षों से इस नीति के कारण लाभ उठाना चाहता है। किन्तु विशेषतः यह नीति किसी भी राष्ट्र में न शामिल होने की नीति है और इसका उद्देश्य राष्ट्र की स्वतन्त्रता को बनाये रखना है। श्री नेहरू ने इस सम्बन्ध में कहा है कि—

“‘‘रुद्र में शामिल होने का क्या धर्म है ? अन्तर्गतता इसका केवल एक धर्म ही सकता है, किसी भी विशेष प्रश्न के प्रति भाव प्रपने दृष्टिकोण को छोड़ दें तथा उम प्रश्न पर दूसरे पक्ष को प्रसन्न करने और उसके द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए उसका दृष्टिकोण प्रपना करें।’’

यह नीति विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के प्रति नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित है और यह वास्तव में एक नवीन वस्तु है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाओं के आधार पर न कि सिद्धान्तों के आधार पर चलाने का विश्व प्राची है। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि हमें इस नीति से बड़ी हानि हो रही है तथा इस नीति के कारण सम्पूर्ण राष्ट्र-परिवार में हमारा कोई भी मित्र नहीं है। कोई भी महात्वात्कि हमें समय पढ़ने पर पूर्ण सहायता देने के लिए प्रायः तैयार न हों। कुछ यह भी कहते हैं कि गोष्ठा और काश्मीर समस्याओं के हल में हमारी यह नीति मुख्य रूप से बाधक है किन्तु महा पर यह प्रश्न पृथक् उचित होगा कि क्या हम वास्तव में ऐसी सहायता की आवश्यकता है या हम ऐसी सहायता को बिना किसी प्रतिशान्न किए हुए प्राप्त कर सकते हैं ?

इन सब आलोचकों को, हम यह उत्तर दे सकते हैं कि हम नैतिक दृष्टिकोण को अपनाते का माहव तथा दूसरों पर कीचड़ उछालने का कार्य इसलिए कर सकते हैं कि हम स्वयं भीने के मजान में नहीं रहते हैं। हम न तो शोषितव्यता, साम्राज्यवाद तथा नियंत्रण राष्ट्रों का अधिक शोषण करने में विश्वास रखते हैं और न हम ऐसी कोई वस्तु चाहते हैं जो कि हमारी अपनी न हो। यदि इस नीति ने हमें नतिकर्मात्की मित्र नहीं दिये हैं तो इसने हमारे लिए नतिकर्मात्की शत्रुओं की भी उत्पत्ति नहीं की है और इस वर्तमान विभाजित तथा सघर्ष से परिपूर्ण विश्व में यह भी एक अत्यन्त महान् कार्य है। काश्मीर और गोष्ठा की समस्या का जहाँ तक प्रश्न है हमारी धैर्यनिक नीति की प्रतीक्षा और भी बड़ी कारण है। इन दोनों का सामरिक महत्व है और इसी कारण महान नतिकर्मात्की का उनमें दृष्टि निहित है। यह विशेषतः काश्मीर के सम्बन्ध में सत्य है। हम उनमें से कुछ राष्ट्रों की सहायता से भले ही काश्मीर को प्राप्त कर लें किन्तु हमें वहाँ पर प्रभु स्थापित करने की अनुमति देकर उसे वापिस लौटा पड़ेगा। केवल यही नहीं हमें और भी अधिक हानि इस जर्न में होगी कि तब हम किसी भी भविष्य में होने वाले युद्ध से नहीं बच सकेंगे। इस नीति के द्वारा जो हानियाँ होंगी वह निश्चय भविष्य में होने वाले सभी से बड़ी अधिक होंगी। जहाँ तक सहायता का प्रश्न

है हमने किसी भी राष्ट्र की सहायता की टुकराया नहीं है यदि इस सहायता को लेने में हमें किसी प्रकार से अपनी स्वतन्त्रता का भ्रन्त नहीं करना पड़ता है। प्रधान मंत्री नेहरू ने इस सम्बन्ध में कहा है कि—

“हमारे साधनों और हम जो करना चाहते हैं उनके बीच में बड़ा भ्रन्तर है। यह साईं ऋण के रूप में वैदेशिक सहायता से या धान्तरिक रूप से भरी जा सकती है। हम इस प्रकार से वैदेशिक सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और यत्नपूर्ण भी हैं किन्तु हमने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इससे हमारी धान्तरिक अथवा राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित नहीं किया जा सकता।”

एशिया के अधिकतर राष्ट्रों की वैदेशिक नीतियों की मुख्य समस्या साम्यवाद व पूँजीवाद का डर नहीं है—और यह भारत के लिए भी सत्य है—किन्तु अपने देश के विकास के लिए एक तीव्र इच्छा है। एल० के० रोलिंगर के शब्दों में—

“इसको सिद्ध करने के लिए यथेष्ट प्रमाण है कि अधिकांश एशियाई लोगों के लिए मुख्य समस्या मास्को या वाशिंगटन अथवा पूँजीवाद या साम्यवाद नहीं है किन्तु राष्ट्रीयता है तथा जनता को सरकार में अर्थात् में भाग देना है तथा आर्थिक विस्तार है।”

(इंडिया एन्ड यू० एल०, पृ० १४६)

इन विचारों के अर्थों के प्रति भारत का दृष्टिकोण पूर्ण तटस्थता का है और क्योंकि प्रायः यही दृष्टिकोण नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त किए हुए अधिकांश एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का है इसलिए भारत ने स्वभावतः ही इस तीसरे गुट के नेतृत्व को प्राप्त कर लिया है। भारत को निरुद्ध भविष्य में इन दोनों गुटों में से किसी से भी भय नहीं है और इसका मुख्य कारण उसकी स्वतन्त्र वैदेशिक नीति है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि—

“विश्व के ६० प्रतिशत देशों से भी अधिक भारत सुरक्षित है। अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं किन्तु वर्तमान अवस्था को देखते हुए निरुद्ध भविष्य में भारत को सत्रा अधिक शक्तिशाली और विरहित राष्ट्रों से नहीं कम है।”

भारत में न भय और न घृणा की मनोवृत्ति है और इसलिए उसे सैनिक नीति के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय वैदेशिक नीति के मुख्य उद्देश्यों एवं सद्यों को हम सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के इन शब्दों में बत सकते हैं—

“राष्ट्रों के दो शक्तिशाली गुट एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और प्रत्येक दूसरे पर आधिपत्य जमाने का प्रयत्न कर रहा है। जो इन दोनों गुटों में से किसी में भी सम्मिलित नहीं हो रहे हैं उनकी अवसरवादी बहुराष्ट्रीयता हो रही

है जैसे कि केवल दो विरोधी स्थान ही हो सकते हैं। हमारी नीति किसी के भी साथ सम्मिलित न होने की और सब देशों के साथ मैत्री-भाव रखने की है। हमने ऐसा इसलिए ही नहीं किया है कि हम शान्ति को अत्यधिक चाहते हैं किन्तु इसलिए भी कि हम अपनी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि और उन सिद्धान्तों के जिनका हमने प्रतिपादन किया है, के प्रति झूठे नहीं हो सकते। हमारा यह विश्वास है कि वर्तमान की समस्याएँ शान्तिपूर्ण उपायों से सुलभार्थ जा सकती हैं और प्रत्येक राष्ट्र बिना दूसरे पर आपापस्य जमाएँ जिस प्रकार चाहे अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हमने प्रजातन्त्रीय विकास और अपने सदस्यों को अपने बनाए हुए संविधान में रखा है। हम यह सोचने का दावा नहीं करते हैं कि हमारी नीतियों से या जो कोई भी बदम उठावेंगे उसमें विश्व की महान् समस्याओं में कोई गंभीर अन्तर हो जाएगा किन्तु समयतः हम अपनी शान्ति का पलटा मारी कर सकें, और यदि यह सम्भव है तो इसके लिए प्रत्येक प्रयत्न उचित है। शान्ति का अर्थ केवल गृह की अनुपस्थिति नहीं है यह अस्तित्व की एक अवस्था भी है। वर्तमान शीत-युद्ध से परिपूर्ण विश्व में अस्तित्व की यह अवस्था पूर्णतः अनुपस्थित है। हमने यह प्रयत्न किया है कि हम इस युद्ध और घृणा के वातावरण से प्रभावित न हो जायें और अपनी समस्याओं तथा विश्व की समस्याओं को जितना भी संभव हो, निष्पक्षता से सोचें। हमने यह आशा किया है यदि विश्व में कोई भीपण दुर्घटना हो भी जाय तो विश्व के उस भाग को जहाँ तक संभव है उससे अलग रखना आवश्यक है। इसीलिए हमने यह घोषणा की है कि भारत युद्ध में भाग नहीं लेगा और हमने यह आशा भी की है कि एशिया के दूसरे देश भी इसी प्रकार इससे दूर रहेंगे और इस प्रकार एक शान्ति क्षेत्र का निर्माण करेंगे। जितना ही अधिक यह क्षेत्र होगा उतना ही युद्ध अधिक दूर होता जायगा। यदि सम्पूर्ण विश्व दो बड़े और विरोधी दलों में विभक्त है तब युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है और विश्व के अस्तित्व के लिए कोई आशा नहीं रहती।”

भारत की इस स्वतन्त्र वैदेशिक नीति को विदेशों में अत्यन्त समझा गया है, विशेषकर अमरीका में। १९४६ में जॉन फारस्टर डेल्लर, जो कि अमरीका के तत्कालीन विदेश मंत्री के और उस समय समुक्त राज्य अमरीका के समुक्त राष्ट्र संप दूत महान के सदस्य थे, कहा था—

“भारत में सोवियत साम्यवाद अन्तरिम हिन्दू सरकार के द्वारा अत्यधिक प्रभावशाली है।”

अमरीकन लोगों के लिए साम्यवाद एक अत्यन्त ही भयानक शत्रु है। उनका यह विश्वास है कि साम्यवादी गृह का बाकी बचे हुए गठार पर आक्रमण करने जीत

लेने का हक निश्चय है और साम्यवादी निश्चय यदि किसी प्रकार से भी चौकशी में पकड़े जाय तो सोवियत संघ और उसके साथी साम्यवादी राष्ट्र इस सलाहकारी से लाभ उठाकर विश्व भर में साम्यवाद स्थापित कर लेंगे। भारत इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। कम से कम वह इस सहमत नहीं है कि उस और से भारत को कोई सबक है। हमें सोवियत संघ और उसके साथी देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और रूसिया आदि से आर्थिक सहायता मिली है। हम युवास्वास्थ्य से भी उचित सहायता मिली है। साम्यवादी चीन व साथ ही हमारे मैत्री संबंध हैं और हमने चीन का समुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान दिलाने के लिए समर्थन सहित भी दिया है। भारत इसीलिए पश्चिम के साम्यवादी विरोधी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। हमें कारणों का समझना पर मुझसे पश्चिम में सोवियत संघ से विशेष सहायता मिली है। हम पश्चिमी सैनिक सहायता से भी सहमत नहीं है क्योंकि वे युद्ध एवं युवा की मनोवृत्ति उत्पन्न करते हैं तथा विश्व को युद्ध के समीप ले जाते हैं। हम शक्ति के द्वारा शांति की पश्चिमी नीति से भी सहमत नहीं है। हमें अगला और मनीला संधियों का तथा पाकिस्तान को सैनिक सहायता का इसलिए विरोध किया है कि इनके द्वारा भी युद्ध भारत की सीमा तक आ पहुँचेगा और भारत के विश्व युद्ध में उलझने की सम्भावना में वृद्धि होगी।

भारत अमरीकी सम्बन्धों में जो तनाव अभी व भी दिखाई देता है उसका मुख्य कारण भारत के सम्बन्ध में अमरीकी जनता का विचार अज्ञान है क्योंकि हम अमरीका और सोवियत संघ दोनों से मैत्री रखना चाहते हैं इसलिए हम साम्यवादी अमरीका में अतिसंयत आना है क्योंकि एक साम्यवादी अमरीका में अमरीका को समझने में असमर्थ है। उनके अनुसार सोवियत संघ का प्रत्येक मित्र साम्यवादी ही हो सकता है और इसलिए वह प्रजातन्त्र और पश्चिम का विरोधी होगा। अमरीका और इंग्लैंड में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की सहायता की है। अमरीका की पाकिस्तान को सैनिक और आर्थिक सहायता के कारण इन सम्बन्धों में और भी तनाव उत्पन्न हुआ है। जाति भेद के सम्बन्ध में विशेषतः अफगानिस्तान में भारतीयों के साथ व्यवहार तथा अफगानिस्तान में अमरीका पर भारत और अमरीका की नीति में प्रायः साम्य नहीं है किन्तु फिर भी अमरीका भारत को पूरी तरह से मानता नहीं आहता है। वह यदि सम्भव हो तो नेहरू को अपनी ओर खिंचना चाहता है या किसी प्रकार से ऐसा समझना करना चाहता है जिसके द्वारा भारत अतिसंयत हुए साम्यवाद को खोजने में अमरीका की सहायता करे। अफगानिस्तान अमरीका के विरोधी और राजनीतिक इसलिए भारत को सहायता देना पड़ता है कि एशिया का यही रथायी प्रधानत्व है और यही भी प्रजातन्त्र का अन्त एशिया में साम्यवाद की शक्ति बड़ी विजय होगी।

वाल्टर लिटमैन के अनुसार —

“तब वहाँ हम साधियों की सौज करेंगे जबकि राष्ट्रवादी चीन, नीदर-लैंड्स तथा फ्रान्स एशिया में वह कार्य करने के लिए असमर्थ है जिसकी विलक्षणता है हमें उनसे आशा थी। मेरी समझ में यह एक मूलभूत समस्या है जिसका विलक्षणता है एशिया के प्रति अमरीकन नीति के निर्माण के लिए आवश्यक है मेरी समझ में हमारे लिए यह पक्का होगा कि हम नेहरू के साथ अपने चीन और इण्डोनेशिया की नीति को निर्धारण करने के लिए सलाह करें।”

(न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून १० जनवरी १९४९ इन्डियन फारेन पॉलिसी—पृ० १० सी० कुन्डा पृ० ११७ से उद्धृत)

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अमरीका भारत के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करने के लिए सोच में पड़ा हुआ है।

इस लेख का अन्त हम डॉ० जी० सी० कुन्डा के इन शब्दों में कर सकते हैं—
 “अन्त में, यह भी कहना होगा कि भारतीय वैदेशिक नीति पृथक्त्ववादी या तटस्थवादी इन शब्दों के साधारण अर्थ में नहीं। वास्तव में यह एक युद्ध विरोधी नीति का पालन कर रहा था। उसकी नीति इस पूरे समय में यह थी कि यदि एक विश्व युद्ध प्रारम्भ हो तो उससे बाहर रहना है तथापि उसने अपने को जो कुछ विश्व में हो रहा है उससे अलग नहीं रखा—। भारत ने पूर्ण शक्ति से प्रत्येक समस्या को उसने गुणों वाली नीति का पालन किया है और प्रत्येक समस्या पर एक या दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए हैं। ऐसी नीति के साथ बहिष्कार यह है कि यह एक केवल नीतिक नीति रह जाती है जब तक कि राष्ट्र इसको हमकी ताकियत भीमा तक ले जाने का प्रयत्न नहीं करता—राज्यों से बीच में सवाधों की शक्ति के उपयोग द्वारा—गुणों पर लिए गए दृष्टिकोण से कोरिया की समस्या को ही लीजिए। भारत ने यह माना कि वहाँ पर आक्रमण हुआ है उसने ‘गुणों’ पर यह निर्णय किया कि उत्तर कोरिया आक्रमणकारी है। किन्तु क्या वह इस आक्रमण को एशिया की शक्ति द्वारा मढ़ने के लिए तैयार था तथा वह उत्तर कोरिया से जिसको कि साम्यवादी गृह युद्धः टीबेट मममता था, युद्ध कर सकता था ? ऐसा मार्ग स्वभावतः भारत की किसी और सम्मिलित न होने और युद्ध विरोधी नीति के विरुद्ध था।”

(इन्डियन फारेन पॉलिसी पृ० २२४)

हम इस बात पर डॉ० कुन्डा से पूछेंगे: महमन हो सकते हैं कि हमने अपनी विदेश-नीति के मूल सिद्धांत का पूरा-तः पालन नहीं किया है। यदि हम शक्ति तथा

राष्ट्रो के बीच में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून का राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि कानून को तोड़ने वाले और मानने वाले के मध्य में तथा आक्रमणकारी और उसके शिकार के बीच में भेद करे। विश्व में हमारी स्थिति को बनाये रखने के लिए तथा भारतीय वैदेशिक नीति यथार्थ में शक्तिशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है कि हमें केवल एक नैतिक दार्शनिक की तरह से नैतिक सिद्धान्तों से आधार पर नियंत्रण दे देने से ही सतोष नहीं कर लेना चाहिए किन्तु आक्रमण का विरोध करने के लिये तथा कानून न मानने वाले राष्ट्रों का विरोध करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति से तथा अपने संपूर्ण साधनों—नैतिक व शारीरिक से सदैव तत्पर रहना चाहिए।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व

मुद्रांतर शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व की समस्या ने धर्यन्त ही महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया है। वास्तव में इस समस्या का प्रादुर्भाव १९१७ में सोवियत संघ की स्थापना के समय से ही हुआ है। विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम एक प्रमुख राज्य में एक भिन्न प्रकार की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई। इस राज्य ने यह घोषणा की कि बाले मार्क्स की राजनीतिक विचारधारा को कार्य रूप देना और उसे सम्पूर्ण विश्व में फैलाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य होगा। और इस धमकी को पूरा करने के लिए इसने विश्व के साम्यवादी दलों के तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इस राज्य के प्रति जन्म से ही मदेह और अविश्वास की भावना रही और दूसरे राज्यों ने बहुत समय तक इसको मान्यता नहीं दी। एक राज्य जिसका स्पष्ट उद्देश्य दूसरे राज्यों के आन्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है और जो हस्तक्षेप द्वारा अध्यक्षता, धराजकता फैलाना चाहता है और इसके फलस्वरूप एक साम्यवादी अधिनायकत्व की स्थापना करना चाहता है तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रमुख सिद्धान्तों को रंग करता है, ऐसे राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिए एक घटक ही सबक की वस्तु माना गया था। महान् शक्तियों में समुक्त राज्य प्रभरीका ने ही इसे १९६० के अन्त में उत्तम मान्यता प्रदान की थी और यह भी तब किया था जब कि इसने साम्यवादी दलों के तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ का विघटन कर दिया था तथा एक विश्व समाजवादी शान्ति के उद्देश्य और आदर्श को छोट देन की स्पष्ट घोषणा की थी तथा समुक्त राज्य प्रभरीका की मजबूत की यह स्पष्ट वादा किया कि उस राष्ट्र में सर्वोच्च द्वारा स्थापित सरकार का पतनने के उद्देश्य या इरादा रखने वाले किसी राजनीतिक दल, समूह या गृह की जिनकी विचारधारा हिंसात्मक है, सभी भी सहायता नहीं देगा।

नाटकी तथा स्थापित की शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्विता का निर्माण १९२८ में स्थापित के पक्ष में हुआ और तब सोवियत संघ ने राजनीतिक दृष्टि से यह उचित

समझा कि वह विश्वत्राति के उद्देश्य को छोड़ दे। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद की स्थापना और निर्माण को सम्भव समझा तथा इसे एक अस्पष्ट और ध्वंसावहारिक विश्वत्रान्ति के आदर्श से अधिक महत्वपूर्ण समझा। स्टालिन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि पूँजीपति राज्यों के विश्व में समाजवादी राज्य का भी प्रस्तित्व हो सकता है। एक राष्ट्र में समाजवाद के विचार के पीछे पूँजीपति राष्ट्रों के साथ सह-अस्तित्व का विश्वास छिपा हुआ था और तब से विश्व में इस राज्य के प्रति यद्यपि तनाव कुछ कम हो गया किन्तु फिर भी इसमें और विश्व के दूसरे राज्यों में सन्देह और अविश्वास का पूर्ण अन्त नहीं हुआ। यह पूँजीपति राज्यों के इससे प्रति सन्देह और अविश्वास के दृष्टिकोण का कारण है। यद्यपि सोवियत संघ में उनके प्रति क्रान्ति के लिए कोई महायुद्ध एव सजानुभूति रखने वाले नहीं थे तथा सोवियत संघ के तथा समाजवाद के बहुत से सर्गठिन और प्रभावशाली सहायक उनकी सीमा के भीतर थे विश्व के प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्र में सुसंगठित साम्यवादी दल की उपस्थिति उनके लिए चिन्ता का विषय थी। यह भी पूर्ण विदित है कि यह साम्यवादी दल इसके अन्तर्राष्ट्रीय संघ के विघटन के पश्चात् भी सोवियत संघ से निर्देश और सहायता की आशा रखते हैं एव प्राप्त करते हैं। प्रत्येक पूँजीवादी राज्य में इस प्रकार उसकी जनता का एक भाग सोवियत संघ का प्रशंसक था एव और उसकी स्वामिभक्ति तथा देशभक्ति पर यह पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकते थे।

इङ्ग्लैण्ड और फ्रांस की प्रजातन्त्रीय सरकारों ने जर्मनी और इटली के फासिस्ट-वादी अधिनायकत्वों को इस अर्थ में आशा में कि वे किसी समय पर इस साम्यवादी राज्य और इसकी विचारधारा को नष्ट कर देंगे सहमत नहीं बरन् प्रोत्साहित किया और जब पश्चिम के प्रजातन्त्रों में यह समझा कि फासिस्टवाद केवल साम्यवाद विरोधी ही नहीं बरन् प्रजातन्त्र विरोधी भी है बहुत डेर चुकी थी। इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी नीति में एकाएक परिवर्तन करना पड़ा और अपने अस्तित्व के लिए उन्हें द्वितीय महायुद्ध के बीच में इस घृणित राज्य से सहयोग करना पड़ा। अब तक यह युद्धकाल ही इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच सक्रिय सह-अस्तित्व का काल रहा है।

युद्ध के पश्चात् विजित तथा नष्टप्राय सोवियत संघ के स्थान पर एक विस्तृत और शक्तिशाली सोवियत संघ विश्व के समक्ष आया। यह अपने प्रकार का केवल एक ही राज्य नहीं था किन्तु अब इसके साम्यवादी राज्यों का एक गुट था जिसमें कि सम्पूर्ण पूर्वी योरोप और चीन सम्मिलित थे। इस गुट के सदस्य एक सामान्य विचारधारा द्वारा सम्बन्धित हैं। तथा राष्ट्रीय राजनीति में यह विचारों द्वारा एकत्व एक प्राथमिक तथ्य है और यह साधारण राजनीतिक तथा धरतल सन्धियों से अधिक शक्तिशाली एव अधिक स्थायी है। यह धार्मिक सन्धि की तरह कट्टरता पर आधारित है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजीवादी और समाजवादी विचारधाराएँ पूर्ण रूप

से शक्ति में सुसंजित एक दूसरे के विरोध के लिए तत्पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो विश्व के राजनीतिज्ञों ने अपने ऐतिहासिक पाठ भुला दिए हैं या इतिहास का अत्यन्त ही अपूर्ण अध्ययन किया है। यह एक इतिहास का महत्वपूर्ण पाठ है। विचारों को वही भी शक्ति के द्वारा नष्ट या दबाया नहीं जा सकता। इस सत्य को हम जितनी गीब्रता से हम जान लेंगे उतना ही मानवता के हित में होगा। किसी भी विचारधारा को दबाना असंभव है, और यही बात साम्यवादी विचारधारा के लिए भी सत्य है। दर्शन का उत्तर केवल दर्शन के द्वारा ही दिया जा सकता है। दर्शन के सपनों का निपटारा युद्ध के मैदान में बदावि नहीं हो सकता। यह अत्यन्त प्राश्चर्य-जनक बात है कि वे लोग जो कि विश्व के भाग्य एवं भविष्य को निर्देशित करते हैं इस साधारण तथ्य को समझने में असमर्थ हैं। तर्कों का उत्तर गोलियों और धमकी से तथा उसको एक सक्रामक रोग मानना और फैलने से रोकने के लिए चारों ओर एक निषेध-रेखा खींचना अत्यधिक अतार्किक, हास्यास्पद और वास्तव में अपनी हार को स्वीकार करना है। साम्यवाद न है और न इन पूँजीवादी राज्यों के लिए एक सफट रहेगा यदि वे अपनी कमियों पर ध्यान दे और यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि इसकी प्रगति के मुख्य कारण क्या हैं। हमें उन परिस्थितियों में सुधार करना चाहिए जिनके कारण कराँड़ों साम्यवाद की ओर झुकते हैं।

यद्यपि यह विचारधाराएँ समझौते के लिए कोई सार्थमान्य आधार का निर्माण करने में असमर्थ हैं और यह एक दूसरे का शक्ति के द्वारा विनाश भी नहीं कर सकतीं जब तक कि साथ ही साथ यह सम्पूर्ण विश्व एवं सभ्यता का विनाश न करतीं ही तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक अधिक उचित दृष्टिकोण न होगा कि इनके बीच सह-अस्तित्व का प्रयत्न किया। इतिहासकार नेहरू ने इतिहास के इस तथ्य को समझा है और उसने इसे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के रूप में जिसको कि १९५४ की नेहरू-चाऊ घोषणा में एक निश्चित रूप दिया गया था और जिसको साधारणतया हम पंचशील कहते हैं।

इन पंचोद्वे सिद्धान्तों का अध्ययन करने से यह पूर्णतः सिद्ध हो जायगा कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का मूल आधार सहिष्णुता है—विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच सहिष्णुता। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस सहिष्णुता को हम एक दिन में उत्पन्न नहीं कर सकते। यह सत्य है कि शक्ति के कारण पमंड उत्पन्न होता है और फायदे के कारण असहिष्णुता। जब तक कि विश्व की प्रमुख शक्तियाँ उद्ब्रज नम और महाद्वीपीय निर्देशित शक्तियों पर विश्वास करेंगी तब तक सहिष्णुता का प्रश्न ही नहीं उठता। एन्ड्रू रोपस्टोन का यह मत है कि एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के युग को प्रारम्भ करने के लिए—

“सर्वप्रथम इन दोनों राज्यों द्वारा (और यह फ्रान्स, अमेरिका तथा सोवियत) संधि के सम्बन्धों के लिए भी समान रूप से ठीक है, यह घोषणा जिसके करने में अत्यन्त देर हो गई है कि वे अपनी युद्ध कालीन सन्धियों के सिद्धान्तों पर अत्यन्त शीघ्र ही कार्य करेंगे ब्रिटेन के सगठन में २६ मई १९४२ की आगल-सोवियत संधि के तृतीय अनुच्छेद में दोनों देशों को दूसरे समान दृष्टि कोण वाले राष्ट्रों के साथ युद्धोत्तर शान्ति युग में स्थापित करने और अनुमान को रोकने के लिए समान कार्य करने के प्रस्तावों को मानने के लिए एक होना चाहिये और यह वायदा पाँचवें अनुच्छेद में और आगे विस्तृत किया था जबकि दोनों पक्ष इससे सहमत थे कि वे योरोप की आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के सगठन के लिए शान्ति के पुनः स्थापन के पश्चात् । निकट और मंत्रीपूर्ण सहयोग एवं कार्य करेंगे ।”

“शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए आवश्यक दूसरा सिद्धान्त यह है कि प्रभु-सत्ता और भौतिक संपूर्णता का घाट है । इसका अर्थ है कि वह समय आ गया है जबकि इस घमड़ से भरी हुई और क्रोध उत्पन्न करने वाली ‘उद्धार’ बात का अन्त किया जाय जो कि सर्वैव जनरलों और राजनीतिज्ञों में उनकी सरकारी द्वारा अस्वीकार किए हुए चलती रहती है । यदि सीमाओं और क्षेत्रों के सम्बन्ध में संपर्क है तो अब समय आ गया है कि हम गम्भीरता पूर्वक तथा व्यापारिक रूप से जाँचें और देखें कि उनमें से क्या कोई इस योग्य है जिसका पलटने के लिए विश्व युद्ध आवश्यक हो यदि नहीं तो स्पष्ट रूप से वह समय आ गया है कि हम जिससे वास्तव में सहमत हैं उसको लिखित रूप में तथा उक्त कानूनी मान्यता भी प्राप्त हो जाए ।

“तृतीय, १९४२ की सन्धि के सातवें अनुच्छेद के अनुसार ब्रिटेन और सोवियत संधि में जिन विरोधी सम्बन्धों तथा गृहों के विरुद्ध अपने आपको बाँधा था उनका अन्त कर दिया जाय । इसका यह अर्थ नहीं है कि आवश्यक रूप से सब वर्तमान सबंध विच्छेद किए जाएँ... समस्या केवल यह है कि उनको किस प्रकार परिवर्तित किया जाय ताकि अन्तर्राष्ट्रीय भय में कमी हो, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हो ।

“इसके पश्चात् एक दूसरे के घातरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति आती है—जिसका यह अर्थ नहीं है कि अपने भौतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक उपसम्बन्धों का प्रकाशन न किया जाय ।... अहस्तक्षेप का अर्थ दूसरे देशों की आन्तरिक राजनीति पर आधिपत्य और वित्त सम्बन्धी दबाव का अन्त कर देना है—जिसके कि युद्ध के पश्चात् बहुत से उदाहरण मिलते हैं ।

“शांति पूर्ण सह-प्रतिस्व का गौनवा मुख्य लक्षण है सभ्यता के आधार पर व्यापार । एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक स्पष्ट मामूली जैसे कि सस्त्र और मोना याहूद के अनिश्चित और किसी पर प्रतिबन्ध न करना ।

‘शांतिपूर्ण सह-प्रतिस्व के लिए एक आवश्यक छुटा मिद्वान्त सरकारों द्वारा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुभवों के दोनों देशों के बीच में विनिमय के लिए पर्याप्त सह्यता ।’

स्टालिन ने अपनी पुस्तक ‘समाजवाद की आधिकारिक समझौते’ में लिखा है कि राजनैतिक विभाजन के कारण विश्व में दो विरोधी विश्व बाजार आदि आधिकारिक रूप में भी विभाजन कर रहे हैं । २२ मार्च १९५४ को बोर्ड आफ ट्रेड के अध्यक्ष ने भी कहा था—

“यदि विश्व को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाय तो यह व्यापार के लिए आवश्यक दुर्ग विश्व होगा ।”

गम्बू, राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में कहा है कि—

‘विश्व के आन्तरिक में इन मिद्वान्तों की घोषणा तथा उनको व्यवहार में लाने के लिए पहले पण द्वारा प्रारम्भ भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा । किन्तु समान रूप से नितांत आवश्यक विश्व की मुख्य तर्पण समझौतों पर समझौते की आवश्यकता है । इन दोनों राज्यों के समूहों में ...’

(सोवियत की एम्प्लॉयमेंट पृ० १५३)

शांतिपूर्ण सह-प्रतिस्व से हमारा यह कदापि अर्थ नहीं है कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष की राजनैतिक, आधिकारिक और सामाजिक विचारधाराओं से पूर्णतः सहमत हो जाय । सह-प्रतिस्व का अर्थ सहमति कदापि नहीं है किन्तु केवल जीवित रहने और दूसरों को जीवित रहने दो, की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है । ब्रिटेन के अग्रेज दल की अध्यक्षता डा० एडिथ समरस्किम ने ११ दिसम्बर, १९५४ को रेडियो पर भाषण देते हुए इस सम्बन्ध में कहा—

“शांतिपूर्ण सह-प्रतिस्व का अर्थ दूसरे राष्ट्र की सरकार के मिद्वान्तों में पूर्णतः सहमति आवश्यक रूप में नहीं है किन्तु हमारा अर्थ गन्देहासक युद्ध न करने की नीति जिसको कि आवश्यक शांति कहते हैं से नहीं अर्थ है । हमें अपने इस विचार में छुटकारा या गेना चाहिए कि जबकि आधा विश्व भूया है तब हम प्रगति कर सकते हैं ।

यदि हम शांतिपूर्ण सह-प्रतिस्व के मिद्वान्त के सम्बन्ध में सब राष्ट्रों से सहमति प्राप्त कर सकें तो हम भविष्य में शांति की आशा कर सकते हैं । ऐसी

परिस्थितियों में युद्ध की सम्भावना का अन्त हो जायगा और इस युद्धोत्तर युग में यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम तृतीय महायुद्ध की सम्भावना का अन्त करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करें। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व यदि नहीं होगा तो हमें तृतीय महायुद्ध के द्वारा सार्वभौमिक विनाश का भय रहेगा। अणुशस्त्रों के भयंकर विनाशकारी परिणाम को हम सब जानते हैं। हमारे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम शान्ति की मनोवृत्ति का विकास करें। अन्यथा सम्पूर्ण पृथ्वी की हमारी मान्यताओं और सम्पत्ता का और पिछले १५ शताब्दियों की सम्पूर्ण उन्नति के पूर्ण विनाश की सम्भावना का हम शान्तिपूर्वक सामना नहीं कर सकते।

मानवता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में हमें यथेष्ट परिवर्तन करना होगा तभी सहिष्णुता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थापना हो सकेगी। हमें पड़ोसी और पड़ोसी के मध्य एक सामाजिक समूह और दूसरे सामाजिक समूह के बीच के विभिन्न धर्मों के मध्य में, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थापना करनी होगी और तभी हम शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए आवश्यक तथा राष्ट्रीय समूहों के बीच में सहिष्णुता के लिए आधार-स्वरूप एक स्वस्थ मनोवृत्ति उत्पन्न करने में सफल होंगे।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को ठोस रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि घृणा का प्रचार बन्द कर दिया जाए और राष्ट्रों के मध्य में अप्राकृतिक प्रतिबन्धों को भंग कर दिया जाय। लोहे, रेशम या बान के परदे नहीं होने चाहिए और एक दूसरे को जानने के लिए यथार्थ में प्रयत्न करना आवश्यक होगा। यह सत्य है कि हम उनसे घृणा करते हैं जिनको कि हम नहीं जानते, और जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे हम घृणा करते हैं। और इस प्रकार घृणा एवं अज्ञान का यह दूषित वातावरण कटुता, तनाव तथा असहिष्णुता उत्पन्न करता रहता है तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के मार्ग में एक बहुत बड़ा अवरोध है। सर नार्मल एन्जिल्स ने शान्ति के लिए आवश्यक शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक तत्त्वों के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि न तो मानव प्रकृति स्थायी है और न सघर्षमय है मानव प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, तथा परिवर्तन किया जा सकता है। इन कारणों से हम सरलतापूर्वक शान्ति के लिए मनोवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि साधारणतः सामान्य व्यक्तियों में शान्ति की मनोवृत्ति पाई जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि दोनों गुटों के साधारण व्यक्ति एक दूसरे के सम्बन्ध में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन गुटों के बीच में समाचारों, दृष्टिकोण, यातायात के साधनों आदि पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न हो। जनता को एक दूसरे के सम्बन्ध में यदि यथार्थता की जानने का अवसर दिया जायगा तो यह निश्चित है कि वे एक दूसरे के भेदों

के प्रति सहिष्णु होंगे तथा उनमें सहानुभूति का विकास होगा। जब तक यह नहीं होता तब तक शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व केवल एक राजनीतिक नीति का यत्न्य मात्र रहेगा।

शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व से सश्रिय सहयोग का पग सब राष्ट्र अपने पाप से लेंगे, यदि उन्होंने शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व का सिद्धान्त अपना लिया है तथा शान्ति के लिये मनोवृत्ति का निर्माण हो चुका है। सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इन दोनों गुटों के बीच में सीधे व्यापारिक सम्बन्ध तथा सम्पूर्ण प्राथिक क्षेत्र में सहयोग। योरुप की प्रव्यवस्थित प्राथिक दशा में सरलता से सुधार हो सकता है यदि पूर्व पश्चिम के व्यापार को फिर से प्रारम्भ कर दिया जाय। पूर्वी कृषि-प्रधान योरुप पश्चिमी औद्योगिक-प्रधान योरुप की प्राथिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सच के द्वारा प्रकाशित आकड़ों का यह अनुमान है कि औद्योगिक पश्चिमी योरुप १४२ करोड़ डालर लागत का सामान पूर्वी योरुप को निर्यात कर सकता है किन्तु इन प्रतिबन्धों के कारण केवल ४७ करोड़ डालर की लागत का सामान निर्यात कर रहा है। इसी प्रकार से योरुप २ अरब डालर लागत का सामान पश्चिमी योरुप को निर्यात कर सकता है, किन्तु इस समय केवल ५८ करोड़ डालर लागत का सामान ही निर्यात कर रहा है। यह सब उन अप्राकृतिक प्रतिबन्धों के कारण है जो कि पश्चिम के प्राकृतिक व्यापार का अवरोध कर रहे हैं तथा योरुप की प्राथिक व्यवस्था को अत्यन्त-लिथ कर रहे हैं। यह आकड़े पूर्णतः सिद्ध करते हैं कि इन अप्राकृतिक प्रतिबन्धों और भीत-युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की हानि हो रही है। प्राथिक सहायक अत्यन्त ही आवश्यक है और विश्व के राजनीतिज्ञों को इसकी आवश्यकता समझ लेनी चाहिए अन्यथा यह अप्राकृतिक अवस्थाओं के कारण विश्व में एक प्राथिक संकट उत्पन्न हो सकता है और यह संकट पूँजीवादी प्राथिक व्यवस्थाओं को सम्भवतः नष्ट भी कर देगा। इस कार्य को चलाने के लिए अप्राकृतिक प्राथिक सहायताएँ प्राथिक दिनों तक उपयोगी नहीं हो सकती। अस्त्रों की यह दौड़ जो विश्व व्यापार में अत्यधिक घुटि कर रही है प्राकृतिक प्राथिक सम्बन्ध स्थापित भी कुछ क्षण के लिए न कर सकेगी।

विश्व के प्राकृतिक साधनों के उपयोग के क्षेत्र में औद्योगिक-एवं प्राथिक विकास की प्रगति के लिए तथा अत्यन्त में अस्तु-वर्धित के शान्ति पूर्ण उपयोगों के लिए यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि दोनों गुट सह-प्रस्तित्व और सश्रिय सहयोग के दिचार को अपना लें। इस सश्रिय सहयोग के साधारण के सम्बन्ध में एन्ड्रू रोयस्टीन ने लिखा है—

“यदि शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व का अन्व वस्तुओं के साथ यह अर्थ भी स्वीकार कर लिया जाय कि समस्त छोटे छोटे व बड़े राष्ट्रों की राष्ट्रीय प्रभुता के प्रति आदर हो तो यह समाजवादी व पूँजीवादी राष्ट्रों के बीच सहयोग के एक

विशाल क्षेत्र को सोलना सम्भव होगा— और यह सहायता, जहाँ तक शीघ्र लाभ का सम्बन्ध है, निस्वार्थ होगी किन्तु फिर भी यदि उसको एक अधिक समृद्धिशाली विश्व के भाग के रूप में देखा जाय तो सहायता देने वाले देशों के हित में होगी।

‘निर्बल राष्ट्रों की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता प्राथिक और राजनैतिक क्षेत्रों में पूर्ण रहेगी। यह इसका एक आवश्यक लक्षण होगा। जैसे कि आवश्यक सामग्री यांत्रिक भौतिक सहायता और दूसरी सेवाएँ इन सम्बन्धित देशों को देनी जानी चाहिए और वे उसे सरलतम सम्भव शर्तों पर जो कि उनके वर्तमान कठिनाई को पूर्णतः ध्यान में रख कर निश्चित की गई है, वापस चुकाएँ कि पूजा के विनिमयों के रूप में और उसके साथ सदैव के लिये या कुछ वर्षों की अवधि तक वार्षिक लाभ के अधिकार के लिए हो।’

(पीसफुल को-एग्जिस्टेंस, पृ० १७५)

यह धार्मिक सहयोग तभी स्थापित हो सकता है जबकि धार्मिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्णतः अन्त हो जाए। किन्तु ऐसा होने की वर्तमान को कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होता है। जब तक पूजावादी राष्ट्र रहेंगे तब तक वे सैनिक पदार्थ और मार्केटों के लिए सुरक्षित साधनों की खोज में रहेंगे। पूजावादी देश पूजावादी की अधिक विकसित दशा में हैं पूजा के विनियोग का भी प्रयत्न करेंगे। इसके कारण पिछड़े हुए राष्ट्र पर धार्मिक और प्रायः उनके मामलों में राजनैतिक हस्तक्षेप होता रहेगा। इस कारण से ही फ्रान्स जो कि देशों में हर कीमत पर अपने उपनिवेशों को बनाए रखने की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसा धार्मिक अधिपत्य विश्वशान्ति के लिए अहितकर है तथा शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व की भावना के विकास के मार्ग में बाधक है। जब तक धार्मिक साम्राज्यवाद रहेगा तब तक प्रतिद्वन्द्विता की भावना रहेगी। हमें एंड्रयूयस्टीन का यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए कि जो कुछ पिछड़े हुए राष्ट्रों को सहायता दी जाय वह निस्वार्थ हो और केवल सहायता की भावना से ही दी जाय। आज जो अधिकांश सहायता दी जा रही है वह इस भावना से बंदापि नहीं है। उसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप धार्मिक साम्राज्यवाद है।

इसलिए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तभी सम्भव होगा जब कि हम शान्ति की मनोवृत्ति का विकास कर लेंगे। विरोधी और प्रादेशिक समझौतों का अन्त कर देंगे तथा सैनिक गुट और प्रतिगुट, द्रुमैत सिद्धान्त या आइजनहावर सिद्धान्त जैसी उग्र व तनाव उत्पन्न करने वाली नीतियों को छोड़ देंगे और उपनिवेशवाद, आतिवाद तथा धार्मिक साम्राज्यवाद का अन्त कर देंगे। हम यह भी निश्चय पूर्वक यह सचते हैं कि

हमारे मामले शान्तिपूर्ण मह-प्रस्तित्व ने अनिश्चित और बौद्ध मार्ग है भी नहीं । यह एक आवश्यकता है । शान्तिपूर्ण मह-प्रस्तित्व के अनिश्चित जो मार्ग है उसमें प्रस्तित्व सम्भव नहीं है । यह केवल राजनीतिक आवश्यकता या तृतीय विश्वयुद्ध में बचने के लिए हो आवश्यक नहीं है किन्तु यह व्यापक आधार एवं मान्यता को समूह के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

हिमी भी नीति की सम्मता के लिए, विश्व की परिस्थितियाँ, हमारे राष्ट्रों के स्वार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक आवश्यकतायें आदि भी ध्यान में रगनी पड़ती हैं । हम ही में भारत-चीनी सीमा विवाद तथा मध्यम इस सिद्धान्त तथा हमारी अनावश्यकता या असम्भवता नहीं सिद्ध करता है, वरन् यह इ गित करता है कि बिना इस सिद्धान्त के मह-प्रस्तित्व सम्भव हो जायेगा ।

— — — —

आधुनिक राज्य में नौकरशाही का स्थान

नौकरशाही आधुनिक राज्य का एक आवश्यक तत्व है यह केवल शासन में सुधार के लिए आवश्यक है किन्तु इसकी अनुपस्थिति से शासन स्वयं असम्भव होगा। यह सरकार द्वारा राज्य से वेतन प्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारियों का एक समूह है जिनको अपने कार्य के लिए प्रशिक्षण मिलता है, जिनकी नौकरियाँ स्थायी हैं और जिन पर राजनीतिक परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार के पदाधिकारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि राज्य के कार्य-क्षेत्र के अनुपात में है। राज्य के द्वारा कोई भी नया कार्य या कोई नया विभाग इनकी संख्या में वृद्धि करता है। अमरीका के रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का दसाश तथा ब्रिटेन, फ्रान्स और जर्मनी का पंचमाश इन सार्वजनिक कर्मचारियों का है। इनकी संख्या में पिछले १०० वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इंग्लैंड में १८२१ में १७ हजार सार्वजनिक कर्मचारी थे जबकि उनकी संख्या १९४६ में ३ लाख के ऊपर पहुँच गई तथा अमरीका में इसी काल में ६६ हजार से बढ़कर १४६ हजार हो गई।

समस्त राजनैतिक सस्थाएँ, उनके चलाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति, गुण तथा कार्यकुशलता के अनुसार कार्य करती हैं। हरमैन फाइनर का कथन है—

“...सस्थाएँ व्यक्तियों से अधिक और कम कुछ नहीं। कोई भी मर्यादा उनके आविष्कारक और चलाने वाले व्यक्तियों के गुणों से ऊपर नहीं उठ सकती। सरकार की समस्याओं के हल करने की अन्तिम रूप से सम्भावना है उन पुरुषों और महिलाओं की प्रकृति में है जो कि उस सस्था के भाग हैं। प्लेटो ने जब अपने सरक्षकों के प्रशिक्षण में अधिक ध्यान दिया था तो वह गलत नहीं था और उसके समय से अधिकांश राजनैतिक विचार उसके उच्चतम अन्तर्दृष्टि के पुनः खोज हैं।”

यह केवल सार्वजनिक सेवाओं का ही उत्तरदायित्व है कि राजनैतिक शक्ति को विभिन्न विषयों में एक व्यक्ति से सगाकर सारी जनसंख्या पर कैसे लागू करना और यह कार्य केवल सार्वजनिक कर्मचारी ही कर सकते हैं। जनता, व्यवस्थापिका सभा या मुख्य कार्यकारिणी बोर्ड भी कानूनो को विभिन्न मामलों में या सर्वाधिक परिस्थितियों में लागू नहीं कर सकती। किसी भी राज्य में नीकरमाही या महत्व इन दो तत्वों पर निर्भर करेगा—

(घ) राज्य का कार्य-क्षेत्र, और

(ब) प्रशासक और राजनीतिज्ञ का राज्य के चलाने में अनुदान या अनुपात।

प्राधुनिक राज्य का प्रमुख लक्षण विस्तृत रूप में सत्रिय कार्य है। इसकी सत्रिय और खोर कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। भविष्य में भी राज्य के नियन्त्रण करने की शक्ति में भी निरन्तर वृद्धि होगी। प्राधुनिक राज्य मानवीय कार्यों को इतने अधिक विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशित करता है कि इसकी हम सम्बन्ध में हम पुरातन कर्म राज्यों से तुलना कर सकते हैं। यह नवीन कार्यों के नैतिक और भौतिक पक्षों के प्रत्येक विभाग को पूर्ण करता है। राज्य हमारे चलाने से सगाकर जमशान तक की सभी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में हरमैन फाइन्जर का कथन है—

“इमका लेखा, सड़को गटरो, भवनो पर निस्सा हुमा है और यह बताया है कि राज्य ने क्या किया है ताकि समाज में थोड़ी मात्रा में सुविधा तथा व्यक्ति की अपराधी और यत्रचालित गाटियों में सुरक्षा तथा आर्थिक दुःख और जहरीले बीटाणुओं के विरुद्ध बातावरण और व्यक्तिगत रक्षा दे सके। प्रत्येक वर्ष हजारों निदम और आजाएँ हम प्राधुनिक राज्यों की विस्तृत और वर्तमान कार्यों की योजना यह बताती है कि राज्य कैसे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देता है। तथा अपने प्रतिष्ठित में उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति को बरोहो घालो में बुनता एँठता है। इनको कोई भी दाएँ अप्रयन्धित नहीं है और प्रत्येक दाएँ होने वाली कई घटनाओं के लिए भी पूर्ण निश्चित और ठीक कामें या कार्यालय है।”

(भाइरन गवर्नमेन्ट्स पृ० ७११)

प्राधुनिक राज्य को पुराने या मध्यकालीन राज्यों से सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपनी आजाओं को करने के लिए इतनी बड़ी सख्या में नीकर रखना ही भेद करता है।

प्राधुनिक नीकरमाही पश्चिमी औद्योगिक सम्प्रदाय की देन है जैसे कि नेप और सब प्रकार की प्राधुनिक राजनैतिक संस्थाएँ। १९ वीं शताब्दी के अन्त में यह पता लगाना कि राज्य के निरन्तर बढ़ता हुआ धर्म का कार्य पुरानी नीकर माही त्रिस्ता आघार बुनवापराती, जन्म तथा पद का और जो इस कारण से प्रायः

प्रशिक्षित तथा अयोग्य धी का अन्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर कुशल योग्य और प्रशिक्षित पदाधिकारियों को रखा जाय जो कि राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हों और उनके चुनाव में सामाजिक स्थिति, धार्मिक विश्वास व दलीय सम्बन्धों का ध्यान न रखा जाय । दूसरा यह ठीक समझा गया कि श्रम विभाजन कार्यों की विशेषता आदि के सिद्धान्त प्रशासकीय सेवाओं में भी लागू किए जाएँ ।

इनका इतना अधिक आधुनिक राज्य में महत्व तथा आवश्यकता होने पर भी अपेक्षाकृत उन्हें हम आधुनिक राज्य का मुख्य भाग नहीं कह सकते ।

“व्यावसायिक, वैज्ञानिक, प्रशासकीय और धार्मिक विशेषज्ञों तथा उनके दक्ष सहायकों की यह बड़ी भारी सेना के द्वारा एक विफाल और अत्यन्त आवश्यक सेवा की जाती है । वे लोग विशेष विशेषज्ञता देते हैं । उनको तथ्य मालूम है । वे उस समय तक निरंतर कार्य करते रहते हैं जब तक कि जिस कार्य को करना है उसकी बौद्धिक योजना की आवश्यकता है न कि चुनाव की अवधि को अप्राकृतिक सीमाओं के भीतर । जबकि राजनीतिक जो कि उनका निर्देशन करता है, सार्वजनिक इच्छाओं, अभिलाषाओं का अस्थमात्र है । सार्वजनिक पदाधिकारी प्राकृतिक तथा सामाजिक वैज्ञानिक तथ्य को देता है जो कि यह निश्चय करते हैं कि इच्छा को किस प्रकार पूरा किया जाय या उसमें परिवर्तन किया जाय या उसको छोड़ दिया जाय । ये उन भागों को बताया है कि जिसके द्वारा इच्छा या अभिलाषा की पूर्ति कम से कम बलिदान के द्वारा जो कि नागरिकों को सहन करना होगा यदि कानूनो को पूरा करना है । मुझे विशेषज्ञ की प्रशंसा में और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है यद्यपि विशेषज्ञ—जिसके द्वारा हमारी सभ्यता जीवित है—की सीमाओं के सम्बन्ध में जो प्रयत्न लिए गए हैं इस दृष्टिकोण से यह ठीक ही होगा ।”

(माडर्न गवर्नमेंट्स—फाइन्डर, पृ० ७१३-१४)

आधुनिक सार्वजनिक सेवाओं द्वारा की गई सेवाओं में किसी मात्रा तक आवश्यकता है और यह आवश्यकता इस कारण है कि हम उच्चतर जीवन स्तर की अभिलाषा करते हैं । हम यह भी आशा करते हैं कि राज्य को आगे बढ़कर हमारी उन सम्पूर्ण अभिलाषाओं का जो कि व्यक्ति और दूसरों सामाजिक सस्थाएँ जिसमें असफल रही हैं, का भार अपने कंधे पर ले ले । इसलिए राज्य को एक उच्चतर जीवन स्तर का करने के लिए हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, आक्रामक दुर्घटनाओं तथा अनिश्चित भविष्य के विरुद्ध सुरक्षा के लिए इन सब कार्यों को अपने हाथ में लेना पड़ना है क्योंकि निजी सस्थाएँ उन्हें पूरा नहीं कर सकती और राज्य उनको अच्छे प्रकार से पूरा कर सकता है । ये सेवाएँ व्यक्तियों को

निरन्तर तथा सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त होनी चाहिए और यह कार्य बेयत एक विशेषज्ञ तथा स्टाई सार्वजनिक सेवाएँ ही कर सकती हैं ।

घाघुनिक प्रशासन अधिकांश रूप से अप्रत्यक्ष और कामजी प्रशासन है । प्रत्येक समस्या का दूर से ही हल किया जाता है तथा इस हल को निराकर तथा एक कामजी विशेषज्ञ के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है । किन्तु यह घाघुनिक यातायात के शीघ्रतर साधनों के द्वारा ही सम्भव है । राज्य का अधिकांश कार्यक्षेत्र केन्द्रीयकृत है ।

"केन्द्रीयकरण की कनिष्ठा किसी सीमा तक मापदण्डों और कीमतों और परिणामों के विलक्षण विकास के द्वारा कम हो गई है । इसलिए स्थानीय निरीक्षण, केन्द्र को रिपोर्टें और आकड़े भेज सकता है, जिनका कि केन्द्र में भी वही स्पष्ट भयं होगा जो कि दूर स्थिति भागों में है । फिर भी निश्चित करने वाले उपभोक्ता का व्यक्तिगत सम्बन्ध आवश्यक है । अधिकांश सार्वजनिक सेवा का कार्य भय भी अव्यक्तिगत है ।"

(माइनें गवर्नमेंट्स—फाइन्स, पृ० ७१५)

राज्य के द्वारा की गई सेवाएँ पूर्णतः एकाधिकारी होती हैं । अपने कार्य के अधिकांश क्षेत्रों में राज्य को किसी और संस्था से प्रतियोगिता नहीं करनी होती है । यह अपने सब प्राहकों को समान रूप से व्यवहार करता है और इसकी अधिकांश सेवाएँ न तो लाभ और न हानि के आधार पर हैं । इसका उद्देश्य है सब आवश्यक सेवाओं में प्रवृत्त करना । जनसेवा में लाभ का उद्देश्य नहीं होता है । अपनी एकाधिकारी प्रकृति व कारण राज्य के द्वारा की गई सेवाएँ एक विशेष स्थिति में हैं । नागरिक न तो किसी प्रतिद्वन्द्वी के पास ही जा सकता है और न कीमत पर बाट-बिबाद ही कर सकता है । यह सेवाएँ माँग और पूर्ति के नियम द्वारा निर्दिष्ट नहीं होती हैं ।

हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा व्यय किए हुए रुपये रुपये और इसके परिणाम स्वरूप कार्य का ठीक-ठीक प्रकार से सम्बन्ध निकाल सकें । अधिकांश प्रशासकीय सरकारी नीकर इस बात की अधिक विवृता नहीं करते हैं कि राज्य का क्या किस प्रकार व्यय हो रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के व्यय में उनका व्यक्तिगत कोई सम्बन्ध नहीं है तथा दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा किये गये कार्यों में उसका कोई लाभ नहीं है और उससे परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में रुपया व्यय में व्यय होता है । इस व्यय को कम करने के लिये हमें सार्वजनिक पदाधिकारियों के चुनाव में और भी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए । हमें केवल उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जो कि सबसे अधिक योग्य हैं ताकि निर्णय के कारण जो व्यय व्यय होता है वह किसी सीमा तक घट जाए । हमें केवल ऐसे व्यक्ति चुनने चाहिए तथा उनकी पदोपति करनी चाहिए जो कि सार्व-

जनिक धन के व्यय में व्यक्तिगत रुचि लें तथा सार्वजनिक सेवाओं में हचिपूर्वक कार्य करें। अनुशासन के नियम, पदान्तरिता तथा नौकरी के नियम इस प्रकार निर्मित होने चाहिये जो कि सार्वजनिक पदाधिकारी का अपने कर्तव्य के लिये अधिक चेतनशील तथा ईमानदार बनाएँ।

सार्वजनिक सेवाएँ लाभ के लिये नहीं हैं किन्तु उन लोगों के लिये हैं जहाँ पर कि अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिये इसमें पक्षपात या विषमता का कोई प्रश्न नहीं उठता। सार्वजनिक पदाधिकारियों को सबके प्रति पक्षपात रहित होना चाहिये तथा किसी के प्रति विषम व्यवहार नहीं करना चाहिये। उनके लिये सब समान हैं। और पहले उन लोगों पर ध्यान देना चाहिये जिनको कि उनको सेवाओं की अधिक आवश्यकता है तथा उन सबके प्रति करना चाहिये जो भी व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत आते हैं। बेमार सविधान के १०६ अनुच्छेद ने इस बात पर बल दिया था कि—

“कानून के समक्ष सब जर्मन समान हैं सार्वजनिक विशेषाधिकार पद एवं स्थान की विषमताओं का अन्त किया जाता है।”

फ्रान्स में जहाँ कि प्रशासकीय कानून है सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा समान व्यवहार के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है।

“सब व्यक्ति जो कि निश्चित दशाओं को पूर्ण करते हैं, जो कि सामान्य और अर्बयक्ति प्रकार से सेवाओं के मूलभूत नियम (कानून, नियम तथा सामान्य निर्देशन) को उन सेवाओं को माँग करने की कानूनी शक्ति है जोकि सार्वजनिक सेवाओं का उद्देश्य है। यह व्यक्तियों की समानता का सार्वजनिक प्रशासन के सम्बन्ध में सिद्धान्त है।”

जेडो—संस प्रिन्सिपल्स जनरैक्स डी ड्रामट एडमिनिस्ट्रेटिव का तृतीय भाग, पृ० २० मार्शल गवरनमेन्ट्स—फाइनर—पृ० ७१८ से उद्धृत)

इंग्लैंड और समस्त कानून के राज्य वाले राष्ट्रों में जिन्होंने कि इंगलिश कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं को अपनाया है, कानून के समक्ष समानता सब नागरिकों को सुरक्षित है। इसका अर्थ है कि राज्य और उसके कर्मचारियों द्वारा सब के प्रति समान व्यवहार किया जायगा। इसलिये राजकीय कर्मचारी अपने कार्यों में पक्षपात नहीं कर सकते।

राजकीय कर्मचारियों का कार्य-क्षेत्र सीमित है। उन्हें कानून विधेयकों और उन नियमों, जोकि उनके कार्य तथा निर्देशन के लिये निर्माण किये गये हैं, की सीमाओं में कार्य करना होता है। उनकी व्यक्तिगत रुचि व अरुचि का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी विशेष नियम को न चाहे या उसे प्रशासकिक समझे किन्तु फिर भी उसे लागू करना ही होगा। प्रजातन्त्र में वह अपने प्रत्येक

कार्य के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव में यह अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। किन्तु इसके कारण उन्हें अत्यन्त सावधान रहना पटना है और जहाँ तक सम्भव हो वह अपने कार्य में त्रुटियाँ नहीं कर सकते। उनकी प्रत्येक कार्यवाही जनता के समक्ष होती है और वे अपने प्रत्येक कृति के लिए उत्तरदायी हैं। त्रुटियों के प्रति अत्यधिक सावधानी के कारण वे अपने कार्यों को धीरे-धीरे तथा व्यवस्थित रूप से करने के आदी हो जाते हैं और इस कारण इसे लाल पीता कहा जाता है। प्रशासकीय अधिकारी अपने कार्यों की प्रकृति के कारण अनुदार प्रवृत्ति के हो जाते हैं और वे नवीनता के विरोधी होते हैं। वे नियमों का पालन तथा व्यवस्थित रूप में ही कार्य करते हैं, चाहे उगमें त्रुटि ही देरी क्यों न हो। धीरे-धीरे उनमें नये विचारों और गुणों की ग्रहण करने की शक्ति का अन्त हो जाता है। इसी कारण से जैसे-जैसे नोकरशाही की प्रकृतियाँ और महत्व में वर्तमान जताय्दी में वृद्धि हुई है वैसे ही वैसे नोकरशाही की आलोचना में भी वृद्धि हुई है—

“ब्रिटिश नोकरशाही पर प्रायः अधिपत्य प्राप्त करने का आरोप लगाया जाता है। और प्रायः उन्नीसवीं शताब्दी से बहुत से लोगों का कहना है कि अधिकारी अपनी सत्ताओं का अनुत्तरदायी पूर्ण प्रयोग करते हैं जबकि अन्य यह निश्चय करते हैं कि सब वर्गोंवाली कामचोर हैं तथा वे अपने कार्यों को करने के लिए अत्यन्त डरपोक हैं।

(दी सिविल सर्विस इन ब्रिटेन - जो० ए० कैम्पबेल पृ० ६)

प्राधुनिक राज्य में प्रशासकीय अधिकारी राज्य की नीति निर्धारण पर अपने अनुपात से वही अधिक प्रभाव डालते हैं और यह प्रभाव का अनुपात यदि मन्त्री नीतिलिये है तो और भी अधिक हो जाता है। साधारणतः नीति-निर्धारण का कार्य मन्त्री तथा कार्यकारिणी के राजनीतिक विभाग का है। किन्तु प्रायः नीति-निर्धारण के लिए विशेष ज्ञान या अनुभव की आवश्यकता पड़ती है जो कि राजनीतिक कार्यकारिणी के पास नहीं होता है और तब ऐसे स्थायी अधिकारियों पर निर्भर रहना पटना है। किसी भी विभाग के राजनीतिक अध्येता के लिए उच्च विभाग की समस्याओं का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। प्रायः उनके प्रति यह उदासीन होता है और उसमें बहुत कम या नहीं के बराबर प्रजासत्ताकीय योग्यता होती है। ऐसी परिस्थितियों में प्रायः उनके अधिकारों का महत्व बढ़ जाता है और उनकी सत्ताह की अत्यन्त ही ध्यान पूर्वक मुना जाता है।

“मन्त्रीमण्डल द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर उच्च समय तक वादविवाद संभव नहीं है जब तक कि सर्वाधिक विभागों के उच्च अधिकारियों पर उच्च पूर्णरूप से परीक्षण करने का तथा अपने मंत्रियों द्वारा राय प्रकाशित करने का अवसर नहीं मिलता है और सरकारें चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की क्यों न हों,

इन अधिकारियों को सलाह को बिना सोचे-समझे प्रलय नहीं हटा देती है। जहाँ तक सम्भव है नौकरशाही को सलाह पूर्णरूप से पक्षपात रहित होती है और बहुत से योग्य व्यक्तियों के सामूहिक ज्ञान पर आधारित है जिनको कि उनके बीच से प्रशासन के प्रत्येक पहलू का लम्बा अनुभव है।”

(बी सिविल सर्विस इन ब्रिटेन—जी० ए० कैंपबेल पृ० १०)

यह मन्त्रियों का कर्तव्य है कि प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक प्रबन्ध के राजनैतिक पहलुओं का परीक्षण करें। उन्हें यह ज्ञान होना चाहिये कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं? यह उन प्रशासकीय अधिकारियों जो कि परम्परा और रुढ़ियों के बंधे हुए हैं, जो योग्यता और शक्ति के बाहर हैं कि वह जनता की आकांक्षा को जानें तथा उनके अनुसार ही प्रबन्ध का निर्माण करें।

वर्तमान शताब्दी में व्यवस्थापिका ने नायों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण प्रदत्त अधिकारों की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ससद प्रायः कानून द्वारा सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित करती है तथा उसके विस्तार को प्रशासकीय अधिकारियों पर छोड़ देती है। इस कारण से नौकरशाही की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और प्रशासकीय अधिकारियों को कानून निर्माण की शक्तियाँ भी मिल गई हैं। व्यवस्थापिका के पास न तो इतना समय ही है और न इतनी योग्यताएँ ही हैं कि वे विस्तार के नियमों का निर्माण करें क्योंकि ऐसा करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

“जितनी अधिक विस्तृत तथा मोत-प्रोत मानवीय कार्यों का सरकार द्वारा नियोजन जितना अधिक विस्तृत और मोत-प्रोत करने वाला होगा उतनी ही शक्तिशाली यह शक्ति हो जायगी।”

(माइर्न गवर्नमेंट्स—फाइवर, पृ० ५२५)

प्रदत्त शक्तियों में वृद्धि राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के अनुपात से ही होगी। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने योग्य है कि नियमों का निर्धारण स्थायी प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा हाता है जिनको कि हम किसी भी जनता का प्रतिनिधि नहीं कह सकते। इन नियमों को जनता द्वारा उसी प्रकार मानना होता है जैसा कि व्यवस्थापिका द्वारा निमित्त कानूनों का। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। प्रथम, तो यह नियम कि कानून का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए, भंग होता है। यह प्रशासकीय अधिकारियों को अत्यधिक शक्तियाँ देता है और वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं जो कि स्वेच्छाचारी हो। यह सत्य है कि अधिकांश देशों में इन नियमों का परीक्षण करने के लिए व्यवस्थापिका की एक समिति नियुक्ति की जाती है किन्तु यह समस्या इतनी बड़ी है, कि इन सामान्य नियमों का सावधानीपूर्वक परीक्षण असम्भव है।

द्वितीय इस कारण से कानून के राज्य के सिद्धान्त का पतन होता है और इसके परिणामस्वरूप प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा कानून के समक्ष समान बर्ताव करने के सिद्धान्त का भी प्रशासकीय अधिकारी उगते वही अधिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जितनी कि एक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में उनके लिए उचित है। फाइनर ने इस सम्बन्ध में सत्य ही कहा है कि—

“सरकार की प्रतिदिन की कार्यवाही का नियंत्रण करने की समस्या सम-
कालीन शासन की मुख्य समस्या है।”

(माइन गवर्नमेंट्स, पृ० ५२६)

प्राधुनिक प्रशासकीय सेवामो की मोटे रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग तो वह है जिसके द्वारा साधारण प्रतिदिन का कार्य किया जाता है। जहाँ तक नौकरशाही का शासन में प्रभाव का प्रश्न है यह भाग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किन्तु एक दूसरा भाग है जो कि मंत्रिमण्डल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है और किसी भी मंत्रिमण्डल या राष्ट्रपति की सफलता या असफलता के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। इस भाग के द्वारा छोट से छोटी त्रुटि का भी सरकार के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। अमरीका के युद्ध-विभाग के एक अधिकारी की छोटी सी त्रुटि जिसने पत्तं हार्बर बन्दरगाह की चेतावनी का तार साधारण तार-सापनों द्वारा भेजकर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को अत्यधिक हानि पहुँचाई थी। राज्य का बर्याण उम भाग पर अधिक निर्भर है जिसको कि मैंनाले ने प्रशासन का बौद्धिक भाग कहा था और उसके द्वारा किसी भी त्रुटि के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, यह बौद्धिक भाग—

“नीति के एक महत्वपूर्ण तत्व का अनुदान करता है तथा इसके व्यावहारिक पूर्णता के लिए सहायता करता है। यह छोटी पर से धाजापों का निर्माण करता अथवा देता है।”

(माइन गवर्नमेंट्स—फाइनर, पृ० ७२०)

नौकरशाही का प्राधुनिक राज्य में स्थान के इस अध्ययन को हम फाइनर के इन शब्दों द्वारा अन्त कर सकते हैं—

“नौकरशाही की समस्या केवल सांकेतिक पदों की ही समस्या नहीं है, इसमें राज्य के तीन तत्व सम्बन्धित हैं। प्रशासकीय विभाग, व्यवस्थापिका तथा जनता। प्रत्येक की अपनी आवश्यक अनुदान इसमें करना है और दो के द्वारा किए गए अनुदान तीसरे की अनुपस्थिति से व्यर्थ हो सकता है। व्यवस्थापिका को संबंधित सावधानीपूर्वक कानून का निर्माण करना है ताकि उत्तरदायित्व स्पष्ट हो तथा कार्य निश्चित हों। इसकी अपनी मनीनरी और प्रणालियों का २० की सत्ता की अभिनवीकरण करना होगा ताकि यह

करोड़ों सार्वजनिक उत्पादकों के कार्यों को पूर्णतः शान्तिपूर्वक, विचारपूर्वक अध्ययन कर गके और सबसे अधिक इसका राष्ट्र के प्रति यह निष्कर्ष उत्तरदायित्व है कि वह सार्वजनिक अधिकारियों को और सतत व्यापारी मनुष्य एवं महिलाएँ समझे जो कि अपने रोजगार के लिए सार्वजनिक व्यापार में कार्य कर रहे हैं..... जनता के भी अपने कर्तव्य है। इसको यह स्वीकार करना चाहिए कि उपभोक्ता से भी कभी कभी गलती होती है। इसकी प्रयोग्यता को क्षमा नहीं करना चाहिए, इसकी शिकायत करनी चाहिए किन्तु जलन और हँसी उड़ाने की प्रवृत्ति पर धातम-सयम करना इसका कर्तव्य है। और हँसी दोनों पक्षों की सुननी चाहिए..... शासन से धृष्टा करना बचपना है क्योंकि शासन आवश्यक है सुरक्षा और व्यक्तियों को नौकरी में रखने का क्या अत्यधिक महत्व है। सार्वजनिक सेवाओं की कुशलता के लिए एक प्रकार से प्रकाश का पुंज है। यदि सही प्रकार के व्यक्ति प्राप्त होते हैं तो वे सब बातों को जानने और करने के योग्य हैं जिनको करने के लिए अन्यथा लम्बी चौड़ी और जटिल व्यवस्थाओं को अपनाना होगा * * * सार्वजनिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति है। इच्छा और मस्तिष्क सर्वप्रथम है। वे नीति-निर्धारण करते हैं तथा समस्त सत्याएँ कार्यों के अन्तर्गत हैं।

(माइर्न गवर्नमेन्ट्स पृ० ७ २-२३)

जैसे-जैसे आधुनिक राज्य का पुलिस से लोक-कल्याणकारी, निष्क्रिय से सक्रिय प्रकृति में परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे प्रशासकीय सेवाओं की प्रकृति और स्थान में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। इससे भी अधिक आवश्यक जनता का इन प्रशासकीय अधिकारियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन है। इनको अब हमें विरोधी या विदेशी तत्व नहीं मानना चाहिए, किन्तु उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना आवश्यक है। वास्तव में प्रजातन्त्रीय सार्वधानिक राज्य में नौकरशाही का सच्चा स्थान जनता के मित्र, निर्देशक और कलाकार का है।

आधुनिक सर्वाधिकारी राज्य

उदारवादी व्यक्तिवाद के श्रेष्ठ जीवन के सामग्री के देने में असफलता तथा अ-हस्तक्षेप की नीति को अपनाते के कारण आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था के कारण प्रजातन्त्र के प्रति विश्वास में कमी हुई है। सर्वाधिकारी राज्यों तथा सर्वाधिकारीवाद को प्रगट का मुख्य कारण इन असफलता और अव्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया है। इस सम्बन्ध में वाटकिंग का बयान है—

“सर्वाधिकारीवाद का उदय राष्ट्रीयता के उदय के समान ही आधुनिक उदारवाद के गिद्वान्त और व्यवहार की आन्तरिक कमजोरियों को प्रतिबिम्बित करता है।.....सर्वाधिकारी विचारधारा इतनी विस्तृत है कि हम उसको पश्चिम की परम्परा के लिए विदेशी या एक आकस्मिक विपत्ति नहीं मान सकते। इसके छाँत पश्चिमी सभ्यता की जड़ों में हैं।”

(बी पार्लिमेन्टल ट्रिब्यूनल बाक दी बोट, पृ० ३०३-४)

उदार प्रजातन्त्र के विरुद्ध इन प्रतिक्रिया का प्रारम्भ १९ वीं शताब्दी से हुआ था। प्रजातन्त्र की उपयोगता के विश्वास में वृद्धि का मुख्य कारण प्रजातन्त्रीय सरकारों की आर्थिक क्षेत्र में विस्तृत शोषण को रोकने में असफलता है। इसके विरुद्ध दार्शनिक प्रतिक्रिया हीगल्, नील्से, मार्गर् तथा एन्जल्स की कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। २० वीं शताब्दी की फासिस्टवादी एवं साम्यवादी अदिनायकतन्त्र प्रजातन्त्र के विरुद्ध १९ वीं शताब्दी के इन दार्शनिक प्रतिक्रिया के पूर्व परिणाम हैं। प्रजातन्त्र की उपयोगता की पूजा तथा समारण अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा शासन जो कि सामान विमान से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, के रूप में आलोचना की जाती थी।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् केन्द्रीय और पूर्वी योद्धा के नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त क्षेत्रों ने साम्राज्यों के स्थान पर अदिनायकतन्त्रों का अपनाया। इस प्रकार इटली में मुसोलिनी ने शक्ति प्राप्त कर फासिस्ट अदिनायकतन्त्र की स्थापना की जबकि सोवियत

सभ में सर्वाहारा वर्गों का सबसे पहला अधिनायकतन्त्र स्थापित हुआ। केन्द्रीय और पूर्वी योहर ३ छाटे छाटे राज्यों में जैसे कि पूर्वाञ्जाविद्या हंगरी, रुमानिया, आस्ट्रिया अल्बानिया, पोलैण्ड और यहाँ तक ग्रीस में भी नाम-मात्र की भी प्रजातन्त्र नहीं था। और इस प्रकार इस विश्वयुद्ध ने जो कि प्रजातन्त्र की रक्षा में लड़ा गया था और जो कि प्रजातन्त्र के आदर्शों को विश्व भर में फैलाना चाहता था, साम्राज्यवाद से उद्धार किए हुए योहर के किसी भी क्षेत्र में प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं कर सका। निरकुश साम्राज्यवादी सरकारों के स्थान पर फासिस्टवादी या साम्यवादी सर्वाधिकारी शासनो की स्थापना हुई।

इन नए अधिनायकतन्त्रों ने अपने आपकी अधिक योग्य, अधिक जन प्रिय और नागरिकों को श्रेष्ठ जीवन के साधन देने के लिए अधिक उचित घोषित किया है और यह सब केवल कीरा घमंड मात्र ही न था। जहाँ तक नागरिकों की भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, इन राज्यों ने थोड़े समय में पुराने प्रजातन्त्रीय राज्यों को हरा दिया। इस प्रकार के शासक के अन्तर्गत इटली ने केवल दस वर्षों में एक महान् शक्ति का स्थान प्राप्त कर लिया। इसके पास प्रभावित करने वाली सैनिक शक्ति, योहर की सर्वश्रेष्ठ सड़कें, पूर्ण रोजगार तथा किसी भ्रम तक लीये हुये रोमन सम्मान को भी इमने पुनः प्राप्त कर लिया। सोवियत सभ ने एक पिछड़े हुए कृषि प्रधान देश से जो कि साम्राजिक सांस्कृतिक और औद्योगिक दृष्टि में मध्ययुग में था १९३६ तक विश्व की एक महान् औद्योगिक शक्ति का रूप धारण कर लिया तथा इसकी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में गणना होने लगी। आपने ४१ वर्षों के अस्तित्व में सर्वाहारावर्ग के अधिनायकतन्त्रों ने यथार्थ में आश्चर्यजनक प्रगति की है। इसने एक पिछड़े हुए कृषिप्रधान राज्य को एक शक्तिशाली औद्योगिक राज्य में परिवर्तित कर दिया जो कि एक अति महान् पद को प्राप्त कर सका है और सम्पूर्ण विश्व से भौतिक विकास में आगे बढ़ गया है। नात्सी जर्मनी ने ६ वर्षों के भीतर ही जर्मन आर्थिक व्यवस्था का पुनः सगठन, घमांय की सन्धि के प्रतिबन्धों का अन्त तथा इतना सैनिक विकास किया कि अब तक इतिहास में लड़े गये समस्त युद्धों से अधिक महंगा, झूठी और विनाशकारी युद्ध सम्पूर्ण विश्व से लड़ सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन आधुनिक सर्वाधिकारी शासनो का, जहाँ तक राष्ट्र के भौतिक विकास का प्रश्न है, कार्य अत्यन्त ही प्रभावित करने वाला है। दूसरी ओर इसी युग में इंग्लैंड और फ्रान्स के पुराने प्रजातन्त्रों की शक्ति एक साधनो में समान रूप से परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपनी आन्तरिक एवं वैदेशिक नीति में अनिश्चितता और अपनी आन्तरिक कमजोरियों को प्रदर्शित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में वे इस युद्ध के लिए सर्वथा अयोग्य थे और उनको एक दूसरे सर्वाधिकारी राज्य सोवियत सभ ने बचाया। आधुनिक सर्वाधिकारीवाद की सफलता का भेद तथा यह

व्यक्तियों के धर्म जीवन के लिये आवश्यक साधन किस प्रकार दे सक्ता है इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये इन दोनों मुख्य सर्वाधिकारीवादों—फासिस्टवाद और साम्यवाद—के प्राधारों को जान लेना आवश्यक है ।

इटली के फासिस्टवादियों के अनुसार व्यक्ति को राज्य के पूर्णतया अधीन रहना चाहिए, और अधीनता व्यक्ति के तत्पूर्ण व्यक्तित्व की अधीनता है । न कुछ राज्य के बाहर, न कुछ राज्य के विरुद्ध किन्तु प्रत्येक वस्तु राज्य के अधीन होनी चाहिये । उन्होंने विरोध का अन्त करने के लिये शारीरिक व सरकार की शक्तियों, प्रचार, समाचारों पर नियंत्रण, भय एवं घमकियों का प्रयोग किया था । फासिस्टवाद का न कोई दर्शन है और न कोई सैद्धान्तिक प्राधार ही । मुसोलिनी का इस अवगम्य में कथन है—

“फासिज्म वास्तविकता के प्राधार पर स्थित है, बोल्शेविज्म सिद्धान्त पर प्राधारित है । हम निश्चयात्मक तथा पथार्थवादी होना चाहते हैं; हम सिद्धान्तों तथा विचार-विमर्शों के लक्ष्य एवं अनिश्चित वातावरण से बाहर निकलना चाहते हैं । मेरा कांक्षम... कांक्ष्य है—कोरी बातें करना नहीं ।”

(प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन—कोकर—पृ० ५००-५०१,
यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवादित)

इन गहन्य में एल्फंडं रोकने का कथन है—

“यह गहन्य है कि फासिज्म कार्य तथा भावना है और वह ऐसा ही बना रहेगा यदि और कोई बात हुई तो यह घणनी विश्व-प्रेरक शक्ति जो कि इसके पाम है और जिसके द्वारा यह पुर्ननिर्माण कर सकती है, नहीं कायम रख सकती और तब यह कुछ चुने हुए व्यक्तियों के एकान्त में मनन करने योग्य वस्तु रह जायगा ।” (डी फासिटोकोस डाबिट्टिन प्राफ फासिज्म, पृ० १०

रीसेन्ट फासिटोकोस थॉट—कोकर, पृ० ४७३ से उद्धृत)

मुख्यतः यह कार्य का सिद्धान्त है फिर भी इसमें अनुभव के प्राधार पर कुछ सिद्धान्तों का निर्माण किया है । इसके लिए व्यक्ति केवल साधन है तथा समाज साम्य । सामाजिक सम्पूर्णता अपने व्यक्तित्व सदस्यों को प्रश्न के रूप में कार्य में ला सकती है यहाँ तक कि उनका बलिदान भी कर सकती है । फासिज्म स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता है । प्रजातन्त्र के इन तीन प्रादकों के स्थान पर यह उत्तरदायित्व, अनुशासन और स्थैर्य सगठन के सिद्धान्तों को स्थापित करता है । इसका विश्वास है कि तत्पूर्ण जनता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो वह जिसमें कि आज्ञा देने की क्षमता है—चुना हुआ नेता प्रभक्त जो कि अनुगामी होने योग्य ही है—सम्पूर्ण साधारण व्यक्तियों तो नो में सामान्य की समानता के सिद्धान्त में कभी विश्वास नहीं हो सकता । मुसोलिनी ने शक्ति

“राष्ट्र समस्त सदस्यो या किसी सदस्य से अधिक महत्वपूर्ण है और किसी भी व्यक्तिगत हित पर सार्वजनिक हित का प्राधान्य होना चाहिए—यह आधारभूत विचार शासन के संगठन तथा उसकी नीति के फासिस्ट सिद्धान्तों का निर्धारण करते हैं। राजसत्ता कुलीनतन्त्रीय तथा श्वेततन्त्रीय होनी चाहिए। उसे व्यक्तियों का नहीं बरन् राष्ट्र के अन्तर्गत आवश्यक समुदायों का प्रतिधित्व करना चाहिए और उसे अपने संगठन में केन्द्रीयभूत और अपने कार्य में अदम्य होना चाहिए।”

(धार्मिक राजनीतिक चिन्तन कोकर, पृ० ५०५ पादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुवाचित)

फासिज्म इसलिए प्रजातन्त्र विरोधी है। यह जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन में विश्वास नहीं करता तथा उसके स्थान पर नेताओं का, नेताओं के द्वारा, नेताओं के लिए शासन को स्थापित करता है। यह मान्ति विरोधी भी है। युद्ध एवं हिंसा को वह राष्ट्रीय नीति का आवश्यक अंश समझता है। राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा के लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिंसा का उपयोग आवश्यक समझता है। इसलिए फासिज्म साम्राज्यवादी एवं सैनिकवादी है तथा युद्ध में विश्वास रखता है। नास्तीवाद फासिज्म का जर्मन स्वरूप है, और इसलिए इसमें इसके सब गुण तथा एक विशुद्ध सर्वश्रेष्ठ जातीयता का सिद्धान्त भी है। नात्सी नेता एवं विचारक प्रजातन्त्र की कमजोरी एवं अयोग्यता, युद्ध और हिंसा की आवश्यकता, चुने हुए लोगों द्वारा शासन तथा युद्ध को राष्ट्रीय नीति का एक आवश्यक अंश मानते थे। इन दोनों प्रकार के अधिनायक तन्त्रों के लिए प्रो० कोकर के निम्नलिखित शब्द समान रूप से लागू हो सकते हैं—

“बल-प्रयोग तथा भय उन लोगों के लिए सत्ता के वास्तविक आधार हैं जो फासिस्टों की भाँति राष्ट्रीय गौरव तथा सत्ता को ही स्वयं ध्येय और न्यायपूर्ण राज्य की अपेक्षा शक्तिशाली राज्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं। समूचे फासिस्ट साहित्य में प्रादि से अन्त तक मैकियावेली के शब्दों में दुर्बलता, अनिश्चय तथा भावुकता की राष्ट्र के सबसे महान् दुर्गुण मानकर निन्दा की गई है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय राज्य की नीति एक आधारभूत नियम के अन्तर्गत वह नियम है, सत्तार में योग्यतम की विजय का प्राकृतिक कानून। फासिज्म उस ‘अनुभव मूलक’ ‘यथार्थवादी’ भावना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है जो आज के राजनीतिक वाद-विवाद में व्यापक रूप से परिध्याप्त है। यह कहा जाता है कि मानव विवेक तथा शुभेच्छा से शासन के लिए अपने नागरिकों या दूसरे शासनों के साथ व्यवहार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना सकता। एक राष्ट्रीय सरकार को सदा वर्तमान स्थिति की वास्तविकताओं का सामना

करना चाहिए और गृह तथा वैदेशिक नीति का निर्धारण अथवा राजनीति के आधार पर होना चाहिए। वार्तालाप तथा सम्मेलन, भावना तथा सिद्धान्त के स्थान पर सबल पुरुषों का कुशल कार्य होना चाहिये।”

(प्राधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त—कोकर, पृ० ५२०-२१ यादवेन्दु तथा मेहता द्वारा अनुबाधित)

इस प्रकार फासिज्म प्रजातन्त्रीय समाजों और सिद्धान्तों की प्रयोग्यता तथा निरर्थक आदर्शवाद के विरुद्ध एक विद्रोह है। सर्वहारा वर्गों का अधिनायकतन्त्र इस अनुमान पर आधारित है कि अ-हस्तक्षेप की नीति प्राथमिक शोषण का सिद्धान्त है तथा यह एक ऐसे नवीन सामाजिक व प्राथमिक व्यवस्था को स्थापित करेगी जिसमें 'प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार तथा प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार' के सिद्धान्त की स्थापना हो।

पासिस्ट और साम्यवादी अधिनायकतन्त्र दोनों एक द्वयीय राजनैतिक व्यवस्थाएँ हैं। दोनों विचारों और व्यवहारों की एकरूपता स्थापित करना चाहते हैं। दोनों अत्यधिक असाहिष्णु हैं और दोनों इन नवीन सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में व्यक्ति का अधिक से अधिक विद्रोह स्थापित करना चाहते हैं। सिद्धान्तिक दृष्टि से दोनों समान रूप से अधिनायकतन्त्रीय, निरंकुशवादी, सर्वगतापारी हैं तथा इन दोनों व्यवस्थाओं में व्यक्ति को एक गौण स्थान तथा गौण महत्व दिया जाता है। व्यक्ति केवल अस्त्रमात्र है। व्यक्ति को भौतिक साधनों को प्राप्त करने लिए इन प्राधुनिक सर्वाधिकारी राज्यों को जो कीमत चुकानी पड़ती है वह बहुत अधिक है। उसे अपनी आत्मा तथा अपनी आध्यात्मिक और नैतिक स्वतन्त्रता को बेचना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उसके व्यक्तित्व या स्वतन्त्र विकास प्रगम्भव हो जाता है।

सर्वहारा वर्गों के अधिनायकतन्त्र की परिभाषा करना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। कार्यमात्र के अनुसार सर्वहारा वर्गों में वे लोग हैं जिनके पास अपना कहने को अपने शारीरिक श्रम के अतिरिक्त और कोई सम्पत्ति या भौतिक साधन नहीं है। किसान तथा निचली श्रेणी के मध्यवर्गों के लोग भी इस परिभाषा के अनुसार सर्वहारा वर्गों में नहीं आते हैं। सर्वहारा वर्गों के अधिनायकतन्त्र में केवल औद्योगिक धर्मिक लोगे जिनमें कि अत्यधिक राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका है; इन सर्वहारा वर्गों के अधिनायकतन्त्र को दो मुख्य करने होंगे—

(अ) प्रान्ति का सगठन और उसकी प्रति-प्रान्ति के विरुद्ध रक्षा।

(ब) भव प्रकार के शोषण का अन्त तथा ऐसे उच्चतर साम्यवाद की स्थापना के लिए प्रयत्न जिसमें वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज होगा तथा जिसका मुख्य सिद्धान्त 'प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार तथा प्रत्येक अपनी आवश्यकता के अनुसार' होगा।

मावरो और लेनिन दोनों का यह विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग का यह ऐतिहासिक कार्य है कि वह पूँजीवाद का विनाश करेगा तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का शासन प्रारम्भ करेगा और एक वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज की स्थापना करेगा। सर्वहारा वर्ग का यह अधिनायकत्व एक दल का अधिनायकत्व होगा। साम्यवादियों के अनुसार यह एक दलीय अधिनायकत्व इसलिए उचित है कि साम्यवादी राज्य का केवल एक ही वर्ग होगा और सर्वहारा-वर्ग के हितों की रक्षा केवल साम्यवादी दल ही कर सकता है।

यह अधिनायकत्व वर्ग-समर्थन एवं दृष्टा का उपदेश देता है। किसी भी बहुमत के लिए चाहे वह कितना ही क्यों न हो किसी भी अल्पमत का अन्त कर देना नैतिक दृष्टि से गलत है। यह आधुनिक सर्वाधिकारी राज्य चाहे वह फासिस्ट हो या साम्यवादी, विभिन्नता तथा असहमति को सहन नहीं कर सकते। वे अधिक से अधिक एकरूपता चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। यह एकरूपता मानवीय व्यक्तित्व का अन्त करती है तथा जीवन को पूर्णतः नीरा बनाती है। मानवी व्यक्तित्व के विकास में जीवन का सौन्दर्यकरण तथा विचार और अभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध अत्यन्त बाधक है।

विज्ञान की सहायता से विचार नियन्त्रण तथा जनता तक पहुँचने के शक्तिशाली साधनों ने इन अधिनायकत्वोय शासनों में रह बारी जनता के लिए मानसिक दासता का एक नवीन युग प्रारम्भ किया है। इतिहास की पूर्व दासताओं से यह दासता अधिक पूर्ण एवं भयानक है क्योंकि इसमें दास को अपने बचनों की चेतना नहीं। वह अपनी इस दासता में प्रसन्न है। यदि यह सर्वाधिकारी शासन सम्पूर्ण विश्व पर अधिपत्य जमा लेने में सफल हो जाता है तो हम फिर से एक अन्धकारमय युग में प्रवेश करेंगे।

अवमूल्यन और आर्थिक-राजनैतिक परिणाम

एक समय था जब राजनीति केवल शासन तक ही सीमित थी। राज्य के कार्य केवल तीन बताए गए थे—बाहरी आक्रमणों से रक्षा, आन्तरिक शान्ति और न्याय। वही राज्य अच्छा समझा जाता था जो व्यक्ति के कार्यों में ग्यून से ग्यून हस्तक्षेप करे। राज्य के कार्यों की इस प्रकार की व्याख्या व्यक्तिवादियों ने की। धीरे-धीरे यह विचार बदला और राज्य को घनेकानेक कार्य सौंपने की बात बही जाने लगी। कुछ परिस्थितियों ने भी प्रभाव डाला। सभ्यता के विकास के कारण सामाजिक जीवन भी जटिल बना और ऐसी दशा में राज्य का ही हस्तक्षेप उचित समझा गया। यहाँ तक कि राज्य व्यक्ति को राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने लगा। साथ ही समाजवादी विचारधारा के उदय ने धीरे राजनीतिक शासन को और स्वतन्त्रता को धार्मिक स्वतन्त्रता या समानता के अभाव में हेय ठहराया। लोगों की धार्मिक हीनता का अनुचित सामंतात्मक और उनके सहयोगी उठाने लगे थे। विज्ञान के आविष्कार अनुविद्या और शीक्ष्य के लिए आए थे किन्तु उन पर भी कुछ स्वार्थी जनों का अधिकार हो गया और वे जनता का शोषण करने लगे। रपायी सभ्यता और जनता के सुख के लिए धार्मिक समानता को आवश्यक बताया गया। यह भी कहा गया कि इसके अभाव में राजनैतिक स्वतन्त्रता एक मसोल है। इस विषय में श्री सी० ई० एम० जोड ने लिखा है—

‘सभ्यता के लिए शान्ति और सुरक्षा आवश्यक है, पर यही पर्याप्त नहीं। यदि आपके पास अच्छी मसी आवश्यक चीजों का अभाव है तो धीजो के रखने का अधिकार क्या महसूस करता है? स्वतन्त्रता भी सभ्यता के लिए आवश्यक है। पर स्वतन्त्र होने से ही क्या, जो आपके पास रखने-पीने के ही समुचित साधन नहीं। पहले भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता है और ये चीजें पैसे से प्राप्त होती हैं।

यदि आपके पास धन नहीं है और उसकी प्राप्ति के लिए आप धोर परिश्रम करते हैं तो राजनीतिक न्याय बेकार है। और अपने जीवन में आप कोई आनन्द नहीं उठा सकते। "आजकल ससार में राजनीतिक न्याय तो दिया गया है और अनेक देशों में ऐसा किया गया है पर आर्थिक न्याय बड़ा कम है। आर्थिक न्याय से युक्त समाज वह होगा जहाँ प्रत्येक कार्य करने वाले व्यक्ति को उचित धन दिया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय से युक्त समाज में कानून की निगाह में सभी समान होते हैं और उन्हें हिंसा से सुरक्षा प्राप्त होती है। पर जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने कठोरतम शारीरिक परिश्रम किया है वे सदैव दीन रहे हैं और जो रईस रहे हैं उन्होंने बहुत कम या कुछ काम नहीं किया। राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय परस्पर सम्बद्ध हैं। यदि आप या आपके दोस्त सरकार में शक्ति हथियाये हुए हैं तो आप अपनी इच्छानुसार कानून बनवा सकते हैं। ऐसे कानून आपको और आपके दोस्त को लाभान्वित करेंगे। ऐसे कानून आपको प्रमोद और सबको गरीब रखने की कोशिश करेंगे। यह अन्याय की दशा है और इसके विरुद्ध अनेक बार जनता उठी है और विद्रोह किया है ताकि राष्ट्र के धन को अधिक समान आधार पर वितरित किया जा सके। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में फ्रेंच राज्य क्रान्ति और सन् १९१७ की रूसी क्रान्ति का यही उद्देश्य रहा।"

इस प्रकार धन का समान वितरण और जनता की सुख-सुविधा राज्य का कार्य होता गया। आज कल के राज्य अधिकाधिक कार्य करते हैं क्योंकि वे जनता के तथाकथित राज्य हैं। तब, आर्थिक नीति राज्य की एक अति आवश्यक नीति बन जाती है क्योंकि अर्थ के अभाव में किसी भी प्रकार की जन सुविधा प्रदान करने में राज्य असमर्थ रहेगा।

आजकल राज्यों को आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बड़ी समझ से काम लेना पड़ता है। विदेशी व्यापार, आयात, निर्यात, रुपये का मान आदि की व्यवस्था के लिए मन्त्रालय कार्य करते हैं। वित्त मन्त्रालय देश की वित्तीयता पर नियंत्रण रखता है। रुपये के उन्मूलन और अवमूलन को करना है। रुपये के मूल्य को बढ़ाना उन्मूलन और मूल्य को घटाना अवमूलन कहलाता है अर्थात् किसी मुद्रा का मूल्य सोने या अन्य मुद्राओं के अनुपात में कम स्वीकार कर लेना ही अवमूलन है। अवमूलन देश के विगड़े हुए भुगतान को, सतुलन को पुनः स्थापित करने का एक निश्चित साधन माना जाता है। सन् १९३८ में आस-पास अनेक देशों ने मुद्रा का अवमूलन कर अपनी अर्थनीति को हड़ बनाया था। फ्रेंच सरकार की फ्रैंक मुद्रा का अनेक बार अवमूलन हुआ है। १९४६ में ब्रिटिश सरकार को भी अवमूलन का सहारा लेना पड़ा था। पौण्ड के अधीन जितने भी देशों के सिक्के थे उन सबने उन्नी अनुपात से अपने सिक्के का अवमूलन किया था। इंग्लैंड के पौण्ड सिक्के के साथ बंधे होने के कारण भारत, लका, पाकिस्तान इत्यादि देशों को भी अपने रुपये का अवमूलन करना

पटा था । इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रमरीना का एक डालर जहाँ पहले लगभग सावा-तीन रुपए के बराबर था वहाँ यह पीने पाँच रुपए का हो गया ।

भारत सरकार ने ६ जून सन् १९६६ को जो भ्रवमूल्यन किया वह सन् १९४६ की तरह ब्रिटिश पौण्ड के सिक्के के भ्रवमूल्यन के कारण नहीं किया बरन् अपनी प्राथिक नीति के कारण किया गया है । यह निर्णय भारतीय मन्त्रीमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से किया गया । इसके अनुसार सोने की दृष्टि से तो भ्रवमूल्यन ३६.५ प्रतिशत हुआ किन्तु व्यावहारिक रूप से ५७.६ प्रतिशत का हुआ है । भ्रम पौण्ड तथा तेरह के बजाय एक साथ दसवीं तक रुपए का हो गया है और डालर पीने पाँच रुपए के बजाय साढ़े सात रुपए का हो गया है । पर बाजार में यह दस रुपए का चल रहा है ।

भारतीय वित्तमन्त्री श्री शचीन्द्र घोषरी ने भ्रवमूल्यन के पटा का विभिन्न प्रकार मण्डन से किया है । उनका कथन है प्राथिक ही नहीं राजनैतिक दृष्टि से भी यह आवश्यक था । उनका विचार है कि वर्तमान दशाघो में देश की भलाई की दृष्टि से एक यही उपाय था भले ही इसमें कुछ सामियाँ ब्यो न हो । सामियों को दूर करने के लिए उन्होंने अन्य उपाय ससद को सुझाए । भ्रवमूल्यन के संदर्भ में सरकार की तीन मुख्य दसियों रही—

१—हमारे रुपए की कीमत विदेशी बाजार में स्वतः गिर चुकी थी । सरकार ने इस को स्वीकार किया है ।

२—विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए यही एक तरीका रह गया था ।

३—आयात और निर्यात की दशा बिगड़ चुकी थी ।

‘विश्व बैंक द्वारा भेजे गए वेल मिशन ने भारतीय मुद्रा का भ्रवमूल्यन करके उसे यथार्थवादी विनिमय दर पर सड़ा करने की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने वेल मिशन की सिफारिश पर तत्काल प्रतिक्रिया करने से तो इनकार किया लेकिन काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला किया गया कि विदेशी मुद्रा कोप की गिरती स्थिति, भुगतान में भारी असन्तुलन और विदेशी सहायता में ट्कावट के कारण रुपये पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे कम करने के लिए भ्रवमूल्यन ही एकमात्र सहायक है । तदनुसार रुपए का भ्रवमूल्यन किया गया ।

वित्तमन्त्री ने धाणा प्रगट की कि रुपए के भ्रवमूल्यन से भारत का निर्यात व्यापार बढ़ेगा और आयात कम होगा । विदेशी व्यापार में जो कई प्रकार की धनिय-मितताएँ चलती हैं, वे कम हो जाएँगी और तत्करी समाप्त हो जाएँगी । विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी । देश के भीतर छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बनपने का मौका मिलेगा और विदेशी पूँजी को भारत आने की प्राथिक प्रेरणा

मिलेगी । अथमूल्यन का असर सिर्फ रुपए पर पड़ेगा । रुपयो मे तो विदेशी ऋणो की प्रदायगी, व्याज आदि का बोझ कुछ बढ़ जाएगा ; किन्तु अन्य दृष्टियो से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा । जो पूजीगत माल विदेशो से जिस भाव पर अथमूल्यन से पहले आता था, वह अथमूल्यन के बाद भी उतनी ही कीमत मे आएगा । निर्यात को बढ़ाने तथा आयात को रोकने के लिए सरकार को अब ऐसे बंदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिन्हें 'भेदमूलक' कहा जा सके । अथमूल्यन का ऐलान करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चालू सभी योजनाएँ वापस ले ली गई हैं । इसमे राष्ट्रीय कोष पर पड़ने वाला दबाव कम होगा, क्योंकि अब तक सरकार कई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता देती थी । अथमूल्यन के परिणाम स्वरूप केन्द्र की आय-व्यय सबधी स्थिति में भी सुधार होगा । विदेशी सहायता का रास्ता साफ हो जाने से रुपए को नया बल मिलेगा क्योंकि अथमूल्यन से पूर्व तक भारत के विदेशी सहायकों को यह शिकायत थी कि पौण्ड स्टलिंग के सबध मे रुपए की विनिमय दर १९२५ से ग्रीर डालर के प्रसंग में १९४९ से स्थिर है ; किन्तु भारत में मुद्रा स्फीतिक कारणो से रुपए की कीमत काफी घट गई है । रुपए की डालर मे सरकारी विनिमय दर पौने पांच रुपए होने पर भी खुले बाजार मे रुपए की विनिमय दर फी डालर सात-आठ रुपए है । इस अन्तर के कारण ही १९६३-६४ मे हुए ७९३ करोड रुपए के निर्यात में से सरकार को ९० करोड रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी ।

रुपए के अथमूल्यन से देश की आम आर्थिक हालत सुचरेगी सरकार को ऐसी आशा है, किन्तु इस कदम मे जो खतरे निहित हैं, उनको भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । देखने योग्य बात यह है कि यदि भारत का निर्यात व्यापार नहीं बढ़ा तो उसके लिए रुपए की पिछनी विनिमय दर कहीं तक जिम्मेदार है ? १९६५ मे ८०८ करोड रुपए का माल बाहर भेजा गया । इसमे से ६६७ करोड रुपए के मूल्य का माल ऐसा था जिसकी बिक्री के लिए सरकार को किसी प्रकार की सहायता नहीं देनी पडी । कुल निर्यात वाले माल का ८०-८२ फीसदी भाग ऐसा है जो कीमत की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे ही बिक्री से सकता है । बाकी १८-२० फीसदी के लिए किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता रहती है । भारत के कुल निर्यात का अठारह फीसदी भाग पूर्वी योरोप के देशो को जाता है । उसको अथमूल्यन द्वारा कीमते घटा कर किसी तरह का बल देने की आवश्यकता नहीं । चाय, काफी, तम्बाकू तेल आदि के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सीमित है । अथमूल्यन से इन वस्तुओ को सीमित बाजारो मे भी छा जाने का मौका तो मिलेगा ; लेकिन सतरा यह है कि एशिया और अफ्रीका के अन्य देश भी, जो इन चीजो का निर्यात करते हैं, अब अपनी मुद्रा का अथमूल्यन करने की बात सोच सकते हैं । ऐसा होने पर रुपए का अथमूल्यन करने से मिलने वाला

साथ घाटे में बदल सकती है। भारतीय निर्यात व्यापार न बढ़ने का एक कारण यह है कि योरोपीय देशों ने आयात पर तट पर घोर छुँगी की दरें काफी ऊँची कर दी हैं। अफ्रीकी देशों की बठिनाई यह है कि वे उन देशों से व्यापार करना पसन्द करते हैं, जो उनका माल खरीद सकें। यदि पश्चिमी योरोप के देश अपने राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा के लिए रुपए का प्रचलन हो जाने के बाद तटपर घोर छुँगी की दरें और बढ़ा देते हैं, तो प्रचलन से होने वाले सम्भावित लाभ पर हस्ताक्षर कर सकती है। जहाँ तक अफ्रीकी देशों से व्यापार बढ़ाने का तात्पर्य है, वह तब तक सम्भव नहीं जब तक भारत उनसे अघिक माल खरीदने की स्थिति में नहीं हो जाता।

रुपए के प्रचलन से आयात जरूर कम होगा, किन्तु देने की बात यह है कि भारत के आयात का ७५ फीसदी भाग पूर्णतः माल और उद्योगों के काम आने वाला अच्छा माल होता है। बाकी २५ फीसदी में से २१ फीसदी घन्न तथा दूसरे साठ पदार्थ होते हैं। गिरफ्तार फीसदी भाग में दूसरी वस्तुएँ शामिल हैं। रुपए के हिमाय से यदि आयात का मूल्य बढ़ जाता है, तो इसका प्रसार विकास तथा उत्पादन बढ़ाने की गतिविधियों पर पड़ सकता है। जहाँ तक विदेशी पूँजी का संबंध है, प्रचलन से उसकी स्थिति में तो सुधार होगा, लेकिन इससे सरकार और देशी उद्योगपतियों की परेशानियाँ बढ़ेंगी। भारत सरकार ने विदेशी उद्योगपतियों को 'आशय पत्र' देने का जो फैसला किया है उसे, भारतीय उद्योगपतियों ने पसन्द नहीं किया। प्रचलन के बाद विदेशों के निजी उद्योगपतियों से समानता के आधार पर सहयोग करने को इच्छुक भारतीय उद्योगपतियों की बठिनाईयें बढ़ सकती हैं।

वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रचलन से देश के भीतर कीमत वृद्ध बढ़ेंगी। सवाल उठ सकता है कि आयातित माल मंहगा हो जाने से यदि उत्पादन गर्भ बढ़ा और भारतीय उत्पादन मंहगे हो गये तो सरकार के इस कदम से फुल मिलाकर क्या लाभ होगा? यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय अर्थतंत्र की अनेक बठिनाइयों का कारण यह है कि उसके सभी क्षेत्रों का समान विकास नहीं हुआ। प्रचलन उस अर्थतंत्र की समस्याओं को हल करने में सहायक होगा है, जहाँ स्वतंत्र व्यापार का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है। शूँकि भारत ने मिश्रित और नियोजित अर्थतंत्र का रास्ता अपनाया है अतः उसे प्राथमिकताओं, रोक और नियंत्रण का तरीका कुछ हद तक अपनाना ही होगा। यदि प्रचलन व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में खुले और स्वतंत्र बाजार का सिद्धान्त अपनाने की दिशा में पहला कदम है, तब तो इसमें लाभ की आशा की जा सकती है, अन्यथा सरकार को मंहगाई, उत्पादन में गिरावट आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और किस्माल ऐसा ही हो रहा है।'

'रुपए का मूल्य घटाने का समर्थन दो कारणों से किया जाता रहा है। एक तो निर्यात बढ जायेगा और दूसरे आयात कम हो जायगा। मूल्य घटने से विदेशी व्यापारी उतने ही घन से अधिक भारतीय सामान आयात करेंगे, भारतीय कम आयात करेंगे क्योंकि विदेशी सामान यहाँ महंगा पडेगा। वित्तमन्त्री ने अपने वक्तव्य मे इस दलील की पुष्टि की। लेकिन यह उतना सरल नहीं जितना कि दीव्य पढता है। हमारा अधिकतर आयात प्राथमिक उत्पादो का है। इनकी माँग और सम्भरण इनने सीमित हैं कि रुपये का मूल्य गिरने से भी उनके निर्यात मे विशेष परिवर्तन नहीं आ सकता।

यह सत्य है कि वित्त मन्त्री ने आयात पर कठोर नियन्त्रण उठाने का निश्चय किया ताकि वह सभी सामान और मशीनें उपलब्ध करा सकें जिनके कारण औद्योगिक विकास मे शिथिलता आती है। पर आयात एक तरफ तो बहुत महंगा पडेगा, दूसरी ओर इसके कम करने की गुजाइश नहीं है। यदि हमे प्राथिक उन्नति की गति बढ़ानी है तो आयात को बढ़ाना ही होगा।

इस दशा मे आयात का मूल्य बढ जाने से उत्पादन शुनक निश्चय ही वडेगा और देश की सभी चीजो की कीमते बढ जाएगी (जैसा कि हुआ भी है) निर्यात का मूल्य घट जाने से भी कोई लाभ नहीं जिनकी विदेशो मे माँग और हमारे देश मे खपत घटने-बढ़ने वाली नहीं है।

वित्तमन्त्री का विचार है कि रुपये के प्रवमूल्यन से देश की अर्थ व्यवस्था गुम्ड हो जायेगी तथा विकास की ओर हम अधिक बढ़ सकेंगे। यह उद्देश्य तो केवल स्वप्न मात्र ही रह जाएगा जब तक वह सभी उपाय प्रयोग मे नहीं लायेगे जिससे हमारा निर्यात बढे और आयात कम हो। भारत जैसे विकासशील देश को व्यापार के अन्तर का पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध मे विकसित देशो से प्राप्त ऋण पर निर्भर रहना पडता है। दिसम्बर १९६५ तक इस प्रकार के ३८२४ करोड रुपये के ऋण का अधिकार दिया गया था जो विदेशी मुद्रा मे लौटाये जाने हैं जिसमे से २६५८ करोड रुपये खर्च किये जा चुके हैं और पिछले वर्ष के अनुमान से ३२१३ करोड रुपये के आर्डर दिये जा चुके हैं। ब्याज और मूलधन की विज्ञो की अदायगी भी विदेशी मुद्रा मे करनी है और वह हमें निर्यात से प्राप्त होने वाले धन मे से देना होगा। इसलिये हमे उतनी ही राशि कमाने के लिये अधिक मात्रा मे निर्यात करना पडेगा। ऋण पर ब्याज भी उनी हिसाब से अधिक बढ जायेगा। यह निश्चय है कि विकास के समय जो ऋण दिये गये, उन्हें लौटाने के लिये हमे दुगना परिश्रम करना पडेगा।

चौथी योजना का निर्माण करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि हमे ४००० करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है पर रुपये के प्रवमूल्यन करने

से कही अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। योजनाबद्ध विकास की लागत बढ़ जाना अनिवार्य हो गया है। भवमूल्यन का सीधा सम्बन्ध मूल्यों के साथ है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भवमूल्यन का जनसाधारण पर और भी अधिक बोझ पड़ेगा।

वित्तमन्त्री ने तो पोपणा कर दां कि मूल्य में स्थिरता लाने के लिए कोष और मुद्रा सम्बन्धी बड़े यठोर उपायों के साथ कृपि तथा औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता पर भी अधिक जोर देना होगा। छोटे-छोटे उद्योगों को ये सभी सुविधाएँ प्राप्त कराई जायेंगी जिनमें उनका उत्पादन बढ़े। भिट्टी का तेल तथा कच्चे सूत का इतना आयात हो सकेगा जिसमें उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त सकेंगे, पर यह निश्चय है कि इनमें उत्पादन का मूल्य बढ़ जाने से जनसाधारण को उन सभी आवश्यक वस्तुओं की अधिक कीमत चुरानी होगी। सरकार की यह दलील सही नहीं प्रतीत होनी कि भवमूल्यन से महंगाई पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। सरकार को यह दलील भी मिथ्या माननी है कि भवमूल्यन के कारण कर नीति में इस प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं कि वह मूल्यों में स्थिरता लाने में सहायता हो सके। अगर मूल्य इस प्रकार ही बढ़ते गए जिस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं तो विकास के सभी लाभ समाप्त हो जायेंगे। वित्तमन्त्री को भारतीय रुपये की बढ़ बनाने के सभी उपायों पर विचार करना चाहिए। इस समय जखरत इस बात की है कि मूल्यों को विस्तृत न बढ़ने दिया जाय। यदि भारत सरकार अपने सभी पर किसी प्रकार का भी नियन्त्रण कर सके तो इस समस्या का समाधान कुछ हद तक हो सकता है। कोई भी लोकतन्त्री सरकार इस प्रकार की वैषीदा समस्या की ज्येसा नहीं कर सकती। यदि सरकार अब भी अपनी योजनाओं में इस प्रकार के सुधार नहीं करती तो हो सकता है कि वित्तमन्त्री को इसी आधार पर रुपये का भवमूल्यन फिर करना पड़े। इस कारण सरकार को अपनी औद्योगिक कर तथा मुद्रा नीतियों में महत्वपूर्ण, लचीलापन लाना आवश्यक हो गया है। अगर रुपये की प्रतिष्ठा को नहीं बचाया गया तो योजना का कोई महत्व नहीं होगा।

राजनीतिक दृष्टि से भवमूल्यन से देश की प्रतिष्ठा गिरती है। देश का दिवालियापन प्रकट होता है और विश्व में उसके मित्रों की मास गिर जाती है। संग्रम में भवमूल्यन पर बड़ी परमाधरम बहस हुई है। प्रायः सभी विरोधी दलों ने इसकी एक स्वर से मानोचना की है। सरकार भवमूल्यन करने से पूर्व बराबर बहती रही और सार मदस्यों को भी आश्वासन देती रही कि रुपये का भवमूल्यन नहीं किया जाएगा पर एक साथ अधानक ही ऐसा निर्णय ले लिया गया। इसलिए सरकार पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि भारत सरकार पर इस विषय में अमरीका की सरकार का दबाव पड़ा है। उसने साफ बता दिया था कि भवमूल्यन

किए बिना भारत को आर्थिक सहायता नहीं दी जायगी। पर भारत सरकार इस बात का बार-बार खण्डन कर चुकी है। उमका कहना है कि अवमूल्यन किसी के दबाव में आकर नहीं किया गया अपितु विदेशी मुद्रा का सतुलन बनाए रखने के लिए किया है। भारत के सभी विरोधी दल इसको सरकार के विरुद्ध प्रचार का एक प्रमुख साधन बना रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बाजार में महंगाई भी आई है जो इसका प्रमाण देती है और सरकार की आलोचना और विरोध को और भी तीव्र कर देती है। अनेक प्रदर्शन और आन्दोलन भी हो चुके हैं।

सर्वोदय

विश्व के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न समयों पर विभिन्न विचारधाराएँ प्रगट हुईं और उनके अनुसार शासक और शासित प्रभावित भी हुए परन्तु ये विचारधाराएँ अपने कुछ विशुद्ध एकाकी आधारों को लेकर सामने आईं। व्यक्तिवाद ने व्यक्ति स्वातन्त्र्य का सर्वोपरि मान कर सबको उठाकर ताक पर रख दिया। समाजवादी विचारधारा ने समाज का व्यक्ति के ऊपर साद दिया और इस ऋक में व्यक्ति की स्वतन्त्रता एक खिलौना बन कर रह गई। इसी प्रकार अन्य विचारधाराएँ भी अपने एकाकीपन के कारण साम्प्रदायिक बन कर रह गईं। किसी ने 'अधिक से अधिक जनो के अधिक से अधिक लाभ' की बात नहीं की। किसी ने कुछ खास लोगों को शासन के लिए जन्मता हुआ माना। इन सभी बातों के भागे गांधीजी ने बिना किसी भेद-भाव के आधार पर कुछ भी नहीं सबके उदय की बात कही। इसी सबके उदय, सबकी उन्नति, सबके सुख के विचार को 'सर्वोदय' कहा गया।

गांधीजी ने ससार के रहने वालों को पथ बतलाया। उन्होंने सर्वोदय के द्वारा मनुष्य जाति को एक नई सन्धता तथा सश्रुति का पावन सन्देश दिया। इस सन्देश के मूलाधार सत्य और अहिंसा रहे। वास्तव में सर्वोदय सबके उदय की कामना करने वाली एक ऐसी विचारधारा है जो भारतीय प्रादणों पर ही आधारित है और साम्यवाद का एक जवाब है। यह दर्शन साध्यात्मिकता, नैतिकता, भौतिकता, धार्मिकता, वैज्ञानिकता आदि का एक ऐसा समन्वय है जिसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पूर्ण ध्यान रखते हुए सामाजिक उत्थान तथा शान्ति की योजना की गई है।

गांधीजी किसी वाद को चलाना नहीं चाहते थे। वे तो अपने अनुभव और प्राचीन अनुभूत प्रयोगों से लाभ उठाना चाहते थे। धर्म, राजनीति, समाजनीति और सब जनहितकारी तथ्यों से सम्बन्धित जो विचार उन्होंने व्यक्त किए उनके निष्कर्ष को 'सर्वोदय' कहा जाने लगा। गांधीजी जिस रामराज्य की स्थापना चाहते थे, उसी की

स्थापना का मार्ग सर्वोदय कहा जाता है। इसे सर्वोदयवाद या गांधीवाद भी कह दिया जाता है। वास्तविक रूप में वाद को गांधीजी कभी भी पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने मार्च १९१६ में साँवणी में गांधी-सेवा सब के सदस्यों के सामने भाषण करते हुए कहा—

“गांधीवाद नाम को कोई भी चीज नहीं है और न ही अपने पीछे में कोई ऐसा सम्प्रदाय छोटना चाहता हूँ। मैं कदापि यह नहीं देखा करता कि मैंने किन्हीं नए सिद्धान्तों को जन्म दिया है। मैंने तो अपने निजी तरीकों से शाश्वत मूल्यों को दैनिक जीवन और उसकी समस्याओं..... पर लागू करने का प्रयास मात्र किया है।... मैंने तो व्यापक आघार पर सत्य और अहिंसा पर परीक्षण किया है।... मेरा दर्शन जिसे आपने गांधीवाद का नाम दिया है सत्य और अहिंसा में निहित है। आप इसे गांधीवाद के नाम से न पुकारें, क्योंकि इसमें कोई भेरी निजी बात तो है नहीं।”

इस प्रकार सर्वोदय की बात जनता की अपनी और पुरानी बात है। वास्तव में यह आध्यात्मिक बात है जो लौकिकता में उतारी गई है। इसे वाद कहना ठीक भी नहीं। श्री जैनेन्द्र ने शब्दों में “मेरे लिए सर्वोदय या गांधीवाद शब्द मिथ्या हैं। जहाँ वाद है वहाँ विवाद अवश्य है। वाद का अर्थ है कि प्रतिवाद को विवाद द्वारा खण्डित करें और इस तरह अपने को प्रचलित करें। गांधीजी के जीवन में विवाद एकदम नहीं है। इसलिए गांधी को वाद द्वारा ग्रहण करना सफल नहीं होगा। गांधी न कोई सूत्रबद्ध मन्तव्य प्रसारित नहीं किया है जमा रेखाबद्ध मन्तव्य वाद होता है। गांधी तो अपने जीवन को सत्य के प्रयोग के रूप में देखते हैं।” परन्तु फिर भी श्री किशोरीलाल मथूवाला के शब्दों में “अगर वाद के मानी ये हो कि एक निश्चित ढाँचे में तैयार किया हुआ जीवन का पूरा-पूरा नक्शा, तो गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। अगर वाद के मानी ये भी हो कि ऐसी एक पूर्ण साज जिसे देखकर जीवन सम्बन्धी किसी भी मामले का जबाब हासिल कर लिया जाय तो भी कहना होगा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर ‘वाद’ के मानी हो जीवन तथा व्यवहार के लिए कुछ मोटे दैतिक सिद्धान्तों का स्वीकार, तो मानना होगा कि गांधीवाद नाम की एक चीज और एक व्यवहार कार्य उत्पन्न हो चुका है। अगर उनके लिए कोई सूचक नाम देना हो तो क्रमशः उन्हें सर्वोदयवाद और सत्याग्रह मार्ग कह सकते हैं।”

सर्वोदय समाज से एक ऐसे समाज का आशय है जिसमें सभी सुखी, सम्पन्न तथा समान हो और जिसका संचालन सत्य एवं अहिंसा के आघार पर हो। वैयक्तिक स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक हित का ध्यान रखा जाय और ऐहिक उन्नति के स्थान पारलौकिक कल्याण की साधना हो। सर्वोदय समाज ही एक ऐसा समाज होगा जिसमें सभी समवेत स्वर से कह सकेंगे—

सर्वे भवन्तु सुगिनः, सर्वे सन्तु निरागमाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चिद् दुस्तमाग्भवेत् ॥

पर्याप्त सभी सुगो तथा नीरोग हों, सभी बल्याण का माधात्कार करें, कोई भी दुःख का भागी न हो । यही विषय कल्याण कामना सर्वोदय और गांधी दर्शन का प्रतीक है ।

सर्वोदय का उद्देश्य है—राज्य और अहिंसा के आधार पर एक समाज स्थापित करने का प्रयास करना जिसमें जाति-भेद न हो, जिसमें किसी को शोषण करने का मौका न मिले और जिसमें समूह और व्यक्ति दोनों को पूरा-पूरा विकास करने का मौका मिले । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित साधनों को काम में लाया जाता है—

‘साम्प्रदायिक एतना, अस्युत्पत्ता निवारण, जाति भेद निराकरण, नशाबन्दी, खादी और दूसरे सामोद्योग, गाँव की सफाई, नई शिक्षा, स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान अधिकार, आरोग्य और स्वच्छता, देश की भाषाओं का विकास, प्रांतीय सकीलता का निवारण, आर्थिक गमानता, सेती की तरबही, मजदूर संगठन, आदिम जातियों की सेवा, विद्यार्थी संगठन, कुष्ठ-रोगियों की सेवा, सबट निवारण और दुस्त्रियों की सेवा, गो-सेवा, प्राकृतिक-विकिरता, तथा इसी तरह के दूसरे काम ।’

यदि गाँधी जी ने कहा है कि उनके राम राज्य में राजा, जमींदार, धनिक और गरीब सब सुख पूर्वक रहेंगे तो इनका यह मनन नही कि उनके प्रतिम आदर्श समाज में एक और राजा बगैरह आराम और आलस्य में रहने वाले मनुष्यों का और दूसरी और निरिक्चन और सतत् परिश्रमी मनुष्यों का रहना आवश्यक है, बल्कि जिस भूमिका पर आज के हिन्दुस्तान का मानव समाज खड़ा है उसमें अगर हम अहिंसा द्वारा सर्वोदय की ओर जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रथम व्यवहार्य आदर्श यही हो सकता है कि आज जो अत्यन्त दरिद्र हैं उन्हें भीम्रातिशीघ्र पेटभर भन्न, शरीर भर कपड़ा, आरोग्यकर भवान और उद्योग पूर्ण देहात प्राप्त करने का कार्यक्रम सोचें । यह कार्य कोई कम नही । भले ही सब तक कुछ मोग डेरों सम्पत्ति के स्वामी बने रहें । पर इसके मानो यह विज नही है कि राजा, जमींदार और धनिकों को एकाधिकार पूर्ण सत्पाए बनाये रखने का यह सिद्धान्त है । आखिर में तो सर्वोदय का प्रयं यही हो सकता है कि सबको यथासभव समान बनाया जाय । पर अहिंसक परिवर्तन में यह तरीका नही होता कि सबके समान करने के लिए ऊँचे मकानों को तोड़ने में शुरुवात की जाय, बल्कि यह कि बहुत से छोटे-छोटे नए मजदूर मकान बनाना प्रारंभ कर दिया जाय ।

सब पूछा जाय तो सर्वोदय का यह सिद्धान्त नया नही है । गाँधी जी ने कोई ऐसा नीतितत्व ईजाद नही किया जिसका दुनियाँ में कभी किसी की परिचय न था ।

साम्यतः प्राचीन भारत से इन वैदिक शिक्षाओं पर साक्ष्य-शक्ति का भौतिक और सामाजिक उत्कर्ष हुआ है और उसके प्रति सर्वत्र आदर भी रहा है। प्रत्येक जगहों में संकड़ों स्त्री-पुरुष अपने निजी जीवन में उन पर धराने की कोशिश करते आ रहे हैं। गांधीजी ने जो विशेषता बनाई है वह यह है कि समाज और राष्ट्रीय जीवन में भी बड़े पैमाने पर उन शिक्षाओं का समतल विद्यमान आना चाहिए और विद्यमान होना चाहिए। वेदांगिकों का कथन है कि गुरुत्वानयेण वा विद्यमान सत्कार को पहने-पहलाने श्रुत में दिया। इसका यह अर्थ नहीं कि श्रुत में दिया। इसका यह अर्थ नहीं कि श्रुत में ही यह। पहला गुरुत्वानयेण की शक्ति का और उसके प्रयोग के विषयों का निर्माण विद्या। गुरुत्वानयेण वा विद्यमान ही श्रुत से पहला भी समाज में भी नूतन का और रोग उसे विद्या आने, विद्या उसका नाम व्यवहार में लाये, उसमें लाभ उठाते थे। किन्तु लोगों को उसका निर्णयत्व मान व था और समित व बने थे। श्रुत में इन विषयों का पता लगाना और उन्हें दुनियाँ को समझाना। इसी प्रकार सत्य, सद्दिया और सेवा को गांधी जी का धारणकार बने तो यह भी इसी तरह हो सकता है। यह युग तो समाज में भादि बात से रहे है। जाने भवजाने उनका उपयोग भी होता रहा है। गांधी जी ने इनका व्यापक प्रयोग कर सर्वोदय का आधार इसी युगों को बना दिया।

सबसे सुल को लेकर जिस सर्वोदय की बात गांधी जी ने कही उसके कार्यक्रम पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। उन्होंने सर्वोदय के सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य, सद्दिया, सेवा, सत्याग्रह आदि न मार्ग को अपनाया है। इनका पृथक् पृथक् अर्थ भी समझ विद्या आना चाहिए।

'सद्दिया'—इसका अर्थ होता है हर प्रकार के अर्थों का—गांधीजी की भाषा में बड़े लो गणुबल से सही अर्थिक सत्याग्रह से विरोध करना। सद्दिया कोई निश्चित अभावधारक मनोवृत्ति नहीं है बल्कि यह प्रवाह विद्यमान अर्थों की त्रियारमक और भावना प्रभाव युक्ति है। दुनियाँ में हिंसा का प्रयोग प्राचीनकाल से होता आता आ रहा है और युद्ध तथा विजय की सहायता से उसकी प्रक्रिया को पूर्णता तक पहुँचाने और हिंसा का एक साधन तैयार करने, प्रयत्न सदियों से आता रहे है। इससे 'सद्दित' नहीं हो पाई। अतः सद्दिया प्रेम मानी स्वयं कष्ट सहकर युगों को जीतना ही हीन नहीं।

'सेवा'—यह सत्य और सद्दिया के सम्मिलित प्रयोग का नाम है। सपरिषद् इसके कार्यक्रम है। योजनाओं ११ बातों से होगा—

- १—सत्य, २—सद्दिया, ३—सहायक, ४—सत्याग्रह, ५—सत्य, ६—सपरिषद्, ७—सत्यपुत्रता निवारण, ८—सत्य, ९—शारीरिक धर्म, १०—सर्व धर्म समभाव ११—स्वदेशी।

ग्रहिणा पर आधारित सत्याग्रह को उन्होंने साधन कहा था । सत्याग्रह सिद्धान्त के गांधी जी ने छह तरह कहे हैं—

- १—सत्याग्रह के कारण न्यायोचित और सच्चे होने चाहिए ।
- २—सत्याग्रह के पूर्व क्षान्तिपूर्ण भरपूर प्रयत्न कर लेने चाहिए ।
- ३—विरोधी को अपनी भूल सुधारने का पूरा-पूरा प्रवसर देना ।
- ४—सत्य तथा ईश्वर पर पूरा-पूरा भरोसा व ग्रहिणा का पालन ।
- ५—प्रमन्नता से बच्य सहना ।

श्री आर० आर० दिवाकर ने सत्याग्रह को यह विधियाँ बताई हैं :—

- १—हुडताल, २—उपवास, ३—प्रार्थना, ४—प्रतिज्ञा, ५—घसहयोग, ६—करबन्दी, ७—परना, ८—नविनय प्रवृत्ता, ९—मामरण अनशन, १०—सरकारी सीमा तोड़ना ।

इस प्रकार गांधी जी न सर्वोदय का आधार सत्य, ग्रहिणा, सेवा, सत्याग्रह को बताया ।

वास्तव में सर्वोदय एक समन्वयात्मक विचार है । यानी सारे विचारकों को एकत्र करने की शक्ति सर्वोदय के विचार में है । भारत की सभ्यता ही ऐसी है कि समन्वय उसमें राम-रोम में दिया हुआ है । जिन प्रकार गंगा गोमती से निकलकर पहाटों में जाह्नवी, मन्दाकिनी घोर घल्लनन्दा, मैदानों में यमुना, गोशवरी, ब्रह्मपुत्र, नदियों को घेरने में विराकर भी ज्यों की त्यों पवित्र है । उसी प्रकार प्रार्थ, प्रार्थित जातियों के समन्वय से भी भारतीय सभ्यता ज्यों की त्यों है । यह समन्वय ही मात ही भारतीय सभ्यता को जीवित रगे है । मोहोन्नीदहो से महाभाग्यापी तक यह इसी आधार को बनाए रखे रही है ।

सर्वोदय के विचार के घोर स्पष्टीकरण के लिए गांधीवाद या सर्वोदय का समाजवाद से अन्तर भी देखना पड़ेगा । सर्वोदय के कार्यक्रम को देकर यह कहा जा सकता है कि गांधी जी समाजवादी कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते थे । इस कारण भी दोनों में तुलना करना आवश्यक हो जाता है ।

‘यदि सर्वोदयवाद घोर समाजवाद की तुलना करनी हो तो मैं यह कहूँगा कि समाजवाद का ध्येय है शान्ति यानी सुसम्पन्नो पर दरिद्रों का शासनाधिकार और सर्वोदय का ध्येय है हृदय परिवर्तन यानी सुसम्पन्नो द्वारा दरिद्रों की सेवा । समाजवाद में मे प्राप्ति की सिद्धि के लिए दरिद्र सेवा (वर्त्म दरिद्र सम्पर्क) एक साधन है । सर्वोदय में मानव-न्याय की सिद्धि के लिए शान्ति यानी शासनाधिकार की प्राप्ति एक साधन को हो सकता है । समाजवाद को परवाह नहीं कि जिस प्राप्ति देयी जा वह बड़ी श्रद्धा के साथ धाराधन करता है, उसकी प्राप्ति ग्रहिणा द्वारा हो या रक्तपात द्वारा । सर्वोदय में हिंसा के लिए गुन्नाहस नहीं क्योंकि उसमें परिवार न्याय है ।

समाजवाद मे इतनी ही प्रतिज्ञा है कि सब मानव समान है । सर्वोदय मे यह प्रतिज्ञा तो है ही, साथ ही यह भी है कि पूर्ण अहिंसा हो ।'

सर्वोदय और समाजवाद के अन्तर तथा सम्बन्ध के लिए दोनों के प्रादर्शन तथा कार्यक्रमो को समझना चाहिए । 'गांधी जो वा कहना है कि सारी दुनिया वा मूल जो कि सत्य है, दुनिया के अणु-अणु मे इन भिन्न-भिन्न रूपों और आकार-प्रकारो मे यही सत्य पिरोया हुआ है । इसकी यह अर्थ हुआ कि हम सब जीवमात्र, मनुष्य मात्र एक ही सत्य के अंश है, अंश मे एक रूप है, हम सबका नाता आत्मीयता का है । जब हम मनुष्य ही नहीं जीव मात्र, भूतमात्र आत्मीय है, तो फिर हमारा पारस्परिक सम्बन्ध प्रेम का, सहयोग का, सहिष्णुता का और उदारता का ही हो सकता है; न कि द्वेष का, भगड़े का, मारवाट का, वा चढा ऊपरी का । ये दो गांधीवाद के ध्रुव सत्य हैं । जिन्हे गांधीजी क्रमश सत्य और अहिंसा कहा करते थे । यही गांधी-वादके पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त हैं जिन्हे मिलकर गांधी जो ने एक सुन्दर और तेजस्वी नाम दे दिया, सत्याग्रह । वैसे यह नाम धर्म वा वृत्ति सूचक प्रतीत होता है परन्तु इसका अर्थ है—सत्य की शोध के लिए सत्य वा आग्रह । अहिंसा इसमें दूध की सफेदी की तरह मिली या छिपी हुई है । क्योंकि सब अपने-अपने सत्य का आग्रह तभी अच्छी तरह रख सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सहनशील बन कर रहे और इसी का नाम अहिंसा है ।'

'सत्य और अहिंसा के बल पर समाज रचना समाज व्यवस्था इस तरह की हो कि जिसमे प्रत्येक मनुष्य, स्त्री वा पुरुष, बालक बालिका, युवा वृद्ध सबके समान रूप से उत्कर्ष की पूरी सुविधा हो । उसमे न ऊच-नीच का, न छोटे बड़े का, जात-पात का, न अमीर-गरीब का, कोई भेद वा लिहाज रहे । समान सुविधा और समान अवसर खुले रहने के बाद अपनी योग्यता, गुण, सेवा आदि के द्वारा कोई व्यक्ति यदि अपने आप आदरास्पद हो जाना है और लोग श्रद्धा से उसे बड़ा मानने लगें तो यह दूसरी बात है । परन्तु समाज व्यवस्था मे ऐसी कोई बात न होगी जिसके कारण किसी के सर्वांगीण विकास मे रुकावट हो ।

परन्तु यह तो गोलमाल बात हुई । सर्वोदय मे मनुष्य के विकास के लिए यह बातें आवश्यक हैं—

- १—स्वास्थ्यकर और पुष्टिवर्धक अथेष्ट भोजन ।
- २—छाफ और खुली हवा ।
- ३—निर्मल और नीरोग पानी ।
- ४—शरीर रक्षा के लिए आवश्यक कपड़े ।
- ५—खुला, हवादार और आरोग्यवर्धक मकान ।
- ६—मनोरंजन और ज्ञानवृद्धि के साधन ।

७—इस तरह के समाज व्यवस्था के नियम न कोई किसी को अनुचित रूप से दबा सके, न कोई बेकार रह सके, न कोई बिना मेहनत घन संप्रदाह कर सके। स्वस्थ, तेजस्वी, स्वावलम्बी, परस्पर सहयोग, श्रमशील, निर्भय और प्रसन्न मानव-समाज का निर्माण, सर्वोदय का हेतु है। यदि समाज कभी यना तो इनमें किसी प्रकार की सरकार की दण्ड-भय से नियन्त्रण करने वाली किसी शासन सस्था की जरूरत न होगी। अधिक से अधिक एक व्यवस्थापक मण्डल होगा जो समाज पर हुकूमत नहीं करेगा बल्कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। इसमें कार्य की दृष्टि से कुछ विभाग ही सकते हैं पर श्रेणियाँ न होंगी यह तो कार्यकर्ताओं का समूह होगा।

अब हमें समाजवादियों के आदर्श को समझना चाहिए। वे उसे 'वर्गहीन' समाज कहते हैं। भाज समाज में घनी और गरीब, एक श्रमजीवी दूसरा परोपजीवी, एक पीड़ित, दूसरा पीड़क, एक शोषक, दूसरा शोषित—ऐसे दो वर्ग विपरीत स्वार्थ रखने वाले बन गए हैं। वह न रहें, सिर्फ एक ही काम करने वालों का समाज बन जाय। समाज व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कोई किसी का शोषण न कर सके और जिसमें कोई किसी के साथ जुगम ज्यादाती, मारकाट यानी हिंसा न कर सके। ऐसे समाज के लिए स्वभावतः ही किसी शासन सस्था की जरूरत न रहेगी।

मानव समाज के इस आदर्श में, दोनों की भाषाओं में भले ही अन्तर हो, पर बात दोनों की एक है। समाजवाद एवम शोषण वन्द करने पर विश्वास रखता है—सर्वोदय समन्वय या सामजस्य पर। सर्वोदय को यह भी सोचना और देखना पड़ता है कि शोषण तो जरूर मिटे पर आत्मीयता को बचाना न लगे। हाथ यदि सख गया है तो जोर से काट डालिए, किन्तु यह तो देख लीजिए कि वहीं बीमार का प्राण न निकल जाय या इतना बचाना न पहुँचे कि अन्य अंग भी नाकाम हो जायें। गांधीवाद आन्ति से सभी कार्य चाहता है, समाजवाद खूनी आन्ति से। एक का साधन सधिकात् है, दूसरे का आन्तिकात्। एक है मयमो, दूसरा है भोगवादी। एक वर्गभेद, वर्गसघर्ष चाहता है दूसरा टुटटीगिय। एक ईश्वर विद्ववासी है दूसरा केवल मानव-विश्वासी। एक धर्म चाहता है दूसरा केवल भौतिकता। इस प्रकार दोनों में साध्य के साधन में महान अन्तर है।

दोनों की तुलना का सार निखलने पर प्रतीत होता है कि समाजवादी कार्य-क्रम कुछ विशेष निश्चित स्वरूप का है क्योंकि उसकी सारी योजना सैनिक ढंग पर की हुई है। इसकी घपीस केवल मजदूर वर्ग, किसान वर्ग घषवा दलित वर्ग तक रहती है जयनि सर्वोदय सबकी बात है, सबका बह्याण चाहता है। इसलिए गांधीजी ने राजाओं, जमीदारों और पूँजोरिदों से बदिवा-नों पर दुपदाण शीवृति की

मोहर लगा दी है। यह दोनों घोर बने रह कर खास लाभ नहीं ले पाते। उनको कहीं तक इसमें सफलता मिली है, कहा नहीं जा सकता, क्या वह या उनका कोई अनुयायी यह बताएगा कि सघ और मिल-मालिकों के सघर्ष के दरम्यान इस तरह के हृदय परिवर्तन का कोई लक्षण दीख पड़ता है ? क्या यह ठीक नहीं है कि ये मिल-मालिक जब कभी भुके हैं, तो सगठन की शांति के डर से, ग्राम हड़ताल से ? गांधीजी के समझौते को तो उसने बार-बार तोड़ा है। यद्यपि इन समझौतों की शर्तें ऐसी नहीं रही हैं कि मिल-मालिकों को कोई ध्याग करना पड़े।'

श्री एम० एन० राय ने लिखा है कि 'एक तरफ तो आप समन्वय ऐमों का चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता और दूसरी ओर शक्तिशाली और सम्पत्ति शून्य के बीच समानता होने का दावा करते हैं। मैं कहना हूँ कि आप तक से काम नहीं ले रहे हैं।.....' पारिभाषिक दृष्टि से गांधीवाद और साम्यवाद के आर्थिक कार्यक्रम के विरोधाभास के कार्यक्रम को संक्षेप में यो रखा जा सकता है कि समाजवाद का कहना है कि जनसाधारण का आर्थिक कल्याण प्राचुर्य में हो सकता है। गांधीवाद कहता है कि सार्वजनिक कल्याण सादगी के वातावरण में ही हो सकता है। समाजवाद प्रचुरता का दर्शन है, गांधीवाद दीनता का दर्शन है। गांधीवाद और समाजवाद में सामंजस्य नहीं है। आदर्श के सामंजस्य को गम्भीरता से देखें तो मेल नहीं खाता। गांधीजी समाजवादी नहीं हैं।'

इस आलोचनात्मक व्याख्या के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि गांधीजी ने सांसारिकों के लिए पथ बतलाया पर अब सांसारिकों का वर्तमान है कि उनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा करने से सांसारिकों का भला अवश्य होगा। गांधीजी के सिद्धान्त धमर हैं और युगो तक धमर रहेगे। उन्होंने जीवन भर मानवता की जिग डग से सेवा की, वह सर्वोदय का ढग था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सर्वोदय द्वारा आदर्श व उन्नत समाज का नव-निर्माण होगा और उसमें नव चेतना के दर्शन होंगे।

भारत तथा एशियाई देश

यूरोप के वास्तविक संपर्क में भारत देश उस समय आया जबकि सन् १४-६२ ई० में वास्कोडिगामा ने उत्तमाशा घन्तरीप का चक्कर लगाकर घन्त में भारत की घरती का स्पर्श किया। तभी से भारत ही तथा एशियाई देशों में यूरोप वालों का आना शुरू हो गया। यूरोप वाले व्यापार, शस्त्र, धर्म प्रचार, बूटनीति आदि के साधनों को लेकर चले ये। या यों कहा जाय कि हमारी प्राचीन साम, दाम, दण्ड, भेद की नीतियों से इन्होंने काम लिया और किसी न किसी प्रकार अपना उल्लू सीधा किया। येन येन प्रकारेण ये अपना प्रभुत्व तथा आधिपत्य आहूते थे। इनको इन कार्यों में पर्याप्त सफलता भी मिली। बहुत से एशियाई देश अपनी आजादी खो बँडे यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादिता, औपनिवेशिक नीतियों और आर्थिक शोषण ने एशियाई देशों को ऐसे दुर्दिन दिलवाए कि उन पर आँगू बहाने वाला कोई न रहा। उनकी सभ्यता और संस्कृति पर भी आघात होने लगे और ईसाद्वयत का प्रचार और प्रसार होने लगा।

सन् १६०५ ई० में जापान ने इस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया और इस प्रकार यूरोप के मुँह पर एक समाधा लगा दिया। इस हार से यूरोप वालों को मानसिक ठम लगी। उनमें उच्चता का जो उम्माद था वह गानो भुंगत गया। फिर भी अन्य एशियाई देशों की दशा ज्यों की स्थों बनी रही। जापान ने भी कोरिया, मूरिया, चीन आदि के प्रदेशों में अपने साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया।

दूगरे महायुद्ध तक एशियाई देशों की ऐसी ही दशा बनी रही। परन्तु युद्ध की समाप्ति पर कुछ परिवर्तन हुआ। साथ ही सींग आफ नेशन्स के स्थान पर समुक्त राष्ट्र काय की स्थापना हुई। इससे यूरोप की साम्राज्यवादी भावना पर भी आँच आई। इंग्लैण्ड और फ्रान्स दुर्बल हो गए। इससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत

रूस शक्तिशाली बनने गए। दूसरे महायुद्ध का एक यह भी परिणाम निकला कि एशियाई देशों में नव जागरण आया। ये देश एक-एक करके स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे। जापान के साम्राज्य की भी समाप्ति होने लगी। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लका, हिन्देशिया, मलाया, सिंगापुर, हिन्दचीन आदि देश जो कि एशियाई देश हैं, स्वतंत्र होने लगे। उधर चीन, कोरिया, मंचूरिया, मंगोलिया आदि उत्तरी-पूर्वी एशियाई देशों में साम्यवादी (समाजवादी) शासन प्रणालियों की स्थापना हुई। ये साम्यवादी देश विशेषकर चीन, दक्षिण पूर्वी और मध्य दक्षिणी एशिया में साम्यवाद को फैलाने तथा अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। उधर ईरान, सीरिया, लीबनान आदि दक्षिण-पश्चिमी एशियाई देशों में भी योरोपीय प्रभाव प्रायः समाप्त हो चला है। जहाँ स्वतंत्र सरकारें नहीं थी वहाँ स्वतंत्र सरकारें बनने लगी हैं। अरब देशों में भी नवीन चेतना जगी है पर दक्षिणी-पश्चिमी देशों में साम्यवादी प्रभाव बना रहा है। रूस के साम्यवादी सम्बन्ध इन के ऊपर भी बढ़ते आ रहे हैं। कुछ इन देशों की परिस्थिति भी साम्यवाद को आमंत्रित कर रही है।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् एशियाई देशों में एक कर्वट ली है। उनमें नव चेतना का संचार हुआ है। स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के भाव उनमें जगे हैं। पर इन सभी नव जाग्रत देशों में परस्पर मधुर सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सके हैं। इनमें तनाव बना है और कभी कभी संघर्ष भी हो जाता है।

इन समस्त एशियाई देशों से भारत का कौसा और क्या सम्बन्ध है इस पर दृष्टिपात करने से हमें पता चलता है कि इन देशों से स्वतंत्र भारत अपना सम्बन्ध प्रति निकट का करना चाहता है। यह बात नई नहीं है। प्राचीन समय में भी भारत के इनसे निकटतम संबंध रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति, धार्मिक परम्पराओं और विचारधाराओं ने हमारे पड़ोसी देशों की प्रभावित किया। प्राचीन भारत (हमारे विजय वाहिनियों ने अफगानिस्तान, चीन, हि-देशिया आदि की ओर कूच भी किया पर कहीं भी साम्राज्य स्थापना का स्वप्न नहीं देखा) हमारे धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा आर्थिक संबंध प्रायः सभी पड़ोसी एशियाई देशों से रहे। उस समय का भारत बृहत्तर भारत था। परन्तु उस आघार पर हमने कभी यह नहीं कहा कि इन देशों की जमीन हमें मिलनी चाहिए। आज चीन देश अपने अप्रसुप्त तर्कों के आघार पर ही भारत की भूमि पर कब्जा चाहता है। उस समय के बृहत्तर भारत में मध्य एशिया के देश, अफगानिस्तान, वर्तमान भारत वर्तमान लका, वर्तमान बर्मा, वर्तमान स्पाम, वर्तमान वियतनाम, लाओस और मंगोलिया सम्मिलित थे। आज ये देश सन् १९४७ के पश्चात् भारत के बाहर हैं। इतना ही नहीं अपने कुछ उपनिवेश भी थे। जैसे—जावा, सुमात्रा इत्यादि। इन उपनिवेशों की स्थापना

साम्राज्य प्रसार न था। यह धार्मिक और धार्मिक प्रसार था जिसमें वस्तुएँ की भावना भी थी।

प्राचीन भारत में योरोपीय देशों से भी हमारा सम्पर्क था। 'हम केवल यह कह सकते हैं कि भारत तथा हेलेनिक सभ्यता में सर्वदा सम्पर्क रहा था जिसकी मध्य-स्थता प्रथमतः एकीमिनिष्ठ साम्राज्य ने, तत्पश्चात् सिसूसिडो ने और अन्त में रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत भारतीय महासागर के व्यापारियों ने की थी। ईसाई धर्म का प्रचार तब हुआ जब यह सम्पर्क घनिष्ठतम था। हम को ज्ञात है कि भारतीय योगी कभी-कभी पारचास्य देशों में जाते थे और भारतीय व्यापारियों का एक उपनिवेश अलैकजन्डरिया में था।' (—ए० एल० यादव 'भारत जो एक समरकार था; पृष्ठ ४८६)

मध्यकाल में भी अरब, फारस, मध्य एशिया, मित्र आदि देशों से हमारा व्यापारिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध बना रहा किन्तु ब्रिटिश काल में इस सम्पर्क में न्यूनता आ गई किन्तु स्वाधीन भारत में अपने पड़ोसी एशियाई देशों, योरोपीय देशों और अमरीकी देशों से सभी प्रकार के सम्बन्ध पुनः स्थापित किए हैं। इनमें से एशियाई देशों के साथ जो हमारे सम्बन्ध हैं उनका वर्णन यहाँ किया जाता है।

भारत तथा चीन

अत्यन्त ही प्राचीन काल से भारत का चीन से सम्बन्ध रहा है। यह सम्बन्ध प्रायः धार्मिक समझा जाता है पर यह राजनीतिक तथा धार्मिक भी था। भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने चीन की परती तक अपना सांस्कृतिक प्रचार किया था। चीनी यात्री भी भारत आते जाते रहे थे। यानच्चांग और फाहियान नामक चीनी यात्रियों की घटना इतिहास में आज भी इस बात का प्रमाण दे रही है। कनिष्क ने चीनियों को परास्त भी किया था। यह भी कहा जाता है कि कनिष्क चीनी सम्राट के दो पुत्रों को बन्धक रूप में यहाँ से आया था। ह्वेन त्सेन का राजदूत चीनी दरबार में गया था। भारत के व्यापार तथा भारत की वसा का भी चीनी व्यापार तथा चीनी वसा पर प्रभाव पड़ा।

स्वतन्त्र भारत में आकर भी पहले चीन से बड़े मधुर सम्बन्धों की स्थापना हुई। चीनी प्रयातमन्त्री चाऊ एन साई तथा भारतीय प्रयातमन्त्री स्व० पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने धाण्डुग सम्मेलन में पंचशील की स्थापना की। 'चीनी हिन्दी भाई-भाई' के नारों की शुरुआत गयी और चीनी प्रयातमन्त्री ने भारत आकर दोस्ती का झंडा फहराया। परन्तु यह सब एक घोटा था। इसके पीछे चीन की विस्तारवादी नीति थी। अक्टूबर १९६२ में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया और सभी से हमारे और चीन देश के बीच बढ़ता ग्वापित हो गई है। अब भी उसकी तेनाएँ

सीमा से भाँक रही हैं और किसी समय भी अपनी नापाक नजरों को आक्रमण में बदल सकती हैं। चीनी यह भूल गये हैं कि प्राचीन भारत में उन्होंने भारत से क्या-क्या सीखा था। वे शायद यह भी भूल गये हैं कि डा० कोटनीय कोई व्यक्ति था कि नहीं जिसने युद्धकाल में चीनी सेना और जनता की अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की थी। भारत ने ही चीन को संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्यता दिलवाने की बकालत की थी। पर इन सभी सबधों को उसने दूर फेंक दिया है। अभी हाल में ही (अगस्त-सितम्बर १९६५ में) जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया और हमको तीन दिन का आन्तिमेषम, अल्टीमेटम) दिया। यद्यपि उसने अपनी इस धमकी को कार्यान्वित नहीं किया किन्तु स्थिति को और भी गंभीर कर दिया। अब भी आये दिन चीन कोई न कोई वारदात सीमा पर करता ही रहता है। वह हमारा कुछ इलाका भी दबाये बैठा है।

भारत तथा पाकिस्तान

पाकिस्तान की स्थापना ही एक दुःखद घटना थी। इसकी स्थापना भारत को टुकड़ा करके सन् १९४७ में की गई थी। यह तभी से भारत की मित्रता को टुकड़ा रहा है। भारत को हड़पने की बचकाना बात कह-बह कर पाकिस्तानी पदाधिकारी अपनी जनता को शान्त करते रहे हैं और अपनी गद्दी को सुरक्षित करते रहे हैं। पाकिस्तान की स्थापना का मुख्य श्रेय मिस्टर जिन्ना को था जिन्होंने साम्प्रदायिक आघार पर इसको माँगा था। ब्रिटिश सरकार यह चाहती ही थी कि इस बड़े देश को पृथक का शिकार बना दिया जाय। पाकिस्तान ने अब तक अपनी विरोध भरी भावनाओं से प्रेरित होकर भारत पर तीन बार आक्रमण किया है—

(१) १९४७ में कश्मीर पर आक्रमण।

(२) १९६५ में कच्छ पर आक्रमण।

(३) पुनः अगस्त १९६५ में कश्मीर पर आक्रमण।

(४) सन् १९७१ में बांग्लादेश पर आक्रमण।

भारत ने प्रायः पाकिस्तान को सन्तुष्ट करने की नीति अपनाई है और सदैव यह प्रयास किया है दोनों पड़ोसी अच्छे मित्रों की तरह रह कर जनता की खूणहाली का प्रयास करें तथा युद्ध में व्यर्थ घन न गवाएँ। पर पाकिस्तान का सदैव यह नारा रहा है कि "हमें के लिया है पाकिस्तान। सब के लगे हिन्दुस्तान।"

भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है जहाँ सभी की तरह मुसलमानों को भी समान अधिकार प्राप्त है। पर पाकिस्तान में धार्मिक एवं अधिनायकवादी सरकार

है। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सभी वर्गों और सम्प्रदाय के लोगों ने एक आवाज से सरकार का साथ दिया और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को मुहू की सानी पड़ी। पर अब भी पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं और वह मुहू की समझौते दे रहा है। वह भारत विरोधी चीन से अपनी सौंठ-गांठ कर रहा है। जनवरी सन् १९६६ में ताइवान में रूस के प्रधानमंत्री कोसीगिन के घामन्दा पर भारत के प्रधानमंत्री रव० श्री मानू यहादुर ज्ञानी तथा पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट यमुनू मिते से और ताइवान घोटला पर हत्याभार किये से। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान की सेनाएँ घने-घने चीनो की वास्तु सौट पारें हैं पर ताइवान भावना के बने रहने में सन्देश है। सीमा पर सशस्त्री बड़ रही है।

भारत तथा हिन्दोशिया (इन्डोनेशिया),

दक्षिण-पूर्वी एशिया में नवीनित देश हिन्दोशिया है। इसके साथ भी हमारे सम्बन्ध प्राचीन काल से हो रहे हैं। किसी समय यहाँ पर शैव मत का प्रचार था। इसके पश्चिम यहाँ के बासी द्वीप के निवासियों के धार्मिक विश्वासों में ब्राह्मण भी विद्यमान है। इसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। पर चीनहवी सत्ताओं में यहाँ के धर्मशास्त्र निवासी मुसलमान बन गए हैं। फिर भी यहाँ की प्राया तथा सत्त्वनि पर भारतीय सत्त्वनि का प्रभाव बना हुआ है। हिन्दोशिया को आजाद कराने के लिए भारत ने समुक्त राष्ट्र साथ में भारतक प्रयत्न किया था और परिणाम स्वरूप यह द्वीप समूह आजाद भी हो गया। हिन्दोशिया में जीवन भर के लिए राष्ट्रपति चुनएँ हैं जो यहाँ के प्रभावशाली नेता हैं पर वे धर्मनापकगहो की ओर चल रहे हैं। हम में ही आकर यहाँ पर कम्युनिस्ट विरोधी घनेर प्रदर्शन हुए हैं और विद्यार्थियों ने सरकार को विचल करके कम्युनिस्टों को सभी पदों से हटा दिया है। इस समय जनरल सुहार्तो प्रभावशाली बन गए हैं और अब वह प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है जिसने कि यह कहा गया था कि डा० सुहार्तो जीवनपर्यन्त राष्ट्रपति रहेंगे। डा० सुहार्तो के नेतृत्व में मलयेशिया ने साथ भी इस देश के बटु संबंध थे। चीन तथा पाकिस्तान का पक्ष स्वीकार कर इस देश ने भारत के संबंधों पर भी पानी फेर दिया था। यहाँ तक कि चीन के पक्ष में फेंककर समुक्त राष्ट्र साथ से भी सम्बन्ध विच्छेद कर लिए। पर अब डा० सुहार्तो समझते हैं और अब दुनः समुक्त राष्ट्र साथ की सदस्यता पाने की पेशकश की जा रही है। मलयेशिया से भी शान्ति वार्ता हो चुकी है जिसके सुन्दर परिणाम निकलने की आशा है। भारत के शीत सम्बन्ध ब्राह्मण भी इस देश से बने हुए हैं और नये नेतृत्व में इन सम्बन्धों के और भी सुधारने की आशा है।

भारत तथा हिन्द-चीन

हिन्द चीन के घनघन विद्वानाथ (उत्तरी विद्वानाथ तथा दक्षिण विद्वानाथ) कम्युनिस्ट, साम्यवादी आदि स्थित हैं। इन भू क्षेत्र के धार्मिक निवासी बौद्ध धर्म

को मानने वाले हैं। यहाँ पर पाली भाषा का प्रचार है। यहाँ की भाषामें श्रीर नामों पर भी पाली तथा संस्कृत का प्रभाव है। उदाहरण के लिए कम्बोडिया के प्रमुख राजनीतिज्ञ का नाम नरोत्तम सिहानुक है। यहाँ पर पहले फ्रान्स वालों ने अपना अधिकार जमा लिया था पर दूसरे महायुद्ध के समय फ्रांसीसी अधिकारी जापानियों के अधीन हो गए। पर युद्ध की समाप्ति पर पुनः फ्रान्सीसियों ने इस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पर यह प्रभुत्व रह न सका और इस भू-क्षेत्र ने स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रयास किया। जेनेवा सम्मेलन के फलस्वरूप इस भू-भाग को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। इसका क्षेत्रफल २ लाख वर्ग मील है और जनसंख्या ३ करोड़ है।

कम्बोडिया का प्राचीन नाम कम्बोज है। इसकी स्थापना भारतवासियों ने ही की थी। यहाँ की प्राचीन राजधानी अंगकोरवाट में एक विशाल हिन्दू मन्दिर के भग्नावशेष अब तक विद्यमान हैं। इस मन्दिर में विष्णु की मूर्ति है तथा मन्दिर की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत की कथाएँ खुदी हैं। एक श्रीर मन्दिर यहाँ पर है जिसका नाम बैजयन्ता है। यह विशाल शिव मन्दिर है। कम्बोडिया की विदेश नीति भी तटस्थतापरक है पर इन पर चीनी प्रभाव है। इसका कारण चीन का पति निकट होना है।

वियतनाम तथा लाओस में साम्यवादी प्रभाव के कारण गृह युद्ध होता रहा है। आज भी (१९६६) उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में युद्ध चल रहा है। दक्षिणी वियतनाम पर अमरीकी प्रभाव है। उत्तरी वियतनाम के सर्वोच्च हो-मिन्ह चीन और रूस के इशारे पर हैं। आजकल अमरीकी जहाज उत्तरी वियतनाम पर घोर बमबारी कर रहे हैं। भारत ने इसे रोकने की बात कही है। अभी भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जेनेवा सम्मेलन करने का सुभाव रक्खा है जिसे रूस, चीन, उत्तरी वियतनाम आदि ने ठुकरा दिया है। वे पहले बिना शर्त बमबारी बन्द करने और अमरीकी फौजों को दक्षिणी वियतनाम से हट जाने की बात चाहते हैं। लाओस में सन् १९६२ में गृह युद्ध समाप्त हो गया था और तब से तटस्थ मिली-जुली सरकार काम कर रही है।

भारत तथा मलेशिया

मलेशिया की स्थापना ९ जुलाई सन् १९६३ को हुई। इसमें तेल सम्पन्न ब्रूनी का राज्य शामिल नहीं हुआ। मलेशिया सधमें मलाया, सिंगापुर, सारावाक और ब्रिटिश उत्तरी बोरिनियो शामिल हुए। हाल ही में सिंगापुर इस सध से फिर अलग हो गया है। इस सध में लगभग १०० लाख निवासी थे और भू-भाग का क्षेत्रफल १३०,८१८ वर्ग मील था। इस गणना में सिंगापुर भी शामिल था। १९६५ में सिंगापुर इस सध से बाहर हुआ है। मलेशिया में भी भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से ही प्रचार रहा है।

मलाया में १४ वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म कायना पर वहाँ की रीति रिवाजों पर प्रभु भी भारतीय प्रभाव दिखना है। भारत न मलेशिया सप्त की मान्यता प्रदान की और सभी स इसका साथ मधुर सम्बन्ध बने आ रहे हैं। जब चीन ने भारत पर घातमण किया था तब मलेशिया के प्रधानमंत्री तु फू मन्हुल रहमान ने खुलकर चीनी घातमण की निन्दा की। इसी प्रकार १९५५ के पाकिस्तानी घातमण के समय तियापुर ने खुलकर भारत का साथ दिया। मलेशिया के प्रतिनिधि श्री राधाकृष्ण रमाणी ने सुरक्षा परिषद में भारत का प्रभावशाली समर्थन किया।

भारत और थाईलैण्ड

थाईलैण्ड मलाया और हिन्द चीन के मध्य स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। इस पर फ्रान्स ब्रह्मवा इ गलैण्ड न अपना अधिकार नहीं जमाया। किसी योरोपीय देश ने इसको अपने अधीन नहीं लिया। इस प्रकार यह एकमात्र स्वतन्त्र देश रहा। यहाँ स्वतन्त्रता तो रही पर इस देश पर अंग्रेजों का प्रभाव रहा। इस समय यह अमेरिका के प्रभाव में है। इस देश में भी प्राचीन काल से ही भारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति का प्रभाव रहा है। इस देश को स्पाम भी कहा जाता है। यहाँ की भाषा की लिपि ब्राह्मी पर आधारित है। यहाँ की भाषा में पाली और संस्कृत के शब्दों का बहुल्य है। इस देश का प्रमुख धर्म बौद्ध है और यहाँ पाली के बड़े उच्च स्तरीय विद्वान पाए जाते हैं। इस देश को भी भारत का दोस्त सम्बन्ध है। यहाँ के नाम भी संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलते हैं। नरेशों के नाम राम प्रथम, पुहिमि पतिम् इत्यादि रहे हैं।

भारत और वर्मा

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में वर्मा भी है जिसके साथ भारत का दोस्त सम्बन्ध है और प्राचीन काल से ही इस देश के साथ भारत के सम्बन्ध रहे हैं। प्राचीन काल में इसे सुवर्ण भूमि कहा जाता था। भारत के धर्म प्रचारक यही होकर दक्षिण-पूर्वी एशिया की जाया करते थे। बौद्ध धर्म का वर्मा में सर्वाधिक प्रचार हुआ। आज भी यहाँ बौद्ध काफी हैं। विश्व भर का प्रतिष्ठित स्वर्ण-पैगोडा (बौद्ध मन्दिर) रगून में ही है। प्राचीन काल में भारतीय राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और यही पर बसा गए। सन् १८८६ में अंग्रेजों ने वर्मा पर आधिपत्य जमा लिया और इसे भारत से संबद्ध कर दिया। सन् १९३७ में इसे भारत से पृथक कर दिया गया और ४ जनवरी १९४८ को वह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। सन् १९४२ से ४४ तक यह देश जापानियों के प्रभुत्व में आ रहा था। वर्मा में भारतीय और चीनी संस्कृति का मिलन होता रहा है। आज भी वर्मा के सम्बन्ध चीन और भारत दोनों से हैं। चीन से वर्मा को भी भय है। आजकल जनरल नेविन वहाँ के प्रधान हैं जो सैनिक शान्ति के पश्चात् आए हैं। साम्यवादियों ने वर्मा में कम्युनिस्टाई फौजों का प्रयास किया था। वर्मा ने हाल ही में

भारतीयों का निष्प्रमाण विद्या था । इस बात पर दोनों देशों में प्रधान नेताओं में मिलकर दृढ़ता हवा निकाला और अब भी दोनों में सभूर सम्बन्ध विद्यमान है ।

भारत और जापान

सभूर पूर्व में स्थित देश जापान भी प्राचीन काल में सौथ समुद्र का प्रसार हुआ था । यहाँ के भी सौथ समुद्र की ओर जाया के लिए भारत काया करते थे । हमारी अनेक प्राचीन पण्डितियों जापान में सृष्टित रहीं । जापान की साम्यता और संस्कृति पर भारतीय साम्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ा । जापान स्वल्प तथा समरीवा वाली देश है । हमने बरणासीय उन्मति की है । त्रितीय विश्व युद्ध के समय इस देश में अत्यन्त सुभाषणद्र मोग का साथ देकर भारत का आजाद कराने का प्रयास किया था । आजाद हिन्द सन्घार को हमने साम्यता दी थी । पर इस विश्व युद्ध का परिणाम जापान के लिए घातक सिद्ध हुआ । अब यह देश फिर तरबती पर है और समरिका के सहयोग से साथे बढ़ रहा है । भारत के साथ इसका व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध है । भारत-जापान युद्ध में हमने भी भारत का पक्ष लिया था ।

भारत तथा नेपाल

यह देश भारत के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति में स्थित है । विश्व का एक मात्र हिन्दू राज्य यही है । यहाँ की भाषा, संस्कृति, धर्म, रीतियों आदि सभी कुछ हिन्दू परिवारों का है । यह देश पूर्णतः भारतीयता का देश है । यहाँ का गरेण परिवार भी भारतीय ही है । नेपाल के साथ भारत के सभूर सम्बन्ध है । यहाँ के वर्तमान महाराज महेश्वर तथा रानी रत्ना भारत की राजा पर धाने ही रहते हैं । चीन-भारत और भारत-पारिवर्तमान संबंधों के समय यह देश घटकर रहा । यहाँ पर पंचायती व्यवस्था लागू की गई है । भारत के सहयोग से अनेक विकास कार्य इस देश में चल रहे हैं । भारत के साथ इसकी पूरी सहसुभुति है । कुछ कारणों से यह चीन से भी आर्त्तवित्त है । पर इसके उमंगे अन्धे सम्बन्ध बड़े जाते हैं ।

भारत तथा ईरान

ईरान के निवासी भी आर्य जाति के हैं । इसका दूसरा नाम पारस भी है । प्राचीन काल में हमारे तथा ईरान के सम्बन्ध रहे हैं । हिन्दुस्तान नाम का मूल स्थान भारत ही है जो सिन्धु स्थान का व्यापार मात्र है । हमारे अन्धे में इस देश के निवासियों को पार्श्व कहा गया है । प्राचीन काल में भी ईरान के साथ हमारे दीर्घ संबंध थे । भारतीयों में ईरान सब रीति प्रभक्त विद्या था । ईरानियों से भारतवासियों के विवाह सम्बन्ध भी थे । अजमता के एक दिन में पारसीय राजकुल को रवान किया था । दिलाही भारत के मरण पुनर्विणी और ईरान के शाह मुगरो के साथ दीर्घ संबंध था । जब पारस में इस्लाम का प्रसार हुआ तो यहाँ के अनेक पारसीक

धर्मावलम्बी भारत प्राण और स्वतन्त्रता से अपना धर्मपालन करते रहे। आज भी धनक पारसी भारत में है। इनके पवित्र ग्रन्थ जिन्द प्रवेस्ता और हमारे ऋग्वेद की भाषा में बाकी समानता है।

जब भारत में मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ तो दोनों का राजनीतिक संबंध और भी घनिष्ठ हो गया। पारसी भारत की राजभाषा बनी। मुसलमान तथा हिन्दू दोनों ने इस भाषा में प्रवीणता प्राप्त की। जिस प्रकार प्राचीन ईरानी भवन-निर्माण कला, विभ्राला आदि पर भारतीय प्रभाव था उसी प्रकार मुगलशाहीन भारतीय कला पर ईरानी प्रभाव के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। भारत और ईरान की सम्बन्धता, सम्बन्ध और इतिहास में बाकी समानता है। यद्यपि भारत और ईरान के राजनीतिक संबंध ठीक है पर १९६१ के पाकिस्तान युद्ध के समय ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया और सैनिक सहायता देने का भी विचार किया। ये पाकिस्तानी प्रयोगों का प्रभाव था।

ईराक, सीरिया, सऊदी अरब और मिश्र

इन देशों के साथ भी भारत के प्रति प्राचीन काल से संबंध रहे हैं। आज भी इन देशों ने भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध हैं। सन् १९६२ में चीनी आक्रमण के समय सयूक्त अरब गणराज्य के नेता नासिर ने भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई पर पाकिस्तानी युद्ध के समय ये देश ठीक बात न कह सके। गोघा पर जब भारत का अभियान हुआ तब मिश्र ने भारत का पूर्ण समर्थन किया था। भारत ने स्वेज नहर की समस्या के मुसकिले में मिश्र का साथ दिया था। अभी हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय एक जहाज पाकिस्तान को गोला बारूद लेकर आ रहा था उसे भारत की प्रार्थना पर २९-३० सितम्बर १९६५ को स्वेज नहर में रोक दिया गया था पर बाद में शीघ्र इसे छोड़ दिया गया। इपर जोर्डन का पक्ष भारत के विपरीत रहा है। उसने सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान की वकालत की।

भारत तथा अफगानिस्तान

अफगानिस्तान से भी प्राचीनकाल में भारत के बने सम्बन्ध रहे हैं और आज भी इस देश के साथ भारत के मधुर सम्बन्ध हैं। महाभारत में गांधार (गन्धहार) और बालोज (बाबुल) की खर्षा है। दुर्योधन की माता गांधारी थी। आगे चल कर यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। यहाँ की भाषा पश्तो है। इसका संस्कृत से बड़ी सम्बन्ध है जो हिन्दी, मराठी आदि का है। बाबुल विश्वविद्यालय में पश्तो के विद्यार्थियों का मस्जिद प्रतिवार्षिक पठनी पद्धती है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय यह देश तटस्थ रहा। अफगानिस्तान ने ईरान को अपने देश में होकर सहायता सामग्री से जाने की आज्ञा नहीं दी और इस प्रकार भारत की मित्रता की

गुप्त किया । यहाँ की खाद्यादी लगभग १२० लाख है और क्षेत्रफल २,५०,००० वर्ग मील है । यहाँ पर कई प्रकार के मवेश पौदा होते हैं जैसे बादास, बाज्रू आदि । खजूर भी यहाँ होते हैं और मवेश भी । विदेशों को तथा भारत को भी यहाँ से फल और मवेशे आते हैं ।

भारत और मका .

यह द्वीप भारत के दक्षिण में है । इसका प्राचीन नाम सिन्धु द्वीप है । यहाँ की राजधानी काठमा है । इस देश की खाद्यादी ७५ लाख है और क्षेत्रफल २५,००० वर्गमील है । चाय, चायिल, रबड़ और चावल यहाँ खूब होता है । प्राचीनकाल से ही भारत और मका के सम्बन्ध रहे हैं । यहाँ की भाषा कनाय भाषा है । सिन्धु के पतिरिक्त तामिल भी यहाँ की भाषा है । कुछ दिनों में यहाँ पर प्रवासी भारतीयों की समस्या सामने रही है जो किमी मीमा सब श्री मालवहादुर शास्त्री और श्रीमती भंडारनायके के समझौते में हल हो गई है । भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय मका तटस्थ रहा पर इन्डोनेशिया के जहाज जो पाकिस्तान को सैनिक सामग्री ले आना चाहते थे उनको अपने आवास पर से गुजरने की इजाजत नहीं दी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के सभी एशियाई देशों से दोस्त सम्बन्ध हैं । केवल चीन, पाकिस्तान तथा इन्डोनेशिया के साथ उनमें रबड़े के कारण सम्बन्धों में कुछ कटुता आ गई है । पर किसी भी देश से दोस्त सम्बन्ध नहीं टूटे हैं । पाकिस्तान के साथ कुछ दिनों तक दोस्त सम्बन्ध सशर्त स्थगित रहे थे ।



धर्म और राजनीति

प्राचीनकाल में धर्म और राजनीति के समन्वित रूप से काम उठाया जाता था। राजा प्रायः धार्मिक प्रचलन भी होते थे। धर्म के नियमों के आधार पर ही न्याय प्रदान किया जाता था। धर्म की रक्षा ही स्वदेश रक्षा की जाती थी। धीरे-धीरे विज्ञान के प्रभाव के कारण धर्म पर ग्रन्थ आधारिता समाप्त होती गई और धर्म की भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। साथ ही धर्म का नाजायज फायदा लोगो ने उठाया और धनाचार तथा धरयाचार बढ़ गए। इन कारणों से धर्म की दुनिया में धारण धर्म की राजनीति से प्रलग रहकर शासन करने का नारा सुलभ किया गया है। समाजवादियों ने तो धर्म और ईश्वर को ताक में ही उठाकर रख दिया है। लेनिन ने 'धर्म को अफीम' की मज्रा से अभिहित कर इसे एक नशे की चीज कहा है। फिर भी धर्म और राजनीति की मिसाल पर कुछ विचारक जोर दे रहे हैं। इन्होंने धर्म का एक सुधरा हुआ रूप दिया है। इस मसाले को और ध्याने देरने से पूर्व धर्म और राजनीति की शाब्दिक और तात्विक ध्यातया कर लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। पहले हम धर्म पर दृष्टिपात करेंगे।

संसार की प्रायेक संस्कृति में धर्म का स्थान दृष्टिकोणर होता है। कदाचित कोई भी समाज धर्म रहित नहीं। प्राचीनकाल में तो समाज में धर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। धर्म सरकार की जगह प्रयुक्त होता था। लोग धर्म के नियमों की धर्म के सरकारी कानूनों से भी ज्यादा मानते थे। धर्म समाज पर नियन्त्रण रखता था।

इस प्राकृतिक संसार का हम अपनी विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। हम किसी वस्तु को देखते हैं, छूते हैं, चमते हैं, गूँघते हैं और तब उसके गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा हम प्राकृतिक संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परन्तु यदि सोचा जाय तो पता चलता है कि हमारी इन इन्द्रियों की

चलाने वाली भी कोई शक्ति है। इस शक्ति का अनुभव करते इसके साथ किसी भी प्रकार का मानवी सम्बन्ध स्थापित करना धर्म कहलाता है। इस सम्बन्ध स्थापन के लिए अनेक प्रकार के विधानों कल्पना की जाती है। उस शक्ति को तत्सार के परे मानकर पारलौकिक कह दिया जाता है।

कुछ विद्वान धर्म को नियमों का समूह मानते हैं। शाब्दिक दृष्टि से धर्म का अर्थ धारण करने से है। त्रिन नियमों को मनुष्य धारण करके अपने जीवन को ढाल लेता है उन नियमों की भाववाचक मज्ञा धर्म है। कोई विद्वान धर्म का अर्थ कर्तव्य समझते हैं। कोई विद्वान सम्प्रदायवाद को धर्म से जोड़ते हैं। कोई मानव धर्म की बात करते हैं। इस प्रकार धर्म को व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। यहाँ हम कुछ परिभाषाएँ धर्म का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से दे रहे हैं।

१—मैरिट—‘मादि कालीन मानव की दार्शनिक कल्पनाओं का नाम धर्म है।’

२—टायलर—‘प्राध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास का नाम धर्म है। ये दैवीय तथा राजसीय दोनों प्रकार की हो सकती है।’

३—मोलिनोवस्की—‘धर्म के अन्तर्गत मनुष्य का वह समस्त व्यवहार आ जाता है जिससे वह अपने दैनिक जीवन की अनिश्चितता को दूर कर देना चाहता है और अनपेक्षित तथा अज्ञात से मनुष्य को जो भय बना रहता है उसे पार कर लेता है। धर्म जब पहले-पहल उत्पन्न हुआ तब यह मनुष्य की आशाओं तथा आकांक्षाओं का परिणाम न होकर उसे जो सदा भय लगा रहता था, उसका परिणाम है।’

४—गिस्वर्ट—‘वह गतिशील विश्वास तथा ईश्वर या अनेक ईश्वर में आत्म-समर्पण धर्म की सज्ञा ग्रहण करता है जिस पर मनुष्य निर्भर रहने लगता है।’

५—ब्यूबर—‘धर्म सस्कृति से घिरा हुआ व्यवहार प्रतिमान होता है जो कि (१) पवित्र विश्वास (२) विश्वासों के साथ सवेगात्मक भावनाएँ तथा (३) अनुमान से विश्वासों तथा भावनाओं के उपकरण के रूप में प्रकट आचरण में बनता है।’

६—डासन—‘जब कभी और जहाँ वही मनुष्य की बाह्य शक्तियों पर निर्भरता के अभाव उत्पन्न होते हैं, जो कि रहस्य के समान गुप्त रहती है तथा स्वयं मनुष्य से ऊँची रहती है, धर्म होता है और भय की भावना तथा स्वयं को नीचे गिराने की भावना जिससे कि मनुष्य उन शक्तियों की उपस्थिति में भरा रहता है, आवश्यक रूप से धार्मिक सवेग है, पूजा तथा प्रार्थना का पथ है।’

इन परिभाषाओं से प्राप्त निष्कर्ष को हम इस प्रकार रख सकते हैं :—

१—धर्म किसी अमानवीय तथा सर्वोच्च शक्ति में विश्वास है।

२—यह सर्वोच्च शक्ति गुप्त तथा अलौकिक होती है।

३—मनुष्य द्रम शक्ति पर स्वयं को भी निर्भर करता है ।

४—मनुष्य दस शक्ति से भय भी खाता है ।

५—इस शक्ति के प्रति वह भावों तथा व्यवहारों के प्रगटीकरण की एक पद्धति बना लेता है । (मन्दिर, मस्जिद, गिरजा पर आदि)

अन्त में गिनिन एण्ड गिनिन की धर्म सवन्धी समाजशास्त्रीय परिभाषा हम धीरे दे रहे हैं—

“समाजशास्त्रीय दृष्टि में धर्म में विश्वास एवं सामाजिक समूह में प्रचलित देवी शक्ति के प्रति सवेदात्मक विश्वासों का समावेश होता है तथा प्रगट व्यवहार शैतिक सद्य एवं ऐसे विश्वासों से सम्बन्धित प्रतीकों का योग होता है ।”

इस प्रकार धर्म वास्तव में एक विशेष प्रकार के विश्वासों का ही नाम है । व्यवहारों की जो शैली होती है वह धार्मिक सस्था कहलाती है ।

धर्म की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धान्त प्रगट किए गए हैं । धर्म के लिए किसी पारलौकिक शक्ति में विश्वास होना आवश्यक है । पारलौकिक शक्ति को मनुष्य बड़ी सोचबिच के बाद मानता है । मनुष्य अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की दृष्टि के हेतु भिन्न मार्ग ग्रहण करता है । यही मार्ग धार्मिक व्यवस्था को जन्म देते हैं । मनुष्य सुरक्षा की दृष्टि से दूरगो वा सहयोग प्राप्त करता है और सामाजिक संगठन बनाता है । ये संगठन राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देते हैं । मनुष्य यौन सुख तथा सन्तानोत्पत्ति चाहता है । यह बात परिवार को जन्म देती है । इस प्रकार मनुष्य अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु इन सस्थाओं तथा संगठनों को जन्म देता है । परन्तु मनुष्य में ऐसी कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं दीरती जो धर्म को जन्म देती है । इसीलिए धर्म की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं ।

हरबर्ट स्पेन्सर का कथन है कि पूर्वजों की पूजा तथा उनके प्रति श्रद्धा का भाव ही धर्म को जन्म देता है । अत्येक परिवार के लोग अपने आदि पूर्वजों की पूजा करना चाहते हैं । उनकी पूजा करते-करते कालान्तर में ये पूर्वज ही परमेश्वर का रूप बन जाते हैं और सततियों द्वारा पूजे जाने लगते हैं । इनकी पूजा के विविध विधान उत्पन्न हो जाते हैं । इस सिद्धान्त को पूर्वजों की पूजा का सिद्धान्त भी कहा जाता है ।

टायमर ने जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया उसे जीववादी सिद्धान्त कहा जाता है । टेलर का कथन है कि स्वप्न के समय मनुष्य को अनुभव होता है कि वह शरीर से बाहर चला गया । स्वप्न आदि के आधार पर ही मनुष्य ने यह कल्पना की होगी कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है । जैसे मेरा शरीर और

मेरी आत्मा अलग-अलग है उसी प्रकार दूसरो का शरीर और दूसरो की आत्मा भी अलग होने चाहिए। जो लोग मर जाते हैं उनका आत्मा जड़ जगत की चीजों में जाकर निवास करता है। इसी आत्मा के प्रति श्रद्धा अथवा भय की भावना ने धर्म को पैदा कर दिया। इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति आत्मा को शरीर से अलग मानने के विचार के कारण हुई। जब यह माना जाने लगा कि आत्मा इन जड़ वस्तुओं में जाकर निवास करता है जो जड़ वस्तुओं को पूजा होने लगी। पूजा वास्तव में जड़ वस्तु की नहीं अपितु उसमें घीठी यह आत्मा की जाती है। जड़ में बँठी यह आत्मा अपना कोई पूर्वज ही है। इस प्रकार जीववाद भी पूर्वज पूजा का ही दूसरा रूप है। इन आत्माओं की पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। ये आत्माएँ अनेक हैं। इसी से 'बहुदेवतावाद' चलता है और जब इनमें से किसी एक देवता की ही पूजा विशेष रूप से चल पड़ती है तो 'एकदेवतावाद' विकसित हो जाता है।

मैरिट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को 'जीवित सत्तावाद' या कोडरिंगटन द्वारा प्रतिपादित 'मैना' या पारलौकिकता का सिद्धान्त भी कहने हैं। मैरिट का कथन है कि आदिवासियों में जड़ तथा चेतन पदार्थों को जीवित सत्ता युक्त माना जाता है। एक अधौतिक सत्ता में भी विश्वास किया जाता है। इसी को वे अलौकिक, अविज्ञित तथा दैवीय मानते हैं। इसे वे सर्व व्यापक भी मानते हैं। यह सभी में होती है; टायलर तो इसे सब में अलग-अलग मानता है परन्तु मैरिट इस एक सत्य को ही सर्व व्यापक मानता है। इस सर्व व्यापक सत्ता को मानना ही धर्म है।

कोडरिंगटन ने पहले-पहल पता लगाया कि दक्षिणी तटवासी जातियों में धर्म का विचार एक विशेष महत्व रखता है। ये जन जातियाँ एक ऐसी शक्ति में विश्वास करती हैं जो सर्वोच्च तथा अद्वैतिक होती हैं। मैलिनेशिया की जन-जातियों में इसे 'मैना' कहा जाता है। इसी शक्ति को अन्य जन जातियाँ अन्य नामों से भी पुकारती हैं। जैसे - ओरेन्डा, बकन आदि। इस प्रकार मैरिट तथा कोडरिंगटन का विश्वास है कि इस पारलौकिक शक्ति को मानना ही धर्म की उत्पत्ति कर देता है।

दुर्खीम का सिद्धान्त समाजशास्त्रीय सिद्धान्त भी कहा जाता है। समाज-शास्त्र प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खीम का कथन है कि आदि कालीन मानव का जीवन दो प्रकार से व्यतीत होता था। एक तो वैयक्तिक जीवन और दूसरा सामाजिक जीवन या सामूहिक जीवन। वैयक्तिक जीवन सूना-सूना सा लगता था। सामूहिक जीवन में उसे सरसता और आनन्द प्रतीत होता था। सामूहिक जीवन में वह एक बड़ी उत्तेजना महसूस करता था। इस उत्तेजना ने, जो उसे सामूहिक जीवन से प्राप्त होती थी, धर्म को जन्म दे दिया। आदिवासियों का धर्म तो इसी सामूहिक

उत्तेजना के परिणाम के सिवाय कुछ नहीं। इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति सामूहिकता का परिणाम है।

हाउर ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उधे रहस्यवाद भी कहा जाता है। हाउर का कथन है किसी भी मानव-समुदाय में एक ऐसा वर्ग प्रवृत्त होता है। जिसे रहस्यमय तथा शक्ति-धनुम्व हुआ करते हैं। इन धनुम्वों का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी को दिन में शरीर-शरीर बनने दियाई देती हैं, किसी को कोई आवाज सुनाई पड़ती है। इन धनुम्वों को अन्य जन भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसी से धर्म की उत्पत्ति हो जाती है।

कुछ विद्वानों का कथन है कि यदि मानव के हृदय में हर समय प्रकृति की घोर से एक भय बना रहता था कि कहीं कोई आपत्ति न टूट पड़े। इस भय की भावना ने ही धर्म की उत्पत्ति कर दी। हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि सबटो से हमारी रक्षा हो। यह भय की भावना धर्म भाव को जन्म देती है।

कुछ लोगो का कथन है कि जब मनुष्य मसार से दुर्गो हो जाता है और उसे जीवन में निराशा मिलती है तो वह इस जीवन का भरोसा छोड़ बैठता है और दूसरी चीजों में विश्वास कर बैठता है। इस प्रकार दूसरी चीजों में विश्वास की भावना धर्म को जन्म देती है। जिस व्यक्ति को जिस घोर शान्ति प्राप्त होती है उसी की वह पूजा करने लगता है। इस प्रकार सामाजिक दुर्गो से वैराग्य के भाव में भी धर्म को जन्म दिया।

धर्म के कुछ सामान्य प्रतिमान भी होते हैं। यह प्रतिमान कुछ इस प्रकार हैं—

धर्म में एक दैवीशक्ति में विश्वास होता है। इस शक्ति के प्रति प्रत्येक समाज में विश्वास पाया जाता है। यह विश्वास दो रूपों में मिलते हैं—एश्वरवाद तथा अनेश्वरवाद।

धर्म के कारण कुछ समान तथा सामूहिक क्रियाएँ चल पड़ती हैं। यह क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं आर्यात्मक तथा निषेधात्मक। जिन कार्यों के करने की धनुमति दी जाती है उन्हें आर्यात्मक कहा जाता है और जिनके करने की धनुमति नहीं दी जाती उन्हें निषेधात्मक कहते हैं। इनके अलावा धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करने की कुछ विधियाँ भी होती हैं, जैसे पूजा, प्रायश्चा, यज्ञ, यज्ञ आदि।

किसी एक धर्म में ही कई सिद्धान्त अलग-अलग आधारों पर बन जाते हैं। मनुष्य इनमें से किसी एक पर आस्था रखेगा और श्रद्धा रखने लगता है और दूसरे सिद्धान्तों को काटता है। इस प्रकार २०२५वीं का श्री शंख हो जाता है हिन्दू

तथा इसाई धर्मों में अनेक सम्प्रदाय पाए जाते हैं। यह सम्प्रदाय सघर्ष की भी जन्म देते हैं।

धर्मों में एक आचार संहिता भी पाई जाती है। यह संहिताएँ मानव व्यवहार को नियंत्रित करती रहती हैं। सामाजिक मूल्यों का निर्धारण भी यह संहिताएँ करती हैं। इन आचरण की संहिताओं में भिन्नता पाई जाती है। जो आचरण एक धर्म में उचित माना जाता है वही आचरण दूसरे धर्म में अनुचित माना जा सकता है। जैसे हिन्दू धर्म में विधवा विवाह पाप पूर्ण समझा जाता है जबकि मुसलमान धर्म में ऐसा नहीं है। इस प्रकार अनेक बातें जो एक धर्म में स्वीकार की जाती हैं, दूसरे धर्म में प्रस्वीकृत होती हैं।

जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है उस धर्म में हृदय विस्वास करने लगता है। अपने-अपने धर्म पर लोभ गर्व करने लगते हैं। वैसे धर्माभिमान धार्मिक धारणा को बढ़ाता है।

प्रत्येक धर्म में धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करने को कुछ निश्चित पद्धतियाँ होती हैं। यह पद्धतियाँ प्रगट आचरणों की शृंखलाएँ होती हैं। दृष्टदेव को प्रगटा करने के लिए कुछ निश्चित आचरण पाए जाते हैं।

अब हम धर्म के महत्व पर विचार करते हैं। प्रत्येक समाज में धर्म का बड़ा महत्व होता है। धर्म मनुष्य की समस्याओं को भी हल करता है। यह व्यक्ति का समाजीकरण करता है। धर्म के कारण ही व्यक्ति धार्मिक भावनाओं से अभिभूत होकर धर्मशाला, विधवाश्रम, चिकित्सालय, विद्यालय, आदि खुलवाकर परोपकार की ओर बढ़ता है। इतना ही नहीं धर्म नैतिक उपदेशों के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण भी करता है। धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है—“मानव की प्रकृति ईश्वर में ही अपनी पूर्ण सतुष्टि पाती है।” डिमाण्ट ने लिखा—“वह प्रवृत्ति जो कि सम्यता को बनाती है, धार्मिक वेचनी की एक प्रकार है जो उत्कण्ठा को सतुष्ट करने के लिए जीवन के ढाँचे का निर्माण करती है।” गिस्वर्टे लिखता है—“धर्म के विशेष सामाजिक कार्य जैसे ईश्वर के यश तथा प्रेम के लिए मानव का प्रेम तथा सेवा सर्व प्रसारित शक्ति है जो कि बहुगुणात्मक तरीके से प्रभावित करता है।” गिलिन एण्ड गिलिन ने लिखा है—“राजनीति तथा प्रशासनिक कानूनों की स्थापना के बहुत पहले ही, धर्म ने प्रथमों की पवित्र क्रिया जिसने कि सामाजिक समूह की समता को बनाए रखा।” इस प्रकार धर्म का प्रत्येक समाज में अद्वितीय स्थान रहता है। परन्तु आजकल धर्म का महत्व कुछ कम होता जा रहा है।

आजकल विभिन्न धर्मों में एकता लाने की खातिर इनमें समानताएँ खोजी गई हैं। कुछ समानताएँ इस प्रकार हैं—

१—सभी धर्म ईश्वर की सत्ता में किसी न किसी रूप में विश्वास करते हैं ।

२—सभी धर्म प्रेम की मिथा देते हैं ।

३—सभी धर्म मानव में नैतिक सदगुणों की स्थापना चाहते हैं ।

४—सभी धर्म मानव मात्र का बल्याण चाहते हैं ।

५—सभी धर्म पवित्र एवं संतोष मय जीवन ध्यतीत करने की बात कहते हैं ।

इन सभी बातों से पता चलता है कि सभी धर्मों के मूल में एकता है । हिन्दी में कबीर कहते हैं—“मोको कहीं दूँडें तू बन्दे, मैं तो तेरे पास में । ना मन्दिर में ना मसजिद में ना बाबा फँलात में ।” टासस्टाय कहते हैं—‘ईश्वर की सत्ता हमारे हाथ में ही है ।’ उर्दू के किसी शायर ने भी यही कहा है कि ‘दिल के घाइने में है तस्वीरे शार । जब जरा गर्दन झुकाई देस ली ।’ इस प्रकार सभी धर्मों में घनेक ऐसे विचार पाए जाते हैं जो एकता के छोटक हैं । इन एक से विचारों के आधार पर सामाजिक तथा वैयक्तिक बलाण का मार्ग प्रकट किया जा सकता है । धर्म का प्रयोग विश्वबल्याण के लिए हो सकता है । इन्हीं विचारों के प्रभाव स्वरूप मानव धर्म की बातें कही जाने लगी हैं ।

धार्मिक वैज्ञानिक युग में धर्म का महत्व कुछ कम हो गया है । विज्ञान ने भौतिकता तथा तर्कों को बढ़ावा देकर धार्मिक धारणा को गम्भीर चोट पहुँचाई है । धर्म धर्मान्यता तथा धर्म रुढ़ियों समाप्त होती जा रही हैं । धार्मिक अनुप्य हर चीज की सरचना को निरीक्षण-परीक्षण के आधार पर रखना चाहता है । विज्ञान ने कल्प-नामक बातोंको मिटानेमें सहयोग करने धर्मका प्रभाव कम किया है घनेक अन्य प्रकार की समस्याएँ भी धर्म के कार्यों को घपने हाथ में लेती जा रही हैं । इन सभी बातों ने धार्मिक संस्थाओं के मूल रूप को विकृत कर दिया है । रुढ़ियों के कारण धर्म परिवर्तन-शील समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाया है । कुछ धर्म के ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार, पापाचार तथा घनाचार के यशोभूत ऐसे-ऐसे कुचरय किए हैं कि लोगों की धर्म पर से धब्दा कम होती जा रही है । साथ ही धार्मिक विज्ञान ने अनुप्य को उत्तनी ताकत प्रदान कर दी है कि वह उसके बल पर प्रकृति के घनेक रहस्यों का पता लगाने लगा-है । जो रहस्य अब तक धर्म का रूप धारण किए हुए थे, वे अब स्पष्ट हो गए हैं और इस प्रकार घनेक धर्मठिम्बरों की पोल खुल गई है । इस प्रकार सङ्कचित धर्म समाप्त होते जा रहे हैं । परन्तु अब इन धर्मों के स्थान पर सामान्य धर्म उदित होता जा रहा है । धार्मिक मानव धर्म की बातें जोर पकड़ रही हैं । मानवतावादी विचारों का प्रचार बढ़ रहा है और इस प्रकार एक सामान्य धर्म की नींव पड़ रही है जिसे सर्व भौमिक धर्म कहा जाने लगा है । इस धर्म के प्रचार तथा प्रसार में महात्मागांधी, रामाष्ट्रप्लन, बर्दूँड रतेल के विचारों का प्रभाव पड़ रहा है ।

धर्म के विश्लेषण और व्याख्या के पश्चात् अब राजनीति को भी समझना है । राजनीति में सामान्य धर्म की दृष्टि से शासन यन्त्र को चलाने के ढंग आते हैं । शासन जिन धाराओं और सिद्धान्तों पर कार्य करता है और जिन लक्ष्यों को निर्धारित करता है, वे भी राजनीति के अध्ययन के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

राजनीति शब्द (पॉलिटिक्स) यूनानी भाषा के 'पोलिस' शब्द से बना है । प्राचीनकाल में यूनान देश छोटे-छोटे नगर राज्यों में विभाजित था पर धीरे-धीरे इन नगर राज्यों का स्वरूप बदलना गया और नगर राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य बनने लगे । इस विस्तार के साथ-साथ राजनीति भी विस्तृत होने लगी । राज्य से सम्बन्धित सभी विषयों का अध्ययन इसके अन्तर्गत किया जाने लगा । आजकल वैज्ञानिक अध्ययन की और विद्वानों का भ्रूणत्व हो गया है । अतः राजनीति की परिभाषा इस प्रकार हो गई है —

मेटेल—'यह राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का, राजनीतिक संगठन तथा कार्यों का, राजनीतिक समस्याओं तथा राजनीतिक सिद्धान्तों का अध्ययन है ।'

पाल जेनेट—'राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है ।'

सीले—'राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे पर्यशास्त्र धर्म का, जीव-विज्ञान जीवन का, बीज-गणित अन्ध का तथा भूगोल स्थान एवं ऊँचाई का करता है ।'

गार्नेर—'राजनीति शास्त्र का प्रारम्भ तथा अन्त राज्य से होता है ।'

लास्की—'राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सम्बन्ध संगठित राज्यों से सम्बन्धित मनुष्य के जीवन से है ।'

जहाँ तक राजनीति और धर्म का प्रश्न है इस विषय में आजकल धर्म-निरपेक्षता अपनाते ही बात कही जाती है । फिर भी धार्मिक राज्य भी हैं । हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही धर्म-प्रधान राज्य है । पर धर्मकी राजनीति के विषय में नीति शास्त्रीय तर्क दिये जाते हैं । नीति शास्त्र भले-बुरे का ज्ञान कराता है और समाज में रहते हुए आचरण के साधारण नियमों को पालन करने का आदेश देता है । धर्म भी वर्तमान और भले की बात कहता है । आचरण की शुद्धता पर भी यह बल देता है । यह पाप से बचने की बात कहता है और व्यक्ति को सच्चरित्र बनाना चाहता है । ऐसी दशा में तो धर्म राजनीति में सहायक हो सकता है । पर धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना या राजनीति के बल पर धर्म को फैलाना दोषपूर्ण हो जाता है । ऐसी ही नीति का उल्लंघन किया

गया है। धर्म को बट्टर रूप में धरने से परापात होने की संभावना रहती है। राज्य जिस धर्म का अनुयायी है वह उसी धर्म का प्रचार और प्रसार चाहिये इस कारण न्याय सम्भव न हो सकेगा। इन बातों को सोचकर धर्म की राजनीति से दूर रहने की बात कही गई है और कहा गया है कि राज्य को सब धर्मों के साथ एकसाथ व्यवहार करना चाहिए। सभी धर्मों को धरने, धरने प्रचार और प्रसार तथा धरने मान्यताओं को बनाए रखने का धरदार देना चाहिए। भारत के ती सविधान में ही धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिचार को प्रदान किया गया है और इसे भारतीय जनता का एक मूल अधिचार माना गया है। आज के भारत ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति धरनाई है। प्राचीन भारत की राजनीति में धर्म का प्रमुख स्थान था। पर यह होते हुए भी धर्य धर्म बातों को पूरी स्वतन्त्रता रहती थी। आज विश्व में अधिधार्मिक राष्ट्र धर्म और राजनीति को मिलाकर चलाने के पक्ष में नहीं हैं।



भारत के राजनीतिक दल

लाइब्रेरिस का कथन है कि 'राजनीतिक दल तो अनिवाये हैं। यदि दल कुछ बुराईयाँ उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराईयो को कम करते हैं तथा दूर करते हैं।' आज प्रत्येक देश में राजनीतिक दल पाए जाते हैं। फाइनर ने तो यहाँ तक कहा है कि सभी आधुनिक सरकारों में राजनीतिक दलों ने व्यवस्थापन की शक्ति को किसी सीमा तक हथिया लिया है। कुछ देशों में तो राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ही अधिक है जैसे फ्रान्स। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क में प्रायः सघर्ष चलता रहता है और अन्त में अधिक प्रभावशाली विचार मनुष्य का समर्थन प्राप्त कर लेता है और मानव व्यवहार को उसके अनुकूल बना लेता है। उसी प्रकार प्रत्येक प्रजातन्त्र में कुछ संगठन ऐसे पाए जाते हैं जो राज्य के इष्ट सिद्धान्तों के प्रतीक होते हैं। उनमें प्रतियोगिता चलती रहती है और अन्त में जब प्रभावशाली दल को वैधानिक रूप से जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो अपनी सरकार का निर्माण करके अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करता है। इस प्रकार के संगठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं।

विद्वानों ने राजनीतिक दलों की परिभाषा को विभिन्न शब्दों में प्रगट किया है। यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएँ हम देंगे।

ब्रक—“राजनीतिक दल मनुष्यों के उस समूह को कहते हैं जो किसी स्वस्वीकृत सिद्धान्त के आधार पर अपने सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा सार्वजनिक हित की वृद्धि के लिए संगठित होता है।”

ब्राइस—“राजनीतिक दल ऐच्छित रूप से संगठित वह दल है जो अपनी संचित शक्ति राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं।”

लोकान्—“राजनीतिक दल वह न्यूनाधिक संगठित समूह है जो जनमन को जानकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके सरकार बनाकर अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करते हैं।”

गिलश्राइस्ट—“राजनैतिक दल नागरिकों के उस मशठिन समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य सामान राजनैतिक विचार रखते हों और राजनैतिक द्वाइ के रूप में कार्य करते हुए शासन को हथियाने में रत हों।”

अंकाद्वार—“जिसका संगठन किसी नीति अथवा सिद्धान्त के समर्थन में हुआ हो और संवैधानिक उपायो से उस सिद्धान्त को शासन का आधार बनाने में रत हो, वही दल राजनैतिक दल है।”

इस परिभाषा में राजनैतिक दलों के सभी लक्षण हैं। यह परिभाषा धारणाओं को स्पष्ट करती है—

- १—राजनैतिक दल एक मशठिन समुदाय है।
- २—इसका संगठन एक सिद्धान्त के आधार पर होता है।
- ३—यह शासन को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
- ४—यह संवैधानिक विधि से सरकार को अपने हाथ में लेने के प्रयत्नों में लगा रहता है।

राजनैतिक दल राज्य या देश में राजनीतिक जागरण का मंत्र फूँकते हैं और जनमत को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी सरकार बनाते हैं। सरकार मसालू राजनैतिक दल के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। जिस राजनैतिक दल का विधान सभा में बहुमत होता है, वही दल सरकार बनाता है। यह संवैधानिक देशों की प्रणाली है। अन्य दल आलोचनाओं के द्वारा मसालू दल को दायरे में बनाये रखते हैं। एक राजनैतिक दल उन नागरिकों का एक मशठिन समूह जिनके राजनैतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनैतिक द्वाइ की तरह काम करें, सरकार को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। राजनैतिक दल का मुख्य उद्देश्य अपने रायों तथा नीतियों को मनवाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यवस्थापिका पर अधिकार हो। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दल के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका में यही शक्ति हो। इसलिए राजनीतिक दलों का संगठन चुनाव के लिए किया जाता है। जिनके अधिक व्यवस्थापिका में उनके सदस्य होंगे उतना ही उनका बानून बनाने में प्रभाव होगा। दल के अन्दर अन्तर्-आय अस्तित्व है क्योंकि इसमें व्यवस्थापिका में बोट रीट जाते हैं जिससे विरोधी दलों को लाभ होता है।

प्रजातंत्र में राजनैतिक दलों का बड़ा महत्व है। ये लोकमत को प्रतिष्ठित करते हैं और उनको अभिव्यक्त करते हैं। ये जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करते हैं और उसको राष्ट्र की समस्याओं से परिचित कराते हैं। निर्वाचन के समय यह देश की समस्याओं का प्रस्तुतीकरण एवं उनके समाधान के उपाय अपने घोषणा-

पक्ष पर प्रकाशित करने है तथा जनता से यह प्रतिज्ञा करते है कि चुने जाने पर वे तदनुसार कार्यवाही करेंगे। बहुमत प्राप्त होने पर वे अपना मंत्रिमण्डल बनाते हैं और उन उपायों को कार्यान्वित करते हैं। यदि उनको अल्पमत प्राप्त होता है तो वे विरोध पक्ष का निर्माण करते हैं। विरोध पक्ष सरकार की आलोचना करता है और उसको जनमत के अनुसार कार्य करने को बाध्य करता है। शासक दल तथा विरोधी दल दोनों पारस्परिक सहयोग अथवा प्रतिस्पर्धा के द्वारा लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाये रखने का सतत प्रयास करते रहते हैं। जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं अथवा निरंकुश शासन की स्थापना का भय बना रहता है। विरोधी दल तत्कालीन शासन को निरंकुश बनने में रोकते हैं। ये ही लोकतंत्र के प्रहरी तथा रक्षक होते हैं।

भारत में राजनैतिक दलों का विकास तथा उत्पत्ति प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने के लिए नहीं अपितु ब्रिटिश शासन के अस्तित्व को समाप्त करने एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हुई थी। कुछ दलों का निर्माण अन्य कारणों से भी हुआ था और कुछ दल स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् मिथ्याता के सधर्प के कारण बने रह। कुछ दलों का निर्माण भारतीय लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात् राजनीतिक उद्देश्यों से हुआ। इनमें से प्रमुख दल इस प्रकार हैं—

(१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (२) संयुक्त समाजवादी दल (३) भारत का साम्यवादी दल (४) जनसंघ और (५) स्वतन्त्र दल। ये दल अखिल भारतीय हैं। कुछ दल भारत के प्रदेश विशेष में सीमित हैं अथवा अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली हैं, जैसे (१) मुस्लिम लीग (बेरेल), (२) रामराज्य परिषद् (राजस्थान तथा मध्य प्रदेश) (३) द्रविड मुन्नेत्र कजघम (मद्रास), (४) प्रकाली दल (पंजाब), (५) भारत की गणतंत्र परिषद् (६) हिन्दू महासभा, (७) फारवर्ड ब्लाक (८) रिपब्लिकन पार्टी।

यहाँ कुछ प्रमुख दलों का वर्णन किया जाता है—

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

बीसवीं शताब्दी में भारत ने स्वतन्त्रता की प्राप्ति का जो सपना सदा वह वास्तव में कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस की स्थापना सर ए. ओ. ह्यूम ने सन् १८८५ ई० में की थी। १८८५ से १९०६ ई० तक इसका उद्देश्य सरकार से अनुनय विनय करके जनता के लिए कुछ सुविधाएँ प्राप्त करना था। इस प्रकार तब यह एक भिक्षुक संस्था थी। नगरी की मध्य वर्गीय तथा शिक्षित जनता इसमें थी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों की मांग करना था। सरकारी नौकरियों में अधिकारिक भारतवासियों को लाभ भी इसका उद्देश्य था। इस युग के प्रमुख नेता सुरेन्द्रनाथ बँनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले, फीरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी आदि थे।

इसके प्रागे चलकर उग्र विचारवादी जननेता सामने प्राये । लाठ बर्जन ने बंगाल को विभाजित किया जिसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई । साम ही कांग्रेस में भी दो दल बन गये—एक उदारवादी दूसरा उग्रवादी । उग्रवादियों का कथन था कि स्वराज्य की प्राप्ति भिक्षावृत्ति से नहीं हो सकती । संघर्ष से ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है । इस दल में लाला लाजपत राय, बासगगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल और भरविन्द घोष का नाम उल्लेखनीय है । पर इन लोगों का कांग्रेस में प्रत्यक्ष योग नहीं था । प्रत. १९०७ के सूरत अधिवेशन से इन्हें प्रलग हो जाना पड़ा । कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व बना रहा । सरकार ने भी उग्रवादियों का दमन किया । पर राष्ट्रीयता की जो लहर भारत में दौड़ी वह समाप्त न की जा सकी । एनोवेलेन्ट और तिलक के प्रयत्नों से उग्रवादियों और उदारवादियों में समझौता से गया । सन् १९१६ में उग्रवादी पुन कांग्रेस में शामिल हो गये । वेलेन्ट और तिलक की होमरूल लीग ने भारत के लिए घोषितवैज्ञानिक स्वराज्य की माँग की ।

कांग्रेस का तीसरा युग गांधी जी का युग है । इस युग में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम किया । गांधी जी ने कांग्रेस की नीति को एक नया मोड़ दिया और इसे सत्य-अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित किया । गांधीजी ने देशभर का दौरा किया । धीरे-धीरे कांग्रेस में सामान्य जनता भी शामिल हो गई । गांधीजी ने सविनय अवज्ञा, असहयोग हिन्दू मुसलमान एकता, हरिजन उदार, ग्राम सुधार, साक्षी का प्रयोग, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में इस नीति को अपनाया और सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा ही १५ अगस्त १९४७ को आजादी प्राप्त कर ली ।

३० जनवरी १९४८ को गांधी जी का वध हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू के हाथों में कांग्रेस भी बागडोर आई । यह स्वतन्त्रता का युग रहा । नेहरू का किसी ने विरोध न किया । जिसने विरोध किया वह कांग्रेस से बाहर चला गया । नेहरू के नेतृत्व में भारत की आन्तरिक तथा विदेशी नीतियों का निर्धारण हुआ ।

कांग्रेसियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण कामराज योजना सामने आई । भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकने के भी प्रयास किए गए । इस दौर गृहमंत्री श्री युलजारोत्तल नन्दा ने पग बढ़ाया । कामराज योजना के अन्तर्गत सर्वथी कामराज, मोरारजी देसाई, एम० व० पाटिल, मानवहादुर शास्त्री प्रभृति बड़े-बड़े नेताओं ने पद त्याग किए । कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बने जो मात्र एक ही । २७ मई १९६४ को नेहरू जी भी चल पड़े ।

कांग्रेस का सचिवालय और ध्येय—

कांग्रेस का सचिवालय सन् १८६६ में बना था । इसके अनुसार कांग्रेस का वैधानिक उपायो द्वारा भारतीय जनता के हितों की रक्षा करना था । धीरे-धीरे ध्येय

मे परिवर्तन आता गया और अन्त में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना हो गया । सन् १९३४ में इसकी व्याख्या की गई । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् १९४६ में जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान पारित हुआ जिसके अनुसार कांग्रेस का ध्येय यह बताया गया—

“भारत की जनता का कल्याण एवं उत्कर्ष करना और भारत में शान्तिपूर्ण तथा वैध उपायो द्वारा जनता के राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की समानता पर प्राणागत एक ऐसे सहकारी समानतन्त्र की स्थापना करना जिसका ध्येय विश्व शान्ति तथा सहयोग हो ।”

सन् १९५५ के गावडी अधिवेशन के प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस का ध्येय यह निश्चित किया गया कि—

“एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करना जिसके अन्तर्गत राज्य के मुख्य उत्पादक साधनों पर समाज का स्वामित्व अथवा अधिकार होगा, जहाँ उत्पत्ति को बढ़ाने का निरन्तर प्रयत्न किया जाएगा तथा राष्ट्रीय संपत्ति का विभाजन न्यायोचित ढंग पर होगा ।” इस प्रकार कांग्रेस का ध्येय समाजवादी समाज की स्थापना हो गया । मुंबेश्वर अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय प्रजातन्त्रीय समाजवाद उद्घोषित किया गया ।

संगठन—

कांग्रेस के सदस्य तीन प्रकार के होते हैं (१) प्रारम्भिक (२) योग्य (३) कर्मठ प्रारम्भिक सदस्य प्रत्येक भारतीय वन सक्ता है जो कांग्रेस के ध्येय में विश्वास रखता हो और जिसकी उम्र २१ वर्ष की हो चुकी हो । उसे २५ पैसे वार्षिक चढ़ा देना होता है । योग्य सदस्य वे हैं जो आदतन छादी पहनते हैं । जो कांग्रेस के ध्येय में विश्वास रखते हैं और किसी प्रकार का नशा नहीं करते तथा जो हरिजनउद्धार तथा हिन्दू-मुसलमान एकता में विश्वास रखते हैं । वह किसी अन्य राजनीतिक या साम्प्रदायिक दल का सदस्य नहीं बन सकता । कर्मठ सदस्य अपने दैनिक जीवन का कुछ समय रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं और योग्य सदस्य की सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं । कांग्रेस की शाखाएँ भारत के ग्राम-ग्राम में हैं और यह सुसंगठित सस्था है ।

गाँवों में प्रारम्भिक कांग्रेस पचासों होती हैं । सामान्यतः २५०० की जनसंख्या के क्षेत्र में एक पञ्चायत होती है । पञ्चायत के चुनाव में योग्य तथा कर्मठ सदस्य ही भाग ले सकते हैं । परन्तु मनदान प्रारम्भिक सदस्य भी कर सकते हैं । प्रत्येक नगर में एक नगर कांग्रेस कमेटी होती है जिसके अधीन बड़े बड़े कांग्रेस कमेटीयों होती हैं जिनके सदस्यों का निर्वाचन जिने के कर्मठ सदस्य तथा प्रारम्भिक पञ्चायतों के सदस्यों करने हैं । प्रत्येक प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक कमेटी होती है जिसके

नियन्त्रण में जिला कांग्रेस कमेटियाँ कार्य करती हैं। प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों की संख्या २३ है। इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रदेश के समस्त वामंठ सदस्य तथा प्रारम्भिक पञ्चायतों में सदस्य करते हैं। एक साल की अवकाश पर एक सदस्य चुना जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के ऊपर प्रतिष्ठित भारतीय कांग्रेस कमेटी है। इसके सदस्यों का चुनाव कांग्रेस की कमेटियों के सदस्यों द्वारा होता है।

कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह दो वर्ष के लिए प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी समिति बनाता है। वह इसके दो तिहाई सदस्यों को मनोनित करता है। एक तिहाई सदस्य प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकारिणी में ही एक समदीय मंडल है। इसे माध्यमगत कांग्रेस हार्ड कमाण्ड कहते हैं। यह कांग्रेस की समस्त सार्वभौम तथा विधान मण्डलों की समस्याओं का निपटारा करता है तथा इन पर नियन्त्रण रखता है। अध्यक्ष तथा उसकी कार्यकारिणी प्रतिष्ठित भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रति उत्तरदायी होती है पर अभी कांग्रेस और कांग्रेस संस्थाएँ अध्यक्ष एवं उसकी कार्यकारिणी भी प्राज्ञाओं का पालन करती हैं।

कांग्रेस की नीति—

कांग्रेस हिंसा विरोधवाद को न अपना कर समन्वयशील कार्यक्रम लेकर चलने वाली संस्था है। फिर भी काफी ज़ोर उनके दर्शन का इस पर अधिक प्रभाव है। हाल ही में समाजवादी तथ्यों का विशेष प्राधिपर्य इस पर रहा है। हिंसा और संस्य की नीति भी यह अधिक अपनाता चाहती है। सर्वोदय की नीति में भी इसका विश्वास है। सभी ती समन्वय को प्रमूढ माना गया है।

कांग्रेस का कार्यक्रम—

जहाँ तक कांग्रेस के प्राथमिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हम संस्था ने समाजवादी सिद्धान्तों को अपनाया है। पर यह पूँजीपति तथा धर्मिष्ठ स्वामित्व के विरोध के विरोध में नहीं है पर राष्ट्रीय उद्योगों पर सरकार का अधिकार चाहती है ताकि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। कृषि और कृषकों की उन्नति की दृष्टि से यह जमींदारी उन्मूलन, भूदान आन्दोलन, चकवन्दी कुटीर उद्योग, सहकारी सेती आदि को प्रथम देती है। यह बिना वर्ग संघर्ष के जातूत और सम्भावना के आधार पर मजदूरों की दशा सुधारना चाहती है।

सामाजिक कार्यक्रम के अन्तर्गत यह हरिजन उद्धार, अस्पृश्यता निवारण, मर्यादाविध, नारी कल्याण तथा हिन्दू-मुसलमान एकरता में विश्वास रखती है। जाति-वाद और साम्प्रदायिकता से यह समाप्त करना चाहती है। यह पक्षपात और संकीर्णता भी नहीं चाहती। साहित्यिक और सांस्कृतिक कल्याण में भी इसकी प्रास्था है। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक शिक्षा की यह हामी है।

विदेशी नीति में, यह विश्व शान्ति तथा सह-स्तित्व को बढ़ावा देती है। पञ्चगोल के सिद्धान्त का यह समर्थन करती है। तटस्थता की नीति यह भारत के लिए श्रेयस्कर समझती है। संयुक्त राष्ट्र मध्य में इसकी पूर्ण आस्था है। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का यह विरोध करती है। रंगभेद की नीति को यह हेय मानती है।

समीक्षा —

कांग्रेस तभी सत्तारूढ़ है जबसे कि भारत को स्वतन्त्रता मिली है। इस दीर्घकालीन शासनाधिकार के कारण तथा कुछ नीति सम्बन्धी कारणों से इसमें अनेक दोष आगए हैं। कुछ दोष इस प्रकार हैं —

(१) व्यक्तिगत तथा नीति सम्बन्धी मतभेद के कारण अनेक प्रभावशाली तथा विद्वान नेता संस्था छोड़ गए हैं।

(२) सत्तारूढ़ व्यक्तियों में भी मतभेद के कारण गुटबन्दी बढ गई है जो इसे धीरे-धीरे कमजोर कर रही है।

(३) संसद सदस्य तथा विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं।

(४) अपनी पुरानी देश-सेवाओं के आधार पर कांग्रेसी लाभान्वित होना चाहते हैं।

(५) पद-लोलुपता और स्वार्थ भी नेताओं में बढ गया है।

(६) भ्रष्टाचार का भी बोलबाला हो गया है।

(७) महंगाई और चोर-बाजारी रोकने में कांग्रेस असफल रही है।

फिर भी कांग्रेस ने देश की वाफ़ी सेवा की है। इसके शासनकाल में अनेक योजनाएँ बनीं तथा कार्यान्वित हुईं हैं। हरिजनों, जनजातियों, अमिकों, महिलाओं आदि की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ है। बड़े-बड़े तथा कुटीर-दोनों प्रकार के उद्योग स्थापित और विकसित हुए हैं। शिक्षा की भी प्रगति हुई है। ६०० से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण हुआ है। फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों को भारत का अंग बनाया गया है।

साम्यवादी दल

सन् १९२४ में इस दल की स्थापना हुई। यह दल सबसे १९ वर्षों तक गुप्त-रूप से कार्य करता रहा क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार का विरोध करता था। दीर्घकाल तक कांग्रेस में रह कर भी इसने कार्य किया। १९४३ में रूस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रवेश किया। तब इस दलने जनता का युद्ध घोषित कर

ब्रिटिश शासन का साथ दिया। तब इस दल से प्रतिबन्ध हट गए और यह प्रगट रूपमें कार्य करने लगा। कांग्रेस ने इस दल को बहिष्कार किया। इस दल ने कांग्रेस को पूँजी-पतियो और जमींदारों की तरफा कहा। फिर भी भारत की स्वतन्त्रता के लिए इसने कांग्रेस का विरोध नहीं किया। स्वतन्त्र भारत में इसने तोड़ फोड़ की नीति अपनाई पर १९५१ में इस नीति को त्याग दिया और वैधानिक तरीके अपनाए।

संगठन—

साम्यवादी दल की सबसे छोटी इकाई प्रारम्भिक दल उपकरण (प्राइमरी पार्टी ग्रान्गन) है जिसकी स्थापना दो या तीन सदस्य मिलकर किसी कारखाने या विद्यालय में करते हैं। यह उपकरण नगरों तथा जिलों की दलीय इकाई के लिए सदस्य निर्वाचित करता है। ये सदस्य प्रांतीय यूनिट का निर्माण करते हैं। प्रांतीय यूनिट ग्रामिण भारतीय समिति को बनाती है। ग्रामिण भारतीय समिति की वर्ष में एक बार बैठक होती है जिसमें कार्यपालिका तथा दल के महामन्त्री का चुनाव किया जाता है। इस केन्द्रीय कार्यपालिका का मन्चालन एक मठल करता है जिसे पार्लिट धुरो कहा है। साम्यवादी दल का प्रधान नहीं होता।

जाता उद्देश्य तथा सिद्धान्त—

इस दल ने कार्ल मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों को अपनाया है। प्रायः रूस की पालिसी के अनुसार इसकी पालिसी चलती है। परन्तु १९६२ में भारत पर चीन का आक्रमण जब हुआ तब कुछ कम्युनिस्टों ने चीन का समर्थन किया और इस दल के दो भाग हो गए।

(१) राष्ट्रवादी साम्यवादी दल अथवा दक्षिण पंथी साम्यवादी दल जो भारत सरकार का समर्थन या और चीन की निन्दा करता था।

(२) शानपथी साम्यवादी दल जिसने चीनी आक्रमण का समर्थन किया और यह चीनी नेताओं को आदर्श मानकर कार्य करता है। यह राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों को करता है और इस कारण इनके नेता समय-समय पर कारावास की हवा खाते रहते हैं।

साम्यवादी दल के सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

(१) पूँजीपति तथा मजदूरों में संपर्क अनिवार्य है। इस संपर्क में मजदूरों की विजय होगी।

(२) उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(३) जमींदारों बिना मुपाविजे के समाप्त की जाय।

(४) राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हो।

- (५) अग्नेजी अधिकारी सेना से निकाले जाए
- (६) अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा हो
- (७) शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना बने ।
- (८) महान राष्ट्रों से मैत्री हो ।
- (९) उपनिवेशवाद समाप्त हो ।
- (१०) पाकिस्तान से मैत्री सन्धि हो
- (११) आर्थिक समानता स्थापित हो और बेकारी समाप्त की जाय ।
- (१२) कृषक भूस्वामी बने तथा बड़े उद्योगों का विकास किया जाय ।
- (१३) द्वितीय सदन की समाप्ति हो तथा न्यायालय कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त हो ।
- (१४) स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो ।
- (१५) निवारक निरोध कानून समाप्त हो ।
- (१६) राजा-महाराजाओं का प्रिन्सिपल समाप्त हो और उनकी संपत्ति जब्त की जाय ।
- (१७) शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में दी जाय ।
- (१८) धर्म एक प्रकार की अफीम है और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है ।

सूत्रांकन —

साम्यवादी दल वैधानिक उपायों को अब स्वीकार करते हुए भी हिंसात्मक साधनों पर अविश्वास नहीं करना और क्रांति के लिए इनको अपनाते में वह नहीं हिचकिचाएगा । इस दल ने साधारण निर्वाचनों में भाग लिया है । तीसरे निर्वाचन में इसको लोकसभा में २६ और राज्यों की विधान सभाओं में १५३ स्थान मिले । सर्वाधिक सफलता इसे केरल में मिली पर यह दल परमुखापेक्षी है । यह हम और चीन की नीतियों के अनुसार चलता है । यहाँ तक कह दिया जाता है कि यदि वर्षा हम में होगी तो भारतीय साम्यवादी छाता यहाँ लगाएँगे । पर लोकसभा में इसी दल के कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सदस्य हैं । श्री डांगे, गोपालन, भूपेशगुप्त, हिरेन मुखर्जी, नम्बूदरीपाद, सुन्दरैया आदि इस दल के प्रमुख नेता हैं । यह दल रोटी, पकड़ा और मकान का नारा लगा कर तथा कुञ्ज भरने विशेष उत्तेजनात्मक साधनों को अपना कर श्रमिकों पर विशेष प्रभाव जमा लेता है । पर काफी शिक्षित जनता भी इस दल की सदस्य है ।

भारतीय जन संघ

इस दल की स्थापना राष्ट्रीयता के दृष्ट सिद्धान्तों के आधार पर हुई है । इसकी स्थापना सन् १९५१ में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने की । परन्तु इसकी स्थापना

में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ का हाथ रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ की विचारधारा और उसके नेतृत्व में ही जनसभ को दल मिला जिसके परिणामस्वरूप यह संस्था थोड़े समय में ही उन्नति पर गई। अब नए जनसभ के अध्यक्ष मोलियन्द्र शर्मा, प्रेमनाथ डोगरा, देवप्रसाद घोष, डा. मधुवीर वच्छराज व्यास आदि रहे। अब प्रो० बलराज मधोक इसके अध्यक्ष हैं। इसके गमदीय नेता घटमविहारी वाजपेयी हैं। महामन्त्री नीरदगाल उराध्याय भी दल के प्रमुख नेता हैं।

संगठन और उद्देश्य—

इस दल को भी प्रखिल भारतीय आधार पर मान्यता मिली हुई है। इस दल का संगठन बड़ा अनुशासनपूर्ण है। इस दल के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- (१) अखण्ड भारत का निर्माण करना।
- (२) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्राथमिकता देना।
- (३) राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए छुड़ाए गए और ऊँचनीष के भावों को दूर करना तथा अहिन्दुओं को भारतीय गणतंत्र के प्रति आकर्षित करना।
- (४) भारतीय संविधान में संशोधन कर—एकात्मक सरकार की स्थापना करना।
- (५) मूल अधिकारों की रक्षा करना।
- (६) द्वितीय सदन को गमाए करना।
- (७) राज्यपाल पद गमाए कर देश को प्रमुख विभाज्य भागों में बाँटना।
- (८) नौकर शाही, लाल फौजशाही, भ्रष्टाचार आदि मिटाना।
- (९) धाय की अधिकतम सीमा प्रतिमात दो हजार रु० तक निर्धारित करना, कर्मचारियों का अधिकतम वेतन ५०० रु० तथा म्यूनिसिपल वेतन १०० रु० निर्धारित करना।
- (१०) न्याय को सस्ता, मूलभूत तथा पक्षपातहीन बनाना।
- (११) गोवध और निवारण निरोध अधिनियम को समाप्त करना।
- (१२) मौलिक तथा प्रति रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
- (१३) हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति के लिए पञ्चवर्षीय योजनाएँ बनाना।
- (१४) विद्यालयों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पर बल।
- (१५) तटस्थ विदेश नीति बनाए रखना पर पाकिस्तान का मुष्टीकरण न करना, तथा कश्मीर के भाग को मुक्त कराना, चीनियों से भी अपने क्षेत्र को मुक्त कराना।

तीसरे आम चुनाव में जनसच की पहली वे अधिक गतिवृत्त प्राप्त हुई । लोक-सभा में १४ स्थान तथा राज्या की विधान सभाओं में ११३ स्थान मिले । यह भाज-कल देश का प्रमुख दल बनता जा रहा है ।

संयुक्त समाजवादी दल

यह दल जुलाई १९१४ में बना जब कि दो दलों की कार्यकारिणी एक हो गई । इसके अध्यक्ष श्री एस० एम० जाशी और मंत्री राजनारायण बने । इस दल में प्रजा समाजवादी तथा समाजवादी दल मिले । इस दिसम्बर १९४४ में इसमें फिर फूट पड़ गई और प्रजा समाजवादी दल अलग हो गया पर भी फिर भी समाजवादी दल संयुक्त समाजवादी दल के नाम से कार्य कर रहा है । दोनों दलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ देना ठीक होगा ।

समाजवादी दल

सत्याग्रह आन्दोलन के पश्चात् १९३० में कुछ नेताओं ने नासिक जेल में समाजवादी दल के सठठन का निश्चय किया । इनमें रावे शी जग प्रकाशानारायण, अश्रुत पटवर्धन, युगुफ मेवर तथा अशोक मेहता थे । १९३४ में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में इस दल का प्रथम आन्दोलन पटना में हुआ । कहा गया कि कांग्रेस के भीतर रहकर ही समाजवादी दल कांग्रेस के हितकोण का प्रभावित करने का प्रयास करेगा । सन् १९३७ तक कांग्रेस के भीतर रहकर ही यह दल कार्य करता रहा । सन् १९४० में इस दल ने कानपुर में निर्णय लिया कि यह दल अब कांग्रेस समाजवादी दल न कहकर समाजवादी दल कहना होगा और इसमें अन्य लोग भी शामिल किए जाएंगे । सन् १९४६ में पटना अधिवेशन में यह दल अलग दल बन गया ।

सन् १९५२ में इस दल के १५५ सदस्य विधान सभाओं के लिए तथा १२ सदस्य सचिव के लिए चुने गए । आगे दल उन्नति करता गया ।

कृषक प्रजा पार्टी

इसकी स्थापना सन् १९६१ में आचार्य वृणसानी ने की । इनका कहना था कि लक्ष्मी और ईमानदार लोगों की कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है । सन् १९६२ के चुनावों में ८६ स्थान मिले । इसके बाद समाजवादी दल और इस दल को मिलाने का विचार सामने आया । तब दोनों दलों का मिश्रण प्रजा समाजवादी दल बना । इस दल के नेता आचार्य वृणसानी चुने गए । कुछ समय बाद पार्षदों का भी इसमें मिल गया । सन् १९५४ में दल में फूट पड़ गई । डा० राममनोहर लोहिया ने अपना समाजवादी दल अलग बना लिया । सन् १९५७ के चुनाव में दल १९४ तथा १९६२

के चुनाव में कुल १६१ संसद सदस्य तथा विधान सभाओं के सदस्य चुने गए । इसके भागे दोनो दल फिर एक होगए पर फिर १९६४ में पृथक होगए ।

संगठन तथा उद्देश्य —

इस दल की मास्राएँ भी समूचे भारत में विद्यमान हैं । दल की सर्वोपरि कार्यपालिका को 'नेशनल एक्जीक्यूटिव ग्रूप दी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी' कहते हैं । इसमें २५ सदस्य हैं । यह मस्य्था नेशनल जनरल कोसिल के प्रति उत्तरदायी है । इस दल के उद्देश्य इस प्रकार हैं —

- (१) भारत में जनतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना करना ।
- (२) अद्विसारत्मक उपायो को अयनाना ।
- (३) समाज में अधिषक और राजनीतिक शोषण का अन्त करना ।
- (४) जमींदारी बिना मुभाविजे के समान्त करना ।
- (५) सभी वंको, कारखानो तथा सुरक्षा उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करना ।
- (६) मजदूरो के हठताल के अधिषकार का समर्पन करना तथा उनको पूंजी-पतियो, राजनीतिक दलो और शासन के नियन्त्रण से स्वतन्त्र कराना ।
- (७) शासन का विवेन्दीकरण करना तथा सधु उद्योगो का विकास करना ।
- (८) निवारक निरोध अधिनियम को समाप्त करना ।
- (९) स्वतन्त्र विदेशी नीति अयनाना ।
- (१०) राष्ट्र मडल की सदत्पता को त्यागना ।
- (११) २००० रु से अधिक वेतन का विरोध करना ।
- (१२) अक्षिशाली और लोकप्रिय सेना बनाना ।
- (१३) सस्ता तथा निष्पक्ष न्याय सुलभ करना ।
- (१४) अधिकाधिक नागरिक स्वतन्त्रता स्थापित करना ।

इस दल की फूट इसको कमजोर बनाए हुए है । विधान तथा लोक सभा में इसके सदस्य प्रभावशाली हैं । भागे के चुनाव के पश्चात् ही इसकी उन्नति के विषय में कुछ कहा जा सनेगा ।

स्वतन्त्र पार्टी

इस दल की स्थापना सन् १९५९ में अग्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की । इसके प्रमुख नेता प्रो० रगा, के. एम, मुशी, एम. धार. मसानो, एच. पी. मोदी आदि हैं । यह दल समाजवाद तथा सहकारी विेती आदि का विरोध करता है और धन, धरती, धर्म और धन्धो की स्वतन्त्रता में विश्वास करता है ।

उद्देश्य—

इस दल के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

- (१) साम्यवादी दल को प्रमुख शत्रु मानना ।
- (२) सहकारी कृषि स्थापित न होने देना ।
- (३) अधिकतम वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं न्यूनतम राज्य नियन्त्रण ।
- (४) भ्रष्टाचार, साल फीता शाही, पक्षपात, अनुश्रुलता मिटा कर नैतिकता का प्रसार करना ।
- (५) राष्ट्रमंडल से भारत की सदस्यता समाप्त करना ।
- (६) चीन द्वारा लिए गए क्षेत्र को मुक्त कराना ।
- (७) भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना ,

इस दल को पूजापतियों, राजा-महाराजाओं और व्यापारियों का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ । तीसरे चुनाव में इसे लोक सभा में १८ स्थान प्राप्त हुए । राज्यों की विधान सभाओं में ११६ स्थान प्राप्त हुए । लोक सभा में इसे तीसरा बड़ा दल माना जाता है—

भारत में कुछ अन्य दल भी हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

हिन्दू महा सभा

इस दल की स्थापना सन् १९१९ में हिन्दू सभ्यता, साहित्य और हितों की रक्षा के लिए हुई । इस दल को मालवीयजी, वीर सावरकर आदि से भी मार्ग दर्शन मिला । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आशुतोष सहरी तथा देशपांडे इसके नेता रहे । इस समय नित्य नागायण वैजजी इसके अध्यक्ष हैं ।

इस दल के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- (१) अखण्ड भारत की स्थापना ।
- (२) गोवध बन्दी ।
- (३) भारत को राष्ट्र मंडल से अलग करना ।
- (४) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण ।
- (५) भारत का उद्योगीकरण करना ।
- (६) सोवतन्त्र की स्थापना ।
- (७) अल्पसङ्ख्यकों के साथ अखण्डा व्यवहार ।
- (८) व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त न करना पर बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ।

(६) जो हिन्दू धर्म छोड़ गए हैं उन्हें पुनः हिन्दू बनाना ।

(१०) सफल राष्ट्रीय सेना की स्थापना ।

(११) निःशुल्क प्रतिवायं शिक्षा । प्रादि ।

इस दल ने कोई विशेष उन्नति नहीं की है तथा इसका प्रभाव घटता रहा है । अंग्रेजी शासन में इस दल पर सरकार भी गुंथ रही थी ।

मुस्लिम लोग

मुस्लिम लोग को प्रियतम काल में ब्रिटिश सरकार का सम्पर्क प्राप्त रहा । यह कांग्रेस का विरोध करती रही । इसकी साम्प्रदायिक नीति का कारण १९४७ में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बने । देश का विभाजन हुआ । इसके सर्वोच्च मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना की । भारत में इसकी समर्थित सी हा गई पर फिर भी यह कुछ स्थानों पर बनी रह्यो । मद्रास में इसका संगठन बना रहा । अन्य स्थानों पर भी इसका पनपाने की कोशिश की गई पर सफलता न मिली । तीसरे आम चुनाव में इसे बहुत बंध सफलता मिली ।

रामराज्य परिषद

इस दल का उद्देश्य प्रार्थना प्रायं सिद्धांतों के आधार पर रामराज्य की स्थापना करना है । इसके सर्वोच्च स्वामी करपात्री जी हैं । इसका उद्देश्य है—१—प्रति कर देकर नतीतारी उन्मूलन २—रूपक को भू-स्वामी बनाना ३—सबसे भारत की शांतिपूर्ण उपायों से स्थापना ४—निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था । ५—नागरिकों को शस्त्र रखने की आज्ञा देना । ६—हिन्दू कोडविस का विरोध । तीसरे आम चुनाव में इस दल की प्रति न्यून सफलता मिली ।

अकाली दल

यह निम्नो की साम्प्रदायिक मर्यादा है । इसके प्रमुख मास्टर तारासिंह हैं । दूसरे नेता सत गतेहसिंह भी हैं । आजकल इस दल में घूट पड़ी हुई है । यह दल पंजाबी मूखे की भांग करता है । तीसरे चुनाव में इसको बहुत बंध सफलता मिली है । मास्टर तारासिंह दल समय से नुकी पालें रख रहे हैं । सत गतेहसिंह पंजाबी मूखे बनने पर सतुष्ट हैं ।

अन्य राजनीतिक दल

अन्य दलों में गणतंत्र परिषद है जो बिहार उड़ीसा में कांग्रेस के विरुद्ध सफल हुई । डा० अम्बेडकर का दल अथ रिपब्लिकन पार्टी बन गया है । नारदक पार्टी जन जातियों की प्रविकार रक्षा पार्टी है । फारवर्ड ब्लाक १९३३ में सुभाषचन्द्र

बोस के द्वारा स्थापित किया गया था । इसका भ्रव थोडा सा प्रभाव पश्चिमी बंगाल मे रह गया है । द्रविड मुनेत्र कजगम का मद्रास मे प्रभाव है । यह दल प्राय-प्रत्येक का भेद लेकर सामने आया । यह दल द्रविडस्तान की मांग करता है । भ्रव इस दल ने यह मांग छोड़ दी है और भ्रव यह भारतीय सविधान के अन्तर्गत कार्य करेगा । यह दल हिन्दी का विरोध करता है ।

इस प्रकार भारत में अनेक राजनीतिक दल है पर कालान्तर मे यह कम रह जाँगे ऐसा प्रतीत हो रहा है ।

हिन्द-पाक सम्बन्ध समस्या

जब १५ अगस्त १९४७ को भारत और पाकिस्तान का वृषक-वृषक अस्तित्व हुआ गया तो उस समय १० जवाहरलास नेहरू ने कहा था—

‘हमारे कोई भी मतमतान्तर क्यों न हो, हम सब भारत के बंधे हैं। हम साम्प्रदायिकता और सभृचितता को बढ़ावा नहीं दे सकते क्योंकि सभृचित विचार और भाषों के आधार पर कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता।’

शुद्ध भास पत्रपात् नेहरू जी ने फिर कहा था—

‘हम केवल ऐसे धर्म निरपेक्ष, साम्प्रदायिक और लोकतंत्रात्मक राज्य की कल्पना कर सकते हैं जिनमें बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सबको समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो सके। यही आदर्श भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा है। आज भी यह सच्चा इसी आदर्श को अपनाए हुये हैं।’

भारत के विभाजन के समय भारतीय नेताओं ने आशा की थी कि भारत तथा पाकिस्तान में दो सुन्दर पड़ोसी जैसे सम्बन्ध रहेंगे और दोनों देश मिल-जुलकर शान्ति से रहेंगे और अपनी प्रापिक उन्नति तथा जनता की सुखहासी में समय लगाएंगे। इस प्रकार शान्ति, सद्भावना और सहयोग के वातावरण की स्थापना होगी। पर दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बटु ही बने रहे हैं। भारत के अनेक प्रयासों के बावजूद भी पाकिस्तान बटुता को ही पनपाता रहा है। दोनों देशों के बीच प्रमुख समस्याएं यह रही हैं—

जम्मू और कारमौर

ब्रिटिश शासन काल में भारत एक राज्य था जिस पर सीधा ब्रिटिश शासन था। इस शासन में ५६० रियासतों भी थी जिनको ब्रिटिश सरकार ने आंशिक आजादी दे रखी थी। जब १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता मिली और शक्तिर्षा हस्तांतरित

की गई तो ब्रिटिश सरकार ने रियासती को स्वतन्त्र निर्णय का अधिकार दिया कि वे अपनी इच्छानुसार हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में जा सकती हैं। परन्तु भारत की रियासती को सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रयासों ने भारत में मिलने के लिए प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर रियासतें भारत में मिल गईं। परन्तु उस समय काश्मीर का सामक़ा सुप्री साध गया। काश्मीर रियासत ने स्वतन्त्र रहना चाहा और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान दोनों से लाभ उठाना चाहा। पर पाकिस्तान ने चाल चली और जम्मू काश्मीर के संचार तथा पूति के मार्ग काट दिए और काश्मीर को पाकिस्तान में मिलने के लिए विवश किया। वहाँ के महाराज ने पाकिस्तान से इन हरकतों के लिए विरोध प्रगट किया। पाकिस्तान ने इस विरोध का उत्तर आक्रमण से दिया और कबाइलियों के नाम से छुनपैठ की। काश्मीर में इसके अवरोध के लिए उतनी ताकत नहीं अतः राज्य का काफी भाग पाकिस्तान ने हड़प लिया और राजधानी श्रीनगर पर भी दुश्मन का धमके। तब विधगला में काश्मीर के शासक ने भारत से रक्षार्थ प्रार्थना की। काश्मीर के प्रधानमंत्री ने भी ऐसी प्रार्थना भारत सरकार से की।

२६ अक्टूबर, १९४७ को भारत ने काश्मीर पर ध्यान दिया और सलाह दी कि वहाँ जनता की सरकार बनाई जाय। भारत की सेना काश्मीर की भूमि पर उतरी और रियासत की रक्षा की। अनेक महीनों के घोर युद्ध के बाद भारतीय सेनाएँ हमलावरों को खदेड़ने में सफल हुईं। जब युद्ध चल रहा था भारत ने इसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र सभ को भी कर दी। यह शिकायत सुरक्षा परिषद को ३० दिसम्बर १९४७ को की गई। सुरक्षा परिषद ने इस विषय पर एक कमीशन नियुक्त किया। परिस्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् इस कमीशन ने कहा कि काश्मीर में पाकिस्तान की टुकड़ियाँ प्रवेश हैं और उन्हें वापस चले जाना चाहिए।

१३ अगस्त, १९४८ को कमीशन ने एक युद्ध विराम रेखा स्वीकार की। यह घोषणा उस समय हुई जब कि पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे थे और काश्मीर उनसे मुक्त होने वाला था। पर फिर भी भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। इस समय पाकिस्तान के अधिकार में लगभग प्राचा भाग जम्मू काश्मीर का था और उसने इस भाग को आबासी हमलों के लिए अड्डा बना लिया। घेरे-घेरे समय बीता और सुरक्षा परिषद ने बहुसे चली। तभी पाकिस्तान ने काश्मीर में जनमत संग्रह की माँग की। पर भारत ने इस बीच काफी प्रगति काश्मीर राज्य की कर दी। आक्रमण के समय ने अब तक राज्य ने काफी उन्नति की है। १९४७ में रेवेन्यू में ५० मिलियन रुपये की उन्नति हुई और १९६५ में तीसरी के मिलियन से भी अधिक बुद्धि हुई। इन बीच पाकिस्तान बराबर जनमत संग्रह की पुकार करता रहा। पर वहाँ पर तब से अब तक तीन भाग चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया है कि काश्मीर भारत के

साथ रहना चाहता है; चुनावों को सार्वजनिक तयस्कृत मताधिकार के आधार पर सम्पन्न कराया गया है।

नहर पानी विवाद

नहर पानी विवाद भी दोनों देशों में विवाद का कारण रहा है। पंजाब के विभाजन ने एक समस्या खड़ी कर दी। सिन्ध के पानी के लिए एक बाधा आई। सतलज, रावी और व्यास पर नहर निकालने के स्थान भारत में आए। पर २५ में दो नहरें भारत में पड़ीं। एक नहर दोनों देशों में पड़ी। भारत में घाने वाली पंजाबी भूमि कम उपजाऊ रही। पाकिस्तानी पंजाब की भूमि अधिक उपजाऊ और अधिक पानी लेने वाली रही। पर भारत ने एक समझौते से काम लिया। भारत ने कहा कि दाम लेकर वह पानी देता रहेगा। भारत ने व्यवस्थित रूप से पानी दिया पर पाकिस्तान ने समझौते को नया भी नहीं कराया। ३१ मार्च १९४८ को समझौता समाप्त पर था। भारत ने पाकिस्तान से ४ मई १९४८ को पुनः समझौता करने के लिए कहा। भारत ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत का भी पानी काफी चाहिए। अगस्त २३, १९५० को पाकिस्तान इस समझौते से मुक्त गया और बड़ी कोशिशों के बावजूद सितम्बर १९६० में फिर संधि की गई।

संधि के अनुसार भारत ने सतलज, व्यास और रावी से पानी देना स्वीकार किया तथा नहरों को भी चलते रहने देने के लिए राजी हुआ। तब तक कहा गया कि पाकिस्तान अपनी नहरें बना लेना। जब जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तो भारत में ऐसा समझा गया था कि हिन्द-पाक सम्बन्धों में एक नया मोड़ आएगा। पर यह एक स्वप्न ही निकला।

अनाक्रमण के मुद्दाय—

जून १९४७ से ही भारत पाकिस्तान को अनाक्रमण संधि के लिए कहता चला आया है। दिसम्बर २२, १९४९ को भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को ऐसा सुझाव दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को लिखा था—

'हमारे बीच एक दृढ़ घोषणा होनी चाहिए कि दोनों देश शक्ति पूर्ण उपायों से अपनी समस्याएँ हल करेंगे। इस बात में दोनों देशों की जनता में व्याप्त भय और तनपें की प्रवृत्तियाँ समाप्त होंगी।'

परन्तु पाकिस्तान ने इन बातों को कभी स्वीकार नहीं किया पर पं० नेहरू ने माना कि पाकिस्तान ने छोटा और बार-बार इस बात का प्रयत्न करते रहे। पुनः नवम्बर १९६२ में प्रधान मंत्री नेहरू ने प्रेमीडेंट अय्यूब को लिखा—

‘मेरा विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान का स्वर्णिम भविष्य दोनों देशों की मित्रता और सहयोग पर आधारित है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस और से आपको आश्वस्त रहना चाहिए। हम अच्छे पड़ोसी की तरह से रहना श्रेयस्कर समझते हैं।’

मई १९६४ में नेहरू इस सप्ताह से सदा सदा के लिए विदा हो गये। श्री लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भी पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की भाँति रहने की मनाह दी। १५ जून १९६४ को प्रधानमंत्री शास्त्री ने प्रेसीडेण्ट अय्यूब को लिखा — ‘हमें शान्ति, धैर्य और विश्वास के साथ पारस्परिक मतभेदों को दूर करना चाहिए।’

पर इस प्रकार की बातें पाकिस्तान ने व्यर्थ समझी और भारत के प्रति बैर भाव बनपाता रहा। पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु कहता रहा और आक्रमण के लिए सैनिक तैयारियाँ करना रहा। कब्ज़ में पाकिस्तान आगे बढ़ दिया और इसके बाद उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। १९६५ में इस दुखद घटना का भारत को सामना करना ही था। भारत ने सुरक्षात्मक कार्यवाही की और फिर दो-तीन और से पाकिस्तान में मार्च कर दिया। इस युद्ध में रूस ने मध्यस्थता की और ताशकन्द में दोनों देशों के नेता मिले और ४ जनवरी से १० जनवरी तक बातचीत चली। अन्त में काफी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री कोसिगिन दोनों देशों के नेताओं से एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करा सके। इस विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों देश शान्तिपूर्ण उपायों से काम लेंगे और शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस घोषणा पत्र पर दोनों देशों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए उसमें ये बातें थी —

(१) भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट ताशकन्द में मिले ताकि भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार हो और यह घोषणा करते हैं कि वे दोनों देशों में शान्ति स्थापना का प्रयास करेंगे और दोनों देशों की जनता में मंत्री भाव स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यह बात दोनों देशों की जनता के कल्याण के लिए प्रति आवश्यक है। दोनों और से ऐसे प्रयत्न होंगे कि दोनों देश अच्छे पड़ोसियों की तरह जीवन यापन करें। दोनों देश सयुक्तराष्ट्र के चार्टर का पालन करेंगे। दोनों देश शक्ति न आजमाकर शान्तिपूर्ण उपायों से अपनी समस्याओं को हल करेंगे।

(२) इस बात पर भी दोनों देश राजी हुए कि दोनों देश अपनी सेनाएँ २५ फरवरी १९६६ तक हटा लेंगे और ५ अगस्त १९६५ के स्थान पर ले आयेंगे। दोनों और से युद्ध विराम का पालन किया जाएगा।

(३) दोनों देशों के सम्बन्ध इस बात पर आधारित होंगे कि कोई देश किसी के आन्तरिक मामले में दखल न देगा।

(४) इस बात पर भी राजीनामा हुआ कि एक दूसरे के विरोध में प्रचार नहीं किया जाएगा और सुव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

(५) भारत का हाई कमिश्नर पाकिस्तान में और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर भारत में फिर घपना-घपना काफ़ी सम्मान लेंगे और बूटनीतिक सम्बन्ध फिर स्थापित हो जायेंगे । वे ज़ेनेवा नियमों का पालन करेंगे ।

(६) दोनों देश प्राथमिक और व्यापारिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करेंगे । दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी शुरू होगा ।

(७) दोनों देशों के युद्ध बन्धों एक दूसरे को सौंप दिये जायेंगे ।

(८) शरणार्थी तथा गिर कानूनी घुसपैठ के मामले पर दोनों देश वार्तालाप करेंगे । दोनों देश सन्धि-सन्धि को तोड़ने का प्रबन्ध करेंगे ।

(९) भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के प्रेसीडेंट सौमित्र संघ के नेतृत्व के प्रति वृत्तव्य प्रकट करते हैं जिनके प्रयत्नों से दोनों देशों के नेता निकट आ सकेंगे ।

भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व ने ताशकन्द सम्झौते में घास्या प्रकट की और इसकी सफलता की कामना की । भारत के प्रधानमन्त्री साक्षी जी अपने विश्रामस्थल पर आए और ज़ुमी रात इस सप्ताह से चल बसे । भारत शोक के सागर में डूब गया ।

साक्षीजी श्रीमती इन्दिरा गान्धी भारत की प्रधानमन्त्री बनी । उन्होंने भी ताशकन्द सम्झौते में घास्या प्रकट की और इसको पूरा करने का वचन दिया ।

इस सम्झौते के अनुसार भारत के हाईकमिश्नर श्री बेवसतिह पुनः घपने स्थापित हो लौट गये । पाकिस्तानी हाईकमिश्नर भी भारत आगये थे । फिर भारत और पाकिस्तान के सैनिक प्रमुख मिले और उन्होंने सेनाघो के सौटाने की योजना स्वीकार की । ताशकन्द सम्झौते के अनुसार २५ फरवरी १९६६ तक सेनायें घपने-घपने स्थापित पर लौट आईं । सम्झौते के अनुसार ८ फरवरी १९६६ को मुद्र बन्दियों को हस्तक्षेपका के पास बदला-बदला गया । भारत ने ५५२ मुद्र बन्दी दिये । पाकिस्तान ने बदले में ५८३ मुद्र बन्दी लौटाये । घपने की घोर बदला-बदली के लिए सैनिक प्रमुख २२ जनवरी ६६ को दिल्ली में मिले । अगस्त १९६६ में जो एक दूसरे देश का माल जप्त किया गया या उसको लौटाने का निर्णय किया गया । इस प्रकार

शान्ति स्थापना की ओर कदम बढ़े हैं। पर पाकिस्तान ने पुनः भारत विरोधी प्रचार शुरू कर दिया है और सेनाओं को सीमा पर बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से भी सॉठ-भाँठ बढ़ासी है। वह युद्ध सामग्री भी चीन तथा अन्य देशों से ले रहा है। इस प्रकार वह अब भी युद्ध की तैयारी में प्रतीत होता है। इन बातों से पता चलता है कि वह शान्ति और सद्भाव का इच्छुक नहीं है। उसकी बातें अब भी युद्ध प्रियता को प्रगट कर रही हैं। देखिए, आगे क्या होता है।
